सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

४६

(अप्रैल-जून १९३१)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

फरवरी १९७१ (माघ १८९३)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७२

साढ़े सात रुपये

कापीराइट
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१, द्वारा प्रकाशित
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४, द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमें १६ अप्रैलसे १७ जून, १९३१ तक की सामग्री दी जा रही है। अस्थायी समझौतेपर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे। अब इस अवधिमें हम गांधीजीको बढती हुई कठिनाइयोसे जूझते हुए, उस समझौतेको पारस्परिक विश्वास और सहयोगकी उसी भावनासे क्रियान्वित करानेको प्रयत्नशील देखते है जिस भावनासे समझौतेपर हस्ताक्षर किये गये थे। लेकिन, जैसा कि सी० एफ० एन्ड्रूजको लिखे उनके पत्रोसे ज्ञात होता है, "अफसरोकी काहिली, अनिच्छा और . विरोध" (पृष्ठ ९२)के कारण उन्हे यह "सघर्ष अत्यन्त कठिन" (पृष्ठ ५२) लग रहा था। विप्लववादियोकी प्रवृत्तियोके कारण उनकी कठिनाई और भी बढ गई थी, इसलिए गांधीजीने बड़े धैर्यके साथ उन लोगोको भारतके सन्दर्भमे हिंसाकी निरर्थकता समझानेकी कोशिश की। लेकिन उनकी कठिनाईका अन्त यही नही होता। हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच आपसमें सहमति न होनेके कारण संविधान बनानेकी समस्या और भी उलझ गई थी, जिससे गाधीजीके मनमे लन्दनमे होनेवाली आगामी गोलमेज परिषद्मे शामिल होनेकी उपयोगिताके बारेमे शंका उठ रही थी। उन्हे यह भी डर था कि उनके बाहर रहनेसे समझौता कही टूट न जाये। इससे परिषद्मे शामिल होनेकी उनकी अनिच्छा और भी बढ गई। १९३०मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करनेसे पहले भी उनका मन इसी तरह दुविधाग्रस्त हो गया था और तब उन्होने जिस तरह अपनी अन्तरात्माकी आवाजको अपना सबल बनाया था उसी तरह अब भी उसीका सहारा लिया। जब एक मित्रने उन्हे परिषद्मे शामिल होनेका निर्णय करनेके बारेमें जल्दी न करनेको आगाह किया तो उनसे गाधीजीने कहा: "मै ऐसी अटकलबाजीमे नही पडता। ईश्वर मुझे जहाँ भी ले जायेगा, वहाँ मै इसी विश्वासके साथ जाऊँगा कि उसके निर्देशित मार्गपर चलनेसे सब-कुछ ठीक ही होगा" (पृष्ठ ५५)।

इस खण्डका प्रारम्भ "हिंसावादिता"की तीव्र भर्त्सनाके साथ होता है। गाधीजीने इस बातपर गहरा दुःख प्रकट किया कि भगतसिंहके सम्बन्धमे काग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावका, जैसा सोचा गया था, उससे ठीक उलटा असर हुआ और वह मानो लोगोको राजनीतिक हत्याकी "बेखटके प्रशसा करनेका अधिकार" देनेवाली सनद बनकर रह गया (पृष्ठ १)। उन्होने कहा: "मै फिरसे अपना निश्चित और भली-भाँति सोचा-समझा यह मत दोहराता हूँ कि हिन्दुस्तानमे तो राजनैतिक हत्या देशको नुकसान ही पहुँचा सकती है" (पृष्ठ १)। उनका दावा था कि "भारतमे वर्तमान असाधारण लोक-जागृति केवल अहिंसक रीतिसे ही हुई है, जिसमे स्त्रियोकी जागृति भी शामिल है" (पृष्ठ २)। विप्लववादियो द्वारा अपनाये गये हिंसा-मार्गको उन्होने निरर्थक, हानिकर और भारतीय परम्पराके विरुद्ध बताया, और इसकी पुष्टिके

प्रमाण-स्वरूप "ठोस तथ्य" देते हुए निष्कर्ष रूपमे कहा, ". . . पूरा-पूरा शान्त वातावरण मिला होता तो हम अब तक अपने ध्येय तक पहुँच चुके होते" (पृष्ठ ३०)। इस प्रश्नपर गाधीजीकी स्थितिका बंगालमे अकसर गलत अर्थ लगाया गया, इतना ही नही, विभिन्न प्रान्तोके साथ उनके व्यवहारको पक्षपातपूर्ण तक बताया गया (३७९–८२)। किन्तु, गाधीजीका स्पष्ट उत्तर था: "मुझे जितना पजाब प्रिय है उतना ही बगाल भी प्रिय है। और बंगालसे युवावस्थामें मुझे जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए तो मै उसका खास तौरपर ऋणी हूँ" (पृष्ठ ३८१) लेकिन "बगाल पर या किसी प्रान्तके युवकोपर मेरा प्रभुत्व कायम रहे या न रहे, मुझे तो उच्च स्वरमे अपनी धार्मिक श्रद्धाका ऐलान करना ही होगा। भारतवर्षके भूखो मरनेवाले करोडोकी मुक्ति सत्य और अहिंसा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है" (पृष्ठ ३८२)।

भारतमे हिंसावादियोकी सख्या सर्वथा नगण्य थी, लेकिन वातावरणमे उनका जो असर था, उसकी उनकी सख्यासे कोई तुलना ही नही थी। गाधीजीने स्पष्ट देखा कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जनसाधारण कर्मसे तो अहिंसक बना रहा था, लेकिन साथ ही "राजनैतिक हत्याको . . . बडे पैमानेपर, . . . अविवेकपूर्ण समर्थन" (पृष्ठ १२७) मिल रहा था और सत्याग्रही लोग भी अक्सर विचार और वाणीसे हिंसा करनेके दोषी थे। कराचीमे एक आदमीने कुछ बेरोजगार तथा अन्य श्रमिकोको एकत्र करके वहाँके व्यापारियो और पैसेवाले लोगोके साथ जबरदस्ती करनेकी कोशिश की थी। इस "सनकी आदमी"की करतूतोका हवाला देते हुए गाधीजीने लोगोको चेतावनी दी: "जो लोग अबतक अज्ञान और अनियन्त्रित सत्ताके" वशीभूत होकर "घोर नीदमे सोये पडे थे, उन्ही सर्वसाधारणकी जागृति आसानीसे व्यवस्था तथा सामाजिक सगठनका सर्वनाश कर सकती है।" अत गाधीजीके विचारसे अनुशासनका पालन समयकी आकुल आवश्यकता थी। उन्होने कहा: "तूफान और बाढे तो हमेशा ही आती रहेगी। परन्तु तूफान और बाढकी रोकके लिए जो काम बाँध वगैरासे होता है, अव्यवस्थाको रोकनेमे अनुशासनका वही उपयोग है" (पृष्ठ १४७)। इसी दृष्टिसे उन्होने कार्यकर्त्ताओको सलाह दी कि अगर धरना देनेमे पूरी शान्तिका पालन सम्भव न हो तो यह प्रवृत्ति बन्द कर दी जाये (पृष्ठ १००)। उन्होने काग्रेसियोको पचायती व्यवस्थाको पुनरुज्जीवित करनेमे जल्दबाजी न करनेकी सलाह दी, क्योकि पूरी सावधानीसे काम न लेनेपर इस व्यवस्थाके भी शोषणका एक साधन बनकर रह जानेका खतरा था। गाधीजीके ही शब्दोमे, "किसी पचायतको जुर्माना करनेका अधिकार नही होना चाहिए, नैतिक अधिकार," विशुद्ध निष्पक्षता "और दोनो पक्षोका स्वेच्छापूर्ण आज्ञापालन ही उसकी दीवानी डिग्रियोकी स्वीकृतिका आधार होना चाहिए" (पृष्ठ २५६)। इसी प्रकार उन्होने सामाजिक बहिष्कारके प्रति भी अपनी असहमति प्रकट की, क्योकि "गाँवमे सिद्धान्तहीन मनुष्योके हाथोमे पडकर सामाजिक बहिष्कार एक भयकर हथियार सिद्ध हुआ है" (पृष्ठ २५७)।

किन्तु इस अवधिमे गाधीजीको सबसे अधिक चिन्ता उस समझौतेको टूटनेसे बचानेकी थी। उनके विचारसे वह समझौता "सज्जनोका करार" था, और उन्होने

भारत सरकारके गृहसचिव एच० डब्ल्यू० एमर्सनको आश्वस्त किया कि "मै लॉर्ड इर्विनको वचन दे चुका हूँ कि समझौता भंग न होने देनेकी दृष्टिसे मै ऐसा कोई भी काम, जिसे करना मेरे लिए अशोभनीय हो, नही करूँगा" (पृष्ठ ४९)। उदारदलीय नेता चि० य० चिन्तामणिको लिखे उनके पत्रसे ज्ञात होता है कि ऐसे कई प्रसग आये जब वे स्थानीय अधिकारियोसे वार्ता बन्द कर सकते थे, लेकिन गम्भीर विचार किये बिना हलके मनसे संघर्ष छेड़ देना उनके लिए अशक्य था। "उससे लॉर्ड इर्विनको जो मार्मिक दु.ख पहुँचता" उसका विचार-मात्र उन्हें "वैसा कोई कदम उठानेसे पहले हजार बार सोच लेनेके लिए बाध्य" करता था (पृष्ठ २८४)। लेकिन इस आत्मसयमके कारण उनके मनको कभी-कभी गहरी व्यथा भी भोगनी पडी। अधिकारी तो जनतापर मनमाने ढगसे अपना हुक्म चलानेके अभ्यस्त हो गये थे, इसलिए उस समझौतेमे पारस्परिक विश्वास और सहयोगपर आधारित जिस सम्बन्धकी अवधारणा थी, उससे अपने मनका सामजस्य बैठा पाना उन्हे असम्भव लग रहा था। गांधीजीने राजगोपालाचारीको लिखे पत्रमे उन्हे बताया कि स्पष्ट है, प्रान्तीय सरकारोको समझौता अच्छा नही लगा है। "उनसे समझौतेपर अमल कराना अत्यन्त ही दुष्कर है, शेरकी दाढ निकालने-जैसा" (पृष्ठ १७१)। उदाहरणके लिए, उत्तरी-मण्डलका आयुक्त गांधीजीके इस दृष्टिकोणको स्वीकार करनेको तैयार नही था कि चूँकि काग्रेस "जनताका प्रतिनिधित्व करती है," इसलिए समझौतेसे सम्बन्धित बातोमे उसे "सरकार और जनताके बीच सम्पर्क-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली" सस्थाके रूपमे मान्य किया जाये (पृष्ठ २०)। गाधीजीके लिए यह अत्यन्त "महत्त्वपूर्ण प्रश्न" था (पृष्ठ २०), और उन्होने गृहसचिवको सूचित किया कि "जहाँतक गुजरातका सम्बन्ध है, समझौता लगभग टूटने-जैसी स्थितिमे आ पहुँचा है" (पृष्ठ २४)। गुजरातमे यह स्थिति यो उत्पन्न हुई कि वहाँकी सरकारने गाधीजीसे कोई बातचीत किये बिना लोगोको यह धमकी दे दी कि उनसे लगानकी बकाया रकमे वसूल करनेके लिए, जरूरत पडी तो, कानूनी कार्रवाही और कुर्की-जब्ती भी की जायेगी। मगर ऐसी कोई समस्या अकेले गुजरातमे ही खडी हुई हो, सो बात नही थी। देशके अन्य हिस्सोमे भी इस तरहके असख्य प्रश्न उठ खडे हुए। स्थिति विकट हो गई। निदान गाधीजीको शिमलामे गृह-सचिवसे विस्तृत बातचीतके लिए आमन्त्रित किया गया। गृह-सचिवने गाधीजीके सामने सरकारके समक्ष उपस्थित "सवैधानिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, वित्तीय, कृषीय और आतकवादी आन्दोलनसे सम्बन्धित" समस्याएँ रखी और उनसे अनुरोध किया कि उनके समाधानके लिए सबको एक-जुट होकर काम करना चाहिए (पृष्ठ ४४५)। वार्तके अन्तमे श्री एमर्सनने अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि गाधीजी "समझौतेका पूरा-पूरा पालन करानेके लिए पहलेसे अधिक चिन्तित है" (पृष्ठ ४४७)। लेकिन गांधीजी समझौतेके बारेमे सरकारकी सदाशयताके प्रति कुछ आश्वस्त भले ही हो गये हो, उसके भविष्यके सम्बन्धमे उनकी शकाएँ पूरी तरहसे मिट नही पाई थी। इग्लैड जानेमे वे अब भी झिझक रहे थे, क्योकि "समझौतेकी कार्यान्वितिके सिलसिलेमे इतनी झंझटे होते हुए" वे "भारतसे बाहर

कदम कैसे रख" सकते थे? (पृष्ठ २०८)। समस्याएँ ज्यो-की-त्यो बनी हुई थी, इसलिए उन्हे लाचार होकर यह सुझाव देना पड़ा कि "दोनो पक्षो द्वारा समझौतेकी शर्तोपर पूरा-पूरा अमल करानेके लिए स्थायी मध्यस्थ मण्डल नियुक्त कर दिया जाये" (पृष्ठ ४०५-६)।

साम्प्रदायिक समस्याका भी कोई समाधान नही निकल पाया था। दोनो सम्प्रदायोके नेता पर्देके पीछे गम्भीर वार्ता चला रहे थे और गाधीजीको इस प्रश्नपर इस बीच मौन साधे रहनेकी सलाह दी गई थी (पृष्ठ १२५-२६)। उन्होने प्रारम्भमें ही स्पष्ट कर दिया था कि जबतक इस समस्याका समाधान नही निकलता, वे गोलमेज परिषद्में शामिल नही होगे। आगे भी जब-कभी उनके सामने बात उठाई गई, उन्होने यही कहा। डॉ० मु० अ० अन्सारीको अपनी स्थिति समझाते हुए उन्होने लिखा, "यदि मेरे अपने ही देशमें यहाँ परस्पर फूट रहेगी तो मै क्या माँगे रख पाऊँगा और राष्ट्रीय माँगको बहुत दृढताके साथ कैसे पेश कर पाऊँगा?" (पृष्ठ २३९)। किन्तु जान पडता है, इस सम्बन्धमें पक्के तौरपर कुछ तय कर पाना गाधीजीको बहुत कठिन लग रहा था। चि० य० चिन्तामणिको उन्होने लिखा: "इस मामलेमें भी मै अभी अपना रास्ता टटोल रहा हूँ और यदि मुझसे बन पड़ा तो मै परिषद्मे अवश्य भाग लूँगा। मैंने अबतक बिलकुल ही निश्चित कोई निर्णय नही किया है" (पृष्ठ २८५)। स्थिति जैसी विकट हो गई थी, उसको देखते हुए वे लन्दन जाकर, सम्मेलनमे भाग लिये बिना, जिम्मेवार ब्रिटिश राजनयिको और साधारण जनोको काग्रेसकी स्थिति समझाने और "थोडा-बहुत प्रचार-कार्य" (पृष्ठ २९३) करने तककी सम्भावनापर विचार करने लग गये थे। लेकिन ऐसा करनेको भी वे तभी तैयार थे जब वे देख लेते कि देशमें समझौतेका निर्वाह एक न्यूनतम सीमा तक हो रहा है। सी०एफ० एन्ड्रयूजको लिखे पत्रमे उन्होने बताया: "मेरी इच्छा तो वहाँ जानेकी है, पर अन्दरसे आवाज आती है—'नही'; और बाहरी वातावरण अन्तरकी आवाजके मार्गदर्शनका ही समर्थन करता है" (पृष्ठ २९३)।

काग्रेस और सरकारके बीच जिन बातोपर मतभेद था, उनमें से अधिकाशके सम्बन्धमे तो उनका रुख समझौतेका था, किन्तु विदेशी वस्तुओके बहिष्कारके सन्दर्भमें वे अपनी स्थितिसे तनिक भी डिगनेको तैयार न थे। कार्यक्रमके इस हिस्सेका ब्रिटेनके आर्थिक हितोपर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पडा था और वहाँके सूत, कपडे आदिके उद्योगकी स्थिति बिगड चली थी। इस तरह यह एक ऐसी चीज थी जिसके कारण काग्रेसकी नीतिके गलत समझे जाने और उसे गलत रूपमें पेश किये जानेकी बहुत अधिक सम्भावना थी। समझौतेके परिणामस्वरूप काग्रेसने ब्रिटिश मालका बहिष्कार तो बन्द कर दिया, क्योकि उसे विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यसे अपनाया गया था, किन्तु "भुखमरीसे पीडित करोडो लोगोकी आर्थिक आवश्यकता" के रूपमे ब्रिटिश वस्त्र-सहित सभी विदेशी कपडोका बहिष्कार कायम रखा गया (पृष्ठ १०६)। इस आन्दोलनके विरुद्ध इग्लैडमे अकारण ही जो कटुतापूर्ण बवाल खडा कर दिया गया था, उसके सम्बन्धमें 'यग इडिया' मे लिखते हुए गांधीजीने अंग्रेजो और खासकर

लंकाशायरके मिल-मालिकोसे इस सीधे-साधे तथ्यको समझनेका अनुरोध किया कि "पीढियोसे चली आनेवाली कंगाली या भुखमरीसे मुक्त होनेके लिए हिन्दुस्तानको" विदेशी कपडेके लिए—चाहे वह "विलायती हो या जापानी" या किसी अन्य देशका—सदाके लिए अपने द्वार बन्द कर लेने है। "सभी विदेशवासी यह समझ ले कि यह बहिष्कार-आन्दोलन एक लोकव्यापी, लोकहितकारी आन्दोलन है। . . . इस आन्दोलनके राजनैतिक परिणाम अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह आन्दोलन शुद्ध रूपमे आर्थिक और लोकोपकारी है, इसलिए तमाम दुनियाकी इसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए" (पृष्ठ २६)। उन्होने यह स्वीकार किया कि सक्रमण कालमे लकाशायरके कारीगरोको कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। लेकिन क्या इसीलिए भारतके करोडो लोग भूखो मरते रहे?—यह था उनका बहुत ही माकूल सवाल। और वास्तविकताको साहसपूर्वक उजागर करते हुए उन्होने कहा: "लकाशायरने भारतके कुटीर उद्योगोका गला घोटकर एक अन्याय किया। अब . . . लकाशायरको चाहिए कि वह अपने लिए कोई अपेक्षाकृत कम हानिकर उद्योग तलाश ले" (पृष्ठ ३४६)। फिर भी, इस प्रश्नपर ब्रिटेनकी भावनाकी तीव्रताको समझते हुए गाधीजीने गोलमेज परिषद्के सिलसिलेमे इग्लैड जानेका सयोग आनेपर लकाशायर जाकर वहाँके लोगोको यह समझानेका निमन्त्रण बडी तत्परतासे स्वीकार किया कि "मेरे और काग्रेसके मनमे लकाशायरके प्रति किसी भी तरहकी कोई दुर्भावना नही है और काग्रेस लंकाशायरकी भरसक सहायता करेगी" (पृष्ठ २२५)।

लेकिन साथ ही गाधीजी भारतीय जनताको भी "बहिष्कार आन्दोलनका सच्चा प्रयोजन और वास्तविक अर्थ" समझाकर आन्दोलनको सही दिशा देना आवश्यक मानते थे। उन्होने राष्ट्रका आह्वान किया कि वह इस कार्यक्रमको "इस ढगसे क्रियान्वित" करे जिससे इसका "अधिकांश लाभ गाँवोके लोगोको पहुँचे" और इस कामको इस ढगसे करनेका एक ही रास्ता था कि "राष्ट्र . . . देशी वस्त्रोमे खादीको ही सबसे ऊँचा स्थान" दे (पृष्ठ ६०)।

इसलिए उन्होने जनतासे अनुरोध किया कि वह वस्त्रोके सम्बन्धमे अपनी रुचि बदले। इस सम्बन्धमे लोगोके मनकी दुविधा उनसे छिपी नही थी। उन्होने कहा: "बुद्धि विदेशी कपडेके त्यागको स्वीकार अवश्य करती है, परन्तु हृदय तो विदेशसे आनेवाले भाँति-भाँतिके कपडोके लिए ही तरसता रहता है। देश-प्रेमकी अपेक्षा—या कहो कि करोडो अधभूखोके प्रेमकी अपेक्षा—अपना सुख ही अधिक प्रबल सिद्ध होता है" (पृष्ठ १४८)। कुछ हलकोमे इस आन्दोलनपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि इसका "एकमात्र लक्ष्य जनताको हानि पहुँचाकर मिलोको लाभ पहुँचाना है।" इस आरोपका खण्डन करते हुए गाधीजीने कहा कि "भारतीय मिलोका काम यही है कि वे खादीकी अनुपूरक बने। . . . लेकिन यदि भारतीय मिले खादीका विरोध भी करे तो बहिष्कार जारी ही रहेगा।" उनका विचार था कि एक बार जब विदेशी कपडे रास्तेसे हट जायेगे तो "देशी मिले बडी तत्परतासे या तो अपने वस्त्रोके मूल्य और उसके उत्पादनको खादीके अनुरूप बना लेगी या फिर विदेशी

मिलोकी भाँति उनको भी बहिष्कारका खतरा उठाना पडेगा" (पृष्ठ ३२९)। खादीके मानवीय पक्षपर जोर देते हुए उन्होने कहा: "खादी दरिद्रनारायणकी हुण्डी है। इसे सकारनेवाले शहरके नागरिक होने चाहिए" (पृष्ठ ३६३)। उनका कहना था कि "ग्रामीण अर्थशास्त्र उद्योग-प्रधान अर्थशास्त्रसे भिन्न" है; जड़ वस्तुओके उपयोगका अर्थशास्त्र एक चीज है, लेकिन मानवीय अर्थशास्त्र बिलकुल दूसरी।

गाधीजीके विचारसे, नैतिक दृष्टिसे तो खादी उस सार्वभौम स्वदेशी धर्मका ही एक अग थी जो अपने अनुयायियोसे "अपने आसपास रहनेवालोकी सेवामें लीन हो जाने" की अपेक्षा रखता है। इससे ऐसा भ्रम होना सम्भव था कि यह तो सेवाका बहुत ही सकुचित और सृष्टिकी एकताके बोधके विपरीत दृष्टिकोण है। किन्तु गाधीजी का कहना था कि "स्वदेशीकी शुद्ध सेवा करनेसे परदेशीकी भी शुद्ध सेवा होती है। . . . दूरवालोकी सेवा करनेका मोह करनेसे वह सधती भी नही और पडोसीकी सेवा भी नही हो पाती" (पृष्ठ २७२)। मगर साथ ही उन्होने स्वदेशीको कोई विकृत रूप देनेके खिलाफ भी लोगोको आगाह करते हुए कहा. "जो चीजे स्वदेशमें न बनती हो या बहुत कठिनाईसे ही बन सकती हो, उन्हे विदेशी वस्तुओसे द्वेषके कारण यदि देशमे बनाने बैठ जाये तो वह स्वदेशी-धर्म नही है" (पृष्ठ २७४)। स्वदेशीका मर्म स्पष्ट करते हुए उन्होने बताया, "यह सकीर्ण धर्म नही है। यह तो प्रेम और अहिंसासे उत्पन्न एक सुन्दर धर्म है" (पृष्ठ २७४)।

इधर गाधीजीकी लँगोटी फिरसे आलोचकोके बीच चर्चाका विषय बन गई थी और इस बार तो इसमे चर्चिल-जैसे गण्यमान्य राजनयिक भी शामिल थे। इन आलोचकोको उत्तर देते हुए गाधीजीने बताया कि यह चीज भी उनके लिए "करोडो अधनगे लोगोके रहन-सहनके अधिक समीप होकर उनसे अपनेको जोड सकने" का एक साधन थी। लेकिन उसका महत्त्व यही तक सीमित नही था। "जिस हदतक लँगोटी सादगीकी निशानी है, उस हदतक वह भारतीय सस्कृतिकी प्रतीक भी मानी जा सकती है।" उन्होने यह तो स्वीकार किया कि यूरोपीय सभ्यतामे "जो अच्छा और ग्राह्य हो" उसे भारतको अपनाना चाहिए किन्तु "शारीरिक सुखोकी दृष्टिसे अविरत शोध और उनकी वृद्धि" का उन्होने विरोध किया, और कहा कि यूरोपीय लोग "जिन भोगोके वे गुलाम बने जा रहे है, यदि वे उनके भारसे दबकर तबाह न होना चाहते हो, तो स्वयं उन्हे भी अपनी जीवन-दृष्टिको नया रूप देना पडेगा।" औरोके लिए चाहे जो हो, लेकिन "भारतवर्षका इस सोनेके हिरनके पीछे दौड़ना निश्चय ही मौतको गले लगाना है" (पृष्ठ ५८)।

इसी दौरान गांधीजीको एक और विवादमें उलझना पडा था। बात यह हुई थी कि भारतमे विदेशी मिशनरियोके कार्यकलापके सम्बन्धमें गाधीजी द्वारा व्यक्त किये गये कुछ विचारोको एक अखबारने तोड-मरोड़ कर प्रकाशित कर दिया था। इसपर कई अखबारो और अनेक पत्र-लेखकोने गाधीजीकी बडी तीव्र आलोचना की। एक लेखमें इन आलोचनाओका उत्तर देते हुए गाधीजीने कहा: "हरएक राष्ट्र अपने धर्मको दूसरे किसी राष्ट्रके धर्म-जितना ही अच्छा समझता है। भारतवासी जिन

महान् धर्मोमे आस्था रखते है, वे निश्चय ही उनके लिए पर्याप्त है। भारतको एक धर्म छोडकर दूसरा धर्म अपनानेकी कोई "आवश्यकता नही है" (पृष्ठ २८)। उन्होने धर्मान्तरणकी आधुनिक पद्धतिपर आपत्ति करते हुए कहा कि आज तो इसने भी "और वस्तुओकी भाँति एक व्यापारका रूप ग्रहण कर लिया है।" "मानव-दयाकी आडमे किया गया धर्म-परिवर्तन" उनके विचारसे "हानिकर" था और उन्होने सच्ची स्थितिपर प्रकाश डालते हुए बताया, "धर्म पार्थिव चीजोकी तरह नही दिया जाता। . . . यदि मनुष्यमे कोई जीवित धार्मिक आस्था है, तो वह गुलाबके फूलकी तरह अपनी सुगन्ध फैलाती है" (पृष्ठ २८)।

"गिरि-प्रवचनोको श्रद्धासे पढ़नेसे" उन्हे जो लाभ हुआ था, उसे उन्होने उदारतापूर्वक स्वीकार किया, और ईसा मसीहकी गणना "संसारके महानतम शिक्षकोमे" की, किन्तु ईसाको "एकमात्र अवतारी पुरुष" माननेवाली कट्टरपथी ईसाई विचारधाराको स्वीकार करना उन्होने असम्भव पाया। जहाँ उन्होने धर्मान्तरणके उस रूपपर दु ख प्रकट किया जिसमे आदमीको एक धर्मसे विमुख करके दूसरेमे दीक्षित किया जाता है, वही "आत्मशुद्धि और आत्मसाक्षात्कारके अर्थमे धर्म-परिवर्तन" को उन्होने स्पृहणीय बताया। उनका दावा था कि भारतके धर्म भारतके लिए सभी दृष्टियोसे पूर्ण और पर्याप्त है, लेकिन विभिन्न धर्मोके अनुयायी एक-दूसरेसे काफी-कुछ सीख सकते है और उन्हे सीखना भी चाहिए। यदि विभिन्न धर्मोके बीच "सहानुभूतिपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो जाये और एक-दूसरेके कुचक्रोकी कोई आशका न हो, तो प्रत्येक धर्म शेष अन्य धर्मोसे बहुत-कुछ सीख सकता है।" गाधीजीका विरोध किसी धर्मसे नही, केवल धर्मान्तरणके विचारसे था (पृष्ठ २५५)।

साबरमती आश्रमसे गाधीजीका सम्बन्ध पूर्ववत् कायम था और वे आश्रम-वासियोको, उस अहिंसक क्रान्तिका उपयुक्त वाहन बननेके लिए तैयार कर रहे थे जो वे देशमे लाना चाहते थे। इसलिए वे जहाँ-कही रहते थे, वहाँसे वे पत्रो द्वारा आश्रमवासियोसे निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखते थे। लेकिन २६ जनवरीको रिहा होनेके बादसे वे इतने व्यस्त थे कि इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए उन्हे समय नही मिल पाता था। इसलिए उन्होने नारणदाससे कहा कि वे आश्रमवासियोको 'गीता,' 'भजनावली' और 'रामायण' पर भरोसा रखनेकी सलाह दे। उन्होने लिखा, "उनका पारायण मेरे पत्रसे या सहवाससे भी ज्यादा शक्तिप्रद है, ऐसा मेरा विश्वास है और मै चाहता हूँ कि दूसरे सब लोग भी ऐसा ही माने" (पृष्ठ २४७)। गाधीजीका विचार था कि जिसमे नैतिक शक्ति नही है वह लोक-सेवाके योग्य नही है। इसीलिए उनका विशेष आग्रह था कि सेवकजन खादीके नियमका पूरा-पूरा पालन करे। इस नियमके बन्धनके कारण सेवकोकी संख्यामे कमी आ जानेकी भी उन्हे कोई परवाह नही थी। उनका विचार था कि ऐसा चरित्र-बल प्राप्त करनेके लिए अपने ऊपर बराबर चौकसी रखना आवश्यक है। "मनुष्य-स्वभाव कठिनाइयोका सामना" करनेसे कतराता है। "वह आसान रास्तेकी खोजमे रहता है। आसान रास्ता नीचे ले जाता है, मुश्किल रास्ता ऊपर उठाता है। जो नियम भौतिक शास्त्रके लिए सही

है, वही अध्यात्मपर भी लागू होता है" (पृष्ठ ३९)। गांधीजीकी मानसिक शान्ति उनके मित्रोंके लिए ईर्ष्याका विषय थी। इस शान्तिका रहस्य बताते हुए उन्होंने कहा, "ऐसी मानसिक शान्ति ईश्वर और उसकी कृपापर परम आस्था रखनेसे प्रतिफलित होती है। इस आस्थासे ही मुझे परिणाम या फलकी चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहकर अपना नियोजित कर्म विनम्रतापूर्वक करते रहनेकी सामर्थ्य मिलती है" (पृष्ठ ३११)।

इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजीके राजनीतिक विचार और संघर्षके तरीके सच्चे अर्थोंमें क्रान्तिकारी थे। लेकिन उनका यह दावा भी उतना ही सच था कि वे जितने अतिवादी हैं उतने ही मध्यममार्गी भी। लोगोंको अक्सर उनमें वैचारिक अन्तर्विरोधका भ्रम हो जाया करता था। इस भ्रमका निवारण करते हुए उन्होंने बताया कि इसका कारण यह था कि वे सेवाको ही सेवाका एकमात्र और पूर्ण पुरस्कार मानते थे। उन्हें अपनी सेवाओंके लिए जनताकी प्रशस्तिकी आवश्यकता नहीं, अन्तरात्माके मूक अनुमोदनकी जरूरत थी। सेवा-धर्मके प्रति अपनी इसी निष्ठाके कारण उन्हें वैसे हर व्यक्ति और हर संस्थासे एकताकी अनुभूति होती थी जो इस धर्ममें निरत हो। इस तरह उन्होंने सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटीके एस० जी० वझेको लिखा: "हमारे विचार चाहे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हों . . . पर मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि हमारे दिल एक हैं, क्योंकि हम एक ही गुरु [गोपाल कृष्ण गोखले]के शिष्य हैं।" (पृष्ठ २०५)

जनताकी सराहनाकी चिन्ता न करनेका यह मतलब नहीं कि उनके मनमें अयोग्य स्वामीका योग्य सेवक होनेका कोई अभिमान था। सच तो यह है कि आम जनतामें उनकी आस्था अगाध थी। तभी तो उन्होंने वयस्क-मताधिकारका विरोध करनेवाले एक व्यक्तिको लिखा "हर प्रकारके मताधिकारका दुरुपयोग हो सकता है, पर वयस्क मताधिकारका कमसे-कम होता है" (पृष्ठ ४७) जनसाधारणकी सामान्य प्रामाणिकताके प्रति अपनी इसी श्रद्धाके कारण वे बराबर चाहते थे कि कांग्रेसका सारा हिसाब-किताब जनताकी निगाहमें रहे। वे चाहते थे कि प्रान्तीय समिति जिला स्तरकी समितियोंके वित्तकी व्यवस्था न करे, बल्कि जिला स्तरकी समितियाँ ही प्रान्तीय समितिके वित्तकी व्यवस्था करें। वित्त-व्यवस्थाके केन्द्रीकरणको वे "पैरोंसे चलनेके बजाय नटकी तरह सिरके बल चलने" के समान मानते थे (पृष्ठ १६८)।

आभार

प्रस्तुत खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके प्रकाशको तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी हैं:

सस्थाएँ: साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्ली; भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया), नई दिल्ली; नेहरू स्मारक संग्रहालय, तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली और स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया।

व्यक्ति: डा० ओल्डफील्ड; श्री कनुभाई मशरूवाला; श्री किशनसिह चावडा; श्री घनश्यामदास बिडला, कलकत्ता; श्री जमनादास गाधी, श्री नारणदास गाधी, राजकोट; श्री प्रभुदास गाधी; श्री बालकृष्ण भावे; श्री रसिक देसाई, श्री वालजी देसाई, पूना; श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर; श्रीमती गंगाबहन वैद्य, बोचासण; श्रीमती प्रेमाबहन कटक, सासवड; श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद; श्रीमती वसुमती पण्डित, सूरत; श्रीमती शारदाबहन शाह, बढवान।

पुस्तके: 'पाचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो: छगनलाल जोशीने,' 'बापुना पत्रो: नारणदास गांधीने,' 'बापुना पत्रो: प्रभावती बहनने,' 'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री'।

पत्र-पत्रिकाएँ: 'नवजीवन', 'बोम्बे क्रॉनिकल', 'यग इडिया', 'स्टेट्समैन' और 'हिन्दुस्तान टाइम्स'।

इनके अतिरिक्त अनुसन्धान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका पुस्तकालय, इडियन कौसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय; सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, नई दिल्ली; भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इडिया); श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। कागज-पत्रोकी फोटो-नकल तैयार करनेमे सहायता देनेके लिए हम सूचना और प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोमें मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख-आदिमें हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई हैं।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमें प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका मूलसे मिलान और सशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमें सशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है, जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमें दिये गये अश सम्पादकीय हैं। गाधीजीने किसी लेख, भाषण-आदिका जो अश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नही हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणो और भेटकी रिपोर्टोंके उन अशोमें जो गांधीजीके नही है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दाये कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमें दी गई है और आवश्यक होने पर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ आधार पर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोका, और एम० एम० यू० गाधी स्मारक निधि और संग्रहालयके मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिटमें उपलब्ध कागज-पत्रोका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाड्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध परिशिष्ट तथा अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

भूमिका	पांच
आभार	तेरह
पाठकोंको सूचना	पन्द्रह
१. हिंसावादिता (१६-४-१९३१)	१
२. एक अंग्रेजकी परेशानी (१६-४-१९३१)	३
३. टिप्पणियाँ: मालवीयजी और कार्य-समिति; खादी द्वारा बहिष्कार (१६-४-१९३१)	७
४. पत्र: प्रभावतीको (१८-४-१९३१)	८
५. भेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको (१८-४-१९३१)	९
६. भाषण: बम्बई नगर-निगमके मानपत्रके उत्तरमें (१८-४-१९३१)	११
७. सत्याग्रही किसानोंसे (१९-४-१९३१)	१३
८. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको (१९-४-१९३१)	१५
९. पत्र: साहबजी महाराजको (१९-४-१९३१)	१६
१०. पत्र: डा० सैयद महमूदको (१९-४-१९३१)	१६
११. पत्र: गोकीबहनको (१९-४-१९३१)	१७
१२. पत्र: जे० एच० गेरेटको (२०-४-१९३१)	१८
१३. पत्र: मणिलाल और सुशीला गांधीको (२०-४-१९३१)	१९
१४. हरिगणेश फाटकको लिखे पत्रका एक अंश (२०-४-१९३१ के बाद)	१९
१५. पत्र: जे० एच० गेरेटको (२१-४-१९३१)	२०
१६. पत्र: बालकृष्ण भावेको (२१-४-१९३१)	२१
१७. भाषण: साबरमती आश्रम, अहमदाबादमें (२१-४-१९३१)	२१
१८ पत्र: प्रभावतीको (२२-४-१९३१)	२२
१९. पत्र: आर० एम० मैक्सवेलको (२२-४-१९३१)	२३
२०. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (२२-४-१९३१)	२४
२१. पत्र: तेजबहादुर सप्रूको (२२-४-१९३१)	२५
२२. तार: लक्ष्मीदत्तको (२२-४-१९३१ को या उसके पश्चात्)	२५
२३ विदेशी कपडा और दूसरी विलायती चीजें (२३-४-१९३१)	२६
२४. विदेशी मिशनरी (२३-४-१९३१)	२७
२५. अनेकोंमेंसे एक (२३-४-१९३१)	२९
२६. वडापल्लीका गोलीकाण्ड (२३-४-१९३१)	३१

२७. धरनेके विरोधमें (२३-४-१९३१)	३१
२८. एक चतुराईसे भरी सलाह (२३-४-१९३१)	३३
२९ पत्र रामभाऊ खरेको (२३-४-१९३१)	३४
३०. तार: 'डेली हेरॉल्ड'को (२३-४-१९३१ के बाद)	३४
३१. पत्र: वसुमती पण्डितको (२४-४-१९३१)	३५
३२. पत्र: नारणदास गांधीको (२४-४-१९३१)	३५
३३. पत्र: धीरजलाल रतिलाल मेहताको (२४-४-१९३१)	३६
३४. सलाह: बारडोलीके किसानोंको (२४-४-१९३१)	३६
३५ प्रतिज्ञा-भंग (२६-४-१९३१)	३७
३६. शारदा ऐक्ट (२६-४-१९३१)	३८
३७. स्वयंसेविकाएँ और खादी (२६-४-१९३१)	३९
३८. जानने योग्य प्रश्नोत्तर (२६-४-१९३१)	४०
३९. पत्र: जे० एच० गेरेटको (२६-४-१९३१)	४३
४०. पत्र: आर० एम० मैक्सवेलको (२६-४-१९३१)	४३
४१. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२६-४-१९३१)	४५
४२. पत्र: ई० स्टेनले जोन्सको (२६-४-१९३१)	४६
४३. पत्र: सरदार सुरेन्द्रसिंहको (२६-४-१९३१)	४७
४४. भाषण: अकोटीके ग्रामीणोंके बीच (२७-४-१९३१)	४८
४५. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (२७-४-१९३१)	४९
४६. पत्र. आर० एम० मैक्सवेलको (२८-४-१९३१)	५०
४७. तार: ठाकुरदास खुशालदासको (२८-४-१९३१ के बाद)	५०
४८. खेड़ा जिलेके किसानोंसे (२९-४-१९३१)	५१
४९. पत्र: चारुप्रभा देवीको (२९-४-१९३१)	५१
५०. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२९-४-१९३१)	५२
५१. पत्र. सी० विजयराघवाचारियरको (२९-४-१९३१)	५३
५२. पत्र: आर० बी० ग्रेगको (२९-४-१९३१)	५४
५३ पत्र: जमनादास गांधीको (२९-४-१९३१)	५५
५४. पत्र: घनश्यामदास बिडलाको (२९-४-१९३१)	५६
५५ मेरी लंगोटी (३०-४-१९३१)	५६
५६ मर कर अमर हुए (३०-४-१९३१)	५९
५७ गुजरातका किसान (३०-४-१९३१)	५९
५८. ग्रामोंके प्रति हमारा कर्त्तव्य (३०-४-१९३१)	६०
५९. सच क्या है? (३०-४-१९३१)	६२
६०. पत्र: पद्माको (३०-४-१९३२)	६४

६१. भेट : फॉक्स मूवीटोन न्यूजके प्रतिनिधिको (३०-४-१९३१) ६४
६२. तार : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (१-५-१९३१) ६८
६३. पत्र : जी० एन० कालिन्सको (१-५-१९२१) ६९
६४. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको (१-५-१९३१) ७०
६५. वक्तव्य : समाचारपत्रोको (२-५-१९३१) ७०
६६. तार : हरिभाऊ उपाध्यायको (२-५-१९२१) ७१
६७. पत्र : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईके प्रबन्धकको (२-५-१९३१) ७१
६८. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको (२-५-१९३१) ७२
६९. पत्र : शैलेन्द्रनाथ घोषको (२-५-१९३१) ७३
७०. पत्र . मार्टिन सी० मिलरको (२-५-१९३१) ७४
७१. पत्र . अप्टन क्लोजको (२-५-१९३१) ७४
७२. पत्र . करमचन्दानीको (२-५-१९३१) ७५
७३. पत्र : लालजी परमारको (२-५-१९३१) ७५
७४. बीसवी सदीकी सती (३-५-१९३१) ७६
७५. टिप्पणियाँ . पत्र-लेखकोसे, एकताकी बुनियाद ही नही है (३-५-१९३१) ७८
७६. पत्र : खेडा जिलेके कलेक्टरको (३-५-१९३१) ७९
७७. पत्र : जेम्स टी० रत्नम्को (३-५-१९३१) ८०
७८. पत्र : हरिदास टी० मजूमदारको (३-५-१९३१) ८०
७९. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (३-५-१९३१) ८१
८०. तार : फ्रामरोज बी० गरदाको (४-५-१९३१) ८२
८१. पत्र : डा० सैयद महमूदको (४-५-१९३१) ८२
८२. पत्र . तान युन-शानको (४-५-१९३१) ८३
८३. पत्र . दलाई लामाको (४-५-१९३१) ८४
८४. पत्र : नारणदास गाधीको (४-५-१९३१) ८५
८५. पत्र . किशनसिंह चावडाको (४-५-१९३१) ८६
८६. पत्र : जमनादास गाधीको (४-५-१९३१) ८६
८७ पत्र : शारदाबहन चि० शाहको (४-५-१९३१) ८७
८८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (४-५-१९३१) ८७
८९ पत्र : फ्लोरेंस रोजेनब्लाटको (५-५-१९३१) ८८
९० पत्र : वी० टी० कृष्णमाचारीको (५-५-१९३१) ८९
९१. पत्र . बॉयड टुकरको (५-५-१९३१) ९०
९२. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको (५-५-१९३१) ९१
९३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको (५-५-१९३१) ९२
९४ पत्र · नानीबहन झवेरीको (५-५-१९३१) ९३

९५. पत्र : महावीर गिरिको (५-५-१९३१) ९३
९६. सन्देश : भूटानवासियोको (५-५-१९३१) ९४
९७. सन्देश : खादीका (५-५-१९३१) ९४
९८. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको (६-५-१९३१) ९४
९९. तार : फ़ामरोज बी० गरदाको (६-५-१९३१) ९६
१००. तार : सर कावसजी जहाँगीरको (६-५-१९३१) ९६
१०१. पत्र : अब्बास तैयबजीको (६-५-१९३१) ९७
१०२. पत्र : यूसुफ हुसैनको (६-५-१९३१) ९७
१०३. पत्र : एच० हरकोर्टको (६-५-१९३१) ९८
१०४. पत्र : च० राजगोपालाचारीको (६-५-१९३१) ९९
१०५. पत्र : रुनहम ब्राउनको (६-५-१९३१) ९९
१०६. पत्र : खानचन्द देवको (६-५-१९३१) १००
१०७. गुलजारीलाल नन्दाको (६-५-१९३१) १००
१०८. पत्र : कोडा वैकटप्पैयाको (६-५-१९३१) १०१
१०९. पत्र : मगन्तीबापी नीडूको (६-५-१९३१) १०२
११०. पत्र : के० केलप्पनको (६-५-१९३१) १०३
१११. भाषण : बोचासणमे (६-५-१९३१) १०३
११२. भेट : पत्र-प्रतिनिधियोको (६-५-१९३१) १०६
११३. टिप्पणियाँ : किसानोकी बिकी हुई जमीनें, पुलिसका अत्याचार; 'कश्मीरी'के नाम पर (७-५-१९३१) १०६
११४. अहिंसाकी शक्ति (७-५-१९३१) १०९
११५. लोकतन्त्रके खतरे (७-५-१९३१) १११
११६. अनुयायियोके लिए (७-५-१९३१) ११३
११७. फिर विदेशी मिशनरियोके बारेमें, (७-५-१९३१) ११४
११८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (७-५-१९३१) ११६
११९. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको (७-५-१९३१) ११६
१२०. पत्र : जी० बी० केतकरको (७-५-१९३१) ११९
१२१. पत्र : खानचन्द देवको (७-५-१९३१) १२०
१२२. पत्र : जी० रामचन्द्रनको (७-५-१९३१) १२०
१२३. पत्र : एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोको (७-५-१९३१) १२१
१२४. पत्र : के० एस० नागराजनको (७-५-१९३१) १२१
१२५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको (७-५-१९३१) १२२
१२६. वक्तव्य : धरनेके बारेमे (८-५-१९३१) १२२
१२७. तार : कावसजी जहाँगीर (छोटे)को (८-५-१९३१) १२३

१२८. पत्र : गगाबहन वैद्यको (८-५-१९३१) १२४
१२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (८-५-१९३१) १२५
१३०. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको (८-५-१९३१) १२६
१३१. पत्र : "लिविंग्स्टन ऐड डौल" को (८-५-१९३१) १२७
१३२. पत्र : अब्दुल रजाक मलीहाबादीको (८-५-१९३१) १२८
१३३. पत्र : कुसुमबहन देसाईको (८-५-१९३१) १२८
१३४. पत्र : पन्नालाल झवेरीको (८-५-१९३१) १२९
१३५. पत्र : प्रभावतीको (८-५-१९३१) १२९
१३६. पत्र : नारणदास गाधीको (८-५-१९३१) १३०
१३७. पत्र : जमनादास गाधीको (८-५-१९३१) १३१
१३८. पत्र : जमनालाल बजाजको (८-५-१९३१) १३१
१३९. भेट : पत्र-प्रतिनिधियोको (८-५-१९३१) १३२
१४०. सन्देश : हिन्दुस्तानी सेवा दलको (९-५-१९३१से पूर्व) १३३
१४१. सन्देश : कराचीके मजदूरोको (९-५-१९३१) १३३
१४२ पत्र : चिमनलाल शाहको (९-५-१९३१) १३४
१४३. चार लाख घारालाओका सवाल (१०-५-१९३१) १३४
१४४. टिप्पणियाँ : चुनावके दौरान पाखण्ड; नडियाद देशसेविका सघ और खादी; चौवीस टोपियाँ और तीस कुरते, एक विवाहकी शर्तें (१०-५-१९३१) १३६
१४५. खेडामे खादी (१०-५-१९३१) १३९
१४६ पत्र : शान्ता पटेलको (१०-५-१९३१) १४०
१४७. पत्र : गंगाशरण सिंहको (१०-५-१९३१) १४१
१४८. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको (१०-५-१९३१) १४२
१४९. पत्र : नारणदास गाधीको (११-५-१९३१) १४२
१५०. पत्र : नारणदास गांधीको (११-५-१९३१ या उसके पश्चात्) १४३
१५१. भेट : पत्र-प्रतिनिधियोको (१३-५-१९३१) १४३
१५२. टिप्पणियाँ : 'अरण्य-रुदन'; अमेरिका जानेकी अफवाह, (१४-५-१९३१) १४४
१५३. खतरेके बादल (१४-५-१९३१) १४६
१५४. हृदय-परिवर्तन नही (१४-५-१९३१) १४८
१५५. आंग्ल-भारतीय (१४-५-१९३१) १४९
१५६. अपील : इलाहाबाद काग्रेस अस्पतालके लिए (१४-५-१९३१) १५१
१५७. दाडीके यात्रियोके लिए (१४-५-१९३१) १५२
१५८. उनको कैसी शिक्षा दी जाती है (१४-५-१९३१) १५३
१५९. लिंच-न्यायाधीशका निर्णय (१४-५-१९३८) १५५
१६०. पत्र : सैयद अज्मतुल्लाको (१४-५-१९३१) १५६

१६१. पत्र : हेनरी नीलको (१४-५-१९३१) १५६
१६२. पत्र : एस० रगूरामको (१४-५-१९३१) १५७
१६३. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको (१४-५-१९३१) १५८
१६४. भाषण : सार्वजनिक सभा, शिमलामें (१४-५-१९३१) १५९
१६५. श्रद्धाजलि : के० टी० पॉलको (१५-५-१९३१) १६०
१६६. तार : 'ईवनिंग स्टैंडर्ड' को (१५-५-१९३१) १६१
१६७. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको (१५-५-१९३१) १६१
१६८. तार : वल्लभभाई पटेलको (१६-५-१९३१) १६२
१६९. पत्र : खानचन्द देवको (१६-५-१९३१) १६२
१७०. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (१६-५-१९३१) १६३
१७१. पत्र : ए० फेनर ब्रॉकवेको (१६-५-१९३१) १६३
१७२. पत्र : रामलाल सिंहको (१६-५-१९३१) १६४
१७३. पत्र : के० नटराजनको (१६-५-१९३१) १६५
१७४. टिप्पणियाँ : अन्धकार कैसे मिटे; भगिनी-सेवा-संघ (१७-५-१९३१) १६५
१७५. फिर भी वही राय (१७-५-१९३१) १६७
१७६. सार्वजनिक खर्च (१७-५-१९३१) १६८
१७७ पत्र : भूपेन्द्र नारायण सेनको (१७-५-१९३१) १६९
१७८. पत्र : ए० सुब्बैयाको (१७-५-१९३१) १७०
१७९. पत्र : च० राजगोपालाचारीको (१७-५-१९३१) १७०
१८०. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको (१७-५-१९३१) १७१
१८१. सन्देश : कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेसको (१८-५-१९३१) १७३
१८२. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (१८-५-१९३१) १७५
१८३ पत्र : शारदाबहन चि० शाहको (१८-५-१९३१) १७६
१८४. तार : वल्लभभाई पटेलको (१८-५-१९३१) १७६
१८५. पत्र : जमनादास गांधीको (१८-५-१९३१) १७७
१८६. पत्र : वी० ए० सुन्दरमको (१८-५-१९३१) १७७
१८७. पत्र : दूधाभाईको (१८-५-१९३१) १७८
१८८. पत्र : महावीर गिरिको (१८-५-१९३१) १७८
१८९ पत्र : प्रेमाबहन कटकको (१८-५-१९३१) १७९
१९०. पत्र : वसुमती पण्डितको (१८-५-१९३१) १७९
१९१ पत्र : फूलचन्द के० शाहको (१८-५-१९३१) १८०
१९२. तार : जयरामदास दौलतरामको (१८-५-१९३१) १८०
१९३. पत्र : नारायणदास रत्नमल मलकानीको (१९-५-१९३१) १८१
१९४ पत्र : कमर अहमदको (१९-५-१९३१) १८२

१९५. पत्र डेनिस सी० ट्रॉथको (१९-५-१९२१) १८२
१९६. पत्र : शैलेन्द्रनाथ घोषको (१९-५-१९३१) १८३
१९७. पत्र : दुर्गाप्रसन्न चटर्जीको (१९-५-१९३१) १८३
१९८. पत्र : गुलशन रायको (१९-५-१९३१) १८४
१९९ पत्र : डा० गोपीचन्द भार्गवको (१९-५-१९३१) १८४
२००. पत्र : बोधराजको (१९-५-१९३१) १८५
२०१. पत्र : एम० आई० डेविडको (१९-५-१९३१) १८५
२०२. पत्र : सुखेन्दुविकास चौधरीको (१९-५-१९३१) १८६
२०३ पत्र. सी० विजयराघवाचारियरको (१९-५-१९३१) १८७
२०४ पत्र. किर्वी पेजको (१९-५-१९३१) १८८
२०५. पत्र : बॉयड टुकरको (१९-५-१९३१) १८८
२०६ पत्र : के० टी० मेथ्यूको (१९-५-१९३१) १८९
२०७ पत्र. निरजन पटनायकको (१९-५-१९३१) १८९
२०८ पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (१९-५-१९३१) १९०
२०९ पत्र : नारणदास गाधीको (१९-५-१९३१) १९१
२१० पत्र : माधवजी ठक्करको (२०-५-१९३१) १९१
२११ भाषण नैनीतालमे (२०-५-१९३१) १९२
२१२. काग्रेसके मतदाता (२१-५-१९३१) १९३
२१३ टिप्पणियाँ : धरने; समझौता और कैदी; गरीबोका नमक; अमेरिका यात्रा, 'गुड फ्राइडे' उन्होने कैसे मनाया? (२१-५-१९३१) १९४
२१४. अठारह सौ अट्ठाईसमे (२१-५-१९३१) १९८
२१५. एक नारीका त्याग (२१-५-१९३१) २००
२१६ तार : चम्पावहनको (२१-५-१९३१) २००
२१७ तार : डा० मेहताको (२१-५-१९३१) २०१
२१८. तार. मन्त्री, काग्रेस कमेटी, चटगाँवको (२१-५-१९३१) २०१
२१९. पत्र : डा० सैयद महमूदको (२१-५-१९३१) २०२
२२०. पत्र : मुहम्मद इस्माइल खाँको (२१-५-१९३१) २०३
२२१. पत्र : महाराजकुमार विजयनगरम्को (२१-५-१९३१) २०४
२२२. पत्र : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको (२१-५-१९३१) २०४
२२३. पत्र : एस० जी० वझेको (२१-५-१९३१) २०५
२२४ पत्र : कृष्णदासको (२१-५-१९३१) २०५
२२५ पत्र : जयरामदास दौलतरायको (२१-५-१९३१) २०६
२२६. पत्र : ए० फैनर ब्रॉक्वेको (२१-५-१९३१) २०६
२२७. भाषण : राजनीतिक पीडितोके सम्मेलनमे (२१-५-१९३१) २०७

२२८.	तार : वाइसरायको (२२-५-१९३१को या उसके पूर्व)	२०८
२२९.	तार. जमनादास गांधीको (२२-५-१९३१)	२०९
२३०.	तार : रामभरोसे लालको (२२-५-१९३१)	२०९
२३१	तार : मोहनलाल सक्सेनाको (२२-५-१९३१)	२१०
२३२	भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको (२२-५-१९३१)	२१०
२३३.	तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२३-५-१९३१)	२११
२३४.	पत्र : सर मॉल्कम हेलीको (२३-५-१९३१)	२११
२३५.	संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे (२३-५-१९३१)	२१३
२३६.	पत्र : सर मॉल्कम हेलीको (२३-५-१९३१)	२१५
२३७.	भाषण : जमींदारोंकी सभा, नैनीतालमें (२३-५-१९३१)	२१६
२३८.	पत्र : श्रीनिवास शास्त्रीको (२३-५-१९३१के पश्चात्)	२१७
२३९.	टिप्पणियाँ : धरनेके बारेमें; बहिष्कारका एक लाभ, व्यापारियोंका मिथ्याचार (२४-५-१९३१)	२१७
२४०.	पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको—१ (२४-५-१९३१)	२२०
२४१.	पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको—२ (२४-५-१९३१)	२२१
२४२	पत्र. एच० डब्ल्यू० एमर्सनको—३ (२४-५-१९३१)	२२२
२४३.	पत्र : गोसीबहन कैप्टनको (२४-५-१९३१)	२२२
२४४.	पत्र : होरेस जी० एलेक्जेंडरको (२४-५-१९३१)	२२३
२४५.	पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२४-५-१९३१)	२२३
२४६.	पत्र : कैप्टेन बार्नेसको (२४-५-१९३१)	२२४
२४७.	पत्र : निरंजन पटनायकको (२४-५-१९३१)	२२५
२४८.	पत्र. पर्सी लैंसीको (२४-५-१९३१)	२२५
२४९.	पत्र : पण्डित प्रेमनाथ बजाजको (२४-५-१९३१)	२२६
२५०.	पत्र : वोल्टर बी० फॉलेको (२४-५-१९३१)	२२७
२५१.	पत्र : च० राजगोपालाचारीको (२४-५-१९३१)	२२७
२५२	पत्र : जॉन बिटमैनको (२४-५-१९३१)	२२८
२५३.	पत्र : अतुलप्रताप सिन्हाको (२४-५-१९३१)	२२८
२५४.	पत्र : कार्ल जे० ब्रुन्सकॉंगको (२४-५-१९३१)	२२९
२५५.	पत्र. जे० एम० साहनीको (२४-५-१९३१)	२२९
२५६	पत्र : ईश्वरदास नैयरको (२४-५-१९३१)	२३०
२५७	पत्र : शान्ता पटेलको (२५-५-१९३१)	२३०
२५८.	पत्र : नारणदास गांधीको (२५-५-१९३१)	२३०
२५९	पत्र : प्रबन्धक, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईको (२६-५-१९३१)	२३२
२६०	पत्र : कॉवसजी जहाँगीरको (२६-५-१९३१)	२३२

२६१	पत्र . फ्रॉमरोज बी० गरदाको (२६-५-१९३१)	२३४
२६२.	पत्र : यू० गोपाल मेननको (२६-६-१९३१)	२३५
२६३.	पत्र : जुगलकिशोरको (२६-५-१९३१)	२३६
२६४.	पत्र . मगन्ती बापी नीडूको (२६-५-१९३१)	२३६
२६५.	पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको (२६-५-१९३१)	२३७
२६६.	पत्र : एल० आर० गुरुस्वामी नायडूको (२६-५-१९३१)	२३७
२६७	पत्र : च० राजगोपालाचारीको (२६-५-१९३१)	२३८
२६८.	पत्र : शकरलाल बैंकरको (२६-५-१९३१)	२३८
२६९	पत्र : डा० मु० अ० अन्सारीको (२६-५-१९३१)	२३९
२७०.	पत्र : अब्बास तैयबजीको (२६-५-१९३१)	२४०
२७१.	पत्र : मन्त्री, इंडियन एसोसिएशन, ईराकको (२६-५-१९३१)	२४०
२७२	पत्र : हरदयाल नागको (२६-५-१९३१)	२४१
२७३.	पत्र : एल० जे० बर्गेसको (२६-५-१९३१)	२४१
२७४.	पत्र : रघुवीरसिंहको (२६-५-१९३१)	२४२
२७५	पत्र : एम० जी० दातारको (२६-५-१९३१)	२४३
२७६	पत्र : सुरेन्द्रसिंहको (२६-५-१९३१)	२४३
२७७.	पत्र : मनमोहनदास पी० गाधीको (२६-५-१९३१)	२४४
२७८	पत्र . प्रभावतीको (२६-५-१९३१)	२४५
२७९.	पत्र : वसुमती पण्डितको (२६-५-१९३१)	२४५
२८०.	पत्र : लक्ष्मीबहन खरेको (२६-५-१९३१)	२४६
२८१.	पत्र : फीरोजाबहन तलयारखाँको (२६-५-१९३१)	२४६
२८२	तार प्रभाशकर पट्टणीको (२७-५-१९३१)	२४७
२८३.	पत्र : नारणदास गाधीको (२८-५-१९३१के पूर्व)	२४७
२८४	सयुक्त प्रान्तके जमीदारोसे (२८-५-१९३१)	२४८
२८५	टिप्पणियाँ : महमूदाबादके महाराजा साहब; विषैली पत्रकारिता; नौजवान भारत सभा; प्रतिद्वन्द्वी काग्रेस-कमेटियाँ; काग्रेस और साम्प्रदायिकता (२८-५-१९३१)	२५१
२८६	ईसाई मिशन (२८-५-१९३१)	२५३
२८७.	पचायते (२८-५-१९३१)	२५५
२८८.	नमक (२८-५-१९३१)	२५७
२८९	देशसेविकाओसे (२८-५-१९३१)	२५८
२९०	पत्र : प्रभावतीको (२८-५-१९३१)	२५९
२९१	पत्र : नारणदास गाधीको (२८-५-१९३१)	२६०
२९२.	पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको (२८-५-१९३१)	२६०

२९३	पत्र : जमनादास गांधीको (२८-५-१९३१)	२६१
२९४.	भेंट . पत्र-प्रतिनिधियोंसे (२८-५-१९३१)	२६२
२९५.	पत्र . आर० एम० मैक्सवेलको (२९-५-१९३१)	२६२
२९६.	पत्र : गंगाबहन झवेरीको (२९-५-१९३१)	२६४
२९७	पत्र . पद्माको (२९-५-१९३१)	२६५
२९८.	पत्र : प्रभावतीको (२९-५-१९३१)	२६५
२९९	पत्र : नारणदास गांधीको (२९-५-१९३१)	२६५
३००.	पत्र · के० एफ० नरीमानको (३०-५-१९३१)	२६६
३०१.	पत्र : एफ० कोठावालाको (३०-५-१९३१)	२६७
३०२.	पत्र : फ़ामरोज वी० गरदाको (३०-५-१९३१)	२६८
३०३.	पत्र . रतिलालको (३०-५-१९३१)	२६८
३०४.	पत्र : फूलचन्द कस्तूरचन्द शाहको (३०-५-१९३१)	२६९
३०५.	पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको (३०-५-१९३१)	२६९
३०६	पत्र : गंगाबहन वैद्यको (३०-५-१९३१)	२७०
३०७.	पत्र : घनश्यामदास बिडलाको (३०-५-१९३१)	२७१
३०८	तार : विलियम शिररको (३०-५-१९३१ या उसके पश्चात्)	२७१
३०९	स्वदेशी-व्रत (३१-५-१९३१)	२७२
३१०.	स्वतन्त्रताकी मर्यादा (३१-५-१९३१)	२७४
३११	टिप्पणियाँ . विदेशी और स्वदेशीकी पहचान, खरीदारकी जिद; *ऐसी धरना देनेवाली कम हैं, बेचारा पुरुष, दूधमें जहर मिले तो :* देशसेविकाओंसे (३१-५-१९३१)	२७५
३१२.	पत्र · अमतुस्सलामको (३१-५-१९३१)	२७९
३१३.	पत्र : एम० रिवेलो ऐंड सन्सको (३१-५-१९३१)	२७९
३१४.	पत्र . ऐलन डब्ल्यू० सेलरको (३१-५-१९३१)	२७९
३१५	पत्र : किरणशंकर रायको (३१-५-१९३१)	२८०
३१६.	पत्र : आनन्दकिशोर मेहताको (३१-५-१९३१)	२८१
३१७.	पत्र · श्रीराम शर्माको (३१-५-१९३१)	२८१
३१८	पत्र : आर० एस० राजवाडेको (३१-५-१९३१)	२८२
३१९	पत्र : कृष्णगोपाल दत्तको (३१-५-१९३१)	२८२
३२०.	पत्र : वी० वी० हरोलीकरको (३१-५-१९३१)	२८३
३२१.	पत्र : सी० वाई० चिन्तामणिको (३१-५-१९३१)	२८४
३२२.	पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (३१-५-१९३१)	२८५
३२३	पत्र : वा० गो० देसाईको (३१-५-१९३१)	२८६
३२४	पत्र : दूधाभाईको (३१-५-१९३१)	२८६

३२५. पत्र. रुक्मिणी बजाजको (३१-५-१९३१)	२८७
३२६ पत्र· प्रेमाबहन कटकको (३१-५-१९३१)	२८७
३२७. पत्र: विट्ठलदास जेराजाणीको (३१-५-१९३१)	२८८
३२८. पत्र: नारणदास गाधीको (३१-५-१९३१)	२८८
३२९. तार: सुभाषचन्द्र बोसको (१-६-१९३१)	२८९
३३०. तार: जे० एम० सेनगुप्तको (१-६-१९३१)	२८९
३३१. तार. मुरारीलालको (१-६-१९३१)	२९०
३३२. भेट. पत्र-प्रतिनिधियोको (१-६-१९३१)	२९०
३३३ तार: तमिलनाडु सम्मेलन, मदुराको (२-६-१९३१)	२९१
३३४. तार: कोम्माबेलको (२-६-१९३१)	२९२
३३५ पत्र. एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (२-६-१९३१)	२९२
३३६. पत्र. सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२-६-१९३१)	२९३
३३७. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२-६-१९३१)	२९४
३३८ पत्र: ए० जी० बटको (२-६-१९३१)	२९५
३३९ पत्र: सर डब्ल्यू० जे० वेनलेसको (२-६-१९३१)	२९६
३४०. पत्र: एन० जी० जोशीको (२-६-१९२१)	२९७
३४१ पत्र: सर कावसजी जहाँगीरको (२-६-१९३१)	२९७
३४२. पत्र: शारदाबहन चि० शाहको (२-६-१९३१)	२९८
३४३ पत्र: नानीबहन झवेरीको (२-६-१९३१)	२९८
३४४. पत्र: मणिलाल और सुशीला गाधीको (२-६-१९३१)	२९९
३४५ पत्र: हरिइच्छा देसाईको (२-६-१९३१)	२९९
३४६ पत्र बबलभाई मेहताको (२-६-१९३१)	३००
३४७. पत्र: नारायण मोरेश्वर खरेको (२-६-१९३१)	३००
३४८ पत्र. रामभाऊ खरेको (२-६-१९३१)	३०१
३४९ पत्र नारणदास गाधीको (२-६-१९३१)	३०१
३५० पत्र· छगनलाल जोशीको (२-६-१९३१)	३०२
३५१. पत्र. खुशालचन्द गाधीको (२-६-१९३१)	३०३
३५२ पत्र. रसिक देसाईको (२-६-१९३१)	३०३
३५३ पत्र. हेमप्रभा दासगुप्तको (२-६-१९३१)	३०४
३५४ पत्र एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (३-६-१९३१)	३०४
३५५ पत्र· एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (३-६-१९३१)	३०५
३५६ पत्र जी० वी० केतकरको (३-६-१९३१)	३०६
३५७. पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको (३-६-१९३१)	३०७
३५८ पत्र: एस० एन० बाटलीवालाको (३-६-१९३१)	३०७

३५९. पत्र : विलियम हेडोर्नको (३-६-१९३१) ३०८
३६०. पत्र : चार्ल्स एस० फील्डको (३-६-१९३१) ३०८
३६१. पत्र : दरभंगा महाराजको (३-६-१९३१) ३०९
३६२. पत्र : गर्ट्रूड एमर्सनको (३-६-१९३१) ३०९
३६३. पत्र : कोडा वैंकटप्पैयाको (३-६-१९३१) ३१०
३६४. पत्र : के० पडार चेट्टीको (३-६-१९३१) ३१०
३६५. पत्र : श्रीमती सी० ए० हाटेको (३-६-१९३१) ३११
३६६. पत्र : एस० स्वामिनाथन् चेट्टियारको (३-६-१९३१) ३१२
३६७. पत्र : मन्त्री, भारतीय व्यापारी मण्डलको (३-६-१९३१) ३१२
३६८. पत्र : अनन्त गोपाल शेवडेको (३-६-१९३१) ३१३
३६९. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको (३-६-१९३१) ३१३
३७०. पत्र : विद्यानाथ सहायको (३-६-१९३१) ३१५
३७१. पत्र : चार्ल्स एफ० वैलरको (३-६-१९३१) ३१६
३७२. पत्र : के० राय चेट्टीको (३-६-१९३१) ३१७
३७३. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको (३-६-१९३१) ३१७
३७४. पत्र : श्रीमती वी० बनर्जीको (३-६-१९३१) ३१८
३७५. पत्र : कृष्णदासको (३-६-१९३१) ३१८
३७६ पत्र : मोहनलाल विद्यार्थीको (३-६-१९३१) ३१९
३७७. पत्र : अनन्त च० पटनायकको (३-६-१९३१) ३१९
३७८ पत्र : महालक्ष्मी एम० ठक्करको (३-६-१९३१) ३२०
३७९. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको (३-६-१९३१) ३२०
३८०. पत्र : नारणदास गाधीको (३-६-१९३१) ३२१
३८१. पत्र : किशनसिंह चावडाको (३-६-१९३१) ३२१
३८२. पत्र : पदमलालको (३-६-१९३१) ३२२
३८३. वर्ण और जाति (४-६-१९३१) ३२२
३८४. *टिप्पणियाँ* : मुझे मेरे प्रशंसकोसे बचाओ, दक्षिण आफ्रिकासे लौटे हुए लोग, गाधी-आश्रम, मेरठ (४-६-१९३१) ३२४
३८५. क्या यह एक आर्थिक आवश्यकता है? (४-६-१९३१) ३२६
३८६. गोलमेज परिषद् और काग्रेस (४-६-१९३१) ३२९
३८७. प्रभात-फेरी (४-६-१९३१) ३३०
३८८. एक खरी शका (?) (४-६-१९३१) ३३१
३८९. भारतमें मिशनरियोके तौर-तरीके (४-६-१९३१) ३३५
३९०. तार : जेम्स मिल्सको (४-६-१९३१) ३३६
३९१. तार : जे० एम० सेनगुप्तको (४-६-१९३१) ३३७

३९२. तार: वेंकटेश नारायण तिवारीको (४-६-१९३१) ३३८
३९३. तार: मकबूल हुसैनको (४-६-१९३१) ३३८
३९४. पत्र: प्रेमावहन कंटकको (४-६-१९३१) ३३९
३९५. पत्र: वसुमती पण्डितको (४-६-१९३१) ३३९
३९६. पत्र: गंगावहन वैद्यको (४-६-१९३१) ३४०
३९७. पत्र: मूलचन्द अग्रवालको (४-६-१९३१) ३४०
३९८. पत्र: घनश्यामदास विड़लाको (४-६-१९३१) ३४१
३९९. तार: घनश्यामदास विड़लाको (५-६-१९३१) ३४१
४००. तार: अध्यक्ष, हिन्दी सम्मेलन, मदुराको (५-६-१९३१) ३४२
४०१. तार: कृष्णदासको (५-६-१९३१) ३४२
४०२. तार: सदागोपाचारीको (५-६-१९३१) ३४३
४०३. तार: फूलचन्द क० शाहको (५-६-१९३१) ३४३
४०४. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (५-६-१९३१) ३४३
४०५. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको (५-६-१९३१) ३४४
४०६. पत्र: जे० सी० कुमारप्पाको (५-६-१९३१) ३४५
४०७. पत्र: पी० ए० वाडियाको (५-६-१९३१) ३४५
४०८. पत्र: एम्मा हार्करको (५-६-१९३१) ३४६
४०९. पत्र: मावलानरको (५-६-१९३१) ३४७
४१०. पत्र: डा० जोशुआ ओल्डफील्डको (५-६-१९३१) ३४७
४११. पत्र: प्रभावतीको (५-६-१९३१) ३४८
४१२. पत्र: लालजी परमारको (५-६-१९३१) ३४८
४१३. पत्र: नाजुकलाल चौकसीको (५-६-१९३१) ३४९
४१४. पत्र: नारायण मोरेश्वरको खरेको (५-६-१९३१) ३४९
४१५. पत्र: नारणदास गांधीको (५-६-१९३१) ३५०
४१६. पत्र: घनश्यामदास विड़लाको (५-६-१९३१) ३५१
४१७. तार: जे० एम० सेनगुप्तको (६-६-१९३१) ३५१
४१८. पत्र: आर० एम० मैक्सवैलको (६-६-१९३१) ३५२
४१९. पत्र: दुनीचन्दको (६-६-१९३१) ३५४
४२०. पत्र: के० वी० वेलको (६-६-१९३१) ३५५
४२१. पत्र: जुगलकिशोरको (६-६-१९३१) ३५५
४२२. पत्र: उर्मिला देवीको (६-६-१९३१) ३५६
४२३. पत्र: नीलकण्ठ दासको (६-६-१९३१) ३५७
४२४. पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको (६-६-१९३१) ३५७
४२५. पत्र: नानाभाई मशरूवालाको (६-६-१९३१) ३५८

४२६. प्रतिग्राम एक स्वयसेवक? (७-६-१९३१) ३५८
४२७. टिप्पणियाँ: हिन्दूकी शर्म, जरा विचारने योग्य (७-६-१९३१) ३६१
४२८. दरिद्रनारायणकी हुडी (७-६-१९३१) ३६३
४२९ नये नामकी जरूरत (७-६-१९३१) ३६४
४३०. एक वहम (७-६-१९३१) ३६५
४३१. एक पत्र (७-६-१९३१) ३६७
४३२. पत्र: के० वी० भद्रपुरको (७-६-१९३१) ३६८
४३३. पत्र: थॉमस बी० लीको (७-६-१९३१) ३६९
४३४ पत्र: माधव रामकृष्ण जोगीको (७-६-१९३१) ३७०
४३५. पत्र: तप्पन नायरको (७-६-१९३१) ३७०
४३६ पत्र: एच० वी० हॉडसनको (७-६-१९३१) ३७१
४३७. पत्र: एम० आई० डेविडको (७-६-१९३१) ३७१
४३८. पत्र: एस्थर मेननको (७-६-१९३१) ३७२
४३९. पत्र: डा० हेनिंग डॉल्सगार्डको (७-६-१९३१) ३७३
४४०. पत्र: रामसेवक शुक्लको (७-६-१९३१) ३७३
४४१. पत्र: श्रीराम शर्माको (७-६-१९३१) ३७४
४४२. पत्र: अमतुस्सलामको (८-६-१९३१) ३७४
४४३. पत्र: पद्माको (८-६-१९३१) ३७५
४४४. पत्र. शारदावहन चि० शाहको (८-६-१९३१) ३७५
४४५. पत्र: कान्ति पारेखको (८-६-१९३१) ३७५
४४६. पत्र: नारणदास गाधीको (८-६-१९३१) ३७६
४४७. पत्र. नारणदास गाधीको (८-६-१९३१) ३७७
४४८. पत्र: घनश्यामदास बिडलाको (८-६-१९३१) ३७७
४४९. भाषण: बम्बईमें (१०-६-१९३१) ३७८
४५०. टिप्पणियाँ: काग्रेसका पदाधिकारी कौन हो सकता है, खादीके रूपमें मिलका मोटा कपडा, स्वराज्य भवन अस्पताल (११-६-१९३१) ३७८
४५१. मेरी श्रद्धा (११-६-१९३१) ३७९
४५२. भूल सुधार (११-६-१९३१) ३८२
४५३. अस्पृश्यताका विष (११-६-१९३१) ३८२
४५४ इसका नाम है दरिद्रता (११-६-१९३१) ३८३
४५५. असममे किसानोकी परिस्थिति (११-६-१९३१) ३८४
४५६. जब स्वराज्य होगा (११-६-१९३१) ३८५
४५७. भाषण: देशसेविका सभा, बम्बईमें (११-६-१९३१) ३८६
४५८. भाषण बम्बईमें (११-६-१९३१) ३८७

४५९. पत्र: जमनादास गांधीको (१२-६-१९३१) ३८८
४६०. भेट: यूरोपीय शिष्टमण्डलको (१२-६-१९३१) ३८९
४६१. भाषण: मरोलीमें (१२-६-१९३१) ३९०
४६२. तार: महेन्द्रप्रसादको (१३-६-१९३१) ३९१
४६३. पत्र: दुनीचन्दको (१३-६-१९३१) ३९१
४६४. पत्र: एमेलिया मैक्बीनको (१३-६-१९३१) ३९२
४६५. पत्र: सुरेन्द्रसिंहको (१३-६-१९३१) ३९२
४६६. पत्र: मन्त्री, 'सेन्ट्रल सिख लीग,' अमृतसरको (१३-६-१९३१) ३९३
४६७. पत्र: डा० मु० अ० अन्सारीको (१३-६-१९३१) ३९४
४६८. पत्र: गामलालको (१३-६-१९३१) ३९४
४६९. पत्र: विधानचन्द्र रायको (१३-६-१९३१) ३९५
४७० पत्र. डा० वा० शि० मुंजेको (१३-६-१९३१) ३९६
४७१. पत्र: भूपेन्द्र नारायण सेनको (१३-६-१९३१) ३९६
४७२. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (१३-६-१९३१) ३९७
४७३. पत्र: अमतुस्सलामको (१४-६-१९३१) ३९८
४७४. पत्र: एम० आई० डेविडको (१४-६-१९३१) ३९९
४७५. पत्र: हरेकृष्ण मेहतावको (१४-६-१९३१) ३९९
४७६. पत्र. पी० जी० मैथ्यूको (१४-६-१९३१) ४००
४७७ पत्र: एम० आई० डेविडको (१४-६-१९३१) ४००
४७८. पत्र: जॉन काइट कॉलैटको (१४-६-१९३१) ४०१
४७९ पत्र: 'साल्वेशन आर्मी,' बम्बईको (१४-६-१९३१) ४०२
४८०. पत्र: सी० ए० हाटेको (१४-६-१९३१) ४०२
४८१. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (१४-६-१९३१) ४०३
४८२. पत्र: प्रभावतीको (१४-६-१९३१) ४०६
४८३. भेट: 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिको (१४-६-१९३१) ४०७
४८४. तार: एच० एस० एल० पोलकको (१५-६-१९३१) ४०८
४८५. तार: 'स्टेट्समैन,' दिल्लीको (१५-६-१९३१) ४०८
४८६. पत्र: मोहनलाल सक्सेनाको (१५-६-१९३१) ४०९
४८७. पत्र: डब्ल्यू० ई० लुकासको (१५-६-१९३१) ४१०
४८८. पत्र: नारणदास गांधीको (१५-६-१९३१) ४११
४८९. भेट: 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिको (१५-६-१९३१) ४११
४९०. पत्र: च० राजगोपालाचारीको (१६-६-१९३१) ४१२
४९१. तार. सीतला सहायको (१७-६-१९३१) ४१३
४९२. पत्र: दुनीचन्दको (१७-६-१९३१) ४१४

४९३. पत्र : आनन्द टी० हिंगोरानीको (१७-६-१९३१) ४१४
४९४. पत्र. ए० वाई० सी० वुल्फसेंको (७-६-१९३१) ४१६
४९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१७-६-१९३१) ४१६
४९६. पत्र : हरदेवी शर्माको (१७-६-१९३१) ४१७
४९७. पत्र : के० एफ० नरीमानको (१७-६-१९३१) ४१७
४९८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको (१७-६-१९३१) ४१८

परिशिष्ट

१ जे० एच० गेरेटका पत्र ४१९
२. आर० एम० मैक्सवेलका पत्र ४२०
३. एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र ४२२
४. सुखदेवका पत्र ४२३
५ एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र ४२६
६. गांधीजीके साथकी अपनी भेंटका एमर्सन द्वारा विवरण ४२७
७ गांधीजीके साथ हुई चर्चापर सर माल्कम हेलीकी टिप्पणी ४४८
७. (अ) एमर्सनको सर माल्कम हेलीका पत्र ४५१
८. सर माल्कम हेलीका पत्र ४५२
८. (अ) एच० डब्ल्यू० एमर्सनको सर माल्कम हेलीका पत्र ४५४
९. आर० एम० मैक्सवेलका पत्र ४५५
१०. राय : नवजीवन प्रेसके सवालपर ४५८

सामग्रीके साधन-सूत्र ४६१
तारीखवार जीवनवृत्तान्त ४६२
शीर्षक साकेतिका
साकेतिका

१. हिंसावादिता

सिख लीगकी सभामे श्री पेडीकी[1] हत्या और श्रीमती कॉटिसके[2] हत्यारेका वीरके रूपमे गुणगान किये जानेसे इस दु खद सत्यपर बडी ही स्पष्ट प्रकाश पडता है कि आज भी हिंसावादके बहुत-से पुजारी पडे हुए है। हत्यारोकी हदसे ज्यादा प्रशसा की जा रही है। अगर हम हर हत्यारेका गुणगान इसलिए करते है कि हत्या करनेमे उसका हेतु राजनैतिक था तो हम इस कामकी प्रशसा करते-करते स्वय भी वैसे काम करने लगेगे। सज्जनसिंहको वीर कहकर उनकी प्रशसा किये जानेसे मुझे यह सदेह हो रहा है कि काग्रेसमे भगतसिंहके बारेमे मेरे द्वारा प्रस्तावका[3] रखा जाना बुद्धिमानीकी बात थी या नही? मेरा हेतु तो बहुत स्पष्ट था। उस कार्यकी निन्दा और उसमे निहित वीरता और त्यागकी भावनाकी प्रशसा की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि यह प्रस्ताव हमे कार्य और उसके हेतुमें भेद कर सकनेमे मदद पहुँचायेगा। और हम आखिरकार राजनैतिक हत्या-जैसे कृत्योंसे घृणा करना सीखेगे, फिर चाहे उसका हेतु कितना ही ऊँचा क्यों न हो। परन्तु काग्रेसके प्रस्तावका असर शायद बिलकुल उलटा ही पडा। लगता है मानो उसने लोगोको बेखटके हत्याकी ही प्रशसा करनेका अधिकार दे दिया। मै फिरसे अपना निश्चित और भली-भाँति सोचा-समझा यह मत दोहराता हूँ और कहता हूँ कि अन्य देशोके बारेमें वस्तुस्थिति चाहे जो हो, कम-से-कम हिन्दुस्तानमें तो राजनैतिक हत्या देशको नुकसान ही पहुँचा सकती है। यह बात उस हालतमे और भी ठीक है, जब यहाँ शान्तिपूर्ण उपायोसे स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका एक ऐसा बडा प्रयोग किया जा रहा है जैसा अभीतक की दुनियामे अभूतपूर्व ही है। आँखोवाले देख सकते है कि प्रयोग आशातीत रूपसे उपयोगी सिद्ध हुआ है और अब सफल होने ही वाला है। मै दावेके साथ कहता हूँ कि अगर इस प्रयोगके दरम्यान राजनैतिक हत्याओ और मनमे समाई हुई तथा उससे कुछ कम भाषणोमें तथा उससे कुछ कम असहयोगियोके कामोमे प्रतिबिम्बित हिंसाने खलल न डाला होता, तो अबतक भारत स्वतन्त्र हो चुका होता।

अहिंसा दुर्बलका नही, बलवानका शस्त्र है। अहिंसाका अर्थ है अपराधको क्षमा करना और बदला न लेना। सस्कृतमे एक वचन है "क्षमा वीरस्य भूषणम्"। इस गुणका परिचय युधिष्ठिरके उस समयके व्यवहारसे प्रकट होता है जब विराटने हदसे अधिक उत्तेजित हो उठनेका कारण दिये जानेपर भी उन्होने विराटको क्षमा कर दिया, इतना ही नही अपने भाई अर्जुनके क्रोधसे उसकी रक्षाके लिए भी

१. मिदनापुरके जिला मजिस्ट्रेट जिनकी ७ अप्रैलको गोली मारकर हत्या की गई थी।
२. एक अग्रेज अफसरकी पत्नी, इनकी हत्या १३ जनवरीको लाहौरमें की गई थी।
३. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३८५।

असाधारण प्रयत्न किया। अगर वे ऐसा न करते तो महाराज युधिष्ठिरका अर्जुनने अपमान करने और उन्हे चोट पहुँचानेके अपराधमें विराटको मार डाला होता।

अहिंसा कोई यान्त्रिक क्रिया नही है। यह हृदयका सर्वोत्तम गुण है और उसे प्रयत्न पूर्वक पा लेनेपर ऐसा मालूम होता है कि वह स्वाभाविक गुण है, सचमुच वह वैसा ही है; और प्राप्त हो जानेपर व्यक्तिको आश्चर्य होता है कि उसे पानेमें उसे किसी प्रकारका भी कष्ट् क्यो उठाना पड़ा। हमारे भीतरका पशु कहता है कि घूँसेके बदले घूँससे बढ़कर स्वाभाविक और क्या है? और हमारे अन्दर बैठा हुआ मनुष्य कहता है कि घूँसा मारनेवालेको क्षमा करनेसे बढ़कर अधिक स्वाभाविकता तथा अधिक मानवता और क्या है? आघात करनेवाला अज्ञानी था और उस समय वह अपने आपेमें नही था, तो आहत भी अज्ञानी क्यो बने और अपने-आपको क्यो भूले? कोई पूछ सकता है कि तब क्या वे तमाम पत्नियाँ मानवीयतासे भरपूर है, जो अपने पशुतुल्य पतियोके अत्याचार सहकर भी उन्हे क्षमा कर देती है। अच्छा तो यह हो कि वे क्षमा तो कर दें किन्तु उन्हे खुश करनेका प्रयत्न न करे; बल्कि उन्हीके हितके विचारसे उनसे असहयोग ठान ले।

परन्तु यहाँ मै इस विषयकी गहराईमें नही उतरना चाहता। जो अहिंसाको मानते है वे उसकी शक्तिको पहचानें और मन, वचन, कर्मसे अहिंसक बनें। और जिन्हे अबतक न अहिंसक रीतिकी उपयोगितामें विश्वास है, और जो न हिंसाकी अचूकतामें ही विश्वास करते है, वे नीचे लिखी बातोपर विचार करे:

१. भारतके करोडो लोग हिंसक तरीकोके आदी नही है।

२. देशके ग्रामोके निवासियोने कभी सगठित होकर किसी बडे पैमानेपर हिंसा का उपयोग नही किया है।

३. उनके सामने भारतको एक-राष्ट्रके रूपमे समझकर उसकी स्वतन्त्रताकी कोई निश्चित कल्पना नही है।

४. इसके विपरीत यूरोपमें लोगोने हिंसक तरीकोसे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की; और यह इसलिए कि उन्हे कम या ज्यादा अशोमे हथियार चलानेका अभ्यास था।

५. यूरोपकी जनताने स्वतन्त्रता अन्य शासनारूढ सत्तासे अधिक हिंसाका प्रयोग करके प्राप्त की।

६. फिर भी इसमे तो सन्देह है कि उन्हे, जिनमें अंग्रेज भी शामिल है, सच्ची स्वतन्त्रता मिली है या नही। वहाकी आम जनता आज भी यह महसूस करती है कि धनवान वर्गके लोग उन्हे कुचल रहे है। क्योकि शासनकी बागडोर उनके हाथोमे है। उनकी अनेक और नित्य अधिकाधिक उलझनपूर्ण होती जानेवाली समस्याओंपर विचार कीजिए।

७. दूसरी ओर हम जानते है कि भारतमें वर्तमान असाधारण लोक-जागृति केवल अहिंसक रीतिसे ही हुई है, जिसमें स्त्रियोकी जागृति भी शामिल है।

८. यह तो हमारे सामने साबित हो चुका है कि जहाँ लोगोने गलती की है, और हिंसक हो उठे है, वहाँ उनकी हार हुई है, क्योकि उनका नैतिक बल टूट गया और वे दबा दिये गये।

अगर मैं पिछले बारह महीनोंके बारेमें और अधिक विचार करूँ, तो इस सूचीमें और भी बातें जोड़ सकता हूँ। पर मेरा आशय स्पष्ट करनेके लिए इतना पर्याप्त है।

जिन लोगोंका हिंसक तरीकोंमें पूरा और पक्का विश्वास है, उनसे मैं कहूँगा कि देशप्रेमका जितना दावा आप अपने बारेमें करते हैं, उतना ही मुझे भी करने दें। अगर मेरा यह दावा आपको मंजूर है, तो आपको मेरी इस बातपर विश्वास कर लेना चाहिए कि अपने तरीकोंको मेरे तरीकोंके साथ मिलाकर आप देशके कष्टोंको कायम रखनेमें मदद पहुँचाते हैं। मैं जानता हूँ कि आपमें से कुछ यह मानते हैं कि इक्के-दुक्के किसी अफसरकी हत्या कर देना ध्येय प्राप्तिमें सहायक है। पर यह विश्वास बिलकुल निराधार है। इसके विपरीत मैं तो यह जानता हूँ कि उनमें से एक-एक हत्याने मेरे मार्गमें रोड़े अटकाये हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह आप भी, शायद आप कहेंगे, तमाम राजनैतिक कैदियोंके छुटकारेके लिए, मुझसे ज्यादा आतुर हैं। पर आपको यह मानना चाहिए कि आतंक फैलानेवाले तरीकोंसे उनकी मुक्तिका दिन दूर ही हट सकता है। इस सरकारका जैसा संगठन है—सभी सरकारोंका ऐसा ही होता है—उसे देखते हुए यह साफ है कि जबतक राजनैतिक हिंसा होती रहेगी, वे उन राजबन्दियोंको नहीं छोड़ेंगे, जिनपर हिंसाका आरोप सिद्ध हो चुका है। अतएव इन सब बातोंका विचार करके यदि आपने मेरी सलाह और प्रार्थनाको माना और मान कर अपने कार्योंको सारे राष्ट्र द्वारा मेरे प्रयोगकी परीक्षा किये जानेकी इस अवधिमें मुल्तवी रखा, तो बड़ा अच्छा होगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-४-१९३१

२. एक अंग्रेजकी परेशानी

भारतवासी उन अंग्रेज सज्जनको पहचानते हैं, जो मेरे पत्रवाहक बनकर ११ शर्तोंवाला पत्र वाइसरायको देने गये थे, और जिन्होंने गत वर्षके सत्याग्रह युद्धके दिनोंमें इंग्लैंडमें बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंका सतत सामना किया है। अब [उन्हीं] श्री रेजीनाल्ड रेनॉल्ड्सने नीचे लिखा दर्दभरा पत्र भेजा है:[१]

कौटुम्बिक और निजी बातोंके सिवा मैंने इस पत्रमें कुछ काँट-छाँट नहीं की है। श्री रेनाल्ड्सकी इच्छासे मैं यह पत्र छाप रहा हूँ, और ऐसा करते हुए मुझे आनन्द होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझपर आश्चर्यजनक विश्वास रखनेके

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। श्री रेनॉल्ड्सने गांधीजी द्वारा गोलमेज परिषद्में भाग लिये जानेकी स्वीकृतिको असंगत कहा था और पूछा था कि तब फिर पूर्ण स्वतन्त्रता सम्बन्धी लाहौरके प्रस्तावका अर्थ ही क्या बच रहता है। उन्होंने यह भी कहा था कि शासनारूढ़ दल भारतके साथ कदापि न्याय नहीं करेगा; करेगा तो उसे अपनी सत्तासे हाथ धोने पड़ेंगे; ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सत्ताका 'हृदय-परिवर्तन' हो गया है; इसलिए गांधीजीका परिषद्में भाग लेना अपने जन्मसिद्ध अधिकारसे समझौता करना है।

कारण काग्रेसने समझौता[1] स्वीकार कर लिया है। तथापि कुछ ऐसे भारतीय भी हैं, जो इन्ही बहादुर अग्रेज सज्जन जैसे विचार रखते है और चाहे जितने कम क्यो न हो, कुछ अग्रेज भी ऐसे होगे, जो मेरी नरमी और इस असगतिसे रेनाल्ड्सकी तरह मन ही मन खीझ रहे होगे। इसलिए रेनाल्ड्स तथा उन लोगोके विचारसे मुझे इन शिकायतोका जवाब देनेकी कोशिश करनी चाहिए। क्योकि हिन्दुस्तानको अभी कई वर्षोतक उन सबकी सक्रिय सहायता और सहानुभूतिकी जरूरत रहेगी।

नरमीका आरोप मुझे कबूल कर लेना चाहिए। मुझे जाननेवाले मित्रोका कहना है कि मै जितना गरम हूँ, उतना ही नरम हूँ, और जितना प्रगतिवादी हूँ उतना ही रूढिवादी भी। शायद इसी कारण मुझे इन दोनो ही वर्गोमे आत्यन्तिक दृष्टिकोण रखनेवाले मित्र पानेका सौभाग्य प्राप्त है। किन्तु मै मानता हूँ कि इन दोनो तत्त्वोको एक-साथ मित्र-रूपमें मेरे पानेका कारण अहिंसा विषयक मेरा दृष्टिकोण है।

असगति तो आभासमात्र है। मै अपनेको सयोगोके परिवर्तनके अनुकूल बना लेता हूँ, इस कारण मित्रगण असगतिका अनुभव करते है; यो तो प्रकट सगति और असगति, दोनो ही बाते निरी हठधर्मी भी हो सकती है।

किन्तु मुख्य बात तो यह है कि लोक-सेवकको तो नरमी या उग्रता या असगतिके आरोपोका कोई विचार ही नही करना चाहिए। उसे सिर्फ एक बातकी चिन्ता रखनी चाहिए, और वह है उसकी अन्तरात्माकी स्वीकृति। अपनी अन्तरात्माके अचूक आश्वासनको छोडकर जो जनताको खुश करनेके लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त करनेका प्रयत्न करता रहता है, उसकी दशा बिना पतवारकी नौकाके समान होती है। सेवाका एकमात्र पुरस्कार सेवा ही होना चाहिए। इसलिए मै जो दलीले और तथ्य पेश करूँगा, वे पुरअसर हो या न हो, पाठकोके लिए इतना जान लेना काफी होना चाहिए, और मै जानता हूँ कि रेनाल्ड्सके लिए भी इतना ही काफी होगा, कि सुलह करने और उसे मजूर करनेकी सलाह देनेमें मैने अपनी मतिके अनुसार उचित ही नही, जो कर्त्तव्यरूप था, वही किया है।

अब तथ्यो और दलीलोको लीजिए। रेनाल्ड्स और उनके-जैसे विचार रखनेवालोकी परेशानीका कारण यह है कि उन्होने इसे ऐतिहासिक दृष्टिसे नही देखा। कई बार एक ही नई बातसे सारी परिस्थितिके बदल जानेकी सम्भावना हो जाती है। रेनाल्ड्सने चार बातें सामने रखी है[2] (१) १९२९ के नवम्बरकी दिल्ली वाली विज्ञप्ति,[3] (२) ग्यारह शर्तें,[4] (३) श्री० स्लोकॉम्बको दी गई शर्तें[5] और (४) गाधी-नेहरू शर्तें।[6]

१. गांधी-इर्विन-समझौता, देखिए खण्ड ४५, परिशिष्ट ६।
२. रेनाल्ड्सके अनुसार समझौता इन चारों चीजोंसे असगत है।
३. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ८६-८७।
४. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ४४९।
५. देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ४३७-३८।
६. देखिए खण्ड ४४, पृष्ठ ८२-८४।

दिल्लीकी विज्ञप्ति लॉर्ड इर्विनकी प्रसिद्ध विज्ञप्तिका जवाब थी और इस कारण उसकी मर्यादा उस विज्ञप्तितक ही थी।

ग्यारह शर्तोवाला पत्र सविनय अवज्ञाके आरम्भसे पहले लिखा गया था, और उसमे यह बताया गया था कि किन शर्तोपर सविनय अवज्ञा टाली जा सकती है, इसलिए उसका नवम्बरकी विज्ञप्तिसे भिन्न होना आवश्यक था।

सत्याग्रहके आरम्भके बाद शीघ्र ही श्री स्लोकॉम्बको शर्तें बताई गई थी इस लिए उनमें ११ शर्तोकी अपेक्षा कुछ फर्क तो था, परन्तु कोई शर्त कम नही की गई थी।

गाधी-नेहरू शर्तें युद्धके मध्यकालमे उस समय सामने रखी गई थी, जब हम सब कैदमे थे, दुनियासे कटे हुए थे और असुविधापूर्ण स्थितिमे थे। इन चारो स्थितियो तक न गोलमेज परिषद्की बैठक हुई थी और न सरकारने अपनी कोई नीति ही जाहिर की थी।

मौजूदा सुलह पहली स्थितिका स्वाभाविक विकास है। भिन्न-भिन्न स्थितियोके दरम्यान शर्तोमे जो हेरफेर हुए है, उनका श्रेय प्रत्येक सम्बन्धित परिस्थितिके हेरफेर-को है। पहली चार स्थितियोमे जो नही था और अब है, वह यह है कि पाँचवी स्थितिके पहले अर्थात् समझौता होनेसे पहले गोलमेज परिषद् हो चुकी थी और सरकारकी नीति प्रकट कर दी गई थी।

दूसरे किसी भी समय गोलमेज परिषद्के साथ सहयोग करना शक्य न था, क्योकि ब्रिटिश सरकार अपनी नीति जाहिर करना नही चाहती थी, और परिषद्के प्रतिनिधियोके मशाका किसीको पता न था। परन्तु गत मार्चमे दिल्लीमे परिषद्के प्रतिनिधियोकी माँग जाहिर हो चुकी थी और सरकारी नीतिकी भी घोषणा हो चुकी थी। यह माँग औपनिवेशिक स्वराज्यकी थी और ब्रिटिश नीति प्राय. इस माँगकी स्वीकृतिके घोषणापत्र-जैसी थी।

भारतीय प्रतिनिधियोकी औपनिवेशिक स्वराज्यकी माँग और ब्रिटिश विज्ञप्ति, इन दोमे से एक भी काग्रेसकी आवश्यकताको पूरा करते हो, सो नही है, और इसका खास कारण यह है कि उसके इर्दगिर्द तथाकथित सरक्षणोकी जो बाड लगा दी गई है, काग्रेसके विचारमे वह ऐसी है ही नही कि उससे भारतका हित हो सके।

फिर भी इसमे सन्देह नही कि भूतकालकी अनिश्चितताके मुकाबले इस बार परिस्थिति एक कदम आगे बढी है। जब इस बातका विश्वास हो गया कि काग्रेस को अपने मतका सम्पूर्ण आग्रह रखनेकी स्वतन्त्रता रहेगी, उस समय ऐसा लगा कि अगर काग्रेस गोलमेज परिषद्मे अपनी माँगे पेश करने और उन्हे मजूर करानेका आग्रह करनेसे इनकार करेगी, तो वह उसके लिए अनुचित होगा। ब्रिटिश सरकारने जैसी घोषणा की है, उसके बाद काग्रेसको आगे-पीछे कभी-न-कभी तो अपने हकोंकी चर्चा उससे करनी ही पडती। सम्मानपूर्ण शर्तो पर समझौतेका मौका सत्याग्रही कभी हाथसे नही खोता, खो नही सकता। यह तो एक सदासे मानी हुई बात है कि समझौतेके टूट जानेपर वह लडाईके लिए भी हमेशा तैयार रहता है। उसे पहलेसे तैयारी कर रखनेकी जरूरत नही होती। उसका तो सारा खेल हमेशा खुला हुआ

होता है। उसके लिए युद्धका रुकना या जारी रहना, दोनो बराबर है। वह जो लडता है, या विश्राम करता है, सो सिर्फ एक ही ध्येयकी प्राप्तिके लिए। वह अपने विरोधियोंपर सदा अविश्वास करनेकी धृष्टता न करे; बल्कि जब और जहाँ कोई छोटा भी निमित्त मिले, तब मित्रतापूर्वक बढाये गये हाथको अपने हाथमें लेना उसका कर्त्तव्य ही है। यहाँ अभूतपूर्व एकताके साथ पेश की गई भारतीय माँग, अधूरा होते हुए भी ब्रिटेनका दिया हुआ उत्तर, और लॉर्ड इर्विनके साथ हुई सारी चर्चामें ओतप्रोत हृदयकी स्वच्छता इस समझौतेके निमित्त-रूप बने।

मैंने कभी इस बातका दावा नही किया कि राजसत्ताका हृदय-परिवर्तन हो गया है। वह होना तो अभी बाकी है। जब वह होगा तब केवल अस्थायी ही नही, पूरी तरह स्थायी सन्धि हो जायेगी। उस समय सत्याग्रही सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करेगा; क्योकि हृदय-परिवर्तनका अर्थ है भारतीय माँगोको सम्पूर्ण और अत्यन्त साफ दिलसे मानना।

अन्तिम बात यह है कि इन सब स्थितियोंके दरम्यान हमने झंडा एक बार भी नही झुकने दिया है। सन् १९२९ की २३ दिसम्बरको[1] औपनिवेशिक दर्जेका स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस) का त्यागकर दिया गया था और अब वह पूर्ण स्वराज्य (कम्प्लीट इंडिपेंडन्स) अर्थात् हो सके तो ब्रिटिशोके साथ बराबरीके दर्जेका सम्बन्ध और दोनों पक्षोको उसे स्वेच्छापूर्वक तोड़नेके अधिकारका रूप ले चुका है। अभी बिलकुल मुमकिन है कि यह सम्पूर्ण स्वतन्त्रता परिषद् द्वारा न मिले; और यह भी बहुत सम्भव है कि तथाकथित सरक्षण जैसे है, उस रूपमें वे बन्धनकारक हो। यदि ऐसा हुआ तो परिषद्की असफलताके लिए कांग्रेस जिम्मेदार न होगी; उलटे उसकी तो नैतिक प्रतिष्ठा बढेगी ही, और वह अपनी माँगोको पूरी तरह पेश करके यह साबित कर देगी कि वे माँगे इसी कारण सर्वथा उचित है। यह सच है कि सब राजनैतिक कैदी रिहा नही हुए है। यह सम्भव नहीं था कि अस्थायी समझौतेकी शर्तोमें उनकी रिहाईकी शर्तें भी रखी जाती। यह स्थायी समझौता हुआ तो वे रिहा हो जायेंगे। यदि समझौता नही हुआ, तो जो इस वक्त बाहर है, वे अन्दर जा बैठेंगे और राजबन्दियोकी सेनामे वृद्धि करेंगे। सत्याग्रहीको जेल-जीवन न शक्तिहीन बनाता है न दुःख देता है। उसके लिए तो जेल मुक्तिका द्वार है।

अन्तमें मै यह बताना चाहता हूँ कि काग्रेसकी दृष्टिमें पूर्ण स्वराज्यका अर्थ क्या है। इस सम्बन्धमे गलतफहमी नही होनी चाहिए। पूर्ण स्वराज्य अर्थात् करोडों श्रमजीवियोंका सम्पूर्ण आर्थिक स्वातन्त्र्य। पूर्ण स्वराज्य उन्हे चूसनेके लिए किसी भी प्रकारके स्वार्थके साथ अन्यायपूर्ण साझेका नाम तो कदापि नही है। किसी भी साझेदारीका अर्थ उन लोगोंकी मुक्ति तो होना ही चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-४-१९३१

१. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ ३५२-५५।

३. टिप्पणियाँ

मालवीयजी और कार्य-समिति

एक पाठक पूछते हैं :

आपने कराचीमें विषय-समितिको दक्षिण भारतके सदस्योंको कार्य-समितिमें न रखनेका कारण तो समझाया, पर यह नहीं बताया कि मालवीयजीको क्यों अलग रखा गया।[1]

बात इतनी स्पष्ट थी कि किसीने कुछ पूछा ही नही। इसमे मालवीयजीके अपमानका तो कोई सवाल हो ही नही सकता। वे अपमानसे परे है। कोई भी सस्था उन्हे अपना सदस्य बनाकर उनकी स्थिति या उनके महत्वको बढा नही सकती। हाँ, उनकी सदस्यतासे सस्थाकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कार्यसमितिने जान-बूझकर उन्हे अलग रखा है, ताकि समय पडनेपर उनकी स्वाधीनता और कार्य-स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे। सदस्य न होते हुए भी वे, जबसे नेता लोग छूटे है, बराबर कार्य-समितिकी बैठकोमे उपस्थित रहे है और उसकी कार्यवाहियोमे सक्रिय भाग लेते रहे है। कार्य-समितिमे उनका योग मूल्यवान रहा है; इसलिए सदस्योने सोचा कि उन्हें समितिके अनुशासनमे रखना कही उनके लिए कष्टप्रद न सिद्ध हो। डाक्टर अन्सारी तो मालवीयजीको समितिमे रखनेके लिए इतने उत्सुक थे कि उनके लिए स्वय हट जाना चाहते थे। पर जिस विचारका मैंने अभी जिक्र किया है, जमना-लालजीने उसे ऐसे प्रभावशाली ढगसे समितिके सामने रखा कि डाक्टर अन्सारीको भी इस बातके लिए राजी होना पडा कि मालवीयजीको मुक्त ही रखा जाये। इस व्यवस्थासे समिति अपनी कार्यवाहियोमे मालवीयजीकी सलाहसे लाभ उठा सकेगी और साथ ही उनकी कार्य-स्वतन्त्रतामे भी किसी प्रकारकी बाधा नही पडेगी। गोलमेज सम्मेलनमे उन्हे अलगसे निमन्त्रित करके सरकारने भी समाजमे उनकी अद्वितीय स्थिति स्वीकार की है।

खादी द्वारा बहिष्कार

पिछले साल सारे देशमे खादीके उत्पादन और उसकी बिक्रीमें आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसका प्रधान कारण यह था कि संघर्षसे प्रोत्साहन पाकर इसकी जनतामे असाधारण माँग बढ गई और खादी एकदम संघर्षका प्रतीक बन गई। उत्पादनके मुकाबले बिक्री इतनी बढ गई कि एकाएक बढी हुई माँगको पूरा करना कार्यकर्ताओके लिए मुश्किल हो गया।

राष्ट्रीय जागृतिके वर्षमे इस प्रकार जो प्रगति हुई है, उसे व्यर्थ नही जाने देना चाहिए; बल्कि और भी अधिक प्रसारका आधार बनाना चाहिए। अगर इस

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ४००-२।

कामके फलको खोना नही है तो सुलहके दौरान भी लडाईके वक्तकी-सी सरगर्मीके साथ काम जारी रखना चाहिए। पहले स्वदेशी मिलोको बहिष्कार-कार्यक्रमका एक अग माना गया था, पर खादीके सम्बन्धमे काग्रेसका रुख पूर्ववत् ही है। इसका अर्थ खादीका ह्रास नही होना चाहिए। जहाँ खादी बिलकुल प्राप्त न हो सके, वहाँ मिलका कपडा उसकी कमी पूरी करेगा। पर अभी तो जितनी भी खादी माँगी जाये, मिल सकती है। विदेशी वस्त्र-बहिष्कार-कार्यक्रममे खादीका स्थान प्रधान है। खादी-उत्पादनकी विशाल सम्भावनाओको कार्यमें परिणत किये बिना, विदेशी वस्त्रका प्रभावशाली बहिष्कार सम्भव नही है। यही नही, बल्कि राष्ट्रीय बहिष्कारके फलोका लाभ यदि इने-गिने धनवानोको न पहुँचाकर करोडो देहातियोको पहुँचाना हो तो इसका केवल यही उपाय है कि जीवनदाता चरखेका अधिकसे-अधिक प्रचार किया जाये। इसी कारण काग्रेसने कराचीमें बहिष्कार-कार्यक्रममें खादीके अद्वितीय स्थानको जोर देकर दोहराया है और तमाम "काग्रेस-सस्थाओ और उनसे सम्बद्ध समितियोसे प्रार्थना की है कि वे खादी-प्रचारको बढाकर विदेशी वस्त्र-बहिष्कारको और तीव्र करे।" पिछले सालके अनुभवने यह बता दिया है कि माँग चाहे कितनी ही क्यो न बढ जाये, खादीके उत्पादनसे उसे शीघ्र पूरा किया जा सकता है। हमे मौजूदा कामको ही कायम नही रखना है, बल्कि कताईके कामको और बढाना है। कम-से-कम हमे इतना तो करना ही चाहिए कि यदि हम पिछले सालसे आगे न बढ सके, तो उसके बराबर तो अवश्य पहुँच जायें।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-४-१९३१

४. पत्र : प्रभावतीको

१८ अप्रैल, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र मिलते रहते है। लगता है कि तू वहाँ नाहक ही गई। तो भी दुखी होकर अपना स्वास्थ्य मत बिगाडना। देखता हूँ कि जब गई ही है तो शिष्टताके नाते ही सही फिलहाल तो रहना पडेगा। हरसूबाबूके स्वस्थ हो जानेपर आ जाना। आज बम्बईमें हूँ। कल अहमदाबाद वापस चला जाऊँगा। अभी तो थोड़े दिन वहाँ रहना होगा। घबराना नही। मै ठीक हूँ।

मीराबहन आ गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९८) की फोटो-नकलसे।

५. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

बम्बई
१८ अप्रैल, १९३१

हाल ही में कुछ पत्रोंमें प्रकाशित शिकायतके बारेमें, जिसका संकेत अवकाश-प्राप्त वाइसरायने भी मिल-मालिक संघसे प्राप्त मानपत्रके उत्तरमें दिया था, गांधीजी ने पत्रकारोंके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए घोषणा की :

लडना मेरे स्वभावमे नही है। मेरी प्रवृत्ति इस समय तो शान्तिमुखी ही है। मै यह प्रवृत्ति बनाये रखने और देशमे स्थायी शान्ति स्थापित करनेके लिए यथा सम्भव सभी प्रयत्न करूँगा। इस दिशामे मेरे सहयोगी भी कार्य कर रहे है।

आगे चलकर उन्होंने अपना यह विचार पुनः दुहराया कि साम्प्रदायिक समस्याका हल खोजे बगैर वे गोलमेज सम्मेलनमें शामिल नहीं होगे। उन्होंने कहा अभी तो मैंने साम्प्रदायिक समस्याके न सुलझनेपर गोलमेज सम्मेलनमें शामिल होनेका विचार छोड़ दिया है।

अगले कार्यक्रमके बारेमें पूछे जानेपर उन्होंने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। जबतक मुझे साम्प्रदायिक समस्याका कोई हल नजर नहीं आता मै कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं कर सकता।

प्रश्न : क्या साम्प्रदायिक समस्याके बारेमें आप कुछ कहेंगे?

उत्तर : इससे अधिक मै कुछ भी कहनेमे असमर्थ हूँ कि मै पूरी-पूरी कोशिश करूँगा और सफलताके लिए प्रार्थना करूँगा। मै जानता हूँ कि प्रार्थनासे बडे-बडे काम बन जाते है।

क्या आप पृथक् निर्वाचक मण्डलके विरुद्ध है?

मै ऐसी किसी व्यवस्थाके विरुद्ध नही हूँ जिससे साम्प्रदायिक समस्या सुलझाई जा सके।

क्या पृथक् निर्वाचक मण्डल बननेसे सम्प्रदायोंके बीचकी खाई और चौड़ी नहीं होगी?

यह बात मेरे सोचनेकी नही है।

क्या आप मुसलमानोंके प्रत्येक वर्गको सन्तुष्ट कर सकनेकी आशा रखते है?

मै सभी वर्गोंको सन्तुष्ट कर सकनेकी आशा रखता हूँ।

श्री शौकतअलीने अपने हालके बयानमें कहा है कि भारतीय राजनीतिके लिए आप एक खतरा है। इस बारेमें आपकी क्या राय है?

वे मेरे पुराने मित्र है, इसलिए मेरे बारेमे जो-कुछ उन्होने कहा है, ठीक ही है।

आंग्ल-भारतीय समाचारपत्रोंमें छपी इस शिकायतके बारेमें कि कांग्रेस सन्धिकी शर्तोंका पालन नहीं कर रही है, आपको क्या कहना है?

इक्के-दुक्के मामलोंको छोड़कर, मैं इसका जोरोंके साथ प्रतिकार करता हूँ। श्री बेनका उत्तर पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ है। गुजरातमें इसकी प्रगति सन्तोषजनक रही है। उदाहरणार्थ, बारडोलीमें किसान, जितनी जल्दी हो सकता है, बकाया रकम चुका रहे हैं। १६ तारीख तक बारडोली और वालोडके लोगोंने १,१६,६५८ रु० जमा करा दिये थे, जब कि जलालपुरमें अस्थायी समझौतेकी घोषणाके बाद १,९६,४५३ रु० जमा कराये गये हैं। इसे मैं अच्छी रकम मानता हूँ और यह कहने पर मजबूर हूँ कि सरकारको बहुत गलत जानकारी दी गई है। तीसरे-हाथ-बिकी जमीनके सम्बन्धमें कुछ पूछे जानेपर उन्होंने कहा कि वे जमीनके खरीदारोंसे, बहुत ही विनम्रताके साथ उन जमीनोंको लौटानेकी प्रार्थना करेंगे और उन्हें विश्वास है कि प्रत्येक इंच जमीन लौटा दी जायेगी।

यह पूछे जानेपर कि क्या वे देशको दुविधाकी स्थितिमें नहीं रख रहे हैं, उन्होंने कहा, देश यह जानता है कि स्थायी शान्तिके लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। और यदि ऐसी शान्ति स्थापित नहीं होती है तो देशको कष्ट झेलनेके लिए तैयार रहना चाहिए।

इस प्रश्नके उत्तरमें कि क्या बातचीत द्वारा स्थायी शान्ति स्थापित करना सम्भव है, गांधीजीने कहा कि उनका यह निश्चित विश्वास है कि ऐसी बातचीत द्वारा जिसके पीछे वास्तविक शक्तिका समर्थन हो, स्थायी शान्ति स्थापित हो सकती है। विदेशी कपड़ेको बाहर भेज देनेके सम्बन्धमें उन्होंने बताया कि इस योजनाको[1] अमलमें लाया जा रहा है। श्री जाफरी कारबेटसे इस बारेमें उनकी बातचीत हुई है, इस समाचारका उन्होंने प्रतिवाद किया।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १९-४-१९३१

१. मिल-मालिकोंके साथ गांधीजी की एक भेंटमें यह तय हुआ था कि "विदेशी कपड़ेके बाहर भेजनेकी योजनापर तेजीसे अमल करनेके लिए" कार्यकारी समिति नियुक्त की जायेगी। (बॉम्बे क्रॉनिकल, १७-४-१९३१)।

६. भाषण : बम्बई नगर निगमके मानपत्रके उत्तरमें[1]

[१८ अप्रैल, १९३१][2]

आपके मानपत्र और उसमे व्यक्त की गई आपकी सुन्दर भावनाओके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। एक बार पहले भी आप मुझे अपनी मुहब्बतसे शराबोर कर चुके है। मै मानता था कि सिर्फ एक ही मानपत्र काफी होगा, पर हम देखते है कि दुनियामे प्रेमकी कही कोई सीमा नही है; यही बात आपपर लागू होती है। परन्तु मै मोहमें पड़कर यह तो नही मान सकता कि यह प्रेम आपने एक मनुष्यके प्रति व्यक्त किया है; इस प्रकारकी आत्म-वचना मेरे लिए सम्भव नही है। मै मानता हूँ कि १९२४की[3] ही तरह आज भी गरीबोके प्रति मेरे प्रेमके कारण आपने मुझे मानपत्र दिया है। मै यह दावा करता हूँ कि मै दरिद्रनारायणके लिए जीता हूँ। स्वराज्यका अर्थ हिन्दुस्तानके नर-कंकालोंकी मुक्ति है। ये गूंगे जब बोलने लगेंगे और जब ये लँगडे-लूले चलने लगेंगे, तभी यह कहा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य मिल गया। ऐसा स्वराज्य हम किसीको डरा-धमकाकर नही ले सकते, वरन् सगठन और एकतासे ही ले सकते है। आपने इन बातोंको अपना लिया है, आपके दोनो मानपत्रोका मै यही अर्थ करता हूँ, और ऐसा करनेका मुझे हक है।

आपने हिन्दुस्तानके अस्पृश्योद्धारके बारेमे मेरे प्रयत्नोकी तरफ इशारा किया है। हम अस्पृश्योके सब अधिकारोकी रक्षा करना चाहते है, पर स्वराज्यकी पहली शर्त यह है कि हिन्दूधर्मसे हिन्दू, अस्पृश्यताके कलकको धो डालें।

हम यह कहते और सुनते आये है कि हिन्दुस्तान शहरोमे नही, गाँवोमे बसता है। परन्तु यदि शहर इस बातको साबित करना चाहते हो कि उनकी हस्ती और आबादी भारतके गरीब देहातियोके लिए है, तो उन्हे अपने साधनोंका अधिक-से-अधिक उपयोग गरीबोंकी हालत सुधारने और उनके साथ भाईचारेका व्यवहार करनेमें करना चाहिए। अर्थात् शहरियोके लिए यह उचित नही कि वे गाँववालोंके मालिक बन बैठें। हम तो यह चाहते है कि शहरवाले गाँववालोके मालिक न बनकर, सेवक बने। जब शहर यह मानेंगे कि गरीबोकी सेवाके लिए ही उनकी हस्ती है, तब कही वे अपने महलो और अपने रहन-सहनके ढगकी थोडी-बहुत तुलना गाँवोके साथ करेगे। आज दूसरी बार आपका मानपत्र लेते समय भी क्या आप मुझे यह आशा नही करने देगे कि आप गरीबोकी अधिकाधिक सहायता करते रहेगे? आप ऐसा करें तो उसकी निशानीके तौरपर शहरके हजारो मजदूरोको अपनाये; उन्हे यह अनुभव करने दे कि यह नगर निगम जैसा अमीरोंका है, वैसा ही उनका भी है। जो शहर

१. महादेव देसाईके "साप्ताहिक पत्र" से उद्धृत; गाधीजी गुजरातीमें बोले थे।

२. हिन्दू, १९-४-१९३१ से।

३. देखिए खण्ड २५, पृष्ठ ५५-५६।

सुन्दर माना जाता है, सुन्दर काम करनेमे ही उसकी शोभा है। बम्बई हिन्दुस्तान-भरमे अव्वल नम्बरका शहर है, और इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ वह पारसी कौम रहती है, जिसका उदारतामे पहला स्थान है, और उस कौमके सर फीरोजशाह मेहता ने इस शहरकी असाधारण सेवा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप गरीबोकी सेवाके काम करते रहे।

आपने यह इच्छा प्रकट की है कि हमारे देशमे कौमी इत्तफाक कायम हो। हम ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सब अपनेको हिन्दुस्तानी मानकर रहे। भले सबके धर्म भिन्न हो, परन्तु पेडके असख्य पत्ते जिस तरह भिन्न होते हुए भी एक ही पेडके होते है, उसी तरह आपकी महत्वाकाक्षा यह मानकर चलनेकी होनी चाहिए कि हम सब हिन्दुस्तान-रूपी एक पेडके पत्ते है। आपने मेरे प्रयत्नकी सफलताके लिए आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। पर वह काम मुझ अकेलेसे नही हो सकता। मै चाहता हूँ कि आप सब भी उस दिशामे प्रयत्न करे।

मैंने जो विनती की है, यदि वह आपको मजूर हो तो बम्बईमे आप जिन ८०,००० बालक और बालिकाओको शिक्षा देते है, गाँवोसे उनका सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए उनसे सूत कतवाना शुरू कर दीजिये। उनमें से हरएकके हाथमे एक-एक तकली दे दीजिए। तकलीके गुण आज मै आपको नही बताऊँगा। पर एक बात है कि तकली कम-से-कम खर्चमे शुरू की जा सकती है। और एक बार इसके दाखिल होने पर उसके साथ खादी भी दाखिल हो जायेगी। कातकर और खादी पहनकर गरीबोको अपनाया जा सकता है, यदि बालक इस बातको समझने लगे तो इससे बढकर तालीम और क्या हो सकती है? ईश्वर करे, नगर निगमकी दिन-दूनी उन्नति हो, और वह आपको बुद्धि तथा शक्ति दे, जिससे आप हिन्दुस्तानके गरीबो और लाचारोकी सेवा कर सके।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १८-४-१९३१

७. सत्याग्रही किसानोंसे

खेडा, सूरत और भडौच जिलोके बहुत-से सत्याग्रही किसानोकी जमीने गईं, फसले बरवाद हुई, घर लुटे, वे वेघरबार हुए और कइयोके घर जला दिये गये; समझौता इस सबकी एवजमे कुछ मिले बिना हुआ, और यह तय हुआ कि जो लोग लगान दे सके, वे दे दे; और मानो इतना काफी नही था, इसलिए अभीतक कुछ पटेल-पटवारी तो अपना काम भी नही सँभाल सके है;—इस तरहके विचार रखने वालोको कभी सन्तोष नही हो सकता।

पर दूसरा ढग विचार करनेका यह है। किसानोकी शिकायत करनेकी कोई वजह ही नही है। क्योकि जब वे मैदानमे कूदे थे तभी उन्होने अपने खेत-खलिहान, घरबार, ढोर-डगर और जानमाल तक गँवानेका सकल्प कर लिया था। स्वराज्यके लिए वे सब-कुछ खोनेको तैयार बैठे थे। इसलिए आज उन्हे यदि कुछ वापस मिलता है तो यह मानना चाहिए कि उतना अनायास ही मिल रहा है। इस दृष्टिसे तो उनकी शिकायतका कोई कारण ही नही रहता। कोई उतावलीमें पूछेगा कि स्वराज्य मिले बिना नुकसानकी भरपाईसे सन्तोष कैसे हो सकता है? इसका जवाब यह है कि यह तो लडाईके दरम्यान हुआ समझौता है, लडाईकी पूर्णाहुति नही है। सब कुछ दाँवपर लगा देनेके बाद जो बच गया, सो बच गया। स्वराज्य पानेतक यदि सर्वस्व दाँव पर लगा देनेका सौभाग्य मिले तो उसे शुभ समझना चाहिए। इसलिए नुकसानसे किसीके निराश होनेका कोई कारण ही नही है। समझौता नुकसानकी भरपाईके लिए नही किया गया, बल्कि वह तो स्वराज्यकी दिशामे एक कदम है। समझौतेमे अनावश्यक बरबादीसे बचनेका भाव जरूर है। और वह उद्देश्य तो पूरा हो रहा है। नुकसानकी भरपाईसे जो मिल जाये, उसे ही काफी समझना चाहिए। इत नी बात समझनेवाले अधीर नही होगे, फिर सम्भव है, जिनपर मुकदमे चल रहे है, वे देरसे छूटे, जब्त हुई जमीने वापस मिलनेमे देर हो और इस्तीफा देकर अलग हो जानेवाले पटेल वगैराको फिरसे अपना काम सँभालनेमे देर लगे। हो सकता है कि इन सब मामलोमे सरकारकी ओरसे समझौता भग हो रहा हो, इसे भी हम सहन कर ले, और हमे जिन शर्तोका पालन करना है, उनका पालन करते रहें। ऐसा करनेसे हर तरहसे हमारी ताकत बढेगी।

फिलहाल सरकारसे हमारा असहयोग नही चल रहा है, इसलिए हम सरकारी अफसरोसे मिल सकते है और जो शिकायत करनी हो, सो कर सकते है।

एक बहुत बड़ी शिकायत बिकी हुई जमीनोके बारेमें रह जाती है। इस बारेमे धीरज रखनेकी जरूरत है। जमीनोके मालिक यह विश्वास रखे कि आखिरकार उनकी जमीन उन्हे मिलने ही वाली है। पर वे हमें सीधे रास्तेसे प्राप्त करनी है, जोर-जबरदस्तीसे नही। जिन्होने जमीने ली है, उनसे प्रार्थना करने, उन्हे समझानेका हमे हक है। मै मानता हूँ कि हम उन्हे विनम्रतासे समझा सकेगे। परन्तु मान लीजिए

कि हम नाकामयाब हुए, तो भी क्या हुआ? इससे कोई यह न माने कि वह जमीन उसे वापस नही मिलेगी। हमें इस बातका आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम थोड़े ही समयमे स्वराज्य हासिल करनेवाले है। स्वराज्यकी सरकारका पहला काम यही होना चाहिए कि वह ऐसे अन्यायोको दूर करे। मै यह बात किसी सुदूर भविष्यकी नही, बल्कि निकट भविष्यकी कहता हूँ। मान लें कि निकट भविष्यमें स्वराज्य न मिला। उस हालतमे हमारे सामने फिरसे घर-बार और जमीने छोडनेका मौका आयेगा और सरदार, मै तथा दूसरे सब लोग जेल-महलमे मौज करते होगे। इसलिए जिनकी जमीने बिक चुकी है, वे धीरज रखे।

परन्तु मैंने खुद तो जमीन खरीदनेवालोको समझा सकनेकी आशा छोड़ी ही नही है। खरीदार हमारे ही भाई है। जैसा कि सुना है, उनमे पारसी है, मुसलमान है और धारावा ठाकुर है। उन सबके हृदय है। वे जानते है कि उन्होने जमीनें मिट्टीके भाव मोल ली है। उसके लिए वे भी शर्मति तो होगे ही। स्वराज्यके लिए दु.ख उठानेको तैयार लोगोकी जमीने उन्होने ली है। मै मानता हूँ कि इस बातको समझते ही वे जमीने जरूर लौटा देगे। धारावा ठाकुरोके प्रति पाटीदारोका विशेष कर्त्तव्य है। भूतकालमें उनके साथ यदि कुछ अन्याय हुआ हो तो पाटीदारोको चाहिए कि वे उसे दूर करे और धारावाओको अपनायें। 'वे समझेगे ही नही', यह सोचकर निराश होना स्वराज्यवादीको शोभा नही देता। चाहे जो हो, हम उनके विरुद्ध कोई आन्दोलन न करे। उनसे झगडेके तमाम मौकोसे हम बचे। इस बरसातमे खेत न जुते, तो उतना नुकसान उठाना हमारा कर्त्तव्य है। जिसे आत्मविश्वास है वह इतना सहन कर ही लेगा।

अब दो शब्द लगान देनेके बारेमे। जो लगान दे सकते है, लगान देना उनका कर्त्तव्य है। कोई इसे उल्टा न्याय न माने कि एकने लगान जमा कराया है, इसलिए सबको जमा कराना ही चाहिए और न कोई यही सोचे कि एकने नही दिया, इसलिए कोई भी न दे। सीधा न्याय तो वही है, जो मैंने बताया है। जो दे सके, वे जरूर दे। मै कर्ज लेकर देनेकी बात नही कहता। बात तो अपनी ही गाँठसे देनेकी है। खुद तकलीफ उठाकर भी समझौतेकी शर्तोका पालन करनेमे हमारी भलमनसाहत है और उसीमे हमारी शक्ति है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-४-१९३१

८. पत्रः रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

साबरमती
१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय अंगद,[1]

जैसा कि तुम चाहते थे, मैंने 'यंग इंडिया' में[2] तुम्हारे पत्रकी चर्चा की है। इससे तुम्हे सन्तोष हुआ हो तो सूचित करना। मेरे इस कदमसे अगर तुम अभी सहमत नही हो तो कुछ समय बाद हो जाओगे। संघर्ष उद्देश्य-प्राप्ति तक जारी रहे, यही अभीष्ट है। इसलिए तुम इस कार्यको अथवा मुझे छोड़ना नही।

समझौतेकी जोशीली आलोचनाकी अपेक्षा मैं तुम्हारा अपना हाल जाननेमे अधिक रुचि रखता हूँ। आखिर सगाई फिर क्यो टूट गई? अब क्या कर रहे हो? अगर वहाँ चैन नही है तो यहाँ क्यो नही आ जाते? आश्रम तो तुम्हारा दूसरा घर ही है।

अपनी रिहाईके[3] बाद आज पहली बार मैंने अनुभव किया है कि मेरे पास थोड़ा समय है।

सस्नेह,

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५४०) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया

१. शान्ति दूतके अर्थमें; गांधीजीका २ मार्च, १९३० का अन्तिम चेतावनीवाला पत्र लॉर्ड इर्विनके पास रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्स ले गये थे। देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ १९१ की पा० टि० २ भी।

२. देखिए "एक अंग्रेजकी परेशानी", १६-४-१९३१।

३. गांधीजी २६ जनवरी, १९३१ को यरवदा जेलसे रिहा हुए।

९. पत्र : साहबजी महाराजको

अहमदाबाद
१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

बकाया पड़े पत्रोके उत्तर लिखनेके लिए थोडा-सा अवकाश आज ही निकाल पाया हूँ। आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री साहबजी महाराज
दयालबाग
आगरा

अग्रेजी (जीं० एन० २१५८) की फोटो-नकलसे।

१०. पत्र : डा० सैयद महमूदको

१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय डाक्टर महमूद,

मैंने सैयद हसन इमामको पत्र लिखनेके लिए दो बार कलम उठाई और दोनो बार हिम्मत नही पडी। मुझे ऐसा लगा और अब भी लगता है कि मुझे किसी मुसलमान दोस्तको राष्ट्रवादी मुस्लिम दृष्टिकोणके पक्षमे करनेके लिए पत्र नही लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मै सैयद हसन इमामको पत्र लिखनेका अपना वचन पूरा कर सकता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० सैयद महमूद
स्वराज्य भवन
इलाहाबाद

अग्रेजी (जी० एन० ५०७७) की फोटो-नकलसे।

११. पत्र : गोकीबहनको

विद्यापीठ
१९ अप्रैल, १९३१

प्रिय बहन,

तुम्हें लक्ष्मीदासने लिखा तो है ही कि चि० लक्ष्मीका विवाह चि० जीवनदाससे तुरन्त कर देनेका निश्चय किया गया है। उसने शायद तिथि न लिखी हो। इस विचारसे मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। विवाह-विधि अगले मंगलवारको शामके सवा सातसे आरम्भ होगी। मैं जानता हूँ कि उस अवसरपर तुम्हारे आनेकी आशा तो नही करनी चाहिए। किन्तु वर-वधूको तुम्हारा आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। यह पत्र तुम्हे कल अर्थात् सोमवारको मिल जाना चाहिए। यदि मिल जाये तो पत्र द्वारा भेजा आशीर्वाद मिल जायेगा। लेकिन हो सकता है कि पत्र तुम्हे मंगलवारको मिले। तब तारसे आशीर्वाद भेज देना। इतनी जल्दी शादी करे या न करे, इसके बारेमे सबके मनमें दुविधा थी। तुम्हारा दुख हम सबका दुख है, ऐसा होनेपर विवाह कर देनेके निर्णयमे कुछ अविवेक हो, तो उसका दोष और जोखिम मेरे सिर है। अपने स्वभावानुसार लक्ष्मीदासने तो अपने सिर कोई जिम्मेदारी ली नही। अभी तक तो लक्ष्मीदास यहाँ आया भी नही है। कल आयेगा। विवाह फौरन कर देनेके विचारके पीछे मेरे मनमें एक ही कारण था। विवाहको मैं भोगकी वस्तु नही मानता, उसे तो मैं केवल धार्मिक विधि मानता हूँ। और चाहे जैसा शोकका समय हो तो भी हम धार्मिक क्रियाको नही रोक सकते। लक्ष्मी और जीवनदास दोनोकी इच्छा थी कि विवाह जल्दी हो सके तो अच्छा है। और लक्ष्मीका आग्रह था कि विवाह मेरी उपस्थितिमें ही हो। मेरा यहाँ रहना बहुत अनिश्चित है इसलिए मैंने जल्दी-से-जल्दी प्राप्त मुहूर्तको पसन्द किया। यह सब तुम्हे बता देना जरूरी था, अपनी इस इच्छाको तुम्हारा आशीर्वाद माँगते हुए पूरा कर रहा हूँ। पत्र या तार आश्रमके ही पतेसे भेजना। विवाह आश्रमके समीप स्थित डॉ० मेहताके बँगलेमे सम्पन्न होगा। मणिको मेरे आशीर्वाद कहना। उससे तो तुम्हे पूरी तरह सन्तोष मिलता होगा। उसे पत्र लिखनेके लिए भी कहना।

मोहनदासके जय श्रीकृष्ण

गुजराती (एस० एन० ९८१२) की फोटो-नकलसे।

१२. पत्र : जे० एच० गेरेटको[1]

२० अप्रैल, १९३१

मैं इसके साथ बोरसदके मामलतदारकी ओरसे एक नोटिसके रूपमें जारी किये गये पत्रका अनुवाद सलग्न कर रहा हूँ। आपकी बातचीतसे मुझे ऐसा लगा था कि जिन मामलोंके बारेमें हम दोनो चर्चा कर चुके है, आप उनकी जाँच-पडताल करेंगे और उसके बाद मुझे बतलायेंगे कि आप उनके सिलसिलेमें क्या करना चाहते है। लगता है कि नोटिसमे हमारी बातचीतकी और सरकार तथा जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमें काग्रेसकी उपेक्षा की गई है। यदि सरकार आखिरकार ऐसा ही रुख अपनानेवाली हो, तो मेरी रायमे वह समझौतेका स्पष्ट उल्लघन होगा।

सरदार वल्लभभाई और मैं स्थानीय कार्यकर्त्ताओसे सलाह-मशविरा करनेके बाद इन निष्कर्षोपर पहुँचे है.

१. रास इतना विपद-ग्रस्त है कि वह अदायगी बिलकुल कर ही नही सकता।

२. शेष गाँव एक वर्षकी बकाया राशिकी यथाशक्ति अदायगी करनेकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं इसके सम्बन्धमे एक विस्तृत विवरण तैयार कर रहा हूँ।

३ तकावी और बकायाकी वसूली मुल्तवी की जानी चाहिए। पिछले ११ मार्चके सरकारी नोटिसके जरिए सभी प्रकारकी मुल्तवी की गई बकाया वसूलीको फिरसे मुल्तवी किया गया है। यदि उस वसूलीको फिरसे मुल्तवी करना जरूरी समझा गया है तो स्पष्ट ही है कि आन्दोलनसे प्रभावित गाँवोको राहत पहुँचाना और भी कितना जरूरी हो जाता है? सरकार कहती है कि इन गाँवोने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। लेकिन समझौतेके बाद ऐसा कोई भी तर्क सर्वथा असगत हो जाता है।

४. समझौतेमें बिलकुल स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि चौकीदारोके खर्च, जब्ती और नोटिस देनेकी फीसकी वसूली रद कर दी जाये। इसलिए इनकी वसूलीकी कोशिश नही की जानी चाहिए।

मैं आपका उत्तर मिलनेपर ही जनतासे कहूँगा कि वह उपर्युक्त प्रस्तावके अनुसार अदायगी कर दे।

मैं २१ तारीखको १० बजकर ५५ मिनटकी पैसेजर गाडीसे अहमदाबादसे बारडोलीके लिए रवाना होऊँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-८-१९३१

१. उत्तरी विभागके तत्कालीन कमिश्नर।

१३. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

अहमदाबाद
२० अप्रैल, १९३१

चि० मणिलाल और सुशीला,

कल और आज पूरे दिन-भर तुम्हे याद करता रहा हूँ। लम्बा पत्र लिखने लायक समय कहाँसे निकालूँ? तुम तीनों पूर्वी आफ्रिकामे खूब फलो-फूलो। सब काम हर तरहसे रागरहित होकर करो। ऊब न लगे तो 'अनासक्तियोग'[1] की प्रस्तावना समय-समयपर पढ़ते रहो। तुम उसकी जितनी गहराईमें जाओगे, तुम्हे कर्त्तव्यकी उतनी ज्यादा समझ आयेगी और आत्म-सन्तोष मिलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७८३) की फोटो-नकलसे।

१४. हरि गणेश फाटकको[2] लिखे पत्रका अंश

[२० अप्रैल, १९३१के बाद][3]

कांग्रेस किसी भी सीलको तोड़नेकी अनुमति नही दे सकती। ब्रिटिश कपड़ेसे, मै समझता हूँ, आपका मतलब विदेशी कपड़ेसे है। नियमके अनुसार कांग्रेस ब्रिटेन

१. देखिए खण्ड ४१।

२. स्वदेशी सभा, पूनाके सभापति।

३. हरि गणेश फाटकके दिनांक २० अप्रैल, १९३१ के पत्रके उत्तरमें, जो इस प्रकार था : "हम लोग एक बहुत ही जरूरी मामला आपके परामर्शके लिए यहाँ लिख रहे हैं। पिछले दिसम्बरमें पूनाके कपड़ा व्यापारियोंने स्वदेशी सभासे एक समझौता किया था जिसमें यह तय हुआ था कि कपड़ा-व्यापारी अपने ब्रिटिश कपड़ेको सील बन्द करके रखेंगे, विदेशी कपड़ा बाहरसे नहीं मँगायेंगे और उन मिलोंसे कपड़ा नहीं खरीदेंगे जिनका नाम कांग्रेसकी काली सूचीमें है। सभासे उन्होंने यह वायदा करा लिया था कि उनकी दुकानोंपर धरना नहीं दिया जायेगा। ये शर्तें कुछ दबावमें ही तय हुई थीं। बिना अपवाद, सभी व्यापारियोंने इस समझौतेको स्वीकार कर लिया था। गांधी-इर्विन समझौता होनेतक लगभग ८० दुकानोंमें रखा ब्रिटिश कपड़ा सील कर दिया गया। अभी ५० दुकानें शेष हैं। हमने दुकानोंमें रखे कपड़ेपर सील लगाना बन्द कर दिया, क्योंकि हमने सोचा कि यह समझौतेकी शर्तोंके विपरीत होगा। किन्तु चूँकि उक्त शर्तें गांधी-इर्विन समझौतेके पूर्व तय हुई थीं और अब उनपर अमल करना ही शेष रहता है, इसलिए हम यह नहीं मानते कि उक्त शर्तोंपर अमल करनेसे गांधी-इर्विन समझौतेपर किसी प्रकारकी आँच नहीं आयेगी। हमें मालूम है कि दिल्लीमें गांधी-इर्विन समझौतेसे पहले तय हुई शर्तोंको बरकरार रखा गया है। अगर हमारा समझौता कायम रहा

और किसी अन्य देशके बने कपड़ेमें अन्तर नहीं कर सकती और अन्य देशोंके कपड़ेको तरजीह नहीं दे सकती।

अंग्रेजी (एस० एन० १७००६) की माइक्रोफिल्मसे।

१५. पत्र : जे० एच० गेरेटको

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
२१ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री गेरेट,

विस्तारसे लिखे आपके उत्तरके[1] लिए धन्यवाद।

अभी मुख्य विचारणीय बात समझौतेमें कांग्रेसकी स्थितिकी है। अगर आप यह मानते हैं कि समझौता कांग्रेस व सरकारके बीच हुआ है और जनतासे सम्बन्धित उसकी शर्तोंको अमलमें लानेका भार कांग्रेसपर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेसको सरकार और जनताके बीच सम्पर्क-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली ऐसी संस्था स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जनताका प्रतिनिधित्व करती है। अगर यह बात नहीं है तो मैं समझता हूँ कि समझौतेसे सम्बन्धित कई मामलोंपर मुझे आपसे मिलने, पत्र-व्यवहार करने या आपका उत्तर प्राप्त करनेका कोई अधिकार नहीं रहता। आपका पत्र इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उठाता है और समझौतेके सम्बन्धमें मेरी कार्यवाही इसके उत्तरपर ही निर्भर होगी। इस बीच मैं आपके पत्रमें सविस्तर उल्लिखित बातोंपर विचार स्थगित कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एच० गेरेट
अहमदाबाद

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

तो सतर्कता-समिति पूनामें एक इंच भी विदेशी वस्त्र नहीं आने देगी। फिर भी हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हम अपना काम आगे बढ़ायें अथवा छोड़ दें, और व्यापारियोंको कपड़ेपर लगाई सील तोड़नेकी अनुमति दें या नहीं? यह सवाल बहुत जरूरी है और हमें आशा है कि आप इसपर शीघ्र ध्यान देंगे।"

१. देखिए परिशिष्ट १।

१६. पत्र : बालकृष्ण भावेको

२१ अप्रैल, १९३१

चि० बालकृष्ण,

इतने दिन तो मुझे समय ही नही मिला कि तुम्हें पत्र लिख सकूं। किन्तु खबर रोज पूछ लेता था और याद करता रहता था। मेरी सलाह है कि अब शान्त होकर जो कुछ हो रहा है, होने दो। सबसे अच्छा इलाज तो निम्नलिखित है:

१. पन्द्रह-पन्द्रह मिनटके बाद जितना बने उतना गरम पानी पियो।

२. रोज एनिमा लो।

३. भूख लगे तो नारगी, अनार, अन्नानास और हरे अंगूरोका रस लो।

४. रामनाम सबसे बादमे लिखा है, पर उसे सर्वोत्तम औषधि मानता हूँ। पहली तीन बातें इसके जपके साथ जुडी हैं।

अभी कुछ समय और जीना होगा तो इतना काफी है और यदि नही जीना है तो चाहे जैसे सारे उपचार मिथ्या है। इस विषयमें मुझे शंका ही नही है।

तुम्हारा मन तो शान्त है ही, ऐसा मानता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ८०४) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य: बालकृष्ण भावे

१७. भाषण : साबरमती आश्रम, अहमदाबादमें

२१ अप्रैल, १९३१

साबरमती आश्रमके निकट डॉ० प्राणजीवनदासके बँगलेमें आयोजित, खादी कार्यकर्त्ता लक्ष्मीदास गांधीकी बेटी लक्ष्मीके विवाहमें गांधीजी सम्मिलित हुए। विवाह बहुत सादगी तथा संक्षिप्त रीतिसे सम्पन्न हुआ। गांधीजीने विवाहकी शपथ दिलाई।

इस विवाहके पूर्व गांधीजी आश्रममें गये। और उन्होंने सायंकालीन प्रार्थना-सभामें भाग लिया। दांडी-कूचके बाद वे आश्रममें पहली बार आये थे। आश्रमवासियोंकी इस छोटी-सी सभाको सम्बोधित करते हुए महात्मा गांधीने कहा कि इतनी जल्दी आश्रममें लौट सकनेकी उन्हें आशा न थी। यों वे शान्ति स्थापनाका काम पूरा करके नहीं लौटे है। वे तो एक विशेष कार्यवश, अर्थात् एक लड़कीके विवाहमें सम्मिलित होने आये है, जिसका लालन-पालन आश्रममें हुआ था। आश्रमसे सम्बन्धित

लोगोंका विवाह, वह भी तब, जब हम संघर्षरत हैं, आश्चर्यका कारण हो सकता है। परन्तु इस विवाहको उदाहरण नहीं बनाया जा सकता। जो लोग विवाह किए बिना नहीं रह सकते, उन्हें विवाह करनेकी छूट है। आश्रमवासियोके लिए अविवाहित रहनेकी भी एक शर्त थी, किन्तु वह शर्त अनिवार्य नहीं थी। जो लोग अविवाहित जीवन नहीं बिता सकते, वे आश्रम छोड़ भी सकते हैं।

संघर्ष पुनः कब छिड़ जाये यह कहा नहीं जा सकता। किन्तु यदि छिड़ा तो भयंकर होगा। इसलिए आश्रमवासियोंको सावधान रहना है और अपनी शक्ति बढ़ानी है। जन-मानसमें साहस और पवित्रताकी भावनाका उदय पूरी तरह हो चुका है। अगर संघर्ष छिड़ा तो करोड़ों लोग उसमें भाग लेंगे। लेकिन उन सबके हिम्मत हार जाने अथवा संघर्षसे अलग रहनेकी स्थितिमें आश्रमवासियोंको ही उदाहरण प्रस्तुत करना होगा और अगुवाई करनी होगी।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २३-४-१९३१

१८. पत्र : प्रभावतीको

२२ अप्रैल, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरे पत्र मिलते रहते हैं। तू वहाँ पहुँचते ही बीमार हो गई; ऐसा क्यो? क्या अब वहाँसे छूटकर वापस नही आ सकती? यदि वहाँ किसी कामके लिए तेरी जरूरत न हो तो तुझे वापस आ जाना चाहिए। यह बारडोली जाते हुए सूरतमें लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि बारडोलीमें आठेक-दिन तो रहना ही पडेगा। मैं ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३३९९) की फोटो-नकलसे।

१९. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको[1]

बारडोली
२२ अप्रैल, १९३१

मैं इसके साथ अपने और उत्तरी डिवीजनके कमिश्नरके बीच हुए ताजा पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ सलग्न कर रहा हूँ। यदि कांग्रेसकी मध्यस्थताके बारेमें वाइसराय महोदयका भी वही दृष्टिकोण है जो श्री गेरेटने अपनाया है, तो मुझे लगता है सारे समझौतेका ही कोई अर्थ नही रहता। काग्रेस और सरकारके बीच समझौता तभी हुआ था जब भारत सरकार और ब्रिटिश सरकारने मान लिया था कि काग्रेस वास्तवमे जनताका प्रतिनिधित्व करती है। जनता और सरकारके बीच कांग्रेसको मध्यस्थके रूपमे स्वीकार करनेसे इनकार करना समझौतेको नकारना है।

इस असाधारण परिणतिने उन सभी मामलोको सर्वथा गौण बना दिया है जिनके बारेमे मैंने १७ तारीखको शिकायत की थी। लेकिन यह दिखानेके लिए कि समझौतेको कार्यान्वित करनेमे अब तक सरकारकी ओरसे कितनी कसर रह गई है मैं कुछ खास-खास मुद्दोको फिर लिख रहा हूँ।

१. शोलापुरके कुछ उन बन्दियों और ऐसे अनेक अन्य बन्दियोको अबतक रिहा नही किया गया है, काग्रेस मानती है कि जिनकी रिहाई समझौतेके अनुसार हो जानी चाहिए थी।

२. ऐसे कई मुकदमे अबतक चालू हैं।

३. विदेशीव्यक्ति अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले सविनय अवज्ञा करनेवालों पर से अबतक प्रतिबन्ध नही हटाया गया है।

४. सविनय अवज्ञाकारियोके विरुद्ध दायर किये गये 'वतन और इनाम'[2] के मामले अबतक वापस नही लिये गये है।

५. सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान त्यागपत्र देनेवाले पटेलो आदि कर्मचारियो को अबतक बहाल नही किया गया है, हालाँकि मेरी जानकारीके मुताबिक उनके स्थानोपर नये कर्मचारियोकी नियुक्ति अस्थायी रूपसे या 'अगले आदेशतक' ही की गई थी और उनमेसे कई पटेल अवाछनीय किस्मके व्यक्ति हैं।

६. जब्तशुदा चल और अचल सम्पत्तिको किसी न किसी बहाने अबतक नही लौटाया गया।

७. अधिकारियोको जानकारी रहनेपर भी मद्य-विक्रेता बिना लाइसेन्सके अपना धन्धा चला रहे है।

१. बम्बईके कार्यवाहक गवर्नरके निजी सचिव।
२. सरकारकी ओरसे माफीमें मिली जमीनें।

८. जब्तशुदा जमीनोके बारेमें अबतक यह जानकारी नही दी गई है कि वे कब, कितने मूल्यमें और किस ढंगसे बेची गई थी।

९. सरकारने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान 'असहयोग'के आचार पर अहमदाबाद नगरपालिकाको शिक्षा और सफाईकी मदके लिए अनुदानोकी राशियाँ नही दी है; और एक अस्पताल तथा प्रसूतिगृहके काम आनेवाली भूमिके लगानकी बकाया राशि अबतक माफ नही की है। यद्यपि समझौतेमे इस मामलेका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नही है, लेकिन यह मामला उसके क्षेत्राधिकारमे ही आता है।

मै इन सभी मुद्दोंके बारेमें सरकारका अन्तिम निर्णय जानना चाहता हूँ। मैंने खण्ड १ और ४के अन्तर्गत आनेवाले मामलोका ब्यौरा श्री कॉलिन्सको भेजनेका वायदा किया था। ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। पर मेरा ख्याल है कि इन सभी मामलोके बारेमे एक सामान्य आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन यदि काग्रेसको बाकायदा एक मध्यस्थके रूपमे मान्यता नही दी जायेगी तो फिर और सभी बातोका कोई महत्त्व नही रहता।[1]

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

२०. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको[2]

बारडोली
२२ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपको फिर कष्ट देते हुए मुझे दु.ख हो रहा है। लेकिन जहाँतक गुजरातका सम्बन्ध है, समझौता लगभग टूटने जैसी खतरनाक स्थितिमे आ पहुँचा है। बम्बई सरकार और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारकी नकल साथ भेज रहा हूँ। मै इस बातकी जी-तोड कोशिश कर रहा हूँ कि समझौता टूटने न पाये। समझाने-बुझानेकी जितनी भी शक्ति मुझमें है, मै उसका पूरा-पूरा उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन अब यह बोझ असह्य लगने लगा है।[3]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

गृह विभाग, राजनीतिक, फाइल संख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० एस० १९३१।
सौजन्य : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. आर० एम० मैक्सवेलके उत्तरके लिए, देखिए परिशिष्ट २।
२. भारत सरकारके तत्कालीन गृहसचिव।
३. एच० डब्ल्यू० एमर्सनके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

२१. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

बारडोली
२२ अप्रैल, १९३१

प्रिय सर तेज,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं अच्छा हो रहा हूँ।

साम्प्रदायिक उलझनका मैं अपने ढगसे समाधान खोज रहा हूँ। अगर कोई समाधान नही निकला तो मैं लन्दन जानेकी हिम्मत नही करूँगा। यही मैंने लॉर्ड इर्विनसे भी कहा है। नये वाइसरायसे[1] मैं बम्बईमे नही मिला। गोलमेज सम्मेलन सम्बन्धी सामग्रीकी मैं प्रतीक्षा करूँगा। मैं समझता हूँ ऐसी सामग्री थोड़ी-बहुत तो छप भी गई होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

सर तेज बहादुर सप्रू
१९, अल्बर्ट रोड,
इलाहाबाद

अंग्रेजी (जी० एन० ७५९१) की फोटो-नकलसे।

२२. तार : लक्ष्मीदत्तको[2]

[२२ अप्रैल, १९३१ को अथवा उसके बाद]

उनकी कलई खोल दो।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१४) की माइक्रोफिल्मसे।

१. लॉर्ड विलिंगडन।

२. इन्दौरसे भेजे गए लक्ष्मीदत्तके दिनांक २२ अप्रैल १९३१ के तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था: "विदेशी कपड़ा व्यापारियोंने वायदा-खिलाफी की है। कृपया बतायें क्या करें। लक्ष्मीदत्त स्वदेशी प्रचारक-मण्डल।"

२३. विदेशी कपड़ा और दूसरी विलायती चीजें

हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि अंग्रेज और खासकर लंकाशायरके मिल-मालिक यह अनुभव करे कि पीढ़ियोंसे चली आनेवाली कंगाली या भुखमरीसे मुक्त होनेके लिए हिन्दुस्तान विदेशी कपड़ेका, फिर वह विलायती हो या जापानी, सदाके लिए बहिष्कार कर सके। यह एक ऐसी आर्थिक आवश्यकता है, जो भारत द्वारा के सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनेपर भी बनी रहेगी। लोकतन्त्रका, स्वराज्यकी सरकारका यह निश्चय ही सबसे पहला काम होगा कि वह विदेशी कपड़ोंके आयातको बिलकुल बन्द कर दे।

और विदेशी कपड़ेका स्थान देशी मिलोंका कपड़ा नहीं लेगा, बल्कि हिन्दुस्तानके ७,००,००० गाँवोंमें कती और बुनी खादी उसका स्थान ग्रहण करेगी। यद्यपि यह निःसन्देह सच है कि विदेशी वस्त्र-बहिष्कारसे स्वभावतः देशी मिलोंको [भी] फायदा होता है, फिर भी काग्रेस तो इस बहिष्कारमें अपनी मुख्य शक्ति खादीके लिए ही, करोड़ों मेहनत-मजदूरी करनेवालोंके लिए ही खर्च कर रही है। सभी विदेशवासी यह समझ ले कि यह बहिष्कार-आन्दोलन एक लोकव्यापी, लोक-हितकारी आन्दोलन है। यदि इस आन्दोलनकी व्यापकता और पवित्रताको विदेशी वस्त्र-व्यवसायी पहचाने तथा इसका अनुभवकरे तो अन्तमें उनका और उनके काममें लगे हुए अन्य लोगोंका ही हित होगा। इस आन्दोलनके राजनैतिक परिणाम अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह आन्दोलन शुद्ध रूपसे आर्थिक और लोकोपकारी है, इसलिए तमाम दुनियाकी इसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए।

फिर भी विलायतमें विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके विरोधमें बिना किसी कारणके अनावश्यक कटु आन्दोलन खड़ा कर दिया गया है। विलायती चीजोंके बहिष्कारको उठा लेनेसे इंग्लैंडको जो जबर्दस्त फायदा पहुँचा है, उसपर ध्यान ही नहीं दिया गया है। यह इन्साफकी बात नहीं है। इस इतने अधिक महत्वकी वस्तुस्थितिको दबानेसे भारतीय समस्याका निपटारा, जो पहलेसे ही काफी मुश्किल है, और बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। क्या अंग्रेज प्रजा यह जानती है कि विलायती वस्तुओं के बहिष्कारका आन्दोलन तीस साल पुराना है? क्या वे यह मानते हैं कि पिछले युद्धमें विदेशी वस्तुओंका बहुत अधिक बहिष्कार किया गया था और इसे विदेशी वस्त्र-बहिष्कार आन्दोलनके जितनी ही सफलता भी मिली थी? यह तय है कि यदि सदा नहीं तो अभी बहुत समयतक हिन्दुस्तानको विदेशोंकी कुछ चीजोंकी जरूरत रहेगी। आजका समझौता अस्थायी है। पर मान लीजिए कि कल स्थायी सुलह हो जाये और हिन्दुस्तान और इंग्लैंडमें बराबरीके हिस्सेदारोंका नाता कायम हो जाये तो हिन्दुस्तान इंग्लैंडसे व्यापार करते हुए अपनी जरूरतकी जो चीजें मंगवायेगा, क्या उससे इंग्लैंडकी उस क्षतिकी आवश्यकतासे अधिक पूर्ति नहीं हो जायेगी, जो उसे भारतके साथ कपड़ों और सूतके व्यवसायको बन्द कर देनेसे उठानी पड़ेगी?

समझनेकी बात तो यह है कि अब हिन्दुस्तानके माथे वे सब चीजें, फिर वे इग्लैंडकी हो या विदेशोकी, जिनकी उसे जरूरत न हो नही लादी जा सकती। लूट-खसोटका जमाना बीत चुका। सम्भव है, हम कौमी एकता कायम करनेमे कामयाब न हो। नाकामयाब होनेपर मुमकिन है, हम जल्दी ही आजादी हासिल न कर सके। पर दुनिया देखेगी कि वे सब हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी, जो हिन्दुस्तानको अपना घर मानते है, एक होकर अपने मुल्कके साधनोकी उस लूटका विरोध करेगे, जो विदेशियोके हितकी दृष्टिसे की जाती है। वे उस साल-दर-साल की जानेवाली लगातार लूटका कसकर विरोध करेगे जो तमाम कौमो और जातियोको समान भावसे कठोरतापूर्वक कगाल और दाने-दानेको मुहताज बना रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२४. विदेशी मिशनरी

विदेशी मिशनरियोंके सम्बन्धमें जो बातें पत्र-प्रतिनिधियोंने मेरे मुँहसे कहलाई हैं, उनके बारेमे पत्र-लेखकोने क्रोध या आश्चर्यमे आकर मेरे नाम अखबारोकी कतरनें अथवा अपनी टीकाएँ भेजी है।[1] मेरी बात ठीक-ठीक छपी है या नही, इसकी पूछताछका कष्ट सिर्फ एक पत्र-लेखकने उठाया है। जॉर्ज जोजेफ तक, जो पहले मेरे साथी थे और मदुरामे मुझे प्रेमसे अपने घर ठहराते थे, अखबारोंकी रिपोर्टकी जाँच करानेकी कृपा किये बिना ही, बेहद नाराज हो गये है। यह चोट सबसे कठोर है।

एक पत्रकारने मेरे मुँहसे ये बातें कहलाई हैं :

> यदि वे मानव-दयाके कार्य और गरीबोंकी भौतिक सेवातक सीमित रहनेकी बजाय, डाक्टरी सहायता, शिक्षा आदिसे धर्म-परिवर्तन करेंगे, तो मै उन्हें जरूर यहाँसे चले जानेके लिए कहूँगा। हर राष्ट्रका अपना धर्म दूसरे किसी धर्म जितना ही अच्छा होता है। भारतके धर्म उसके लोगोंके लिए पर्याप्त हैं। हमें आध्यात्मिक परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

समाचारपत्रोसे मेरी इतनी अधिक भेंटे हुई है, कि इस कथनका समय, अवसर या प्रसग याद नही आ रहा है। मै केवल यही कह सकता हूँ कि जो बात मै हमेशा कहता और मानता आया हूँ, उसका यह विपर्यास है। विदेशी धर्म-प्रचारक मण्डलोके सम्बन्धमें मेरे विचार किसीसे छिपे नही है। धर्म-प्रचारकोंके सामने ही मैं अनेक बार उन्हे स्पष्ट कर चुका हूँ। इसलिए मेरे विचारोकी विकृत रिपोर्टसे भड़क उठनेवाली इस क्रोधाग्निका अर्थ मै समझ नही पा रहा हूँ।

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३३७-९।

उक्त कथनकी भाषाको बदलकर मैं इस ढंगसे रखना चाहूँगा:

यदि वे केवल शिक्षा, गरीबोंकी डाक्टरी सेवा, और ऐसे ही मानव-दयाके कामोंतक सीमित रहनेकी बजाय, अपने इन कामोंका उपयोग धर्म-परिवर्तनके लिए करेंगे, तो मैं अवश्य ही यह चाहूँगा कि वे चले जायें। हरएक राष्ट्र अपने धर्मको दूसरे किसी राष्ट्रके धर्म जितना ही अच्छा समझता है। भारतवासी जिन महान् धर्ममें आस्था रखते हैं, वे निश्चय ही उनके लिए पर्याप्त हैं। भारतको एक धर्मसे दूसरे धर्ममें परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इस संक्षिप्त कथनको अब मैं विस्तारसे समझाऊँगा। मैं मानता हूँ कि मानव-दयाकी आड़में किया गया धर्म-परिवर्तन यदि और कुछ नहीं तो हानिकर अवश्य है। यहाँके लोगोंको इससे निश्चय ही चिढ़ है। धर्म आखिर एक अत्यन्त व्यक्तिगत चीज है; वह हृदयसे सम्बन्धित है। किसी ईसाई डाक्टरने मेरे रोगका इलाज करके मुझे स्वस्थ कर दिया, सिर्फ इसीलिए मुझे अपना धर्म क्यों बदलना चाहिए? या जब मैं उस डाक्टरका इलाज कर रहा हूँ, तब खुद वह मेरे धर्म-परिवर्तन करनेकी अपेक्षा क्यों करे या वह मुझे ऐसी सलाह क्यों दे? डाक्टरी सहायता क्या अपने आपमें सार्थक नहीं है और क्या उतनेसे ही चिकित्सकको सन्तोष नहीं हो जाता? या यदि मैं किसी मिशनरी शिक्षा-संस्थामें पढ़ रहा हूँ, तो मुझपर ईसाई धर्मकी शिक्षा क्यों थोपी जाये? मेरी रायमें तो इन तरीकोंसे उन्नति नहीं होती; और यदि गुप्त विरोध नहीं, तो ये सन्देह अवश्य पैदा करते हैं। धर्म-परिवर्तनकी रीतियोंमें 'सीजरकी रानीकी तरह सन्देहकी जरा भी गुंजाइश' नहीं होनी चाहिए। धर्म पार्थिव चीजोंकी तरह नहीं दिया जाता। वह तो हृदयकी भाषा द्वारा दिया जाता है। यदि मनुष्यमें कोई जीवित धार्मिक आस्था है, तो वह गुलाबके फूलकी तरह अपनी सुगन्ध फैलाती है। अदृश्य होनेके कारण, फूलकी पंखुड़ियोंकी रंगीन छटाकी अपेक्षा उसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है।

अतः मैं धर्म-परिवर्तनका विरोधी नहीं हूँ, परन्तु उसकी वर्तमान रीतियोंका विरोधी हूँ। धर्म-परिवर्तनने आजकल और वस्तुओंकी भाँति एक व्यापारका रूप ग्रहण कर लिया है। जहाँतक मुझे याद है, एक मिशनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, जिसमें धर्म-परिवर्तनका प्रति व्यक्ति खर्च बताकर 'अगली फसल'के लिए बजट पेश किया गया था।

मैं बेशक यह कहता हूँ कि भारतवर्षके लिए उसके महान् धर्म पर्याप्त हैं। ईसाई और यहूदी धर्मोंके सिवा, हिन्दूधर्म और उसकी शाखाएँ, इस्लाम और पारसी धर्म, ये सब जीवित धर्म हैं। संसारका कोई भी एक धर्म सम्पूर्ण नहीं है। और सब धर्म उनके अपने-अपने अनुयायियोंको एक-से प्रिय हैं। इसलिए जरूरत आज इस बातकी नहीं है कि हर सम्प्रदाय अपने धर्मको दूसरे सब धर्मोंसे श्रेष्ठ सिद्ध करनेका निरर्थक प्रयत्न करे और इस प्रकार विरोध पैदा करे; बल्कि इस बातकी है कि जगत्के महान धर्मोंके अनुयायियोंमें सजीव और मैत्रीपूर्ण सम्पर्क पैदा किया जाये। इस प्रकारके मैत्रीपूर्ण सम्पर्कसे हम सब अपने-अपने धर्मोंकी त्रुटियों और दोषोंको दूर कर सकेंगे।

ऊपर मैंने जो कहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतको ऐसे धर्म-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नही है। आत्मशुद्धि, आत्म-साक्षात्कारके अर्थमे धर्म-परिवर्तन इस जमानेकी सबसे वडी आवश्यकता है। पर यह वह चीज कदापि नही है, जो धर्मपरिवर्तनके नामसे जानी जाती रही है। जो भारतवर्षका धर्म-परिवर्तन करना चाहते है, उनसे यही कहा जा सकता है कि हकीमजी पहले अपना इलाज कीजिये न?

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२५. 'अनेकोंमें से एक' (?)

'अनेकोमे से एक'का लिखा हुआ खुला पत्र स्वर्गीय सुखदेवका पत्र है। श्री सुखदेव भगतसिंहके साथी थे। यह पत्र उनकी मृत्युके बाद मुझे दिया गया था, किन्तु समयाभावके कारण मैं इसे इसके पहले प्रकाशित न कर सका। वह बिना किसी परिवर्तनके ही अन्यत्र दिया गया है।[1]

लेखक 'अनेकोमे से एक' नही है। राजनैतिक स्वतन्त्रताके लिए फाँसीको गले लगानेवाले अनेक नही होते। राजनैतिक हत्याएँ चाहे जितनी निन्द्य क्यो न हो, तो भी जिस देश-प्रेम और साहसके कारण ऐसे भयानक काम किये जाते है, उनके लिए मनमे प्रशंसाका भाव आये बिना नही रह सकता। इसके साथ ही हम यह आशा भी रखते है कि राजनैतिक हत्या करनेवालोका सम्प्रदाय बढ नही रहा है। यदि भारतवर्षका प्रयोग सफल हुआ, और उसका सफल होना निश्चित ही है, तो राजनैतिक हत्या करनेकी बात सदाके लिए समाप्त हो जायेगी। मै स्वय तो इसी श्रद्धासे काम कर रहा हूँ।

लेखक यह कहकर मेरे साथ अन्याय करते है कि क्रान्तिकारियोसे उनका आन्दोलन वन्द कर देनेकी भावुकतापूर्ण प्रार्थनाएँ करनेके सिवा मैंने और कुछ नही किया, जब कि मेरा दावा ही यह है कि मैंने उनके सामने ठोस तथ्य रखे है और यद्यपि वे इन स्तम्भोमें भी कई वार प्रस्तुत किये जा चुके है, फिर भी वे दोहराये जा सकते है:

१. क्रान्तिकारी आन्दोलनने हमे हमारे ध्येयके समीप नही पहुँचाया।

२. वह देशके फौजी खर्चमे वृद्धिका कारण बना है।

३. उससे लाभ तो किसी भी प्रकारका नही हुआ; उसने केवल सरकारको दमनका अवसर ही दिया है।

४. जव-जव क्रान्तिकारियोने खून किये है, तब-तब कुछ समयके लिए सम्बन्धित स्थानोके लोगोंका नैतिक बल टूटा है।

५. उसने जन-जागृतिमें किसी भी तरह हाथ नहीं बँटाया।

६ लोगोपर उसका दोहरा दुष्प्रभाव पड़ा है; एक तो यह कि उनपर आखिरकार अधिक खर्चका भार आया और उन्हे सरकारी क्रोधके अप्रत्यक्ष फल भोगने पड़े।

१ देखिए परिशिष्ट ४।

७. क्रान्तिकारी हत्याएँ भारत-भूमिमें नही फूल-फल सकती; क्योकि इतिहास इस बातका साक्षी है कि भारतीय परम्परा राजनैतिक हिंसाके लिए प्रतिकूल है।

८. अगर क्रान्तिकारी लोक-समूहको, अपनी पद्धतिकी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो उन्हे उसके लोगोमे फैलने और उसके द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी पडेगी।

९. अगर हिंसाकी पद्धति कभी लोकप्रिय भी हुई तो जैसा दूसरे देशोमें हुआ है, वह उलटकर खुद हमारा ही सहार किये बिना न रहेगी।

१०. क्रान्तिकारी इसके विपरीत दूसरी पद्धति अर्थात् अहिंसाकी शक्तिका स्पष्ट प्रदर्शन देख चुके है। उनकी छुट-पुट हिंसा और अहिंसाके उपासक कहलानेवाले लोगोके द्वारा समय-असमयकी हिंसाके बावजूद अहिंसाकी पद्धति चलती रही है।

११. जब मै क्रान्तिकारियोसे कहता हूँ कि उनके आन्दोलनसे अहिंसाके आन्दोलनको कुछ भी लाभ नही पहुँचा, इतना ही नही, उसने इस आन्दोलनको नुकसान पहुँचाया है, तो उन्हे मेरी बातको मजूर करना चाहिए। दूसरे शब्दोमे, मै यो कहूँगा कि अगर उसे पूरा-पूरा शान्त वातावरण मिला होता, तो हम अब तक अपने ध्येय तक पहुँच चुके होते।

मै दावेके साथ कहता हूँ कि ये ठोस तथ्य है, भावुकता-प्रधान मिन्नत नही। प्रस्तुत लेखक तो क्रान्तिकारियोसे मेरी प्रकट प्रार्थनाओ पर एतराज करते है और कहते है कि इस तरह मै उक्त आन्दोलनको कुचल डालनेमें नौकरशाहीकी मदद करता हूँ। नौकरशाहीको उस आन्दोलनका मुकाबला करनेके लिए मेरी मददकी तो जरा भी जरूरत नही है। वह तो क्रान्तिकारियोकी ही तरह मेरे विरुद्ध भी अपनी हस्तीके लिए लड रही है। वह हिंसक आन्दोलनकी अपेक्षा अहिंसक आन्दोलनसे अधिक भयभीत है। हिंसक आन्दोलनका मुकाबला करना वह जानती है। अहिंसाके सामने उसकी अक्ल गुम हो जाती है, और अहिंसाने उसकी नीव हिला दी है।

दूसरे, राजनैतिक खून करनेवाले अपनी भयानक प्रवृत्तिका आरम्भ करनेसे पहले ही उसकी कीमत कूत लेते है। मेरे किसी भी कामसे उनके भविष्यके और अधिक खराब होनेका खतरा हो ही नही सकता।

और चूंकि क्रान्तिकारी दलको गुप्त रीतिसे काम करना पड़ता है, मेरे सामने उसके अज्ञातवास करनेवाले सदस्योंके प्रति सार्वजनिक रूपसे प्रार्थना करनेके सिवा दूसरा मार्ग ही नही है। मै साथ ही यह भी कह देना चाहता हूँ कि मेरी प्रकट प्रार्थनाएँ एकदम व्यर्थ नही हुई है। जो पहले क्रान्तिकारी थे, ऐसे अनेक सज्जन आज मेरे सहयोगी बन गये है।

इस खुली चिट्ठीमे यह शिकायत भी की गई है कि सत्याग्रही कैदियोके सिवा दूसरे कैदी नही छोडे गये। इन दूसरे कैदियोके छुटकारेका आग्रह करना अशक्य क्यो था, सो तो मै इन पृष्ठोमें समझा चुका हूँ। मै स्वय तो चाहता हूँ कि उनमे से हरएक छूट जाये। मै उन्हे छुडानेकी भरसक कोशिश करूँगा। मै जानता हूँ कि उनमे से कई तो बहुत पहले ही छूट जाने चाहिए थे। काग्रेसका इस सम्बन्धमें प्रस्ताव भी

है। कार्यसमितिने श्री नरीमानको इस तरहके सभी कैदियोकी नामावली तैयार करनेका काम सौपा है। सब नामोकी सूची तैयार होते ही उन कैदियोको छुडानेके लिए कार्रवाई की जायेगी। पर जो बाहर हैं, उन्हे क्रान्तिकारी हत्याएँ बन्द करवानेमे मदद करनी चाहिए। दोनो काम साथ-साथ नही चल सकते है। किसी भी हालतमे जिनकी मुक्ति होनी ही चाहिए, ऐसे राजनैतिक कैदी जरूर है। मै तो उन सभीको, जिनका इन बातोसे सम्बन्ध है, इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि इस ढिलाईका कारण इच्छाका अभाव न होकर शक्तिकी कमी है। यह याद रहे कि अगर कुछ ही महीनोमे अन्तिम सुलह न हुई, तो इस समय जो तमाम राजनैतिक कैदियोंको छुड़ानेकी कोशिश मे लगे है, वे खुद ही जेलोमें जा बैठेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२६. वडपल्ली गोलीकांड

जनताको नीचे उद्धृत विवरणकी[1] ओर ध्यान देना और इसके सिलसिलेमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैने जेलसे अपनी रिहाईके बादसे दक्षिण भारतमे पुलिसके अत्याचारोकी अनेक कहानियाँ सुनी है। मेरे दिमागपर उनकी यह छाप पड़ी है कि अत्याचारका सबसे बीभत्स रूप दक्षिण भारतमे और दक्षिणमे भी आन्ध्रमें ही देखनेमे आया है। जाँचके बाद सच पाये गये इस उदाहरणसे शायद पहलेके साक्ष्यकी पुष्टि ही होती है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२७. धरनेके विरोधमें

दक्षिण भारतके एक सेवा-निवृत्त अफसर लिखते है:[2]

मद्रासके 'हिन्दू' अखबारसे मुझे पता चला है कि आपने 'यंग इंडिया'[3] में शराब और विदेशी कपड़ेकी दूकानोंपर धरना देनेके कुछ नये तरीके प्रकाशित किये है, और अपने पाठकोंसे आपने यह प्रार्थना भी की है कि अगर वे कोई नये नियम भेज सकते हों तो अवश्य भेजें। क्या मै इस सिलसिलेमें 'पंच' अखबारकी 'मत करो'[4] नामक मशहूर सलाह सुझानेका साहस करूँ? समझौते

१. यहाँ नही दिया जा रहा है। विवरणमें राजमहेन्द्रीसे १५ मील दूर स्थित वडपल्लीमें ३० मार्चको रथ-यात्राके दौरान किया गया पुलिस-गोलीकाण्डका अनौचित्य दिखाया गया था।

२. अंशतः उद्धृत।

३. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३०९।

४. 'अमुकसे विवाह करूँ या न करूँ' पूछे जाने पर एक नवयुवककी दी गई सलाह।

की शर्तोंको समझाते हुए पत्रकारोंके सामने आपने जो अत्यन्त सुन्दर वक्तव्य[1] दिया था, उसमें और बातोंके साथ आपने यह भी कहा था कि अगर स्वराज्यमें गलती करनेकी ही नहीं, बल्कि पाप तक करनेकी स्वतन्त्रता न हो, तो वह हासिल करने योग्य आजादी नहीं है; और आपने यह भी कहा था कि जब सर्वशक्तिमान परमात्माने अपने अदना-से-अदना प्राणीको पापतक करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दी है, तब मैं नहीं सोच पाता कि आदमी अपने किसी साथीको वैसी ही पूर्ण स्वतन्त्रता देनेसे इनकार करनेका साहस कैसे कर सकता है। इसपर मैं निहायत अदबके साथ आपसे यह पूछना चाहूँगा कि तब फिर आप लोगोंको शराब पीने और विदेशी कपड़ा पहननेसे रोकनेके लिए रात-दिन इतनी मेहनत क्यों करते हैं। . . . अगर धरना देना कानून-सम्मत हो जाये, या जिस ढंगके धरनेकी आप हिमायत करते हैं, वह कानून-सम्मत मान लिया जाये, तो कई बातोंमें उसका प्रयोग किया जा सकता है; और उसके परिणाम बड़े ही परेशानी पैदा करनेवाले सिद्ध हो सकते हैं? आशा है, आप इस विषयपर पूरी गम्भीरतासे विचार करेंगे और भली-भाँति यह देख लेंगे कि कहीं किसी रूपमें धरनेको उत्तेजना देकर आप 'हवा बोकर तूफान पैदा करनेवाली'[2] बात तो नहीं कर रहे हैं।

लेखककी दलीलें आकर्षक तो हैं, पर ठोस नहीं हैं। वे भूल जाते हैं कि धरना उतना ही पुराना है, जितनी कि दुनिया। उसे कानून-सम्मत करनेकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह समझौतेसे पहले गैर-कानूनी था, और अब कानून-सम्मत हो गया है। धरना तो सुधारकका वह हक है, जिसे वह तभी छोड़ सकता है जब वह सुधार-कार्यको छोड़ दे।

लेखकने भ्रमवश यह सोचनेकी गलती की है कि आदमीको भूल करने या पाप करनेकी स्वतन्त्रता है, इसलिए पापके विरोधमें किसी प्रकारकी भी चेतावनी देना उसकी स्वतन्त्रतामें अक्षम्य दस्तन्दाजी होगी। हकीकत तो यह है कि व्यक्तिकी पाप करनेकी स्वतन्त्रताके साथ जनताको भी यह स्वतन्त्रता होती है कि वह उसे पापसे हटानेकी कोशिश करे और वैसा करनेके लिए कानूनतक बनाये। 'पापका परिणाम मृत्यु है।' पाप या गलती करके कोई उसके फलसे बच नहीं सकता। मैंने जिस बातका विरोध किया है और दुनिया हमेशासे जिसका विरोध करती आई है, वह है, सत्ताधारियोंका वह निरंकुश और ऊपरसे भलमनसाहत बरतनेका झूठा रुख, जिसके बलपर वे जनताको उसकी इच्छाके विरुद्ध 'सदाचारी' बनानेका दावा करते हैं, और उसके भले-बुरेके बारेमें निर्णय करनेकी अपनी शक्तिको अचूक मानते हैं। शान्तिमय धरना तो उस व्यसनके खिलाफ एक दोस्ताना चेतावनी है, जिसे सुधारक बुरा समझता है। यदि वह इस सीमाको लाँघकर हिंसापर आमादा हो जाये, तो उसपर कानून

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ २६५-७०।

२. अंग्रेजी कहावतका अभिप्राय।

लागू हो जाता है, और तब वह उसे किसी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतामे दखल देनेसे रोकता है। लेखकने कुछ हालतोमे धरना देनेसे होनेवाले खतरोका जिक्र किया है, पर हमे उनकी कोई मिसाले नही मिली। मन्दिरोपर अबसे पहले धरने दिये जा चुके है। इतना ही कि वह कोशिश बेकार हुई, और छोड दी गई। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को अनुशासित रहकर पालता है और लोकापवादसे नही डरता, तो इस तरहका धरना देनेसे उसे कोई रोक नही सकता। शराब, नशीली चीजो और विदेशी कपडोकी दुकानोपर धरना देना सम्भव और अधिकतर सफल इसलिए हुआ है कि लोकमत इनके विरुद्ध है। इसलिए काग्रेसके सामने 'हवा बोकर तूफान' में फँसनेका कोई खतरा नही है। चूंकि धरना अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है, उसका लोक-शिक्षणके एक स्थायी तत्त्वके रूपमे हमारे बीच स्थान बन चुका है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२८. एक चतुराईसे भरी सलाह

कौमी सवालको सुलझानेके लिए एक सवाददाताने नीचे लिखी चतुराईसे भरी सलाह भेजी है:

> **हर प्रान्तमें हिन्दू और मुस्लिम कौमोंको समान संख्यामें मतका अधिकार रहना चाहिए। कौमी मताधिकारकी समस्याको सुलझानेकी दृष्टिसे स्पष्ट ही वह व्यवस्था बहुमतवाली कौमके लिए अन्यायपूर्ण है। पर इसमें विचार कौमी मताधिकारको सुलझानेका नहीं है, बल्कि उसे व्यर्थ बनानेका है। मेरी सलाहको मंजूर कर लेनेका नतीजा यह होगा कि जब कभी किसी सवालपर दोनों कौमोंका मत एक-दूसरेसे भिन्न होगा तो निर्णयके समय उस सवालका फैसला दूसरी (अल्पमतवाली) कौमोंके मतसे होगा। यहाँ यह मान लिया गया है कि इन दूसरी कौमोंको उनकी संख्याके प्रमाणमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।**

मै इसपर कुछ भी टीका सिर्फ इसी कारण ही नही करता कि अगर यह बात सम्बन्धित कौमोको भी मजूर है, तो वह मुझे मजूर होगी। क्या मुसलमान इस पर राजी हो जायेंगे? और सिख इसपर क्या कहेगे?

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-४-१९३१

२९. पत्र : रामभाऊ खरेको

२३ अप्रैल, १९३१

चि० रामभाऊ,

तुम तो इतने आलसी बन गये दिखते हो कि मुझे पत्रतक नही लिखते, ऐसा क्यो? अब तो तुम्हे आलस्य त्याग देना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। नही तो वहाँ जाना, न जाना बराबर हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: लक्ष्मीबहन खरे

३०. तार : डेली 'हेरॉल्ड' को

[२३ अप्रैल, १९३१के बाद][1]

सम्पादक
'डेली हेरॉल्ड'
लन्दन

विदेशी मिशनरियोके बारेमे भेजी रिपोटेमे मेरे विचारोको तोडा-मरोडा गया है। अपने विचार स्पष्ट करनेके लिए मैंने 'यग इडिया'मे एक पूरा लेख दिया है। धर्म-परिवर्तनके लिए अस्पताल, स्कूल आदि संस्थाओके उपयोगके मै निस्सन्देह विरुद्ध हूँ। यह स्वस्थ परम्परा नही है और यह निश्चय ही कटु विरोधको जन्म देती है। धर्म-परिवर्तन हृदयकी बात है और यह धर्म-प्रचारकोके शुद्ध चरित्र और आचरणके मूक प्रभावपर ही आधारित होना चाहिए। धर्म-परिवर्तनकी सच्ची प्रेरणा तो गुलाबकी अदृश्य सुगन्धके समान मिलती है। इस प्रकार मै धर्म-परिवर्तनके विरुद्ध नही हूँ, लेकिन वर्तमान तरीकोंके निश्चय ही विरुद्ध हूँ। धर्म-परिवर्तनको रुपया-पैसा कमानेके व्यापारिक तरीकोंतक नही गिराना चाहिए। मेरा यह भी विश्वास है कि सभी महान धर्म सम्बन्धित राष्ट्रो या अनुयायियोके लिए समान रूपसे महत्त्वपूर्ण है। भारतमें इस प्रकारके धर्म-परिवर्तनकी, जिसका मैंने उल्लेख

१. "विदेशी मिशनरी" शीर्षकसे २३-४-१९३१ के यंग इंडियामें प्रकाशित लेखके उल्लेखके आधारपर।

किया है, कोई आवश्यकता नही है। स्वराज्यमें तो सभीको अपने धर्म-पालनकी छूट होगी। व्यक्तिगत रूपसे मै चाहता हूँ कि धर्मप्रचारक अभीसे अपने मौजूदा तौर-तरीके छोड़ दें। धर्म-परिवर्तन विश्वासपर आधारित हो, विवशतापर नही।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७०२७)की फोटो-नकलसे।

३१. पत्र : वसुमती पण्डितको

बारडोली
२४ अप्रैल, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए काम करना। सभी कामोमे धीरज रखना। सेवा करके ही सन्तोष करना, चाहे उसका परिणाम कैसा ही क्यो न हो। वहाँ और कौन है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२२) की फोटो-नकलसे।

३२. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२४ अप्रैल, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। सन्तोककी दाढ दिखानेके लिए रणछोडभाई उसे रॉबिन्सन के पास ले जायें।

लीलाबहन जाना चाहती हो तो चली जाये, किन्तु उससे कह देना कि दुबारा आनेका विचार न करे।

जमनाको दवा माफिक आ गई है न? यदि कुसुमको भी माफिक आये तो राधाको बुला लेना। वह अभीतक पूरी तरह स्वस्थ नही हुई।

व्रतके[1] बारेमे समय मिला तो लिख डालूंगा। जो थोडा समय मिला है उसे पिछले पत्रोको निपटानेमे ही लगा रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक चल रही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू० १से।

१. स्वदेशी व्रतके बारेमें। यरवदा जेलमें और व्रतोंपर लिखनेके समय गांधीजीने इसे छोड़ दिया था। देखिए "स्वदेशी व्रत", ३१-५-१९३१।

३३. पत्र : धीरजलाल रतिलाल मेहताको

२४ अप्रैल, १९३१

चि० धीरजलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी गृहस्थी निर्मल और सुखी बने और तुम दोनो सच्ची सेवामे तन्मय रहो। कभी मुझसे मिलने आ जाना।

जीवनलालभाईकी मुझे ठीक-ठीक याद है।

मोहनदासके आशीर्वाद

चि० धीरजलाल
रतिलाल मेहता
भागाका तालाब भावनगर

गुजराती (जी० एन० १०८४९) की फोटो-नकलसे।

३४. सलाह : बारडोलीके किसानोंको

२४ अप्रैल, १९३१

आज तीसरे पहर गांधीजीने करीब एक घंटे बारडोली ताल्लुकेके उन किसानोंसे अनौपचारिक बातचीत की जिनकी जब्त जमीनें सरकारने किसी तीसरे व्यक्तिको बेच दी हैं।

ऐसा समझा जाता है कि गांधी जीने उन्हें सलाह दी है कि वे उन जमीनोंपर खरीदनेवालोंके कब्जे और उनके खेतीके काममें रुकावट न डालें। गांधी जीने कहा है कि किसानोंको यह विश्वास रखना चाहिए कि वे शीघ्र ही अपनी जमीनें पुनः प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल वे यही समझें कि उन्हें अपनी जमीनें आजादीकी लड़ाईमें खोनी पड़ी है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २५-४-१९३१

३५. प्रतिज्ञा-भंग

एक मित्र लिखते हैं:[1]

मेरा दृढ विश्वास है कि आश्रम न लौटनेकी अपनी प्रतिज्ञापर मै आज भी डटा हुआ हूँ और वह बिलकुल भग नही हुई है। आश्रममे न जानेका मतलब है, वहाँ स्थायी रूपसे न रहना। मौका पडनेपर बीमारको देखने भी न जाना, ऐसा अर्थ न कभी था और न होना चाहिए। दूसरे, लडाईके ही सिलसिलेमे वहाँ जाना पड़े, तो भी न जाया जाये, ऐसा भी अर्थ नही था और न है। मै अपनी सुविधाके लिए, अपने स्वार्थके लिए अवश्य वहाँ नही जा सकता।

मेरे लिए आश्रम सब-कुछ है। वह मेरी कृति है और उसके प्रति मुझे मोह है। मेरे लिए वह अपने आदर्शोको परिपूर्ण करनेका स्थान है। वह मेरी प्रेरणा-भूमि है। मै जबसे देशमे आया हूँ, तबसे मैंने जो नये-नये काम किये है, उनमे सबके लिए नही, तो बहुत-से कामोके लिए मैंने वहीसे प्रेरणा प्राप्त की है। आश्रमवासियोकी मार्फत यह आखिरी लड़ाई छेडनेके फलस्वरूप शायद ऐसा घोर दमन हो कि सब हिम्मत हार बैठे; किन्तु तब भी मै आशा करता हूँ आश्रममे कोई ऐसा मिल जायेगा, जो आखिरतक जूझेगा। जब चारो ओर हिंसा फैली होगी, तब आश्रममें से कोई-न-कोई अहिंसाका साक्षी निकलेगा; मुझे आश्रमसे ऐसी आशा है, ऐसा मोह है। हो सकता है कि इस आशाका कोई आधार न हो। जिससे आशा हो, वह निराश करे, स्वप्नमे भी जिससे आशा न की हो, वह आशातीत काम कर जाये। कुछ भी हो, मै तो अपना मोह प्रकट करता हूँ; अपनी आशा कहाँ है, सो बताता हूँ। मेरी प्रार्थना तो यह है कि देशमे अनेक अहिंसक, सत्याचारी, बलिदानी वीर पैदा हो। पर ऐसी प्रार्थना सफल न हो तो भी मुझे इतना मोह तो है कि आश्रम कुछ-न-कुछ ऐसे नर पैदा करेगा। इसलिए आश्रमका त्याग मेरे लिए बहुत भारी बात है। पर यह त्याग मै स्वार्थत्यागके लिए ही करूँगा; इसमे सेवा करनेके अवसरका त्याग नही होगा। जिस हेतुसे त्याग किया है वह त्याग उस हेतुको हानि पहुँचानेवाला न होगा।

लाल बँगलेके विरोधमे तो मुझे कोई सार नही दिखाई देता। लाल बँगलेका दोष इतना ही है कि वह आश्रमके पडोसमे है। वह आश्रमसे बिलकुल अलग है। आश्रमका कोई काम हो, परन्तु वहाँ रहना न हो, तो मै लाल बगलेमे क्यो न रहूँ? अगर विद्यापीठमे रहनेमे दोष नही है, अम्बालाल भाईके घर रहनेमे दोष नही है, तो लाल बगलेमे क्यो नही रहा जा सकता?

सच तो यह है कि मै अहमदाबाद आते-जाते आश्रममे ठहरूँ, तो उसे भी मै प्रतिज्ञा-भग नही मानूँगा। पर इससे लोगोमे बुद्धिभ्रम पैदा होगा, इसलिए वहाँ

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने गाधीजीकी स्वराज्य मिलनेके पूर्व आश्रममें न लौटनेकी प्रतिज्ञाका उल्लेख किया था। देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ६४-६५ तथा खण्ड ४५, पृष्ठ ४४८ भी।

रहनेका विचार छोड़ दिया, और अब अनुभवसे पता चलता है कि मैंने ऐसा करके ठीक ही किया।

प्रतिज्ञाका अर्थ करनेमें हमें लकीरका फकीर नहीं बनना चाहिए। अक्षरपर जोर देनेके बजाय उसकी भावनाकी परीक्षा करनी चाहिए। प्रतिज्ञाका अर्थ करनेका स्वर्ण नियम यह है: एकसे अधिक अर्थ निकलते हों तो अपने लिए सुविधाजनक अर्थका त्याग करना और कष्टदायक अर्थ निकलता हो तो कष्ट सहकर भी उस अर्थ पर डटे रहना। इसलिए सेवाका लाभ उठानेके लिए आश्रममें रहना ठीक नहीं है; वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहिए। भूख लगी हो, और आश्रम पास हो, इस कारण मैं वहाँ खाने के लिए नहीं जा सकता। जबतक कहीं दूसरी जगहसे खानेको न मिले उस वक्त तक भूखको सहन किया जाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

३६. शारदा ऐक्ट[1]

एक पत्र-लेखक पूछते हैं:[2]

मेरी मतिके अनुसार इनका जवाब क्रमशः इस प्रकार है:

१. शिकायत लिखवाई जा सकती है।

२. सच्चे पुरोहित धमकी या दबावसे कदापि न डरें।

३. अच्छा काम करते हुए जोखिम उठानी ही पड़ती है, इसलिए जहाँ कोई काम करना स्पष्ट कर्त्तव्य मालूम पड़े, वहाँ जानमालको खतरेमें डालकर भी कर्त्तव्यका पालन करना उचित है। इस प्रकार जानमालको जोखिममें कब डाला जाये, इसका निर्णय प्रसगानुसार सबको स्वयकर लेना चाहिए।

४. काग्रेस सिर्फ राजनैतिक काम ही नहीं करती। जिससे लोगोकी उन्नति हो, ऐसे सब काम करती है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए सब राष्ट्रसेवक या राष्ट्र-सेविकाएँ अपने कर्त्तव्यके बारेमे निर्णय कर ले। निर्णय करनेका काम हमेशा सहज नहीं होता। बहुतेरे सुधार ऐसे है जिन्हे देशकी व्यापक उन्नतिकी खातिर छोड़ देना पडता है। इसलिए सवाल हमेशा यह उठता है कि इस सुधार-कार्यमें लगकर मैं अपनी व्यापक उपयोगिताको बढाता हूँ या कम करता हूँ। यदि जवाबमें कम करनेकी सम्भावना दिखे तो उस सुधार-कार्यको अपनानेसे हिचकिचाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

१. इसके अनुसार विवाहके समय लड़केकी आयु १८ और लड़कीकी १४ वर्ष होनी चाहिए।

२. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

३७. स्वयंसेविकाएँ और खादी

नड़ियादमे एक स्वयसेविका मण्डल है; वहाँ एक सवाल पैदा हो गया है। कुछ लोग कहते है कि स्वयंसेविकाएँ देशी मिलकी साड़ी वगैरा पहनकर धरना दे सकती है, अब काग्रेसका काम करनेवालेके लिए खादी पहननेकी आवश्यकता नही है। यह विचार दोषपूर्ण है और देशी मिलकी साडी वगैराका उपयोग अवैध है। काग्रेसका नियम करीब आठ सालसे चला आ रहा है। उसपर कई बार आक्रमण हुए, वार्षिक अधिवेशनोमे उसपर जी-भरकर चर्चा हुई। फिर भी काग्रेसके प्रतिनिधियोने खादीकी धाराको बदलनेसे इनकार किया। इसलिए अब तो खादीकी रूढ़ि पुरानी हो गई है। इस नियम और रूढ़िको तोड़नेका अधिकार कांग्रेसके किसी भी सदस्यको नही है। इसलिए मेरे विचारसे तो उपर्युक्त प्रश्न उठना ही नही चाहिए था।

पर मुझे यह बताया गया है कि अगर खादीकी शर्तको नरम न बनाया गया तो स्वयसेविकाओकी सख्या बहुत कम हो जायेगी और शायद खेडा जिलेमे एक भी स्थानीय स्वयंसेविका ऐसी नही मिलेगी जो खादी पहननेको तैयार हो। अगर यह बात सच है, तो खेदजनक है। फिर भी खादीशास्त्रके प्रणेताके नाते मै यह दु.ख सहनेको तैयार हूँ। अगर खादीमे सचमुच शक्ति होगी और उसके पीछे तपश्चर्या होगी, तो खादीपर आई हुई यह नई आपत्ति भी टल जायेगी।

दुनियामे जहाँ-जहाँ लोगोने सत्यका मार्ग छोडा है, वहाँ वे ऐसी कठिनाइयोंसे मुक्त हो गये है। सत्यका मार्ग छोड़नेमे कुछ आनन्द नही है। पर मनुष्य-स्वभाव कठिनाइयोका सामना नही करता। वह आसान रास्तेकी खोजमे रहता है। आसान रास्ता नीचे ले जाता है, मुश्किल रास्ता ऊपर उठाता है। जो नियम भौतिक-शास्त्रके लिए सही है, वही आध्यात्मपर भी लागू होता है। चीज बडे वेगसे नीचे गिरती है जब कि उसे ऊँचे ले जानेमें दम निकल जाता है। इसलिए विदेशी वस्त्रका बहिष्कार करनेकी उतावलीमे खादीको भूलना सत्य-मार्गको छोड़नेके समान है। प्रत्येक स्वयसेवक और स्वयसेविकाको याद रखना चाहिए कि इस मार्गको छोड देनेसे बहिष्कार कभी सफल होगा ही नही; और यदि हो सकता हो, तो उसमें कोई रस नही। विदेशी कपडेके बहिष्कारको हम धर्म समझते है, क्योकि उससे हमे कम या ज्यादा अशोमे करोडोकी भूख बुझती दिखाई देती है; और चरखा इसका उपाय है। चरखा अर्थात् खादी। इसलिए काग्रेसका कोई स्वयसेवक या स्वयंसेविका खादीको छोड़कर और कोई कपड़ा न तो पहन सकता है, न इस्तेमाल कर सकता है।

तो फिर मिलके कपड़ेका क्या हो? बिना सोचे-समझे ऐसा प्रश्न पूछनेवाले पड़े है। बहिष्कार आन्दोलनका जन्म देशी मिलोके लिए नही हुआ है। खादी रूपी महा-वृक्षकी छायामें मिलोका भी पोषण अवश्य हो जाता है। खादीकी चाल बीरबहूटीकी चालसे भी धीमी है। खादी अभीतक व्यापक नही बनी है। गाँव-गाँव और मुहल्ले-मुहल्लेमें अभी खादी नही मिलती। ऐसी स्थितिमें देशी मिले आसानीसे अपना माल

खपा सकती है। परन्तु अगर वे खादीके साथ स्पर्धा करेंगी, तो वे और खादी दोनो नही रहेगी। खादीको विज्ञापनकी सहायताकी, प्रदर्शनियोकी आवश्यकता है, देशी मिलोको नही। खादी-आन्दोलनसे सहज ही देशी मिलोकी रक्षा हो जाती है।

इस वस्तुस्थितिको समझनेवाली स्वयंसेविका बहिष्कारका प्रचार करते हुए खादी पहननेको ही कहेगी, मिलके कपडेका इस्तेमाल करनेको कभी नही कहेगी। जो खादी पहननेसे इनकार करे, उनके भी मिलके कपड़े इस्तेमाल करनेका समर्थन नही करेगी। खादी-विरोधी दलीलोका वह धैर्य और प्रेमके साथ खंडन करेगी और अन्ततक खादी पहननेकी ही सलाह देगी। वह निधडक और निश्चयपूर्वक यही कहेगी कि "देशी मिलका कपडा आपके लिए नही — बल्कि जिन्होने कांग्रेसका सन्देश नही सुना है, उनके लिए है।"

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २६-४-१९३१

३८. जानने योग्य प्रश्नोत्तर

एक साथीने उनसे पूछे गये नीचे लिखे प्रश्न भेजे है:

कांग्रेसने विदेशी कपड़े और सूतके बहिष्कारकी सूचना निकाली है; परन्तु विदेशी रुई-जैसे कच्चे मालकी छूट रखी है। इस छूटके पीछे कौन-सा सिद्धान्त है? हमारे देशमें काफी रुई पैदा होती है और उससे ४० नम्बर तकके सूतका काफी महीन कपड़ा बन सकता है; ऐसी दशामें विदेशोंसे रुई मँगानेकी छूट क्यों होनी चाहिए?

मै नही जानता कि विदेशी रुईकी छूट रखी गई है। वैसे मै स्वयं यह मानता हूँ कि महीन कपड़ा तैयार करनेके लिए विदेशी रुईकी जरूरत पड़े तो उसे मँगानेमें कोई हानि नही है। जिस कच्चे मालका उपयोग हम कर सकते हो, उसे परदेशसे मँगानेमें मुझे कोई हानि दिखाई नही देती। हमारा अनुभव है कि अपने देशका कच्चा माल, जिसका हम उपयोग कर सकते हो, बाहर भेजनेमें बहुत नुकसान है, परन्तु जिस प्रकार जितने मालका हम उपयोग नही कर सकते, उतना बाहर भेजनेमें लाभ है उसी प्रकार बाहरसे आवश्यकतानुसार कच्चा माल मँगानेमें भी लाभ हो सकता है।

विदेशी रुईकी छूटमें कच्चे विदेशी रेशमकी छूट भी शामिल है न? रेशम तो हमारे देशमें काफी मात्रामें पैदा नहीं होता, और वह पुराने जमानेसे चीन-जापानसे काफी परिमाणमें आता रहा है। और फिर इस कच्चे रेशमका ताना-बाना बनानेसे पहलेकी अनेक क्रियाएँ हमारे देशमें ही होती है। तो क्या कच्चा विदेशी रेशम मँगानेकी भी मनाही है?

कच्ची रुईकी तरह ही अगर कच्चा रेशम भी बाहरसे आता हो तो मँगाया जा सकता है। कच्चा रेशम यानी कोया। कोये बाहरसे आते हों और कोई उन्हे

मँगाये तो आर्थिक दृष्टिसे इसमे कोई आपत्ति नही होगी। हाँ, अहिंसाकी दृष्टिसे मुझे यह व्यापार पसन्द नही।

बढ़िया किस्मके ऊनी कपड़ेके लिए स्वदेशी मिलें ऊनके 'टाप्स' परदेशसे मँगाती है। ये 'टाप्स' लगभग पूनीकी हालतमें तैयार होकर आते है। कांग्रेस की नीतिके अनुसार रुईकी तरह क्या ये 'टाप्स' मँगानेकी छूट हो सकती है?

ऊनके 'टाप्स'के बारेमे मै नही जानता। पर उपर्युक्त नियमके अनुसार जिस प्रकार हम विदेशी सूत या रेशमी धागा नही मँगा सकते, उसी प्रकार ऊनी 'टाप्स' भी नही मँगाये जा सकते। परन्तु इस सम्बन्धमे कोई अपवाद माना गया हो तो मै नही जानता।

कांग्रेसने विदेशी सूतके बहिष्कारकी सलाह दी है, इस सूतका ज्यादातर उपयोग हाथ-बुनाईमें किया जाता है, इसलिए अगर विदेशी सूतका बहिष्कार किया जाये और उसके बदले स्वदेशी सूत न मिले तो हाथ-करघोंपर बुननेवाले जुलाहोंमें बहुत अधिक बेकारी फैल जानेकी सम्भावना है, और कुछ जगहोंमें इसके स्पष्ट चिह्न भी उभरने लगे है। विदेशी सूत ज्यादातर ४० नम्बरसे ऊपरका आता है। हमारी मिलें या चरखें इतना महीन सूत शीघ्र ही पर्याप्त मात्रामें उत्पादन कर सकनेमें असमर्थ है। अतएव जबतक जुलाहोंतक ऐसा स्वदेशी सूत पहुँचानेकी पूरी व्यवस्था न हो जाये, तबतक सूतके बहिष्कारको रोके रखना आवश्यक है?

गुलामीमे फसे हुए, कँगाल देशमे, इस सबसे मुक्त होनेकी कोशिश करते हुए किसी को कुछ तकलीफ ही न उठानी पडे, यह कैसे हो सकता है? इतिहासमे कही इस तरहका दृष्टान्त नही मिलता। जो जुलाहे आज विदेशी सूत बुनते है, एक जमाना था जब उनसे कही अधिक सख्यामे जुलाहे हाथ-कता सूत बुनते थे। मेरी बात माने तो मै फिलहाल इन बेकार जुलाहोसे हाथका सूत ही बुनवाऊँ। ऐसी कठिनाइयोके बारेमे इतना समझ लेना काफी है कि जिन्होने विदेशी सूतका उपयोग किया है या उसका व्यापार किया है, उन्हे आज नुकसान हो या परेशानी उठानी पड़े तो यह उनके आजतकके दोषोका प्रायश्चित्त है।

विदेशी सूतकी अपेक्षा विदेशी रेशमी सूत (स्पनसिल्क), जिसे 'गुल' कहा जाता है, और ऊनी सूतका प्रश्न कठिन इसीलिए अधिक है कि ये दोनों प्रकारके सूत देशमें तो तैयार ही नहीं होते और विदेशोंसे ही आते है। इनपर हजारों हाथ-करघे निर्भर है, इसलिए इनके बन्द होते ही बड़ी संख्यामें कारीगर लोग बेकार होने लगे है। दूसरी बात यह है कि इनसे बननेवाले कपड़ेकी कीमतका ६० से ७५ फीसदी हिस्सा देशमें रहता है। ऐसी दशामें क्या इस उद्योगको नष्ट करनेसे स्वदेशीको फायदेके बजाय नुकसान न होगा? और यदि नुकसान हो तो क्या जरूरी नहीं है कि इस सूतका बहिष्कार न किया जाये?

ऊपर इसका जवाब आ चुका है। महान् आन्दोलनोमें बारीक बनियागिरीके हिसाब नही किये जाते। ऐसे हिसाबसे प्रचण्ड भावनाओको धक्का पहुँचता है।

> आप कहते हैं कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार खादी द्वारा ही हो सकता है; परन्तु पिछले साल जब यह बहिष्कार बहुत बड़े पैमानेपर शुरू हुआ तो खादी करीब-करीब खत्म हो चुकी थी, और बादमें जब खादी काफी तादादमें मिलने लगी तब बहिष्कार आन्दोलन बहुत आगे बढ़ चुका था। बहिष्कारकी इस सफलताके दो मुख्य कारण थे। एक तो हाथ तंग होनेसे और श्रीयुत विट्ठलभाई पटेलकी सलाहसे लोगोंने कपड़ेकी आवश्यकता कम की, और दूसरी ओर मिलोंने अपना उत्पादन खूब बढ़ाया। इस तरह मिलके कपड़ेने अधिकतर विदेशी कपड़ेका स्थान ले लिया — इससे क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि खादी उत्पादनकी अपेक्षा मिल कपड़ेकी वृद्धि और जनताकी घटी हुई आवश्यकता, इन दो साधनों द्वारा बहिष्कार विशेष रूपसे आसान हो सकता है?

जो सफलता मिली है, उसका श्रेय खादीकी भावना और गरीबोकी सहायता करनेकी भावनाको है। देशी मिले चाहे जितना अधिक उत्पादन करे, किन्तु अगर भावना न हो तो बहिष्कार नही हो सकता। नया कपडा न खरीदनेकी सलाह बिना भावनाके अपनाई ही नही जा सकती। खादीका अभाव तो एक-दो महीनेतक रहा। एक-दो महीनोके बाद तो खादीका ढेरो उत्पादन होने लगा। यदि माँग हो तो चाहे जितनी खादीका उत्पादन थोडे ही समयमे हो सकता है। क्योकि खादीके लिए जो साधन तैयार हैं, वे देशी मिलोमें कपडा उत्पादनके लिए उपलब्ध हो ही नही सकते। कुदरत खादीके अनुकूल है। देशी मिलो वगैराको कुदरतके खिलाफ जाकर श्रम करना पडता है; इसे मैं दोष नही गिनता। कुदरतके खिलाफ चलनेके लिए मनुष्यको बहुत कुछ करना पडता है, और कुछ हदतक वह जरूरी भी होता है। आज तो कुदरतको बीचमे डालकर और यह बताकर कि वह खादीके अनुकूल है, मैं वस्तुस्थितिका ही दर्शन करा रहा हूँ। हमने अनुभवसे यह देखा है कि खादीयुग आनेके बाद ही हम विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको सम्भव मानने लगे और उसके बाद ही लोक-जागृति हुई। खादी हो तभी हम मिल-मालिकोको कुछ हदतक स्वार्थके पजेसे मुक्त रख सकते है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-४-१९३१

३९. पत्र : जे० एच० गेरेटको

बोरसद
२६ अप्रैल, १९३१

आपका २४ तारीखका पत्र मिल गया।

मेरे पत्रके एक वाक्यको[1] उसके सन्दर्भसे काटकर इस तरह पेश करना कि उस अलग-थलग वाक्यका अर्थ अपने सन्दर्भमे निहित मूल अर्थसे कही व्यापक लगने लगे उचित नही कहा जा सकता। यदि आप काग्रेसकी हैसियत समझौतेमें शामिल एक प्रतिनिधिकी मानते है तो यह कहाँतक उचित है कि मामलतदार, प्रतिनिधियोसे सलाह किये बिना ही उस नोटिसके स्थानपर ऐसा नोटिस जारी कर दें जिसके सम्बन्धमे मैंने शिकायत की थी?

मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी भेटके फलस्वरूप मुझे आपसे जिस मैत्रीपूर्ण सहयोगकी आशा थी, वह मुझे कही दिखाई नही दे रहा है। मै फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि समझौतेके प्रति वही भावना रखिए, जिससे प्रेरितहोकर लॉर्ड इर्विनने समझौता किया था। आप जो मार्ग अपना रहे है वह झगडा बढ़ानेवाला है। मै आपको आश्वस्त करता हूँ कि मै समझौतेपर यथासम्भव अधिक-से-अधिक मैत्रीपूर्ण भावनासे अमल करना चाहता हूँ। क्या आप भी अपना हाथ आगे नही बढ़ायेगे?

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

४०. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

स्थायी पता,
बोरसद
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

इस महीनेकी २४ तारीखके आपके पत्रके[2] लिए धन्यवाद। मै श्री गेरेटके नाम इसी महीनेकी २० तारीखके अपने पत्रकी एक प्रति आपको नही भेज पाया; इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मै अब उस त्रुटिकी पूर्ति करते हुए इसके साथ आपको उसकी एक प्रति तथा उल्लिखित परिपत्रका अनुवाद भी भेज रहा हूँ। इस प्रतिसे आप देख सकेगे कि मैंने ऐसा दावा तो कभी नही किया कि सरकार और जनतामे

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. देखिए परिशिष्ट २।

४२. पत्र : ई० स्टेनले जोन्सको

बारडोली
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

आपकी खुली चिट्ठी पाकर मुझे गहरा धक्का लगा। दुःख इसलिए भी ज्यादा हुआ कि इस तरहके समाचारकी सचाईपर स्वय आपको यकीन नही था। और गलत-बयानीके कारण आपको स्वय ही कष्ट भोगना पडा। यदि आप इतनी लम्बी चिट्ठी लिखनेके पूर्व केवल एक लाइन लिख देते तो आप और मै ईश्वरका दिया कितना कीमती समय बचा पाते। जो कुछ हुआ है, उसके लिए 'गीता'की भाषामे कहे तो आप चोरीके अपराधी है और आपके इस व्यवहारसे एक मित्रका अहित हुआ है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तीन अनजान मित्रोने अधिक सावधानी से काम लिया। उन्होने लिखकर पूछा कि क्या वह समाचार मेरे विचारोको सही ढगसे प्रस्तुत करता है। भविष्यमे जब कभी आप कुछ ऐसी बात सुनें जिससे आपके मनमे बनी मेरी आकृति बिगडती हो तो इस तरह खुली अथवा निजी चिट्ठी भेजनेकी अपेक्षा कृपया पहले मुझसे पूछताछ कर ले। अन्तमे मै यह कहूँगा कि यदि आपने कभी मुझे अपना स्नेह दिया है, मै जानता हूँ कि आपने स्नेह दिया है, तो आपकी खुली चिट्ठीके बारेमें 'यंग इडिया'मे प्रकाशित मेरे लेखको[1] पढनेके बाद आपको यह लगेगा कि मेरे प्रति अपनी भावना बदलनेकी आपको कोई आवश्यकता नही है। और यदि आपके अनुसार मै भूल भी करूँ, तो भी आप मुझे अपना स्नेह क्यो नही देगे? क्या स्नेहके लिए भी किसी तरहका सोच-विचार जरूरी होता है?

हृदयसे आपका.

रेवरेड ई० स्टेनले जोन्स
सततात आश्रम, सततात (जिला नैनीताल)

अग्रेजी (एस० एन० १७०१५) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "विदेशी मिशनरी", २३-४-१९३१।

४३. पत्र : सरदार सुरेन्द्रसिंहको[1]

बारडोली
२६ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्र तथा सिख लीगमे पढे जानेवाले आपके भाषणकी[2] प्रति मिली। इसके लिए धन्यवाद। आपके पत्रके कुछ अंशोसे मै पूरी तरह सहमत हूँ। यदि हम साम्प्रदायिकताकी छायासे भी दूर रह पाते तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा लगता है कि यदि निकट भविष्यमें कोई समझौता हुआ तो उसमें कुछ न कुछ अशोमें साम्प्रदायिकताकी भावना रहेगी।

मै उस व्यक्तिकी राष्ट्रीयताको समझ नही पाता जो राष्ट्रवादी केवल तभी रहता है जब अन्य सभी लोग राष्ट्रीय भावनाका पालन करे। ऐसा न हो तो उसकी भावना कट्टर साम्प्रदायिकतामे परिवर्तित हो जाती है।

आपको वयस्क मताधिकारसे जो डर है, वह मुझे नही है। हर प्रकारके मताधिकारका दुरुपयोग हो सकता है, पर वयस्क मताधिकारका कमसे-कम होता है। फिर मेरे पास एक प्रभावकारी तरीका भी है, जो कुछ अंशोमे इस शरारतको रोक सकेगा। परन्तु इस समय उसके सविस्तार वर्णनकी आवश्यकता नही है।

मैं आपके इस विचारसे भी सहमत हूँ कि हमे जनताके लिए बड़े पैमानेपर शिक्षाकी सुविधाएँ जुटानी चाहिए। बच्चोंकी अपेक्षा उन वयस्क पुरुषो व स्त्रियोकी शिक्षा अधिक जरूरी है जो अच्छा या बुरा कर सकनेकी शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं। मै सोचता हूँ कि यह शिक्षा कांग्रेसने चाहे सदा सफलताके साथ और सदा ठीक ढंगसे न दी हो, पर कुल मिलाकर तो सफलताके साथ और ठीक ढगसे दी है।

कार्यकुशलता तथा सार्वजनिक ईमानदारीका सम्बन्ध बड़े वेतनोंके साथ जोड़नेको मैं शासकोका फैलाया एक मोह-जाल मानता हूँ। इस मोह-जालसे हम जितनी जल्दी छुटकारा पा सके उतना ही अच्छा होगा। आजकलके सरकारी अफसरोको प्रभावित किया जा सकता है और यह तो खुले आम रिश्वत लेनेसे अधिक घातक है। मै देशके आज प्रशासनको कुशल नही मानता। हाँ, इससे यूरोपवासियोंके प्राणोकी बन्दूककी नोकसे रक्षा जरूर होती है; पर सामान्य जनताकी नही। मै समझता हूँ, इस देशमे ऐसे देशभक्त स्त्री-पुरुषोंकी कमी नही है जो, स्वतन्त्रता मिलनेपर, गुजारे लायक वेतन पर खुशीसे सेवा करेगे। वह वेतन लाखों मेहनतकश, भूखे लोगोको औसत आयसे बहुत अधिक नही होगा। अगर अज्ञान गरीबीका कारण है तो उसका उतना ही बड़ा कारण वह निर्मम शोषण भी है जिसकी कही मिसाल नही मिलती।

१. तत्कालीन कृषि विभागके एक सदस्य।
२. सिख लीगकी बैठक ८ अप्रैलको अमृतसरमें हुई थी।

इस प्रकार यद्यपि हमारा मतभेद है फिर भी मैं आपके पत्र तथा उसके साथ भेजे भाषणकी कद्र करता हूँ। उन्हे मैंने पर्याप्त रुचिसे पढ़ा है। इसलिए अगर आप भविष्यमे कोई महत्वपूर्ण बात मुझे लिखना चाहे तो अवश्य लिखनेकी कृपा करे।

हृदयसे आपका,

सरदार सुरेन्द्रसिह
पजाब सिविल सेक्रेटेरिएट
लाहौर

अग्रेजी (एस० एन० १७०१६) की फोटो-नकलसे।

४४. भाषण : अकोटीके ग्रामीणोंके बीच

२७ अप्रैल, १९३१

गांधीजी जब यहाँ आये तो गाँवके लोगोंने उन्हें बताया कि उनकी लगभग ५०,००० रुपयेकी धानकी फसल, जो गाँवकी प्रमुख उपज है, जब्त करके एक पारसीको १४०० रुपयेमें बेच दी गई है। उनके पास जीवन-निर्वाहका और कोई साधन नहीं है। कांग्रेससे मिलनेवाली सहायतापर ही वे गुजर कर रहे हैं। इसपर भी मामलतदार उन्हें लगान जमा करानेको कह रहे है।

गांधीजीने कहा कि उनकी दशाको देखते हुए, समझौतेके अधीन उन्हें लगान जमा करानेके लिए कुछ समयकी मोहलत मिल सकती है। गांधीजीने उन्हें तथा गुजरातके अन्य किसानोको सलाह दी कि अगर सम्भव हो तो वे लगान जमा करा दें। किन्तु यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हे लगान देनेसे इन्कार करनेसे डरना नहीं चाहिए तथा जो भी नतीजा निकले उसे शान्तिपूर्वक सहनेको तैयार रहना चाहिए।. . .

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २९-४-१९३१

४५. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, बोरसद
२७ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं अपने पिछले पत्रके साथ एक महत्त्वपूर्ण पत्रकी[1] प्रति नही भेज पाया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब उसे भेज रहा हूँ। इनके बाद और भी पत्र व्यवहार हुआ है। मनमे शका उत्पन्न करनेवाली कुछ और भी बातें है, किन्तु उनका अभी उल्लेख करना जरूरी नही है।

आपको याद होगा कि भारत सरकारने बम्बई सरकारके प्रतिवेदनके आधार पर दमनकारी कदम उठानेकी छूट दे दी थी। उस प्रतिवेदनकी एक प्रति आपने मुझे दी थी। मैं आपको बतला ही चुका हूँ कि वह प्रतिवेदन कितना भ्रामक था और मेरी रायमे जनताने इस तथ्यके बावजूद कि स्थानीय अधिकारियोने कई मामलो-मे समझौतेकी शर्तोंको अबतक पूरा नही किया है, कितनी सदाशयताके साथ अदायगी की है। मैं साथमे एक सूची संलग्न कर रहा हूँ, उससे मेरे कथनकी पुष्टि हो जायेगी। ये दमनकारी नोटिस देनेके बजाय इन लोगोके साथ कोई अच्छा बरताव किया जाना चाहिए था। आपका ध्यान मैंने जिन विषयोकी ओर दिलाया है, यदि वे स्पष्ट न हों और यदि आप आवश्यकता महसूस करते हो, तो मुझे शिमला बुला सकते है और यदि आप मुझे शिमला बुलाते है, तो आवश्यक है कि कम-से-कम हमारी बात होनेतक तो सारी दमनकारी कार्रवाइयाँ आप बन्द करा दे।

समझौतेको भग न होने देनेमे मुझे आपकी सहायताकी जरूरत है। मैं लॉर्ड इर्विनको वचन दे चुका हूँ कि समझौता भग न होने देनेकी दृष्टिसे मैं ऐसा कोई भी काम, जिसे न करना मेरे लिए अशोभनीय न हो, नही करूँगा। लेकिन ताली दोनो हाथोसे ही बजती है। मैं यह मानते हुए आश्वस्त हूँ कि आप भी यदि आपसे बन पडा तो अपनी ओरसे इस समझौतेको, जिसे आपने बिलकुल ही उचित सज्ञा देते हुए, सज्जनोका करार, कहा है, भंग नही होने देंगे।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह-सचिव, भारत सरकार, शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-वी, १९३१ से; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय; यंग इंडिया, २०-८-१९३१ से भी।

१. देखिए "पत्र : जे० एच० गेरेटको", २०-४-१९३१।

४६. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

बोरसद
२८ अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

नमक-कानूनोमे समझौतेकी शर्तोके अनुसार ढिलाई करनेके लिए जारी की गई सरकारी हिदायतोकी एक प्रति मुझे मेरे एक मित्रने दी है, लेकिन मैंने सरकारके इस निश्चयके बारेमे समाचारपत्रोमे कुछ नही पढा है। अपने साथियो या आम जनताको इस सम्बन्धमें कुछ सुझाने-समझानेका कार्य मैंने जान-बूझकर रोक रखा है; क्योकि श्री एमर्सनने मुझे यह बताया था कि नमक-प्रशासनसे सम्बन्धित हिदायतें सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित की जायेगी। कृपया मुझे सूचित करे कि क्या बम्बई सरकार इस सम्बन्धमे सार्वजनिक रूपसे कोई निश्चित आदेश जारी करनेवाली है, ताकि मामलेसे सम्बन्धित लोग अपनी ठीक-ठीक स्थिति जान सके। इस सम्बन्धमें मुझसे कई लोगोने पूछताछ की है।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एम० मैक्सवेल,
बम्बईके गवर्नर महोदयके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६–सी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

४७. तार : ठाकुरदास खुशालदासको[1]

[२८ अप्रैल, १९३१ के बाद]

अगर लोग तर्कयुक्त बात नही मानते तो आप फिलहाल उन्हे उनकी मर्जीके मुताबिक कार्य करने दे।

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या ३–ए, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. जिला काग्रेस कमेटी, मिरपुरखास, (सिन्ध) के मन्त्री; उन्होंने अपने दिनाँक २८ अप्रैलके पत्रमें मीरपुर खासके कपडा-व्यापारियोंके काग्रेसकी हिदायतोंके विरुद्ध सील लगे विदेशी कपडेको बेचनेके निर्णय और उसके उत्तरमें भूख-हडताल और धरना शुरू करनेके सत्याग्रहियों द्वारा लिए निर्णयके सम्बन्धमें गाधीजीकी राय माँगी थी।

४८. खेड़ा जिलेके किसानोंसे

[२९ अप्रैल, १९३१][1]

मैंने 'नवजीवन'[2] मे लगान देनेके बारेमे लिखा है कि कर्ज लेकर लगान भरनेके लिए किसान[3] बाध्य नही है। यह टिप्पणी उस विषयको और भी अधिक स्पष्ट करनेके विचारसे लिख रहा हूँ।

(१) हिजरतमें गया हो या न गया हो, जिस सत्याग्रही किसानको सत्याग्रहमे भाग लेनेके कारण अच्छा खासा नुकसान हुआ हो, वह ब्याजपर कर्ज लेकर लगान अदा करनेके लिए बाध्य नही है।

(२) मेरी राय है कि जिन्होने सत्याग्रहमें भाग लिया ही नही और जिनको सत्याग्रहमें भाग लेनेपर भी नुकसान नही हुआ, उन दूसरे सभी किसानोका कर्त्तव्य है कि वे अबतक जैसा करते आये है, उसी तरह ब्याजपर भी पैसा लेकर फौरन लगान अदा कर दे।

(३) जिन किसानो पर पहली बात लागू होती है उन्हे जानना चाहिए कि उनकी रक्षा समझौतेके अनुसार चलनेमें है। मेरी ऐसी मान्यता होनेके कारण उनका लगान अगले वर्षतक मुल्तवी करानेका मै पूरा प्रयत्न करूँगा। किन्तु यदि मेरा प्रयत्न निष्फल हो जाये तो सम्भव है कि उनको बहुत कष्ट उठाना पडे। इसलिए यह सुझाव उन लोगोके लिए नही है जो यह कष्ट सहन करनेके लिए तैयार न हो।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३-५-१९३१

४९. पत्र : चारुप्रभा देवीको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

प्रिय चारुप्रभा,

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। निश्चय ही अहिंसाके विषयमे तुम्हारे या मेरे विचारोसे मतभेद रखनेवाले तरुणोके साथ काम करनेसे तुम्हें इन्कार नही करना चाहिए। बल्कि तुम्हे आशा यह करनी चाहिए कि तुम अपने स्नेहके बलपर और उससे भी कही अधिक अपने नित्य-प्रतिके आचरणमें अपने तरीकेसे कार्य-साधकता

१. ३०-४-१९३१ के हिन्दूके अनुसार।
२. १९-४-१९३१ के अंकमें, देखिए १३-१४।
३. गृह-विभागकी राजनीति सम्बन्धी फाइलमें उपलब्ध अनुवादमें इस शब्दकी जगह 'खातेदार' है।

सिद्ध करके उनका हृदय-परिवर्तन कर सकती हो। मुझसे लम्बे-चौडे पत्रोकी आशा न रखना। अशुद्ध अग्रेजीके लिए क्षमा-याचनाकी कोई आवश्यकता नही है। किसी विदेशी भाषामें गलती करनेपर हमें लज्जाका अनुभव किसलिए हो? फिर भी मै इतना अवश्य चाहूँगा कि तुम हिन्दी सीख लो और हिन्दीमें लिखने लगो। हिन्दी तुम बहुत जल्दी सीख सकती हो।

बापू

चारुप्रभा देवी
राजबाड़ी (बंगाल)

अग्रेजी (जी० एन० ८७०१) की फोटो-नकलसे।

५०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको

[स्थायी पता] साबरमती[1]
२९ अप्रैल, १९३१

आपके कई पत्र[2] मिले। ऊपरसे ऐसा लग सकता है कि मैंने आपकी उपेक्षा की है। सच तो यह है कि मुझे समय ही नही मिला। कराचीने मुझे थका डाला और बिलकुल ही त्रस्त कर दिया। थकावट अभीतक पूरी तरह नही गई है। मुझे दिनमें दो या तीन बार सोना पडता है, ताकि मै आवश्यक कामोको पूरा करनेके लिए तरोताजा हो सकूँ।

आशा है, आपकी बहन अगर पूरी तरह नही, तो कम-से-कम पहलेसे तो स्वस्थ है। उसे मेरा स्नेह दे।

आपने यह मान लिया है कि मै लन्दन जा ही रहा हूँ। मै जानेकी बात निश्चयपूर्वक नही कह सकता; और इतना निश्चित है कि यदि हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान न हुआ तो मै लन्दन नही जाऊँगा। अभी ऐसी सम्भावना नजर नही आती। इसके अलावा गुजरातमें तो खुद समझौतेके ही पूरी तरह भंग हो जानेका जबर्दस्त खतरा है। यो, मै तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँका अधिकारी वर्ग समझौतेका पालन करे। लेकिन सघर्ष अत्यन्त ही कठिन है। आप जानते ही है कि अधिकारी लोग राजस्वके मामलोमें कितनी मुश्किलसे थोड़ा-सा भी सुननेको तैयार होते है। पर यदि मै वहाँ आया और अपने मनकी कर सका तो मै म्यूरियल लेस्टरका निमन्त्रण स्वीकार करना चाहूँगा। अगर आप समझते हो कि यह ठीक नही होगा और घनश्यामदासके होस्टलमे रहना ही ज्यादा ठीक रहेगा, तो आप उनसे मिल लेनेकी कृपा अवश्य करे।

१. गांधीजी ११ मई तक बोरसदमें थे फिर शिमला चले गये थे। इस पत्रमें और अन्य पत्रोंमें भी यह पता केवल उत्तर प्राप्त करनेकी सुविधा की दृष्टिसे दिया था।

२. इंग्लैंड और अमेरिकासे लिखे गये पत्र।

और अब ट्रान्सवालकी समस्या। यह समस्या तो दिनोदिन कठिन बनती जा रही है। मेरी समझमें भारत जबतक स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक इस समस्याका निकट भविष्यमें कोई समाधान नहीं निकल सकेगा। हाँ, वहाँ रहनेवाले भारतीयोंको जैसे-तैसे अपना अस्तित्व तो बनाये ही रखना पड़ेगा। उनमें सूझबूझ तो बहुत है, परन्तु उनको गरीबीमें ही दिन काटने पड़ेंगे। फिर भी जो-कुछ हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस सिलसिलेमें सबसे अधिक योगदान आपको ही करना है। इस दिशामें कुछ करनेकी मुझमें तो जैसे क्षमता ही नहीं रह गई है। किन्तु भेंट होनेपर हम लोगोंको इस परिस्थितिपर चर्चा अवश्य करनी चाहिए और हो सकता है, मैं इस परिस्थितिसे निबटनेका कोई कारगर उपाय भी सुझा सकूँ।

आशा है, 'यंग इंडिया'की प्रति आपको ठीक-ठीक मिल रही होगी। मेरा यह पत्र उस साप्ताहिक पत्रका एक परिशिष्ट-मात्र है।

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२४) की फोटो-नकलसे।

५१. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

प्रिय मित्र,

घनश्यामदास बिड़लाने कहा था कि कुछ पंक्तियाँ ही क्यों न हों, मैं आपको पत्र अवश्य लिखूँ। पर मैं लिख नहीं पाया; रोज ही काफी बड़ी संख्यामें आनेवाले पत्रोंको पिछले सप्ताहतक तो मैंने देखना लगभग छोड़ ही रखा था। प्यारेलाल और महादेवने उन पत्रोंके उत्तर अपनी इच्छाके अनुसार दिये थे और मैं जानता था कि आप भी मेरी इतनी अधिक व्यस्ततामें मुझसे पत्र की आशा नहीं रखेंगे। अब जाकर कुछ पत्र लिखवानेकी फुरसत मुझे मिली है; तो सवाल है कि मैं आपको क्या लिखूँ? आप यह क्यों समझते हैं कि यदि आपके तार या पत्रोंकी प्राप्ति-स्वीकृति नहीं पहुँची तो उनपर विचार भी नहीं किया गया? विचार उनपर किया गया था। दुर्भाग्यकी बात यह है कि आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सका। सर तेज बहादुर सप्रू-जैसे विधि विशेषज्ञने सजाओंकी[1] वैधताके बारेमें वाइसरायके साथ बारीकीसे बातचीत की थी और आप जानते ही हैं कि उनका वाइसरायपर कितना प्रभाव है। लेकिन वह सब भी निष्फल ही रहा। इसलिए कांग्रेसके सामने एक ही चारा रह गया था; और फिर उसे वैसा ही रुख

१. भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरुकी।

अपनाना पडा। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका दुःख न मानें। याद रखिए, अब काग्रेसपर नई पीढीके लोगोका प्रभुत्व है। ये लोग कानूनी तौर-तरीको की परवाह नही करते। उन्होने अपने अनुभवसे देखा है कि आजादी प्राप्त करनेके लिए ये कानूनी तौर-तरीके कितने प्रभावहीन सिद्ध हुए है और अपने कटु अनुभवों द्वारा उन्होने यह भी जान लिया है कि आजादीको मर्यादित करनेमें ये कानूनी फदे कितने शक्तिशाली रहे है। इसलिए यह मानकर कि ये नौजवान, स्त्री-पुरुष कुल मिलाकर एक सही दिशामें जा रहे हैं, आप इन्हे आशीर्वाद देकर ही सन्तोष क्यो नही करते? लेकिन इसका अर्थ यह भी नही कि आप काग्रेसको — विशेषकर मुझे अपनी बहुमूल्य सलाहसे वचित रखे। आप यह मानकर अवश्य न चले कि आपकी हर सलाहपर अमल किया ही जायेगा। मै आशा करता हूँ कि वृद्धावस्थाके प्रभावके बावजूद आप चगे है; और देशमें होनेवाले भारी परिवर्तनोको समझते चल रहे है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० विजयराघावाचार्यिर
आराम
सेलम

प्रतिलिपि: घनश्यामदास बिड़लाको

अग्रेजी (एस० एन० १७०२२)की फोटो-नकलसे।

५२. पत्र : आर० बी० ग्रेगको

[स्थायी पता] साबरमती
२९ अप्रैल, १९३१

प्रिय गोविन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। मैने उसे मीराको भी पढकर सुनाया। मीराको लिखे अपने पत्रमे तुमने जो चिन्ता व्यक्त की है, मै उसे समझता हूँ और ठीक भी मानता हूँ। मैं नही जानता कि मेरा लन्दन जाना होगा भी या नही। अगर मुझे साफ तौरपर यह नही लगता कि मै वहाँ पहुँचकर अपनी बात लोगोको समझा सकूंगा, तो मै बिलकुल नही जाऊँगा। मुझे शुरूसे ही लगता रहा है कि अभी इस समय मेरी बात स्वीकार किये जानेकी कोई सम्भावना नही है। फिर भी यदि काग्रेस सुलहकी शर्तोपर चर्चा करनेका प्रस्ताव स्वीकार न करती, तो अपनेको गलत स्थितिमें डाल लेती। लेकिन उसे स्वीकार करनेसे अब हम सब ओरसे सुरक्षित है। अगर वार्ता द्वारा स्थायी शान्तिकी स्थापना हो सकती है तो यह बहुत अच्छी और शानदार बात होगी। इसलिए मै इसे पानेके लिए कोशिश करनेमें कोई कसर नही रहने दूंगा। वार्ता निष्फल रही, तो भी स्थिति उतनी ही अच्छी और शानदार रहेगी। वह स्थिति

भारतकी कसौटी होगी और तब उसे कहीं अधिक कष्ट सहन करनेकी अपनी क्षमताका परिचय देना होगा। भोज या अन्य प्रकारके स्वागत-समारोहोंमें मेरे आमन्त्रित किए जानेका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कुछ खा नहीं सकता और मेरी लँगोटीके कारण मुझे बर्नमकी प्रदर्शनीकी[1] किसी शानदार चीजकी भाँति प्रदर्शित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि मैं लन्दन गया तो केवल ठोस कामके लिए और वहाँ कतिपय गिने-चुने मित्रोंके हार्दिक स्नेहका रसपान करनेके लिए ही जाऊँगा। वहाँ क्या होगा — मैं ऐसी अटकलबाजीमें नहीं पड़ता। ईश्वर मुझे जहाँ भी ले जायेगा, वहाँ मैं इसी विश्वासके साथ जाऊँगा कि अपने निर्देशित मार्गपर चलनेसे सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

मेरी अमेरिका-यात्राके सम्बन्धमें फैली अफवाहोंपर विश्वास मत कीजिए। मनमें उस महान देशकी यात्रा करनेकी इच्छा तो बहुत है, परन्तु मैं जानता हूँ कि अभी उसका समय नहीं आया। मैं वहाँ चार दिनके लिए एक अजूबा बननेमें ही नहीं आना चाहता।

तुमको और राधाको स्नेह।

हृदयसे तुम्हारा,
बापू

श्री आर० बी० ग्रेग
५४३, बायल्स्टन स्ट्रीट
बोस्टन, मैसाच्युसेट्स

अंग्रेजी (जी० एन० ४६६३)की फोटो-नकल तथा एस० एन० १७०२३से भी।

५३. पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

चि० जमनादास,

तू तो बिलकुल पत्र नहीं लिखता, ऐसा क्यों? मैं तुझे पत्र लिख नहीं सकता, किन्तु तेरा खयाल तो आता ही रहता है। तेरी मानसिक दशा कैसी है? माता-पिता कैसे हैं? पाठशाला कैसी चल रही है? जेलका कोई अनुभव लिखना। नया राजा कैसा है? पुरुषोत्तमको पत्र लिखनेको कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९१)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : जमनादास गांधी

१. १८५१ के आसपास इंग्लैंडमें बर्नम प्रदर्शनियाँ अपने प्रदर्शनोंके अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनोंके लिए प्रसिद्ध थीं।

५४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बोरसद
२९ अप्रैल, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपके दो पत्र मीले है। विजयराघवाचारीजीको पत्र[1] लिखा है उसका नकल भेजता हुँ।

हिंदु-मुस्लीम बारेमे क्या लिखु? नवाबसाहब भोपाल काम कर रहे है। जब मौका मिले तब कोई भी मुसलमान मिले उसकी सेवा करना। सेवाका मतलब आर्थिक सहाय नहिं है। योग्य गरीब मुसलमान मिल जावे उसे आर्थिक सहाय देना वह तो है हि। और हिंदुमें जो गुडावाजी पैदा हुई है उसको दूर करनेकी चेष्टा करना भी कर्त्तव्य है। जो अत्याचार कानपुरमें और काशीमे हिंदुसे हुए उससे हिंदु धर्मको लाभ नहिं हुआ है, हानि अवश्य हुई है।

मेरा विलायत जाना होगा या नहिं कुछ पता अब तक तो नहिं है। यहांका मामला गंभीरसा है।

आप अमेरीका अवश्य जाइये। जानेसे कुछ लाभ हि होगा।

विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके बारेमे जो कुछ शक्य हो करो।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा है।

बापू

सी० डब्ल्यू० ७८८५ से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिडला

५५. मेरी लँगोटी

दिल्लीमें व्यापार मण्डलकी सभाके सामने मैंने कहा था कि भारतीय सस्कृतिको हमें पश्चिमी सभ्यताके हमलेसे नष्ट नही होने देना चाहिए। इस कथनसे एक आलोचक बिगड उठे है। उन्होने पहले तो भारतीय सस्कृति और लगोटीको अभिन्न मान लिया है और फिर उसकी निन्दा की है। चर्चिलने सारी दुनियामें मेरी लँगोटीका विज्ञापन करनेकी अयोचित कृपा की है। इसलिए, उक्त टीकाकारकी तरह उसका मजाक उडानेका रिवाज-सा पड गया है। ऐसी हालतमें उसका अर्थ समझा देना ठीक होगा।

१. देखिए पृष्ठ ५३-५८।

सन् १९२१ में मौलाना मुहम्मद अली और मैं दक्षिण भारतकी यात्रा कर रहे थे कि वाल्टेरमे मौलाना गिरफ्तार कर लिये गये।[1] पर उनकी बेगम हमारे साथ थी। मौलानाको इस तरह उनसे जुदा कर दिया गया। मेरे दिलपर इसका गहरा असर पडा। बेगम साहिबाने बहादुरीके साथ इसे सहा और वे मद्रासकी सभाओंमे हाजिर रही। उन्हे मद्रासमें छोड़कर मैं मदुरा गया। मैंने रास्तेमें देखा कि डिब्बोंमें लोगोंकी जो भीड़ थी, उसपर इस घटनाका कोई असर नही है। लगभग सभी रग-बिरंगे विदेशी कपडे पहने हुए होते थे। चूँकि अलीभाइयोको छुडानेके लिए मेरे पास खादीके सिवा और कोई रास्ता न था, इसलिए उनमेंसे कुछके साथ मैंने बातें की, और उनसे खादी पहननेके लिए कहा। उन लोगोने तो सिर हिलाकर कहा—हम इतने गरीब है कि खादी नही खरीद सकते, खादी तो बहुत महँगी है। इस बातके मूलमें छिपे हुए सत्यको मैं पहचान गया। मै कुर्त्ता, टोपी और पूरी धोती पहने था। ये लोग जब इस अर्द्ध-सत्यका उच्चारण कर रहे थे, तभी चार इंच चौड़ी और करीब चार फुट लम्बी लंगोटीको छोडकर, जो करोड़ो लोग विवशताके कारण नगे ही रहते है मानो अपने खुले शरीरके द्वारा इस नग्न सत्यका उच्चारण कर रहे थे। मुझे लगा कि सभ्यताका त्याग किये बिना यदि मै अनावश्यक एक-एक इच कपडेका त्याग कर सकूँ, तो उन करोड़ो अधनंगे लोगोके रहन-सहनके अधिक समीप होकर उनसे अपनेको जोड सकूँगा। इसके सिवा और अधिक पुरअसर जवाब मै उन लोगोंको क्या दे सकता था? फलतः यह परिवर्तन मैंने मदुराकी सभाके बाद दूसरे दिन[2] सवेरे ही कर डाला।

इसलिए इसमे लँगोटीवाली सभ्यताका तो सवाल ही नही है। लँगोटी पहननेके सिवा मेरे पास और कोई चारा ही न था। परन्तु जिस हदतक लँगोटी सादगीकी निशानी है, उस हदतक वह भारतीय संस्कृतिका प्रतीक भी मानी जा सकती है। भारतीय सस्कृति संस्कृतियोंका मिश्रण है। ये संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न धर्मोसे निकलकर भौगोलिक तथा दूसरे जिस प्रकारके भिन्न वातावरणमे पहुँची है उनके कारण उनका रूपान्तर हो गया है। इस प्रकार मुसलमानी सभ्यताका रूप, अरब, तुर्की, मिस्र और हिन्दुस्तानमे एक ही नही है, बल्कि उसपर विभिन्न सम्बन्धित देशोकी परिस्थितियोका असर पड़ा है। इसी अर्थमे भारतीय संस्कृति भारतीय ही है। वह न सम्पूर्णतया हिन्दू संस्कृति है, न इस्लामी और न कोई दूसरी। वह सब संस्कृतियोंका मिश्रण है और सच्चे अर्थोमे पूर्वकी संस्कृति है। मेरे मनमे तब भारतीय संस्कृतिका यही अभिप्राय था। अपनेको भारतीय कहलानेवाले हरएक स्त्री-पुरुषका धर्म है कि वह इस संस्कृतिको अपनाये, इसका रक्षक बने और इसपर होनेवाले आक्रमणोका सामना करे।

निस्सन्देह यूरोपकी सभ्यता यूरोपीयनोके लिए अनुकूल है; फिर भी अगर हम उसकी नकल करेंगे, तो उसका परिणाम हिन्दुस्तानका नाश ही होगा। इस बातका यह अर्थ नही है कि उनमें जो अच्छा और ग्राह्य हो वह भी न ले; उसी प्रकार

१. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १००-१०१।

२. २२ सितम्बर, १९२१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १६३-६४।

इसका यह अर्थ भी नही है कि उनमें जो खराब बाते घुस गई है, स्वय यूरोपियनोको भी उनका त्याग नही करना पडेगा। शारीरिक सुखोकी दृष्टिसे अविरत शोध और उनकी वृद्धि एक ऐसी ही बुरी प्रवृत्ति है, और मेरा ख्याल है कि जिन भोगोके वे गुलाम बने जा रहे है यदि वे उनके भारसे दबकर तबाह न होना चाहते हो, तो स्वय उन्हे भी अपनी जीवन-दृष्टिको नया रूप देना पडेगा। हो सकता है कि मेरा यह ख्याल गलत हो, पर इतना तो मै जानता हूँ कि भारतवर्षका इस सोनेके हिरनके पीछे दौडना निश्चय ही मौतको गले लगाना है। 'सादा जीवन और उच्च विचार', एक पश्चिमी तत्त्ववेत्ताके इस सूत्रको हमे अपने हृदय-पटपर लिख रखना चाहिए। आज यह तो स्पष्ट है कि करोडो लोगोको उच्च रहन-सहनकी प्राप्ति असम्भव है, और हम मुट्ठी-भर लोग जो जन-साधारणके लिए विचार करनेका दावा करते है — उच्च रहन-सहनकी मिथ्या खोजमे उच्च विचारको खो बैठनेका जोखिम उठा रहे है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५६. मरकर अमर हुए

श्रीयुत जी० वी० केतकरने महान् वीरताकी एक घटनाका हाल भेजा है, जो यहाँ उल्लेखनीय है:

> श्री पुरुषोत्तम, जो बापू गायधनीके नामसे अधिक पहचाने जाते है, नासिक के एक नौजवान कार्यकर्त्ता थे। पिछले कुछ वर्षोसे वह नासिककी गुलालवाड़ी सार्वजनिक व्यायामशालाके सहायक मन्त्रीका काम कर रहे थे। वे समय-समय पर कांग्रेस और स्वदेशी प्रचारके कामोंमें भी हाथ बँटाया करते थे। ४ अप्रैलको नासिकमें एक मकानमें आग लगी। बापू गायधनी आग बुझानेमें जुट गये और यह मालूम होनेपर कि मकानमें बालक रह गये है, परिणामकी तनिक भी चिन्ता न करके, वे मकानमें घुस पड़े और बच्चोंको निकाल लाये। वे फिर एक बार ढोरोंको बचानेके लिए घरमें घुसे। बदकिस्मतीसे इस वक्त तक आग चारों ओर फैल चुकी थी। एक जलता हुआ शहतीर अर्राकर उनके सरपर गिर पड़ा। वे बुरी तरह जल गये और सारे शरीरपर चोटें भी आईं। घायल दशामें वे अस्पताल पहुँचाये गये, वहाँ ११वीं अप्रैलको उनका स्वर्गवास हो गया।

अगर बापू गायधनीके माता-पिता जीवित है तो उन्हे अपने ऐसे बहादुर पुत्र पर गर्व होना चाहिए। बापू गायधनी ऐसी भव्य मृत्यु पाकर अमर हो गये है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५७. गुजरातका किसान

'कुत्तेको पागल कहकर उसे गोली मार दो।' इसी तरह यह कहकर कि गुजरातका किसान सरकारी आज्ञाका अनादर करता है, उसे तबाह कर डालो। कुछ दिन पहले पत्र-प्रतिनिधियोसे बातचीत करते हुए मैंने कहा था[1] कि श्री बेनने भ्रमित होकर जो यह कहा है कि गुजरातका किसान वचनका पालन नही कर रहा है, यह दुर्भाग्यकी बात है। दूसरे शब्दोमें, वह लगान नही दे रहा है। जब पहली बार यह बात मेरे सामने आई तो मै चौक उठा, क्योकि मुझे विश्वास था कि अभावोसे ग्रस्त होनेपर भी गुजरातका किसान, समझौतेकी शर्तोंका अपने सामर्थ्यके अनुपातमें पूरी तरह पालन करेगा। समझौतेमें इससे अधिककी आशा भी नही रखी गई है।

दिल्लीमे मुझसे शिकायत की गई कि २८ फरवरीसे पहले बारडोली और वालोड तहसीलोमे बड़ी-बडी रकमें जमा हुई थी; किन्तु १५ मार्चको खत्म होनेवाले सप्ताहमें सिर्फ ३,२१२ ही जमा हुए। अभिप्राय यह था कि समझौतेके बाद बहुत कम लगान जमा किया गया।

७ मार्चके दिन समझौतेकी घोषणा हुई थी। सरदार वल्लभभाईके साथ मै १४ मार्चके दिन बारडोली पहुँचा था। यह जाहिर है कि हमारे बारडोली पहुँचनेके पहले किसानोसे किसी भी बातकी आशा नही की जा सकती थी, क्योंकि हमारे द्वारा परिस्थितिसे वाकिफ हुए बिना और अपने घरोको लौटे बिना वे रकमे जमा कैसे कर सकते थे। अस्तु; नीचे अबतक जमा की गई रकमोके आँकडे दिये जा रहे है:[2]

मै दावेके साथ कहता हूँ कि बारडोलीके किसानोने बहुत ही अच्छी तरह अपना वचन निबाहा है, और यह भी उस हालतमे जब कि जब्त की हुई जमीनें अबतक लौटाई नही गई है, उनमे से कुछ बेची जा चुकी है, पुराने पटेल और पटवारी फिरसे नौकरीपर नही लिये गये है, सारेके-सारे लोग अभी जेलसे नही छोडे गये है, और उनके विरुद्ध मामलोका फैसला अभीतक मुल्तवी पडा है।

पर मुझे अपनी बात यही खत्म कर देनी चाहिए। मै कहूँगा कि स्थानीय अधिकारियोके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार स्थापित करनेमे बडी कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है। नतीजा यह हुआ है कि कई बाते जो सरकारकी तरफसे बहुत पहले

१. देखिए "सेंट: पत्र-प्रतिनिधियोंको", १८-४-१९३१।

२. यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। आँकड़ोंमें दिखाया गया था कि १५ मार्च तक बारडोलीमें और वालोडमें क्रमशः २,५०० और २०,००० रुपये जमा हो चुके थे और फिर उसके बाद विभिन्न तारीखोंमें बारडोली तथा वालोडमें जमा रकमोंकी तफसील थी। उसके अनुसार २६ अप्रैल तक बारडोलीमें १,५४,४०७ रु० और वालोडमें ८३,५२८ रु० १२ आ० २ पाई जमा हो चुके थे। (विस्तृत तालिकाके लिए देखिए अंग्रेजी संस्करण)

हो जानी चाहिए थी, अबतक नही हुई है, और यद्यपि लोग लगान जमा करनेको राजी है, दमनकी धमकियाँ उनके सिरपर कच्चे धागेसे बँधी तलवारकी तरह लटक रही है। इसका आरम्भ खेडा जिलेसे हुआ है। अधिकारी यह अनुभव करते दिखाई नही पडते कि अस्थायी ही सही, इस वक्त सरकार और जनतामे सन्धि हो गई है और इस बातकी कोशिश की जा रही है कि जो सुलह आज क्षणिक और अस्थायी है, वह स्थायी हो जाये।

हमारे रास्तेमे जबर्दस्त कठिनाइयाँ है। किन्तु मै लॉर्ड इर्विनको यह वचन दे चुका हूँ कि एक मनुष्यके किए जितना हो सकता है, मै उस हदतक सुलहको भग होनेसे रोकूंगा। इस समझौतेको भलेमानसोका इकरारनामा कहा गया है। मै जानता हूँ कि लॉर्ड इर्विन सच्चे दिलसे इस बातके लिए चिन्तित थे कि सरकारी हाकिमों द्वारा समझौतेका पूरा पालन हो; और जैसा कि उन्होने कई बार कहा था, काग्रेससे समझौतेका पूरा पालन करानेकी जिम्मेदारी मेरी है।

लोगोंके सामने इतना कहते हुए भी मुझे दु:ख तो होता है; पर मै देखता हूँ कि मै इस हकीकतको अधिक समय तक नही छिपाये रह सकता कि वायुमण्डल में तूफानके आसार दिखाई पड रहे है। सत्याग्रहीके पास लोकमत और कष्ट-सहनके सिवा और कोई हथियार नही होता। पाठक इस लेखका उतना ही अर्थ लगायें, जितना मोटे तौरपर इसके शब्दोसे निकलता है। मै आशा और प्रार्थना करता हूँ कि अगले हफ्तेमें मै यह कह सकूंगा कि ये डरानेवाले बादल बिखर चुके है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५८. ग्रामवासियोंके प्रति हमारा कर्त्तव्य

पिछले वर्षके तीव्र राजनीतिक सघर्षने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सघर्षमे विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका महत्त्व और भी उभारकर सामने रख दिया है। विदेशी वस्त्रोंके आयातमे आई गिरावट इस बातका प्रमाण है कि बहिष्कारका कार्यक्रम एक हदतक कारगर सिद्ध हुआ है। परिणाम सन्तोषजनक तो है, पर हमें इतनी सफलता प्राप्त करके और सन्तुष्ट होकर बहिष्कार आन्दोलनका सच्चा प्रयोजन और उसका वास्तविक अर्थ नही भुला देना चाहिए। हमे याद रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र गाँवोकी लाखो-करोडो झोपडियोमे बसता है और बहिष्कार आन्दोलनका सच्चा और बुनियादी लक्ष्य तबतक पूरा नही होगा जबतक उसे इस ढगसे क्रियान्वित नही किया जायेगा कि उसका अधिकाश लाभ गाँवोके लोगोको ही पहुँचे। उनको इससे लाभ तभी हो सकता है जब राष्ट्र हर प्रकारके देशी वस्त्रोमे खादीको ही सबसे ऊँचा स्थान देने लगे।

ऐसा करनेके लिए जरूरी है कि हम अपनी रुचिमें तब्दीली करे। हमें मोटी, खुरदरी खादी अपनानी चाहिए। भारतमे पैदा होनेवाला कपास अधिकांशतया छोटे

रेशेका होता है, जिससे कम नम्बरका सूत ही तैयार हो सकता है। हमारे यहाँके कातनेवाले अधिकतर अपनी ही जरूरत या पासपड़ौसकी जरूरतोके लायक सूत ही कातते रहे है और अधिकाश क्षेत्रोमे वे मोटा सूत कातनेके अभ्यस्त हो गये है, इसलिए एकाएक उनके लिए अधिक महीन सूत कातने लगना मुश्किल है। लगभग समूचे उत्तर भारतमे यही हालत है। पंजाब, राजस्थान, यू० पी०, बिहार और बंगालमें जहाँ लाखोकी तादादमे चरखे बेकार पड़े है या कुछ ही समयके लिए चल पाते है, वहाँ सिर्फ मोटी खादी ही तैयार की जा रही है। दक्षिण भारतमे महीन और मध्यम दर्जेकी खादी एक सीमित मात्रामे उपलब्ध हो जाती है; पर वहाँ भी खादी ज्यादातर मोटे सूतसे ही बनाई जाती है। अखिल भारतीय चरखा सघके तत्वावधानमे कुछ काम हो रहा है। काम काफी व्यापक भी हो रहा है, पर इन प्रान्तोमे उत्पादनके लिए जितनी भी ज्ञात और सर्वथा निश्चित सुविधाएँ सुलभ है, सघ उसके दसवे भागको भी सगठित नही कर पाया। मोटी खादीके उत्पादनकी सम्भावनाएँ लगभग असीमित है और यदि देश समझ-बूझकर मोटी खादीको अपना ले, उसे तरजीह देने लगे तो निश्चय ही खादी उस स्थानपर विराज सकती है जहाँ अबतक विदेशी वस्त्र आसीन थे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रमका लाभ देशकी जनताके विशाल समुदायको मिलेगा, केवल मुट्ठी-भर धनवानोको नही।

चालू वर्ष और गत वर्षके दौरान देशकी आर्थिक स्थितिकी एक विशेषताने बहिष्कारकी दृष्टिसे खादीके आग्रहको और अधिक सबल बना दिया है। कपासकी कीमत असाधारण रूपसे कम हो जानेके कारण, बल्कि देखा जाये तो सभी कृषीय उत्पादनोकी कीमते बहुत ज्यादा गिर जानेके कारण गाँव एक बड़ी विपत्ति मे ही पड गये है। कई चीजोकी कीमते तो इतनी गिर गई है कि उनसे खेतीकी लागत और अन्य खर्च भी नही निकल पाते। इसीलिए अपेक्षाकृत छोटे पैमानेपर कपासका उत्पादन करनेवालोने अपने ही घरोमें एक-दो चरखे चलवाकर अपनी कपाससे थोड़ी कुछ अधिक आय प्राप्त करनेकी कोशिश की है। इसी प्रकार और चीजोंकी खेती करनेवालोने भी कताईके जरिए अपनी आय कुछ बढानेकी कोशिश की है। नतीजा यह हुआ है कि देशके अनेक भागोमे आसपासके गाँवोसे लोग एक बडी सख्यामे अपने पासके खादी भण्डारमे सूत वेचने पहुँच जाते है। गत वर्षके पहले भी हाथ-कता सूत इतनी मात्रामे सुलभ रहता था कि मौजूदा खादी-भण्डारोको उसकी बुनाईका प्रबन्ध कर पाना मुश्किल लगता था। लेकिन अब तो स्थिति और भी कठिन बन गई है। खादी-भण्डारोके पास पूजी थोडी-सी ही रहती है, इसलिए वे सारा-का-सारा सूत खपा नही पाते और इसलिए उन्हे अनेक कतैयोको निराश करना पड़ता है। यदि खादीकी माँग बढाई जा सके तो खपत बढनेपर खादी-भण्डारोसे कतैयोको कही अधिक राहत पहुँचाई जा सकती है। उस दशामे निजी पूँजी भी अधिक मात्रामे खादीकी ओर आकर्षित होगी; गत वर्ष एक सीमातक ऐसा हुआ भी था। इसलिए वहिष्कार आन्दोलन और वर्तमान सकटमे फौरी राहत —इन दोनो ही दृष्टियोसे देशका स्पष्ट कर्त्तव्य है कि वह खादीको प्राथमिकता दे और उसे अधिक अपनाये।

मोटी होनेके कारण खादीकी धोती या साडी पहननेमें जिन लोगोंको कठिनाई अनुभव होती है, यदि वे भी एक बड़ी संख्यामें अपनी अन्य आवश्यकताओंके लिए — तौलियो, कमीजो, कोटो, चादरो, दरियो और इसी तरहकी अन्य जरूरतोंके लिए खादीका प्रयोग शुरू कर दें तो यही नहीं कि आज तैयार होनेवाला सारा-का-सारा हाथ-कता सूत खप सकता है, बल्कि उसकी खपत वर्तमान उत्पादनसे भी कई गुनी अधिक बढ जायेगी। खादीकी सारी सम्भावनाओंको समझनेके लिए केवल ठीक सूझबूझसे काम लिया जाना है। यदि हम अपना पहनावा देशकी जलवायु और गाँवके लोगोंके साधनोंके अनुकूल बना ले, तो हम स्वयं कई तरह की पोशाकोंका पहनना त्याग देंगे, धोती या साड़ीकी लम्बाई घटा देंगे, साफेकी जगह टोपियाँ काममें लाने लगेंगे। इस सबसे आजकी अपेक्षा हमें ज्यादा आराम भी मिलेगा और एक सुथरापन भी हासिल होगा; इसके सिवा वस्त्रोंके खर्चमें जो बचत होने लगेगी, वह तो अलग ही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

५९. सच क्या है?

कारवाडके श्री एस० डी० नाडकर्णीके एक पत्रका कुछ अंश नीचे देता हूँ:

अभी-अभी मैंने पढ़ा है कि आपको लिखे गये एक पत्रमें, जो अखबारोंमें छप चुका है, सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलनके एक नेता श्री मुशीर हुसैन किदवईने मिस्रकी अल्पमतवाली कौमके सवालके बारेमें लिखते हुए कहा है कि, "मेरी रायमें मिस्रमें जगलुलने जो रुख अख्तियार किया था, वही यहाँके हिन्दुओंका होना चाहिए; यानी उन्हें आँख बन्द करके अल्पमतवाली कौमकी माँगोंपर दस्तखत कर देना चाहिए . . . .।

श्री किदवईके उक्त पत्रकी अन्य किसी बातका जिक्र किए बिना मैं सिर्फ उसी बातकी सचाईकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ उन्होंने मिस्रकी राजनीतिका एक दृष्टान्त देते हुए तुलना की है। मैं १५ अगस्त १९२९ के 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' के अग्रलेखकी कतरन साथमें भेजता हूँ। उसमें लेखकने उन्हीं दिनों सर इब्राहीम रहमतुल्लाकी एक ऐसी ही बातके जवाबमें जो-कुछ लिखा है, उससे पता चल जायेगा कि मिस्र, जहाँ मुसलमानोंकी कौम बहुसंख्यक है, और कॉप्ट कही जानेवाली वहाँके ईसाइयोंकी अल्पसंख्यकोंकी स्थितिके बारेमें श्री किदवई जिसे तथ्यके रूपमें आपके सामने रख रहे हैं, वस्तु-स्थिति उसके बिलकुल विपरीत है।

मुझे विश्वास है कि इस उद्धरणकी एक-एक बातकी सत्यता वर्तमान इतिहासकी किसी भी पुस्तक अथवा किसी भी प्रामाणिक सन्दर्भ-ग्रन्थको देखनेसे सिद्ध हो सकती है।

श्री नाडकर्णी द्वारा भेजे गये उद्धरणके आवश्यक अंश नीचे देता हूँ:

स्पष्ट है कि सर इब्राहीमने इतिहासको ठीक तरहसे नहीं पढ़ा। उदाहरणके लिए, मिस्रके बारेमें उन्होंने जो कहा है, उसीको लीजिए। बड़ी कौमको छोटी कौमोंके साथ उदारतापूर्वक पेश आना चाहिए, इसकी हिमायत करते हुए उन्होने मिस्रके ईसाइयोके साथ जगलुलपाशाके व्यवहारका उदाहरण दिया है। मालूम होता है, सर इब्राहीम यह मानते हैं कि अपने हित और हकूकके बारेमें जगलुलकी सूक्ष्म भावनाओंको देखकर ही कॉप्ट लोग मुसलमानोंका शासन स्वीकार करनेको तैयार हो गये थे। परन्तु हकीकत तो ठीक इससे उलटी है। कॉप्ट लोगोंने अपने भाग्यको मिस्रके राष्ट्रवादियोंके साथ पूरी तरह एक बना लिया था और इसीकी वजहसे मुसलमान उनके साथ उदारताका व्यवहार करनेको प्रेरित हुए। उससे पहले कॉप्ट लोग जुल्मोंसे पूरी तरह मुक्त नहीं थे। उनकी हालतके सुधर जानेका एकमात्र कारण यह था कि वे देशकी आजादीके जंगमें उसके विरोधी या उसके प्रति लापरवाह तो नहीं ही रहे, उन्होंने वफ़्दमें बहुत ही आगे बढ़कर काम भी किया। कॉप्ट लोगोंका यह काम बहुत बुद्धिमानीपूर्ण था, और यही वजह है कि वहाँके मन्त्रिमण्डलमें कॉप्ट लोगोंको भी स्थान दिया गया।

इन उद्धरणके मूलकी जाँच पाठक करेगे। इस उद्धरणमे कही गई बातकी अथवा जिस कथनका यह जवाब है, उसकी सचाईके बारेमे मैंने कोई छानबीन नही की है। साथ ही, मुझे सत्यकी सेवाके अतिरिक्त इसमे किसी प्रकारकी दिलचस्पी भी नही है।

मुझे तो सत्याग्रहीकी हैसियतसे सम्पूर्ण आत्मसमर्पणकी परमशक्तिमे श्रद्धा है। सख्याकी दृष्टिसे हिन्दू कौम बडी है। इसलिए मिस्रकी बहुसख्यक कौमके कार्यका विचार किए बिना, अल्पसख्यक कौमे जो माँगे, सो वे उन्हे दे दे। लेकिन यदि हिन्दू सख्यामे कम होते तो भी, एक सत्याग्रहीके और हिन्दूके नाते मै यही कहता कि आखिरकार सम्पूर्ण आत्मसमर्पणसे हिन्दुओका कोई नुकसान नही होगा।

इस दलीलके जवाबमे बिना विचारे कहा जाता है कि, तो फिर आप भारतवर्षको अग्रेजोकी शरणमे बने रहनेकी सलाह क्यो नही देते? वे हुकूमत चाहते है; उन्हे हुकूमत करने दे और चैनसे रहे। इस बिना सोची हुई बातको कहते हुए लोग एक महत्वकी बात भूल जाते है और वह यह है कि मैंने बन्दूकका भय मानकर दिन काटने की सलाह कभी नही दी है। सत्याग्रहीके शास्त्रमे पशुबलके सामने झुक जानेकी कोई गुजाइश ही नही है। अथवा कहिए, समर्पण बन्दूक चलानेवालेकी इच्छापर नही, बल्कि अपनी ही दु.ख सहनेकी शक्तिपर निर्भर होगा। सत्याग्रहीका आत्मसमर्पण उसकी कमजोरीका नही, वरन् उसकी शक्तिका परिणाम होना चाहिए। मैंने इज्जतके त्यागकी

नही, बल्कि पार्थिव वस्तुओके त्यागकी सलाह दी है। धनोपार्जनकी जगहो और ओहदोका त्याग करनेमे थोडी भी अप्रतिष्ठा नही है। उनके लिए सौदाबाजी करनेमें अप्रतिष्ठा है। यदि अग्रेज बन्दूकका त्याग करके हमारे साथ मित्र बनकर रहे, तो मै उनकी भी हिमायत करूँगा। आत्म-समर्पण और कष्ट-सहनका नियम सर्वव्यापी है, और उसमे अपवादकी थोडी भी गुजाइश नही है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ३०-४-१९३१

६०. पत्र : पद्माको

वोरसद
३० अप्रैल, १९३१

चि० पद्मा,[1]

तेरा पत्र मिला। मै भूला तो बिलकुल नही था, लेकिन क्या करूँ? तू गीता जबानी याद कर रही है, यह अच्छा है। मगन चरखेपर एक घटेमे कितने तार कात लेती है? लगातार कितने घटेतक कात पाती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६११८) की फोटो-नकलसे।

६१. भेंट : 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' के प्रतिनिधिको

वोरसद
[३० अप्रैल, १९३१][2]

चलचित्र बनानेके लिए 'फाक्स मूवीटोन न्यूज' और एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकाके प्रतिनिधिने महात्मा गांधीसे बोरसदमें भेंट की जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है। 'बॉम्बे क्रॉनिकल' का कथन है कि भेंटका यह वर्णन प्रकाशित होनेके पूर्व गांधीजी द्वारा ठीक कर दिया गया है।

गांधी जीने नीचे लिखी टिप्पणीके साथ अपनी भेंट-वार्ता आरम्भ की:

मै यह सब पसन्द नही करता, लेकिन यदि कुछ मिनट ही देनेकी बात है तो मै इसके लिए अपने मनको तैयार कर लूंगा, यद्यपि मै जानता हूँ कि इस सबसे आपका विज्ञापन होगा और यही आपका मुख्य लक्ष्य भी है। लेकिन इस बहानेमे

१. सीतलासहायकी पुत्री।
२. हिन्दू, १-५-१९३१ से।

अपने उद्देश्य — अर्थात् भारतकी आजादीका भी प्रचार कर सकूँगा। प्रचारके महत्त्वको मैं बिलकुल नगण्य नही मानता। मेरी गिनती तो संसारके सबसे बड़े प्रचारकोमे की गई है। हो सकता है मै इस प्रशसाके सचमुच योग्य होऊँ। लेकिन प्रचारका मेरा ढग सामान्य ढगसे भिन्न है। मेरा मार्ग सत्यवादिताका है और सत्य स्वय-प्रचारी होता है। वह कृत्रिमताको सहन नही करता।

इसलिए आप मुझे अपने-अपने केमरेके सामने बैठनेके लिए सहमत न होनेपर क्षमा करेगे। ऊपर बताये कारणोके अलावा एक कारण यह भी है कि इस प्रकार चित्र आदि न खिचानेके लिए मैने १९०५मे ही शपथ ले ली थी।

इसलिए उन्होंने चित्रके लिए उपयुक्त खुली जगह बैठनेसे इनकार कर दिया। भेंट उनके कमरेमें ही हुई।

प्रश्न : श्री गांधी, 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' और 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका'के प्रतिनिधिके रूपमें हम सात समुद्र पार, न्यूयार्कसे भारत आये है। इन दोनों संस्थाओंका काम संसार-भरमें करोड़ों लोगोंतक पहुँचता है। हम चाहते है कि 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' के माध्यमसे आप अमेरिकाके लोगोंके नाम मित्रता और सौहार्दका सन्देश दें। जैसा कि आप जानते है कि संयुक्त राज्य अमेरिकाके निवासी भारतके स्वाधीनता-संघर्षमें बड़ी रुचि और सहानुभूति रखते आये है। इसका कारण यह है कि १५० वर्ष पूर्व अमेरिकाके लोगोंको भी इसी प्रकारसे स्वाधीनता पानेके लिए संघर्ष करना पड़ा था।

उत्तर : अमेरिकाके लोगोने हमारे सघर्षके प्रति जो रुचि और सहानुभूति प्रदर्शित की है, मै उसकी कद्र करता हूँ। मुझे आशा है कि इस सघर्षके अन्त तक हम अमेरिकाके लोगोंके हृदयमे अपने प्रति सद्भावना और मित्रता बनाये रखेंगे।

आप कब अमेरिका आनेकी बात सोचते है?

आपके महान् देशकी यात्रा करनेकी मेरी इच्छा तो बहुत है, परन्तु इस सम्बन्धमें अभी इसके अलावा कुछ नही कह सकता कि मै तबतक अमेरिका जाना पसन्द नही करूँगा जबतक कि भारतके स्वतन्त्रता-सग्रामको स्पष्ट रूपसे सफलता मिलती नही दिखने लगती।

आप दूसरे गोलमेज सम्मेलनके लिए कब लन्दन जानेकी सोचते है?

इस सम्बन्धमे भी, मै कुछ नही कह सकता। इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जबतक हिन्दू-मुसलमानोकी साम्प्रदायिक समस्याका कोई सन्तोषजनक हल नही मिलता, मै लन्दन जानेकी बात नही सोच सकता। और यदि वर्तमान समझौतेका उल्लघन हुआ, तब तो मै लन्दन बिलकुल ही नही जाऊँगा।

क्या आपने लॉर्ड इर्विनको इंग्लैंडके प्रधान मन्त्रीके नाम कुछ लिखकर भेजा है?

लॉर्ड इर्विनके हाथ श्री मैकडोनाल्डको मेरे द्वारा कुछ लिखकर दिये जानेकी बात बिलकुल गलत है।

क्या आप यह आशा रखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलनमें इंग्लैंड आपकी सभी माँगें पूरी कर देगा?

मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कह सकता।

लेकिन क्या आपको सचमुच ऐसी आशा है कि इस बार इंग्लैंड आपकी माँगें पूरी कर देगा?

मैं इतना भर कह सकता हूँ कि मैं आशावादी हूँ।

आप जो चाहते हैं, अगर इंग्लैंड वह सब नहीं देता तो आप कौन-सा रास्ता अपनायेंगे?

सविनय अवज्ञा और सत्याग्रहके अन्य सभी तरीके अपनानेका अधिकार तो सदा हमारा है ही। लेकिन इन अस्त्रोंका प्रयोग हम तुरन्त ही आरम्भ कर देंगे अथवा कोई और तरीका अपनायेंगे, यह इस समय स्पष्ट परिस्थिति सामने आये बिना बताना कठिन है।

अगर इंग्लैंड आपकी माँगें स्वीकार नहीं करता, तो क्या आप फिर जेल जानेके लिए तैयार हैं?

भारतकी आजादीकी खातिर मैं हमेशा ही जेल जानेको तैयार हूँ।

क्या इस उद्देश्यके लिए आप प्राण देनेको तैयार हैं?

यह कोई अच्छा प्रश्न नहीं हुआ।

यदि इंग्लैंड आपकी माँगें स्वीकार कर ले, तो क्या आप नए भारतमें पूर्ण मद्य-निषेध लागू करना चाहेंगे?

जी हाँ, मैं आशा करता हूँ कि नए भारतीय राज्यमें पूर्ण मद्य-निषेध दृढतासे लागू किया जायेगा।

नया भारतीय राज्य स्थापित होनेपर क्या आप बाल-विवाह समाप्त कराना चाहेंगे?

मैं तो चाहूँगा कि बाल-विवाहकी प्रथा इसके बहुत पहले ही समाप्त कर दी जाये।

क्या आप सोचते हैं कि नए भारतीय राज्यमें देशके छः करोड़ लोगोंको तथा-कथित अछूत माननेवाली वर्तमान जाति-प्रथाकी कपाल-क्रिया कर दी जायेगी?

निश्चय ही।

क्या आप भारतीय विधवाओं द्वारा पूर्ण एकान्त तथा ब्रह्मचर्यपूर्ण कठोर जीवन अपनानेकी वर्तमान प्रथाको समाप्त करा देना चाहेंगे?

अगर विधवाएँ चाहें तो पुनर्विवाह करनेसे उनको रोकनेवाली कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह यह कहना भी पूरी तरह गलत है कि भारतीय विधवाएँ आम तौरसे एकान्तवास करती हैं।

मैंने विधवाओंको पर्देमें रखनेकी प्रथाकी ओर इशारा किया था।

पर्देकी प्रथा वास्तवमें मध्यम श्रेणीके थोडे-से लोगोतक ही सीमित है और सो भी सारे भारतमें नही।

क्या आप समझते है कि नए भारतीय राज्यमें हिन्दुओं तथा मुसलमानोंमें सामाजिक रूपसे पूर्ण साम्प्रदायिक एकता और मैत्री बनी रहेगी?

निश्चय ही, मै आशा करता हूँ कि नये भारतमे भारतीय परिवारके इन दोनो, सबसे बड़े सम्प्रदायोमे सामाजिक मैत्री और एकता स्थापित हो जायेगी।

यदि आप गोलमेज सम्मेलनमें जायें और इंग्लैंडका सम्राट् आपको बकिंघम पैलेसमें दावतके लिए बुलाये, तो क्या आप ठेठ भारतीय ढंगके वस्त्र पहनेंगे अथवा यूरोप-वालोंकी तरह?

अगर मै अपनी नित्यकी भारतीय वेशभूषाके अलावा किसी और तरहकी पोशाक पहनूं, तो वह सम्राट्के प्रति अशिष्टता होगी। अगर मौसम ठीक रहा तो मै इग्लैंडमें वही पोशाक पहनूंगा जो भारतमें पहनता हूँ अर्थात् घुटनो तककी धोती।

श्री गांधी, आप अक्सर कहते आये है कि ब्रिटेनवासियोंमें बहुत-से लोग आपके बड़े अच्छे मित्र और समर्थक है। 'ब्रिटिश मूवीटोन न्यूज' के माध्यमसे ब्रिटिश साम्राज्य-भरमें जिसके असंख्य श्रोता बिखरे पड़े है, क्या आप अपने उन मित्रों और ब्रिटेनकी महान जनताके अन्य लोगोंके नाम कोई संक्षिप्त सन्देश देनेकी कृपा करेंगे?

मुझे यह कह सकनेपर हर्ष है कि ब्रिटेनमें मेरे मित्रोकी सख्या बढ रही है। दूसरी कोई बात हो भी नही सकती, क्योकि वर्तमान सत्याग्रह आन्दोलन उन लोगोंके साथ जिनके विरुद्ध हम सघर्ष करते जान पडते है, सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेके एक आन्दोलनके अतिरिक्त कुछ है ही नही, भले ही इस आन्दोलनको विदेशी वस्त्रोके प्रश्नके साथ जोडकर काफी हदतक भ्रान्ति पैदा की जा रही हो। इसलिए इस आन्दोलनके अन्तिम परिणामके बारेमें मेरे मनमे कोई आशका नही है।

क्या संसारकी वर्तमान परिस्थिति और उसकी आवश्यकताओंको देखते हुए आप [हजरत मूसाकी भाँति] लौकिक धर्मके नये 'दशानुशासन' (टेन कमान्डमेन्ट्स) देंगे?

यह तो एक बहुत बड़ी अपेक्षा है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-५-१९३१

६२. तार : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१ मई, १९३१

श्री एमर्सन
गृह सचिव
शिमला

चारसद्दावाले अब्दुल गफ्फार खानके विरुद्ध प्रचार आन्दोलनके पीछे मुझे कोई बाहरी हाथ दिखाई देता है। कराचीमें मेरे मनपर उनकी यह छाप पड़ी थी कि वे अहिंसाका प्रतिपादन सच्चे हृदयसे करते हैं। उनके खिलाफ कोई शिकायतें हों तो मैं चाहूँगा कि वे मुझे बतला दी जायें ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूँ। भरोसा है कि वे उचित बातको माननेके लिए तैयार रहते हैं। मुझे उनका स्पष्टीकरण पानेका अवसर दिये बिना अगर उनको गिरफ्तार किया गया, तो उलझन पैदा हो जायेगी। मैं सीमाप्रान्त न जाऊँ, लार्ड इर्विनकी इस इच्छाने मेरी चिन्ता और बढ़ा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ मेरी उपस्थितिसे तनावमें कमी अवश्य होगी। जहाँतक पंजाबके गवर्नरके भाषणका[1] सम्बन्ध है, क्या आप उन भाषणों, लेखों अथवा उन अन्य कार्यवाहियोंका ब्यौरा भेज सकेंगे जिनको ध्यानमें रखकर गवर्नरने सार्वजनिक रूपसे वह चेतावनी दी थी?

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल-संख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. भगतसिंहकी फाँसीके विरोधमें होनेवाले आन्दोलन तथा श्रीमती कर्टिसकी हत्याके समर्थनको ध्यानमें रखकर पंजाबके गवर्नरने २५ अप्रैल, १९३१ को चेतावनी दी थी कि कांग्रेसियों तथा अन्य लोगोंके खिलाफ भी हिंसाकी उत्तेजनासे सम्बन्धित सामान्य कानूनोंको और अधिक सख्तीसे लागू किया जायेगा।

६३. पत्र : जी० एन० कॉलिन्सको

[१ मई, १९३१][1]

प्रिय श्री कॉलिन्स,

आशा थी कि जो विभिन्न मामले मेरे सामने हैं उनके सिलसिलेमें मैं आपको लिख पाऊँगा। परन्तु खेद है कि मैं अबतक उसकी तैयारी पूरी नही कर पाया हूँ। इसलिए मैं फिलहाल केवल श्री राजवाडेके मामलेके बारेमे ही लिख रहा हूँ।

आपने कहा था कि इनकी रिहाई न होनेका कारण यह है कि उन्होने लोगोंको हिंसाके लिए उकसाया था। अब मेरे पास मुकदमेका प्रमाणित विवरण और वह लेख भी आ गया है जिसको मुकदमेका आधार बनाया गया था। आरोप-पत्रमें जो आरोप लगाया है वह तो यह है कि उन्होने सुव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षामें बाधा डालनेवाला काम किया और गिरफ्तार होनेसे बचनेकी कोशिश की। इसमे हिंसाकी तो कोई बात नही है।

मैंने उनका मूल मराठी लेख पढ़ लिया है। उसमे कोई भी रंग चढ़ाये बिना घटनाओका ठीक-ठीक विवरण दिया गया है। उस विवरणमें कम-से-कम मुझे तो हिंसाके लिए उकसानेकी झलकतक दिखाई नही दी। इसलिए मेरी रायमें यह मामला स्पष्ट ही समझौतेकी हदमे आ जाता है।

यदि न्यायालयके सामने उनका दूसरा कोई लेख भी पेश किया गया हो, तो कृपया उसे मेरे पास भेज दे। पर यदि इसके अलावा कोई और लेख न हो, तो आशा है कि श्री राजवाडे अविलम्ब रिहा कर दिये जायेंगे।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६–सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. जी० एन० कॉलिन्सके बम्बई सरकारके गृह मन्त्रालयकी ओरसे दिये गये ९ मईके पत्रके उत्तरसे।

६४. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको

बोरसद
१ मई, १९३१

भाई लक्ष्मीनारायणजी,[1]

आपका पत्र मिला है। रामानदजीको सहाय की उसके लिए अनुग्रह मानता हूँ। उनका कार्य देखा है?

विदेशी कापडके व्यापारके हाल लिखो।

काग्रेस कमिटिका झगडा किस बारेमे है?

बापू

जी० एन० ५६१७ की फोटो-नकलसे।

६५. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

बोरसद
२ मई, १९३१

एक भी पटेल ऐसा नही था जिसने कामपर आनेकी इच्छा व्यक्त न की हो; और निष्ठापूर्वक काम करनेका आश्वासन देनेका तो सवाल ही नही रह गया था। ऐसा आश्वासन तो कामपर उनके लौट आनेमें निहित था ही। समझौतेके बिलकुल प्रारम्भिक दौरमे इस प्रकारकी शर्तें पटेलोके सामने रखी गई थी और वे मेरे द्वारा शिकायत करनेपर हटा ली गई थी।

भू-स्वामियो द्वारा लगानकी अदायगी न करनेके कारण जब्त की गई भूमि का २५ प्रतिशत भाग उनको वापस न करना समझौतेकी धारा १७ (ख)का स्पष्ट उल्लघन है। इसलिए कि जबतक यह माननेके लिए उचित आधार न हो कि भूमिधर किसी दुराग्रहपर अडा है, तबतक जब्तशुदा भूमि तो लौटानी ही पडेगी। और यह तो स्पष्ट ही है कि बारडोली अथवा अन्य प्रभावित जिलोमें ऐसे दुराग्रहका कोई सवाल ही नही उठता।

यह कहना बिलकुल गलत है कि काग्रेसके किसी भी शिविरमें अनुशासन नही है। मैंने जबसे प्रत्येक काग्रेसी कार्यकर्त्तासे इस बातका बडा आग्रह किया है कि वे समझौतेकी शर्तोका पालन उसी तत्परताके साथ करे जो उन्होने सघर्षमें दिखाई थी,

१. दिल्लीके एक प्रसिद्ध व्यापारी।
२. बम्बईके एक समाचारपत्रमें प्रकाशित कुछ समाचारोंके खण्डनके लिए।

तबसे एक भी ऐसा अवसर कभी नही आया कि मुझे किसी कार्यकर्त्ताकी [विरोधी-वृत्ति देखकर] भर्त्सना करनी पडी हो।

इसके विपरीत मुझे तो यह जानकर हर्ष हुआ है कि कार्यकर्त्ताओंने सभी हिदायतोका पूरी तरह पालन किया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण मामलेको छोड़कर, मै यह कह सकता हूँ कि किसी भी कार्यकर्त्ताको कांग्रेस संगठनसे — विशेषकर सूरत और खेड़ा जिलेमें, जिनकी ओर मै और वल्लभभाई पटेल पूरा ध्यान दे रहे है — काग्रेस फंडके गबनके लिए सस्थासे नही निकाला गया है।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ४-५-१९३१

६६. तार : हरिभाऊ उपाध्यायको

बोरसद
२ मई, १९३१

हरिभाऊ
'त्यागभूमि'
अजमेर

आपका तार मिला। मेरे उदयपुर[1] तार भेजनेसे कुछ होनेका भरोसा नही। जमनालालजी या मालवीयजीको हस्तक्षेप करने दीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४९) की माइक्रोफिल्मसे।

६७. पत्र : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईके प्रबन्धकको

बोरसद
२ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मुझे नही मालूम कि आपका सुझाव मान लेनेसे श्री एन्ड्रूजकी पुस्तकोपर[2] कितना असर पडेगा। व्यक्तिगत तौरपर तो मुझे इसपर कोई आपत्ति नही कि आप चुने हुए उद्धरणोको एक पुस्तकके रूपमे प्रकाशित कर दें। पहली कठिनाईके बारेमे तो शायद आप मुझसे कही अधिक जानते है और जहाँतक

१. देखिए "पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको, ६-५-१९३१।
२. महात्मा गांधीज आइडियाज (१९२९) और महात्मा गांधी : हिज ओन स्टोरी (१९३०)।

प्रस्तावित पुस्तककी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सुझावके बारेमें थोड़ा और खोलकर लिखें जिससे कि मैं उसके बारेमें हर पहलूसे और अच्छी तरह विचार कर सकूँ।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

प्रबन्धक
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० ५६८५) की फोटो-नकलसे।

६८. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

बोरसद
२ मई, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि श्री वाडियाको[1] कोई काम दिया जाना चाहिए। आपके विचारार्थ एक और पत्र भेज रहा हूँ। आशा है, आपके काममें निरन्तर और एक-सी प्रगति हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रतिवेदन[2] उस विषयपर एक पाठ्य-पुस्तकके दर्जेका हो।

बापू

संलग्न : १

श्री जे० सी० कुमारप्पा
सयोजक
आंग्ल-भारतीय वित्तीय समझौता सम्बन्धी कांग्रेस प्रवर समिति
६५, एस्प्लेनेड रोड, बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १००९३) की फोटो-नकलसे।

१. प्रोफेसर पी० ए० वाडिया।
२. देखिए "बहादुरजी कमेटीकी रिपोर्ट", २३-७-१९३१।

६९. पत्र : शैलेन्द्रनाथ घोषको[1]

[स्थायी पता] साबरमती
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। निर्वासितका जीवन कैसा होता है, यह मैं स्वयं अपने और अन्य लोगोके भी अनुभवसे जानता हूँ। मै मानता हूँ कि मेरा अपना निर्वासित जीवन उतना महत्त्व नही रखता, जितना कि आपका; और उसका सीधा-सा कारण यही है कि मैंने स्वेच्छासे निर्वासित जीवन अपनाया था। परन्तु गणितके सामान्य नियमके आधारपर मै अनुमान कर सकता हूँ कि यदि स्वयं स्वीकार किया निर्वासन भी मुझे इतना कठिन लगा, तो फिर आप-जैसे मित्रोके लिए एक थोपा गया निर्वासन कितना असह्य होगा। अगर बात ठीक ढगसे बनती गई तो देशसे निर्वासित लोगोको एक वर्षसे अधिक समय बाहर नही बिताना होगा। मेरे वहाँ आनेकी खबरमे कुछ सार नही है, इसलिए उसपर आगे चर्चा करनेकी जरूरत नही। जबतक यहाँके प्रयोग सफल सिद्ध नही हो जाते, मुझे अमेरिका नही जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री शैलेन्द्रनाथ घोष
३१ यूनियन स्क्वेयर
न्यूयार्क सिटी

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४६)की फोटो-नकलसे।

१. अमेरिकाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न्यूयार्क सिटीके अध्यक्ष।

७०. पत्र : मार्टिन सी० मिलरको

[स्थायी पता] साबरमती
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। धन्यवाद। आपके प्रश्नके उत्तरमें मुझे यही कहना है कि गिरि-प्रवचनों'को श्रद्धासे पढनेसे मुझे तो यथेष्ट लाभ ही हुआ है। मै ईसाको संसारके महानतम शिक्षकोमे गिनता हूँ। एकमात्र अवतारी पुरुष तो मै उनको नही मानता।

हृदयसे आपका,

श्री मार्टिन सी० मिलर
द क्लेवलेड ग्रेफाइट ब्रोन्ज कम्पनी
क्लीवलेड (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४७)की फोटो-नकलसे।

७१. पत्र : अप्टन क्लोजको

[स्थायी पता] साबरमती
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मुझे आपके दो पत्र मिले। आखिरी पत्र ८ अप्रैलका था। मेरे अमेरिका आनेकी बात अभीतक अफवाह ही समझी जानी चाहिए। और अमेरिका आनेपर क्या होगा, इसके सम्बन्धमें आपके अनुमानने तो मुझे और भी अधिक डरा दिया है। इसलिए इस समय तो मुझे अस्थायी तौरपर भी ऐसी घटनासे सम्बन्धित किसी प्रबन्धकी बात की चर्चा नही करनी चाहिए जिसकी निकट भविष्यमें घटनेकी कोई सम्भावना नजर नही आती।

हृदयसे आपका,

श्री अप्टन क्लोज
न्यूयार्क (अमेरिका)

अँग्रेजी (एस० एन० १७०४८)की फोटो-नकलसे।

७२. पत्र : करमचन्दानीको

बोरसद
२ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[1] मिला। गढ़वाली बन्दियोके बारेमें आपकी भावनाओसे मै सहमत हूँ और यदि मै आज ही उनकी रिहाई करा सकता, तो अवश्य करा लेता। इसलिए हमारे पारस्परिक विचारो पर बहस करनेकी मुझे कोई जरूरत नही दिखाई पड़ती। लेकिन मै एक मोटे तौरपर इतना जरूर कह सकता हूँ कि यदि किसी व्यक्तिका अन्त.करण उसे कुछ अनुदेशो या आदेशोकी अवज्ञा करनेके लिए प्रेरित करे तो निश्चय ही उसे अवज्ञा करनेकी पूरी स्वतन्त्रता है; साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह उसके परिणाम भुगतनेके लिए तैयार रहेगा। आपके पत्रका उत्तर देनेमें जो विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री करमचन्दानी
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५०)की माइक्रोफिल्मसे।

७३. पत्र : लालजी परमारको

२ मई, १९३१

चि० लालजी,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। धीरज रखना। मै जाँच कर रहा हूँ। यहाँ आना हो तो आ जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३२९१)की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें कारावासका दण्ड पाये जिन गढ़वाली सैनिकोंने सैनिक आदेशोंकी अवज्ञा की थी, उनकी हिमायत की गई थी।

७४. बीसवीं सदीकी सती (?)[1]

घाटकोपरसे एक बहन लिखती हैं:

'बम्बई समाचार' के २३ अप्रैल, १९३१ के अंकमें प्रकाशित बीसवीं सदीकी लुहाणा जातिकी सतीकी बात सच हो तो उस बहनकी पतिभक्ति वन्दनीय है। इस सम्बन्धमें यदि आप अपनी राय 'नवजीवन' द्वारा व्यक्त करेंगे तो विशेष जानकारी हासिल होगी।

मुझे आशा है, यह समाचार सच नही है। अगर उक्त बहन मरी हैं तो किसी रोग या आकस्मिक घटनासे मरी है, आत्महत्या करके नही। बीसवी या किसी भी अन्य शताब्दीमे सतीके लक्षण एक ही प्रकारके होने चाहिए। सती स्त्री वह है जो पतिके जीवित रहते और मृत्युके बाद सत्यपरायणा रहकर सेवा करे और मन, वचन तथा कर्मसे निर्विकार रहे। पतिके लिए आत्महत्या करनेमें ज्ञान नही, अज्ञान है। ऐसा करनेमें बड़ा अज्ञान तो आत्माके गुणके विषयमे है। आत्मामात्र अमर है, वह सर्वव्यापक है, एक देह छूटनेपर दूसरी देहका निर्माण करती है और यो करते-करते अन्तमें देहातीत हो सकती है। यह बात सच है, अनुभवसिद्ध है और आज अनुभवगम्य है। ऐसी दशामे पत्नीका पतिके साथ मरना क्यों ठीक माना जाये?

फिर विवाह भी शरीरका नही, आत्माका है। अगर विवाह शरीरका ही हो तो पतिके मरनेपर मोमके पुतले या चित्रसे ही सन्तोष क्यो न कर लिया जाये? अगर विवाह एक शरीर-विशेष जीवके साथका ही सम्बन्ध माना जाये तो उस शरीरके नष्ट होनेपर उस सम्बन्धका भी अन्त हो जाता है और आत्महत्या करनेसे तो शरीर पुनः नही मिल सकता। तब फिर एकके शरीर-नाशपर दूसरे शरीरके नाश करनेमे क्या सार है?

विवाह शरीर द्वारा आत्माका होता है, और एक आत्माकी भक्तिसे अनेक आत्मा अर्थात् परमेश्वरकी भक्ति सिद्ध करनेकी कला सीखनेका भेद विवाहमें छिपा हुआ है। इसी कारण अमर मीराने गाया है:

"मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई।"

इसलिए सती स्त्रीकी दृष्टिमे विवाह, वासनाको तृप्त करनेका साधन नही होता बल्कि 'एकको दूसरेका सहारा' इस न्यायसे पतिमें लीन होकर सेवाकी शक्तिको बढानेका साधन है। इसलिए सच्ची सती अपना सतीत्व सप्तपदीके समयसे ही सिद्ध करती है। वह साध्वी बनती है, तपस्विनी बनती है, पति, कुटुम्ब और देशकी सेवा करती है, वह घरगृहस्थीमे फँस जाने और भोग भोगनेके बजाय अपना ज्ञान बढ़ाती है, त्यागशक्ति बढ़ाती है और पतिमे लीन होकर जगत-मात्रमें लीन होना सीखती है।

१. देखिए "फिर भी वही राय", १७-५-१९३१ भी।

ऐसी सती स्त्री पतिकी मृत्युपर शोक नही मनायेगी, दुःखसे पागल नही बनेगी; बल्कि पतिके समस्त सद्गुणोको वह अपनेमे प्रगट करेगी और उन्हे अमर बनायेगी। और यह जानकर कि सम्बन्ध आत्मासे था, वह फिरसे ब्याह करनेका विचारतक न करेगी।

पाठक देखेगे कि मेरी कल्पनाकी सती विवाहके आरम्भसे ही निर्विकार है, इसलिए वह सन्तान उत्पन्न नही करेगी, विषयभोग नही करेगी। यदि कोई यह प्रश्न करे कि ऐसी सती विवाह-बन्धनमे बँधे ही क्यो, तो प्रश्न उचित होगा। परन्तु हिन्दू-जगत मे विवाहके बारेमे स्त्री या पुरुषकी पसन्दका कोई सवाल ही नही होता। और आज-कलके गये-बीते सुधारोके इस युगमे कुछ लोग सयमके खयालसे विवाह करते है। मै स्वीकार करता हूँ कि इसके मूलमे सूक्ष्म मूर्छा, मोह, है। फिर भी कुछ ऐसे लोग पाये जाते है जो निर्विकार रहनेका निश्चय करके सम्बन्ध जोडते है। ऐसा एक उदाहरण मुझे अपने अनुभवसे इस समय याद आ रहा है। विवाह करते समय भोग की इच्छा थी, परन्तु बादमे सयमवृत्तिके प्रबल होते ही निर्विकार जीवन बितानेका प्रयत्न करनेवाले दम्पतीके एकाधिक उदाहरण इस समय मेरी आँखोके सामने तैर रहे है। अत. पाठक यह न समझे कि मेरी कल्पनाको हकीकतमे कही स्थान ही नही है।

परन्तु यदि साधारण विवाहका विचार करे तो सती स्त्रीकी जिन शक्तियोको ऊपर गिना चुका हूँ, उनमे प्रजापालनकी शक्तिको बढाना होगा। यानी सती स्त्री मर्यादामें रहकर सन्तानकी उत्पत्तिके कार्यमे भाग लेगी और बालक या बालकोका ठीक प्रकारसे लालन-पालन करके उन्हे सुशिक्षित बनाकर देशके सेवा-धनमें वृद्धि करेगी।

जो बाते ऊपर मै सती स्त्रीके विषयमें कह चुका हूँ, वे सत्पतिपर भी लागू होती है। अगर स्त्रीको पतिके प्रति सतीत्व सिद्ध करना उचित है तो पतिके लिए भी अपना सत्व सिद्ध करना आवश्यक है और हमने स्त्रीके साथ पतिको जलते हुए नही सुना; इसलिए हम यह मान लेते है कि पतिके साथ पत्नीके जल मरनेकी प्रथा चाहे जब शुरू हुई हो, किन्तु वह अज्ञान मूलक है। और यदि ऐसा साबित हो सके कि किसी समय उसमे कुछ रहस्य था, तो भी इन दिनो तो उसमे घोर अज्ञान ही है, इस सम्बन्धमे कोई भी बहन अपने मनमे सन्देह न रखे। स्त्री पतिकी दासी नही, उसकी सहचारिणी है, अर्द्धांगिनी है, मित्र है, इसलिए उसीके साथ समान अधिकार का उपभोग करनेवाली है, उसकी सहधर्मिणी है। इस कारण एक दूसरेके प्रति और जगत्के प्रति दोनोके कर्त्तव्य समान है।

अतएव, अगर उक्त लुहाणा बहनने इस प्रकार अपने प्राण दिये हो, तो यह व्यर्थकी आत्महत्या ही है। वह बिलकुल अनुकरणीय नही है। कोई कहेगा कि उसके मरनेकी क्षमताकी स्तुति तो करें! किन्तु मेरा मन वैसा करनेसे भी इनकार करता है। क्योकि दुष्ट कर्म करनेवालेमे भी मरनेकी शक्ति हम देखते है; परन्तु उस शक्तिकी स्तुति करनेका कर्त्तव्य हम स्वीकार नही करते; ऐसी दशामे इस अज्ञानी बहनके मरनेकी शक्तिकी स्तुति करके भ्रममे पड़ी हुई बहनोको अनजाने भी भ्रममे

डालनेका पाप मैं क्यों अपने सिर लूँ? सतीत्वका अर्थ है पवित्रताकी पराकाष्ठा। यह पवित्रता आत्महत्या करके सिद्ध नहीं की जा सकती; जीकर उसका कठोर पालन किया जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-५-१९३१

७५. टिप्पणियाँ

पत्र-लेखकोंसे[1]

मुझ पर पत्रोंकी बारिश हो रही है। बिलकुल तन्दुरुस्त होऊँ तो भी मैं इन सब चिट्ठियोंको न तो तत्काल पढ़ सकता हूँ, न उन सबके जवाब ही दे सकता हूँ। फिर मेरी मौजूदा कमजोर हालतमें समझौतेकी शर्तोंके प्रति सावधान रहना 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'के लिए लिखना और दूसरे काम करनेके साथ-साथ इन सबके उत्तर देना अशक्य ही है। इसलिए मेरे सामने चुने हुए पत्र ही रखे जाते हैं, और उनमेंसे जितनोंका जवाब तत्काल दे सकता हूँ, दे देता हूँ और बाकी पत्रोंका जवाब धीरे-धीरे देता रहता हूँ। मुझे यह स्थिति पसन्द नहीं है। मैं जानता हूँ कि पत्र लिखनेवाले समयपर उत्तरकी आशा रखते ही हैं। पर मेरी लाचारीकी दलील मेरे पक्षमें है। पत्र-लेखक मेरी और मेरे साथियोंकी मदद कर सकते हैं। वे कृपा कर इतनी शर्तोंका पालन करें:

१. बिना कारण कभी पत्र न लिखें।
२. पेंसिलसे न लिखें।
३. लम्बे पत्र न लिखें।
४. बारबार एक ही बात न कहें।
५. जहाँतक हो सके, तर्क बिलकुल ही न दें।
६. अक्षर मोतीके दानों जैसे लिखें।

ये नियम सरल हैं, और इन सबके मूलमें अहिंसा है। मेरे अक्षर बहुत खराब हैं। उन्हें पढ़नेमें पढ़नेवालेको कितना कष्ट होता है, मुझे इसका पूरा अनुभव है। जिससे किसीको कष्ट हो, ऐसा काम करना हिंसा है। इसलिए सभी इतना समझ सकते हैं कि खराब अक्षर लिखना हिंसा है। दूसरी शर्तोंके सम्बन्धमें भी यही बात लागू होती है। उक्त नियम सदा उपयोगी हैं। मेरी मौजूदा हालतमें उनकी उपयोगिता दूनी है। कुछ भी क्यों न हो, पर मुझे पत्र लिखनेवाले, जवाब न मिलनेपर यह तो कभी न मानें कि मेरे अविनयके कारण ऐसा होता है।

१. यंग इंडिया, ७-५-१९३१ में भी "टिप्पणियाँ"के अन्तर्गत "निजी और वैयक्तिक पत्र-लेखकोंसे" नामसे एक मिलती-जुलती टिप्पणी प्रकाशित हुई थी।

एकताकी बुनियाद ही नहीं है

'खून क्यो नही खौल उठता?' प्रश्नके[1] पूछनेवालेका दूसरा प्रश्न यह है:[2]

इस प्रश्नके मूलमें जो विचारश्रेणी है, वह अधूरी है। जो भेद बताये गये हैं, अन्य कारणोसे वे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरा देशोमें भी है; फिर भी वहाँ राजनैतिक एकता है और उक्त भेदोमें से भी कई तो सिर्फ शहरोमें ही होते है। गाँवोमे वैसे भेद है ही नही। जरूरत मदरसो, अखाड़ो या खेलोकी एकताकी नही है, एकता हृदयकी अपेक्षित है। वह प्राप्त न हो तो दूसरी एकता निरर्थक है, वह प्राप्त हो जाये, तो दूसरी अनावश्यक है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३-५-१९३१

७६. पत्र : खेड़ा जिलेके कलेक्टरको[3]

३ मई, १९३१

हम दोनो ही चाहते है कि लोग अपनी पूरी सामर्थ्यके अनुसार लगानकी अदायगी करे। मै जानता हूँ कि 'सामर्थ्य' शब्दकी परिभाषाके बारेमें हमारे बीच मतभेद हो सकता है या जैसा कि आपके पत्रसे पता चलता है, इसपर मतभेद है। मैं सोचता था कि हमारी बातचीतके दौरान आप इस बातपर राजी हो गये थे कि बकाया लगानकी अदायगीके लिए किसीको कर्ज लेनेकी जरूरत नही है। मै उसी स्वस्थ सिद्धान्तको आधार बनाकर चल रहा हूँ। मै जानता हूँ कि पहले कभी इस सिद्धान्त पर अमल नही हुआ था और भविष्यमे भी शायद न हो। जो भी हो, मै समझता हूँ कि इस असाधारण वर्षमे तो इसका पालन किये बिना काम चल नही पायेगा। आशा है कि मै इसे यथासमय पूरी तौर पर सिद्ध कर दिखाऊँगा। जाहिर है, इसका यह अर्थ नही कि जो लोग कर्ज लेकर लगानकी अदायगी करना चाहते हो, मै उनको उससे रोकने लगूँगा। मै तो केवल इतना चाहता हूँ कि ऐसा करनेके लिए उनसे आग्रह करनेका काम मुझे न करना पडे।[4]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ८-१०-१९३१

१. देखिए "अहिंसाकी शक्ति", ७-५-१९३१।

२. नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने हिन्दू और मुसलमानोंके अलग-अलग मोहल्लों, अखाड़ों आदिके विरोधमें गांधीजीसे जोर देनेका आग्रह किया था।

३. श्री पेरी।

४. पेरीने उत्तर दिया था: "ब्याजपर रुपया लेनेके सम्बन्धमें आपकी बातसे मैं सहमत हूँ। मित्रों अथवा ऐसे ही अन्य किसी स्थानसे हो सकनेवाली व्यवस्थाको हम इसमें शामिल नहीं करते।"

७७. पत्र : जेम्स टी० रत्नम्को

बोरसद
३ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मैं आपका पत्र तथा उसका संक्षिप्त उत्तर 'यंग इंडिया'[1] के आगामी अंकमें प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको तथा उन मित्रोंको जिनके मनमें मेरे दृष्टिकोणके सम्बन्धमें कुछ आशंकाएँ हैं, इस उत्तरसे सन्तोष हो जायेगा।

हृदयसे आपका,

श्री जेम्स टी० रत्नम्
सेंट जेवियर्स
नुवारा इलिया (श्रीलंका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२८) की माइक्रोफिल्मसे।

७८. पत्र : हरिदास टी० मजूमदारको

साबरमती
३ मई, १९३१

प्रिय हरिदास,[2]

२६ मार्चका आपका पत्र[3] और आपकी डायरीका उद्धरण देखकर आश्चर्य हुआ। मेरे कार्य-कलापके बारेमें जान-बूझकर तोड़े-मरोड़े गये एक समाचारका या मेरे कार्य-विशेषके बारेमें ईनामदारीसे पेश किये गये किसी ऐसे समाचारका ही तार पाकर जिसे आप समझ न पाये हों यदि आपके हृदयपर इतनी प्रतिक्रिया हो कि आप अपने

१. देखिए "फिर विदेशी मिशनरी", ७-५-१९३१।

२. डा० हरिदास टी० मजूमदार; गांधी द एपोस्टल, (१९२३); गांधी वर्सेज द एम्पायर, (१९३२), गांधी ट्रायएमफेंट, (१९३९), महात्मा गांधी : पीसफुल रिवोल्युशनरी, १९५२; महात्मा गांधी : ए प्रोफेटिक वॉयस, (१९६३), द ग्रामर ऑफ सोशिओलाजी : मैन इन सोसाइटी १९६६ के लेखक, ये १९२९ में लाहौर काग्रेसके अवसरपर भारत आये थे और गांधीजीके साथ जनवरी-मार्च १९३०के दौरान साबरमतीमें ठहरे थे। वे दांडी यात्रामें और गोलमेज परिषदमें भी उनके साथ थे।

३. उपलब्ध नहीं। उसमें मजूमदारने बहुत ही आवेशमें गांधीजीपर यह आरोप लगाया था कि पुलिसकी बर्बरताकी निष्पक्ष जाँच कराये बिना गोलमेज परिषद्में शामिल होनेपर सहमत होकर उन्होंने जनताके साथ विश्वासघात किया है।

द्वारा दिये गये पहलेके प्रमाणपत्रको ही गलत कह दे, तो फिर आपके किसी प्रमाण-पत्रका कोई मूल्य नही रह जाता। आप देखेंगे कि इससे एक अत्यन्त ही कटु निष्कर्ष यह निकलता है कि आपकी इस रायका आधार भी वैसा ही जल्दबाजीमे किया गया अनुमान है जैसे अनुमान पर आपका पहलेवाला प्रमाणपत्र आधारित था? परन्तु इससे भी कही आश्चर्यजनक है, आपका यह आग्रह कि आपकी व्यक्ति-परक-निष्ठा उतनी ही गहन, उतनी ही तीव्र और हार्दिक तथा दृढ़ है, जितनी कि वह एक वर्ष पहले थी। क्या आप महसूस नही करते कि आपके इस कथन और मेरे बारेमे हालमे दी गई आपकी अपनी रायके बीच एक बहुत ही स्पष्ट विरोध है? निश्चित है कि आपकी निष्ठाका केवल एक ही आधार था—आपकी दृष्टिसे किया गया मेरा मूल्यांकन, मेरे बारेमे आपकी राय और जब इसमे आपको परिवर्तन करना पड गया तो आपकी निष्ठा आधार रहित हो गई। यदि आपने अपने पत्रोकी प्रतियाँ अपने पास रख छोडी हो तो उनसे क्या-क्या निष्कर्ष निकलते है यह तो मेरे बतलानेकी अपेक्षा आप स्वय कही अच्छी तरह समझ सकते है। खैर, मै तो यह सोचकर धीरज रख सकता हूँ कि आपने जो आघात पहुँचाया है उससे कही बडे आघात मै सह चुका हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री हरिदास टी० मजूमदार
सम्पादक 'इडिया टुडे ऐड टुमारो'
२०, वैसी स्ट्रीट, न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५३)की फोटो-नकलसे।

७९. पत्र : ब्रजकृष्ण चांदीवालाको

बोरसद
३ मई, १९३१

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारे खत आते रहते है। मेरी तबीयत अच्छी, प्रोग्राम अनिश्चित है। कब कहां जाना होगा मै नहिं जानता हुं। मेरा खानेका दूध खजुर और जो स्थानिक फल मिले सके वह। दूध १॥ रतलसे ज्यादा नहि ले सकता हु। वजन १०३ रतल है।

तुमारा शरीर कैसे रहता है? बनोईके हाल क्या है?

बापुके आशीर्वाद

जी० एन० २३८९की फोटो-नकलसे।

८०. तार : फ़ामरोज़ बी० गरदाको

बोरसद
४ मई, १९३१

सरदार फ़ामरोज गरदा[1]
नवसारी

सुनता हूँ आपने जिस भूमिको कृपापूर्वक लौटा दिया था भूमिधरोको उसका कब्जा अभी तक नही मिला। खेतीका काम प्रारम्भ होनेका समय आ ही गया है। इसलिए मै चाहूँगा कि तत्काल कब्जा दे दे। मुकदमे भी अबतक वापिस नही लिये गये। आशा है यह विलम्ब अदायगीकी तयशुदा राशिको जमा न कर पानेके कारण नही है। आप जानते ही है कि अदायगी बिलकुल भी सदिग्ध नही। अगर आपको कोई शिकायते हो तो बडी खुशीसे उनकी जाँच करूँगा। कृपया तार द्वारा उत्तर दे।

गाधी

[अग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

८१. पत्र : डॉ० सैयद महमूदको

बोरसद
४ मई, १९३१

प्रिय डा० महमूद,

मै आपके पत्रकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा था। श्री हसन इमामको[2] पत्र लिखनेसे आपने मुझे छुटकारा दिलाया, इसका मै आभार मानता हूँ। मै अपनेको आपको हलचलोसे वाकिफ रखे हूँ; जबतक इस कामका कुछ एक निश्चित रूप उभर कर सामने नही आता, मै आपको मुक्तकण्ठसे बधाई देनेवाला नही हूँ। अगर इस कार्यक्रमको स्थायी बनाना है, तो इसे जनताका कार्यक्रम बनाना होगा। यह कार्यक्रम तबतक जनतातक नही पहुँच सकता, जबतक आप ये दो शर्तें पूरी नही करते.

१. आपका प्रचार-कार्यक्रम इस प्रकारका होना चाहिए कि वह मुसलमान जनताको प्रभावित कर सके, उसको जँच जाये। इसलिए कार्यक्रम उनके हितमे होना चाहिए।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", ७-५-१९३१ का उपशीर्षक "किसानोंकी बिकी हुई जमीनें"।
२. देखिए "पत्र : डॉ० सैयद महमूदको", १९-४-१९३१।

२. इसे अमलमे लानेके लिए आपके पास कार्यकर्त्ताओकी एक बडी टोली होनी चाहिए।

आप यह क्यो कहते है कि मैंने करार तोडा है। क्या मैंने इस सवालको लेकर कोई ऐसी वात कही या लिखी है जो करारका उल्लघन करती हो। नवाब भोपालकी सद्भावनापूर्ण पहलको बिलकुल ठुकरा देना तो मुझे शोभा नही देता। और आखिर उनको इस सिलसिलेमे सम्भावनाओकी चर्चा करनेके लिए आपको बुलाना ही पड़ता। बम्बईमे हुई मुलाकातके बाद मुझे उनका कोई सन्देश नही मिला। और वडे भाईसे[1] भी वम्बईमे आधे घटेकी भेटके बाद फिर मेरी कोई भेंट नही हो सकी। श्रीमती नायडू उनको ले आई थी। और मै पहलेकी तरह ही उनसे सोत्साह मिला था। इससे अधिक मैंने अगर कुछ किया है तो बस प्रार्थना-भर की है जिसके बारेमे मैंने एक पत्र-प्रतिनिधिको बताया भी था। हाँ, मै उन्हीके अनुरोधपर मुल्लाजीसे भी मिला था। क्या यह मैंने गलत किया?

हाँ, वृद्धा-विधवाकी[2] हालत तो करुणाजनक होगी, यद्यपि वह बहुत बहादुर महिला है। मेरा ख्याल है कि आप उनसे रोज मिल लेते होगे। कृपया उनसे मेरा सस्नेह अभिवादन कहिए। क्या सरूप[3] वही है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[पुनश्च]

इस माह ११ तारीखके करीब मुझे शायद शिमला जाना पडे।

अग्रेजी (जी० एन० ५०८०)की फोटो-नकलसे।

८२. पत्र : तान युन-शानको[4]

[स्थायी पता] साबरमती
४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आप जब भी ठीक समझे फिरसे अवश्य पधारे।
चीनी विद्यार्थियोको मेरा यह सन्देश है·

१. शौकत अली।
२. मोतीलाल नेहरूकी विधवा पत्नी।
३. विजयलक्ष्मी पडित।
४. तान युन-शान बारडोलीमें गांधीजीसे मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे चीनी विद्यार्थियोको अपने आशीर्वाद सहित एक सन्देश दें। गाधीजीका सन्देश चीनकी लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओंमें व्यापक रूपसे प्रकाशित हुआ था और न केवल विद्यार्थियोने बल्कि सभी लोगोंने इसकी सराहना की थी।

"ध्यान रखिए कि चीनकी मुक्ति शुद्ध अहिंसासे ही होगी – ऐसी अहिंसा जिसमे कोई मिलावट न हो।"

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ९६७३) की फोटो-नकलसे तथा सिनो-इंडियन जर्नलके "गाधी स्मृति अंक," खण्ड १, भाग २, पृष्ठ ३७ से भी।

८३. पत्र : दलाई लामाको[1]

[स्थायी पता] सावरमती
४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके उपहारके लिए धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी भाषा नही समझ सकता। मेरी इच्छा और आशा है कि तिब्बतके लोग भगवान बुद्ध द्वारा दिये अहिंसाके पवित्र सन्देशको समझे और उसपर अमल करे।

आपका मित्र,
मो० क० गांधी

महाविभव लामा
तिब्बत

अंग्रेजी (जी० एन० ९६७४) की फोटो-नकलसे भी, तथा सी० डब्ल्यू० ६२०८ सौजन्य : मीरावहन

१. तान युन-शान तिब्बतके १३ वें दलाई लामाका पत्र लाये थे। पत्र तिब्बती भाषामें था जिसे कोई पढ नहीं पाया। गाधीजीने कहा था कि वे पत्रकी प्राप्ति स्वीकृति गुजराती भाषामें करेंगे ताकि दलाई लामा उसे समझे बिना पत्रका आनन्द ले सकें। मीरावहनकी टिप्पणीके अनुसार यह पत्र मूल गुजरातीका अंग्रेजी अनुवाद है। मूल पत्र उपलब्ध नहीं है।

८४. पत्र : नारणदास गांधीको

४ मई, १९३१

चि० नारणदास,

तुमपर एक वोझ और वढ जायेगा। जमनादास रतिलालकी[1] बात करेगा। जव वह आये उसे वगलेमे रखना। ऊधम करे तो उसे वाँधकर रखनेके सिवा कोई चारा नही है। डॉ० कानूगा और डॉ० हरिभाईको वुलाना। उनको फीस दे देना और वे जो कहे, वही करना। डॉ० हरिभाई अपने अस्पतालमे रखे तो वहाँ, नही तो पागलखानेमे रखे। सम्भव है, वह ठीक हो जाये, फिर भी उसके वारेमे हमे सावधान तो रहना ही चाहिए। उसके पास छुरी आदि न रहने पाये। किसी व्यक्तिको उसकी देखरेखके लिए नियुक्त करना पडे तो कर देना। नया व्यक्ति रखना ही हो तो वेतन देकर भी रख लेना। मै नही चाहता कि इसमे तुम्हारा ज्यादा समय जाये। फिर भी उसकी जिम्मेदारी लिए विना छुटकारा नही। शायद उसे प्रेमसे वशमे किया जा सके। यदि चम्पा[2] भी आये तो मुझे लगता है कि वह उसके साथ नही रह सकती। वह आये तो आश्रममे रहे। यदि उसमे स्वय रतिलालके साथ रहनेकी हिम्मत हो तो दूसरी वात है।

दूसरा सवाल लक्ष्मीका[3] है। लक्ष्मीका लालन-पालन इस रीतिसे हुआ है कि किसी अन्त्यजको सौपनेसे वह सुखी नही रह सकती। मुझे अनायास ही मारुतिका विचार आया। लक्ष्मीदासका पत्र पढ लेना और अपनी राय लिखना। धर्मदृष्टिसे भी यह कदम उचित और आवश्यक लगता है। फिर भी तुम्हारी निष्पक्ष राय जानना चाहता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०—१ से।

१. डा० प्राणजीवन मेहताके पुत्र जो कि पागल हो गये थे।
२. रतिलालकी पत्नी।
३. दूधाभाईकी लड़की जिसे गांधीजी अपनी पुत्री मानते थे।

८५. पत्र : किशनसिंह चावड़ाको

वोरसद
४ मई, १९३१

भाई किशनसिंह,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। उसमें मुझे कोई नई दलील नही दिखाई देती। तुमने जो विरोध व्यक्त किया है, उस सवका जवाव कई वार 'यग इडिया' तथा 'नवजीवन' में दिया जा चुका है। इसलिए अव तो तुम जव किसी दिन मिलोगे तो इस प्रश्नपर थोडी-सी चर्चा करनेको तैयार रहूँगा। इसके लिए जूनसे पहले समय नही मिल सकता। इस वीच मेरी सलाह है कि मै जो-कुछ लिख चुका हूँ, उसपर पुन विचार करो।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९५)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य किशनसिंह चावडा

८६. पत्र : जमनादास गांधीको

४ मई, १९३१

चि० जमनादास,

साथके दोनो पत्र [यथास्थान] भिजवा देना। डाक्टरको लम्बा तार किया है। पत्र भी लिखा है। मुझे पत्र लिखते रहना। तुम डाक्टरको लिखो तो अच्छा रहे। मैंने उसके तार और पत्रमे तुम्हारा उल्लेख किया है।

मनुके बारेमे पूरी बातोका पता लगाकर लिखना। केलीसे मिल चुके होओ तो उसके बारेमे भी लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२०)से।
सौजन्य जमनादास गाधी

८७. पत्र : शारदाबहन चि० शाहको

बोरसद
४ मई, १९३१

चि० शारदा,

क्या खुद मुझे लिखे बिना मुझसे पत्र पानेकी तुम्हारी अपेक्षा उचित है? फिलहाल मै न लिखूं तो भी तुम सब तो मुझे लिख सकती हो।

आनन्दी यहाँ नही है। तेरे कौन-कौनसे पाँच वर्ग चल रहे है और पढाता कौन है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९००)से।
सौजन्य : शारदाबहन चोखावाला

८८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

बिहारके सम्बन्धमे लगाये गये जिन विभिन्न आरोपोकी प्रतियाँ आपने भेजनेकी कृपा की थी, उनका उत्तर प्राप्त करनेमें मुझे थोडा समय लग गया। बाबू राजेन्द्रप्रसादने सभी आरोपोकी जाँच कराई थी और उनके ही द्वारा तैयार किया गया, उस जाँचका सक्षिप्त सार मै आपको भेज रहा हूँ। पूरी रिपोर्ट भेजकर मै आपकी व्यस्तता नही बढाना चाहता, लेकिन यदि आप सारको पढकर आगे कुछ जानना चाहेगे तो मै आपके पास पूरी रिपोर्ट सहर्ष भेज दूँगा।

बाबु राजेन्द्रप्रसादने समझौतेकी बहुत-सी धाराओको स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यान्वित न किये जानेकी शिकायत की है। उसकी एक प्रति आपको भेज रहा हूँ। मै जानता हूँ कि वकीलोके मामलेमे सरकारको औपचारिक रूपसे दोषी नही ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी सवाल उठानेके और तरीके तो है ही।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह सचिव, भारत सरकार
शिमला

[५ मई, १९३१]

[पुनश्च:]

यह पत्र मैंने कल बोलकर लिखवाया था। आज मेरा मौनव्रत है। इसी महीनेकी २ तारीखका आपका कृपापत्र मिला। विहारका पहला विवरण गलतीसे मेरे टाइपिस्टको नहीं दिया गया था, इसलिए मैं मूल विवरण ही भेज रहा हूँ। कृपया लौटा दें।

आपने मेरे शिमला आनेकी तारीख ११ के आसपास रखी है। ११ तारीखको सोमवार है। अगर मैं १३ तारीखको शिमला पहुँचूं तो क्या यह ठीक होगा? कृपया नई तारीखकी सूचना तारसे भेजें। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं खेडाके मामलेको जितना मुझसे बन सके निबटा देना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरी उपस्थिति और भी जल्दी आवश्यक हो तो मैं अपने कुछ काम रोक दूँगा।

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी, फाइल-संख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

८९. पत्र: फ्लोरेंस रोजनब्लाटको

[स्थायी पता] साबरमती
५ मई, १९३१

मेरी युवा मित्र,

तुम्हारा सुन्दर पत्र मिला। तुम्हें अपनी आत्माको शान्त बनाये रखना चाहिए। मेरे जीवनकी जो भी बात तुमको अच्छी लगी हो, उसे तुम वहाँ रहकर भी अपना सकती हो और इस हदतक जिस हदतक यह मिलने पर सम्भव है, बल्कि ऐसा करना मिलनेसे भी अच्छा रहेगा। तुम भारतके लिए प्रभावकारी ढँगसे जो कर सकती हो सो तो यही है कि जहाँ भी कहीं कोई भारत अथवा यहाँके निवासियोंकी बुराई करे, वहाँ तुम इस देशकी तारीफमें कुछ ठीक शब्द कह दो। भारतकी प्रशंसामें विश्वासके साथ कुछ कहनेके लिए तुम्हें भारतीय संघर्षके सम्बन्धमें अध्ययन करनेके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। तभी तुम साधिकार कुछ कह सकोगी।

हृदयसे तुम्हारा,

फ्लोरेंस रोजनब्लाट
ब्रूकलिन, न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०२९)की फोटो-नकलसे।

९०. पत्र : वी० टी० कृष्णमाचारीको

बोरसद
५ मई, १९३१

प्रिय दीवान साहब,

बीजापुरमे 'उद्योगालय' नामक एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है। आपके पहले जो दीवान थे, मुझे उनकी कृपासे, विशेषकर महिलाओ द्वारा कताई-बुनाईके केन्द्रकी स्थापनाके लिए जमीनका एक टुकडा प्राप्त हुआ था। उस जमीनका पट्टा एक महिला कार्यकर्त्रीके नामपर दिया गया था। अब उन्होने इस कार्यसे अवकाश ग्रहण कर लिया है। जहाँतक उनका सम्बन्ध है, उन्होने जमीनका वैधानिक अधिकार सत्याग्रह-आश्रमके न्यासियोको सौप दिया है। एक न्यासी तो उद्योगालयमें काम भी कर रहा है। उसने जमीनका पट्टा सत्याग्रह-आश्रमके न्यासियोके नाम करानेके लिए प्रयत्न भी किया था। काफी समयतक प्रतीक्षा करानेके बाद सम्बन्धित अधिकारीने जमीनकी दाखिल-खारिजकी अर्जी नामजूर कर दी। जहाँतक मेरी जानकारी है, अधिकारीने इसका कोई कारण नही बताया। एक बार यह भी सुननेमे आया था कि यदि प्रतिष्ठान इस बातको लिखकर दे दे कि उसका राजनीतिसे कुछ सम्बन्ध नही रहेगा, तो जमीनके हस्तान्तरणमे कोई परेशानी नही होगी। मेरा ख्याल है कि इसके बाद अधिकारीकी बदली हो गई। निःसन्देह, मेरी कार्य-प्रणालीके अनुरूप इस सस्थाका भी अन्य देशी राज्योमे चल रहे प्रतिष्ठानोकी तरह आरम्भसे ही राजनीतिके साथ बिलकुल कोई सम्बन्ध नही रहा। पिछले सघर्षके दौरान भी यही बात रही। जैसा कि आप जानते है, अखिल भारतीय चरखा सघके माध्यमसे बडौदा राज्यको अपने ग्रामोके पुनर्गठनमे चरखेसे बडा सहयोग मिलता रहा है। बीजापुरमे चल रहा कार्य भी इसी प्रकारका है। क्या आप इस मामलेको देखनेका कष्ट करेगे और यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्योसे आप सन्तुष्ट हो, तो उपर्युक्त न्यासियोके नाम जमीनका पट्टा कर देनेके आदेश जारी कर देगे? राज्यने यह जमीन आजकल तो बहुत थोडे किराए पर कुछ लोकसेवाके कार्योंके लिए दे रखी है, लेकिन यदि राज्यको कोई आपत्ति न हो तो मै इस जमीनको खरीद लेना चाहूँगा। पहले भी ऐसा प्रस्ताव किया गया था। मै यहाँ यह भी बतला दूं कि हमने इस जमीनपर १२,००० रुपयेकी लागत की एक इमारत बना ली है। इस सस्थाके माध्यमसे कताईका काम देकर हम बीजापुरकी बहुत-सी गरीब महिलाओ तथा बुनकरो और धुनियोकी एक बस्तीके लिए निर्वाहका साधन जुटा रहे है। इसके अतिरिक्त इस प्रतिष्ठानका कोई और कार्यक्रम नही है। मुझे दु.ख है कि इस छोटे-से मामलेको लेकर मुझे आपको कष्ट देना

पड़ा। पर मेरे लिए यह बात छोटी नहीं है, क्योंकि मुझपर अनेक लोगोंके हितोंकी देखरेखकी जिम्मेवारी है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री वी० टी० कृष्णमाचारी
बड़ौदाके दीवान
बड़ौदा

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३०) की फोटो-नकलसे।

९१. पत्र : बॉयड टुकरको

वोरसद
५ मई, १९३१

प्रिय बॉयड,

आपका पत्र पाकर और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतके मैदानी इलाकोंकी भीषण गर्मीसे आपको थोड़ी राहत मिल गई है। मेरी अमेरिका-यात्राकी अफवाहमें कोई सार नहीं। लेकिन जैसे ही यह समाचार विदेशोंमें फैला, मुझे श्री पेज, डॉ० शेरवुड एडी, रेवेरेड होम्स, डॉ० वार्ड और अन्य लोगोंके हस्ताक्षरसे एक तार मिला, जिसमें मुझे बिलकुल निश्चित और एक स्वरसे अमेरिकाकी यात्राके विरुद्ध आगाह किया गया था।[1] उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि आप गये तो लोग आपकी यात्राका अनुचित लाभ उठानेकी कोशिश करेंगे; आप अमेरिकी जनताके बीच जानेकी अपेक्षा यहाँ दूर रहकर अपने उद्देश्यकी सेवा कहीं अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। ध्यान रखिए यह सब एक ही तारमें लिखा गया है। इसी डाकसे मेरे किसी अपरिचित अमेरिकी मित्रका एक पत्र भी आया है, जिसमें मेरे कार्य और सन्देशको तो उचित बताया गया है, पर मुझे साग्रह समझानेकी कोशिश की गई है कि मैं अमेरिका न जाऊँ। मुझे भी बिलकुल ऐसा ही लग रहा है। इसलिए यदि मैं लन्दन गया और मेरे पास कुछ सप्ताहोंका समय हुआ, तो भी अपने सम्माननीय मित्रोंकी इन चेतावनियोंको ध्यानमें रखते हुए मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा। और अधिक सोच-विचारके बाद क्या आपकी भी लगभग यही राय नहीं बन जायेगी?

अब रही लन्दनकी बात। जबतक हिन्दू-मुसलमानोंकी समस्या हल नहीं हो जाती, मेरे वहाँ जानेकी कोई सम्भावना नहीं है। यदि मैं वहाँ गया भी तो मैं आपके समाजको पूर्ण सम्मान देते हुए भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि आपकी सेवाओंका

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-५-१९३१ का उपशीर्षक "अमेरिका जानेकी अफवाह"।

मैं क्या उपयोग कर सकूंगा। फिर एन्ड्रयूज वहाँ मौजूद ही है जो हर तरहसे मुझे अपनी गिरफ्तमे ले लेगे, यह आप जानते ही है। उनका एक पत्र मेरे पास आया है, जिसमे उन्होने मेरी लन्दन-यात्राको सर्वथा निश्चित मान लिया है और अपने-आपको मेरी सेवामें नियुक्त कर लिया है और यह भी लिख दिया है कि मुझे कहाँ ठहरना है। हेनरी पोलक भी वहाँ है, जिन्होने दक्षिण आफ्रिकामे वर्षो मेरे कार्यालयमे काम किया है। फिर वहाँ म्यूरियल लेस्टर इनके सिवा है। इसलिए अगर आप मेरे साथ लन्दन चले भी, तो सचिवकी हैसियतसे नही। फिर मुझे मीराका भी ख्याल रखना होगा। वह तो मेरे साथ होगी ही। लेकिन यह सब अभीतक अटकलबाजी ही है। मैंने सोच लिया था कि यदि जाना निश्चित हुआ तो कार्यक्रमकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आप कराचीमे मेरे साथ थे, उससे मुझे खुशी हुई थी। दुख तो इस वातका रहा कि मै आपके साथ फुरसतसे बैठकर वातचीत नही कर पाया। यह जरूर एक बुरी वात रही कि आपसे कोई-न-कोई चीज गुम होती ही रहती थी; लेकिन मै उसे ऐसी अयोग्यता नही मानता कि वह आपको साथ ले चलनेमे वाधक वने। मुझे आपसे अपने असबाबकी निगरानी की अपेक्षा कही अधिक अच्छा काम ले सकना चाहिए।

श्री वॉयड टुकर
द्वारा पोस्ट मास्टर,
श्रीनगर (कश्मीर)

अग्रेजी (एस० एन० १७०३१) की फोटो-नकलसे।

९२. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

बोरसद
५ मई, १९३१

प्रिय राजेन्द्र वावू,

समय वचानेकी दृष्टिसे मै यह पत्र वोलकर लिखा रहा हूँ। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके मन्त्रीके नाम आपका पत्र तथा आपके दो वक्तव्योंकी प्रतियाँ मैंने सरकारको भेज दी है और मुझे आशा है कि मै अगले सप्ताह शिमला जाऊँगा, जहाँ अन्य वातोके साथ-साथ विहारकी स्थितिकी भी चर्चा करूँगा; इसलिए शिमला-यात्राके वाद ही आपको पत्र लिखूंगा। आशा है, आप स्वस्थ होगे। व्रजकिशोर बावू कैसे है?

श्री राजेन्द्रप्रसाद
सदाकत आश्रम
जिला पटना

अग्रेजी (एस० एन० १७०३२) की फोटो-नकलसे।

९३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको

[स्थायी पता,] साबरमती
५ मई, १९३१

यह पत्र रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सके बारेमे जानकारी देनेके लिए लिख रहा हूँ। उनका पता है टर्नर्स कोर्ट, बेनसन, आक्सफोर्डके समीप। उनको समझौतेसे निराशा हुई है। जिस लडकीसे उनका विवाह होनेवाला था, उससे उनकी सगाई टूट गई है। उनकी आर्थिक दशा खराब है। मेरी उनके साथ हार्दिक सहानुभूति है। मै नही समझता कि उनके पत्रके 'यग इडिया' मे प्रकाशित मेरे उत्तरसे[1] उनको कोई सन्तोष हुआ है। मै चाहूँगा कि वे इतना समझ ले कि सब-कुछ ठीक चल रहा है और समझौतेके लिए सिद्धान्तका होम नही किया गया है। मै चाहूँगा कि आप उसके पास जाकर इस विषयसे सम्बन्धित पूरी बात उनको समझा दे, और अन्यथा भी उनकी सहायता करके उनका एकाकीपन दूर करे। वह तो सोने-जैसे खरे और अत्यन्त ही वीर व्यक्ति है। लगता है, जो-कुछ मैंने आपको लिखा है, सब अनावश्यक ही है और आप इससे पहले ही उनसे मिल चुके होगे तथा मैंने जितना-कुछ उनके बारेमें कहा है उससे ज्यादा आप स्वय जान गये होगे। लेकिन मै भी आपको लिखे बिना नही रह सका, आप इन बातोमे मेरे प्रति सहानुभूतिका भाव रखेगे ही, क्यो कि आप इस तरहके काम मुझसे कही अधिक कई बार कर चुके है। मै अब भी गुजरातकी समस्यामे व्यस्त हूँ, इतना व्यस्त कि और किसी कामके लिए समय ही नही रहता। अफसरोकी काहिली, अनिच्छा और यहाँतक विरोधके रहते हुए समझौतेको लागू कराना बडा कठिन काम है। यह तो मेरा भी धैर्य डिगा देता लेकिन आशा है, मुझे यह परिस्थिति पस्त नही कर पायेगी। वातावरण अब जरा साफ हो गया है। अगले सप्ताहमे शिमला जानेका विचार कर रहा हूँ, वहाँ समझौतेसे सम्बन्धित इस तथा अन्य मामलोपर और गोलमेज परिषद्के सम्बन्धमे भी बातचीत करूँगा। हिन्दू-मुस्लिम समस्याका हल निकलनेके पहलेसे ज्यादा अच्छे आसार दिखाई नही पडते। जबतक यह रोडा रास्तेसे नही हटता, मेरे लन्दन जानेका सवाल ही पैदा नही होता।

श्री सी० एफ० एन्ड्रचूज

अग्रेजी (एस० एन० १७०३३) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "एक अंग्रेजकी परेशानी", १६-४-१९३१।

९४. पत्र : नानीबहन झवेरीको

बोरसद
५ मई, १९३१

चि० नानीबहन,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा स्वास्थ्य किसी भी तरह सुधर जाये तो वही काफी है। गगाबहन कहाँ है? कैसी है?

पुस्तके तो तुमने बहुत-सी पसन्द कर ली है। अमृतलाल मणियारकी पुस्तकोमे पढ जाने लायक बाते है।

पन्नालालके प्रश्नोका समाधान न हुआ हो तो वह मुझे लिखता रहे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३११२) की फोटो-नकलसे।

९५. पत्र : महावीर गिरिको

५ मई, १९३१

चि० महावीर,

तुम्हारा पत्र मिला। विभक्ति-प्रत्यय नामसे अलग नही[2] लिखा जा सकता। समासके पद भी अलग-अलग नही लिखे जा सकते। इसलिए 'चरण कमल'मे नही, 'चरणकमलमे' लिखा जायेगा। क्या दैनन्दिनी लिखते हो? 'गीता' आदि जबानी याद कर रहे हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२८) की फोटो-नकलसे।

१. आश्रम-दुग्धालयके प्रबन्धक पन्नालाल झवेरीकी पत्नी।

२. विभक्तियोंको संज्ञासे हटाकर और सटाकर लिखनेमें विकल्प है। समस्त पदोंमें विकल्प नहीं हैं; उन्हें अलग-अलग नहीं लिख सकते।

९६. सन्देश : भूटानवासियोंको[1]

वोरसद
५ मई, १९३१

आपसे मिलकर खुशी हुई। आशा है, भूटानवासी सत्य और अहिंसाका सन्देश पूरी तरह समझकर उसके अनुरूप आचरण करेंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३१

९७. सन्देश : खादीका[2]

वोरसद
५ मई, १९३१

लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं खादीके पीछे दीवाना क्यों बना हुआ हूँ। गाँवोंकी संख्या सात लाख है। इन गाँवोंकी एक बड़ी संख्या लगभग भुखमरीकी अवस्थामें दिन काट रही है। वहाँ वर्षमें लगभग छः महीने लोगोंके पास काम नहीं रहता। इनके लिए कोई अनुपूरक धन्धा ढूँढना जरूरी है। हमें उनके लिए कोई ऐसा धन्धा खोजना चाहिए जिसे वे पहले करते रहे हों। हाथ-कताई इसी प्रकारका एक धन्धा है। अगर गाँवोंमें हाथकी कताईका प्रचार करना है तो लोगोंसे खादी पहननेकी अपेक्षा रखना स्वाभाविक ही है। इसलिए मैं खादीके पीछे दीवाना हूँ।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-५-१९३१

९८. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

वोरसद
६ मई, १९३१
सुबहकी प्रार्थनाके तत्काल बाद

भाई हरिभाऊ,

तुम्हारे पत्र मिलते रहते हैं। तुम्हें मैंने जो तार[3] भेजा था, उसकी पहुँच अभीतक नहीं मिली। मिल जानी चाहिए थी। तारमें इतना ही था कि मैं उदय-

१. भूटान-नरेशके भाई द्वारा सोने और चाँदीकी दो छोटी मंजूषाएँ और हाथसे बुना कपड़ा भेंट किये जानेके अवसरपर यह सन्देश गांधीजीने हिन्दीमें दिया था।
२. यह सन्देश एक भारतीय फिल्म कम्पनीको पहले हिन्दी, फिर अंग्रेजीमें दिया था।
३. देखिए "तार: हरिभाऊ उपाध्यायको", २-५-१९३१।

पुरमे किसीको तार नही दे पाऊँगा। मैं वहाँ किसीको नही जानता। मालवीयजी और जमनालाल तार दे सकते है। तुमने रामको तो लिखा ही है। यह ठीक किया। मणिलाल कहाँ है, इसकी भी मुझे खबर नही। उसको एक तार दिया था, जवाव नही मिला।

तुम्हारी स्थिति विषम है। सम्भव है कि रियासत तुम्हारी बात न सुने। ट्रेचको[1] तुमने पत्र लिखा है; शायद वह उसकी परवाह न करे। पर लिखकर अच्छा किया है। उससे नुकसान नही होगा। यदि लोगोका दु.ख दूर न किया गया हो तो तुम्हे स्वयं सीमाको पार करके जेलमे जाना चाहिए, क्योकि तुमने उनका मुखिया वनना स्वीकार किया है। यदि किसान अहिंसाका पूरा-पूरा पालन करेगे तो जीत उनको मिलेगी ही। जमीनका कब्जा लेनेमे अहिंसाकी रक्षा कहाँतक हो सकती है, यह प्रश्न तो रहेगा ही। रियासतके सिपाही कब्जा छीनने आ जाये तब लोग क्या करेगे? विरोध करेगे? वैठे रहेगे? कई प्रश्न उठते है। ऐसे मामलोमे स्थूल अहिंसाका पालन ही देखनेमे आता है। आसपासकी हकीकत देखने-विचारनेके वाद जैसा तुम्हे ठीक लगे वैसा करना। फिर वादमे भले ही जिसे तुम अहिंसा मानो, वह मुझे हिंसा ही क्यो न लगे। शुद्ध भावसे व्यवहार करनेके सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता ही नही है। मुझे सव वाते दीपककी तरह स्पष्ट दिखाई दे रही होती तो मै यह निर्णय तुमपर न लादता। क्योकि [वहाँकी] रियासतोमे जो हो रहा है, वह देशकी दूसरी रियासतोमे भी हो रहा है; और अग्रेजी राज्यके अचलोमें भी वही हो रहा है। उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जो सघर्ष पहले हुआ, उसका प्रभाव तात्कालिक था, ज्यादा देरतक टिकनेवाला नही था। अहिंसाका वह प्रयोग बडे पैमानेपर किया गया था; किन्तु वह इतना शुद्ध नही था या रह नही पाया। वह लाचारोकी अहिंसा थी। इसका शोक नही है। इतना ही कर पाना सम्भव था। जो-कुछ हुआ, उसके सच्चे स्वरूपको ठीक ढंगसे देखना ही ऊपरकी टीकाका उद्देश्य है।

'त्यागभूमि'के वारेमे समझ गया हूँ। विज्ञापनोके बारेमे भी समझ गया हूँ। जो हो सके सो करना।

रामनारायणको कही जाकर पूरी तरह आराम जरूर करना चाहिए। उसे काम न करने देना। अलमोडा जाना शायद आसान रहेगा। जहाँ जायेगा, वहाँ सेवा-कार्य तो मिलेगा ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०७३) से।
सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय

१. उदयपुर राज्यके राजस्व आयुक्त।

९९. तार : फ़ामरोज़ बी० गरदाको[1]

बोरसद
६ मई, १९३१

सरदार फ़ामरोज गरदा
नवसारी

आश्चर्यजनक तार मिला। क्या मैं यह मान लूँ कि आपने समझौता अस्वीकृत कर दिया है। मैंने कहा था कि जिस तरह तग किया जा रहा है, उसके स्पष्ट ठोस उदाहरण बतलाइए।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१००. तार : सर कावसजी जहाँगीरको

[६ मई, १९३१][2]

सर कावसजी जहाँगीर
नेपियन सी रोड
बम्बई

सरदार गरदाका तार है कि अस्पष्ट आरोप लगाकर समझौतेको एक तरहसे तिलाजलि ही दी जा रही है और तग करना जारी है। उन्हे सुस्पष्ट उदाहरण जुटानेको कहा है। बोनेका समय आ रहा है।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल-संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय, तथा पुस्तकालय

१. फ़ामरोज बी० गरदाके तारके उत्तरमें, जो इस प्रकार था: "खेद है, इस सम्बन्धमें कुछ नहीं हो सकता। समझौतेके बाद भी लोगोंका व्यवहार अत्यधिक परेशानी पैदा करनेवाला है।"

२. देखिए पिछला शीर्षक।

१०१. पत्र : अब्बास तैयबजीको

बोरसद
६ मई, १९३१

प्रिय मुर्रर,[1]

विद्यापीठके पतेपर भेजा आपका पत्र मुझे नही मिला। आशा है, कुछ समय बाद मिल जायेगा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका ऑपरेशन सफल रहा। आशा है, इसके बाद अब ऑपरेशनकी जरूरत कभी नही पड़ेगी। अस्पतालमें आपको कबतक रखेंगे? मै कमसे-कम सोमवारतक तो बोरसदमे रहूँगा ही। फिर मुझे शिमला जाना पड सकता है।

मुझे विद्यापीठवाला आपका पत्र अभी मिला। मै गायकवाडको लिख रहा हूँ। लगता है, कही जरूरतसे ज्यादा विलम्ब न हो गया हो। मुझे अभी बड़ौदा बिलकुल नही जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
बापू

श्रीयुत अब्बास तैयबजी
के० ई० एम० अस्पताल
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० ९५७५)की फोटो-नकलसे।

१०२. पत्र : यूसुफ हुसैनको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

मेरे नौजवान दोस्त,

१० मार्चका आपका खत पाकर बहुत खुश हुआ। उसका उत्तर जल्दी न लिखनेके लिए आप मुझे माफ करेंगे। मै इस बीच बहुत ही व्यस्त रहा और सफरमे होनेके कारण कही अधिक नही रह पाया। तरुण विद्यार्थी देशके लिए बेशक बहुत काफी काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि वे खादी पहनकर उन गरीबोकी मदद करे जो घरोमें बैठकर कताई-बुनाई करते है। वे खुद भी हाथ-कताई और धुनाई कर सकते है। इस तरह वे मुल्ककी दौलत बढा सकेंगे और पढ़ाई पूरी

१. गाधीजी और तैयबजी द्वारा आपसमें अपनाया गया अभिवादनका प्रकार।

करनेके बाद गाँवोमे काम करनेके लायक भी बन जायेंगे। विद्यार्थी दूसरी जातिके नौजवानोके साथ दोस्ती करके और विभिन्न प्रकारो एक-दूसरेकी सेवा करके और तनाव के दिनोमे खतरेमे पडे लोगोकी सहायता करने और उन्हें बचानेके लिए अपनी जान तककी बाजी लगाकर दोनो जातियोमें नेकनीयतीको बढावा भी दे सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री यूसुफ हुसैन
मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३५)की माइक्रोफिल्मसे।

१०३. पत्र : एच० हरकोर्टको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। उत्तर देनेमें विलम्बके लिए मुझे क्षमा करे; पर मै लाचार था। मै नही कह सकता कि गोलमेज परिषद्के फलस्वरूप दोनो देशोके बीच स्थायी तौरपर सद्भावना स्थापित हो गई है। तथापि दोनों देशोके प्रतिनिधि आपसमे समझौता करनेको कृत-संकल्प हो तो परिषद्से बहुत लाभ हो सकता है। मै यह भली-भाँति समझता हूँ और इस बातके लिए बडा आभारी हूँ कि ब्रिटिश द्वीप-समूहमे मेरे प्रति अनेक अपरिचित सज्जनकी मित्रताका भाव रखते है।

हृदयसे आपका,

श्री एच० हरकोर्ट, लन्दन, दक्षिण पूर्व १९

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३६) की फोटो-नकलसे।

१०४. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

कोयम्बटूरके चिन्नापावुका एक पत्र भेज रहा हूँ। उन्होने अपने पत्रमे आपका उल्लेख किया है। उनके और उनके कामके बारेमें कृपया मुझे पूरी-पूरी जानकारी दे। मै चाहता हूँ कि आप ही इस पत्रके सिलसिलेमें उन्हे लिखे। उन्होने सिंगानाल्लूरमे आदि-द्रविडोंके साथ व्यवहारके बारेमें जो लिखा है, क्या वह सच हो सकता है?

संलग्न : १

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७०३७) की फोटो-नकलसे।

१०५. पत्र : रुनहम ब्राउनको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके ४ फरवरीके पत्रके लिए धन्यवाद। इसकी प्राप्ति सूचना पहले न भेज पानेके लिए मुझे क्षमा करे। वह किसी तरह सम्भव ही नही हो पाया। मेरा ख्याल है कि प्रो० आइन्स्टीनका सुझाव सर्वथा तर्कसंगत है। और यदि युद्धमें विश्वास न करनेवालोंके लिए युद्ध सम्बन्धी सेवाओमे शामिल होनेसे इन्कार करना उचित माना जाता है, तो इससे अनिवार्य निष्कर्ष यही निकलता है कि युद्धका प्रतिरोध करने वालोको कमसे-कम उनके साथ सहानुभूति तो रखनी ही चाहिए; भले ही उनमें अपने अन्तःकरणकी खातिर कष्ट-सहन करनेवाले लोगोंके उदाहरण पर स्वयं अमल कर सकने जितना साहस न हो।

हृदयसे आपका,

श्री एच० रुनहम ब्राउन
११, एवे रोड, एन्फील्ड
मिडिल सेक्स (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३८) की फोटो-नकलसे।

१०६. पत्र : खानचन्द देवको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय लाला खानचन्द,

आपका पत्र मिला। मैं इन सभी मामलोंके सिलसिलेमें सरकारसे लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ और सम्भव है कि इन सबके बारेमें चर्चा करनेके लिए मैं शिमला भी जाऊँ। इसलिए इस समय तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि वहाँ जो कुछ भी हो, उसकी खबर मुझे देते रहें। मेरी यह भी सलाह है कि आप धरने देना शुरू न करें और यदि पूर्ण शान्ति न रख सकें तो जो धरने चल रहे हों उनको भी बन्द कर दें। किसी भी तरहका उत्पात नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि पंजाबके गवर्नरके इस आरोपमें कितनी सचाई है कि तरह-तरहके उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये गये हैं। क्या आप पंजाबके समाचारपत्रोंको नियन्त्रणमें रख सकते हैं? मैं जानता हूँ कि अक्सर हिंसात्मक लेख लिखे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेससे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति हिंसात्मक भाषण दे या लेख लिखे। इस प्रकारके भाषणों और लेखोंसे हमारा पक्ष कमजोर होता है।

हृदयसे आपका,

लाला खानचन्द देव
पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
ब्रैडलॉ हॉल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७०३९) की माइक्रोफिल्मसे।

१०७. पत्र : गुलजारीलाल नन्दाको

बोरसद
६ मई, १९३१

प्रिय गुलजारीलाल,

श्री गिडनीसे तुम दृढ़तापूर्वक कह दो कि किसी तरहकी भी जोर-जबर्दस्ती नहीं की जा रही है। परन्तु सदस्यताकी कुछ शर्तें निश्चित करनेका तुमको पूरा अधिकार है। समझौतेकी यही अपेक्षा है कि धरने नितान्त शान्तिपूर्ण रहें, सब मानते हैं कि वे शान्तिपूर्ण ही हैं। सरकार किसी भी सूरतमें शराब सम्बन्धी कानूनके प्रत्यक्ष उल्लंघनोंकी ओरसे आँखें नहीं मूँद सकती। मुझे शायद सरकार और जनताकी ओरसे किये गये समझौतेके तथाकथित उल्लंघनोंके सिलसिलेमें अगले सप्ताह शिमला जाना

पड़े। इसलिए कोशिश करके सारा विवरण जुटा दिया जाये। तुमने जो धाराएँ भेजी थी, मेरे पास हैं।

श्री गुलजारीलाल नन्दा
सूती वस्त्र श्रमिक सघ
मजदूर कार्यालय
लाल दरवाजा, अहमदाबाद

अग्रेजी (एस० एन० १७०४०) की माइक्रोफिल्मसे।

१०८. पत्र : कोंडा वैंकटप्पैयाको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय वैकटप्पैया,

कृपया सलग्न पत्र पढ जाइए। नीडूके[1] बारेमे आप जो भी जानते हो सब मुझे लिख भेजिए या पूछताछ करके मुझे बतलाइए। क्या इस सारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिके लिए वह स्वय जिम्मेदार है? मै उसकी सहायता करना चाहता हूँ, भले ही अन्नपूर्णाकी[2] स्मृति ही इसका कारण हो। पर आपको इसमे मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा।

सलग्न : २

श्री कोडा वैकटप्पैया
गुन्टूर (मद्रास प्रेसीडेन्सी)

अग्रेजी (एस० एन० १७०४१) की माइक्रोफिल्मसे।

१. भगन्ती बापी नीडू; देखिए अगला शीर्षक।
२. नीडूकी पत्नी, जिसकी मृत्यु, १९२७में हुई थी; देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ २०२-३।

१०९. पत्र : मगन्ती बापी नीडूको

[स्थायी पता,] साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय नीडू,

तुम्हारे इस संकटमे मेरे हृदयकी सारी सहानुभूति तुम्हारे साथ है; पर यदि तुम शान्तचित्त होकर ठीक तरहसे जूझो तो सफल हो जाओगे। सुख-समृद्धि नही, बल्कि दुःख और विपत्ति ही मनुष्यको बनाते है, समृद्धि तो उसे बिगाड देती है। और फिर तुम यदि भूखसे पीड़ित वर्गके हो, तो तुम अपनेको लाखो-करोडोमें से एक समझो। परन्तु मै जानता हूँ कि यह दार्शनिकता कितनी ही सही क्यो न हो तुमको सान्त्वना नही दे सकेगी। इसलिए मै कोई स्पष्ट सुझाव तभी दे सकूँगा, जब तुम मुझे यह बतला दो कि तुम्हारी न्यूनतम अपेक्षाएँ क्या है। न्यूनतम अपेक्षाएँ निश्चित करते समय तुमको अपने पिछले जीवन-स्तरका नही, बल्कि भावी उचित जीवन-स्तरका ही ध्यान रखना चाहिए। सच तो यह है कि यह निश्चित करते समय तुमको साहससे काम लेना पडेगा, भले ही ऊपरसे वह हृदयहीनता-जैसी लगने लगे। तुमने लिखा है कि तुमको अपने और अन्नपूर्णाके [पिता-पक्षके] परिवारका भी भरण-पोषण करना है। यह निरर्थक बात है। तुमको केवल उन लोगोका भरण-पोषण करना है, जो शरीरसे अपग या लाचार होनेके कारण अपना निर्वाह आप करनेमे समर्थ नही है। दोनो ही परिवारोमे ऐसा एक भी व्यक्ति नही है। उनको जरूरतसे ज्यादा लाड-प्यार भी नही देना चाहिए। उन सबको —स्त्री हो या पुरुष—अपनी रोजी आप कमानेके लिए काम करना चाहिए। यदि वे ऐसा करने लगें तो तुम देखोगे कि समस्या सन्तोषजनक तथा सम्मानपूर्ण ढगसे हल हो जायेगी। अब तुम समझ गये होगे कि मै तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। पूरे ब्योरेके साथ पत्र लिखना। उसपर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा।

तुम्हारा,
बापू

श्रीयुत मगन्ती बापी नीडू
एल्लोर (पश्चिम गोदावरी जिला)
मद्रास प्रेसीडेंसी

अग्रेजी (जी० एन० ८८२६)की फोटो-नकल तथा एस० एन० १७०४२से भी।

११०. पत्र : के० केलप्पन नायरको

साबरमती
६ मई, १९३१

प्रिय केलप्पन,

आपका पत्र मुझे मिल गया है। आपको जो भी अनियमितताएँ दिखाई पड़े, उनका पूरा-पूरा विवरण भेजते रहनेकी कृपा करे। इन सब चीजोके बारेमे चर्चाके लिए मुझे शायद शिमला जाना पड़े। इस बीच आप अपनी पूरी व्यवहार-कुशलतासे काम लेते रहे।

हृदयसे आपका,

श्री के० केलप्पन नायर
केरल प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
'मातृभूमि' बिल्डिग्स
कालीकट

अंग्रेजी (एस० एन० १७०४३)की माइक्रोफिल्मसे।

१११. भाषण : बोचासणमें

६ मई, १९३१

आप लोगोंने इस विद्यालयके शिलारोपणका सम्मान मुझे दिया है, इसके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। इस विद्यालयका नाम 'वल्लभ विद्यालय' रखा गया है। इसलिए विद्यालयके जो वर्तमान संचालक है, और जो आगे होगे, और जो विद्यार्थी यहाँ विद्या प्राप्त करेगे उन सबका यह कर्त्तव्य है कि सरदार वल्लभभाईमें जो गुण है, उन्हे वे अपने और दूसरोके जीवनमे उतारे। वल्लभभाई अर्थात् त्यागकी मूर्ति, वल्लभभाई अर्थात् बहादुरी, वल्लभभाई अर्थात् वीरता, वल्लभभाई अर्थात् ऊँच-नीचका भेद मिटानेवाला; वल्लभभाईकी दृष्टिमें कोई पाटीदार होनेसे उच्च नही हो जाता और दूसरा भगी या बारिया या पाटणवाडिया[1] होनेसे नीच नही। और यह साबित करनेके लिए कि ऐसा कोई भेद है ही नही—इस विद्यालयकी नीव मेरे हाथ रखवाई गई है।

भाई नरहरिने[2] निवेदनमें कहा है कि इस 'वल्लभ विद्यालय'में खासकर धाराला ठाकुर[3] और पाटणवाडियोके बच्चे शिक्षा प्राप्त करेगे। मै अपना काम छोड़कर यहाँ इसी आशासे आया हूँ कि धाराला ठाकुरोंसे मिलूं। आपके साथ जबसे मेरा परिचय हुआ है, तबसे मैने आपको ठाकुरके रूपमे ही जाना है। आपमें से जो

१. और ३. गुजरातकी पिछड़ी कौमोंके नाम।
२. नरहरि परीख।

भाई बडतालकी विराट् सभा[1]में आये होंगे उन्हें याद होगा कि उस वक्त मैंने आप सबको धारासा ठाकुर ही कहा था। जैसे कालीपरज[2], रानीपरज बने, वैसे ही धारासा ठाकुरके रूपमें जाने गये। इस बडे संघर्षमें आपने लाभ ही उठाया है। आपमें से कुछने लोगोंकी जमीनें भले ही ली हों, लोगोंके साथ बेवफाईकी हो, उन्हें सताया हो; पर क्या यह भूलनेकी बात है कि बोचासणमें सब वारियाभाई लोगोंके साथ ही रहे? यों तो इस बातका भी दावा नहीं किया जा सकता कि सौ फीसदी पाटीदार भी जनताके साथ थे। यहाँ सब मुसलमान भाइयोंने साथ नहीं दिया, तो देशके दूसरे हिस्सोंमें वे लोगोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर खड़े रहे।

हमारी लडाई जोर-जबरदस्तीकी लड़ाई नहीं है; हमारी लडाई तो स्वयस्फूर्त है। अब भविष्यमें भी जब कभी हमें लड़ना पडेगा तो सब उसमें साथ-साथ जूझेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकारके साथ जो अस्थायी समझौता हुआ है, वह स्थायी हो। इस समझौतेके अन्तमें हम पूर्ण स्वराज्य ले लें। पूर्ण स्वराज्यका तात्पर्य है, वह राज्य जिसमें अपना राजकाज हम स्वयं चलाते हों। मेरा, सरदार वल्लभभाईका और मेरे अन्य अनेक साथियोंका, जो काम कर रहे हैं, सपना साकार हुआ तो वह राज्य पाटीदारों, धारासा ठाकुरभाइयों और भगियोंका भी होगा। मुसलमान भाइयोंका भी होगा ही। यह राज्य किसी खास कौमका नहीं बल्कि हिन्दुस्तानमें जितने स्त्री-पुरुष और बालक-बालिकाएँ हैं, उन सबका होगा। इसीका नाम पूर्ण स्वराज्य है। इससे रहित राज्य स्वराज्य नहीं है। कोई यह न समझे कि हमारा ही राज्य होगा और भगी या मुसलमानोंका न होगा। वह तो हिन्दुस्तानके तीस करोड़ लोगोंका राज्य होगा। उसमें यदि इन सबके साथ इन्साफ न हो, तो वह स्वराज्य ही नहीं है। इसीलिए विद्यापीठको यह ख्याल आया कि यदि पिछडी हुई कौमोंकी सेवा नहीं करेंगे तो काम अधूरा रह जायेगा। मुझसे मिलनेके लिए धारासा ठाकुरभाई आते हैं; उन्हें दस्तखत करना भी नहीं आता। लेकिन मुझे इस बातकी फिक्र नहीं है कि उन्हें दस्तखत करना नहीं आता; फिर भी स्वराज्य किसे कहते हैं, उन्हें इसका मतलब मालूम होना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि जनताके प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है, हम क्यों कातें, खादी ही क्यों पहनें, और अपनी देशी मिलोंका कपडा भी क्यों न पहनें। यदि आप यह सब नहीं जानते तो यह बडी शर्म और बडे दु:खकी बात है। यदि आप इतना भी न जानें तो हमारा शासन कैसे चल सकता है? हमारे शासनमें धारासा ठाकुरभाई और भगी वगैरा सब कौमें हाथ बँटा सकती हैं। इसीलिए तो शामलभाई यहाँ बैठे हैं। आप कहेंगे कि पाटीदारोंने सतानेमें तो कसर नहीं छोडी। शायद इसमें थोडी-बहुत सचाई भी होगी। मुमकिन है, सब जगह पाटीदारों और धारासा ठाकुरोंमें एकता न हो। लेकिन पाटीदारोंमें से नौजवानोंका एक ऐसा दल निकला है जिसने आपकी सेवा करना ही अपना कर्त्तव्य मान लिया है। वे मानते हैं कि पहले दूसरोंकी सेवा फिर अपनी सेवा।

१. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ २५६-६२।
२. गुजरातकी एक आदिम जाति।

आप जो थोडे-से धाराला ठाकुरभाई यहाँ आये हैं वे मेरे सन्देशको सब लोगो तक घर-घर पहुँचाये। पाटीदार और हम दुश्मन नही हैं। यदि हम परस्पर एक-दूसरेको दुश्मन समझते हो तो उसे भुला दे। पाटीदार और धाराला, दोनो मित्र हैं। अभी-अभी सूत भेंट करनेवाले एक भाईका परिचय मुझे दिया गया है, जो पहले शराब पीते थे और दूसरोको भी पिलाते थे। लेकिन अब उन्होने शराब छोड़ दी है, और दूसरोसे छुडवाते हैं। हरएक आदमी शराब तो छोड़े ही, चोरी और लूटमार करना भी छोड ही दे। क्या इस दुनियामे चोरको किसी दिन करोडपति बनते देखा है? चोरी करके कोई साहूकार नही बना। और यदि कभी बना भी हो तो आखिरकार वह भिखारीका-भिखारी ही रहा। चोरी करके व्यापारीकी तरह करोडपति नही बना जाता। चोरी, लूटपाट, मारकाट वगैरा करनेसे कोई फायदा नही। परन्तु यदि दुनियामे — ईश्वरके दरबारमे, हमे अच्छे बनकर जाना हो तो निश्चय मानिए कि हमारे हाथ, पैर, आँख, कान और हृदय साफ होने चाहिए। नही तो हम उसके दरबारमे जवाब देने लायक न रहेगे। 'वल्लभ विद्यालय'की स्थापना इसीलिए की गई है कि यह सब हो सके। मै तो यह आशा करता हूँ कि शामलभाई मेरे पास यह शिकायत लेकर आये कि पाटणवाडिया और धाराला ठाकुरभाइयोंके लड़के इतनी अधिक सख्यामे आते हैं कि विद्यालय छोटा पड़ता है। इस विद्यालयमे उन छात्रोको भोजन और वस्त्र देनेका विचार है जिनके पास पैसे नही हैं। परन्तु कोई इसका दुरुपयोग न करे। मै चाहता हूँ कि जिनके पास पैसे हो वे फीस देकर भी पढे। और मुझे इस बातका मौका मिले कि आप जितनी कहे उतनी शालाएँ मै कायम कर दूँ। आप याद रखिये कि पढ़ानेवालोकी तो मेरे पास कमी नही है, और मै उन्हे चाहे जहाँ पैदा कर लूँगा। हम लड़कोको और धीरे-धीरे लडकियोको भी पढायेगे। परन्तु यह सब इस बातपर निर्भर है कि इस 'वल्लभ विद्यालय'को आप कितना प्रोत्साहन देते हैं।

आपने मुझसे आशीर्वाद माँगा है। मेरा आशीर्वाद तो है ही। पर आशीर्वादकी शर्त यह है कि आप इस विद्यालय और उसके नामको चमकायेगे। पाटीदार भी इससे नसीहत ले और 'वल्लभ विद्यालय' और मेरे नामको बदनाम न होने दे। मै ऐसी पाठशाला नही चाहता जो हमारे गलेकी तौक-जैसी बनकर भार-रूप बन जाये। विद्या तो वह है, जो हमे छुडाये, बन्धन-मुक्त करे, शोभा बढाये, देशके धनकी वृद्धि करे, जिससे हमारा चारित्रिक धन बढे और हमारे लडके-लड़कियाँ कुशल बने। इसीलिए यह विद्यालय स्थापित किया गया है। यह फूले-फले। जिन्होने इस विद्यालयके लिए दान दिया है; चूने, मजदूरी और दूसरी तरहसे मदद की है, उन सबका मै उपकार मानता हूँ और उन्हे धन्यवाद देता हूँ। अपनी गाँठके पैसे खर्च करके किया गया काम जितना शोभायमान होता है, उतना बम्बईके सेठोसे धन लेकर करने पर नही होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १०-५-१९३१

११२. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

वोरसद
६ मई, १९३१

मैन्चेस्टर रायल एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत प्रस्तावके सम्बन्धमें 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान, महात्मा गांधीने कहा :

मैनचेस्टर रायल एक्सचेंजका प्रस्ताव कुछ अंशोंमें तो मिथ्याभय पर आधारित है। मौजूदा आन्दोलनमें ब्रिटेनके प्रति ऐसा कोई वैमनस्य नहीं है; बल्कि कांग्रेसके लोग मौजूदा परिस्थितियोंमें बहुत-सी कठिनाइयोंके बावजूद यथासम्भव सद्भावना बढ़ानेका ही प्रयत्न कर रहे हैं। लोग पूरी तरह नहीं समझ पाते कि कांग्रेसने ब्रिटिश मालके बहिष्कारको खत्म करके कितना साहसपूर्ण कदम उठाया है।

विदेशी-वस्त्र बहिष्कारको ब्रिटिश मालके बहिष्कारके साथ गड्डमड्ड नहीं करना चाहिए। विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको बहिष्कार कहना ही उसे गलत संज्ञा देना है। इसलिए दिल्ली समझौतेमें इस शब्दको जान-बूझकर नहीं आने दिया गया है। विदेशी वस्त्रोंके त्यागके लिए भी मैं 'बहिष्कार' शब्दका प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल यह शब्द काफी आम हो गया है। फिर भी इसके उद्देश्यको समझनेमें किसी को भ्रान्ति नहीं होती। विदेशी वस्त्रोंको त्यागनेके कुछ राजनीतिक परिणाम तो अवश्य निकलेंगे, पर यह मुख्य रूपसे आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम ही है और यह भुखमरीसे पीड़ित करोड़ो लोगोंकी आर्थिक आवश्यकता है। इसलिए यदि लंकाशायरके बड़े-बड़े लोग आर्थिक उत्थानके इस स्थायी आन्दोलनकी खिलाफत करनेकी अपेक्षा अपने उत्पादनको अन्य देशोंमें, जहाँ उनकी जरूरत हो, बेचनेका प्रयत्न करें, तो वे अपना काफी समय बचा लेंगे और इस प्रकार सचमुच ही दोनो देशोंके बीच सद्भावना बढ़ा सकेंगे।

शान्तिपूर्ण धरनोंके दमनके प्रयत्नको मैं निरर्थक मानता हूँ। यह बिलकुल नहीं है कि लॉर्ड इर्विनने विदेशी वस्त्रों और शराबकी दूकानोंपर दिये जानेवाले धरनोंको ठोस कारणोंके अभावमें स्वीकार नहीं किया था; और कोई भी व्यक्ति जो इस प्रश्नको उतनी ही शान्तिके साथ समझनेका प्रयत्न करेगा, जितना उन्होंने किया, वह इसी निष्कर्षपर पहुँचेगा जिसपर लॉर्ड इर्विन पहुँचे थे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ८-५-१९३१

११३. टिप्पणियाँ

किसानोंकी बिकी हुई जमीनें

किसी किसानकी जमीन माटी-मोल बेच देना उसका शरीर काट डालना है। गुजरातकी जब्तशुदा जमीनोंकी नीलामी ऐसा ही कारनामा था। समझौतेमे इस बातसे सम्बन्धित धाराको सरदारने विषके घूंटकी तरह पी लिया था। किन्तु उनके इसे चुपचाप पी जानेका कारण यह था कि उन्हे भी मेरी तरह इस बातका यकीन था कि खरीदार किसी लम्बी अवधितक जमीनोके असली मालिकोको उनसे वचित नही रख सकेगे और यदि कुछ भी नही हुआ तो स्थायी समझौता हो जानेपर तो वे लोगोको वापस मिल ही जायेगी। खरीदारोके पक्षमें इतना कहना जरूरी है कि अब वे एकके बाद एक जमीनोको खरीदनेकी अपनी गलतीको समझते जा रहे है और उन्हे उनके मूल स्वामियोको लौटाते भी जा रहे है। पाठकोको यह तो मालूम हो ही चुका है कि सर कावसजी जहाँगीर, श्री नरीमान, श्री वीमादलाल और श्री मोदी तथा रा० ब० भीमभाईकी मध्यस्थतासे सरदार गरदाने बारडोलीके सत्याग्रही किसानोकी ली हुई जमीने, अपने खर्चकी रकम लेकर, वापस देनेका निश्चय व्यक्त किया है; उसके लिए मै उन्हे धन्यवाद देता हूँ। कुकडबेड़ाके एक दूसरे पारसीभाई कावसजीने दिये हुए पैसे बिना लिए और बिना किसीके बीच-बचावके जमीन लौटा दी है, और बोरसदके राजपूत भाई खुमानसिंह लक्ष्मणसिंहने भी खर्च हुए पैसे लिए बिना और किसी बीच-बचावके बिना जमीन वापस दे दी है। ये भाई दोहरे धन्यवादके अधिकारी है। इसी तरह अभी-अभी बारडोलीमे सेठ वीरचन्द और देहवानके ठाकुर साहबने बोरसदमे किया है। ठाकुर साहबने जो-कुछ देकर जमीन ली थी, उसे वापस भी नही लेना चाहा। उन्होने लगभग अच्छे किस्मकी १२० एकड जमीनके १२०० रु० दिये थे। तीन गरीब धारालोने भी ११ एकड जमीन ४८ रु० मे खरीदी थी। उन्होने भी उसे लौटा दिया है और मुझे पत्र लिखा है कि हमे पैसे वापस माँगनेमें लाज आती है; लेकिन हम लोग गरीब है; यो हम समझते है कि हमे यह पैसा वापस नही माँगना चाहिए। देशभक्तिके विचारसे इन सारे खरीदारोका जमीने लौटा देना उनकी प्रामाणिकता सूचित करता है। मैने 'देशभक्ति' शब्दका उपयोग इसलिए किया है क्योकि ऐसा करनेके लिए किसीने धमकी या दबावका उपयोग नही किया था। इसका कारण तो मौन-मूक लोकमत ही था। अभीतक हम लोग पूरी तरह यह नही समझ पाये है कि स्वय लोकमतका कितना जबर्दस्त असर पडता है। यो अभीतक परेशानियाँ बनी है। कुछ ऐसे पक्के खरीदार है जिन्होने अभी मुट्ठी ढीली नहीं की है। फिर भी मुझे विश्वास है कि यदि कार्यकर्त्ता धीरज न खो दें और समझौता भंग न हो, तो वे भी लोकमतका आदर करेगे। यदि लोकमत हिंसक और आक्रामक हो जाये तो वह असह्य बात होगी।

मुझे पाठकोंको यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि अन्यथा भी, धीरे ही सही, गुजरातमें समझौतेसे सम्बन्धित प्रगति होते दिखाई दे रही है। महादेव देसाईकी 'साप्ताहिक चिट्ठी' से यह बात अंशतः स्पष्ट होती है कि हम लोग गुजरातमें कांग्रेस की ओरसे समझौतेको किस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं।[1]

हम आशा करें कि इसी तरह धीरे-धीरे सब जमीनें वापस मिल जायेंगी। इस वक्त तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्याग्रहीका धर्म है कि वह किसीको सताये नहीं। जो उसके साथ दुश्मनी करे, उनका भी वह भला चाहे। सरदार गरदाको डर है कि किसान उनको सतायेंगे। इसकी वह शिकायत भी करते थे। मैंने उन्हें वचन दिया है कि अगर वह विस्तारसे कोई शिकायत भेजेंगे, तो मैं उसकी जाँच करूँगा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि कोई भी सत्याग्रही उन्हें नहीं सतायेगा। मुझे इसमें शक नहीं कि किसानोंकी ओरसे दिये गये इस आश्वासनका किसान पूरा सम्मान करेंगे। यदि हमें तुरन्त स्वराज्य हासिल करना है, तो सबके साथ मिलकर रहना और सबके मन हर लेना हमारा धर्म है। याद रहे कि इस सबमें हाकिम लोग भी शामिल हैं।

पुलिसका अत्याचार

एक भाई पूछते हैं: "लड़ाईके दिनोंमें पुलिस या दूसरे अधिकारियोंने गैर-कानूनी बरताव किया हो तो उसके लिए आप उनपर कानूनन मामला चलानेकी सलाह देंगे?"

सुलहकी शर्तोंमें यह शामिल तो है; फिर भी जिन जगहोंमें गैर-कानूनी बरताव एक या दूसरे रूपमें अभीतक जारी हों और जहाँ भूतकालके गैर-कानूनी बरतावके सच्चे सबूत पेश किये जा सकते हों, उन जगहोंको छोड़कर अन्यत्र मुकदमे चलानेकी सलाह मैं नहीं दे सकता। परन्तु आमतौरपर मैं यही कहूँगा कि जो समझौता हुआ है, उसके ध्यानसे हमें पुरानी बातोंको भूल जाने और स्थायी सन्धिकी आशा रखकर उसके लिए काम करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

'कश्मीरी'के नामपर

कश्मीर चरखा-संघके श्री कोटक लिखते हैं:

> लोग अब शुद्ध खादी और नकली खादीका भेद समझने लगे हैं, किन्तु महीन पोतकी ऊनी चीजें सिर्फ कश्मीरसे आती हैं, इसलिए परदेशी ऊनी कपड़ेको 'कश्मीरी' ऊनी वस्त्र कहकर अर्थात् कश्मीरमें हाथसे कते-बुने कपड़ेकी तरह बेचनेका रिवाज-सा चल पड़ा है।
>
> क्या इस ठगीको रुकवानेमें आप कुछ मदद नहीं कर सकते'?

महीन ऊनी और रेशमी वस्त्र खरीदनेवाले इस चेतावनीको ध्यानमें रखें। इससे एक नसीहत लेनी चाहिए, और वह यह है कि हर चीजके मूलका पता

१. इससे आगेका अंश नवजीवन, ३-५-१९३१ में प्रकाशित "टिप्पणी" से लिया गया है। पूरे लेखका मिलान भी उस टिप्पणीसे कर लिया गया है।

२. अंशतः उद्धृत।

लगाये। यदि हम अपने पडौसमे बनी हुई चीजे ही बेचे तो इस बातका पता लगता रह सकता है। किन्तु हमेशा ऐसा सम्भव नही होता। इसलिए दूसरा रास्ता यह है कि प्रमाणित या जिनके व्यवस्थापकोसे हमारी निजी ज्ञान-पहचान हो, ऐसे भण्डारोसे ही चीजे खरीदी जाये। दूसरे सब धर्मोकी तरह स्वदेशी धर्मका पालन भी कठिन है। इसलिए स्वदेशीप्रेमियोको अपने उपयोगमे आनेवाले हरएक कपडेके टुकड़ेका ही नही, बल्कि हर चीजके इतिहासका पता लगानेमे जो कष्ट उठाना पड़े, सो उठाना चाहिए। यह सच है कि खादी स्वदेशीका केन्द्र और परिधि दोनो है, फिर भी इन दोके बीचकी जगहको भरनेवाली दूसरी कई चीजे है। जो स्त्री-पुरुष खादी पहननेके बाद अपने लिए दूसरी सब विदेशी चीजे इस्तेमाल करनेका परवाना हासिल कर लेते है, वे खादीके मूलमे पडी हुई भावनाको नही समझते, और इसलिए उसे हानि पहुँचाते है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-५-१९३१, और नवजीवन, ३-५-१९३१

११४. अहिंसाकी शक्ति[1]

मै एक सज्जन द्वारा लिखे गये गुजराती पत्रका नीचे अनुवाद दे रहा हूँ:

> हिन्दुस्तानको दुनियाके लोकमतकी नगण्य सहायता मिली है, तिस पर भी गाधीजी उसे पूरी-पूरी सहायता क्यो कहते है? निःशस्त्र शक्ति द्वारा लड़नेवाले राष्ट्रकी दशा एक स्त्रीकी-सी है। उसे शास्त्रधारियोने जिस लाठी प्रहार आदि द्वारा अनेक प्रकारसे, जगहोमे क्रूरतापूर्वक सताया है, यह देखकर दुनियामे जैसा पुण्य-प्रकोप प्रज्वलित होना चाहिए था, वैसा कहाँ हुआ है? इस प्रकोपके अभावका अर्थ तो मानवताका अभाव है। यदि दुनिया आम तौरसे मानवताके अभावका परिचय दे, तो सत्यके शस्त्रकी विजय कैसे होगी? यदि सत्य और अहिंसाकी विजय होनी है, तो नि.शस्त्र भारतीय जनताका खून बहते देख दुनियाका खून जैसा खौलना चाहिए, वैसा नही खोला है। गांधीजी इस बातको इसी रूपमे क्यो नहीं देखते?

दुनियासे पूरी-पूरी सहायता या समर्थन मिलनेकी बात मैंने कही भी कही हो, तो उसे अनजाने की गई अतिशयोक्ति समझना चाहिए। यदि मैंने ऐसी कोई बात कही हो, तो वह मुझे बताई जानी चाहिए। मुझे तो इसकी कोई याद ही नही पड़ती।

ब्रिटिश सैनिक सत्ताके विरुद्ध लड़नेवाले नि.शस्त्र राष्ट्रकी तुलना किसी बदमाश के सामने खडी निस्सहाय स्त्रीकी दशासे करके लेखकने अहिंसाकी और स्त्रीकी शक्तिकी

१. इसी अभिप्रायका एक लेख **नवजीवन**, ३-५-१९३१ में "उनका खून खोल क्यों नहीं उठा" शीर्षकसे छपा था।

अवगणना की है। यदि पुरुष-वर्गने स्त्रियोंको निःसत्त्व न कर डाला होता, अथवा स्त्री भोगमें फँसकर पुरुषके अधीन न हुई होती, तो वह अपनी अनन्त शक्ति संसारको दिखा सकती थी। गत युद्धमें उसने अपनी शक्तिकी थोड़ी और अपूर्ण झाँकी कराई है। जब वे भी पुरुषोंकी बराबरीसे सेवा-कार्यके लिए अवकाश प्राप्त कर लेंगी, अपनी संघ-शक्ति बढ़ा लेंगी, तब इस देशको और जगत्को उनकी अद्भुत शक्तिके दर्शन होंगे।

जिसके हाथमें अहिंसा-रूपी शस्त्र है, वह निःशस्त्र है यह कहना भी ठीक नहीं। स्पष्टतः लेखक अहिंसाके सही उपयोगको नहीं जानता और न उसने उसकी असीम शक्तिको ही पहचाना है। यदि उसने उसका प्रयोग किया भी है तो यन्त्रवत् किया है। किसी और अच्छे साधनके अभावमें उसने काम-भर चलाया है। यदि उसका मन अहिंसाकी भावनासे ओत-प्रोत होता तो वह निश्चय ही जान लेता कि हिंस्र पशु तकको वशीभूत किया जा सकता है; हिंस्र मनुष्यको तो निश्चय ही।

इसलिए यदि पिछले वर्षके अत्याचारोंसे दुनियाका खून नहीं खौल उठा तो इसका कारण दुनियाका अन्यायी या हृदयहीन होना नहीं है; बल्कि उसका कारण यह है कि हमारी अहिंसा व्यापक और हमारे उद्देश्यके लिए अच्छी भले ही थी तो भी वह शक्तिशाली और कुशल लोगोंकी अहिंसा नहीं थी। वह जीवन्त विश्वाससे प्रेरित न होकर सिर्फ एक नीति थी, एक अस्थायी साधन थी। हमने अपने ऊपर होनेवाले प्रहारोंके विरोधमें हाथ भले नहीं उठाया; किन्तु हमने मनमें क्रोध तो किया। हमारी भाषा और उससे भी बढ़कर हमारे विचार हिंसासे मुक्त नहीं थे। सामान्यतः हम हिंसापूर्ण कार्योंसे दूर रहे; क्योंकि हम अनुशासन-बद्ध थे। संसारने अहिंसाके सीमित प्रदर्शनसे भी चकित होकर बिना किसी प्रचारके हमारी पात्रताके अनुपातमें समर्थन और सहानुभूति दी। इसके बाद जो बच रहता है उसपर त्रैराशिकका हिसाब लागू करके देख लेना चाहिए। जब हालके संघर्षमें अहिंसाके सीमित और यन्त्रवत् उपयोगसे हमें इतना समर्थन प्राप्त हुआ है तब यदि हमने अहिंसाका पूर्ण पालन किया होता तो हमें और कितना समर्थन प्राप्त हो सकता था? ऐसा हो तो जरूर दुनियाका खून खौल उठे। मुझे मालूम है कि अभी यह पुनीत दिन बहुत दूर है। हमें कानपुर, बनारस और मिर्जापुरमें[1] अपनी दुर्बलताका आभास हुआ। जब हम अहिंसासे ओत-प्रोत हो जायेंगे तब हम सिर्फ अधिकारी-वर्गसे होनेवाले संघर्षमें ही अहिंसाका पालन नहीं करेंगे, बल्कि अपने आपसी झगड़ोंमें भी करेंगे। जब हमें अहिंसाकी शक्तिमें जीवन्त श्रद्धा होगी तो वह दिन-प्रतिदिन फैलती चली जायेगी और एक दिन सारे संसारमें उसकी ऐसी व्याप्त हो जायेगी कि संसारने ऐसी जबर्दस्त व्याप्ति कभी न देखी होगी। मैं तो इसी विश्वासमें जी रहा हूँ कि हम अहिंसाके इस महान प्रयोगमें सफल होकर रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ७-५-१९३१

१. अभिप्राय उक्त स्थानोंमें हुए साम्प्रदायिक दंगोंसे है।

११५. लोकतन्त्रके खतरे[1]

कोई भी मानव-संस्था ऐसी नही है जिसके अपने खतरे न हो। संस्था जितनी बड़ी होती है, उसके दुरुपयोगकी सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक रहती है। लोकतन्त्र एक महान सस्था है और इसीलिए उसके दुरुपयोगकी सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक है। इसलिए इलाज यही है कि दुरुपयोगकी सम्भावना कम-से-कम कर दी जाये, यह नही कि लोकतन्त्र ही न बनाये जायें।

काग्रेस एक विशाल लोकतान्त्रिक सस्था बन चुकी है। पिछले बारह महीनोके दौरान वह उत्कर्षकी एक ऊँची मजिलतक पहुँच गई है। लाखोंकी तादादमें लोग बाकायदा सदस्योमे नाम लिखाये बिना ही काग्रेसमे शामिल हो गये है और इस तरह उन्होने उसकी शोभामे चार चाँद लगा दिये है। लेकिन साथ ही काग्रेसमे गुडा-शाही भी इतनी बढ गई है जितनी पहले कभी नही थी। यह अनिवार्य ही था। स्वयसेवकोको चुननेके लिए निश्चित किये गये सामान्य नियमोको संघर्षके अन्तिम दौरमे मानो ताकपर ही रख दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि कुछ स्थानो पर गुडाशाही साफ दिखाई देने लगी है। कुछ काग्रेसियोको तो धमकियाँ तक दी गई है कि यदि वे माँगी गई राशि नही देगे तो उनपर मुसीबत टूट पडेगी। जाहिर है कि पेशेवर गुडे भी इस माहौलसे फायदा उठाकर अपना धन्धा चालू कर सकते है।

ताज्जुबकी बात तो यह है कि इतने बड़े जन जागरणके अनुपातमे इस तरहके जितने मामले मेरे सामने आये है वे सख्यामे उससे तो कम ही है जितनेकी आशंका की जाती थी। मेरा अपना विश्वास तो यह है कि इस सुखद स्थितिका कारण काग्रेस द्वारा अपनाया अहिंसाका सिद्धान्त है, भले ही हमने उसपर बड़े मोटे तौरपर अमल किया हो। लेकिन गुंडाशाही इतनी तो अवश्य हुई है कि हम समय रहते चेते और उसकी रोकथामके लिए उपाय करें और आगेसे सावधानी रखे।

स्वभावतः मुझे जो उपाय सूझता है वह यही है कि शास्त्रीय पद्धतिसे तथा अधिक समझदारी और अनुशासित ढगसे अहिंसाके सिद्धान्तपर निश्चित रूपसे अमल किया जाये। पहली बात तो यह है कि हमने अहिंसाका जितनी दृढ़तासे पालन किया है, यदि उससे अधिक दृढता दिखाई होती तो एक भी ऐसे स्त्री-पुरुषको स्वयंसेवक न बनाया जाता जो स्वयसेवकोकी भर्तीके नियमोकी कसौटीपर बिलकुल खरे न उतरते। इसके विरुद्ध यह तो कोई दलील ही नही हुई कि तब उस स्थितिमें संघर्षके अन्तिम दौरके लिए कोई स्वयसेवक रह ही नही जाता और संघर्ष बिलकुल ही असफल हो जाता। मेरा अनुभव मुझे बिलकुल दूसरी ही सीख देता है। अहिंसक संघर्ष तो केवल एक ही सत्याग्रहीके बलपर भी चल सकता है; और लाखों गैर-सत्या-

१. नवजीवन, ३-५-१९३१ में भी इसी विषयपर एक लेख "घर फूटे घर जाये" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

ग्रही साथ होनेपर भी नही चलाया जा सकता। फिर मै तो शुद्ध अहिंसाके मार्ग पर चलते हुए, उससे किंचित् भी भटककर एक सदिग्ध किस्मकी सफलता प्राप्त करनेकी अपेक्षा, नितान्त असफलताको ही गले लगाना ज्यादा पसन्द करूँगा। जहाँतक अहिंसाका सम्बन्ध है, मुझे लगता है कि इसमें एक बिलकुल ही गैर-समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाये बिना, तनिक भी न झुकनेका सकल्प किये बिना, अन्तमें विपत्तिके अतिरिक्त कुछ हाथ नही लग सकेगा। और यह इसलिए कि यदि ऐसा किया गया तो हो सकता है कि सकटके निर्णायक क्षणोमे हम अपने-आपको अहिंसाकी कसौटीपर खरा सिद्ध न कर पाये और तब सम्भव है कि हम अपने विरुद्ध अव्यवस्था फैलानेवाली एकाएक खडी हो जानेवाली शक्तियोका सामना करनेके लिए अपने-आपको बिलकुल ही अप्रस्तुत और असमर्थ पाये।

पर अन्धाधुन्ध भर्तीकी यह गलती कर चुकनेके बाद, अब उससे हुई हानिकी पूर्ति करनेका अहिंसक उपाय क्या है? अहिंसाका अर्थ है उच्च कोटिका साहस और इसीलिए कष्ट-सहनके लिए तैयार रहना। इसलिए डराने-धमकाने, धोखा-धड़ी करने या इससे भी बुरी हरकतोके सामने हमे सिर नही झुकाना है, भले ही उसके कारण हममें-से कुछको अपनी बेशकीमत जाने गँवानी पड़ें। धमकी-भरे पत्र लिखनेवालोको यह महसूस करा देना चाहिए कि उनकी धमकियोकी कोई परवाह नही की जायेगी। साथ ही, हमें उनको लगी बीमारीका ठीक-ठीक निदान करके उनका उचित उपचार करना चाहिए। गुंडे भी तो आखिर हमारे समाजके ही अग है और इसलिए उनका उपचार भी पूरी सहृदयता तथा सहानुभूतिके साथ किया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग गुडाशाही इसलिए नही किया करते कि उनको यही पसन्द है। यह वास्तवमें हमारे समाजमें व्याप्त एक किसी गहरे रोगका लक्षण है। हम शासन-तन्त्रमे व्याप्त गुडाशाहीके साथ अपने सम्बन्धोपर जिस नियमको लागू करते है, ठीक वही नियम समाजकी अन्दरूनी गुडाशाहीके साथ हमे लागू करना चाहिए। और यदि हमें विश्वास हो गया है कि उस अत्यन्त ही सगठित किस्मकी गुडाशाहीसे अहिंसक ढगसे निबटनेकी सामर्थ्य हमारे अन्दर मौजूद है तो अन्दरूनी गुडाशाहीसे इसी तरीकेसे निबटनेके लिए तो हमे अपने अन्दर कही अधिक सामर्थ्य महसूस करनी चाहिए।

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस विराम-सन्धिके दौरान हालाँकि कांग्रेसी भी, अन्य सभी नागरिकोकी भाँति, पुलिसकी सहायता लेनेके लिए स्वतन्त्र है, फिर भी हमें इस रोगसे निबटनेके लिए पुलिसकी सहायता नही लेनी चाहिए। मैंने जो उपाय सुझाया है वह सुधार, हृदय-परिवर्तन और प्रेमका उपाय है। पुलिसकी सहायता लेना तो दण्ड, भय और यदि सचमुच अश्रद्धा नही तो श्रद्धाके अभावका मार्ग तो है ही। इसलिए हम दोनो तरीकोको एक साथ लेकर नही चल सकते। सुधारका मार्ग किसी-न-किसी मजिलपर कठिन तो लगता है, पर वास्तवमे वह है सबसे अधिक सरल।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१

११६. अनुयायियोंके लिए

एक मित्र लिखते हैं:

आपके अनुयायी जब राजनैतिक वाद-विवादमें भाग लें, तो उन्हें किस प्रकारका बरताव करना चाहिए। कृपया इस बारेमें कुछ सलाह दें। वह बहुत सहायक होगी। खासकर नीचे लिखी बातोंपर आपकी सलाह जरूरी है:

(१) प्रतिपक्षीकी ऐसी निन्दा करना, जिससे वह लोगोंकी नजरोंसे गिर जाये, उचित है या नहीं?।

(२) प्रतिपक्षीकी कैसी टीका उचित कही जा सकती है?

(३) विरोध किस हदतक किया जाये?

(४) पद और सत्ता प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाये या नहीं?

मैं इन पृष्ठोमे पहले बतला चुका हूँ कि मैं किसीको अपना अनुयायी नही मानता। मैं स्वय अपना अनुयायी बनूँ, यही काफी है। यही एक पर्याप्त कष्टसाध्य काम है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुतेरे आदमी अपनेको मेरा अनुयायी बतलाते है। इसलिए मेरा उनकी खातिर इन सवालोका जवाब उचित होगा। यदि वे मेरे अनुयायी बननेके बजाय जिस वस्तुको मैं जीवनमे उतारनेका प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके अनुयायी बनेगे, तो देखेगे कि सत्य और अहिंसा से इन प्रश्नोके नीचे लिखे उत्तर निकलते है:

(क) विरोधीकी निन्दा कभी की ही नही जा सकती। लेकिन इसका यह मतलब नही कि उसके कार्योका सच्चा वर्णन नही किया जा सकता। कोई विरोध करनेके कारण ही दुर्जन नही हो जाता। हम अपने लिए जितना भला होनेका दावा करते है, वह भी उतना ही भला आदमी हो सकता है; और फिर भी यह सम्भव है कि उसके और हमारे बीच महत्वपूर्ण मतभेद हों।

(ख) इसलिए हमारी टीका तो यह होगी कि अगर हम उसे झूठा मानते है, तो उसके असत्यका सत्यसे, अविवेकका विवेकसे, उद्दण्डताका शान्तिपूर्ण साहससे, हिंसाका सहनशीलतासे, अहकारका नम्रतासे और बुराईका भलाईसे सामना करे। 'मेरा अनुयायी' निन्दा करनेकी नही, बल्कि हृदय-परिवर्तनकी पूरी कोशिश करेगा।

(ग) यह तो सवाल ही नही उठना चाहिए कि विरोध किस हदतक किया जाये। क्योकि विरोध व्यक्तिके साथ न होकर उसके उन कार्योके प्रति होना चाहिए जो सदाचार या समाज-हितके विघातक हो।

(घ) पदो और सत्तासे अलग रहना चाहिए। पर यदि यह स्पष्ट दिखता हो कि उनके माध्यमसे अधिक सेवा हो सकेगी, तो उन्हे स्वीकार किया जा सकता है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१

४६–८

११७. फिर विदेशी मिशनरियोंके बारेमें

प्रिय महात्माजी,

. . . मेरे[1] एक मित्रने मुझ 'मद्रास कैथोलिक लीडर'का २६ मार्चका अंक दिया और उसमें आपके द्वारा ये विचार व्यक्त किये जानेके समाचार हैं:—

प्रत्येक राष्ट्रका अपना धर्म अन्य किसी भी राष्ट्रके धर्म जितना ही श्रेष्ठ होता है। निश्चय ही भारतके धर्म उसकी अपनी जनताके लिए पर्याप्त है। हमारे यहाँ धर्म-परिवर्तनकी कोई आवश्यकता नहीं।

मैं एक ईसाई हूँ; निश्चय ही मैं इस बातके तो विरुद्ध हूँ कि ईसाइयतको साम्राज्यवादके प्रसारके एक साधनके रूपमें प्रयुक्त किया जाये। परन्तु कौन है जो प्रेम और भाईचारेके एक सन्देशके रूपमें ईसाइयतको भारतीय जीवनमें स्थान देनेसे इनकार करे? स्वराज्यके इस महान आन्दोलनमें क्या हम स्वतन्त्रताके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं—अपनी पसन्दके मुताबिक ईश्वरकी आराधना करनेकी स्वतन्त्रता, जो इच्छुक हो अपने उन साथियोंको अपने विचारोंसे सहमत करनेकी स्वतन्त्रता, या जो हमें विश्वास दिला सकते हों, अपने उन साथियोसे सहमत होनेकी स्वतन्त्रता। . . . क्या भारतीय जनता इतनी धर्मान्ध हो गई है कि वह सोचती है कि संसारकी समूची विभूतियाँ, ज्ञान और मानव-अनुभूतियों का सारा भण्डार उसके अपने ही देशमें है, अन्य कहीं नहीं? . . .

मेरी मान्यता है कि धर्म और सदाचरण सम्बन्धी धारणा व्यक्तिके अपने क्षेत्रका विषय है। धर्म, चिन्तन और व्यक्ति-परक अनुभूतिके उन विराट् व्यापक क्षेत्रमें रमता है जो राष्ट्रों और राष्ट्र-गत सीमाओसे परे है।...
परन्तु मैं जानना चाहूँगा कि आपने यदि वे विचार प्रगट किये हैं तो उनसे आपका आशय क्या है; क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि यह बात मेरी समझ नहीं आई है।

मैं समझता हूँ कि इस पत्रके[2] उत्तरमें इतना ही काफी है कि मैं पत्र-लेखकका ध्यान 'यंग इंडिया'मे प्रकाशित अपने लेखकी[3] ओर आकर्षित कर दूँ। यहाँ शायद यह बतला देना भी ठीक रहेगा कि भारतके धर्मोमे हिन्दू धर्म, इस्लाम, पारसी धर्म इत्यादिको गिनाते समय मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है कि मैं इनको केवल भारतका धर्म कहूँ या ईसाई धर्मको इनसे अलग कर रखूँ। प्रश्न वास्तवमें इन दो बातोको

१. जेम्स पी० रत्नम्, सेंट जेवियर्स, नुवारा इलिया, श्रीलंका।
२. ११ अप्रैलको लिखे गये इस पत्रके कुछ ही अंश यहाँ दिये गये हैं।
३. देखिए "विदेशी मिशनरी", २३-४-१९३१।

लेकर है: एक यह दावा है कि ईसाई धर्म ही सच्चा धर्म है और दूसरा यह कि और अन्य सभी धर्म मिथ्या है। मैने इन्ही बातोका खण्डन करते हुए कहा था कि भारतमे ईसाई धर्मके अलावा जिन अन्य महान् विश्वव्यापी धर्मोका प्रचार है, वे भी उतने ही सच्चे धर्म है। इसलिए ईसाई मिशनरियो और उनके प्रचारकोके सामने मेरा यह आग्रहपूर्वक कहना न तो सगत था और न आवश्यक ही कि ईसाई धर्म भी एक सच्चा धर्म है। फिर जब सभी जानते है कि ईसाका गिरि-शिखरपर दिया गया उपदेश मुझे कितना प्रिय है और मै बार-बार कह चुका हूँ कि ईसाको मै मानवताके महानतम शिक्षकोमे लेखता हूँ, तब मै सोच भी नही सकता कि मुझपर ईसाई धर्मका महत्व कम आँकनेका आरोप भी किसी तरह लगाया जा सकता है। भारतीय ईसाइयोमे तो मेरे अनेक अच्छे मित्र है और मै जहाँ-जहाँ भी गया हूँ मुझे ईसाई जनताके साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेमें कभी कोई कठिनाई नही पडी। फिर मेरे मनमे विदेशी मिशनरियोसे अपने सम्बन्ध बिगडनेका कोई भय भी नही है। उनमें मेरे अनेक निजी मित्र है। इसलिए मुझे अपने ऊपर इस आक्षेपको देखकर बडा आश्चर्य हुआ, विशेषकर इसलिए कि वे वही विचार हैं जो मै १९१६ से व्यक्त करता आ रहा हूँ। उस समय मैने अपने विचार बहुत ही सोच-समझकर, सावधानीसे लिखे गये एक भाषणमें केवल मिशनरियोंके बीच मद्रासमें पढकर सुनाये थे; और उसके बाद मै अनेक ईसाई सभाओमें उनको दोहरा चुका हूँ। हालकी आलोचनाने मेरे मतकी पुष्टि ही की है, क्योकि मुझे मैत्रीपूर्ण ढगसे की गई इस आलोचनामें भी असहिष्णुताकी झलक मिली है। मिशनरी लोग जानते है कि उनके तरीकोकी खुली और स्पष्ट आलोचना करनेके बावजूद भारतकी गैर-ईसाई जनतामे मुझसे अच्छा उनका कोई और मित्र नही है। अपने आलोचकोसे मै कहूँगा कि यदि वे अपने मतसे भिन्न, ईमानदारीसे प्रकट किये गये अन्य किसी मतको सहन तक नही कर सकते, तो उनके तरीकोंमें या यदि उनको आपत्ति न हो तो मै कहूँगा खुद उनमे ही, कही कोई दोष जरूर है। मै निस्सन्देह कह सकता हूँ कि भारतमे स्वराज्य आनेपर विदेशी मिशनरियोंको जैसा मै मानता हूँ, गलत ढगसे धर्म-परिवर्तन करानेकी स्वतन्त्रता तो बनी रहेगी, परन्तु उनसे यह भी आशा की जायेगी कि तब मेरी भाँति यदि अन्य लोग कहें कि उनके तरीके गलत है तो वे उसको सहन करेगे, उसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ७-५-१९३१

११८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

इसी महीनेकी ३० तारीखके आपके पत्रके[1] लिए धन्यवाद। सर मालकम हेली जो कहते है, मै उसे भली-भाँति समझ सकता हूँ। मेरे लिए इससे बढकर खुशखबरी दूसरी हो ही नही सकती कि किसानोको जरूरी राहत मिल जानेके कारण अब सर मालकम हेलीसे मुझे मिलनेकी जरूरत ही नही रही।

मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमे आपकी जिज्ञासाके लिए मै आपका आभार मानता हूँ। अब स्वास्थ्यमे कोई खराबी नही है। फिर भी थोडा आराम जरूरी है। मौजूदा परिस्थितियोमे, जितना हो सकता है उतना आराम मै ले रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह-सचिव, भारत सरकार
शिमला

[अग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३–११ और के० डब्ल्यू० १९३१
सौजन्य : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

११९. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

स्थायी पता, साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

इसी महीनेकी ४ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मै आपके अगले पत्रकी प्रतीक्षा करूँगा। आपको याद दिला दूं कि सशोधित नोटिस जिसकी प्रतिकी पहुँच आपने अपने पत्रमे दी है, वाइसराय महोदयको केवल एक मामलेको निपटानेमे ही सहायक हो सकती है, जब कि मेरे मूल पत्रमे[2] कई विषयोकी चर्चा की गई है, जिनमेसे एक बिना लाइसेस शराबकी बिक्रीका मामला अब दिनो-दिन फौरी बनता

१. देखिए परिशिष्ट ५।
२. देखिए "पत्र आर० एम० मैक्सवेलको", २२-४-१९३१।

जा रहा है; क्योंकि लगता है कि इस तरहकी शराबकी बिक्री बढ़ती जा रही है। वाइसराय महोदय शायद इसे स्वीकार करेंगे कि यह तो समझौतेका खुल्लमखुल्ला उल्लघन है।

मैं एक और मसला उठाना चाहता हूँ। 'यंग इंडिया'का छापाखाना[1] अबतक भी लौटाया नहीं गया है। जिला अधिकारीका सुझाव है कि छापेखानेके प्रबन्धकको उन मशीनोंको जहाँ वे पड़ी हैं वहाँसे उठाकर ले जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ मशीनें बम्बईमें और कुछ अहमदाबादमें पड़ी भी हैं। खेड़ाके जिला अधिकारीने खेड़ामें ही कहीं पड़ी मोटर और एक साइकिलके सम्बन्धमें यही विधि सुझाई है। समझौतेकी धारा १६ (क) में यह व्यवस्था स्पष्ट रूपसे रखी गई है कि आन्दोलनके सिलसिलेमें सरकारी कब्जेमें ली गई चल-सम्पत्ति लौटा दी जाये। इसमें यह नहीं कहा गया है कि कब्जेमें ली गई सम्पत्तिको वापस करानेके लिए सम्बन्धित व्यक्ति प्रार्थनापत्र दे, वह तो लौटाई ही जानी है। यदि असंगत न हो तो मैं यह उल्लेख भी करना चाहूँगा कि "लौटाना" शब्द बहस-मुबाहिसेके बाद चुना गया था। मैं यह भी लिख दूँ कि यद्यपि 'यंग इंडिया'के छापेखाने और कब्जेमें ली गई अन्य सम्पत्ति की दशाके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि खेड़ामें कब्जेमें ली गई मोटर और बाइसिकल निस्सन्देह खराब हालतमें हैं। और यह तो हम दोनों ही मानते हैं कि कब्जा लेनेके समय वे चालू और अच्छी हालतमें थीं। खेड़ाके जिला अधिकारीने मेरे पत्रके उत्तरमें इन वस्तुओंके बारेमें यह लिखा है:

> मोटर गाड़ी और साइकिलकी वापसीमें सरकारने आदेश जारी कर दिये हैं कि सामान्यतः अध्यादेशके अन्तर्गत कब्जेमें ली गई सम्पत्तिके मालिकसे उसे वहींसे उठा लेनेके लिए कहा जाये, जहाँ वह पड़ी हो; सरकार उसे यथास्थान पहुँचानेका खर्च नहीं उठा सकती। मेरे पास ऐसी कोई मद नहीं है जिसमें मोटर गाड़ीको ठेलकर पहुँचानेके खर्चकी व्यवस्था की जा सके। मुझे बताया गया है कि मोटर ऐसी हालतमें नहीं है कि उसे चलाकर नडियाद तक ले जाया जा सके। मैं कल खेड़ामें रहूँगा और मेरा सुझाव है कि उसका मालिक उसे मेरे दफ्तरसे उठवा ले। अगर वह समझता है कि उसे इस मोटरको वहाँ पहुँचाने तथा उसकी मरम्मत आदिका खर्च सरकारसे वसूल करनेका अधिकार है, तो वह सरकारके नाम अपना बिल भेज दे और सरकार निस्सन्देह इस पूरी परिस्थितिके बारेमें सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करेगी और तभी मामलेमें निर्णय दिया जा सकता है; लेकिन इस समय तो गतिरोध है जिसका परिणाम है कि मोटर गाड़ीकी हालत और भी अधिक खराब होती जा रही है।

१. इसे सन् १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान १९१० के प्रेस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारोंको बहाल करनेके लिए दिनाँक २७ अप्रैलको जारी किये अध्यादेशके अन्तर्गत जमानतका पैसा जमा न करानेके कारण सरकारी कब्जेमें ले लिया गया था। देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", २-६-१९३१ भी।

यहाँ मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि इन वस्तुओंको उसी दशामें लौटाया जाना चाहिए जिस दशामें इन्हें कब्जेमें लिया गया था। मैं नहीं जानता कि सरकारी अधिकारियोंको इन वस्तुओंका उपयोग करनेका कोई अधिकार था या नहीं, लेकिन यदि था भी और यदि उनके उपयोगसे इनमें टूट-फूट हुई है तो लौटाते समय ये वस्तुएँ अच्छी हालतमें तो होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार इन दो मामलों पर तत्काल ध्यान दे। बिना लाइसेंसके शराबकी बिक्रीके कारण उन लोगोंपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो धीरे-धीरे शराब पीनेकी आदत छोड़ रहे थे। इसी प्रकार कब्जेमें लिये गये रोजाना इस्तेमालके सामानको रोक रखनेसे उनके मालिकोंको घाटा उठाना पड़ रहा है और असुविधा भी।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एम० मैक्सवेल
बम्बईके महामहिम राज्यपालके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० कमेटी, फाइल संख्या ४, १९३१, भाग १, पृष्ठ २७–२८।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. मैक्सवेलने १३ मईके अपने उत्तरमें कहा था: "समझौतेकी धारा १६ (क) में उल्लिखित "लौटाना" शब्दका आपने यह अर्थ लगानेकी बात सुझाई है कि सम्पत्तिको उसी स्थानपर वापस पहुँचाया जाये जहाँ वह कब्जेमें ली गई थी"। खुद समझौतेकी शर्तोंमें इस तरहके स्पष्टीकरणके अभावमें सरकार सम्बन्धित शब्दका सामान्यसे हटाकर कोई अन्य अर्थ लगानेमें असमर्थ है; और सामान्य अर्थ है· "वापस दिया जाये।" सरकार समझौतेपर अमल करनेके लिए हमेशा तैयार होते हुए भी यह बात न्यायसंगत नहीं मानती कि कब्जेमें लिये गये सामानको जिन स्थानोंपर वे इस समय हैं, वहाँ से पहलेके स्थानतक ले जानेका खर्च कर-दाताओंपर डाला जाये। मैं यह भी उल्लेख कर दूँ कि आपकी यह धारणा समझौतेकी किसी भी धाराके अधीन नहीं आती कि जब्त मालको उसी हालतमें जिसमें उसे कब्जेमें लिया गया था, लौटानेकी जिम्मेदारी सरकारकी है। इसके विपरीत, समझौतेकी धारा १६ (ग) में स्पष्ट रूपसे उल्लेख है कि "बिगाड़ आदिके लिए कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा"। "मैं यह उल्लेख कर दूँ कि १९३० के अध्यादेश ९ की धारा ४ (३) में तो यह भी उल्लेख है कि अगर सम्पत्ति जब्त नहीं हुई है पर कब्जेमें ले ली गई है तो उसका उपयोग भी मजिस्ट्रेटके आदेशानुसार किया जा सकता है। मोटरगाड़ी और साइकिलको तो वस्तुत. जब्त किया गया था और यदि उनको बेचा या नष्ट कर दिया जाता तो उनके पहले मालिकका उसपर कोई अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि समझौतेके खण्ड १६ (क) में कब्जेमें ली गई चल सम्पत्तिको उसी अवस्थामें लौटानेकी व्यवस्था है यदि वह तब भी सरकारके कब्जेमें हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप जब्तशुदा सामानको अविलम्ब अपने कब्जेमें लेनेकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि यदि सम्बन्धित व्यक्ति समझौतेकी धारा १६ (क) के अधीन की गई व्यवस्थाका लाभ नहीं उठाते, तो अनिश्चित कालतक इनकी रखवाली करना सरकारके लिए सम्भव नहीं होगा।"

१२०. पत्र : जी० वी० केतकरको[1]

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं कोई निश्चित राय दे सकूं, इसके लिए मैं यह अवश्य चाहूँगा कि शकररावके विचार भी जान लूं। उनके विचार मालूम होनेतक मुझे आपकी इस बातसे सहमत होनेमे कोई संकोच नही कि काग्रेस कमेटियोमे परस्पर सहमतिसे सभी दलोको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या फिर गलत किस्मकी किसी खीचतानके बिना, बिलकुल खुला, सीधा-सच्चा चुनाव होना चाहिए। आप अपना पत्र और मेरा उत्तर शंकररावको दिखा दे और यदि वे मेरी रायका विरोध करना चाहे तो विरोधमे वे जो भी कहना चाहे, उनको कहने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्रमे दोनों दलोके[2] बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों, जिससे उनके सम्बन्ध अविच्छिन्न ही न रहे, बल्कि अधिक सशक्त बनते जायें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० वी० केतकर
केसरी और मराठा कार्यालय
५६८, नारायण पेठ
पूना नगर

अग्रेजी (जी० एन० ७९६२) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ९८१ से भी।
सौजन्य: जी० वी० केतकर

१. लोकमान्य तिलकके नाती।
२. उत्तरदायी सरकारका हामी दल और असहयोगी दल।

१२१. पत्र : खानचन्द देवको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय लाला खानचन्द,

केन्द्रीय सरकारकी ओरसे मेरे पास भेजी गई एक शिकायतकी नकल भेज रहा हूँ। क्या आप इसकी ब्यौरेवार जाँच करके जितना भी शीघ्र हो सके मुझे उसका परिणाम सूचित करनेकी कृपा करेंगे?

हृदयसे आपका,

संलग्न: १

लाला खानचन्द देव
ग्रेडलॉ हाल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५८)की माइक्रोफिल्मसे।

१२२. पत्र : जी० रामचन्द्रन्‌को

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय रामचन्द्रन्,

इतने लम्बे अर्से बाद आपका पत्र पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। सचमुच मैंने मौखिक रूपसे और पत्रोंके जरिए भी, कितने ही लोगोंसे आपके बारेमें पूछताछ की थी। मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि आप किसी जेलखानेमें आराम फरमा रहे हैं। जब भी आप चाहें और आपसे बन पड़े मुझसे मिलने जरूर आयें।

श्रीयुत जी० रामचन्द्रन्
नारायणथ हाउस
तैकाड, त्रिवेन्द्रम

अंग्रेजी (एस० एन० १७०५९)की माइक्रोफिल्मसे।

१२३. पत्र : एच० डब्ल्यू बी० मोरेनोको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिल गया। जैसा कि आप चाहते हैं, मैं 'यंग इंडिया'[1] के पृष्ठोंमें इस विषयके बारेमें अवश्य लिखूंगा और इसीलिए आपको यहाँ ब्यौरेवार उत्तर लिखनेकी जरूरत नहीं समझता। आपने जिसकी प्रति संलग्न की थी, उसका मूल मेरे पास नहीं पहुँचा।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनो
प्रधान अध्यक्ष, एंग्लो इंडियन लीग
९, मार्सडेन स्ट्रीट, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७०६०)की माइक्रोफिल्मसे।

१२४. पत्र : के० एस० नागराजनको

[स्थायी पता,] साबरमती
७ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका ११ मार्चका पत्र इतने सप्ताहोंतक मेरी फाइलमें ही रहा, पर उत्तर देनेमें यह विलम्ब अनिवार्य ही था।

आप यदि वास्तवमें पाशविक वृत्तियों — वासनाओंसे मुक्त हैं, तो अपने आपको मुक्त बनाये रखनेका आपको पूरा अधिकार है। आपको अपने विचारों और अपनी मनो दशासे पत्नीको अवगत करा देना चाहिए। और यदि वह अपनी ओरसे अपनी वासना को संयत नहीं रख सकती, तो उसे यह समझ लेने दें कि विवाहको वैधानिक मान्यता देनेवाले सहवासके अभावमें विवाह ही पूर्णताको प्राप्त नहीं हुआ है और इस कारण वह यह माननेके लिए स्वतन्त्र है कि वर्तमान विवाह तो विवाह ही नहीं है; इस तरह वह अपनी पसन्दका विवाह करनेके लिए बिलकुल स्वतन्त्र है। यदि उसे लोकापवाद का भय हो, तो आपको उसे लोकमतकी उपेक्षा करनेमें सहायता देनेका वचन देना और हर तरहसे उसका मार्ग सरल तथा सुगम बनाना चाहिए। मैं इस बातसे बिल-

१. देखिए "आँगल-भारतीय", १४-५-१९३१।

कुल सहमत हूँ कि यदि आपके मनमें वास्तवमें वैसी कोई इच्छा न हो, तो किसी भी स्थितिमें पत्नीके साथ आपका सह-शयन अपेक्षित नहीं है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत के० एस० नागराजन
२३३, लॉयोला होस्टल
कैथेड्रल डाकखाना, मद्रास

अंग्रेजी (एस० एन० १७०६२)की फोटो-नकलसे।

१२५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

बोरसद
७ मई, १९३१

प्रिय जयरामदास,

यह पत्र[1] आपकी जानकारीके लिए है। यदि आपके पास कहनेको कुछ हो, तो मेरा मार्ग-दर्शन करनेकी कृपा कीजिए।

हृदयसे आपका,
गांधी

संलग्न—१

श्री जयरामदास दौलतराम
स्वराज्य आश्रम, बारडोली

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१२६. वक्तव्य : धरनेके बारेमें

बोरसद
८ मई, १९३१

यह जानकर आश्चर्य होता है कि श्री ग्रे[2] जैसे जिम्मेदार अंग्रेज भी वास्तविक परिस्थितिसे कितने अनभिज्ञ हैं। मुझे उनपर अनभिज्ञ होनेका दोष इसलिए लगाना पड़ रहा है कि मैं अपने-आपको यह समझा ही नहीं पाता कि वे जान-बूझकर

१. मीरपुरखास (सिन्ध) जिला काग्रेस कमेटीके अध्यक्ष दत्त जी० गिदवानीसे। उन्होंने किसी ठाकुरदासका उल्लेख किया था, जो अपने-आपको कांग्रेस समितिके मन्त्री बतलाते थे और विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारके सिलसिलेमें किये गये काग्रेसके निर्णयके विरोधमें वस्त्र व्यापारियोंको विद्रोहके लिए भड़का रहे थे।

२. सूतकार और निर्माता संघके कार्यकारी अध्यक्ष।

वास्तविक परिस्थितिको तोड-मरोडकर पेश कर रहे हैं। दिल्ली समझौतेमे यह बात बहुत स्पष्ट रूपसे स्वीकार की गई थी कि धरने बिलकुल शान्तिपूर्ण होने ही चाहिए, उनमे किसी भी प्रकारकी धमकी, भय या बल-प्रयोगसे काम नही लिया जायेगा। इस बातपर मेरा बड़ा आग्रह था कि इस शर्तका पालन किया ही जाये और अधिकाश मामलोमे यह हो भी रहा है। अगर आतक, बल-प्रयोग अथवा धमकानेका कोई प्रामाणिक मामला सामने रखा जाये तो मैं ऐसे हर मामलेमे नि.संकोच धरना स्थगित करनेकी सलाह दूँगा और उसपर आग्रह करूँगा। मैं जानता हूँ कि अपनी दृष्टिसे भी समझौतेको ज्यादा-से-ज्यादा सख्तीके साथ लागू करना कितना महत्व रखता है।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-५-१९३१

१२७. तार: कावसजी जहाँगीर (छोटे)को[1]

बोरसद
८ मई, १९३१

सर कावसजी जहाँगीर (छोटे)
नेपियन सी रोड
बम्बई

विस्तृत तारके लिए धन्यवाद। शीघ्र जाँच-पडताल कर रहा हूँ। निश्चित रूपसे आश्वासन दे सकता हूँ, सरदार गरदा या उनके साथियोको (हानि) नही पहुँचाई जायेगी।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सख्या १६-सी, १९३१
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. कावसजी जहाँगीर (छोटे)के तारके उत्तरमें जो इस प्रकार था: "समझौतेके बादसे तंग किये जानेके बारेमें गरदाकी शिकायत। २७ तारीखको बखारियाकी जिन फैक्टरीमें कपास ले जाते समय उसके आदमियोंको गालियाँ दी गईं। २८ तारीखको बावलाके लोगोने मजदूरोंको डराया और झोंपडियों तथा उनमें रहनेवालोंको जला देनेकी धमकियाँ दीं। २९ तारीखको उनके नवसारी स्थित बंगलेके पिछवाड़ेसे पथराव किया गया और ठीक उसी समय एक लारीमें खचाखच भरे हुए व्यक्तियोंने बंगलेके सामने से भी पथराव किया जिससे सिद्ध होता है कि कार्य योजनापूर्वक किया गया था। सरमोणमें उनके पुत्रकी हसी उडाई और तिरस्कार-सूचक आवाजें लगाईं। इससे जाहिर है कि वे लड़ाईपर आमादा थे। और अधिक सुस्पष्ट उदाहरण जुटानेके लिये गरदाको तार दे रहा हूँ। हार्दिक अनुरोध है कि यदि ये आरोप सही हों तो उनको तंग करना तुरन्त बन्द कर दिया जाये। पत्र भी भेज रहा हूँ।"

१२८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

सुबहकी प्रार्थनाके बाद, शुक्रवार [८ मई, १९३१][1]

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला।

काकु[2] का भाई चल बसा, उसका दु.ख मत मानना। ऐसा तो ससारमे होता रहेगा। शरीरको चूडीकी उपमा ठीक ही दी गई है। जितनी देर चूडीको टूटनेमें लगती है, शरीरको टूटनेमे उतनी देर भी नही लगती। यत्नपूर्वक रखे तो काँचकी चूडी हजारो वर्ष टिक सकती है। किन्तु शरीर तो सौ वर्षसे ज्यादा चलता ही नही। और सौ वर्ष भी कोई-कोई व्यक्ति ही जीता है। काकुका भाई गया किन्तु उसके शरीरमे रहनेवाली आत्मा नही गई। उसके तो कोई भाई नही था या उसके सभी भाई थे। इसलिए किसी सम्बन्धीकी मृत्यु हो, तो हम उससे सहिष्णुता, वैराग्य और ज्ञान वढाये, मोहमें न पड़े। . . .[3] काकु अपने धर्मको भूला, इस बातका उसके भाईकी मौतसे कोई भी सम्बन्ध नही। उसे इस बातकी याद मत कराना। अब काकु चाहे तो वही रहे और कमाये। उसकी सेवा-कार्यमे पडनेकी इच्छा जब हो तभी उसमे पडे।

मै सोमवारको शिमला जानेके लिए यहाँसे रवाना होऊँगा। उससे पहले आ जाना। वम्बई जानेकी तो जरूरत नही दिखाई देती। किन्तु मन न माने तो हो आना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो : गं० स्वा० गंगाबहनने तथा सी० डब्ल्यू० ८७७४ से भी।

सौजन्य : गगाबहन वैद्य

१. शिमला-यात्राके उल्लेखसे।

२. पुरुषोत्तम डी. सरैया, गगाबहनका नाती।

३. मूलके अनुसार।

१२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बोरसद शिविर
८ मई, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा तार मुझे मिल गया था और पिछले महीनेकी ३० तारीखका पत्र भी अब मिल चुका है, लेकिन उससे पहलेका नही मिला। निश्चय ही तुम्हारे अविलम्ब लौटनेकी ऐसी कोई जरुरत नही है। तुम्हारे तारसे मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुमने अपने पत्रमे जिस कडी सर्दीका जिक्र किया है, उसके बावजूद तुम सब लोगोंका स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहा। वार्ता भग होनेके बारेमें तुमने समाचारपत्रोमें जो देखा, वह बिलकुल ही निराधार नही था, लेकिन अभी इस समय तो गुजरातमें उसके भग होनेका फौरी खतरा नही दिखाई देता। मै अगले सप्ताह कई अनिर्णीत मामलोके बारेमे श्री एमर्सनसे बातचीत करने शिमला जा रहा हूँ और उन्होने अपने पत्रमें लिखा है कि सयोगसे उसी समय गोलमेज परिषद्के बारेमे भी सरकारके साथ बातचीत हो जायेगी। वे चाहते है कि १८ तारीखको या इसके आसपास ही मै नैनीताल भी चला जाऊँ। पता नही, इन दिनो सयुक्त प्रान्तमे क़ैसा-क्या चल रहा है। लेकिन मेरा नैनीताल जाना ठीक ही रहेगा। हिन्दू-मुसलमान समस्याके बारेमे तुमने इतनी स्पष्टवादितासे अपने विचार लिखकर सचमुच बहुत ही ठीक किया। तुम यदि इतनी स्पष्टवादितासे काम न लेते, तो मेरे दिलको ठेस लगती। मै तुमको गलत न समझ लूँ, ऐसी तनिक-सी भी कोई शका मनमे रखे बिना अपने विचार व्यक्त कर देनेका तुमको पूरा अधिकार है। जाहिर है कि मै तुम्हारा लगाया गया आरोप स्वीकार नही करता। मैंने इस बातका हमेशा काफी एहतियात बरता है कि मै जो भी कह रहा हूँ, वे मेरे अपने विचार है। जबतक हम अपनी एक कोई स्पष्ट नीति तय नही कर लेते, तबतक मै अपने व्यक्तिगत विचार ही तो व्यक्त कर सकता हूँ? लेकिन ऐसे अवसर अनेक नही आये। मै तुम्हारी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि डॉ० अन्सारीने अनेक व्यक्तियो द्वारा पच-फैसला करानेका जो प्रस्ताव सुझाया है, वह बडा ही अव्यावहारिक है। और उसका कोई परिणाम भी नही निकला। डॉ० महमूदकी शका नितान्त निराधार है। मैंने उनके कहनेपर नवाब भोपालसे मुलाकात की थी और उनके साथ हिन्दू-मुस्लिम-समस्यापर चर्चा होनेपर मैंने स्वाभाविक तौरपर उनसे कह दिया था कि वे शौकत अली और उनके अन्य मित्रोको बुला सकते है और उनकी रायमे अगर कुछ करनेकी स्थिति हो तो वे मुझे भी भोपाल बुला सकते है। मै उनसे यह नही कह सका कि उनको बिलकुल ही कोई काम नही करना है। श्रीमती नायडू उसी दिन शौकत अलीको लेकर मणिभवन आई थी। नवाब भोपालके साथ हुई अपनी बातचीत मैंने उनको

सुना दी थी। इससे आगे कुछ नही हुआ। मैंने आगे कोई कार्रवाई नही की और इससे अधिक एक पक्ति भी नही लिखी कि मै प्रार्थना कर रहा हूँ, वह तो मै सचमुच कर भी रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब डॉ० महमूदने शिकायत की[1] कि मैंने चुप बने रहनेका जो समझौता हुआ था, भग कर दिया है, तब मैंने उनको भी यही बात लिख दी थी। पूरी तरह स्वस्थ होकर तुम्हारे लौटनेपर हमे कार्यसमितिकी बैठक बुलानी चाहिए और यदि हम उसमे सभी काग्रेसियोके मार्ग-दर्शनके लिए कोई नीति-सूत्र निश्चित कर सके तो मेरे लिए उससे बढकर प्रसन्नताकी बात और कोई नही होगी। व्यक्तिगत तौरपर फिलहाल मै इसी निष्कर्षपर पहुँच रहा हूँ कि मेरा वही विचार ज्यादा सही है जो मैंने तुम्हारे रवाना होनेके दिन या उससे एक दिन पहले तुमको बतलाया था। जाहिर है कि तुम बम्बई पहुँचनेपर सबसे पहला काम यही करोगे कि मेरे ठिकानेका पता लगा लो। ज्यादा सम्भावना इसी बातकी है कि उस समय मै बारडोली या बोरसदमे रहूँगा।

हिन्दू-मुस्लिम एकताके बिना लदन जाना नही होगा।

तुम सबको प्यार।

बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
नुवारा इलिया
श्रीलका

[अग्रेजीसे]

गाधी-नेहरू कागजात, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१३०. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको

[स्थायी पता,] साबरमती
८ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके २४ अप्रैलके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिसका जिक्र किया है, वह एक बहुत ही नाजुक मामला है। भगतसिंहका जीवन रूमानियतकी चादर ओढे हुए है। वे बुजदिल नही थे। मैंने जितनी भी पूछ-ताछ की है, उससे यही पता चला है कि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था और वे अपूर्व साहसी थे। कुछ तरुणोपर उनका प्रभाव बडा गहरा था। किसी-न-किसी तरह उनके मनमें यह विश्वास जम गया था कि राजनीतिक हत्याओकी अपनी उपयोगिता होती है। भगतसिंह और उनके साथियोकी फाँसीको अनदेखा करना असम्भव था। मै समझता हूँ कि उन्हे फाँसी

१. देखिए "पत्र : डॉ० महमूदको", ४-५-१९३१।

देना सर्वथा अविवेकपूर्ण था। फाँसीने उनको शहीद बना दिया। मेरे मनमे तनिक भी सन्देह नही है कि फाँसीने उनके जीवनको एक ऐसे आलोकसे मण्डित कर दिया है जो अन्यथा सम्भव नही था। इसलिए काग्रेसके सामने बस एक ही मार्ग रह गया था। काग्रेस एक ऐसा प्रस्ताव[1] पास करनेपर विवश हो गई थी जिसमें हत्याके प्रयासो और उनपर दी जानेवाली फाँसियोकी भी निन्दा की जाये और साथ ही उनके ऐसे प्रयासोको प्रेरणा देनेवाली वीरता और बलिदान सम्बन्धी उनकी भावनाकी सराहना भी की जाये। पर मै आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि इस प्रस्ताव से राजनीतिक हत्याको किसी बडे पैमानेपर निश्चय ही अविवेकपूर्ण समर्थन मिला है। हममे से अनेक लोग हिंसात्मक क्रान्तिकारी आन्दोलनका बढाव रोकनेके लिए अपनी ओरसे सभी प्रकारकी कोशिश कर रहे है। उसपर हमने काबू भी पा लिया है, लेकिन यह सही है कि जब-तब हिंसात्मक रूपमे फूट पड़नेवाली यह भावना, मै समझता हूँ, तबतक पूरी तरह दम नही तोड़ेगी जबतक भारत स्वाधीन नही हो जाता। मै आपका पत्र प्रकाशित नही कर रहा हूँ, क्योकि इसके प्रकाशनसे उस उद्देश्यको बल नही मिलेगा जिसे लेकर हम दोनो चल रहे है।

हृदयसे आपका,

सर डार्सी लिंडसे
मैडेलियु
केन्स, ए० एम०
[फ्रांस]

अग्रेजी (एस० एन० १७०६४) की माइक्रोफिल्मसे।

१३१. पत्र : 'लिविंगस्टन ऐंड डौल' को

[स्थायी पता,] साबरमती
८ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

मै आपके गत ३ मार्चके पत्रके सन्दर्भमें श्री डौलके नाम वकालतनामा करके उसे यथाविधि अपने हस्ताक्षरके साथ सलग्न कर रहा हूँ।

आपका,

संलग्न–१

सर्वश्री लिविंगस्टन ऐड डौल,
सॉलिसिटर ऐड नोटरीज
डर्बन, नेटाल

अग्रेजी (एस० एन० १७०६५) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ. ३८५।

१३२. पत्र : अब्दुर्रज्जाक मलीहाबादीको

[स्थायी पता,] साबरमती
८ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। सचमुच, मेरी कामना है कि मिस्र-वासियोंको पूर्ण स्वाधीनता और अपने प्राचीन तथा उर्वर देशके अनुरूप समृद्धि प्राप्त हो। मिस्रमें चलनेवाले बहिष्कार आन्दोलनके ठीक-ठीक स्वरूपकी मुझे जानकारी नहीं है; इसलिए उसके बारेमें कोई राय देनेकी मेरी असमर्थताके लिए आप मुझे क्षमा करें।

हृदयसे आपका,

अब्दुर्रज्जाक मलीहाबादी साहेब
३०४, न्यु सर्कुलर रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७०६६) की माइक्रोफिल्मसे।

१३३. पत्र : कुसुम देसाईको

८ मई, १९३१

चि० कुसुम,

तेरे दो पत्र मिले। जैसे तुझे स्वयं लिखकर सन्तोष नहीं हुआ, वैसे मुझे भी नहीं हुआ। मैं समझा नहीं कि तू क्या चाहती थी। परन्तु अब इस विषयको ज्यादा नहीं खोदूंगा। थोड़ा-बहुत जितना समझा हूँ उतनेसे सन्तोष कर लूंगा।

अपने घरनेके कामको यन्त्रवत् मत बनाना। मेरा कथन ठीक समझमें आ गया हो, तो उसपर अमल करना। घरनेके द्वारा शराब पीनेवालोंसे घुलना-मिलना। तू यन्त्रवत् काम कब तक करती रहेगी?

[पुनश्च:]

बापूके आशीर्वाद

सोमवारको यहाँसे रवाना होना है।

गुजराती (जी० एन० १८२१) की फोटो-नकलसे।

१३४. पत्र : पन्नालाल झवेरीको

बोरसद
८ मई, १९३१

चि० पन्नालाल,

नानीबहनको लिखा मेरा पत्र मिल गया होगा। मुझे नहीं लगता कि विद्यापीठका पाठ्यक्रम नानीबहन और गंगाबहन [जैसे व्यक्तियो] के लिए है। किन्तु इन दोनो बहनोको इस मोहसे सन्तोष मिलता हो तो ठीक है। मुझे इसमें कोई दोष नही दिखाई देता। अभी दोनोमे आत्मविश्वास नही है। दोनोको किसी चीजकी और जरूरत है। किस चीजकी, सो दोनो नही जानती। इस तरह प्रयत्न करते हुए किसी दिन जान जायेगी; क्योकि दोनो निर्मल स्वभावकी है। मै यहाँसे शिमलाके लिए सोमवारको रवाना होऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री पन्नालाल
थियोसॉफिकल कॉलोनी
जूहू, सान्ताक्रुज, बम्बई

गुजराती (जी० एन० ३११३) की फोटो-नकलसे।

१३५. पत्र: प्रभावतीको

बोरसद
शुक्रवार, ८ मई, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारे बारेमें जयप्रकाशको लिखनेको जी चाहता है। तुम एक बार पूरी बात जी खोलकर कर लो तो अच्छा है। जबतक तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नही हो जाता तबतक तुम्हे मेरे साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारे स्वास्थ्यका तुम्हारी मनोदशासे बहुत निकटका सम्बन्ध है। शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा शरीर और मन दोनो स्थिर हो जायें और तुम जहाँ भी रहना चाहो वहाँ निर्भयतासे रहने लायक बन जाओ। तुम्हे जैसा ठीक लगे वैसा करना।

मैं यहाँसे सोमवारको शिमला जा रहा हूँ। वहाँ पतेकी जरूरत नही। मेरा नाम ही लिख दोगी तो पत्र जल्दी-से-जल्दी मिल जायेगा। काग्रेस कमेटीकी मारफत भेजनेसे थोडी देरसे मिलेगा। शिमलामे पाँच दिनतक रहनेकी सम्भावना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०९) की फोटो-नकलसे।

१३६. पत्र : नारणदास गांधीको

वोरसद
८ मई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। लक्ष्मी विषयक सुझाव तुम्हे पसन्द आया है, इससे निश्चिन्त हो गया हूँ। काका और वल्लभभाईकी भी यही राय है। विनोबा और किशोरलालकी राय अभी मिली नही है। द्वारकानाथका[1] विल मुझे जरा भी अच्छा नही लगा। मैंने उसे रोक दिया है और द्वारकानाथको कडा पत्र लिखा है। उसका पत्र आनेपर तुम्हे लिखूंगा। इसलिए फिलहाल तो इसके वारेमे और कुछ करनेकी जरूरत नही रहती। यो विलके वारेमें तुमने जो सामान्य सुझाव दिया है, उसपर फौरन अमल करनेकी आवश्यकता नही है।

शकरभाईकी वात समझ गया। तुम्हारा निर्णय विलकुल ठीक लगा है। भगवानजीकी रायकी चिन्ता नही है। पजावी वैद्यको दवाके लिए ३५ रुपये देने पडेगे। ऐसे लोग इस तरह ही पैसा लेते है। सव ठीक हो जाये तो अखरेगा नही। फिर भी दवाईके पैसे वे किस तरीकेसे लेते हैं यह जान लेना तो आवश्यक है ही। इसलिए चन्द्रशेखरसे पूछकर ठीक ही किया है। वहुत-से लोगोकी दवा एक साथ न कराना। हरएक रोगीका इलाज वह किस तरह करते हैं, यह देखते जाओ और आगे वढो। मै सोमवारको शिमलाके लिए रवाना होऊँगा। वहाँ पतेकी जरूरत नही। प्रागजीको जवाव दे दिया है। रुखी[2] और वनारसी[3] आ गये है। वनारसी आज ही वापस चला जायेगा। रुखी आज तो रहेगी। शायद कल किसी गाडीसे भेज दूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०—१से।

१. द्वारकानाथ हरकरे।
२. रुक्मिणी, मगनलाल गाधीकी पुत्री।
३. वनारसीलाला वजाज, रुक्मिणीके पति।

१३७. पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
८ मई, १९३१

चि० जमनादास,

डाक्टरका तार है कि जमनादास और नानालाल रतिलालकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए जबतक वह ठीक नही हो जाता राजकोटमे रह जाये और आश्रम बादमें जाये। चम्पाको मारा-पीटा गया, यह जानकर अफसोस हुआ। तुम और नानालाल देखभाल करते हो, यह बात डॉक्टरने कैसे सोचली होगी। नानालालभाईको भी यह बता देना। शायद वहाँ भी तार दिया हो। चम्पाको मारा-पीटा गया था, इसके बारेमे विस्तारपूर्वक लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मै सोमवार शामको यहाँसे शिमलाके लिए रवाना होऊँगा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२१) से।
सौजन्य: जमनादास गाधी

१३८. पत्र : जमनालाल बजाजको

बोरसद
८ मई, १९३१

चि० जमनालाल,

कर्नाटकके भाई-बहनोसे कहो[1] कि उन्होने युद्धमे तो अच्छा हिस्सा लिया ही है; वैसा ही अब रचनात्मक कार्यमे भी ले। खद्दरमे बहुत करनेको बाकी है, विदेशी वस्त्रका बहिष्कार खद्दर ही के लिए है। यदि बहिष्कार गरीबोकी सेवा हेतु नही है तो कमसे कम मै तो उसमे ऐसा तन्मय नही बन सकता, जैसा आज हूँ।

कर्नाटक एक अलग सूबा बनना चाहिए, इस बारेमे कुछ कर्नाटकी भाई बहुत फिक्र करते है। वे क्यो करते है? महासभाने तो कन्नड भाषा बोलने वालोका एक सूबा बना ही रखा है और पूर्ण स्वराज्यमें यही होगा।

लिंगायत इ. सब इक्कठे हुए है इसलिए धन्यवाद, और यह होना भी चाहिए।

मोहनदास

पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद

१. जमनालाल बजाजकी अध्यक्षतामें कर्नाटक प्रान्तीय परिषद्का छठा अधिवेशन २६ मई, १९३१ को हुकेरी, जिला बेलगाँवमें हुआ था। सन्देशके लिए देखिए "सन्देश: कर्नाटक प्रान्तीय परिषद्को", १८-५-१९३१।

१३९. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

बोरसद
८ मई, १९३१

बारडोली ताल्लुकेमें सरदार गरदाने जब्तशुदा जमीनें खरीदी थीं। बम्बईके एक पत्रमें समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरदार गरदाने उन जमीनोंको लौटानेसे इनकार कर दिया है। इस सिलसिलेमें श्री गांधीसे भेंट करनेपर उन्होंने कहा कि समाचार सही है; लेकिन साथमें यह भी कहा कि जहाँतक मैं जानता हूँ वहाँके लोगोंने उन खेतोंसे फसल उठानेके काममें जान-बूझकर या किसी भी प्रकारसे कोई बाधा नहीं डाली। उनको ऐसी ही हिदायत दी गई थी और इसका सख्तीसे पालन करनेके लिए कहा गया था। मैंने सरदार गरदा द्वारा की गई सभी शिकायतोंकी जाँच करा ली है। मैंने शिकायतके सुस्पष्ट उदाहरण जुटानेके लिए भी कहा था, किन्तु एक भी पेश नहीं किया गया। इसलिए मुझे इस बातपर दुःख और आश्चर्य भी है कि सरदार गरदाने इतने सोच-समझकर किये गये समझौतेसे बच निकलनेकी कोशिश की है या उससे मुकर गये हैं। मैंने समझौतेके मुख्य मध्यस्थ सर कावसजी जहाँगीरका[1] ध्यान इस स्थितिकी ओर आकर्षित कर दिया है।

गांधीजीसे पूछा गया कि क्या सरदार वल्लभभाई पटेलने बारडोलीकी जनताको अनधिकृत बकाया राशि अदा न करनेकी सलाह दी थी। उन्होंने उत्तर दिया कि सवाल श्री वल्लभभाई द्वारा बकाया राशि अदा न करनेकी सलाहका है ही नहीं; असल बात तो यह है कि जनतामें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह अदायगी कर सके। सच तो यह है कि अनेक लोग तो सचमुच चालू वर्षकी कर-राशि भी मुश्किलसे अदा कर पायेंगे। सूरत और खेड़ा दोनों ही जिलोंके अभावग्रस्त क्षेत्रोंके लोगोंको कहीं-कहीं तो चालू वर्षकी कर-राशिकी अदायगी भी मुलतवी करानेके लिए कहने पर विवश होना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात तो यह है कि करोंकी बकाया राशि निर्ममताके साथ वसूल करनेका आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इस बातको उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि करोंकी अदायगी बन्द करनेका राजनीतिक आन्दोलन पूरी सदाशयताके साथ खत्म कर दिया गया था; और फिर परिस्थितिके अनुसार लोग जितनी भी अदायगी कर सकते थे, उन्होंने की।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ९-५-१९३१

१. देखिए "तार : सर कावसजी जहाँगीरको", ६-५-१९३१।

१४०. सन्देश : हिन्दुस्तानी सेवा दलको

[९ मई, १९३१से पूर्व][1]

काग्रेस स्वयसेवकोके शिविरोके आयोजनका अर्थ यही होना चाहिए कि स्वयसेवक अपने कर्त्तव्यके प्रति और अधिक समर्पणकी भावना और अधिक आत्मशुद्धि, दीनोकी और अधिक सेवा, हाथ-कताई और धुनाईमे और अधिक कौशल तथा कताई, ओटाई, धुनाई, इत्यादिके लिए अपेक्षित विभिन्न यन्त्रोकी मरम्मत करनेमें और अधिक कौशल प्राप्त करे और इन सबसे बढ़कर सत्य तथा अहिंसापर अपनी और अधिक श्रद्धाका परिचय दे। काग्रेस स्वयसेवकके लिए शिविरमे शामिल होनेका अर्थ यही होना चाहिए कि आसपासके गाँवोमें सफाईका काम जोरशोरसे चले।

मो० क० गांधी

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-५-१९३१

१४१. सन्देश : कराचीके मजदूरोंको

बोरसद
९ मई, १९३१

मेरे तईं यह बात बिलकुल साफ है कि श्री गजाधर द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन शरारतसे भरा हुआ और अव्यावहारिक है और इसलिए उसे बढ़ावा नही दिया जाना चाहिए।[2]

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-५-१९३१

१. विवरण इसी तिथिको प्रकाशित हुआ था।
१. देखिए "खतरेके बादल", १४-५-१९३१ भी।

१४२. पत्र : चिमनलाल शाहको

बोरसद
९ मई, १९३१

चि० चिमनलाल,

शारदाको कॉड-लिवर ऑयलसे स्पष्ट फायदा हुआ दिखता है क्या यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है? क्या उसका वजन आदि देखकर यह बात कही जा सकती है? कॉड-लिवर ऑयलकी महिमा डाक्टरोसे तो बहुत सुनी है, किन्तु मुझे उसका ऐसा अनुभव नही हुआ है।

जब अन्नपूर्णाको बुलानेका साहस जुटा लो तब उसे बुला लेना। उसके साथ पत्र-व्यवहार बन्द न करना। वह खराब स्वभावकी निकले तो बादमे क्या होगा, डर यही तो है। यह डर होते हुए भी यदि इस समय उसके सुधरनेके प्रमाण मिल रहे हो तो इस भयको निरर्थक मानना। जोखिम तो सभी कामोमे रहती है। भर्तृहरिने भयहीन वस्तु केवल वैराग्यको ही माना है। गीताका वैराग्य इसी तरहका सच्चा वैराग्य है। यह वैराग्य फलका मोह त्याग देनेसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ भी फलके बारेमे डर छोड़कर उसको आने देना कर्त्तव्य हो, तो इस कर्त्तव्यका पालन निर्भयतासे करना।

शकरीबहनके काममे मन लगाने लगेगी, तो अन्तमें उसे शान्ति मिल जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० २४३७१) की फोटो-नकलसे।

१४३. चार लाख धारालाओंका सवाल

यह शीर्षक देकर किसीने 'एक धाराला' के छद्म नामसे निम्न पत्र लिखा है.[1]

यो तो यह पूरा पत्र विष-भरा है फिर भी उसमे कुछ वाक्य तो अत्यन्त विषैले थे, उन्हे मैंने निकाल दिया है। इस पत्रकी लिखावट बहुत जमी हुई है और भाषा तो मँजी हुई है ही। इसलिए मेरा अनुमान है कि उक्त पत्र किसी धाराला ठाकुरका लिखा हुआ नही बल्कि पाटीदारोसे जिसे दुश्मनी है, ऐसे किसी व्यक्तिका है। पत्र चाहे जिसका हो, फिर भी इस पत्रके बहाने कुछ बातोकी सफाई हो सकती है।

धाराला ठाकुर

यद्यपि पत्रमे पाटीदारोके प्रति काफी जहर उगला है, फिर भी उसमे लगाये आरोपोमे कुछ सत्य है। जो दोष सारे हिन्दुस्तानमें पाया जाता है, वह पाटीदारोमें भी है; अधिक पढ़े लिखे और अधिक धनवान लोग अपढ और गरीबोपर

१. यहाँ नही दिया जा रहा है।

देश-भरमे हुकूमत करते है, और अपने ज्ञान और धनका दुरुपयोग करते है। इसमे ऊँच-नीचका भाव तो है ही। खुशहाल लोग ऐसे लोगोके रक्षक नही बन पाते, जिनकी हालत गिरी हुई है, यह चीज हमारी प्रगति और स्वराज्य-प्राप्तिमे एक बहुत बडी रुकावट है। लेकिन पाटीदारोके विषयमें इस चीजको कबूल करनेके बाद मुझे कहना चाहिए कि इस पत्रमे बहुत अतिशयोक्ति है। कुछ साल पहले करीब पचास हजार धाराला वडतालमे इकट्ठे हुए थे, इसमे पाटीदारोका हाथ था। तबसे उन्हे पाटीदार ठाकुर कहने लगे। आज गुजरातमे जहाँ-तहाँ पाटीदार नौजवान ऊँच-नीचकी भावनाको मिटा रहे है। वूढे पाटीदारोमे से बहुतेरे इस काममे मदद करते है। युवक पाटीदार अनेक प्रकारके सेवा-कार्योमे लगे हुए है। वे पाटीदारो और अन्य लोगोंमे भेद नही करते। और उनके इस कार्य-क्षेत्रकी सीमा पूरा हिन्दुस्तान है।

श्री रेवाशंकरकी सेवा

लेखकको यह कबूल करना पड़ा है कि श्री विट्ठलभाई, दरबार साहब गोपालदास, श्री दादूभाई वगैरा धाराला ठाकुरोके प्रति समभाव रखते है। सरदारके लिए तो सब समान है; यह बात एक नन्हा बालक भी जानता है। उन्हे तो निर्धनमात्रकी सेवा करनी है। फिर भले ही वह भगी हो या ब्राह्मण, गुजराती हो या मद्रासी। राष्ट्रने उनकी इस विशेषताको पहचाना और इसीलिए उन्हे राष्ट्रपति बनाया है। पत्र-लेखक भाई रविशकरकी सेवाको नाममात्रकी समझते है। यदि यह त्यागकी मूर्ति नामकी ही सेवा करती है तो कामकी सेवा कौन करता है, यह मै नही जानता।

वल्लभ विद्यालय

इसके बावजूद मै स्वीकार करता हूँ कि धाराला ठाकुर और ऐसी दूसरी कौमोके लिए सबके लिए अभी ब त-कुछ करना बाकी है। परन्तु सेवा-वृत्ति तेजीसे बढ़ रही है, इसलिए दिन-ब-दिन सब कौमोकी एकता भी बढ़ेगी। बोचासणमे जिस पाठशालाकी नीव अभी हालमे ही रखी गई है[1] और जिसका नाम वल्लभ विद्यालय रखा गया है, वह भी धाराला ठाकुरोके लिए ही है।

इसलिए उक्त पत्र-लेखकको मेरी सलाह है कि वे एक-दूसरेके बीच बैर न बढ़ाकर ऐसे उपाय खोजें और सुझाये, जिनसे आपसमे मित्रता बढे। लेखकके लिखनेके ढगसे मालूम होता है, उनमे शक्ति है। मै उन्हे उसका सदुपयोग करनेको आमन्त्रित करता हूँ।

पाटीदारोंसे

पाटीदारोसे भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। अपने अन्तरमे गहरे पैठकर जहाँ मैल हो वहाँसे उसे धो डाले। उन्होने खूब बहादुरी दिखाई है, त्याग किया है। अब वे बाकी बचे हुए दोषोको सोचें और उन्हे दूर करे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-५-१९३१

१. देखिए "भाषण: बोचासणमें", ६-५-१९३१।

१४४. टिप्पणियाँ

चुनावके दौरान पाखण्ड

वलसाडमे प्रान्तीय समितिका जो चुनाव हुआ, उसमे मुट्ठी-भर मतदाता थे। दलवन्दी हो जानेके कारण चुनाव आवश्यक हो गया था। मतदाताओको नियमित रूपसे खादीधारी होना चाहिए, परन्तु ये मतदाता कैसे खादीधारी थे, इस वारेमें एक मित्र लिखते है:[1]

एक वर्षके प्रचण्ड युद्धके वाद, और विदेशी वस्त्र-वहिष्कारमें खादीका कितना बडा स्थान है, यह जाननेके वाद काग्रेसके साधारण नियम इस प्रकार दिन-दहाडे तोड़े जायें, तो काग्रेसकी क्या इज्जत रहेगी? काग्रेसके ऐसे सदस्य गाढे प्रसगोपर क्या नाम करेगे? ऐसे पाखण्डसे कांग्रेसकी उज्ज्वल कीर्तिमे कलक लगता है। चुनाव ऐसी कहाँकी महत्वपूर्ण चीज है कि उसके लिए मतदाताओको इस प्रकार नियम-पालनका आडम्बर रचना पड़े; और फिर वह चाहे जितनी महत्वपूर्ण चीज क्यो न हो, असत्याचरण करके महत्वका काम कैसे किया जा सकता है?

मुमकिन है कि गुजरातके अन्य स्थानोमें और सारे देशमे जहाँ-जहाँ उम्मीदवार ज्यादा रहे होगे, और कशमकश हुई होगी, वहाँ सभी जगह ऐसी कार्रवाई हुई होगी। यदि काग्रेसके नियमोके पालनमें ऐसी शिथिलता हो, ऐसा पाखण्ड हो तो स्वराज्य मिलने पर वह कितना बढ जायेगा, इसका आसानीसे हिसाव लगाया जा सकता है। स्वराज्य प्राप्तिके वाद होनेवाले चुनावोमें अधिक प्रलोभन होगे, क्योकि तव तो धन-लाभकी वात भी होगी। मै तो ऐसे व्यवहारको हमारे लिए शर्मनाक और नुकसान-देह मानता हूँ। इसमें न हमारा भला है, न देशका।

यदि हमे खादी पहननेसे नफरत हो, यदि हम खादीको आवश्यक न मानते हो, तो हम काग्रेसके नियमोमे से खादीसे सम्वन्धित नियम निकाल डालनेका आन्दोलन क्यो न करे? पर जवतक वह कायम है, उसपर अमल होना चाहिए। यह नियम पसन्द न हो अथवा इसका पालन करनेके लिए काग्रेसके अधिकांश सदस्य राजी न हो तो आन्दोलन करके उन्हे इस नियमको रद्द करवानेका प्रयत्न करना चाहिए।

नडियाद देश-सेविका संघ और खादी

नडियाद देश-सेविका-सघकी ओरसे श्रीमती काशीवहन और गगावहन नडियाद ताल्लुका समितिके मन्त्रीको लिखती है:[2]

१. यहाँ नही दिया जा रहा है। उसमें कहा गया था कि विभिन्न मतदाताओंके पास खादीकी पोशाकें इनी-गिनी थीं और उन्होंने उन्हें वारी-वारीसे पहनकर मत दिये थे।

२. नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें कहा गया था कि गांधीजीकी नवजीवन, २६-४-१९३१ की "स्वयंसेविकाएँ और खादी" टिप्पणीमें प्राप्त सूचनाओके आधारपर उक्त सस्थाके कुछ दोष गिनाये हैं; वे सूचनाएँ सही नहीं हैं और उसके कारण बड़ी गलतफहमी हुई है।

मेरे लेखसे नडियादकी बहनोके साथ जो-कुछ अन्याय हुआ हो, उसका परिमार्जन किया जाये। साथ ही मैं एक बातकी ओर ध्यान दिलाता हूँ। इन बहनोने अपने पत्रमे लिखा है कि पन्द्रह स्वयसेविकाएँ काग्रेसका काम करते समय शुद्ध खादी ही पहनती आई है, और आज भी पहनती है। यदि यह बात है तो प्रश्न उठता है कि कितनी बहने नियमसे खादी पहनती है? खादीमें विश्वास रखनेवालेके लिए खादी सिर्फ सामयिक पोशाक, गणवेश नही है, बल्कि रात-दिनकी पोशाक है, और होनी चाहिए। कुछ लोगो द्वारा कुछ समयके लिए खादी पहननेसे स्वराज्य नही मिलेगा, उससे भूखोकी गरीबी दूर न होगी। वह गरीबी तो तभी दूर होगी जब खादी हरएक घरमें अपना स्थान बना लेगी। इसलिए मैं तो आशा रखता हूँ कि नडियाद ही नही, बल्कि दूसरे सब गाँव भी खादी ही पहनेंगे।

चौबीस टोपियाँ और तीन कुर्ते

जो आदमी यह मानता हो कि हिन्दुस्तानके करोडो लोग भूखो मरते है और उन्हे अर्द्धनग्न रहना पड़ता है; फिर भी यदि वह आदमी अपने सिरपर एक ही समय जैसे-तैसे चौबीस टोपियाँ पहनें और एक-पर-एक तीन कुर्ते बदनपर लाद ले तो उसे क्या कहा जायेगा? वह दयावान हो तो भी उसकी दया निरर्थक है, यह तो कहना ही चाहिए न?

फिर भी हम ऐसे बहुतेरे आदमियोको देखते है। यह वाक्य पढकर उतावले पाठक ठठाकर हँसेगे, कुछ मुझे मूर्ख भी कहेगे। परन्तु इसमे न हँसनेका कोई कारण है, न मुझे मूर्ख माननेकी कोई वजह।

हम काठियावाडी पोशाकको ही ले। काठियावाडी, धोती, कुर्ता, अगरखा और साफा पहनते है। वहाँकी आबोहवाके लिहाजसे तो इतने कपडोकी बिलकुल जरूरत नही है। एक अगरखेके दो कुर्ते आसानीसे बन सकते है। बारह गजके एक साफेकी चौबीस टोपियाँ आसानीसे बन सकती है। इसलिए ऐसे आदमीके बारेमे यह कहनेमे कि वह तीन कुर्ते और चौबीस टोपियाँ पहनता है, जरा भी अतिशयोक्ति न होगी; यह तो बिलकुल सच बात है। जो चतुर काठियावाडी इस सीधी बातको समझते है, जिनके दिलमे दया है, वे मेरी इस परेशानीका जवाब दें।

यह प्रश्न राजदरबारियोके लिए नही है। वे तो अनेक दलीलोसे मुझे हरानेकी कोशिश करेगे और 'हमें राजदरबारमे जाना पड़ता है' आदि कहेगे। न यह प्रश्न 'एजेन्सी' के नौकरोके लिए है। वे द्रोण और भीष्मकी तरह अपने पेटकी ओर अगुली दिखायेगे और भले होगे तो कवि शामलका छप्पय गाकर सुनायेगे:

"पेट करावे वेठ, पेट वाजाँ वगडावे"

यह सवाल तो उनके लिए है जो इन बन्धनोसे मुक्त है। वे मुझे सन्तोषजनक जवाब दें, या तेईस टोपियाँ और दो कुर्ते गरीबोके लिए बचाये।

एक विवाहकी शर्तें

अनाविल जातिमें विवाहके समय कन्याके पिता द्वारा वरके पिताको खासा दहेज अर्थात् धन देनेका चलन है। बारडोली स्वराज्य आश्रममे भाई दयालजी गुलाबभाई

नामक एक सज्जन श्री लक्ष्मीदासके मातहत काम करते हैं। उन्होंने शादी की थी, पर फिर पत्नी जाती रही। यह बहुत पहलेकी बात है। उनके कोई सन्तान नहीं है। उन्होंने फिरसे ब्याह करनेका विचार किया। परन्तु उन्होंने सोचा कि [सरकारसे] संघर्षके दिनोंमें विवाह नहीं करना चाहिए। समझौता होनेके बाद मनमें फिर इच्छा उत्पन्न हुई। भाई दयालजीको आठ सौ रुपये दहेज देकर एक सज्जन अपनी कन्या देनेके लिए तैयार हो गये। किन्तु यह विचार देरतक नहीं टिका और वे आखिर-कार इस लालचसे विमुख होनेमें समर्थ हो गये। अब उनका शान्ताबहन नामक सत्रह वर्षकी कन्यासे विवाह होनेवाला है। इस विवाहकी शर्तें बहुत जानने और अनुकरण करने योग्य जान पड़ीं; इसलिए नीचे देता हूँ.

वरको दहेज रुपयोंमें नहीं, सूतके रूपमें दिया जायेगा। सूतका वजन ८। रतल होगा। यह सूत परिवारवालोंका ही काता हुआ होना चाहिए।

कन्याकी ओरसे १५ और वरकी ओरसे १० (पुरुष, स्त्री, बच्चे) यों कुल पच्चीस लोगोंसे ज्यादा नहीं बुलाये जायेंगे और यह आवश्यक है कि वे सब शुद्ध खादी ही पहने हों।

सब एक ही भोजनशालामें जीमेंगे और सो भी दाल-भात और शाकका ही। गर्मीके दिन हैं, अतः मट्ठा लेनेमें हर्ज न होगा। ब्राह्मणोंको घीके साथ सीधा देनेका रिवाज उन्होंने एकदम बन्द कर दिया है।

किसी भी रिश्तेदारका टीका या कन्यादान रुपयोंके रूपमें न होकर कोई धार्मिक पुस्तक हो सकती है।

विवाहके बाद उपस्थित भाइयोंको पान-सुपारीके बजाय फल या शरबत या ऐसी ही कोई चीज देनेमें हर्ज न होगा। चाय-पान मना है।

घर-गिरस्तीके सामानमें चर्खा, पींजन, तकली, जाजम, या आसन और ऐसी ही चीजें दी जायें।

लड्डू-पूड़ी या इस तरहका 'भोजन' कदापि न कराया जाये।

वर-कन्या विवाहके अवसरपर अपने-अपने हाथकी कती खादीके कपड़े पहनेंगे। कपड़े खरीदे नहीं जायेंगे। इसी तरह किसीको कुछ भेंट देना हो, तो वह अपना हाथ-कता सूत ही दे सकेगा।

विवाहके अवसरपर कन्याके शरीरपर सुहाग सूचित करनेवाले एक-एक अलंकारके सिवा और अधिक गहने न होंगे। बादमें कोई देना चाहें तो दे सकते हैं।

आने-जानेके दिन मिलाकर तीन दिनमें सारा काम करके सब अपने-अपने घर जायेंगे।

कंकणके बदले हाथ-कते सूतकी चूड़ी पहनाई जायेगी।

विवाह आश्रमकी पद्धतिसे ही होगा, उसमें गांधीजीके विवाह-सम्बन्धी लेख, उनकी बनाई प्रतिज्ञा और प्रवचन पढ़े जायेंगे। ब्राह्मण भी शुद्ध खादीमें होंगे और दक्षिणा नहीं लेंगे।

बैंड-बाजा न होगा। भजन गाये जा सकेंगे, पर गालियाँ कदापि नहीं गाई जा सकेंगी।

इसपर भाई दयालजी और कन्याके पिताके दस्तखत हैं। १३ तारीखको ब्याह होगा। अनाविल जातिके साधारण ब्याह भी खर्चीले होते हैं, जब कि इस ब्याहमे केवल धर्मविधिको ही स्थान है। वर-कन्या तथा उन्हें आशीर्वाद देनेवाले प्रेक्षकों और पुरोहित ब्राह्मणके लिए खादी अनिवार्य है। यह कोई साधारण निश्चय नही है। घर-गिरस्तीका सामान अर्थात् दहेज। दहेजमे कन्याका पिता घर-गिरस्तीकी सब चीजे देता है, जब कि इस ब्याहमे केवल कताईकी चीजे ही दी जा सकती है। हम आशा रखे कि ऐसे विवाहका अनुकरण सब जातियोंमे आम रिवाज बन जायेगा और ऐसे शुभ सयोगोमे ब्याहे जानेवाले दम्पति शुद्ध सेवक और सेविका बनेगे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-५-१९३१

१४५. खेड़ामें खादी

पेटलाद, नडियादका खादी प्रवृत्ति सम्बन्धी निम्न विवरण श्री गोपालदास पुरुषोत्तम देसाईने भेजा है:[1]

ऊपरकी टिप्पणी और आँकड़ोमें कुछ सुधारकी आवश्यकता है। जहाँ वस्तुस्थिति बतानी हो और आँकडे देना सामर्थ्यसे बाहर न हो, वहाँ अनुमानसे कुछ नही बताना चाहिए। "लगभग ५० से ७५ चरखे चालू हैं" वाक्यका कुछ भी अर्थ नही निकलता। ५० से कम भी हो सकते हैं और ७५ से ज्यादा भी हो सकते हैं। असलमें ५० से शायद कम ही होगे। इसलिए जहाँ आसानीसे गिनती की जा सकती हो वहाँ बिल्कुल ठीक सख्या ही देनी चाहिए; न एक ज्यादा हो न एक कम। फिर पेटलाद, नडियादमें बनी खादी किस किस्म और कितने अककी है, यह भी बतलाया जाना चाहिए। बाहरसे कितनी खादी आई है? आजीविकाके लिए काते गये सूतकी तुलनामे कितना सूत स्वावलम्बी होनेकी खातिर काता जाता है? अपनी जरूरतके लिए कातने-वालोमे कितनी स्त्रियाँ और कितने पुरुष है? वे औसतन कितना सूत कातते है? वे अपने लिए स्वय पीजते हैं या नही? यह सब बताना चाहिए। कार्यकर्त्ताओकी संख्या १५१ दी गई है। इसके साथ यह भी बताना चाहिए था कि उनमें से किसने कितना उत्पादन किया और उत्पादनके विभाग भी बताये जाने चाहिए। इन सब तथ्योके बिना यह विवरण शास्त्रीय नही माना जायेगा। इसपरसे कुछ भी अनुमान नही लगाया जा सकता।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

ऊपरके आँकड़ोंके बारेमें इतना बता दूँ कि उनमें पेटलादके और नडियादके आँकड़े अलग-अलग दिये गये हैं। सामान्य तौरपर कहा जा सकता है कि नडियादके आँकड़े पेटलादके मुकाबलेमें आधे बैठते हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब नडियाद ही देगा।

अब लिम्बासीको लेता हूँ। वहाँसे भाई विट्ठलभाई यह लिखते हैं:[1]

इसके साथ उन्होंने जिनके यहाँ चरखा चलता है उन व्यक्तियोंके नाम दिये हैं। ऊपरकी आलोचना जहाँतक इस विवरणके बारेमें भी लागू की जा सकती हो वहाँतक लागू करके समझ ली जानी चाहिए। चरखे कम पड़ते हैं इसका उल्लेख हमारे लिए शर्मनाक है। हममें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि हम हर जगह चरखे बना सकें। बारडोलीसे एक-दो नमूने मँगाकर वैसे चरखे स्थान-स्थानपर बनने लगने चाहिए। फिर जहाँ आश्रमवासी रहते हों, वहाँ तो यह सलाह और भी अधिक लागू होती है। चरखेके लिए लकड़ी कैसी होनी चाहिए आदि सूचना बारडोलीसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। सब लोग याद रखें कि बारडोलीका कारखाना कताई करनेके लिए नहीं है, बल्कि वह तो शिक्षालय है। इसलिए वहाँसे नयी आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। कभी ऐसा समय आयेगा ही जब घर-घर लोग चरखा और तकली माँगेंगे। यदि हम बारडोलीके सत्याग्रह-आश्रमकी ओर नजर लगाकर बैठे रहें तो काममें बाधा पड़ेगी। बड़े-से-बड़ा कोई भी कारखाना करोड़ों चरखे नहीं बना सकता। बना सके यह जरूरी भी नहीं है; और अगर बना ले तो वह हानिकारक सिद्ध होगा। खादी-प्रवृत्तिका अर्थ और उसकी खूबी यही है कि उसकी प्रत्येक क्रिया हर गाँवमें की जा सकती है। खादी एकका पोषण करनेवाली क्रिया नहीं बल्कि अनेकोंका पोषण करनेवाली है। इसलिए प्रत्येक गाँवमें खादीकी प्रत्येक क्रिया विकसित हो जानी चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १०-५-१९३१

१४६. पत्र : शान्ता पटेलको

१० मई, १९३१

चि० शान्ता,

तेरा पत्र मिला। वहाँके नियम और काम तुझे भारी लगते हैं, इससे यह प्रकट होता है कि बाहर तूने नियमोंका पूर्णतया पालन नहीं किया। तू बच्ची बनी रहे यह तो अच्छा है; पर बच्चेका अर्थ आलसी नहीं होता। बच्चेका अर्थ होता है निर्दोष, निर्विकार। तू निर्विकार तो नहीं है। पर क्या तू निर्दोष नहीं है? नहीं है तो बन। तुझे लड़कोंसे मिलना-जुलना बहुत अच्छा लगता है, लड़कियोंके साथ नहीं; यह तो भयंकर बात है। यह बात तुझे किसी दिन नीचे गिरायेगी। तू संसारकी ओर नजर

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

घुमा कर देख, जैसा तू चाहती है वैसा ही सब लड़कियाँ करना चाहे तो किसी लड़कीको दूसरी लडकीका साथ ही न मिले। जिस स्वतन्त्रतासे तू किसी लड़कीके साथ खेलकूद सकती है, क्या उसी स्वतन्त्रताके साथ लड़केके साथ खेलकूद सकती है? ईश्वरने जो मर्यादा बनाई है, उसका तू उल्लघन करना चाहे तो यह भयकर बात है। इस पर विचार करना और इसे समझना। प्रेमाबहनको यह पत्र पढाना। उसके साथ सलाह करके मुझे पत्र लिखना। प्रेमाबहनकी आज्ञाका पालन करना और उसकी सहायता करना।

यदि तू न चाहती हो तो कोई तेरा पत्र नही पढ़ेगा। आनन्दी मेरे साथ नही आयेगी। वह तो बारडोलीमे ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०५९)की फोटो-नकलसे।

१४७. पत्र : गंगाशरण सिंहको

बोरसद
१० मई, १९३१

भाई गगाशरण सिंहजी,

आपका पत्र मिला। जहाँ राजेन्द्र बाबु प्रमुख है वहा कार्यसिद्धि हि हो सकती है। विदेशी वस्त्र बहिष्कार, खद्दर प्रचार और शराब इ० मादक पदार्थोका बहिष्कार हमारे लिये आज बहोत आवश्यक वस्तु है।

आपका,
मोहनदास गांधी

श्री गंगाशरणसिंह
काग्रेस कमेटी
अमहरा
पो० निहट्टा, जिला पटना, बिहार

जी० एन० ११००८की फोटो-नकलसे।

१४८. पत्र : लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको

१० मई, १९३१

भाई लक्ष्मीनारायणजी,

आपका पत्र मिला।

एलेक्साडर ड्रुका खत पढा। आपका उत्तर योग्य है। इस नुकसानको मै लाभ हि समजता हु। काग्रेस कमेटियोकी हालत हर जगह बुरी हो रही है।

विदेशी वस्त्रके जहाजकी चोकीमे खतरा काफी है। यदि युद्ध फिर हुआ तो देखा जायगा क्या शक्य और योग्य है। सबसे अच्छा तो जनतामें काम करना हि है।

मै कल (सोमवारको) सीमला तरफ रवाना हुगा। दिल्लीमे कुछ तीन घटे ठहरना होगा। जमनालालजी साथ होगे।

आपका,
मोहनदास

जी० एन० ५६२१ की फोटो-नकलसे।

१४९. पत्र : नाराणदास गांधीको

११ मई, १९३१

चि० नारणदास,

यह पत्र वडौदा स्टेशनसे आधी रातके समय लिख रहा हूँ। चम्पा यही मिलने आई और चली गई। देखता हूँ कि रतिलाल फिलहाल नही आयेगा। मुझे शिमलामे पाँच-एक दिन लग जायेगे, फिर उतने ही दिन नैनीतालमे। उसके बाद २५ तारीखके आसपास वोरसद पहुँचनेकी आशा है।

वीडजकी जमीन खरीद लेना। हनुमानसिहकी बात खेदजनक है। वह इस हालततक कैसे पहुँचा, क्या इसके बारेमे कुछ सोच पाते हो? वह सामान्य रीतिसे फलाहार ही ले।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

१५०. पत्र : नारणदास गांधीको

[११ मई, १९३१ या उसके पश्चात्][1]

चि० नारणदास,

तुम्हे कुछ बोझ लगे ऐसी परिस्थिति नही है, इसलिए मै निश्चिन्त ही हूँ। देखता हूँ कि मेहमान तो आते ही रहेगे। जो आये उनकी अच्छी तरह खातिर जरूर करना। जो मेरे साथ आना चाहे, उन्हे विरत करना।

श्री मलिक नगरपालिकाके इजीनियर हैं। वह आजकलमे वहाँ आकर ज्यादा पानी प्राप्त करनेके बारेमे सलाह देगे। उन्हे चन्द्रभागा भी दिखला देना। मैंने उनसे पारनेरकरकी बात की है। उनसे परिचय बढाना और पारनेरकरसे भी मिलवा देना।

पुरुषोत्तम क्या करता है? क्या वायु-परिवर्तनके लिए जायेगा? उसकी तबीयत अच्छी होती, तो उसे ले ही जाता। मुझसे किसी चीजके बारेमे पूछना हो तो लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो ९: श्री नारणदास गांधीने तथा सी० डब्ल्यू० ८१८९ से भी।
सौजन्य: नारणदास गाधी

१५१. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१३ मई, १९३१

'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिने पूछा: "कोई नई बात?" गांधीजी बोले:

मोटर गाडीमे आप जो फूल और मालाएँ देख रहे है, इनके बारेमे लिख सकते है।

चुंगीके पास गाड़ी एक मिनटके लिए रुकी और गृह-सचिव श्री एमर्सनका एक पत्र गांधीजीको दिया गया।

'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' का एक प्रतिनिधि उनकी गाड़ीके पायदानपर खड़ा था। उसके द्वारा पूछाजानेपर गांधीजीने कहा कि उनको वाइसरायकी ओरसे नहीं, गृह-सचिवकी ओरसे आमन्त्रित किया गया है। वे दो या तीन दिनतक या शायद कुछ दिनतक और शिमलामें रुकेंगे और उसके बाद शायद नैनीताल चले जायेंगे।

१. पुरुषोत्तमको साथ ले जानेके उल्लेखसे; अभिप्राय शायद शिमला साथ ले जानेसे है।

प्र०—आप लन्दन जायेंगे?

उ०—मैं अभी कह नहीं सकता।

साम्प्रदायिक समझौता होनेकी कितनी, क्या सम्भावना है?

बोरसदके मामलोंको लेकर मैं इस बीच इतना व्यस्त रहा हूँ कि इस सम्बन्धमें अभी आपको कुछ नहीं बतला सकता।

भोपालमें[1] हुए सम्मेलनकी कार्रवाईकी तो आपको जानकारी होगी?

जी नहीं।

क्या आप संघीय गठन समिति (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी)के भारतीय सदस्योंकी शिमलामें होनेवाली अनौपचारिक बैठकमें शामिल होनेकी उम्मीद करते हैं?

मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १४-५-१९३१

१५२. टिप्पणियाँ

'अरण्य-रोदन'

अपनी फाइलसे एक पत्रका नीचे लिखा वाक्य थोड़े परिवर्तनके साथ यहाँ दे रहा हूँ:

> देशसे विदेशी कपड़े और विदेशी सूतको दूर रखकर स्वदेशी कपड़ेकी रक्षा करना—यह एक गोलमोल बात है, और इसमें सन्देह करनेकी गुंजाइश पैदा होती है। गाँवोंमें रहनेवाले करोड़ों भूखे लोगोंको भारतीय मिलें रोटी नहीं दे सकतीं। पिछले चार महीनोंसे खादीकी माँग बराबर घटती गई है, और मिलके कपड़ेकी बढ़ती गई है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस संस्थाएँ भारतीय मिलोंके कपड़ेका समर्थन कर रही हैं। खादी द्वारा बहिष्कारकी गांधीजीकी पुकार अरण्य-रोदन है। इसलिए खादीके बारेमें कांग्रेसकी नीतिको स्पष्ट करना जरूरी हो गया है।

ऐसी ही एक शिकायत अन्य जगहसे भी मेरे पास आई है। यह बात सच है कि कांग्रेसवाले सोचते हैं कि कांग्रेस मिल-मालिकोंसे मदद लेती है और उनके साथ बातचीत करती है, इसलिए कांग्रेसवालोंको खादीके बजाय मिलका कपड़ा पहननेकी या कमसे-कम दोमें से किसी एकका उपयोग करनेकी छूट मिल गई है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। इस बारेमें कांग्रेसकी नीतिमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कांग्रेस

१. १०-११ मईको नवाब भोपालने "अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान दल और अखिल भारतीय मुसलमान परिषद्" के नेताओंको चुनाव-क्षेत्रोंके प्रश्नपर दोनोंकी सहमतिसे एक नीति निर्धारित करनेके लिए आमन्त्रित किया था।

हर ऐसे व्यक्तिसे जो उसकी बात मानता है, यह आशा रखती है कि वह दूसरा कपड़ा छोड़कर केवल हाथ-कती, हाथ-बुनी खादी ही पहने। इसके पालनमें थोड़ी भी शिथिलता आनेसे खादीको और इसलिए गाँवोको अवश्य नुकसान होगा; यही नही, इसकी वजहसे विदेशी कपड़ेके बहिष्कारमे भी शिथिलता आ जायेगी। आगे और पीछे यह साबित हो जायेगा कि आखिर बहिष्कार खादी द्वारा ही सफल हो सकता है। अबतक जो सफलता मिली है, उसका श्रेय खादीको है। इसका यह मतलब नही है कि स्वदेशी मिलोने विदेशी कपडेके विरुद्ध आन्दोलनमे कोई भाग नही लिया है। परन्तु यह जरूर कहा जा सकता है कि मिले इसमे तभी शामिल हुईं; जब मिल-मालिकोने देखा कि खादी अपने उद्देश्यमें सफल हो रही है, उसने रास्ता दिखाया है और जनभावनामे परिवर्तन पैदा कर दिया है। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण और याद रखनेकी बात यह है कि यदि विदेशी कपडेके बहिष्कारका उद्देश्य केवल कुछ लाख हिस्सेदारोके लाभाशमे वृद्धि करना ही हो, तो उसके लिए इतनी प्रचण्ड शक्तिका व्यय निरर्थक ही माना जायेगा। यह बहिष्कार राष्ट्रके लिए इसी कारण आवश्यक है कि विदेशी वस्त्रके बहिष्कार द्वारा बचनेवाले करोड़ो रुपये खादी द्वारा लाखो गाँवोमे बँट जायेगे। इसलिए खादीके प्रयत्नोमें शिथिलता न आने देना काग्रेससे सम्बद्ध स्त्री-पुरुषोका एक आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है।

अमेरिका जानेकी अफवाह

एक अमेरिकी मित्रने ६ अप्रैलके अपने पत्रमें[1] लिखा है:

> आज शामको नई दिल्लीसे प्राप्त और 'बोस्टन ट्रान्सक्रिप्ट' में प्रकाशित एसोसिएटेड प्रेसकी एक खबरसे पता चलता है कि महात्मा गांधी संयुक्त राज्य अमेरिका आनेका विचार कर रहे हैं। . . . इस समय भारतकी इस महान आत्माके लिए अमेरिका-यात्राकी अपेक्षा और बड़े-बड़े काम पड़े हुए हैं। . . .

मै भारतकी आत्माका प्रतिनिधि हूँ या नही, यह विवादास्पद विषय है। लेकिन अमेरिका जानेके बारेमे मेरा वही मत है जो मेरे इस अमेरिकन पत्र-लेखकका है। भारतमे मेरे कामका यदि कुछ आत्मिक मूल्य है, तो उसका अमेरिका और दूसरे देशोपर, मेरे खुद वहाँ जानेसे भी ज्यादा असर पड़ेगा। सचमुच अगर आत्मा अशरीरी है, तो शरीर प्रायः सहायक बननेकी अपेक्षा उसके पथमें रोडे अटकानेवाला बन जाता है। जो आत्मा भौतिक पिंजरमें सीमित है उसकी अपेक्षा मुक्त आत्माका अदृश्य प्रभाव लाखो गुना ज्यादा होता है। मन अमेरिका जानेको बहुत करता है, लेकिन भीतरकी आवाज मुझे ऐसा करनेसे रोकती है। यह प्रसन्नताकी बात है कि जिस दिन यह पत्र डाकमे छोड़ा गया, उसी दिन श्रद्धेय होम्स, श्री करबी पेज, डॉ० शेरवुड एडी, और डॉ० वार्ड आदि मित्रोने भी अमेरिका यात्रा स्थगित रखनेका तार[2] भेजा। उन्होने सोचा कि इससे इस समय हमारे ध्येयको कोई लाभ नही होगा और मेरी

१. अंशत उद्धृत।
२. देखिए "पत्र: बॉयड टुकरको", ५-५-१९३१ भी।

भारी क्षति होगी। मैं भी यह महसूस कर रहा हूँ कि इन मित्रोंका कहना सही है। इसलिए मैं उन मित्रोंसे जो मुझपर वहाँ जानेके लिए जोर डाल रहे हैं, क्षमा माँगता हूँ। अगर उनके महान देशमें मेरा जाना जरूरी ही है, तो वे उसके लिए उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करें। इस बीचमें अगर वे चाहें तो उन गलतफहमियोंको दूर कर सकते हैं, जो भारतके विषयमें वहाँ काफी तादादमें फैली हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५३. खतरेके बादल[1]

उस दिन कराचीमें क्या हुआ, सर्वसाधारण इसे नहीं जानते। मध्यप्रान्तके गजाधर साहू नामक एक मेरे-जैसे थोड़े-से सनकी एक आदमीने, जिसे न कोई मध्यप्रान्तमें जानता है, न कराचीमें, कुछ ही दिनोंमें स्वराज्य स्थापित करनेका विचार किया। उसने तमाम बेकारों और दूसरे मजदूरोंको इकट्ठा करके उन्हें दो रुपये रोज देनेका वचन दिया और व्यापारियों और धनवानोंको यह चेतावनी दी कि उन्हें आयात-निर्यातका व्यापार बन्द कर देना चाहिए, मिलका कपड़ा तैयार करनेसे बाज आना चाहिए, और पन्द्रह दिनमें १ करोड़ रुपया इकट्ठा करके बेकारोंको चरखे आदिकी मारफत ऐसा काम देना चाहिए, जिससे उन सबको बराबर-बराबर दो रुपये रोजकी आमदनी, जिसकी उन्हें जरूरत है, होने लगे। इसके लिए सभाएँ की गईं और जोरदार प्रस्ताव पास किये गये। तिजोरियोंकी तालियाँ तलब की गईं। कराचीके सतत कर्मशील मेयर इन लोगोंसे मिले और एक शुभ मुहूर्तमें श्री गजाधर ने कहा कि अगर मैं उनके कार्यसे असहमति प्रकट करूँ, तो वे अपना काम बन्द कर देंगे। श्री जमशेद मेहता और उनके मित्रोंके लिए इतना ही काफी था। इसी दरम्यान श्री गजाधर, जो अबतक महात्मा बन चुके थे, मेरे पास आये, और बादमें श्री तिघवा और ईश्वरदास भी आ पहुँचे। मैंने देखा कि श्री गजाधर वही पुराने पत्र-लेखक हैं, जो हमेशा लम्बे-लम्बे पत्र और तारतक भेजकर मेरे और मेरे साथियोंके धैर्यकी परीक्षा करते रहते थे। देखते ही हम एक-दूसरेके मित्र बन गये। मुझे लगभग दो घंटे उनसे बातचीत करनी पड़ी। यह समय मैं बड़ी मुश्किलसे निकाल सका। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपना काम बन्द कर देनेका वादा किया, हालाँकि मेरी बातसे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। देखें, वे अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। यदि उन्होंने वादा पूरा न किया, तो भी आशा है कि कराचीके कार्यकर्त्ता कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो जानेपर उसका सामना सफलताके साथ कर सकेंगे।

परन्तु कराचीकी यह घटना एक अपशकुन है। अगर कांग्रेसवाले अपने काम पूरी दृढ़ता और पूरी सच्चाईसे नहीं करेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस और

१. देखिए "सन्देश: कराचीके मजदूरोंको", ९-५-१९३१ भी।

दूसरे तमाम उपयोगी कार्य अनुशासन-रूपी आवश्यक बन्धनोके अभावमें इस चढ़ती हुई बाढ़के प्रवाहमें बह जाये। तूफान और बाढें तो हमेशा ही आती रहेंगी। परन्तु तूफान और बाढ़की रोकके लिए जो काम बाँध वगैरासे होता है, अव्यवस्थाको रोकनेमें अनुशासनका वही उपयोग है।

जो लोग अबतक अज्ञान और अनियन्त्रित सत्ताके कारण घोर नीदमें सोये पड़े थे, उन्ही जनसाधारणकी जागृति आसानीसे व्यवस्था और साथ ही सामाजिक संगठनका सर्वनाश कर सकती है। सामाजिक ढाँचेको सुधारना, बुराइयोको मिटाना और लोगोको उनका वह पद दिलानेमें मदद करना, जिससे वे बहुत समयसे वंचित रखे गये है; कांग्रेसका काम है, प्रयत्न है।

श्री गजाधर साहूकी सनक-भरी माँगके गर्भमें सत्यका एक अंश मौजूद है। अन्य स्थानोंकी तरह कराचीमें बेकारी थी; अब भी है, हिन्दुस्तानके ७,००,००० गाँवोमें भी ऐसी ही बेकारी है। जिस समाजमे बेकारोकी जमात बसती है, या पैदा होती रहती है, वह समाज अधिक कालतक जी नही सकता। ऐसे समाजमें कुछ-न-कुछ दोष अवश्य है। काम करनेकी इच्छा रखनेवालोको हमेशा कोई-न-कोई काम उपलब्ध होना ही चाहिए। कराचीकी उक्त योजनामे चरखेके जरिए काम की माँग की गई थी। दुर्भाग्यसे योजना बनानेवालोको चरखेका शायद सिर्फ नाम ही मालूम था। पर मै मानता हूँ कि अपने व्यापक अर्थमे, जिसमें कपास बीननेसे लेकर बुननेतक और फिर रँगाई, और सिलाई तककी कपास सम्बन्धी सब क्रियाएँ शामिल हैं। चरखा शहर और देहातके लोगोको स्थायी और अखड काम देनेवाली चीज है। इसका यह मतलब नही है कि दूसरे अन्य धन्धे नही है। पर यह एक ऐसी चीज है, जो यत्र-तत्र-सर्वत्र अपनाई जा सकती है।

हमें एक बातपर बड़ी कडी निगाह रखनी चाहिए और वह है, मुफ्तके भोजनालय चलाना। नि.शुल्क भोजनालय बड़ी खतरनाक संस्था है, वहाँ मंगतोकी जमात तैयार हो जाती है। जहाँ आवश्यकता मालूम पड़े, वहाँ सार्वजनिक भोजनालय खोले जा सकते है। हरएक आदमी अपना पेट भर लेने योग्य मेहनत कर सकता है और निश्चिन्त होकर साफ-सुथरी जगहमें सस्ता, स्वच्छ भोजन पा सकता है। हमें यह सीख लेना जरूरी है कि जो आदमी थोड़ी भी मेहनतका काम कर सकता है, उसे मुफ्तमें रोटी खिलाना पाप है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५४. 'हृदय-परिवर्तन नहीं'

इस शीर्षकका खादीके हृदय-परिवर्तनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एक सिन्धी भाईके नीचे लिखे आरोपके[1] अनुसार हममें जिस हृदय-परिवर्तनका अभाव है, उससे सम्बन्धित है:

मैं मानता हूँ कि विदेशी वस्त्र विषयक शिकायत काफी हदतक सच है। कम-से-कम शहरोंमें तो लोगोंकी अभिरुचिमें अबतक इतना परिवर्तन नहीं हुआ है कि लोग विलायत, जापान, फ्रांस या दूसरी जगहसे आनेवाले कपड़ेको हाथ न लगायें। बुद्धि विदेशी कपड़के त्यागको स्वीकार अवश्य करती है, परन्तु हृदय तो विदेशसे आनेवाले भाँति-भाँतिके कपड़ोंके लिए ही तरसता रहता है। देश-प्रेमकी अपेक्षा या कहो कि करोड़ों अधभूखोंके प्रेमकी अपेक्षा अपना सुख ही अधिक प्रबल सिद्ध होता है।

विदेशी वस्त्रकी दूकानोंपर धरना देनेका उपयोग मर्यादित है। सच्ची बात तो इस सम्बन्धमें जनसमूहकी शिक्षाकी है। शिक्षासे भी बेहतर चीज है, कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपना खादी अपनाना और इससे भी बेहतर स्वयं कातकर लोगोंको सस्ती खादीका उत्पादन सिखाना। व्यवहारमें तीनों काम एक साथ होने चाहिए। इसलिए लोगोंको खादी द्वारा बहिष्कारके अर्थशास्त्रका ज्ञान दिया जाना चाहिए। खादीने गाँवोंको किस प्रकार सम्पन्न बनाया है, और वह किस तरह सम्पन्न बना सकती है, भली प्रकार चुने हुए उदाहरणोंसे यह बात लोगोंको समझानी चाहिए। लोगोंको हमेशा खादी ही पहननेवाले सच्चे कार्यकर्त्ताओंके संसर्गमें आना चाहिए और अपने ही गाँवोंमें अपने लिए किस प्रकार खादी तैयार हो सकती है, यह बात लोगोंको बताई जानी चाहिए। इसके लिए कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंको बहिष्कार और खादी-साहित्यका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उन्हें सचाईके साथ खादी पहननी चाहिए, और कपासकी तमाम क्रियाएँ भली-भाँति जान लेनी चाहिए, जिससे जो सीखना चाहें, उन्हें वे ओटना, बुनना, कातना और बुनना भी सिखा सकें।

अतः जो समझते हैं कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार और खादीका उत्पादन और खपत आर्थिक दृष्टिसे बहुत बड़ी और स्थायी महत्त्वकी बातें हैं, वे तो समझौतेका स्वागत करेंगे, क्योंकि समझौतेके कारण उन्हें यह जाननेका मौका मिला है कि लोगों ने राष्ट्रीय आदर्शको किस हदतक अपनाया है। जो काम लोग असाधारण समयमें लोकमतके दबाव या उससे भी बुरे किसी डरके दबावमें आकर करते थे, वही काम यदि वे साधारण समयमें करने लगें तो इसीको हमें अपनी शक्ति समझना चाहिए।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। लेखकका कहना था कि विदेशी वस्त्र पहलेकी तरह ही पसन्द किया जाता है और गांधीजीके मनमें भी निर्धन-नारायणोंके प्रति कोई कोमल भावना पैदा हुई है। गांधी-इर्विन समझौतेको भी इसका एक कारण बताया गया था। देखिए "विदेशी कपड़ा और दूसरी विलायती चीजें", २३-४-१९३१ भी।

एक शब्द मिलोके सम्बन्धमें। हमारी मिलोके बारेमें मेरे मनमें कोमल भावना नही है। वे अपनी रक्षा भली-भाँति कर सकती है। उन्हे अभी बहुत-सी मर्यादाओमें से गुजरना है। उन्होने अभीतक एजेंटों, मालिकों और भागीदारोके स्वार्थकी अपेक्षा राष्ट्रके हितको बडा नही माना है; परन्तु इतना कहनेके बाद मै चाहता हूँ कि यह पत्र-लेखक इस बातकी सचाईको परख कर देखें कि बहुत कम ही क्यो न हो, उन्होने इस बार राष्ट्रकी पुकारका जवाब देनेका प्रयत्न किया है। साथ ही आन्दोलनको आर्थिक सहायता देनेकी बात अलग है। यदि उन्होने दर और उत्पत्तिपर अकुश न रखा हो, तो मै उस सहायताका कोई मूल्य नही समझूंगा। पर मै मानता हूँ कि उन्होने इस दिशामें प्रामाणिक प्रयत्न किया है।

तथापि उन्हे अभी बहुत कुछ करना है। अभी उन्होने राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थामें खादीका जो अग्रस्थान है, उसे खुले दिलसे स्वीकार नही किया है। उन्होने अभी विदेशी कपड़ेके व्यापारियोको अपना व्यापार छोड़कर स्वदेशीका व्यापार करनेके लिए सगठित नही किया है। मिल मजदूरो सहित सारे राष्ट्रकी ओरसे अपनेको उसके धनके रक्षक माननेका अपार महत्व वे अबतक समझ नही सके है। परन्तु यदि काग्रेसी अपना काम भली-भाँति करेगे, तो यह परिवर्तन हुए बिना न रहेगा। जबर्दस्ती नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन हमारा ध्येय होना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५५. आंग्ल-भारतीय

डाक्टर एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनो लिखते है:[1]

मै सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि स्वराज्यके विधानमें हरएक कौम बराबर होगी। मै तमाम छोटी कौमोका ध्यान काग्रेसके मौलिक अधिकारोवाले प्रस्तावकी[2] ओर आकर्षित करता हूँ। उस प्रस्ताव द्वारा छोटी कौमोके अधिकार सुरक्षित रखनेमे जितनी सावधानीसे काम लिया जा सकता था, कार्यसमितिने उतनी खबरदारीसे काम लिया था। प्रस्ताव अधिक जोरदार बनाये जानेके लिए काग्रेस द्वारा नियुक्त एक समितिको सौपा गया है। जो कुछ उपयोगी सुझाव देना चाहे, वे अपने सुझाव इस समितिके पास विचारार्थ भेजे।

परन्तु मै जानता हूँ कि डाक्टर मोरेनो जिस बातके विषयमे सोच रहे है, वह यह नही है। वे तो आग्ल-भारतीयोको विशिष्ट स्थान देनेकी बातके बारेमे जानना चाहते है। मेरा जवाब है कि उनकी लियाकत उन्हे जिस दर्जेतक ले जायेगी, वह दर्जा

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखक जानना चाहता था कि हिन्दुस्तानके नये राज्य-विधानमें आंग्ल-भारतीयोंको कौन-सा स्थान प्राप्त होगा।

२. देखिए खण्ड ४५, भौतिक पृष्ठ ३९२-३।

उन्हे हासिल होगा। ऐसी कोई रुकावट कदापि न होगी जिससे दूसरे किसी भी भारतीयको मिल सकनेवाला ऊँचे-से-ऊँचा स्थान उन्हें न मिल सके। परन्तु हकीकत तो यह है कि आंग्ल-भारतीयोने एक वर्गकी हैसियतसे राज्यकर्त्ताओके स्थानका उपभोग किया है, या उसके लिए प्रयत्न किया है। उन्होने जातिकी हैसियतसे राष्ट्रीय आन्दोलनमें हाथ नही बँटाया। अपने प्रति पक्षपातकी स्थितिके कारण वे अकेले पड गये है। स्वराज्यमे किसीके प्रति पक्षपातको स्थान होगा ही नही। इसलिए जिस प्रकार अग्रेजो का समानताके लिए हाय-तोवा मचानेका अभिप्राय इस पक्षपातकी स्थितिको कायम रखनेके लिए है, उसी प्रकार शायद आग्ल-भारतीयोको भी यह दुःख होता होगा कि यदि स्वराज्यमे उनकी आजकी-सी विशिष्ट स्थिति कायम रहनेका आश्वासन न मिला तो वे पिछड़ जायेंगे।

फिर भी मै आशा करता हूँ कि डाक्टर मोरेनो मनमें ऐसे पक्षपातका ख्याल नही रखेंगे। यदि मैंने उन्हे ठीक तरहसे जाना है तो आशा है कि वे [इस पत्रके द्वारा] राष्ट्रके साथ घुल-मिल जानेवाले आग्ल-भारतीयोके विषयमे कुछ जानना चाह रहे होगे। उनके बारेमें मै विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दूसरी कौमोमें दलित लोगोंके साथ, यदि उनकी कौमके दलित वर्गोकी स्थिति भी आजकी अपेक्षा न सुधरी, तो मुझे आश्चर्य होगा। चाहे जो हो, कांग्रेसियोकी काफी सख्या ऐसी है, जो तमाम अन्यायपूर्ण हकोको और तमाम बनावटी असमानताओको नाबूद करनेके लिए प्रतिज्ञा-बद्ध है। यदि स्वराज्यमें जनसमूहकी स्थितिमें तेजीके साथ सुधार होता हुआ दीख पडेगा, तो उसका पूरा-पूरा हिस्सा गरीब आग्ल-भारतीयोको भी अवश्य ही मिलेगा। काग्रेस किसी एक फिरकेके लिए नही, बल्कि तमाम लोगोके लिए स्वराज्य लेना चाहती है। जबतक यह ध्येय सिद्ध नही होता है, वह बराबर लड़ती ही रहेगी। इसलिए मै तमाम अल्पसख्यकोको राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल होने और उस शुभ दिनके उदयको निकट लानेके लिए न्यौता देता हूँ। उनमे से किसीके सम्बन्धमे यह न कहा जाये कि देशके कठिन दिनोमें वे अलग खड़े रहे, और सुख प्राप्त होने पर उसमें हिस्सा लेनेके लिए आ धमके। उस परिस्थितिमें जिस प्रकार जिस व्यक्तिने मेहनत नही की है, उसके सामने भोजन रखनेपर भी वह उसमे रुचिका अनुभव नही कर पाता, उसी प्रकार अल्पसख्यकोको भी उनका हिस्सा तो अवश्य मिलेगा, पर उन्हे उसकी लज्जत न मिलेगी।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५६. अपील : इलाहाबाद कांग्रेस, अस्पतालके लिए

गत वर्ष जूनमें पण्डित मोतीलाल नेहरू बम्बई गये थे। वहाँ उन्होंने कांग्रेस अस्पतालका उम्दा काम देखा। उनपर इसका अच्छा असर पड़ा, और इलाहाबाद लौटकर उन्होंने वैसा ही अस्पताल इलाहाबादमें भी खोलनेकी इच्छा प्रकट की। . . . कुछ मित्रोंकी उदारतासे इस अस्पतालके लिए कुछ रुपया और साधन इकट्ठे हुए। पण्डित मोतीलालजीके जेलसे छूटनेपर स्वराज्य भवनके एक हिस्सेमें इस अस्पतालका विधिपूर्वक आरम्भ किया गया। . . . जो थोड़ा द्रव्य इकट्ठा किया था, वह अब खर्च हो चुका है, इसलिए समितिको यह विचार करना पड़ा कि अस्पताल आगे चलाया जाये या नहीं।

. . . इसलिए आर्थिक सहायताके लिए यह अपील इस आशासे प्रकाशित की जाती है कि उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग दिया जायेगा। स्वराज्य भवनमें स्थायी रूप से अस्पताल रखनेके प्रश्नका निर्णय अभी नहीं हुआ है। परन्तु समिति इतना द्रव्य इकट्ठा करना चाहती है, जिससे कम-से-कम तीन साल तक अस्पताल चल सके। वर्तमान मर्यादित रूपमें यदि अस्पताल चलाया जाये, तो उसके खर्चका अन्दाज प्रतिमास एक हजार रुपयेका है। . . .

११ मई, १९३१

कमला नेहरू
मोहनलाल नेहरू
रमाकान्त मालवीय

मैं आशा रखता हूँ कि तुरन्त ही जनताकी ओरसे इस अपीलकी[1] उचित प्रतिक्रिया होगी। अस्पतालकी व्यवस्थाका काम करनेवालोंके अतिरिक्त और किसीने जान-बूझकर ही इसपर दस्तखत नहीं किये है, क्योंकि इसे किसी भी रूपमें राष्ट्रीय स्मारक नहीं मानना है। परन्तु इसी कारणसे यह अपील कुछ कम महत्त्वकी नहीं हो जाती। पण्डित मोतीलाल नेहरूकी एक इच्छा पूरी करनेके लिए ३६ हजारकी रकम बहुत मामूली है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि श्रीमती कमला नेहरू और उनके साथियोंकी इस अपीलपर दान देनेमें किसी भी तरहकी ढिलाई या टालमटोल नहीं की जायेगी। पाठक जान लें कि अस्पतालके आरम्भ ही से श्रीमती कमला नेहरू उसकी आत्मा रही हैं। इस अस्पतालको अपीलमें काम-चलाऊ क्यों कहा गया है, इस विषयमें जनताको अवश्य ही आश्चर्य होगा। पहले विचार यह देखनेका है कि संस्था कैसे काम करती है, और अनुभवसे उसको कितने धनकी सच्ची आवश्यकता मालूम पड़ती है। दूसरे, जब कोई भी चीज केवल अपने गढ़े जानेकी अवस्थामें ही हो तब

१. अंशतः उद्धृत।

तक कल्पनाके अनुसार तो दैनिक आवश्यकताकी पूर्ति करके ही सन्तोष माननेमें अधिक बुद्धिमानी है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५७. दांडीयात्रियोंके लिए

गत १२ मार्च, १९३० को[1] जो साथी दांडी-यात्राके लिए रवाना हुए थे, इस समय वे सब चारो ओर बिखरे हुए हैं और मेरे साथ उनका सतत सम्बन्ध नही रह गया है। इसलिए इन पंक्तियो द्वारा उन्हे यह याद दिलाना जरूरी है कि वे आज भी उसी अनुशासनमे हैं और यात्रा शुरू करनेसे पहले और बाद की गई प्रतिज्ञाओका पालन करनेके लिए बद्ध है। इसलिए उनसे आशा की जाती है कि वे प्रतिदिन अपनी ठीक-ठीक दिनचर्या लिखते रहेगे, दोनो समयकी प्रार्थना करेगे। अपनी आवश्यकताओको कम-से-कम रखेंगे, और इसके लिए यथासम्भव सादे-से-सादा भोजन करेगे और प्रतिदिन यज्ञार्थ सूत कातेंगे। जो गाँवोंमे रह रहे हैं वे ग्राम-पाठशाला चला सकते है, और बच्चोको लिखना, पढ़ना, हिसाब-किताब सिखानेके सिवा कताई और कपासकी अन्य क्रियाएँ सिखा सकते हैं। बच्चोसे साफ-सुथरे रहने, गाँवके खेल खेलने और कसरत करनेका आग्रह कर सकते है। स्वय गाँवकी सफाईका काम कर सकते हैं, साथ ही गाँववालो और उनके बच्चोकी मदद भी ले सकते है और गाँव-वालोंके सम्बन्धमे तमाम आवश्यक बातोके आँकड़े इकट्ठा करके उनकी सारिणियाँ तैयार कर सकते हैं। कार्यकर्त्तागण दूसरा काम यह करे कि जो लोग विदेशी कपडा, शराब और नशीली चीजोका उपयोग करते है, उनका पता लगायें और उनके घर जाकर, उनसे मित्रभावसे मिलकर उनकी ये दोनो आदतें छुड़ायें और इस सम्बन्धमें गाँवोमे लोकमत भी तैयार करे। जहाँ मुमकिन और जरूरी हो, वहाँ वे शान्तिपूर्ण धरनेका भी प्रबन्ध करे। अस्पृश्यताको मिटानेका प्रयत्न तो वे करेगे ही। कार्यकर्त्ताओ को हर महीने अपने कामकी रिपोर्ट, अपनी डायरीके साराशके साथ श्री छगनलाल जोशीके पास भेजनी चाहिए। यहाँ यह कहनेकी तो आवश्यकता न होनी चाहिए कि वे जो पैसा बाहर भेजें और जो प्राप्त करें, उसकी पाई-पाईका ठीक-ठीक हिसाब रखे।

यद्यपि ये सूचनाएँ मूल यात्रियोंके लिए है और अनिवार्य हैं, तथापि गाँवो और शहरोंके राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंके लिए भी ये मार्गदर्शक हो सकती है। शहरोमे स्वभावत. कुछ परिवर्तन जरूरी होगा। गाँवोमे हिन्दू-मुस्लिम झगडोका नाम नही है, परन्तु शहरोंके राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओको यह महत्त्वकी सेवा भी अपने कार्यक्रममें शामिल कर लेनी होगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१. देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ४७५।

१५८. उनको कैसी शिक्षा दी जाती है

उत्तरी कैरोलीनाके विलमिंगटनसे, अपना नाम और पता देते हुए, एक पत्र-लेखकने अपने पत्रमें लिखा है:[1]

समाचारपत्रोंसे उन सब प्रयासोंका पता चलता रहता है जो आप अपने अन्य अनेक देशभाइयोंके साथ मिलकर अपने राष्ट्रको पूर्ण स्वाधीनता दिलानेके लिए कर रहे हैं। यह अपने-आपमें एक अच्छी चीज है। परन्तु समाचार-पत्रोंमें भारतीय जन-जीवनका विवरण भी रहता है और उससे पता चलता है कि स्वाधीनता वास्तवमें क्या है और आरम्भमें उसकी आधार-शिला क्या होती है — इसकी समझ आप लोगोंको नहीं है। . . .

भारत अपने इस अभियानके जरिए ईश्वरीय शासनसे, साथ ही एक ईसाई राष्ट्रके शासनसे स्वाधीन होनेकी कोशिश कर रहा है, जब कि भारतका सबसे बड़ा शत्रु भारतीयोंका अपना विशाल समुदाय ही है, जो न तो ईश्वरकी पवित्र इच्छाको और न अपने ईसाई पड़ोसी इंग्लैंडको ही भली-भाँति समझता है।

जिस प्रकार कि मेरे और आपके भी पतित और पथभ्रष्ट पूर्वजोंको ईश्वरने अपनी उदारता तथा सद्भावनाके कारण ही वस्त्रोंसे भरा-पूरा रखा, इसी प्रकार इंग्लैंड और अन्य राष्ट्र केवल अपनी ईसाई उदारता और सद्-भावनाके वशीभूत होकर ही भारतके लिए अधिक वस्त्र जुटानेका प्रयत्न कर रहे हैं। . . .

भारतको सबसे पहले तो ईश्वरकी पवित्र इच्छाके अनुरूप स्वाधीनताकी आधारशिलाके रूपमें वस्त्रों और शिक्षाकी प्रचुरता प्राप्त करनेका ही प्रयास करना चाहिए। पवित्र ग्रन्थ बाइबिलमें इसीको स्वाधीनताकी आधारशिला बतलाया गया है। . . .

भारत जिस शोषण और जिन यन्त्रणाओंका शिकार बन रहा है उसकी अधिकांश जिम्मेदारी इंग्लैंडपर नहीं बल्कि भारतके सबसे बड़े शत्रु — आपके और आपकी जनताके अज्ञान — पर ही है।

पत्रके पाठको पठनकी दृष्टिसे सरल बनानेके लिए मैंने इसमें शायद दो स्थानों पर थोडा फेरफार किया है। पत्र-लेखकने मुझे "ईसामसीहके सम्बन्धसे प्रिय मित्र" कहकर सम्बोधित किया है। उनके हृदयकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी उतनी ही साफ दिखाई पडती है जितना कि उनका अज्ञान। मै इस पत्रको यह दिखानेके लिए ही

१. अंशत. उद्धृत।

प्रकाशित कर रहा हूँ कि प्रबुद्ध पाश्चात्य देशोंकी जनताको भी कैसे उल्टी पट्टी पढ़ाई जा सकती है। इस पत्रसे इतिहासका अज्ञान और मैं तो यह कहनेकी भी धृष्टता कर सकता हूँ कि बाइबिल तकका घोर अज्ञान टपकता है। यह पत्र एक प्रकारकी [विकृत] शिक्षाका नमूना है।

अभी उस दिन न्यूयार्कसे एक पत्र-लेखकने पत्र-पत्रिकाओंकी कुछ कतरनें मेरे पास यह दिखानेके लिए भेजी थी कि भारतमें होनेवाली घटनाओंको वहाँ किस तरह तोड़-मरोड कर गलत ढंगसे पेश किया जाता है। पत्र-लेखकने मुझे चेतावनी दी थी कि अमेरिकी पत्रकार इस देशमें मेरी ओर जितना ध्यान देते हैं उससे मुझे इस भ्रममें नहीं पड़ना चाहिए कि अमेरिकाकी समूची जनतामें हमारे प्रति अपार उत्साह और दिलचस्पी है। उनका इशारा था कि वहाँ प्रकाशित होनेवाले प्रत्येक सहानुभूति-पूर्ण सन्देश या लेखके पीछे लगभग निन्यानवे लेख या विवरण ऐसे प्रकाशित होते रहते हैं जिनमें भारत सम्बन्धी हर बातकी खिल्ली उड़ाई जाती है।

रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सने एक तीसरे प्रकारकी शिक्षाका उदाहरण पेश किया है। उनका ख्याल है कि अंग्रेजोंको तो बचपनसे ही भारतके बारेमें सत्यको जानने-समझने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। बालक-बालिकाओंके सामने इतिहासका गलत रूप बार-बार प्रस्तुत किया जाता है। घरोंमें चलनेवाली गपशपमें भी भारतकी उतनी ही गलत तसवीर सामने आती रहती है। इस प्रकारकी शिक्षाका तो हमें भी थोड़ा अनुभव है। हम जानते हैं कि स्कूलोंमें हमें किस प्रकारका इतिहास पढ़ना पड़ता है और हमारे अनुभवसे वह बादमें किस तरह पग-पगपर झूठ सिद्ध होता चलता है। हमको स्कूलोंमें ब्रिटिश शासनके लाभ और उसकी अच्छाइयोंकी कल्पना करना सिखाया जाता है, लेकिन बड़े होनेपर हम पाते हैं कि वस्तु-स्थिति सर्वथा विपरीत है। इस-लिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वह अज्ञान, जो बहुधा जानबूझकर हमारे दिमाग खराब करनेके लिए हमारे बीच फैलाया जाता है। यह तो सही है कि हमें भी अपने मस्तिष्क, अपने विचारोंको झाड़ने-बुहारनेकी जरूरत है, परन्तु उस ढंगसे नहीं जो विलमिंगटनके पत्र-लेखकने सुझाया है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१५९. लिंच-न्यायाधीशका निर्णय[1]

एक पत्र-लेखक लिखते हैं :

> मैं 'लिटरेरी डाइजेस्ट' से ली गई एक छोटी-सी कतरन संलग्न करनेकी धृष्टता कर रहा हूँ। खुद कतरनसे ही पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। इस पूरे शर्मनाक काण्डके बारेमें आपके विचारोंका मैं अनुमान-भर लगा सकता हूँ। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि आपके पास ऐसे कई अमेरिकी अतिथि या भेंटकर्ता आते रहते हैं, जो आपसे अक्सर अपने देशके नाम सन्देश माँगते हैं या आपको वहाँ आनेके लिए आमन्त्रित करते हैं। क्या आपसे ऐसा अनुरोध करना कोई ज्यादती करना होगा कि आप उनको यह सन्देश दें कि वे एक अभागी और अश्वेत जातिपर होनेवाले नरमेध-जैसे अत्याचारोंको बन्द करायें।

उन्होंने जिस कतरनका उल्लेख किया है उसका शीर्षक वही है जो ऊपर दिया गया है और उसका पाठ इस प्रकार है.[2]

इसको पढ़कर मन अवसादसे भर आता है। यदि हमें सर्वोच्च ईश्वरीय न्याय पर कोई आस्था न होती, तो कहीं कोई आशा दिखाई ही न देती। मेरे मनमें आस्था है और इसीलिए मुझे आशा है कि ऐसे नरमेध बन्द हो जायेंगे और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित होकर रहेगी। पत्र-लेखकने अमेरिकी लोकमतपर मेरा जितना प्रभाव माना है, मैं नहीं समझता कि मेरा उतना प्रभाव है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। पर मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अमेरिकी जनता इस बुराईके प्रति पूरी तरह जागरूक है और अमेरिकी जन-जीवनके इस कलंकको दूर करनेकी भरसक कोशिश कर रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १४-५-१९३१

१. स्वनिर्मित गैरकानूनी अदालत जिसमें व्यक्तिपर किसी संगीन अपराधका आरोप लगाकर फौरन प्राण-दण्ड दे दिया जाता है। ऐसी कार्यवाहीको अमेरिकाके कैप्टन विलियम लिंचके कारण लिंच कानून नाम दिया गया है।

२. यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है। उसमें एक नीग्रोको जीवित जला देनेका वर्णन है।

१६०. पत्र : सैयद अजमतुल्लाको

१४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके[1] लिए धन्यवाद। मैं आपको अपनी ओरसे यही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता बढानेके लिए भरसक प्रयत्न करूँगा। मेरा लक्ष्य हृदयोकी एकता है। पर इससे सम्बन्धित सवैधानिक प्रश्न हल करनेकी बात तो मेरे नही, अन्य कई लोगोके हाथोमें है।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी (एस० एन० १७०३४) की फोटो-नकलसे।

१६१. पत्र : हेनरी नीलको[2]

१४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका विशिष्ट पत्र मिला।[3] पर मैं अभी हालमें अमेरिका नही जा रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

अग्रेजी (एस० एन० १७०७२) की फोटो-नकलसे।

१. सैयद अजमतुल्लाने लिखा था: "आप यदि मुसलमानोंको इतना जतला दें कि यदि पृथक निर्वाचक मण्डलकी माँग त्याग दी जाये तो आप श्री जिन्ना द्वारा रखे गये अन्य तेरह मुद्दोंको स्वीकार कर लेंगे, फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुसलमान लोग अधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपना लेंगे और सयुक्त निर्वाचन मण्डल रखनेके लिये सहमत हो जायेंगे।. . ."

२. न्यायाधीश हेनरी नील, "सेंटेनेरियन क्लब" के संस्थापक।

३. हेनरी नीलने लिखा था: "मैं आपके स्वाधीनता अभियानमें उपयोगी बनना चाहूँगा; विशेषकर आपके यहाँ आनेपर"।

१६२. पत्र : एस० रंगूरामको

स्थायी पता, साबरमती
१४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरा लन्दन जाना अभी बिलकुल भी निश्चित नही है। अधिक सम्भावना यही दिखती है कि नही जाऊँगा। लेकिन यदि गया तब अपने लिए तो मैं कुमारी म्यूरियल लिस्टरका आग्रह स्वीकार करना चाहूँगा। ईस्ट ऐंण्डमे कही उनकी एक अपनी सस्था भी है। लेकिन चूँकि मुझे हर बातकी पूरी-पूरी जानकारी नही है, इसलिए मैंने फैसला श्री सी० एफ० एन्ड्रूज पर ही छोड दिया है, क्योकि सौभाग्यवश वे अभी वही है और मेरे बारेमें सब-कुछ जानते है। सचमुच आपका आमन्त्रण भी स्वीकार करनेकी मेरे मनमे बड़ी चाह है, लेकिन मैं कुमारी लेस्टरसे पहले ही कह चुका हूँ। यदि राजनीतिक कारणोसे कोई बाधा न पड़ी और वहाँ बनाई जानेवाली स्वागत-समिति आडे न आई तो फिर कार्यक्रमका चुनाव मेरे ही हाथमे रहेगा, और मैं उनकी सस्थामे अवश्य ठहरूँगा। और मेरी पसन्द तो आप जानते ही है। आप जो भी करना चाहे श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज या वहाँ बननेवाली स्वागत-समितिके परामर्शसे ही करे।

अपनी पत्रिकाके लिए कुछ लिखनेका आग्रह मुझसे मत कीजिए, फिर चाहे कारण यही मान लीजिए कि पत्रिकाके स्वरूपके बारेमे मुझे कोई जानकारी नही है। लेकिन मुझे इस कारण भी क्षमा कीजिएगा कि नित्यप्रतिके पत्र-व्यवहार तकके लिए मुझे समय नही मिल पाता। इसीलिए मैं छोटे-छोटे काम भी अपने ऊपर नही लेता, वे भी नही जिनमे चन्द ही मिनट लगते हो, क्योकि चन्द मिनटोसे मिलकर ही तो समयका पूरा चक्र बनता है।

हृदयसे आपका,

श्री एस० रंगूराम
इडियन स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन
लन्दन, साउथ-वेस्ट ३

अग्रेजी (१७०७३)की फ़ोटो-नकलसे।

१६३. पत्र : सुरेशचन्द्र बनर्जीको

स्थायी पता, साबरमती
१४ मई, १९३१

प्रिय सुरेश,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे ऐसा कोई लक्षण नही दिखाई पड़ता जिससे आशा बँधे कि गोलमेज परिषद्के फलस्वरूप शान्ति स्थापित हो जायेगी। बल्कि इसके विपरीत मुझे तो लगता है कि प्रकृति हमारे विरुद्ध ही है। मै यह खुले आम कह चुका हूँ। मै इसे लगभग असम्भव ही मानता हूँ कि विभिन्न जातियोमें हार्दिक एकता स्थापित किए बिना हम अपना मन-पसन्द सविधान पा सके। पर निकट भविष्यमें ऐसी एकता स्थापित होते दिखाई नही पडती। और भी अनेक चीजें है जो हमारे विरुद्ध पड़ रही है। लेकिन चूँकि ईश्वर मनुष्यकी आशाओको नाकाम बनाकर फिर उसकी निराशाओके गर्भसे आशाको जन्म प्रदान करता है, इसलिए यह कहना कठिन है कि आगे क्या होने जा रहा है। इसलिए मै सरसरी तौरपर तुम्हारे प्रश्नका यही उत्तर दूंगा कि आशा अच्छे-से-अच्छे परिणामकी करो, पर बुरे-से-बुरेके लिए तैयार रहो; लेकिन बुरे-से-बुरे और अच्छे-से-अच्छेके लिए अपनेको तैयार करना सत्याग्रहीके लिए सदा एक ही चीज होती है। तुमको अब भी चरखेके सिद्धान्तका ही प्रचार करना है। अब भी जरूरतमन्द बीमारोकी सेवा करते रहना है और गरीब बच्चोकी देखभाल करते रहना है। इस प्रकारके ये काम ही आवश्यकतानुसार सविनय अवज्ञा जैसे-कार्योंकी सबसे अच्छी तैयारीके साधन है। क्या मै अपना आशय तुमको स्पष्ट समझा पाया हूँ? यदि नही, तो मुझे फिर लिखना। तुम्हारे अपने जिम्मे सबसे खास काम यही है कि चगे हो जाओ। मै एक हजार रुपयेकी अतिरिक्त राशिकी बात सोच रहा हूँ। शेष राशिके बारेमें तुम जमनालालजी से, जब वे कलकत्ता आयें बात कर लेना। वे कुछ दिनोमें कलकत्ता आयेंगे ही। मै शायद इस महीनेके अन्तमें बोरसद लौट जाऊँगा।

डॉ० सुरेशचन्द्र बनर्जी
अभय आश्रम
कोमिल्ला (बगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७४)की फोटो-नकलसे।

१६४. भाषण : सार्वजनिक सभा, शिमलामें

१४ मई, १९३१

आप जानना चाहेंगे कि मैं शिमला क्यों आया हूँ और सरकारके साथ मेरी क्या बात चल रही है। मैं आपको सभी बातें तो नहीं बतला सकता, पर इतना जरूर बतला सकता हूँ कि मैं लॉर्ड इर्विन और कांग्रेसके बीच हुए समझौतेसे सम्बन्धित अपनी और सरकारकी भी शिकायतोंके बारेमें बातचीत करने आया हूँ। बातचीत अभी चल ही रही है। मैं जोर इस बातपर देना चाहता हूँ कि यदि आप कांग्रेसके स्वयंसेवक हैं और हिन्दुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं तो आपका यह कर्त्तव्य है कि भले ही सरकार पालन न करे, आप समझौतेका पालन अवश्य करें।

अपना दायित्व निभा चुकनेके बाद यदि यह देखा जाये कि सरकारने अपना दायित्व नहीं निभाया तो उस स्थितिमें हम अपना मन चाहा कदम उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो भी समझौता हुआ है, उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं और यदि हम समझौतेका उपयोग कुछ काम करनेके लिए कर सकें, तो हमें अवश्य वैसा करना चाहिए।

यदि किसी समझौतेके फलस्वरूप हमें सेवा करनेका अवसर मिलता हो तो एक सत्याग्रहीके नाते हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इस समझौतेने आपको ऐसा ही एक अवसर दिया है।

कराची कांग्रेसने लगभग सर्वसम्मतिसे उसे स्वीकार किया था। अब हमारा क्या कर्त्तव्य है, यह मैं आपको बतला ही चुका हूँ। ऐसा मत सोचिए कि इस समझौतेके बाद हम लड़ाईमें कूदना चाहते हैं। बल्कि इसके विपरीत हमारी तो पूरी कोशिश इसी दिशामें होनी चाहिए कि हमें लड़ाईमें न पड़ना पड़े और यह समझौता स्थायी बन जाये जिससे कि हम पूर्ण स्वराज्य हासिल कर सकें।

गोलमेज परिषद्में शामिल होनेके लिए लन्दन जानेवाले आपके प्रतिनिधियोंपर कांग्रेसने जो शर्तें लगाई हैं, वे आपको मालूम ही हैं। लेकिन यदि इस समझौतेके फलस्वरूप हम पूर्ण स्वराज्य हासिल न कर सके, तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा और यदि कोई स्थायी समझौता करनेके हमारे प्रयत्न निष्फल हो गये तो हमें एक नई लड़ाईके लिए तैयार रहना चाहिए।

परन्तु मैं इस समझौतेके अलावा दो और बातोंपर भी जोर देना चाहता हूँ। यदि हम गोलमेज परिषद्में अपना अभीष्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अस्त्रसे भली-भाँति लैस होना चाहिए। हमारा अस्त्र यही है कि हिन्दुस्तानकी सारी जनता, इस देशमें जन्म लेने और इसे अपना घर बना लेनेवाले सभी लोग — हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य सभी लोग एक होकर, एक स्वरसे स्वराज्यकी माँग करें। हम जबतक अपने बीच ऐसी पारस्परिक समझदारी पैदा नहीं कर लेते,

तबतक मेरे लन्दन जानेसे कोई लाभ नहीं। इसलिए हम सभीको इस देशकी सभी जातियोंमें एकता पैदा करनेके यथा सम्भव सभी प्रयत्न करने चाहिए।

परन्तु मैं कागजपर लिखे समझौतेकी शाब्दिक एकता-भर नहीं चाहता। कागजपर समझौतेका मसौदा लिखकर दस्तखत-भर कर देनेसे एकता पैदा नहीं हो जाती। मैं जो एकता चाहता हूँ वह हार्दिक एकता, दिलोंकी एकता है और ऐसी ही एकताके लिए मैं ईश्वरसे सदा प्रार्थना करता हूँ। और ऐसी एकता पैदा होनेपर आपके अन्दर इतनी शक्ति पैदा हो जायेगी कि हमें सफलता मिल जायेगी।

मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पा रही है और आप लोग बारिशसे परेशान हैं। ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि वह हमें दूसरी लड़ाईमें कूदनेकी जरूरतसे बचाये और यह समझौता ही हमें अन्तिम सफलता तक पहुँचा दे।

जहाँतक कामका सवाल है, कांग्रेसका प्रस्ताव आपके सामने है और खद्दरके प्रचार तथा शराबके बहिष्कारके सम्बन्धमें आपके सामने एक व्यापक कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। मैं आप सबका आभारी हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-५-१९३१

१६५. श्रद्धांजलि : के० टी० पॉलको

शिमला

१५ मई, १९३१

मुझे श्री के० टी० पॉलसे परिचय प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला था। मैं उनके जितने निकट गया मेरे हृदयमें उनके लिए उतना ही सम्मान बढ़ता गया। मुझे लगा कि उनकी ईसाइयत उदार और सहिष्णुतापूर्ण थी। इतना ही नहीं कि वह कभी उनकी राष्ट्रवादिताके आड़े नहीं आई, बल्कि लगता तो यह था कि ईसाइयतने उनकी राष्ट्रवादिताको और अधिक गहराई दे दी थी। दिवंगतको इस बातका श्रेय है और राष्ट्रवादी विचारोंके लोग सदा इसे याद करेंगे कि श्री पॉलने आगामी संविधानमें भारतीय ईसाइयोंको कुछ खास रियायतें देनेकी माँगका विरोध किया था। और यह इसलिए कि उनका विश्वास था कि चारित्रिक खरेपन और सद्गुणोंको केवल सद्व्यवहार ही नहीं, बल्कि सदा उचित सम्मान भी मिलेगा। विशेषकर राष्ट्रके जीवनके वर्तमान दौरमें उनके उठ जानेसे देशको स्पष्ट ही एक बड़ी हानि पहुँची है।

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७५) की फोटो-नकलसे।

१६६. तार : 'ईवनिंग स्टैंडर्ड' को

[१५ मई, १९३१][1]

'आप लन्दन आ रहे हैं या नहीं?'—'ईवनिंग स्टार'के इस प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीने तार दिया है कि वह कुछ बातों पर निर्भर करता है, जिनमें से दो ये हैं: समझौतेकी सन्तोषप्रद कार्यान्विति और साम्प्रदायिक समस्याका समाधान।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-५-१९३१ और हिन्दू, १६-५-१९३१

१६७. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

शिमला

१५ मई, १९३१

महात्मा गांधीने कहा कि बातचीत लाभदायक और अच्छी रही; वे शिमलामें वाइसरायसे अब और नहीं मिलेंगे; तथा गृह-सचिव श्री एमर्सनसे कल एक बार फिर भेंट[2] करके रविवार, १७ तारीखको निश्चित तौरपर शिमलासे नैनीतालके लिए चल देंगे।

महात्मा गांधीने इस प्रश्नका उत्तर देनेसे इनकार कर दिया कि क्या अब उनके लन्दन जानेकी आशा और बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा:

इसके बारेमें अधिक जानकारी प्राप्त करनेके लिए आपको वाइसराय-भवन जाना चाहिए।

सर फजल हुसैनके निवासकी ओर पैदल जाते समय उनसे पूछा गया कि वे क्या स्वराज्य-सरकारका मुख्य कार्यालय शिमलामें रखना पसन्द करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया:

इतनी ऊँचाईसे बहुत काफी नीचे उतरकर हमें मैदानी भागमें जाना होगा, क्योंकि सरकार तो जनताके बीचमें और जनताके लिए ही होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १७-५-१९३१

१. विवरण लन्दनमें इस तिथिको छपा था।

२. देखिए परिशिष्ट ६।

१७०. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय सतीशबाबू,

आपके दोनो पत्र मिल गये। हेमप्रभा देवीकी हालतके बारेमे मै चिन्तित हो गया हूँ। कृपया मुझे सूचित करते रहिए।

वहाँके झगडोका[1] आपका विवरण पढ़कर मन खिन्न हो जाता है और सुभाष-बाबूके बारेमे आपकी राय पढकर तो खिन्नता और बढ जाती है। मुझे इस बातकी खुशी है कि आप अपनेको दलगत मामलोसे बिलकुल ही अलग रख रहे है। 'मुसल-मान'की कतरनसे मुझे सन्तोष नही हुआ। 'राष्ट्रवाणी'के अनुवाद अच्छे है। मेरा ख्याल है कि आपको अपने भोजनमें नमक भी शामिल कर लेना चाहिए। समझौतेके सिलसिलेमे उठनेवाले मामलोको लेकर मैंने यहाँ अधिकारियोसे कई बार देर-देर तक बातचीत की थी। वे काफी हदतक सन्तोषप्रद रही। अब मै नैनीताल जा रहा हूँ और इस महीनेके अन्ततक बोरसद पहुँचूंगा।

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सौदपुर (बगाल)

अग्रेजी (एस० एन० १७०८३) की फोटो-नकलसे।

१७१. पत्र : ए० फेनर ब्रॉकवेको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मेरे इस पतेपर पुनप्रेषित आपके तारके लिए धन्यवाद। मै उसका उत्तर तार द्वारा इसलिए नही दे रहा हूँ कि मेरी राय अब भी वही है जो मैंने अपने पिछले पत्रमे आपको बतलाई थी। लन्दन जानेसे रोकनेवाला एक ही कारण मैंने आपको बतलाया था। लेकिन मुझे दूसरा कारण भी बतला देना चाहिए था। वह है समझौतेसे सम्बन्धित कार्योपर अमल। हालाँकि केन्द्रीय सरकार मेरी सहायता

१. बगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मामलोंको लेकर सुभाषचन्द्र बोस और जे० एम० सेनगुप्तके बीच; देखिए "तार: जे० एम० सेनगुप्तको", ४-६-१९३१ की पाद-टिप्पणी भी।

कर रही हैं, पर प्रान्तीय अधिकारी लोग समझौतेकी कार्यान्वितिके सिलसिलेमें अनेक कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं और दोष स्थानीय कांग्रेसियोंको दे रहे हैं कि वे समझौता-भंग करते हैं। मेरे पास काफी सबूत मौजूद हैं; और व्यक्तियों द्वारा समझौतेके विरुद्ध किये गये आचरणकी हर शिकायतकी मैं अलग-अलग जाँच कर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे कांग्रेसियोंकी है जिन्होंने समझौतेपर पूरा-पूरा अमल किया है। अधिकारियोंके साथ चूँकि मेरी बातचीत चल रही है इसलिए उनकी ओरसे की गई समझौता-भंगकी कार्रवाइयोंका मैं अभी कोई भी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। यह इस आशासे कि निकट भविष्यमें हालात ठीक पटरीपर आ जायेंगे। लेकिन इसी एक काममें मेरा लगभग सारा समय लग जाता है; और यह काम मुझे भारतमें ही रहनेपर मजबूर कर रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री फेन्नर ब्रॉकवे
रिकमैन्सवर्थ, हर्ट्स (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८४) की फोटो-नकलसे।

१७२. पत्र : रामलाल सिंहको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपको शायद इस बातकी जानकारी नहीं है कि मैंने यह प्रतिज्ञा[1] की है कि जबतक पूरी तौरपर समझौता और भारतको उसका अभीष्ट नहीं मिल जाता, मैं आश्रममें नहीं रहूँगा। यदि आप इस तथ्यके बावजूद आश्रममें ठहरना चाहते हों तो मैं चाहूँगा कि आप आश्रमके प्रबन्धकको लिखें और मुझे भरोसा है कि वह आपको कुछ सप्ताह ठहरनेकी अनुमति अवश्य दे देंगे।

श्री विट्ठलभाई पटेलका पता है: मारफत टॉमस कुक ऐंड सन्स, लन्दन।

हृदयसे आपका,

ठाकुर रामलाल सिंह
केन्टिट एस्टेट
डाकखाना बीजदपुर (मिर्जापुर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८५) की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए खण्ड ४३, पृष्ठ ४९-५१।

१७३. पत्र : के० नटराजनको

स्थायी पता, साबरमती
१६ मई, १९३१

प्रिय श्री नटराजन,

आपके पत्रकी प्राप्ति-सूचना भेजनेमे विलम्ब हुआ। कृपया क्षमा करे। कारण आप जानते ही है। मेरा नाम जिस वक्तव्यके साथ जोडा जा रहा है, वह बिलकुल ही मनगढन्त है। ब्रिटिश शासन एक बुरी चीज है—इस निष्कर्षपर हम बडे अध्यवसायपूर्ण अध्ययन और मननके बाद पहुँचे है और हमारे पीडाजनक अनुभवोने उनकी पुष्टि की है। 'हिन्द स्वराज्य' और 'सत्यके प्रयोग'मे मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया बतलाई है। श्री बिटमैनने यह बड़ा अच्छा किया कि जाँचे-परखे बिना विवरणपर विश्वास करनेसे इनकार कर दिया। मै इतना और कह दूं कि विशप अजारियाके साथ मुलाकातकी बात मुझे यादतक नही है। मै श्री बिटमैनका पत्र लौटा रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री के० नटराजन
कार्यालय 'इडियन सोशल रिफॉर्मर'
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८६) की फोटो-नकलसे।

१७४. टिप्पणियाँ

अन्धकार कैसे मिटे?

एक स्नातक पूछते है :[1]

यह पत्र अर्धसत्य ही सामने रखता है। इसीके साथ मेरे सामने दूसरा भी एक पत्र है। कहा गया है· "हमारे यहाँ मृत्यु-भोज बन्द हो गया है, मृत्युके बादका रोना-पीटना कम हो गया है तथा विवाह सादे और कम खर्चीले होते जाते है।" इसमे आश्चर्यकी बात नही है। किसी भी महाबलिदानके परिणामस्वरूप ऐसे सुधार होने ही चाहिए। आश्चर्य तो इस बातका है कि बलिदानोके बावजूद और स्थितिको समझते

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकको शिकायत थी कि जिसके लिए पूरे वर्ष-भर बलिदान दिये गये फिर भी अँधेरेमें वे प्रकाशकी किरणें नजर नहीं आतीं।

हुए भी अस्पृश्यताका नाश जडमूलसे नही हुआ। अस्पृश्योको कुएँसे पानी लेनेकी मनाही आज भी कई गाँवोमे है। तमाम सार्वजनिक पाठशालाओमें उनके बालक स्वतन्त्रतापूर्वक नही जा पाते। जाति-भेद और ऊँच-नीचका विचार अभी प्रचलित है। आपसमें झगडे होते रहते है। लडकियाँ आज भी बेची जाती है, लडकीके बापसे नौजवान अभीतक पैसेकी आशा रखते है।

इसकी वजह क्या है?

हमारा ध्यान बाहरकी ओर है, हम अन्तर्मुख नही बने। सरकारके खिलाफ लड़नेमे हमे मजा आता है। यह लडाई लड़ते हुए या लडनेके लिए जो सुधार बहुत ही आवश्यक होते है, वे हम कर लेते है। परन्तु हमें अपनेसे लडनेमें, समाजके साथ युद्ध करनेमें मजा नही आता, या कम आता है।

इस ढिलाईका सामना कौन करे?

स्वयसेवक, स्नातक, स्वयसेविका, वानर-सेना। "लेकिन नमकका खारापन ही गायब हो जाये तो उसे कहाँसे खारा बनायें?" स्वयसेवको और स्वयसेविकाओको यह काम नीरस मालूम होता है। वे यह नही समझ पाते कि यदि ये काम न हुए, तो स्वराज्य नही मिलेगा और यदि मिल भी गया तो वह टिक नही सकेगा। जनताके सब अगोका विकास ही स्वराज्य है, यह बात अभी दिनकी भाँति साफ नही हुई है। इसलिए यदि अब ग्राम-सेवक बडी सख्यामें मिल जाये, और जो है वे ऐसे काम शान्ति, दृढता और लगनके साथ करे तो अन्धकार मिटे और प्रभात हो।

भगिनी-सेवा-संघ

बम्बईके भाई करसनदास चितालियाने श्री० सूरजबहन मणिलालके साथ मिलकर उक्त नामका सघ कायम करनेका निश्चय किया है। भाई करसनदासके प्रयत्नसे विलेपारलेमे भगिनी-सेवा-मन्दिर बन गया है और वह खुल भी चुका है। अब सघकी स्थापनाके विचारसे उन्होने एक पत्रिका छपवाई है जो इसे पूरी पढना चाहे, वे भाई करसनदाससे मँगा ले। उसमें सघके सम्बन्धमें नीचे लिखी बातें दी गई है।[1]

सेविकाकी प्रतिज्ञा नीचे लिखे अनुसार है:[2]

नीचे लिखी योग्यतावाली बहने प्रवेश पा सकेंगी:[3]

पत्रिकाका उपसंहार इस प्रकार है:[4]

मै भाई करसनदासके इस प्रयत्नकी सफलता चाहता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-५-१९३१

१, २, ३, ४. यहाँ नही दिये जा रहे है।

१७५. फिर भी वही राय

श्री मथुरादास देवराम "बीसवी सदीकी सती"[1] सम्बन्धी लेखके बारेमें लिखते है :[2]

न्यायकी खातिर मैंने यह पत्र छापा है। ये सब बातें जाननेके बाद भी मै अपनी रायपर कायम हूँ। जो तथ्य प्रकाशित हुए थे वे अक्षरशः सच है, यह जानकर मेरा दुःख और बढ जाता है और मेरी राय अधिक वजनदार हो जाती है। यह उदाहरण प्रेमका नही, बल्कि आवेशका है। आवेशमे आकर आदमी क्या नही करता? यही बहन अगर जीवित होती तो अपने जीवन द्वारा अपने पतिकी स्मृतिको स्थायी बना पाती। मरकर पतिके साथ नही गई। देह नष्ट होनेके साथ ही सम्बन्ध टूट जाता है, यह मानना ही भूल है। परन्तु कदाचित् यह सच हो तो भी वह इस सम्बन्धकी रक्षा न कर सकी। पतिके देहकी राखके साथ उसकी देह भी राख हो गई अर्थात् एकके जानेपर दूसरा भी चला गया। इस करुण घटनामे मुझे कही कोई बात स्तुति-योग्य नही जान पड़ती। मै चाहता हूँ कि इस बहनके सगे-सम्बन्धी भी इस आत्महत्याको सतीत्वका नाम न दे। स्त्रियोको अन्ध पति-प्रेम सिखानेकी अपेक्षा हम उन्हे स्वतन्त्र बनाये और अपने आचरण द्वारा उन्हे यह समझा दें कि उनकी आत्माके अधिकार भी पुरुषकी देहमे रहनेवाली आत्माके समान ही है।

अब श्री मथुरादासके अन्तिम प्रश्नके बारेमें "सती स्त्री मर्यादाके भीतर रहकर सन्तानोत्पत्तिके कार्यमें भाग लेगी" इस वाक्यमें 'सती स्त्री' शब्द सौभाग्यवती और शीलवती स्त्रीके लिए प्रयुक्त हुआ है। मेरा आदर्श तो यह है कि पति-पत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे। यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो मै यह कहना चाहता हूँ कि वे दोनों मर्यादाके भीतर रहते हुए सन्तानोत्पत्तिमे भाग ले। अर्थात् एक-दूसरेका शारीरिक स्पर्श, देह-सग सन्तानोत्पत्तिके लिए ही हो और सो भी दोनो जितनी सन्तानकी इच्छा करे, उसके भीतर करने-भरके लिए हो। मेरे विचारसे इसीका नाम मर्यादित सयम है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-५-१९३१

१. ३-५-१९३१ का।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें एक महिलाके सती होनेका विवरण देते हुए उसका समर्थन किया गया था।

१३६. सार्वजनिक खर्च

अन्य सब मामलोंके मुकाबले गुजरातको खर्चके मामलेमें सबसे अधिक सुविधा मिली है। सार्वजनिक कामोंका मजदूर कभी खाली रहा हो नहीं। जिले और तहसीलों को तो ब्रह्म मिलता ही रहा है। क्यों तहसीलें तोड़ी गई थीं और फिर कायम की गई थीं, इसका कोई भी सम्बन्ध किसी भी समय जनताके हितसे नहीं होता। जिन लोगोंने मतदाता बनकर वोट दिये हैं, उन्हें तो सुविधाएँ मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर उपयुक्त नियम नहीं हैं तो ऐसी संस्थाको खुद ही कंजूस बनकर रहना चाहिए और बेकारीके समय एक कौड़ी भी खर्च नहीं करनी चाहिए। यह कोई बकरी थोड़े ही है कि अनुकूल मिलते ही उसे खर्च कर डाला जाये। मतलब यह है कि आवश्यकता पड़े तो करोड़ों की लोन और खर्च करें और आवश्यकता न हो तो करोड़ों मिलनेपर भी कुछ खर्च न किया जाये।

मुझे डर है कि गुजरातने इसका इस नियमका अनुसरण नहीं किया है। सबके सबसे अधिक गुजरातने कुछ आवश्यकता एक बनाई है जो आवश्यक नहीं। हर गाँव, तहसील और जिलेको अपने हिसाबसे जाँच करनी चाहिए और वहाँ आवश्यक हो वहाँ काट-छाँट करनी चाहिए। यदि डॉक्टरसे काम चलता हो तो वहाँ वैद्य न रखा जाये, वैद्यसे काम चल सकता हो तो वहाँ हकीम न रखा जाये और वहाँसे काम चल सकता हो तो वहाँ डॉक्टर न रखा जाये। सार्वजनिक खर्चमें खूब विवेकसे चलनेकी आवश्यकता मालूम होती है। उसका अर्थ यह है कि सब संस्थाएँ ऐसे अनुभवोंसे अपने हिसाबकिताबकी जाँच करें और उसमें आवश्यकतानुसार सुधार लायें, तो सम्भव है उनका सदुपयोग करनेके लिए मजदूर हो।

इस साल यहाँ गुजरातमें एक सर्वसम्मत नियम था कि सब जिलों और सब तहसीलोंको अपने खर्च आधे कर्जसे कम इकट्ठा करके सार्वजनिक संस्थाएँ खड़ी करना चाहिए। कुछ दर्जोंतक इस नियमका पालन किया गया। फिर सिंचाई आ गई। अब सरकार जिलोंको खर्च सार्वजनिक संस्थाएँ देती है। इस स्थितिसे मैं बहुत भयभीत बनता हूँ। यह मानेकी कोई वजह नहीं कि सार्वजनिक संस्थाओंका काम हमेशा भरपूर ही रहेगा। सार्वजनिक संस्थाओंके लिए ऐसा कोष करना उचित भी न होगा। इसलिए हमें जितने जल्दी हो सके इस नियमको बदल करना चाहिए। एक बार ऐसा नियम हो जानेपर, जहाँ काम होता होगा, वहाँके लोग निकले रहेंगे। हमें कामोंके होनेका आत्मविश्वास पैदा कर लेना चाहिए। यहाँ मैं यह बताये देता हूँ कि कांग्रेसका नियम क्या है। कांग्रेस सालोंको ब्रह्म नहीं देती। साल कांग्रेसको दफ्तरी हिसाब देते हैं; और यही नियम सालोंने जिलोंके लिए होना चाहिए। जिले सालको दफ्तरी हिसाब अर्थात् उचित माप दें। साल जिलोंका शोषण करें, इसका तो यह मतलब हुआ कि हमने वैसे चलनेके बजाय नकली तरह जिलेके बल चलना आरम्भ किया है। यह उल्टा साल कबतक टिक सकता है?

परन्तु जब लड़ाई चल रही हो तब क्या किया जाये? मेरा जवाब यह है कि तब भी यही नियम लागू होगा या यों कहिये कि तब यह नियम और भी सख्तीसे लागू होगा। मैं किसी अपवादकी कल्पना कर सकता हूँ। परन्तु अपवाद नियमको सिद्ध करता है। अपवाद नियम नही बन सकता। भगवान् न करे, यदि हमें फिरसे लडना पडा तो हममें विना पैसे या कम-से-कम पैसेसे लडनेकी शक्ति होनी चाहिए। सत्याग्रहका यह सिद्धान्त है। जालिम हमारे तन और धनका मालिक बन सकता है, किन्तु मनका मालिक कभी नही बन सकता। मन स्वतन्त्र रह सकता है और इसी ज्ञानके आधारपर सत्याग्रह-शास्त्रका जन्म हुआ है। शुद्धतम सत्याग्रहमें गाड़ीके किराये की जरूरत नही होनी चाहिए, हिजरतकी भी आवश्यकता नही पडनी चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े ही तो पैदल जाना चाहिए। खानेको मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी वाह-वाह। जहाँ ऐसी निश्चिन्तता होती है, वहाँ आदमी बहुतेरी झंझटोसे बच जाता है। स्वतन्त्रता हमारे आँगनमें आकर नाचती है। निश्चिन्त अन्ततक भूखो नही भटकता। उसे चबैना मिल ही जाता है। भगवान् चीटीको कण और हाथीको मन प्रतिदिन देता ही है। मनुष्यने घमण्डमें आकर माना कि—"मै करता हूँ, मै कमाता हूँ, मै बनाता हूँ, मै विगाड़ता हूँ।" ईश्वर इस घमण्डको रोज चूर करता है, परन्तु मनुष्य अपनी ऐंठ नही छोडता। सत्याग्रह इस मदको दूर करनेवाली चीज है। हम इतनी मंजिल तय कर चुके है, कि मैंने ऊपर जो-कुछ लिखा है उसे मानने या तदनुसार चलनेमें अव संकोच या अविश्वास नही होना चाहिए।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, १७-५-१९३१

१७७. पत्र : भूपेन्द्रनारायण सेनको

स्थायी पता, साबरमती
१७ मई, १९३१

प्रिय भूपेन,

तुम्हारा पत्र मिल गया। देखना कि हाबूकी माँके बारेमें तुम्हारे उल्लेखका मैंने क्या उपयोग किया है।[1] तुमने उनका नाम क्यो नही पूछा? तुमको उनकी अवस्थाके बारेमें मालूम होना चाहिए और उनका एक फोटो भी खिचवा लेना चाहिए था। पता नही, मै बारडोली कब जा पाऊँगा। लेकिन किसी भी स्थानपर कुछ थोड़े समयतक जमनेका मेरा कार्यक्रम निश्चित होते ही तुम दोनों निश्चिय ही आकर मेरे साथ ठहर सकते हो।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री भूपेन्द्रनारायण सेन
खादी मण्डल, कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७०८७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "एक नारीका आत्मत्याग", २१-५-१९३१।

१७८. पत्र : ए० सुब्बैयाको

स्थायी पता, साबरमती
१७ मई, १९३१

प्रिय सुब्बैया,

बोरसदसे ऐन रवाना होते समय आपका पत्र मिला था। उसके बादसे अबतक समय ही नही मिल पाया। आपकी कठिनाइयाँ मै समझता हूँ। इसलिए मै आपका पत्र राजाजीके पास भेज रहा हूँ, इस हिदायतके साथ कि जितनी जल्दी हो सके, आपको छुट्टी दे दें। बात दुर्भाग्यपूर्ण तो है, पर अनिवार्य है। मै आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि आपको शेपन्‌के साथ ही रहना चाहिए और फिर ललिताके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है ही। आपके स्वास्थ्यकी नरमी भी आपको छुट्टी दे देनेका अतिरिक्त कारण है। मै इस महीनेके अन्ततक बोरसद पहुँचूंगा। हम आज दोपहर बाद नैनीतालके लिए शिमलासे चल रहे है और वहाँ कल सोमवारको पहुँच जायेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य इजाजत दे तो आप राजाजीके यहाँसे तबतक काम न छोडें जबतक वे उसे सब तरहसे उपयुक्त न मानने लगे। आपको उनके पाससे इस इरादेसे आना चाहिए कि आप सब बातोसे फारिग होनेपर और जरूरत पडनेपर फिर उनके पास लौट जायेंगे।

श्री ए० सुब्बैया
गांधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अंग्रेजी (१७०८९) की माइक्रोफिल्मसे।

१७९. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

स्थायी पता, साबरमती
१७ मई, १९३१

सुब्बैयाका एक पत्र साथमें रख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको उसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा दे देना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आप फिर क्या करेंगे।

किसीने आपके छपे हुए अनुदेश-पत्रकी प्रति श्री एमर्सनको भेज दी थी। उन्होंने उसके बारेमें बहुत उत्साह दिखाया और मुझसे कहा है कि मै उनकी ओरसे आपको बधाई दे दूं। मै यहाँ अत्यधिक व्यस्त रहा। व्यस्तता लाभदायक भी रही, लेकिन बेहद थका देनेवाली। प्रान्तीय सरकारोंने एक सीमातक ही योग दिया है। जाहिर है कि उनको

समझौता पसन्द नहीं है। इसलिए उनसे समझौतेपर अमल कराना अत्यन्त ही दुष्कर है, शेरकी दाढ़ निकालने-जैसा। इसलिए इस काममें अब शोभा नहीं है।

लॉर्ड विलिंग्डनके साथ हमने औपचारिक ढंगसे सौजन्यपूर्ण बातचीत की, पुरानी जान-पहचान ताजा की और अपना काम खत्म करके अब मैं संयुक्त प्रान्तके झगड़ोंके बारेमें सर मालकम हेलीसे मिलने नैनीताल जा रहा हूँ। यदि महादेवके साथ आपका पत्र-व्यवहार है तो इस सम्बन्धमें और अधिक जानकारी वही देगा। आपको समय मिले तो पत्र लिखिएगा, अन्यथा नहीं।

संलग्न : १

श्री च० राजगोपालाचारी
गांधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९०)की माइक्रोफिल्मसे।

१८०. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१७ मई, १९३१

महात्मा गांधीने कहा कि कुल मिलाकर वे अपनी यात्रासे सन्तुष्ट थे और उन्होंने समझ लिया था कि केन्द्रीय सरकार अपनी ओरसे दिल्ली समझौतेकी शर्तोंको क्रियान्वित करनेकी कोशिश कर रही है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण फिर दोहराया कि वे लन्दन सम्मेलनमें भाग लेने तभी जायेंगे जब साम्प्रदायिक समस्याका हल निकल आयेगा और जब समूचे भारतमें समझौतेपर सन्तोषप्रद ढंगसे अमल होने लगेगा।

जहाँतक साम्प्रदायिक समस्याका सम्बन्ध है, महात्मा गांधीने स्वीकार किया कि लोगोंमें बहुत काफी अविश्वास मौजूद है, पर भोपालमें हुई चर्चाके बाद अब वे पहलेसे अधिक आशावादी हो गये हैं।

प्रश्न : मान लीजिए कि आप या कांग्रेस गोलमेज परिषद्में शामिल नहीं होते और परिषद् एक ऐसा संविधान तैयार कर देती है जिसे ब्रिटिश संसदका अनुमोदन प्राप्त हो, तो उसके प्रति कांग्रेसका क्या रुख होगा?

उत्तर : मैं कांग्रेसकी ओरसे कह सकता हूँ कि उस योजनाके सभी पहलुओंपर विचार किया जायेगा और यदि वह ठीक पाई जायेगी तो अवश्य ही उसपर अमल किया जायेगा।

प्रश्न : आप आत्म-निर्णयके सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं?

उत्तर : जी, हाँ।

प्रश्न : क्या आप किसी प्रान्तको आत्म-निर्णयके अधिकारका प्रयोग करते हुए भारतसे पृथक् होनेकी अनुमति देंगे?

उत्तर: मैं उसके साथ तर्क करके उसे मनानेकी कोशिश तो करूँगा, पर शस्त्रोंके बलपर अपनी इच्छा उसपर नहीं थोपूंगा।

साम्प्रदायिक समस्याके बारेमें विचार प्रकट करनेका आग्रह करनेपर उन्होंने अपना मत फिर दोहराया कि यदि सिख और मुसलमान परस्पर सहमतिसे अपनी मांगें पेश करें तो वे बिना किसी हिचकके उनको मान लेंगे।[1] उनसे पूछा गया कि क्या यह दुःखकी बात नहीं कि प्रान्तीय समझौतोंमें विलम्ब होनेके कारण समूचे देशकी प्रगति भी रुकी रहे? उन्होंने कहा:

बात यह है कि यदि हम छोटी बातोंकी देख-भाल ठीक-ठीक कर सकते हैं तो फिर बड़ी बातोंकी भी कर ही सकते हैं। मैं इस चीजपर आग्रह क्यों कर रहा हूँ? ये प्रान्तीय समझौते असलमें ऐसे तिनके हैं जिनसे पता चलता है कि हवाका रुख क्या है; और हवा तो गोलमेज परिषद्तक के मौसमका रुख बदल सकती है—यहाँतक कि शायद उसे बिल्कुल ही अनुकूल बना दे सकती है।

प्रश्न: 'बॉम्बे क्रॉनिकल' कहता है: 'क्या हमें यह बात दोहरानेकी आवश्यकता है कि गोलमेज परिषद्के काममें तेजी लाने और उसे पूर्णतः सफल बनानेका सबसे कारगर तरीका यही है कि विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कार आन्दोलनको और अधिक तीव्र बनाया जाये?'—स्पष्ट ही, इसका अर्थ होता है कि 'बॉम्बे क्रॉनिकल' बहिष्कारको एक राजनीतिक अस्त्र मानता है और अस्त्र भी ऐसा जिसका प्रयोग सभी अन्य देशोंके विरुद्ध समान रूपसे नहीं किया जाना है; क्योंकि जापानी वस्त्रके बहिष्कारसे तो गोलमेज परिषद्के कार्यमें कोई तेजी नहीं लाई जा सकती। क्या आपके विचारसे इस प्रकारकी बात करना दिल्ली समझौतेके शाब्दिक अर्थ और उसकी भावनाके विरुद्ध नहीं है?

आपने जिस लेखसे उद्धरण दिया है मैंने वह देखा नहीं। पर मैं मोटे तौरपर कह सकता हूँ कि विदेशी वस्त्र बहिष्कार-आन्दोलनको एक राजनीतिक अस्त्र मानना निश्चय ही समझौतेके शाब्दिक अर्थ और उसकी भावनासे मेल नहीं खाता। विदेशी वस्त्रोंमें जापानी वस्त्र भी इस समय यदि अधिक नहीं तो उतने ही शामिल हैं जितने कि ब्रिटिश वस्त्र। इसका सीधा-सा कारण यही है कि आज ब्रिटिश वस्त्रोंके मुकाबले जापानी वस्त्र कहीं कारगर ढंगसे खादी और भारतीय मिलों द्वारा तैयार किये गये वस्त्रोंको बाजारसे खदेड़ रहे हैं। उसके बहिष्कारके लिए अत्यन्त ही पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक कारण मौजूद हैं।

ब्रिटेनके कंजर्वेटिव दलको संरक्षणोंकी जो चिन्ता है, आप किस हदतक उसकी गुंजाइश रखनेके लिए तैयार हैं?

भारतके अपने हितों और प्रतिष्ठाको बरकरार रखते हुए यथासम्भव अधिक-से-अधिक सीमातक।

१. इसके बादका अंश स्टेट्समैनसे लिया गया है।

प्रश्न पूछा गया कि क्या उनके विचारसे समझौतेके आड़े आनेवाली कठिनाइयाँ जुलाईतक दूर हो सकेंगी। गांधीजी ने उत्तर दिया :

यह मैं नही वतला सकता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसी आशा है, और मुझे उम्मीद है कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी।

और हिन्दू-मुस्लिम समस्या? भोपालमें हुई मुसलमानोंकी वैठकोंमें जो कदम उठाये गये थे उनके वारेमें आपका क्या विचार है?

वे उत्साहवर्धक है। मुसलमानोंके दोनों ही दल अपने बीच एकता स्थापित करनेके लिए स्पष्ट ही भरसक चेष्टा कर रहे है। लेकिन मैं जव भी हिन्दू-मुस्लिम समस्याका जिक्र करता हूँ तो मेरा मतलव समूची साम्प्रदायिक समस्यासे होता है। उदाहरणके तौरपर, इस समस्याका हिन्दू-मुस्लिम पक्ष सामने आनेपर, सिख भी अपनी वात मनवायेंगे। कठिनाइयाँ तो सामने आयेंगी ही। पर मुझे उम्मीद है कि कठिनाइयाँ ऐसी नही होगी जिनसे हम पार न पा सकें।

तो फिर इन दोनों समस्याओंके हल होते ही आप देर-सवेर गोलमेज परिषद्में शामिल होने सचमुच जायेंगे ही?

जी हाँ, अवश्य। और मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसलिए कि मुझे आशा है कि मैं इग्लैंड पहुँचूंगा तो ब्रिटिश जनता मेरे विचारोके प्रति उदासीन नही रहेगी और मैं जो कहूँगा उसे वह विना किसी पूर्वग्रहके सुनेगी-समझेगी। या यदि हालात बदतर हुए, तो भी मुझे आशा है कि मैं उनको इतनी बात तो समझा ही सकूँगा कि मैं एक ऐसा सिरफिरा आदमी हूँ जो किसीको नुकसान नही पहुँचा सकता।

और लॉर्ड रोथेरमेर?

हाँ; हाँ, . . . मैं लॉर्ड रोथेरमेरको भी इतना तो समझा ही सकूँगा।

[अग्रेजीसे]

स्टेट्समैन, १९-५-१९३१, तथा हिन्दुस्तान टाइम्स, २०-५-१९३१

१८१. सन्देश : कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलनको[1]

[१८ मई, १९३१][2]

मूलभूत अधिकारोसे सम्वन्वित प्रस्ताव ही काग्रेसका सवसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। उसमे दरसाया गया है कि कांग्रेस किस प्रकारका स्वराज्य हासिल करना चाहती है। वह स्वराज्य गरीवोका स्वराज्य या राम-राज्य ही है। राम न्याय और न्याय-सगति या औचित्यके प्रतीक है, राम सत्य और औदार्य या दीन-वत्सलताके प्रतीक है।

१. देखिए "पत्र : जमनालाल वजाजको", ८-५-१९३१ भी।

२. महादेव देसाईके अनुसार "गाधीजी ने यह सन्देश पिछले सोमवारको लिखा था"। सोमवार १८ मईको पड़ा था।

प्रस्ताव धार्मिक सहिष्णुतापर आग्रह करता है जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्तिको धार्मिक दायित्वोंका निर्वाह करनेसे नहीं रोका जायेगा, और राज्य किसी भी धर्मके साथ पक्षपात नहीं करेगा।

न्याय और न्याय-संगतिका अर्थ है पूंजी और श्रम, जमींदार और किसानके बीच उचित तथा न्याय-संगत सम्बन्ध स्थापित करना। जमींदार और पूंजीपति लोग किसानों और मजदूरोंका शोषण नहीं करेंगे बल्कि उनके हितोंकी रक्षाके लिए कृतसंकल्प रहेंगे।

यह नहीं कि हमारे हाथोंमें सत्ता आते ही ये सभी चीजें अपने-आप सहज ही आ जायेंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यदि स्वराज्य सत्य और अहिंसात्मक साधनोंके जरिये हासिल किया जायेगा तो ये चीजें उसके स्वाभाविक परिणामके रूपमें अपने-आप सामने आती जायेंगी। अब प्रश्न है कि क्या हम सत्य और अहिंसा का पालन कर रहे हैं। सत्य और अहिंसाको यदि कुछ समयके लिए कार्य-साधकताकी दृष्टिसे या मात्र नीतिके रूपमें प्रयुक्त किया जाये तो राम-राज्य हासिल नहीं किया जा सकेगा। राम-राज्य तो तभी हासिल किया जा सकता है जब सत्य और अहिंसाका पालन एक सैद्धान्तिक विश्वासके रूपमें किया जाये। क्या कभी कोई पुत्र अपने पुत्रोचित कर्त्तव्योंका पालन एक नीतिके रूपमें कर सकता है? नीति तो सारतः एक अस्थायी कार्य-साधकता ही होती है, जो परिस्थिति बदलनेपर बदली जा सकती है। त्याग या कष्ट-सहनकी नौबत आये बिना सत्य और अहिंसाका पालन करना काफी सरल होता है; लेकिन एक सैद्धान्तिक विश्वासके रूपमें इनका पालन करने-वाला तो सभी परिस्थितियोंमें अपनी जानकी बाजी लगाकर भी अडिग बना रहता है। अब समय आ गया है कि हम काग्रेसी लोग सत्य और अहिंसाको नीतिके नहीं, बल्कि एक सैद्धान्तिक विश्वासके रूपमें अंगीकार कर लें।

इसलिए, आइए हम यह सोचें कि प्रस्तावके किन-किन अंशोंपर हम इस समय अमल कर सकते हैं। आज जिन अंशोंको प्रभावी बनाया जा सकता है, यदि हम उनपर अमल नहीं करेंगे तो स्वराज्य अर्थहीन हो जायेगा। क्योंकि जिन बातोंपर हम आज अमल कर सकते हैं यदि उनपर अमल नहीं करेंगे, तो स्वराज्यके बाद हम उनको एकाएक ही नहीं करने लग जायेंगे।

प्रस्तावमें कहा गया है कि स्वराज्यके संविधानके अन्तर्गत अस्पृश्यता नहीं रहेगी। तो क्या हमने अस्पृश्यताके रोगका निवारण कर लिया है? प्रस्ताव कहता है कि स्वराज्यके संविधानके अन्तर्गत शराब और मादक द्रव्योंकी दूकानोंके परवाने जारी करनेके लिए किसी भी प्रकारकी सुविधाएँ नहीं दी जायेंगी। तो क्या हमने अपने बीचसे मादक द्रव्योंके सेवन और शराबखोरीकी बुराईको उखाड़ फेंका है? प्रस्ताव आगे कहता है कि स्वराज्यके अन्तर्गत भारतमें सभी विदेशी वस्त्रोंके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा। लेकिन क्या हमने विदेशी वस्त्रोंका शौक छोड़ दिया है और क्या हम खद्दरधारी बन गये हैं? इसी प्रकार, इस प्रस्तावके अनुसार हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सगे भाइयोंकी तरह मेलजोलसे रहेंगे, तो क्या हमने अपने हृदयोंसे एक-दूसरेके प्रति अविश्वास और सन्देहको दूर कर दिया है?

प्रस्तावमें स्वराज्यकी जो तसवीर पेश की गई है उसमें अमीर और गरीबके बीच घृणा या वैमनस्यकी कोई भावना नही रहेगी। क्या हमारे देशके धनी लोगोने अपने आपको गरीबोके साथ एकात्म कर लिया है, और क्या गरीबोने अमीरोके प्रति अपना वैमनस्य दूर कर दिया है? स्वराज्यके सविधानके अन्तर्गत हम चाहते है कि अधिकारियोका अधिकतम वेतन ५०० रुपये माहवारसे ज्यादा न रहे। लेकिन क्या आज इससे ज्यादा वेतन पानेवाले अधिकारी बकाया राशि धर्म और सेवाके कामोमे लगा रहे है? क्या हमारे देशके करोड़पति लोग अपना रहन-सहन इस वेतनके लायक बना रहे है?

आज इन प्रश्नोका कोई निश्चित उत्तर दे पाना कठिन है। आज हम धीरे-धीरे रामराज्य या न्यायराज्यके अपने आदर्शकी ओर बढ़नेका मार्ग टटोल रहे है। इस प्रस्तावका मन्शा यही है कि हमारा यह लक्ष्य कभी आँखोसे आझोल न हो पाये और उसे प्राप्त करनेके हमारे प्रयत्नोको निरन्तर प्रेरणा मिलती रहे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

१८२. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

१८ मई, १९३१

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। आपकी शिकायत बिलकुल ठीक है। मैंने भाई फूलचन्दको लिखा है। आपको मिलनेका समय देनेकी क्या जरूरत है? आप आते ही कहाँ है? जहाँ भी होऊँ, वहाँ जब भी आप चाहे तब आनेका अधिकार आपको है। आज यहाँसे नैनीताल जा रहा हूँ। वहाँसे बोरसद जाऊँगा। बोरसद २७ तारीखतक पहुँच जाऊँगा। वहाँ आइए। जलवायु अच्छी है और रहनेकी व्यवस्था भी अच्छी ही कही जा सकती है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (जी० एन० ५९१६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३२३१ से भी।
सौजन्य : महेश पट्टणी

१८३. पत्र : शारदाबहन चि० शाहको

१८ मई, १९३१

चि० शारदा,

तेरा पत्र मिला। अपनी लिखावटको बिगाड़ मत। अक्षरोंके बारेमें रामदास स्वामीकी एक कविताका जो अनुवाद मैंने तुझे भेजा था, उसे पढ़ना। उसकी प्रति मुझे भेजना। मैं उसे कभी 'नवजीवन' में प्रकाशित करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९०१) से।
सौजन्य : शारदाबहन जी० चोखावाला

१८४. तार : वल्लभभाई पटेलको[1]

नैनीताल
१८ मई, १९३१

सरदार वल्लभभाई
बारडोली

मेरा सुझाव कि तुम कलक्टर और कमिश्नरसे भी मुलाकात करो। शिमला तार दे रहा हूँ। पच्चीस तारीखके लगभग बोरसद पहुँचनेकी आशा है।

बापू

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. सरदार वल्लभभाई पटेलके तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था : "बालोद महलके किसानोंको परेशान करना जारी है। विचाराधीन मुकदमें अब तक वापस नहीं लिये गये हैं। चालू वर्षकी लगान-अदायगीके लिए राजी होनेपर भी जब्तशुदा जमीनें वापस नहीं की गईं। कल किसानोंको खेतोंमें दाखिल होनेसे रोकनेके लिए अनेक स्थानोंपर पुलिस तैनात की गई। कार्यक्रम तार द्वारा सूचित करें।"

१८५. पत्र : जमनादास गांधीको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

चि० जमनादास,

हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। प्रभुदास और धीरू साथ आये हैं। तुम्हारा तार मिल गया है। प्रभाशंकर रतिलालका भार ले और रतिलाल राजी हो तो मुझसे पूछनेकी जरूरत ही क्या है? उसके खर्चके बारेमें विचार जरूर करना होगा। नानालालके साथ विचार करके मुझे लिखना। चम्पाने जो कहा है उससे ऐसा लगा है कि आजकल वह सब खर्च नानालालसे ले रही है। क्या तुमने डाक्टरको ब्योरेवार पत्र लिखा है? यह मामला उलझता जा रहा है। रतिलाल और प्रभाशकरके साथ बात करके मुझे लिखना। २५ तारीखके आसपास बोरसद पहुँचनेकी उम्मीद है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२२)से।
सौजन्य: जमनादास गांधी

१८६. पत्र : वी० ए० सुन्दरम्‌को

नैनीताल
१८ मई, १९३१

प्रिय सुन्दरम्‌,

मुझे इतना समय ही नही मिला कि तुम्हे आस्ट्रियाई मित्रोके लिए पत्र दे पाता। पत्र अब भेज रहा हूँ। साथमें जमनालालजी की बम्बईकी पेढीके नाम एक हजार रुपयेकी हुंडी भी है। तुम यदि बम्बई न जाओ तो उसे कही भी भुना सकते हो। तुम्हे उसपर कोई बट्टा देनेकी जरूरत नही और यदि तुमसे बट्टा माँगा जाये तो तुम हुडी मुझे लौटा देना और लिखना कि तुम रुपये कहाँ मँगाना चाहते हो।

तुम कब जा रहे हो? यह राशि यूरोप-यात्राके लिए ही अंकित है, इसे किसी दूसरी मदमें नही लगाया जा सकता।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० ३२०३)की फोटो-नकलसे।

१८७. पत्र : दूधाभाईको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

भाई दूधाभाई,

मेरा विचार लक्ष्मीका सम्बन्ध किसी अन्त्यजेतर लडकेसे करनेका है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कदम उठाना ही चाहिए। अपना विचार लिखना। जवाब आश्रम लिख भेजोगे, तो चलेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३२४३) की फोटो-नकलसे।

१८८. पत्र : महावीर गिरिको

१८ मई, १९३१

चि० महावीर,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने इरादा बदलकर अच्छा ही किया है। वहीं रहकर अध्ययन करनेकी आदत डालना ठीक होगा। जब भी हो सके शिवाभाई आदिसे मदद लेना। मुझे पत्र लिखते रहना। अध्ययनकी क्या व्यवस्था की है, यह लिखना। अपने-आप अध्ययन करनेकी योग्यता होनी ही चाहिए। जिसमें ज्ञान-वृद्धिका शौक होता है उसे क्या पढ़े, कैसे पढ़ेका पता अपने-आप चल जाता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२२९)की फोटो-नकलसे।

१८९. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूँ कि तूने इस यात्राके दौरान चीजोको भली-भाँति देखा-परखा है। मैं चाहता हूँ कि किसन भी अपने अनुभव भेजे। वह अग्रेजी या मराठीमें लिखे।

लक्ष्मीपर खूब ध्यान देना। उसका विवाह किसी सवर्णके साथ करनेका विचार है। उसे उस घरके योग्य बनना चाहिए। उसे रसोई बनानी आनी चाहिए। घर-गृहस्थी चलाना आना चाहिए। हिसाब रखना जानना चाहिए। थोड़ी-बहुत सस्कृत जान ले तो अच्छा हो। सस्कृत न जाने तो भी प्रार्थनाके श्लोको और 'गीता'का शुद्ध उच्चारण करना तो उसे सीख ही लेना चाहिए।

इतना ज्ञान सभी लडकियोको प्राप्त कर लेना चाहिए। यह आवश्यक है कि लड़कियोकी पढाई की ओर ध्यान देना हम न भूले। मुझे विस्तारसे लिखना। लक्ष्मीके बारेमें तू अपना अनुभव लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५४)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ६७०२से भी।
सौजन्य : प्रेमाबहन कटक

१९०. पत्र : वसुमती पण्डितको

१८ मई, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र नही आया। फिर भी आज मौनवार है, इसलिए लिख रहा हूँ। नागरवाड़ा आदि स्थानोमें जाना शुरू कर दिया है क्या? चौकीपर अब एक ही बार जाना पडता होगा। मुझे २५ तारीखके आसपास बोरसद पहुँचनेकी आशा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२३)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५३९से भी।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१९१. पत्र : फूलचन्द के० शाहको

नैनीताल
१८ मई, १९३१

भाई फूलचन्द,

पट्टणी साहब लिखते हैं कि भावनगरमें तुमने जामनगरकी नीतिके बारेमें प्रस्ताव पास कराये और आलोचना भी की। यह हमारी नीतिके विरुद्ध माना जायेगा। यदि तुम इससे सहमत हो तो पट्टणीजी को लिख देना। भावनगरकी तरफसे हमें काफी सुविधाएँ मिलती हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका दुरुपयोग न हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८४३)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य. शारदाबहन शाह

१९२. तार : जयरामदास दौलतरामको[1]

नैनीताल
१८ मई, १९३१

जयरामदास दौलतराम
हैदराबाद (सिंध)

पहलेकी दूकानोंपर बिलकुल शान्तिपूर्ण धरना जारी रह सकता है, लेकिन जुर्माना-वसूलीके लिए नहीं।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०३) की फोटो-नकलसे।

१. जयरामदास दौलतरामके तारके उत्तरमें। तारमें उन्होंने बताया था कि मीरपुरखासमें सीलें तोड़कर विदेशी वस्त्रोंका नया स्टाक बाजारमें चोरी-छिपे बेचा जा रहा है; और फिर इस सम्बन्धमें यह आदेश तार द्वारा ही माँगा गया कि उक्त परिस्थितिमें यदि जुर्माना-वसूलीके लिए धरना देनेकी अनुमति हो तो क्या पहले निश्चित की गई सभी दुकानोंपर धरना दिया जाये। देखिए "पत्र: जयरामदास दौलतरामको", ७-५-१९३१।

१९३. पत्र : नारायणदास रत्नमल मलकानीको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मलकानी,

तुम्हारा पत्र मिल गया। तुमको अ० भा० च० स० की सिन्ध शाखाका मन्त्री नियुक्त करनेके प्रस्तावके बारेमें मुझे कोई जानकारी नही है। शकरलाल सघके काम-काजको लेकर मुझे तग नही करता। उसे जब भी मेरी रायकी जरूरत महसूस होती है, वह लिखकर पूछ लेता है। मुझे खुशी हुई कि तुमने हैदराबाद खादी-भण्डारकी काया-पलट कर दी है। कराचीमें एक केन्द्रीय भण्डार खोलनेकी बात मेरी समझमें नही आई। क्या वहाँ दो या तीन इस समय भी नही चल रहे है, जिनमें से एक मेरठ आश्रमकी ओरसे कीकीवहन द्वारा संचालित भण्डार भी है? यदि ये सभी भण्डार वहाँ चल रहे है, तो क्या केन्द्रीय भण्डार खोलना मौजूदा भण्डारोके काममें हस्तक्षेप करना नही होगा? तुम शकरलालकी रायके मुताबिक ही काम करना। कराचीकी योजना क्रियान्वित हो या न भी हो, तुम्हारे बारेमे तो मै यही चाहूँगा कि तुम किसी गाँवमें बस जाओ। गाँवके कामको मै शहरोके कामसे ज्यादा अह-मियत देता हूँ। लेकिन गाँवमे तुम्हारा बसना तभी हो सकता है जब चोइथराम और जयरामदास भी उससे सहमत हो। मै हमेशासे महसूस करता आया हूँ कि यदि घर-घर व्यवस्थित रूपसे लगातार प्रचार किया जाये तो वह धरनेसे कही अधिक कारगर सिद्ध होगा। बडी इच्छा है कि मै तुम्हारा अनुवाद पढ और समझ सकूँ।

बापू

श्री नारायणदास र० मलकानी
मार्फत सिन्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
हैदरावाद (सिन्ध)

अग्रेजी (जी० एन० ८९८) की फोटो-नकलसे।

१९४. पत्र : कमर अहमदको[1]

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। वर्तमान गतिरोधको दूर कर सकनेवाले हर कदमका मैं स्वागत करूँगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसे दिलसे नहीं किया जा रहा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी (जी० एन० ५११९) की फोटो-नकलसे।

१९५. पत्र : डेनिस सी० ट्रॉथको[2]

नैनीताल
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि आप जो लेख चाहते हैं, उसे लिखने लायक समय मैं नहीं निकाल पाऊँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७००३)की माइक्रोफिल्मसे।

१. आपकका नाम जी० एन० रजिस्टरसे दिया गया है।
२. पैन्सिल्वानिया (अमेरिका) के स्टेट कालेजमें शिक्षा एवं मनोविज्ञानके प्राध्यापक।

१९६. पत्र : शैलेन्द्रनाथ घोषको

नैनीताल
१९ मई [१९३१][1]

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए मेरी ओरसे धन्यवाद।[2] मैं आपकी इस उत्कट इच्छाकी कद्र करता हूँ कि मैं अमेरिका जाऊँ। परन्तु मैं अबतक अपने अन्दर उस यात्राके लायक साहस नहीं बटोर पाया हूँ और आपने देखा ही होगा कि अनेक मित्र मुझे इस यात्रासे विरत कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि अबतक तो मेरी लन्दन-यात्रा तक अनिश्चित है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०१३)की फोटो-नकलसे।

१९७. पत्र : दुर्गाप्रसन्न चटर्जीको

नैनीताल
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।[3] आपने जिस मामलेका उल्लेख किया है, उसमें मैं कोई भी सहायता करनेमें समर्थ नहीं हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बंगालकी संकटपूर्ण आर्थिक स्थितिसे निबटनेका एकमात्र तरीका निस्सन्देह प्रतिनिधित्व हासिल करना ही नहीं है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७१)की माइक्रोफिल्मसे।

१ और २. शैलेन्द्रनाथ घोषके लिखे पत्रसे वर्ष निश्चित किया गया है। पत्र-लेखकने लिखा था "ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री और आपकी आगामी वार्ताओंके लिए अमेरिकाका क्या महत्त्व हो सकता है, यह आप इस देशमें आनेपर ही समझ पायेंगे। अमेरिकाके महत्त्वका अनुमान आप इस तथ्यसे कर सकते हैं कि ब्रिटेनके बड़ेसे-बड़े नेता — चर्चिल, वॉल्डविन और अनेक अपेक्षाकृत कम बड़े लोग — भारतके सम्बन्धमें भाषण करने अगले शरद्कालमें इस देशमें आ रहे हैं। . . . आपकी वार्ताओंकी सफलताके लिए — भारतके हितके लिए — यह नितान्त वांछनीय है कि आप लन्दन परिषद्के बाद इस देशमें आनेका विचार पक्का कर लें। . . ."

३. दुर्गाप्रसन्न चटर्जीने लिखा था: "हिदायत कीजिए कि आगे अमलमें लाये जानेवाले भारतीय संवैधानिक सुधार विधानों, मताधिकार समिति और दूसरी गोलमेज परिषद्के सिलसिलेमें बेचारे बंगाली दूकानदारोंकी नितान्त असहायतापूर्ण स्थितिमें उनके लिए कौन-सा मार्ग अपनाना सर्वोत्तम रहेगा। . . ." मुझे लगता है कि "आर्थिक मन्दीके बढ़ते हुए बोझके बारेमें आवाज उठाने लायक सक्षम प्रतिनिधियोंके न होनेके कारण बंगाली व्यावसायिकोंकी स्थिति क्षोभजनक बन गई है। . . ."

१९८. पत्र : गुलशन रायको

नैनीताल
१९ मई [१९३१][1]

प्रिय मित्र,

आपके पत्र और कतरनोंके[2] लिए धन्यवाद। मैं उनको ध्यानपूर्वक देख लूँगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७६)की फोटो-नकलसे।

१९९. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

नैनीताल
१९ मई, १९३१

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

आपका इस महीनेकी १६ तारीखका पत्र[1] मिल गया। मुझे श्री एमर्सनसे ऐसे एक और मामलेपर भी बात करनी है। मैंने देख लिया है कि अध्यादेश ९ के मातहत

१. वर्षका अनुमान गुलशन रायके पत्रके आधारपर किया गया है। उसपर तिथि १५-५-१९३१ पड़ी है।

२. गुलशन रायने बर्माको पृथक् करने, पंजाबके विभाजन और अल्पसंख्यक या साम्प्रदायिक समस्याके सम्बन्धमें ट्रिब्यूनमें प्रकाशित अपने लेख गांधीजी के विचारार्थ संलग्न किये थे। उन्होंने लिखा था: "मेरा विश्वास है कि जबतक पंजाब और बंगालमें मुसलमानोंको एक कारगर बहुमत बनाये रखनेका आश्वासन नहीं दिया जायेगा, तबतक इन दोनों प्रान्तोंकी साम्प्रदायिक समस्या कभी हल नहीं होगी। इन परिस्थितियोंमें बंगालके चटगाँव, ढाका और राजशाही डिवीजनोंको लेकर एक पृथक् प्रान्त गठित करना ज्यादा अच्छा रहेगा। उस सूरतमें पूर्वी बंगालमें मुसलमान लगभग ७० प्रतिशत होंगे और पश्चिमी बंगालमें हिन्दुओंका बहुमत रहेगा। इसी प्रकार यदि पंजाबसे अम्बाला डिवीजनको पृथक् कर दिया जाये, तो शेष पंजाबमें मुसलमान जन-संख्या ५६ से बढ़कर ६५ प्रतिशत हो जायेगी। और यदि पंजाब और पूर्वी बंगालके नव-गठित प्रान्तोंमें मुसलमानोंको कारगर बहुमत मिल जाये तो मुझे पूरा यकीन है कि संयुक्त निर्वाचक मण्डलोंको स्वीकार करनेमें उनको कोई कठिनाई नहीं होगी।"

३. डॉ० गोपीचन्द्र भार्गवने खादी-भण्डार, पेशावरके प्रबन्धकसे मिली यह सूचना गांधीजी के पास भेजी थी कि सरकारने १९३० में उक्त प्रबन्धकका सारा माल, बहियाँ और १९८ रुपये सहित रोकड़की पेटी और प्रबन्धकके निजी इस्तेमालकी चीजें जब्त कर ली थीं। और अब समझौता होनेके बाद भी केवल एक चौथाई माल और टूटी हुई हालतमें रोकड़की पेटी लौटाई गई है। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध किया था कि श्री एमर्सनके साथ इस मामलेपर बातचीत की जाये।

हर्जानेका कोई सवाल नही उठाया जा सकता। इसलिए हर्जाना पानेकी मुझे कोई गुंजाइश नही दिखाई पड़ती।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७८)की माइक्रोफिल्मसे।

२००. पत्र: बोधराजको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय लाला बोधराज,[1]

लाला लोकनाथके बारेमे आपका पत्र[2] मिला। क्या आप उनके मुकदमेके पूरे विवरणकी एक प्रति मुझे भेज सकेंगे? तब मै सोचूंगा कि क्या किया जा सकता है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७०७९)की माइक्रोफिल्मसे।

२०१. पत्र: एम० आई० डेविडको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

आपका १४ तारीखका पत्र मुझे मिल गया। देख रहा हूँ कि आप सद्भावनाके अपने कार्यक्रमको आगे बढानेमे लगे है। आप जानते है कि मुझे आपके इस सराहनीय प्रयत्नके प्रति पूरी सहानुभूति है और अभी मुझे लगता है कि हम दोनोंके इस समान उद्देश्यको मै ज्यादा-से-ज्यादा बल इसी तरह पहुँचा सकता हूँ कि मै 'यग इडिया' में उसके बारेमें कोई ऐसी बात न लिखूं जो आपके आडे आती हो। मै लज्जाके साथ यह स्वीकार करता हूँ कि मैने यूरोपीय युवको द्वारा लॉर्ड इर्विनके नाम लिखा गया पत्र अबतक नही देखा है। इसलिए उसकी एक प्रति भेजनेकी कृपाके लिए मै आपका आभारी हूँ। निस्सन्देह, वह एक बडा अच्छा पत्र है। लॉर्ड इर्विनका उत्तर योग्य ही है।

१. अध्यक्ष, मुलतान नगर, काग्रेस कमेटी।

२. बोधराजने गाधीजी को सूचित किया था कि नेकचलनीका जाती मुचलका देनेसे इनकार करनेवाले मुलतानके लाल लोकनाथको समझौतेके बाद भी जेलमें रखा जा रहा है, जब कि उसी तरहके एक मुकदमेमें सजा पाये शामदासको रिहा कर दिया गया है।

मैं समझता हूँ कि प्रस्तावित घोषणापत्र अबतक एक निजी दस्तावेज ही बना हुआ है। उचित व्यापार और रहन-सहनकी परिस्थितियोंके सम्बन्धमें किये गये उल्लेख की और गहराईसे जाँच करनेकी जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आपको मालूम होगा कि घोषणापत्रमें ग्रेट ब्रिटेनवासी भारतीयोंके जो अधिकार गिनाये गये हैं वे वहाँ उनको प्राप्त नहीं हैं। दक्षिण आफ्रिकामें की जानेवाली भारतीयोंकी माँगों और भारतमें यूरोपीयों द्वारा उठाई जानेवाली माँगोंमें कोई साम्य नहीं है। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय सामाजिक, व्यावसायिक और वैधानिक निर्योग्यताओंसे पीड़ित हैं और वहाँ उनको हीन प्राणी समझा जाता है। इसलिए वहाँके भारतीय समानताके दर्जे पर प्रतिष्ठित किये जानेकी माँग करते हैं; जब कि भारतमें यूरोपीयोंको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनकी ओरसे समानताके दर्जेकी माँग करनेका अर्थ होगा कि उनके विशेषाधिकारोंको बरकरार रखा जाये। इसलिए जब भारतमें उसका अपना राज्य बनेगा, तो यूरोपीयोंको असुविधाजनक लगेगा ही; क्योंकि न्यायपूर्ण यही होगा कि उनके विशेषाधिकार वापस ले लिये जायें। इस बातके अलावा, स्वतन्त्र भारतमें यूरोपीयोंको किसी हानिका कोई भय नहीं होगा, इतना ही नहीं उनकी सूझबूझ और उनकी योग्यताके कारण वे सदा ही राज्यके लिए बड़े उपयोगी नागरिक बने रहेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९५)की फोटो-नकलसे।

२०२. पत्र : सुखेन्दुविकास चौधुरीको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

क्या मैं आपके पत्रको सार्वजनिक रूपसे प्रकाशित कर सकता हूँ? क्या उसमें उल्लिखित तथ्योंको आप सिद्ध कर सकते हैं?

श्रीयुत सुखेन्दुविकास चौधुरी
पाटिया, जिला चटगाँव

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९६)की माइक्रोफिल्मसे।

२०३. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके 'पुनश्च' में लिखा तो था कि अपने सबसे बादके पत्रकी प्राप्ति-स्वीकृति पानेका आपको कोई आग्रह नही, पर मुझे थोडा समय मिल गया है और मै आपको बतलाना चाहता हूँ कि स्वयं मेरी ओरसे या कार्य-समितिके अन्य सदस्योकी ओरसे आपके प्रति समुचित सम्मान न दिखानेकी अपनी किसी भी आशकासे आपको बिलकुल भी दुखी नही होना चाहिए। बात दरअसल यह है कि देशकी जनताके दिमागको परेशान करनेवाले आजकलके मसलोके बारेमे आपसे उनका मतभेद है। और जिनके साथ आपका मतभेद है, भले ही वे आपके साथ मतैक्यके इच्छुक हो, उनको आप कोई दोष कैसे दे सकते है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री सी० विजयराघवाचारियर
फेयरीफाल्स व्यू
डाकखाना-कोडाईकनाल आब्जर्वेटरी

अग्रेजी (एस० एन० १७०९८)की फोटो-नकलसे।

२०४. पत्र : किर्बी पेजको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आप और अन्य मित्रोंने जो तार भेजा है, मैं उसकी दिलसे कद्र करता हूँ। तार न आता तो भी अमेरिका जानेका फिलहाल मेरा कोई विचार नहीं था।[1] लेकिन हाँ, उसके बाद आपके तार और अन्य पत्रोंने सिद्ध कर दिया है कि मेरी अनिच्छाका आधार काफी पुष्ट था।

हृदयसे आपका,

श्री किर्बी पेज
न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७०९९)की फोटो-नकलसे।

२०५. पत्र : बॉयड टुकरको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय बॉयड,

आपका पत्र मिल गया। अब मैं ज्यादा अच्छी तरह समझ पाया हूँ कि मेरी प्रस्तावित लन्दन-यात्रामें आप मेरे साथ क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन अभीतक मेरे न तो लन्दन जानेकी कोई सम्भावना दिखती है और न अमेरिका जानेकी ही। अमेरिका-यात्राकी सम्भावना तो और भी कम है। मिशनरियोंके कार्य-कलापके सम्बन्धमें आपका पत्र[2] मैं निश्चय ही प्रकाशित करूँगा।

श्री बॉयड टुकर
मार्फत पोस्टमास्टर
श्रीनगर (कश्मीर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१००)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-५-१९३१ का उपशीर्षक "अमेरिका जानेकी अफवाह"।
२. देखिए "ईसाई मिशन", २८-५-१९३१।

२०६. पत्र : के० टी० मैथ्यूको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने जिन पत्रो और काग़जातका उल्लेख किया है, वे मुझे मिले थे—यह मुझे याद है। मैंने कोई भौतिक सुझाव नही दिया था। दोनों प्रतिस्पर्धी सस्थाओके सदस्य मुझसे मिले थे और मैंने उन दोनोको एक कर देनेके विचारका निश्चय ही अनुमोदन भी किया था। मिलकर बना हुआ नया सगठन काग्रेसके तत्वावधानमे रहे या नही—इसका निर्णय एकीकरण समितिपर छोड दिया गया था। आपके पत्रमे मुझे ऐसी कोई बात नही दिखती, जिसके आधारपर राय बदलनेकी जरूरत हो।

हृदयसे आपका,

श्री के० टी० मैथ्यू
महामन्त्री
अखिल भारतीय राज्य प्रजा-परिषद्
कुन्नमकुलम (कोचीन राज्य)

अग्रेजी (एस० एन० १७१०१)की माइक्रोफिल्मसे।

२०७. पत्र : निरंजन पटनायकको

स्थायी पता, साबरमती
१९ मई, १९३१

प्रिय निरजन,

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है तुम शीघ्र ही पैसोंकी परेशानीसे छुटकारा पा लोगे।

अभी इस समय तो मेरे लन्दन जानेके कोई आसार ही नही दिखते; फिर वहाँ सचिवालय बनानेकी तो बात ही नही उठती। मैंने अभीतक इसपर सोचा ही नही है कि मै अपने साथ कितने सचिव ले जाऊँगा। तुमने जिस उक्तिको मेरी कहकर उद्धृत किया है, उसकी मुझे याद नही पडती। अगर मैंने यह कहा भी होगा तो अधिक सम्भावना यही है कि विनोदमें कहा होगा, अन्य किसी रूपमें नही।

लन्दनमें उत्कल-सचिवका क्या काम होगा? विभाजनका वास्तविक कार्य तो यहीं होगा, लन्दनमें नहीं।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री निरंजन पटनायक
मार्फत उद्योग मन्दिर
बरहमपुर, बी० एन० रेलवे

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०२)की माइक्रोफिल्मसे।

२०८. पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

नैनीताल
१७ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

लुधियानामें हुए लाठी-चार्ज[1]का सलग्न विवरण लुधियाना काग्रेस कमेटीके एक सदस्यने भेजा है। जाहिर है, उसे प्रकाशनके लिए ही मेरे पास भेजा गया है। वैसे समझौतेसे उस घटनाका सीधा सम्बन्ध तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि समझौते की भावना ऐसे काण्डोंको रोकनेमें कारगर होनी चाहिए। यदि आप मेरी बातसे सहमत हों, तो उसकी जाँच करानेकी कृपा करें। आपका उत्तर मिलनेके बाद ही मैं उसका ब्योरा प्रकाशित करूँगा। पूरे काण्डका आँखों देखा हाल बतलानेके लिए ही एक व्यक्ति लुधियानासे कालका तक आया था।

हृदयसे आपका,

सलग्न: १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल सख्या, १६-बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. मईकी १६ तारीखको हुए; देखिए खण्ड ४७, 'क्या समझौता टूट रहा है?", ९-७-१९३१।

२०९. पत्र : नारणदास गांधीको

नैनीताल
१८/१९ मई, १९३१

चि० नारणदास,

अभी नैनीताल पहुँचे है। किन्तु मौनके कारण शान्ति है। इसलिए कुछ डाक निबटानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। पुरुषोत्तमका पत्र पढ़ा। वकील कौन है यह मालूम होना चाहिए। उनके साथ सम्बन्ध तोडनेमे जल्दबाजी तो नही हुई? यहाँ दूर बैठे होनेसे कुछ समझमे नही आता। पुरुषोत्तमकी माँगोका प्रबन्ध तो कर ही दिया होगा।

पजाबी वैद्यकी सफलता-असफलताकी खबर देना।

मुझे लगता है कि हम २५ के आसपास बोरसद पहुँच जायेंगे। बुधवारको और अच्छी तरह मालूम हो जायेगा।

प्रभुदास और धीरू आ गये है। रामभाऊ अभी आनेवाला है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :][1]

रामभाऊ कल शामको आ गया।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो : श्री नारणदास गांधीने तथा सी० डब्ल्यू० ८१६१ से भी।
सौजन्य : नारणदास गाधी

२१०. पत्र : माधवजी वी० ठक्करको

२० मई, १९३१

चि० माधवजी,

तुम्हारा पत्र मिला है और सुरेन्द्रका भी। समाचार दु:खद है, पर ऐसी जागृतिके समय इस तरहकी घटनाएँ होती रहेगी। हम नाम नही दे सकते क्योकि हो सकता है कि निर्दोष मारे जाये। नाम देनेसे विश्वासघात भी होता है और विश्वासघात करनेसे कभी भी धर्मका पालन हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण मेरे ख्यालमें तो नहीं आता। हमपर विश्वास करके कोई व्यक्ति अपना दोष कबूल कर जाये, यह एक बात है। पर किसी भी मनुष्यके अपराधकी खबर हमे परोक्ष रीतिसे मालूम हो, यह दूसरी

१. यह १९ मईको जोडा गया था।

बात है। परोक्ष रूपसे प्राप्त खबरका उपयोग कई प्रसंगोमें धर्म हो सकता है, किन्तु यहाँ तो ऐसा करना धर्म है ही नहीं। इसलिए तुम्हारा कर्त्तव्य तो जिस तरह हो सके उस तरह अभी उपद्रव करनेवालोमें सुधार करना ही बच रहता है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

यहाँसे दो-तीन दिनमें या कल ही गुजरातके लिए रवाना हो जायेंगे।

गुजराती (जी० एन० ६८१५)की फोटो-नकलसे।

२११. भाषण : नैनीतालमें

२० मई, १९३१

महात्माजी ने मानपत्रके उत्तरमें गवर्नरके[1] साथ हुई अपनी भेंटका उल्लेख करते हुए कहा कि उस जैसी परिस्थितिमें उनकी जैसी स्थितिवाला व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं बतला सकता; हालाँकि जनता उनसे बहुत-कुछ जानना चाहती होगी। उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस जबतक दूसरी कोई नीति तय नहीं करती, तबतक अहिंसाका पालन करते रहना ही जनताका कर्त्तव्य है। उन्होने नागरिकोसे पूछा कि दो वर्ष पूर्व दिया गया खद्दरके प्रचार-कार्यका अपना वचन पूरा करनेके लिए उन लोगोने क्या किया है। उन्होंने खद्दरका महत्त्व समझाते हुए बताया कि वह स्वराज्य-प्राप्तिमें किस तरहसे सहायक हो सकता है और कहा कि उसके बिना देशको स्वतन्त्र करना सम्भव नहीं होगा। उन्होने जनताको समझाया कि गोलमेज परिषद्में जाकर बैठ जाने-भरसे वह सब-कुछ हासिल नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए कांग्रेस लड़ रही है, वह तो तभी होगा जब लोग स्वराज्य-प्राप्तिकी सबसे पहली शर्त पूरी कर दिखायें, अर्थात् अपने कर्त्तव्यसे किंचित् भी न डिगें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २२-५-१९३१

१. देखिए परिशिष्ट ७।

२१२. कांग्रेसका मतदाता

एक भाई पूछते है :-

कांग्रेस कमेटियोंके चुनावके मौकेपर

१. क्या कांग्रेसका उम्मीदवार कांग्रेसके नये सदस्य बनाकर उनकी ओर से चार आनेका चन्दा खुद दे सकता है?

२. क्या मत प्राप्त करनेके लिए उम्मीदवार अपने खर्चसे मतदाताओंके लिए सवारी भेज सकता है?

३. क्या मतदाताओंको प्रसन्न करनेके लिए उम्मीदवार उनकी मेजबानी कर सकता है?

४. क्या आदतन खादी न पहननेवाला कोई मतदाता मत दे सकता है?

ये बड़े उपयोगी और सामयिक प्रश्न है। पहले तीन प्रश्नोपर मेरा यह जवाब है कि यह है तो बडी ही निन्दनीय प्रथा है, फिर भी मुझे लगता है कि इसे काग्रेसके सगठनमे या उपनियमोमे रोकनेका कोई प्रवन्ध नही है। चौथे प्रश्नके उत्तरमें मै साफ 'नही' कहता हूँ। यानी, यदि उम्मीदवार चाहे तो सदस्योकी ओरसे स्वय चन्दा दे सकता है, उनके लिए सवारी भेज सकता है, और उन्हे यह समझानेके लिए कि वे उसीको मत दें, उनकी मेजवानी कर सकता है, परन्तु मै यह आशा अवश्य रखता हूँ कि उम्मीदवार अपनी खातिर, और काग्रेस और देशकी खातिर रिश्वत या अनुचित समझी या मानी जानेवाली किसी वातका आश्रय नही लेगे। काग्रेस कमेटियोके सदस्य बननेकी सनकको मै कभी समझ नही सका; क्योकि इस प्रकार बनी हुई काग्रेस कमेटियाँ सेवाका साधन बननेके बजाय सहज ही उपद्रव और असेवाके साधन वन सकती है। सदा खादी पहननेके सम्बन्धमे तो इस नियमका पालन कम और उसका भंग ही अकसर होता है, इसमें शक नही। यह एक अजीव वात है कि सदा खादी पहननेवाले—जो हजारोकी सख्यामें है—कांग्रेसका सदस्य बननेकी परवाह नही करते और जो काग्रेसके सदस्य है वे खादी पहननेका कष्ट नही उठाते। इस ढिलाईका कारण यह है कि जुदा-जुदा पक्षोकी ओरसे अन्तिम क्षणतक सदस्य वनानेके लिए आदमी लाये जाते है, जो चुनाव खत्म होनेके वाद फौरन ही गायब हो जाते है। नये चुनाव या उपचुनावके लिए भी नई फेहरिस्त बनाई जाती है। इस दुःखद स्थितिके रहते हुए भी काग्रेसकी शक्ति दिन-व-दिन वढती जा रही है। वह अधिकाधिक लोकप्रिय बनती जा रही है। वह अधिकाधिक जन-समूहोको अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी आज्ञाओका पालन जनताका एक वडा भाग तत्परताके साथ करता है। इस स्थितिके कारणकी जाँच करनेसे यही मानना पडेगा कि कांग्रेसके प्रतिनिधि भले लापरवाह हों, फिर भी किसी भी तरह क्यो न हो, काग्रेस जनसाधारण की आवश्यकताओ और आकाक्षाओका समर्थन करती है, और वाणी द्वारा उसे प्रकट

करती है। इन आम लोगोंपर ऐसे प्रतिनिधियोंके बेजा बरतावका कोई असर नहीं पड़ता। वे तो अपने प्रतिनिधियोंकी लियाकतकी जाँच किये बिना या उस ओर ध्यान दिये बिना काग्रेसका, उसके ध्येयके खातिर ही, समर्थन करते हैं। यदि मेरा यह विश्लेषण सच हो, तो इससे जो नसीहत मिलती है, वह स्पष्ट है। इन पत्र-लेखकने जिन निन्दनीय प्रथाओंका जिक्र किया है, यदि ये और ऐसी प्रथाएँ बन्द न हुईं तो काग्रेसकी जो शक्ति आज है, वह कायम न रहेगी। काग्रेसके कार्यकर्त्तागण इसके प्रति सदा उदासीन नहीं रह सकते।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१३. टिप्पणियाँ

धरने

काग्रेसवालोंको जानना चाहिए कि भारत सरकारके पास प्रान्तीय सरकारोंकी ओरसे इस तरहकी शिकायतें आती रहती हैं कि धरना हमेशा शान्तिपूर्ण नहीं होता। मैं नहीं जानता कि ये शिकायतें कहाँतक सच हैं। परन्तु सरकार खुद समझौतेकी बातोंका किस तरह पालन करती है, इसका विचार किये बिना जो बातें हमसे सम्बन्धित हैं, हमें उनके पालनमें अधिक-से-अधिक सख्ती बरतनी चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जितने अधिक सख्त बनेंगे उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ेगी। इसलिए जो बातें मैं पहले कह चुका हूँ[1] फिर दोहराए देता हूँ:

१. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरहकी भी जोर-जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए।

२. धमकीका आभास भी नहीं होना चाहिए, इसलिए एक जगह पर एक समयमें पाँचसे अधिक धरनेवाले नहीं रहने चाहिए।

३. विनम्र अनुरोध करने और प्रचार-साहित्य बाँटनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए।

४. विदेशी कपड़ेके व्यापारियों द्वारा बदाखिलाफी किये जानेपर काग्रेस कमेटियोंको उनपर जुर्माना नहीं करना चाहिए।

५. विदेशी कपड़ा खरीदनेवालोंपर आवाजें नहीं कसनी चाहिए।

६. खरीदारोंके चारों ओर घेरा बाँधकर खड़े नहीं होना चाहिए।

७. विदेशी कपड़ा ले जानेवाले ग्राहकों या गाड़ियोंका रास्ता रुके, इस ढगसे रास्तेमें नहीं लेटना चाहिए।

जिनका यह खयाल हो कि इस तरहके मर्यादित धरनेसे कोई लाभ नहीं होगा, वे धरना देना छोड़ दें, और अपनी आँखोंके सामने विदेशी कपड़ा बिकने देनेकी जोखिम उठायें। विदेशी कपड़ेकी बिक्री रोकनेके लिए यदि हमें समझौतेके शब्दार्थ

१. देखिए खण्ड, ४५, "टिप्पणियाँ", १५-३-१९३१ का उप-शीर्षक "धरना देनेवालोंसे"।

या भावार्थको भंग करना पड़े तो इससे बेहतर तो यह होगा कि विदेशी कपड़ा बिकने दिया जाये।

विदेशी कपड़ेका बहिष्कार आखिर तभी सफल होगा, जब कांग्रेसका सन्देश जन-साधारणतक पहुँचेगा और खादीकी भावना उनमें व्यापेगी। प्रचार और उत्पादन का असली काम तो गाँवोमे पड़ा है।

हमें याद रखना चाहिए कि हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार उसके अत्यन्त महत्व-पूण आर्थिक और सामाजिक परिणामोंके लिए करते हैं! फिर ब्रिटिश कपड़े या सूतके बहिष्कारकी जितनी आवश्यकता है, उतनी ही जापानी या इटालियन कपडे और सूतके बहिष्कारकी भी है। सच पूछा जाये तो जापानी कपड़ेके बहिष्कारकी अधिक आवश्यकता है, क्योकि उसकी खादी और स्वदेशी मिलोके कपड़ेके साथ अधिक होड़ रहती है। हमें जापानसे द्वेष नही है। हम विदेशी कपड़ेका बहिष्कार इसलिए करते हैं कि यह हमारे राष्ट्रकी एक आर्थिक आवश्यकता है।

ऊपर जो बाते मैंने धरनोंके सम्बन्धमें कही है, वे शराबकी दूकानोंके धरनो पर भी उसी तरह लागू होती है। उसकी अन्तिम सफलता इसपर निर्भर करती है कि कांग्रेसका सन्देश शराब पीनेवालोंके घरतक पहुँचे।

समझौता और कैदी

बहुतेरे प्रान्तोसे मेरे पास शिकायतें आ रही है कि इर्विन-गाधी समझौतेके अनुसार जिन कैदियोकी रिहाई होनी चाहिए थी, उनकी अभीतक रिहाई होना बाकी है। उन प्रान्तोंकी सरकारे कहती है कि उनपर समझौतेकी शर्तें लागू नही होती। ऐसे मामलोमें राहत पानेका एकमात्र उपाय यह है कि हर मुकदमेकी कार्रवाईका अलग-अलग अध्ययन किया जाये। इसलिए जिन समितियोने मेरे पास फेहरिस्तें भेजी है, उन सबसे मै कहूँगा कि वे स्वयं मुकदमोकी जाँच करें और जहाँ उन्हे सन्तोष हो जाये कि कागज-पत्रोसे जहाँ हिंसा (न कि केवल कानूनी शब्दार्थके अनुसार हिंसा या वैसी हिंसाके लिए भडकाना) सिद्ध होती है, उन मामलोको फिलहाल अलग रखें। जहाँ स्थानीय जाँचसे यह मालूम हो कि हिंसा या हिंसाके लिए भड़काना सिद्ध नही होता है, उनके कागज-पत्र मेरे पास भेजे जायें, मै स्वयं उनकी जाँच करूँगा और जहाँ जरूरत होगी, उनकी रिहाईके लिए किसी सेवाभावी वकील और समाचारपत्रोकी सहायता लूँगा। जानकारोंको किसी खास कैदीकी निर्दोषताके बारेमें विश्वास हो, तो भी इतना याद रखना चाहिए कि समझौतेकी इस सम्बन्धकी शर्तके अर्थानुसार हम केवल मुकदमेके कागज-पत्रोका ही सहारा ले सकते है। जिनके विरुद्ध कार्रवाईके कागज-पत्रोसे हिंसा सिद्ध नहीं होती, उनकी रिहाईकी माँग हम पेश कर सकते है। श्री राजवाडेका मामला ऐसा ही था।

दूसरे कैदी और उनके मित्र इस आश्वासनपर ही सन्तोष करे कि यदि अन्तिम समझौता हुआ तो उनकी रिहाई अवश्य होगी, और यदि सब तरहकी कोशिशें करने पर भी समझौता टूट गया तो उनके पुराने साथी फिरसे उनके बीच पहुँच जायेंगे। परिणामकी प्रतीक्षा उन्हे अधिक समयतक नही करनी पडेगी।

गरीबोंका नमक

इर्विन-गांधी समझौतेकी नमक-कानूनकी छूटवाली धारापर किस तरह अमल हो रहा है, यह लोगोंको अभीतक मालूम नहीं है। इसका मुझे दुःख है। मैंने सरकारको सुझाव दिया है कि वह स्पष्ट हिदायतें जारी कर दें, जिससे लोग जान सकें कि वे क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता आशा रखे कि कुछ ही समयमें ये हिदायतें प्रकाशित हो जायेंगी।[1]

अमेरिका-यात्रा[2]

डॉ० हैरी वार्ड लिखते हैं :

अन्य लोगोंके साथ मैंने आज जो तार आपको भेजा है, उसमें कुछ और शब्द जोड़नेकी अनुमति चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो उस तथ्यपर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ कि आपके इस देशमें आगमनके विरुद्ध मैंने जो दलील दी थी वह अब भी बल्कि अब कहीं अधिक वजन रखती है। हमारे यहाँके समाचारपत्र दिन-दिन अधिक सनसनी फैलानेवाले [माध्यम] बनते जा रहे हैं। उनमें आपकी गलत तसवीर पेश की जायेगी और सनसनी फैलानेकी टोहमें रहनेवाले हमारे देशके लोग उसका अनुचित लाभ उठायेंगे। और तब जीवनके तौर-तरीके बेहतर बनानेमें सहायता देनेकी आपकी शक्ति यदि विफल नहीं तो बहुत ही कम अवश्य हो जायेगी। परन्तु आपके आगमनके विपक्षमें एक दूसरा कारण इससे भी अधिक वजनदार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके यहाँ आनेसे लन्दन-वार्तामें भारतका पक्ष कुछ कमजोर ही पड़ जायेगा। अमेरिकाके प्रति इंग्लैंडमें एक छिपा हुआ आक्रोश मौजूद है, जो ऊपरसे नहीं दिखाई देता। यह इंग्लैंडमें आर्थिक गिरावट और हमारा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो जानेके कारण है। आक्रोशकी यह भावना ब्रिटिश नीतिके सम्बन्धमें दिये जानेवाले किसी भी वक्तव्यको लेकर फूट पड़ने में कभी नहीं चूकती। यही कारण था कि पिछले वर्ष हममें से कुछ लोगोंने जब मैकडॉनल्डके नाम की गई इस सर्वथा निर्दोष अपीलपर अपने हस्ताक्षर किये थे कि वे आपके साथ व्यक्तिगत तौरपर मुलाकात करके किसी समझौतेपर पहुँचनेकी कोशिश करें तब इंग्लैंडके धर्माचार्योंने हस्ताक्षरकर्त्ताओंकी खास तौरपर और अमेरिकाकी आमतौरपर काफी आलोचना की थी। और ब्रिटिश समाचारपत्रोंमें भी राष्ट्रवादी आन्दोलनोंके प्रति हमारी सहानुभूतिको लेकर बड़ी शिकायतें की गई थीं। और चूंकि यहाँ इस देशमें ब्रिटिश प्रचारका परिस्थितिपर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमसे कहा गया कि हम लोग राष्ट्रवादी प्रचारके जालमें फँस गये हैं। इसलिए

१. देखिए "नमक", २८-५-१९३१।
२. देखिए "टिप्पणियाँ", १४-५-१९३१ के अन्तर्गत उपशीर्षक "अमेरिका जानेकी अफवाह"।

आप सहज ही समझ सकते हैं कि आपके यहाँ आनेपर भारतके साथ सहज सहानुभूति व्यक्त किये जानेपर भी लन्दनमें जो प्रतिक्रिया होगी, वह आपके काफी आड़े आ सकती है।

"गुड फ्राइडे" उन्होंने कैसे मनाया?

फादर एल्विनने मीरा बहनको लिखा है:

मैंने सोचा कि मैं तुमको बतला दूं कि मैंने "गुड फ्राइडे" के तीन घंटे कैसे बिताये। गिरजेमें मैं नहीं गया बल्कि अपनी कोठरीमें बैठकर कताई करता रहा। उसमें से जरा-सा सूत मैं भेज रहा हूँ — बहुत घटिया किस्मका है, मैं जानता हूँ — किन्तु यह एक प्रतीकके रूपमें है। कताई करते समय ईसाके क्रूसारोहण पर चिन्तन करता रहा। — शोषणकी सूलीपर खिंचे ईश्वरके उन दीनोंकी असहाय युग-युगकी पुकार, पुकार "भूखा हूँ, प्यासा हूँ" और जिनको चरखेका प्रेमसंदेश राहत दे सकता है, उन गरीबोंके आश्चर्यजनक अपार धैर्यका नाद "परम पिता उनको क्षमादान दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं" — इन सबके साथ ईसाका क्रूसारोहण अत्यन्त सुसंगत जान पड़ा और तब लगने लगा कि चरखा हमारे गरीबोंके साथ और हमारे ईश्वरके साथकी एकात्मकताका दुहरा प्रतीक बन गया है। कितना अच्छा हो कि लोग आम तौरपर "गुड फ्राइडे" इसी तरह मनाने लगें। आत्मशुद्धिकी यह एक सच्ची अनुभूति थी।

फादर एल्विन द्वारा भेजा गया सूत मैंने देख लिया है। उसकी किस्म उतनी घटिया नहीं, जितनी कि वे समझते हैं। उसे बुना जा सकता है। वह लगभग २० नम्बरका सूत है। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि इस त्यागपूर्ण कर्मके पीछे प्रेम और समर्पणकी जो उत्कट भावना है, उसे देखते हुए किस्म घटिया ही है। परन्तु एक लम्बे अर्सेतक निरन्तर और नियमित अभ्यासका अभाव एक ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति प्रेम और निष्ठासे ही नहीं की जा सकती, भले ही वह अत्यन्त उत्कट ही क्यों हो। इसलिए मैं फादर एल्विनकी आत्म-भर्त्सनाभरी इस उक्तिसे यदि सहमत भी हुआ हूँ तो आलोचकके नाते नहीं, बल्कि सिर्फ इसी ख्यालसे कि मैं चरखा अपनानेके लिए प्रेरित होनेवाले लोगोंसे कहना चाहता हूँ कि उनको धागा निकालने-भरसे सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए; क्योंकि इस प्रकार निकाला हुआ धागा उसी तरह सूत नहीं होगा जैसे खींचा हुआ प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। समकोण तभी हो सकता है जब वह ९० अंशका हो, इसी प्रकार सूत इकसार और इतने कसवाला होना चाहिए कि उसे आसानीसे बुना जा सके; नम्बर उसका कोई भी हो। इकसार और ठीक कसवाला सूत कातनेवाला अपने-आप कम-से-कम छः नम्बरका सूत तो निकालेगा ही और यदि उसका तकुआ बिलकुल सीधा और ठीक नुकीला होगा तो वह बिना किसी कठिनाईके १० से २० नम्बर तकका सूत निकाल लेगा। मैं भारतकी आधे-

पेट रहनेवाली करोडो जनताके साथ एकात्मता महसूस करनेवाले उसके सभी प्रेमियोसे अनुरोध करता हूँ कि वे फादर एल्विनकी इस अनुभूतिको समझें-गुनें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१४. अठारह सौ अट्ठाईसमें

खादी प्रतिष्ठानके श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त 'राष्ट्रवाणी' नामक एक बगला पत्र निकालते हैं। उन्होंने हालमें ही 'समाचार दर्पण'के सम्पादकके नाम भेजी गई एक चिट्ठी खोज निकाली है। यह समाचारपत्र उन्नीसवी सदीके दूसरे दशकमें बगलामें प्रकाशित होता था। चिट्ठी बडे महत्वकी है क्योंकि उससे जाहिर होता है कि चरखेको कैसे धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा था और उन दिनोंमें स्त्रियाँ उसे कितना मूल्यवान मानती थी। इसीलिए उन्होंने उसे अपने पत्रमें छापा है और मेरे पास उसका अनुवाद भेजा है। मुझे विश्वास है कि जिनकी खादी आन्दोलनमें दिलचस्पी है वे सब इसे ध्यानसे पढेंगे। चिट्ठी यह है:

एक कत्तिनका निवेदन

सेवामें:
सम्पादक महोदय, 'समाचार' 'समाचार दर्पण'

मैं एक कत्तिन हूँ। बहुत कष्ट उठानेके बाद यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया अपने पत्रमें इसे प्रकाशित कीजिए।

जब मेरी उम्र २२ वर्षकी थी, तब मैं विधवा हो गई। मेरे तीन लड़कियाँ थीं। मरते समय मेरे पति कुछ नहीं छोड़ गये, उनके श्राद्धके लिए मैंने अपना जेवर बेच दिया। अन्तमें जब हमारे भूखों मरनेकी नौबत आ गई, तब ईश्वरने मुझे एक उपाय सुझाया और हम अपनेको बचा सके। मैं तकली और चरखेपर कातने लगी।

प्रातःकाल मैं अपने घरकी झाड़-बुहारका मामूली काम कर लिया करती थी और फिर दोपहरतक चरखेपर बैठ जाती थी। खाना बनाकर और अपने बूढे सास, ससुर तथा लड़कियोंको खिलाकर मैं खुद खाती थी और तकलीपर बारीक सूत कातने बैठ जाती थी। इस प्रकार मैं लगभग एक तोला कात लेती थी। जुलाहे हमारे घरपर आते और तीन तोला फी रुपएके भावसे चरखेका सूत खरीद लेते थे। जुलाहोसे मुझे जो पेशगी रकम चाहिए होती, सो कहते ही मिल जाती थी। इससे हम खाने-पहननेकी चिन्ताओसे मुक्त रहते थे।...

कुछ वर्षोंमें मैंने सात गंडे अर्थात् २८ रुपए इकट्ठे कर लिये। इससे मैंने एक लड़कीकी शादी कर ली और इसी प्रकार तीनों लड़कियोंके विवाह

हो गये। जब मेरे ससुरका देहान्त हुआ तो उनके श्राद्धपर मैंने ग्यारह गंडे अर्थात् ४४ रुपए खर्च किये। यह रुपया मुझे जुलाहोंने उधार दिया था, जो मैंने डेढ़ सालमें वापिस चुका दिया। यह सब चरखेकी कृपा थी।

अब तीन सालसे मेरी सास और मैं खाने-पीनेके अभावसे त्रस्त हैं। जुलाहे सूत खरीदने हमारे घरपर नहीं आते। इतना ही नहीं, अगर सूत बाजारमें भेजा जाता है तो पुराने भावसे चौथाई कीमतपर भी नहीं बिकता। पता नहीं यह कैसे हो गया। मैंने इसके बारेमें बहुतों-से पूछा। वे कहते हैं कि बाहरसे विलायती सूत बहुत आ रहा है। जुलाहे उस सूतको खरीदकर बुनते हैं। मुझे गर्व था कि विलायती सूत मेरे सूतकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने विलायती सूत देखा, तो पाया कि वह मेरे सूतसे अच्छा है। मैंने सुना कि उसका भाव तीन चार रुपये सेर है। मैंने अपना सिर पीट लिया और कहा, "हे प्रभु, मुझसे भी अधिक दुखिया बहनें हैं! मैंने समझ रखा था कि विलायतके सब लोग मालदार हैं, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि वहाँ मुझसे भी अधिक गरीब बहनें पड़ी हैं।" मैंने पक्की तरह समझ लिया कि गरीबीके कारण ही उन गरीब बहनोंको कातनेकी प्रेरणा हुई है। उन्होंने अपनी इतनी कड़ी मेहनतका फल यहाँ भेज दिया, क्योंकि उसे वे वहाँ बेच नहीं सकीं। वह सूत यहाँ अच्छे भावपर बिकता तो भी एक बात थी। मगर उससे हमारी तो बर्बादी ही हो गई है। लोग उस सूतके कपड़ेको दो महीने भी काममें नहीं ला पाते। वह जल्दी ही फट जाता है। इसलिए मैं बहनोंकी कत्तिनोंसे प्रार्थना करती हूं कि अगर वे इस निवेदनपर विचार करेंगी तो वे निर्णय कर सकेंगी कि सूत यहाँ भेजना न्याय है या नहीं।

शान्तिपुर

एक दुखिया कत्तिन

पाठक लेखिकाकी उदात्तताको देखे बिना नही रहेंगे। बेचारी अपने अज्ञानमें यही समझ रही थी कि सूत उससे भी गरीब विलायती बहनोके हाथका कता हुआ है और इसलिए उनके साथ उसे सहानुभूतिका अनुभव हुआ। अफसोस है कि उसका विश्वास निराधार था। अगर विदेशी सूत हाथ-कता होता तो वह टिकी रह सकती थी। वह विदेशी सूतके मुकाबलेमें भी टिकी रह सकती थी, बशर्ते कि उसके पीछे भारतीय व्यापारको हथियाने और इस राष्ट्रीय ग्रामोद्योगको नष्ट करनेके सकल्पकी नीति न होती।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१५. एक नारीका त्याग

पिछले वर्षकी अद्‌भुत नारी-जागृतिके कालमें ऐसी वीरांगनाएँ सामने आई है जिनकी मूक साधनाको देश कभी जान ही नही पायेगा। फिर भी गाँवोसे ऐसे समाचार जब-तब मिलते रहते है। एक मित्रने ऐसा ही एक यह उदाहरण लिख भेजा है:

> हमारे कांग्रेस शिविरके गैरकानूनी घोषित हो जानेके बाद जब उसपर पुलिसने ताला डाल दिया था, तब हम लोग महिषि जातिकी एक गरीब महिला — बाराडोगलके हाबूकी[1] माता — की झोंपड़ीमें चले गये। गोर्कीका उपन्यास "माँ" हमने पढ़ रखा था। हाबूकी मातामें हमने उसके साक्षात् दर्शन किये। वह हम कार्यकर्त्ताओंके लिए दिन-रात खाना पकाती, बीमारोंकी तीमारदारी करती और व्यथित हृदयोंको सान्त्वना देती रहती थी। इस प्रकार वह हमारी सच्ची माता बन गई; नहीं तो हम लोग अपने-आपको मातृविहीन ही महसूस करते। हम लोगोमें कई ग्रेजुएट और एम० ए० की डिग्रियाँ हासिल किये हुए थे और उनको अपनी शैक्षणिक योग्यताओंपर बड़ा नाज था, फिर भी हम सभी अपनी आन्तरिक प्रेरणासे पुकारने लगे थे हाबूकी माताको माँ अपने-आप कहकर। उनका त्याग और उनकी अपार कर्त्तव्य-निष्ठाने हमें श्रद्धानत कर दिया था।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २१-५-१९३१

२१६. तार: चम्पाबहनको

थाकुला, नैनीताल
२१ मई, १९३१

चम्पाबहन
मारफत राष्ट्रीय शाला
राजकोट

रतिलालके बारेमें बहुत दुःखी। राजकोट जाकर रतिलालको देखनेके लिए विशेषज्ञका प्रबन्ध कर रहा हूँ।

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०८)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए "पत्र: भूपेन्द्रनारायण सेनको", १७-५-१९३१।

२१७. तार : डॉ० मेहताको

नैनीताल
२१ मई, १९३१

डॉ० मेहता
मारफत सर मनुभाई
शिमला

रगूनके डॉ० मेहताका पुत्र रतिलाल पूर्णतः विक्षिप्त चीखता-चिल्लाता काबूसे बाहर। बाँधकर रखना पड़ता है। राजकोटमे है। आप किसी विशेषज्ञको जानते हो और ठीक समझे तो कृपया उसे राजकोट जाकर रतिलालकी जाँच करनेको कहे। उनकी फीस दी जायेगी। तार द्वारा उत्तर नैनीताल भेजें।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७११५)की माइक्रोफिल्मसे।

२१८. तार : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको

नैनीताल
२१ मई, १९३१

मन्त्री,
काग्रेस कमेटी

पूरे तथ्य जाने बिना राय देना नामुमकिन।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७११६)की माइक्रोफिल्मसे।

२१९. पत्र : डॉ० सैयद महमूदको

नैनीताल शिविर
स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय डॉ० महमूद,

मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अधिक उपयोगी काममें लगे हुए हैं। मैं आपके साथ इसपर बहस नहीं करूँगा कि जनतामें काम करनेका सबसे अच्छा तरीका क्या है, भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि पत्र-व्यवहारके लिए मैं मुश्किलसे चन्द मिनट ही निकाल पाता हूँ। इसलिए मैं इस चर्चाको अपनी मुलाकाततक के लिए मुल्तवी रखता हूँ।

आप देखेंगे कि मैं यह नैनीतालसे लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने कल गवर्नरसे मुलाकात की थी। राजस्व सम्बन्धी मामलोंके बारेमें हम किसी भी अन्तिम निष्कर्षपर नहीं पहुँचे।

अधिक जल्दी नहीं तो दो या तीन दिनमें मैं गुजरात चल दूँगा। मेरा ख्याल है कि हमारी मुलाकात जल्द-से-जल्द अगले महीनेके शुरूमें कार्य-समितिकी बैठकके समय ही हो पायेगी। फिर भी आप चाहें तो और जल्दी भी हो सकती है; [यानी] आप जब भी चाहें मिल सकते हैं। आपको पहलेसे समय निश्चित करनेकी तो कोई जरूरत नहीं है, या है ऐसी जरूरत?

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० सैयद महमूद
बार-एट-लॉ
छपरा (जिला सारन)
बिहार

अंग्रेजी (जी० एन० ५१०९)की फोटो-नकलसे।

२२०. पत्र : मुहम्मद इस्माइल खाँको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय नवाब साहब,

इसी महीनेकी १९ तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने पत्रमें जिस प्रतिवेदनका उल्लेख किया है, उसे मैंने नही देखा। लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण यह है:

मेरी अपनी बात तो यह है कि कुल मिलाकर मेरे मुसलमान मित्र जो भी हल पेश करेंगे, मैं बिना किसी सकोचके उसकी ताईद कर दूंगा, लेकिन उसीसे तो हमारी सारी कठिनाइयाँ हल नही हो जायेंगी। हमारी कठिनाइयाँ तो तभी हल हो पायेंगी जब हिन्दू और मुसलमान दोनो सिखोके साथ या फिर हिन्दू लोग मुसलमानो और सिखो दोनोके साथ बैठकर आपसमें मसले तय कर लें। लेकिन सिखो और मुसलमानों दोनोके दावोमें कोई टकराव या विरोध हो तो दोनोंमें से किसीके भी दावेकी मेरी ताईदका कोई महत्व नही रह जायेगा। मैं इसीलिए यह मानकर चला हूँ कि मुसलमान मित्रों या सिख मित्रोकी ओरसे जो भी चीज उनके अपने अन्तिम दावेके रूपमे पेश की जायेगी, उसमें एक-दूसरे पक्षका ख्याल रखा जायेगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि एक ऐसा सम्मानप्रद समझौता हो जाये जो मुसलमानो तथा सिखोके साथ ही साम्प्रदायिक समझौतेके इच्छुक अन्य सम्प्रदायोको भी पूर्णतः सन्तुष्ट कर सके।

आपके दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यदि भावी सविधान बननेतक मैं जीवित रहा और उसे अमलमें लानेमें मेरा कोई हाथ रहा, तो मैं एक बिलकुल ही राष्ट्रीय हलके अलावा दूसरे किसी हलको स्वीकार नही करूँगा और मैं सविधान पर इस ढंगसे अमल करूँगा जिससे लोगोके सभी सन्देह दूर हो जायें।

यूरोपीयोकी हदतक सवाल अल्पसख्यकोके नाते उनके विशेषाधिकार निश्चित करनेका नही, बल्कि यह है कि वे हमारे साथ बराबरीके दर्जपर आनेके लिए अपने कौन-से विशेषाधिकार छोड़नेके लिए तैयार होंगे। क्या मेरा आशय स्पष्ट है?

आपसे मेरा आग्रह है कि आप विश्वास रखें कि मैं अब भी वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने उन दिनो मेरठमे अपना मेहमान बनानेकी कृपा की थी जिन दिनों हम कुछ दिनोंके लिए ही सही अपनेको एक ही माँके बेटे समझने लगे थे, हमारी अभिलाषाएँ समान थी और हमे एक-दूसरेपर पूरा भरोसा था।

हृदयसे आपका,

नवाब मुहम्मद इस्माइल खाँ साहब
मुस्तफा महल, मेरठ

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०७)की फोटो-नकलसे।

२२१. पत्र : महाराजकुमार विजयनगरम्‌को

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं 'यंग इंडिया'के पृष्ठोंमें इस विषयकी चर्चा करनेकी बात सोच रहा हूँ; इसलिए आपको ब्यौरेवार उत्तर भेजनेकी जरूरत नहीं है।

हृदयसे आपका,

महाराजकुमार साहब विजयनगरम्‌
विजयनगर महल, बनारस

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०८-अ)की माइक्रोफिल्मसे।

२२२. पत्र : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

मन्त्री
कांग्रेस कमेटी
चटगाँव

प्रिय महोदय,

मैंने आपके तारके उत्तरमें निम्नलिखित तार भेजा है:

"पूरे तथ्य जाने बिना राय देना नामुमकिन।"[1]

मैं कह सकता हूँ कि समझौतेके बादके कालमें की गई किसी भी कार्रवाईके सिलसिलेमें कोई जुर्माना करना समझौतेका उल्लंघन नहीं होगा और न ऐसा जुर्माना अदा करनेसे इनकार करना ही समझौतेका उल्लंघन होगा। मैं यह राय अबतककी जानकारीके आधारपर दे रहा हूँ; बादमें पूरे तथ्य मिलनेपर इसे बदलना भी जरूरी हो सकता है। लेकिन कर अदा न करनेका आन्दोलन छेड़नेवालोंको हर पहलू पर पूरी तरह विचार करनेके बाद ही और वह भी पूरी तरह अपनी ही जिम्मेदारी पर ऐसा कदम उठाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए शीर्षक २१८।

२२३. पत्र : एस० जी० वझेको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय वझे,

वार्षिकीके अवसरपर आप कभी एक बार भी मुझे आमन्त्रित करनेसे नही चूके और मै हूँ कि एक बार भी समारोहमे शामिल नही हो सका। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक बार भी शामिल न हो सकनेके इस तथ्यका कोई भी सदस्य यह अर्थ नही लगायेगा कि मै अपने-आपको आप लोगोमें शुमार नही करता। हमारे विचार चाहे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हों, चाहे हम एक ही मचपर साथ-साथ काम करते न दिखाई पडते हो, पर मुझे हमेशा यही लगता रहा है कि हमारे दिल एक है, क्योकि हम एक ही गुरुके शिष्य है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० जी० वझे
सर्वेंट्स ऑफ इडिया सोसाइटी
पूना

अग्रेजी (एस० एन० १७१११)की फोटो-नकलसे।

२२४. पत्र : कृष्णदासको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय कृष्णदास,

मै तुम्हारी लिखावटसे चिर परिचित हूँ और इसलिए कह सकता हूँ कि तुमने उल्लेखनीय प्रगति कर ली है। पहले-जैसी शक्ति फिर हासिल करनेमें जल्दबाजी मत करना। बुखार एकदम खत्म हो जाना चाहिए। इस भयकर बीमारीके बाद तुमको पहलेसे अधिक शक्तिशाली बन जाना चाहिए। नियमित रूपसे मुझे लिखते रहना। हम सब ज्यादा-से-ज्यादा रविवारतक यहाँसे बोरसदके लिए चल देगे।

श्री कृष्णदास
शक्ति आश्रम
डाकखाना राजपुर
(जिला देहरादून)

अग्रेजी (एस० एन० १७११२)की माइक्रोफिल्मसे।

२२५. पत्र : जयरामदास दौलतरामको

स्थायी पता, वोरसद
२१ मई, १९३१

प्रिय जयरामदास,

संलग्न पत्र देखिए। आवश्यक कार्रवाई कीजिए और मुझे बताइए कि इसका लिखनेवाला कौन है। क्या ये आरोप सही हो सकते है?

श्री जयरामदास दौलतराम
स्वराज्य आश्रम
बारडोली।

अंग्रेजी (एस० एन० १७११३)की माइक्रोफिल्मसे।

२२६. पत्र : ए० फेनर ब्रॉकवेको

स्थायी पता, साबरमती
२१ मई, १९३१

प्रिय श्री ब्रॉकवे,

स्पष्ट है कि आपने अपने मनमें निश्चित कर लिया है कि मैं लन्दन आ रहा हूँ। लेकिन मुझे अबतक ऐसा कोई लक्षण दिखाई नही दे रहा है जिसके आधार पर मैं आशा भी कर सकूँ कि आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। हाँ, यदि आया तो सचमुच मुझे आपकी संस्थाके सदस्योसे मिलकर अनौपचारिक रूपसे दिल खोलकर बात करनेपर बड़ी प्रसन्नता होगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री ए० फेनर ब्रॉकवे
१२६, शेफर्ड्स बुश रोड
लन्दन वेस्ट–६

अंग्रेजी (एस० एन० १७११४)की फोटो-नकलसे।

२२७. भाषण : राजनीतिक पीड़ितोंके सम्मेलनमें

कुमायूँ
[२१ मई, १९३१][1]

आपने मूलभूत अधिकारोके सम्बन्धमे काग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव देख लिया होगा।[2] उसमे सेना-सम्बन्धी व्ययको घटाकर आधा करने-जैसी चन्द बाते ऐसी भी है जिनको स्वराज्यके बाद ही हासिल किया जा सकता है; लेकिन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विदेशी वस्त्रोपर प्रतिबन्ध, अधिकारों और अवसरोके मामलेमें समानता जैसी कुछ अन्य चीजे है जिनको पूरा करनेके लिए हमें स्वराज्य-प्राप्तितक नही रुकना पडेगा। ये परिस्थितियाँ हमे आज ही पैदा करनी चाहिए, इससे हमे स्वराज्यके ओर निकट पहुँचनेमें सहायता मिलेगी। हम प्रत्येक गाँवमें पाठशालाएँ खोल सकते है, खद्दर तैयार कर सकते है, उसे बढ़ावा दे सकते है और अस्पृश्यताके विरुद्ध सघर्ष कर सकते है।

(यहाँ गांधीजीने 'यंग इंडिया' के एक पुराने अंकमें प्रकाशित अधिकारपत्रको सामने रखकर क्रमसे उसके एक-एक मुद्देका उल्लेख किया।)

सरकारी अधिकारियोंके अधिकतम-वेतनका उल्लेख करते हुए महात्माजीने कहा :

यह मत समझिए कि यह कोई कोरा कागजी प्रस्ताव है और इसपर अमल नही होना है। स्वराज्य मिलनेपर इसे प्रभावी बनाया जायेगा। पूरी तरह विचार करनेके बाद ही इसे अधिकार-पत्रमें जोडा गया था। मै बूढा हूँ, पर मेरे न रहने पर भी जवाहरलाल इसपर अवश्य अमल करेगा। लेकिन यह मानकर चलना न्यायपूर्ण नही कि बूढे लोग युवकोसे पहले मर ही जाते है, क्योकि यह ईश्वरीय नियम नही है। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे लागू किया जायेगा। जापान एक स्वतन्त्र देश है। वहाँ सरकारी अधिकारियोका अधिकतम वेतन पाँच-सौ रुपये निश्चित कर दिया गया है।

हमारे देशमे प्रतिव्यक्ति औसत आय लगभग चालीस रुपए है और इसमें हजारो करोड़पतियोकी आय भी शामिल है। इसलिए पाँच सौ रुपएसे अधिक खर्च करनेवाला व्यक्ति लूटके धनपर जीता है। यह राशि हमें अपर्याप्त इसलिए लगती है कि विदेशियोके शोषण और उनके रहन-सहनको देखकर हम उनकी नकल करना चाहते है।

१. हिन्दू, २१-५-१९३१ से।
२. देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ ३९४-९५।

कहा गया है कि वकील और उद्योगपति पाँच-सौ रुपए मासिकसे अधिक कमायेंगे। मैं कहता हूँ कि उनको पाँच-सौसे अधिक नहीं कमाना चाहिए। इस देशमें अगर वे पाँच-सौसे अधिक कमाते हैं, तो वे लूटपर जीवित रहते हैं। वह अतिरिक्त राशि उनको देशको लौटा देनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ३१-५-१९३१

२२८. तार : वाइसरायको

[२२ मई, १९३१ को या उसके पूर्व][1]

महत्त्वपूर्ण

संयुक्त प्रान्तके गवर्नर महोदयके जरिए और बादमें सीधे आपकी ओरसे मिले आपके २१ तारीखके तारके लिए मैं आभारी हूँ। इस विषयके सिलसिलेमें और जिम्मेदार राजनीतिज्ञोंके सामने यह स्पष्टीकरण करनेके लिए भी मुझे लन्दन जानेमें . . .[2] . . . होना चाहिए कि कांग्रेस भारतकी स्वतन्त्रताके लिए आग्रह करनेके साथ यह भी चाहती है कि इंग्लैंडकी जनताके साथ उसके सम्बन्ध अधिक-से-अधिक मैत्रीपूर्ण रहें। लेकिन आपको जो कारण बतलाये जा चुके हैं, उनके ख्यालसे मैं गोलमेज परिषद्में भाग लेनेमें असमर्थ हूँ। दूसरोंके विचार सुनने और माननेके लिए तैयार होते हुए भी मेरी अब भी यही राय है कि साम्प्रदायिक समझौता हुए बिना मेरा परिषद्की बैठकमें भाग लेना उपयोगी नहीं होगा। और फिर सरकार तथा कांग्रेसके बीच समझौता सम्पन्न करानेकी सीधी जिम्मेदारी जब मुझपर ही है तब उसकी कार्यान्वितिके सिलसिलेमें इतनी झंझटें होते हुए मैं भारतसे बाहर कदम कैसे रख सकता हूँ? कांग्रेसकी ओरसे अब भी एकमात्र प्रतिनिधि मैं ही हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९३६७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी

१. भारत-मन्त्रीके नाम वाइसरायके २२ मई, १९३१ के तारसे उद्धृत।
२. साधन सूत्रमें यह स्थान रिक्त है।

२२९. तार : जमनादास गांधीको

थाकुला, नैनीताल
२२ मई, १९३१

जमनादास गाधी
राजकोट

थानाके डाक्टर कदम राजकोट पहुँचेगे। रतिलालकी जाँच करके आवश्यक चिकित्सा करेगे। उनसे सम्पर्क करना।

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२२)की माइक्रोफिल्मसे।

२३०. तार : रामभरोसेलालको

थाकुला, नैनीताल
२२ मई, १९३१

रामभरोसेलाल
मारफत अरथघर
वर्दवान

पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तके पास पूरा ब्योरा भेज दीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२३)की माइक्रोफिल्मसे।

२३१. तार : मोहनलाल सक्सेनाको

थाकुला, नैनीताल
२२ मई, १९३१

मोहनलाल सक्सेना
मारफत काग्रेस
लखनऊ

भूख-हडताल बिलकुल ही अनावश्यक लगती है। उच्च समितियोके निर्णयो का, फिर वे सही हो या गलत, पालन होना चाहिए।

गाधी

अग्रेजी (एस० एन० १७१२५)की माइक्रोफिल्मसे।

२३२. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

नैनीताल
२२ मई, १९३१

महात्मा गांधीने आज एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान कहा कि लन्दन जानेकी अपनी योजनाके बारेमें वे अभी कोई बयान देनेमें असमर्थ हैं। लन्दनमें २९ जूनको होनेवाली संघीय गठन समिति[1] (फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी) की बैठकके सम्बन्धमें वे अपने विचार भारत सरकारको बतला ही चुके हैं, और बात अभी वहीं तक है।

[अग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २४-५-१९३१

१. राजाओं समेत अन्य प्रतिनिधि १३-६-१९३१ को रवाना होनेको राजी हो गये थे।

२३३. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको[1]

थाकुला, नैनीताल
२३ मई, १९३१

शास्त्री
मारफत कैलोफ[2]
लन्दन

संयुक्त रूपसे भेजा आपका कृपापूर्ण तार। देशमें साम्प्रदायिक समस्याका कोई हल न पाकर गोलमेज परिषद्में शामिल होने लायक आत्मविश्वास नहीं। फिर समझौतेके प्रति कुछ प्रान्तीय सरकारोंके रुखके कारण मेरा भारतसे जाना यदि असम्भव नहीं, कठिन तो हो ही गया है; लेकिन सन्तोषप्रद कामचलाऊ समझौता हो सके और मुझे चर्चा तथा कांग्रेसकी नीतिका स्पष्टीकरण करनेके लिए आमन्त्रित किया जाये तो मैं अल्पकालीन सूचना पर भी खुशीसे जहाज पकड़नेको तैयार हूँ।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल संख्या २७३, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२३४. पत्र : सर मॉल्कम हेलीको

थाकुला, नैनीताल
२३ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मैंने अब अपनी फौरी जाँच पूरी कर ली है। नैनीताल आ सकनेवाले ताल्लुकेदारोंसे मशविरा लेनेका भी फायदा मुझे मिल गया था। मुझे लगता है और आप

१. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, सी० एफ० एन्ड्रयूज और एच० एस० एल० पोलक द्वारा संयुक्त रूपसे भेजे गये तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था : "...यदि अल्पसंख्यक जातियोंकी समस्याका भारतमें तुरन्त कोई समाधान नहीं निकलता, तो हमारा सुझाव है कि उसपर यहाँ अधिक अच्छे वातावरणमें विचार किया जाये। यदि सभी उपाय निष्फल सिद्ध हो जायें तो अन्तिम उपायके तौरपर निष्पक्ष मध्यस्थताका अवलम्बन अब भी सम्भव। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ शीघ्रातिशीघ्र पहुँचनेके आपके निर्णयकी तुरन्त घोषणा कर देना अनिवार्य हो गया है।..."

२. हेनरी पोलकका तारका पता।

भी मेरी इस बातसे शायद सहमत होंगे कि किसानोंका कुछ मार्ग-दर्शन तो मुझे करना ही चाहिए। सरकार उनको जितनी राहत देनेकी बात कह रही है, उसे काफी मान लेनेके लिए तो उनसे मैं कह नहीं सका। मैंने जितनी भी जाँच की है, उससे यही पता चलता है कि किसानोंकी इस असाधारण स्थितिको देखते हुए यह राहत बिल्कुल ही नाकाफी है। इसलिए मैं अब वह कदम उठाना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि समुचित राहतके अभावमें अन्य सभी बातोंसे अच्छा रहेगा। चूँकि सरकारने मेरे प्रस्तावोंमें से किसीपर भी अमल नहीं किया है, इसलिए मैं अब किसानोंसे यही कहने जा रहा हूँ कि कमसे-कम जितनी अदायगी मैं ठीक मानता हूँ, उतनी अदायगी तो वे जरूर कर दें, और अगर किसीके पास गुंजाइश हो और वह चाहे तो उससे ज्यादा अदायगी भी कर सकता है। इसीके अनुरूप मैंने एक घोषणापत्र[1] तैयार किया है। उसकी एक प्रति मैं संलग्न कर रहा हूँ। यदि आप समझें कि इसके प्रकाशनसे सरकारको कोई परेशानी होगी और यदि आप मुझे कोई और अच्छा मार्ग सुझा सकें, और उसे अपनाना मेरे लिए सम्भव हुआ तो मैं बड़ी खुशीसे उसे अपना लूंगा या यदि आप इस सिलसिलेमें मुझे मुलाकातके लिए बुलाना चाहें, तो मैं बड़ी खुशीसे आ जाऊँगा।

यदि आपका कोई और प्रस्ताव न हो, तो मैं आज दोपहर बाद ३ बजे नैनीतालसे चल दूंगा।[2]

मैं हूँ,
हृदयसे आपका,

संलग्न: १

महामहिम सर मॉल्कम हैली
गवर्नर संयुक्त प्रान्त, नैनीताल

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल-संख्या १६-ई, १९३१
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१ देखिए अगला शीर्षक।
२. सर मॉल्कम हैलीके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट ८।

२३५. संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे

नैनीताल
२३ मई, १९३१

गत सघर्षमें पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए सविनय अवज्ञाके अगरूप कुछ जिलोमे करवन्दी आन्दोलन शुरू किया गया था। पर सरकार और काग्रेसके वीच समझौता हो जानेके कारण सत्याग्रह और फलत करवन्दी भी स्थगित कर दी गई।

उस समय आप लोग घोर आर्थिक कष्टमे थे। यो तो आपकी हालत साधारण समयमे भी कठिन ही रहा करती है, परन्तु इस वर्ष वह अत्यधिक खराब हो गई है, क्योकि जो फसल आप हर साल वोते है, उसकी दर इस बार असाधारण रूपसे घट गई है। काग्रेसी कार्यकर्त्ताओने मुझे लिखा कि आपमे से वहुतेरे पूरा लगान चुकानेमे विलकुल असमर्थ है। कई जिलोमे कुछ सौ गॉवोमे जॉच की गई, जिससे पता चला कि स्थिति भयावह है। यह पाया गया कि आपकी कुछ पैदावारके दाम इतने घट गये है कि उसकी बिक्रीसे लगान अदा करने जितनी रकम भी नही मिल सकती। इसी सिलसिलेमे मै गवर्नरसे मिलने नैनीताल आया था। उन्होने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और हमने परिस्थितिपर पूरी तरह चर्चा की। उनका रुख सहानुभूतिपूर्ण था। मैने उनसे कहा कि कुछ काग्रेसी कार्यकर्त्ताओने मुझे विश्वास दिलाया है कि इधर सरकारने किसानोके साथ रियायतें करनेकी जो सूचनाएँ निकाली है, वे उनके वास्तविक कष्टको दूर करनेके लिए काफी नही है। मैने उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे, जिनपर उन्होने विचार करनेका वचन दिया।

इस दरम्यान मेरा यह कर्त्तव्य था कि मै आपको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ सलाह दूँ। कई साथियोके साथ स्थितिकी चर्चा करते हुए मैने घटो इसी चिन्तामें बिताये है। मुझे उन कुछ प्रमुख ताल्लुकेदारोसे नि सकोच भावसे साफ-साफ बातें करनेका भी लाभ मिला, जिन्होने मेरा निमन्त्रण पाकर आनेकी कृपा की थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जो सुझाव नीचे दिये जाते है, साधारणतया वे उनसे सहमत थे।

अन्य जिलोके अलावा नीचे लिखे जिलोमें सगठित काम किया गया था आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रायवरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ, और इटावा। इन जिलोके सम्वन्धमें यह पाया गया है कि फसली सन् १३३८ में हयाती और गैर-दखीलकार काश्तकारोको रुपयेमें आठ आने और दखीलकार काश्तकारोंको रुपयेमे चार आनेकी माफी मिलनी चाहिए। इस साधारण नियममें स्थानीय परिस्थितिके अनुसार आवश्यक हेरफेर किये जा सकते है।

मुझसे कहा गया है कि कुछ जिलोमें काश्तकारोकी स्थिति ऐसी है कि वे कम माफीसे भी काम चला सकते है। कुछ जिलोमें स्थानीय आपत्तिके कारण परिस्थिति

और भी बिगड गई है। इसलिए प्रस्तावित माफीकी शर्तें स्वभावत उन जिलोपर लागू नही होगी, जो बताई हुई रकमसे अधिक दे सकते है, और न उन्ही जिलोमें लागू होगी, जिनकी स्थिति उपर्युक्त जिलोसे भी बदतर है। अवश्य ही, जिन जिलोका ऊपर जिक्र किया गया है, उनमें भी आपमें से जो अधिक चुका सकते हो, उन्हे अवश्य चुकाना चाहिए। काग्रेस आशा रखती है कि हरएक काश्तकार अपनी शक्ति-भर लगान जल्दी से-जल्दी अदा कर देगा, और साधारण नियमानुसार कोई भी रुपयेमे अठन्नी या चवन्नीसे,[1] जैसी भी स्थिति हो, कम अदा न करेगा। परन्तु जिस तरह एक ही जिलेमें ऐसे स्थान हो सकते है, जहाँ अधिक लगान चुकाया जा सकता है, उसी तरह यह भी सम्भव है कि कुछ स्थान ऐसे भी होगे, जहाँ रुपयेमें अठन्नी या चवन्नीसे[2] भी कम ही अदा किया जा सकता है। मुझे आशा है कि ऐसे मामलोमे जमीदार काश्तकारोके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करेगे।

हर हालतमें आप इसका ध्यान रखें कि जितना आप दे, चालू सालके लिए उतनेकी आपको चुकता रसीद मिल जाये। मुझे पता चला है कि सघर्षके दौरान कई काश्तकार बेदखल कर दिये गये थे और कुछ बादमे भी बेदखल किये गये है। यदि उन्हे उनकी जमीनें वापस न दी गईं तो परिणाम स्पष्ट ही उस वातावरणके विपरीत होगा, जो समझौतेके अनुसार पैदा किया जा रहा है। अतएव मुझे पूरी आशा है कि यहाँ बताये हुए हिसाबसे लगान अदा कर देनेपर बेदखल काश्तकारोको बिना किसी प्रकारके जुर्मानेके उनकी जमीनें वापस दे दी जायेंगी।

मुझे आशा है कि आप लोग तुरन्त लगान अदा करना आरम्भ कर देंगे। आप पूरा आठ आना लगान इसी समय न दे सकते हो, तो आपका लगान मुल्तवी हो जायेगा, और अगली फसल तक बाकी रकम या करकी वसूलीके लिए आपके साथ किसी तरहकी सख्ती न की जायेगी।

मैं सरकारको यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोगोसे पूरा लगान न मिलनेके कारण जमीदारोकी आमदनीमें जो कमी हो जायेगी, उसके विचारसे वह उनसे ली जानेवाली मालगुजारी भी उसी अनुपातमे घटा दे।

अन्तमें मै आपको एक सलाहके बारेमें सावधान कर देना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसी सलाह मिली हो कि अब आपको जमीदारको लगान देनेकी जरूरत ही नही तो मुझे आशा है कि आपको कोई भी यह सलाह क्यो न दे, आप उसपर ध्यान न देंगे। काग्रेसवाले तो ऐसी सलाह दे ही नही सकते। हम जमीदारोको नुकसान पहुँचाना नही चाहते। सम्पत्तिका नाश हमारा उद्देश्य नही है, हम केवल यह चाहते है कि उसका न्यायसगत उपभोग किया जाये।

मुझसे कहा गया है कि आप काग्रेसकी बात तभी मानेंगे, जब काग्रेसवाले आपको बिलकुल लगान न देनेकी सलाह देगे और यदि काग्रेसने आपको अपनी शक्तिके

१ और २. यहाँ बारह आने होना चाहिए था। देखिए "भूल सुधार", ११-६-१९३१

अनुसार लगान देनेकी सलाह दी, तो आप उसपर ध्यान नहीं देंगे। यह ऐसा समय है, जब आप अपने बारेमें फैले हुए इस अपवादको झूठा साबित करें।

आपने कुछ जमींदारों द्वारा या उनकी ओरसे किये गये कठोर व्यवहारकी शिकायत की है। कांग्रेस आपकी सब शिकायतोंके बारेमें जाँच-पड़ताल करनेकी कोशिश कर रही है, और बराबर करेगी, और जमींदारोंसे आपकी वकालत भी करेगी, और जहाँ कानूनी राहत अनिवार्य जान पड़ेगी, वहाँ उसकी सिफारिश भी करेगी। पर यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि कभी-कभी कुछ किसान भी गलत रास्तेपर चले गये हैं, और घातक आक्रमण कर बैठे हैं। ऐसी कार्रवाइयोंसे किसानोंकी विमल कीर्तिको कलंक लगता है, उनके कार्यको हानि पहुँचती है, और सेवाके लिए कांग्रेसकी उपयोगिता कम होती है। क्योंकि अन्तमें तो आप लोग ही कांग्रेस हैं। कांग्रेस जब तक आपकी अधूरी प्रतिनिधि है, वह अपूर्ण ही रहेगी।

कृपा कर याद रखिये कि कांग्रेस सत्य और अहिंसा द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। जिस हदतक किसान इन दो मुख्य सिद्धान्तोंके पालनमें पीछे रहेंगे, उसी हदतक कांग्रेस भी असफल होगी। आप लाखोंकी तादादमें हैं। जब लाखों व्यक्ति झूठे और हिंसक बन जाते हैं, तो आत्मनाश निकट आ जाता है। अतएव आप बिना हाथ उठाये चोट सह लें। शायद अबतक आप यह तो सीख चुके होंगे कि चोटका प्रतिकार करनेका सबसे अच्छा उपाय चोट करनेवाले को कभी चोट न पहुँचाना है; हाँ, उसकी अनुचित आज्ञाका पालन करनेसे हमें हमेशा इनकार करना चाहिए; फिर वैसा करनेसे हमें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े।

आपका मित्र और सेवक,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२३६. पत्र : सर मॉल्कम हेलीको

२३ मई, १९३१

प्रिय श्री हेली,

इटावाके मामलेमें, जिसके सन्दर्भमें कहा गया था कि कांग्रेसके मन्त्रीने समझौते की घोषणा की तिथिके बाद किसानोंके नाम एक गश्ती-चिट्ठी जारी की थी कि वे लगानकी कोई भी अदायगी न करें, मैंने पूरी जाँच कर ली है। पता लगा है कि ऐसी एक गश्ती-चिट्ठी पिछली फरवरीमें घुमाई गई थी, समझौतेके बाद ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया। बल्कि इसके विपरीत, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे प्रान्त-भरमें एक आम सूचना जारी की गई थी कि कर अदा न करनेका आन्दोलन वापस ले लिया गया है। मुख्य सचिवने इस मामलेकी ओर पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तका ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने सूचना मिलते ही उसी दिन जाँच-

पड़ताल की थी। काग्रेस मन्त्री वावू गयाप्रसादने उत्तरमें उपर्युक्त जानकारी तुरन्त भेज दी थी। और अव तो वे इटावाकी स्थानीय समितिके महामन्त्रीके पदपर हैं भी नही। यह पता लगाना सचमुच वड़ा दिलचस्प रहेगा कि वैसी चिट्ठी पुलिसके हाथो कैसे लगी और उससे पुलिसने यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि उसे समझौते की तिथिके वाद घुमाया जा रहा था।[1]

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सख्या १६-ई, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

२३७. भाषण: जमींदारोंकी सभा, नैनीतालमें[2]

[२३ मई, १९३१][3]

निश्चय ही काग्रेस आपका साथ देगी। पर आपको भी अपना जीवन अपने चारो ओरके वातावरणके अनुरूप वनाना पडेगा। कुछ वर्ष पहले मै वगालके एक जमीदारका मेहमान वना था। वे मुझे सोनेके गिलासो और तश्तरियोमें दूध और फल परोसा करते थे। जाहिर है, मेरे भले मेजवानका यही ख्याल था कि वे अपनी सवसे कीमती तश्तरियोमें भोजन परोसकर मुझे वडेसे-वडा सम्मान दे रहे थे। उनको नही मालूम था कि उस समय मै क्या सोच रहा था। 'इनको सोनेकी तश्तरियाँ मिली कहाँसे?'—मैंने अपने-आपसे पूछा और मुझे उत्तर यही मिला—'रैयतकी सम्पत्तिसे।' तव फिर उन वेशकीमती विलास-वस्तुओंके साथ मै अपनी पटरी कैसे वैठा सकता था? अगर आपकी रैयत चाँदीकी तश्तरियाँ इस्तेमाल करने लायक हो तो सोनेकी तश्तरियोके आपके इस्तेमालपर मुझे कोई आपत्ति न होती, लेकिन जव उनका जीवन कष्टोकी एक लम्वी कहानी वनकर रह गया है, तव आप ऐसी विलास-वस्तुओका इस्तेमाल करनेकी हिम्मत ही कैसे कर सकते हैं? आपको याद होगा कि पन्द्रह वर्ष पहले हिन्दू विश्वविद्यालयके उद्घाटनके अवसरपर मैंने राजा-महाराजाओकी शान-शौकतका जिक्र किया था और उससे उनको कितनी ठेस पहुँची थी, और उससे पूरा हगामा ही मच गया था।[4] मेरे विचार आज भी वही हैं। हाँ,

१. सर मॉल्कम हेलीने दिनाक २९-५-१९३१ के अपने पत्रमें इन तथ्योंकी पुष्टि की और गलत समाचारके कारण हुई असुविधाके लिए खेद प्रकट किया था।
२. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।
३. हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-५-१९३१ से।
४. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २१३-१६।

दीन-हीनोके बीच रहने और उनके जीवनका अनुभव प्राप्त करनेसे मेरे उन विचारोमें और अधिक दृढता अवश्य आ गई है।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२३८. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

[२३ मई, १९३१ के पश्चात्][1]

प्रिय भाई,

आपका मर्मस्पर्शी तार मिला था। आपकी उद्विग्नता कम करनेके लिए मैं एक उत्तर भेज चुका हूँ। मैं गोलमेज परिषद्से कतरा नही रहा हूँ, पर मेरे सामने जो कठिनाइयाँ हैं उनको पत्रके माध्यमसे आपको समझाना मुमकिन नहीं है। प्रान्तीय सरकारें समझौतेको पैरो तले रौंद रही हैं। दमनकी नोक फिर चुभने लगी है। यदि आप 'यग इंडिया' के पृष्ठोको गौरसे देखे तो मेरा तात्पर्य कुछ हदतक स्पष्ट हो जायेगा। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, उसका दशमाश भी मैंने अभी प्रकाशित नही किया है। तब प्रश्न उठता है: यहाँ सकटके बादल मँडरा रहे हैं, उस समय क्या मैं भारत छोड़कर जा सकता हूँ? पर शिमलासे मैं सम्पर्क बनाये हुए हूँ।

[अंग्रेजीसे]
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

२३९. टिप्पणियाँ

धरनेके बारेमें

दो पत्रोमें से नीचे लिखे प्रश्न चुनकर दिये जा रहे हैं:

१. क्या मोहरबन्द कपड़ेकी मोहर तोड़नेवालेके यहाँ धरना देकर उपवास किया जा सकता है?

२. क्या शान्तिपूर्ण धरनेमें उपवासको स्थान है?

३. जिनके यहाँ शान्तिपूर्ण धरना दिया जाता है, वे न मानें, तो क्या उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है?

४. व्यापारी नया विदेशी कपड़ा न मँगानेकी प्रतिज्ञा करे और पुराना बिक चुका हो, तो क्या धरना उठा लिया जाये?

१. प्रेषितीके तारके उत्तरके उल्लेखसे; देखिए "तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २३-५-१९३१।

५. जो विदेशी और देशी दोनों तरहके कपड़े बेचते हों, क्या उनके यहाँ धरना दिया जा सकता है?

६. जिन्होंने अपने विदेशी कपड़ेपर मोहर लगवाई है और मोहर तोड़नेपर कोई निश्चित जुर्माना देना स्वीकार किया है, यदि अब वे मोहर तोड़ें, और जुर्माना न दें, तो क्या उनके यहाँ धरना दिया जाये और उनका बहिष्कार किया जाये?

इनके जवाब ये हो सकते हैं:

१. उपवास उन्हींके प्रति किया जा सकता है, जिनका धरनादेनेवालो के साथ निकटका सम्बन्ध है, जिन्होने इस सम्बन्धके प्रेमको मानकर प्रतिज्ञा की हो, और फिर उसे तोड़ा हो।

२. पहली बातमें इसका जवाब भी आ जाता है।

३. सामाजिक बहिष्कारका अर्थ अगर धोबी, नाई, वैद्य वगैरा बन्द करना हो तो वह नही किया जा सकता। परन्तु विवाहादिके अवसरपर उनके घर दावत वगैरामे जाना बन्द किया जा सकता है, और करना चाहिए। साराश यह है कि उन्हे कष्ट न दिया जाये। हम उनके यहाँ खाने न जायें, इससे उन्हे दु.ख हो तो वह कष्ट नही माना जा सकता।

४. उनकी प्रतिज्ञाके विषयमें विश्वास हो तो धरना उठा लेना धर्म है।

५. अवश्य।

६. जुर्माना न देनेपर धरना न दिया जाये, परन्तु विदेशी वस्तु बेचनेपर धरना दिया जाना चाहिए। बहिष्कारके बारेमें चौथा[1] जवाब देखिए। धरना अर्थात् दुराग्रह नही किया जा सकता।

बहिष्कारका एक लाभ

प्राप्त पत्रोंमें से नीचे एक उद्धरण दे रहा हूँ:[2]

मै आशा रखता हूँ कि ये बहनें विदेशी छोडकर खादी पहनने लगी होगी। वे ऐसा करने लगी हो या न करने लगी हो, मुद्देकी बात तो यह है कि विदेशीके बहिष्कारके साथ ही इन बहनोमे सादगी आ गई। सबका अनुभव है कि विदेशी वस्तुओके उपयोगके साथ ही विलासकी प्रवृत्ति बढ जाती है, और यह ख्याल बनने लगता है कि कपड़े शरीर ढकनेके लिए नही बल्कि शोभाके लिए है। हमारे अखबार अभी "फैशन" से भरे नही होते, परन्तु अंग्रेजी अखबारोको देखें तो मालूम होगा कि उनमें "फैशन" शीर्षकसे नित नये प्रकारकी पोशाकोके चित्र और उनके मनोरजक वर्णन दिये जाते है।

१. यहाँ शायद 'तीसरा' होना चाहिए था।

२. नहीं दिया जा रहा है। इसमें घरकी स्त्रियोंके स्वदेशीको अपनानेके कारण घरका जो खर्च बच रहा था, उसका विवरण था।

विदेशी वस्त्रके त्यागके साथ ही झूठी शोभाका मोह दूर होता है, और इस कारण खादी महँगी होते हुए भी सस्ती पडती है। घरमें पहननेकी, घूमने जानेकी, मुलाकातकी, देव-दर्शनकी, यो रोज पहननेकी चार-पाँच साडियाँ रखनेवाली कोई बहन जब खादीकी एक साडीसे काम चला लेती है, तो सहज ही बहुत बचत हो जाती है। मलमलका १२ गजी साफा बाँधनेवाला जब आधे गजकी खादीकी टोपी पहनने लगता है तो खादीके चाहे जितनी महँगी होने पर भी वह आसानीसे बचत कर लेता है।

व्यापारियोंका मिथ्याचार

एक अनुभवी सज्जन शिकायत करते हैं:

किसी भी तरह विदेशी कपड़ा बेचनेकी गरजसे व्यापारी लोग विदेशी मालको मिलोंमें रँगवाते है, छपवाते है, और देशी मालके नामसे बेचते हैं। आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे?

यह कोई नयी बात नही। यदि व्यापारियोने देश-हितका ही विचार किया होता तो वे विदेशी कपडा कभी मँगवाते ही नही। व्यापार-मात्रमे अधिकतर झूठका सहारा लिया जाता है। कपडेके व्यापारी हमारी नजरमे आ जाते है, क्योकि उनका व्यापार व्यापक है और एक भारी भयावने अजगरकी तरह हिन्दुस्तानसे लिपटा हुआ वह धीरे-धीरे, उसे कुचले डाल रहा है। इस फन्देसे कोई बच नही सकता। हमारी पसलियाँ किस तरह टूट रही है, इसका अब हमे अनुमान हो गया है, इसी कारण हम विदेशी वस्त्रके व्यापारीकी आलोचना करने लगे है; और यह उचित ही है। इस जागृतिमे उपर्युक्त और ऐसे ही अन्य मिथ्याचारोका उपाय मौजूद है। धरना इसकी एक प्राथमिक दवा है। सच्ची सेवा तो ग्राम-प्रवेश है। यह कपडा स्वदेशी है या विदेशी, सस्ता है या महँगा, स्वीकृत मिलका है या बहिष्कृत मिलका, इस खादीमें मिलका ताना है या हाथका इत्यादि तमाम प्रश्नोकी उस दिन जरूरत न रहेगी, जब गाँववाले अपने घरोंमे सूत कातकर अपने ही जुलाहोके यहाँ उसे बुनवा लेगे, और वही खादी पहनने लगेंगे। इसीलिए मै हजारवी बार यह कह रहा हूँ कि तमाम दगा-फरेब और ठगीकी दवा अपने ही सूतकी बुनी हुई खादी है। जिस प्रकार जितना गुड डाले उतना ही मीठा होता है, उसी प्रकार जितना महीन कातेंगे, हमे उतनी ही महीन और सस्ती खादी मिलेगी—ऐसी सस्ती कि उससे सस्ता कपडा हो ही नही सकता, और हो भी तो वह गरीबोके खूनसे सना होनेके कारण त्याज्य होगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-५-१९३१

२४०. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं अभी-अभी मथुरा पहुँचा हूँ और फ्रंटियर मेल पकड़नेके लिए मुझे लगभग पाँच घंटे इन्तजार करना है। यहाँके लोगोंने मुझे मथुराके पास स्थित बिझारी नामक गाँवमें इस महीनेकी २० तारीखको घटी घटनाका वृत्तान्त दिया है। उनके दिये बयानकी एक नकल मैं पत्रके साथ भेज रहा हूँ। बारडपर १८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। पर शिकायतकी सबसे अहम बात यह है कि पुलिस अपने अधिकार-क्षेत्रसे काफी आगे बढ़ गई। बारडसे तो कोई शिकायत है ही नहीं। यदि उन लोगोंने कुछ ऐसा किया जो पुलिसकी निगाहमें गलत या गैरकानूनी था, तो उनको गिरफ्तार करना अधिकारियोंके लिए सर्वथा उचित था।

मैं बारडोली जा रहा हूँ और मैं वहाँ यथासम्भव कम-से-कम दो-तीन दिन तो रहूँगा ही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
गृह-सचिव, भारत सरकार
शिमला

[अंग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक फाइल संख्या ३३/९, १९३१।
सौजन्य : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

२४१. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको[1]

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

मैं अम्बालाके लाला दुनीचन्द—उस इलाकेके एक जाने-माने वकील—द्वारा भेजे गये प्रतिवेदनकी एक प्रति[2] सलग्न कर रहा हूँ। आप चाहे तार द्वारा ही इस सम्बन्धमें एक ही पंक्तिका सन्देश भेजकर यह बतला दें कि इस मामलेमें आप कोई कार्रवाई करनेकी सोच रहे हैं या नहीं तो मैं आभार मानूँगा। कर्त्तव्यका शायद यही तकाजा है कि यदि आप इस मामलेमें कोई राहत न दिला पाये तो मुझे न्यायाधीशके इस कार्यकी सार्वजनिक रूपसे चर्चा करनी ही चाहिए। यदि लाला दुनीचन्द द्वारा बतलाये गये तथ्य सही हैं, तो इन तथ्योंसे यही प्रकट होता है कि न्यायाधीश द्वारा की गई कार्रवाई निश्चय ही शान्तिकी भावनाके विरुद्ध है जब कि समझौतेका मुख्य उद्देश्य शान्ति स्थापित करना ही था।

हृदयसे आपका,

सलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल संख्या १६ बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १९-५-१९३१ भी।

२. प्रतिवेदनमें दुनीचन्दने लिखा था : "...मैं १६ मईकी उन घटनाओंकी जाँच करने १८ मई, १९३१ को दोपहर बाद लुधियानाके लिए रवाना हुआ, जिसका समाचार आपको कालक्रममें दिया गया था। ...मुझे यह कहते हुए दुःख है कि शायद लुधियानाके अधिकांश सरकारी कर्मचारी गांधी-इर्विन समझौतेको महत्त्वहीन कागज-मात्र मानते हैं।...मेरी राय है कि लुधियानामें होनेवाली घटनाओंकी सरकार और जनताकी ओरसे स्वतन्त्र जाच तो होनी ही चाहिए साथ ही अभी तक स्थानीय अधिकारी जिस नीतिसे काम लेते रहे हैं उसकी भी जाँच की जानी चाहिए...।"

२४२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

सूरत, असम और सयुक्त प्रान्तसे प्राप्त विवरणोके उद्धरणोके साथ आपके तीन पत्र मुझे मिल गये। उनपर विचार हो रहा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गाधी

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन

[अग्रेजीसे]

गृह विभाग, राजनीतिक फाइल सख्या ३३/९, १९३१।
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

२४३. पत्र : गोसीबहन कैप्टेनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

मैं बारडोली पहुँचनेके लिए मथुरा जकशनपर सूरत ले जानेवाली फ्रटियर मेलका इन्तजार कर रहा हूँ। आपका पत्र मुझे यही मिला है। क्या मैंने कहा था कि सिले-सिलाये वस्त्र भी लिये जायेंगे? टुकडोके बारेमे तो मुझे याद है कि मैंने कहा था। मुझे बताइए कि कुल कितने लोग टुकडो या सिले-सिलाये कपडोसे छुटकारा पाना चाहते हैं। साथमे वस्त्रोकी तादाद और बाजारमें उनकी कीमत भी बताइए।

जानकर प्रसन्नता हुई कि दोनो बहनें थोडे विश्राम और स्वच्छ वायुके लिए आखिर पचगनी चली गई। और आपके जानेका क्या हुआ?

मैं कल दोपहर बारडोली पहुँच रहा हूँ।

श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
७८, नैपियन सी रोड
मलाबार हिल, बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७१३८)की माइक्रोफिल्मसे।

२४४. पत्र : होरेस जी० एलेक्जैंडरको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिल गया, धन्यवाद। असलमें मैंने आपका तार मिलते ही उसे खान अब्दुल गफ्फार खाँके पास भेज दिया था। अब चूँकि आपका आशय मेरे लिए ज्यादा स्पष्ट हो गया है, इसलिए आप भरोसा रखिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। एक काम मैं यह करने जा रहा हूँ कि कैप्टन वार्न्सके साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर दूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

प्रो० होरेस जी० एलेक्जैंडर
१४४, ओकट्री लेन
बर्मिंघम

अंग्रेजी (जी० एन० १४१०)की फोटो-नकलसे।

२४५. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

भोलानाथ सेनके[1] बारेमें आपका दुःखपूर्ण पत्र मिला। मैं हत्याकाण्डके बारेमें सब-कुछ पढ चुका हूँ। मैं जानता था कि चित्र और कृति दोनो ही बिलकुल आपत्ति-जनक नही थे। परन्तु लोगोकी शिकायत यह रही कि पैगम्बरका कोई भी चित्र प्रकाशित ही क्यो किया गया। शिकायत तो स्पष्ट ही मूढ़तापूर्ण है। लेकिन सीधे-सादे पठानोको किसी भी चीजपर उत्तेजित किया जा सकता है। ऐसे दुःखद काण्डोके सिलसिलेमें जब हमें कोई भी निश्चित इलाज न सूझता हो, तब सबसे कारगर उपाय मुझे यही लगता है कि हम प्रार्थना करें और एकदम मौन धारण कर लें। यदि हिन्दुओके हृदय [भी] पिघल सकें तो काम आसान हो जायेगा। पर वह तभी

१. एक पुस्तक-विक्रेता, जिसकी कलकत्तामें ७-५-१९३१ को प्राचीन कहानी नामक पुस्तककी बिक्रीके सिलसिलेमें हत्या कर दी गई थी।

होगा जब आप और मैं और शायद हमारे जैसे हजारों लोग अपने प्राण उत्सर्ग कर देंगे और उसे शुद्ध बलिदान बनानेके लिए हमें दिन-दिन अधिक शुद्ध बनने, या यह कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि दिन-दिन कम अशुद्ध बननेका प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। बंगालकी आपने जो हालत बताई है वह भी दुखी ही करती है। मैं आज मथुरामें हूँ। सूरत जानेके लिए फ्रंटियर मेलका इन्तजार कर रहा हूँ। अधिक सम्भावना यही है कि सुभाष बाबू सूरत तक ही जायेंगे। मैं अबतक उनसे मिल नहीं पाया हूँ। यह पत्र स्टेशन पर बोलकर लिखा रहा हूँ। मैं सरदारके आदेश पर बारडोली जा रहा हूँ। मंजिल तो बोरसद है, पर कह नहीं सकता वहाँ कब पहुँच पाऊँगा।

ट्रेनमें सुभाष बाबू मेरे साथ हैं?[1]

सप्रेम,

बापू

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर (कलकत्ताके पास)

अंग्रेजी (जी० एन० ८०३३)की फोटो-नकलसे।

२४६. पत्र : कैप्टन बार्न्सको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

प्रोफेसर होरेस एक्लेजैडरने मुझे एक विस्तृत पत्र लिखा है। उन्होंने बतलाया है कि आपको पेशावरमें काम करनेमें किन-किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है। प्रोफेसर एलेक्जैडरने लिखा है कि आप और श्रीमती बार्न्स दोनों भारतके सच्चे मित्र हैं। लेकिन आपके जिलेमें कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जो बिलकुल ही नहीं चलनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप यदि ठीक समझें तो मुझे निजी तौर पर अपनी जानकारीके मुताबिक सब-कुछ बतला दीजिए। वह सब प्रकाशनके लिए नहीं, मेरे निजी इस्तेमाल और मार्ग-दर्शनके लिए ही रहेगा। आप मेरे इस वचन पर विश्वास कीजिए कि मेरे सारे प्रयत्नोंका लक्ष्य एक ही है—उस प्रदेशमें सच्ची शान्ति स्थापित करना और लोगोंके दिमागमें यह बैठाना कि प्रगति उपद्रवों और

१. यह पंक्ति गांधीजी के स्वाक्षरोंमें है।

हिंसासे नही, वल्कि शान्त रहकर काम करने और अहिंसाका अवलम्बन करनेसे होती है।[1]

हृदयसे आपका,

कैप्टन वार्न्स
पेशावर

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

२४७. पत्र : निरंजन पटनायकको[2]

२४ मई, १९३१

प्रिय निरजन,

श्री नरसिंह साहूके वारेमे तुम्हारा तार मिला। उनके वारेमे पूरा ब्योरा मुकदमेके रिकार्डके साथ मेरे पास अवश्य भेज दो।

अग्रेजी (एस० एन० १७१०५) की माइक्रोफिल्मसे।

२४८. पत्र : पर्सी लैसीको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मथुरा पहुँचनेपर आपका सन्देश मिला; उसके लिए मेरा धन्यवाद। मैंने आपको जान-बूझकर तार नही दिया। क्योकि आपको लिखनेकी कोई जल्दी नही थी। यदि मै लन्दन गया तो लंकाशायर भी अवश्य जाऊँगा और लंकाशायरकी जनता पर प्रकट कर दूंगा कि व्यक्तिगत तौरपर मेरे और काग्रेसके मनमें लकाशायरके प्रति किसी भी तरह कोई दुर्भावना नही है और काग्रेस लकाशायरकी भरसक सहायता करेगी। इसलिए स्वाभाविक है कि मै लकाशायरमें अपना काम सुविधापूर्ण वनानेके लिए 'मैन्चेस्टर गार्जियन' की सशक्त सहायता अवश्य लूंगा और यह पसन्द भी

१. देखिए खण्ड ४७, "पत्र कैप्टन वार्न्सको", १९-६-१९३१ भी।

२. निरंजन पटनायकके तारके उत्तरमें। तार इस प्रकार था: राजमहेन्द्री जेलमें विजगापट्टम एजेन्सी राजके वन्दी नरसिंह साहूकी रिहाईके बाद विमलिपट्टम एजेन्सी विनियमके अन्तर्गत फिर गिरफ्तारी।"

करूँगा। आप कृपया इस पत्रको समाचारपत्रोंमें प्रकाशनके लिए न दें। हाँ, आप इसे मित्रोंको दिखा सकते हैं और 'मैन्चेस्टर गार्जियन'को तो दे ही सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री पर्सी लैसी
होटल सेसिल
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२८) की फोटो-नकलसे।

२४९. पत्र : प्रेमनाथ बजाजको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। युवक इस मामलेमें यह कर सकते हैं कि वे केवल विधवाओंसे ही विवाह करनेका सकल्प कर ले और यदि पण्डितोंमें उनको विधवाएँ न मिल सके तो चाहे सत्याग्रहके रूपमें ही हो, उनको अन्य जातियोंकी विधवाएँ देखनी चाहिए। लेकिन यदि वे अपने-आपको अपनी ही जातितक मर्यादित रखना चाहते हों तो उनको अपनी जातिके बडे-बूढ़ोंसे बात करनी चाहिए और उनको सूचित कर देना चाहिए कि यदि विधवाओंको पुनर्विवाह करनेके लिए अनुमति-भर ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो युवक जातिसे बाहर विवाह करनेपर विवश हो जायेंगे।

हृदयसे आपका,

पण्डित प्रेमनाथ बजाज
चोंधपुरा
श्रीनगर (कश्मीर)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२९) की फोटो-नकलसे।

२५०. पत्र : वाल्टर बी० फॉलेको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्र और दो लेखोके लिए धन्यवाद।

यदि आप अपनी सुविधानुसार किसी प्रकार सूरत या आनन्दतक आनेका मौका निकाल सकें तो उसे आपसे मिलकर सचमुच बडी प्रसन्नता होगी। मै आम तौरपर आनन्दके पास बोरसदमें या सूरतके पास बारडोलीमे रहता हूँ। अभी इस समय मै बारडोली ही जा रहा हूँ। आपका पत्र मुझे मथुरा जकशनपर सूरतकी गाडीका इन्तजार करते समय ही मिला था। अगले महीनेके दौरान लाहौर और कलकत्ताके बीच किसी भी जगह मेरे आने-जानेकी सम्भावना नही है।

हृदयसे आपका,

श्री वाल्टर बी० फॉले[1]
३, मिडिलटन स्ट्रीट
कलकत्ता

अग्रेजी (एस० एन० १७१३०)की माइक्रोफिल्मसे।

२५१. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

आपके पढने और आवश्यक कारंवाईके लिए एक और पत्र भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे इसका उत्तर दे दें। मैंने इसकी प्राप्ति-सूचना नही भेजी है। कृपया लिखिए कि इस कथनमें कोई सचाई है या नही।

संलग्न : १

श्री च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेनगोडु (द० भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७१३१)की माइक्रोफिल्मसे।

१. मैथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च, कलकत्ताके सम्पादकीय सचिव।

२५२. पत्र : जॉन विटमैनको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए मेरा धन्यवाद। यदि लन्दन गया तो मैं डेनमार्क और अन्य स्थानोंकी भी यात्रा जरूर करना चाहूँगा, लेकिन ठीक कह नहीं सकता कि कब कर पाऊँगा। मेननकी विपत्तियोंकी बात सुनकर बड़ा दुःख हुआ। परन्तु ऐस्थरको उनकी असफलताओंको लेकर चिन्तित नहीं होना चाहिए। उसे मेरी ओरसे स्नेह दीजिए और कहिए कि मैं उससे कहीं अधिक आस्था और इसीलिए कहीं अधिक जीवटकी आशा करता हूँ। कृपया उसने कहिए कि मुझे पत्र लिखे।

हृदयसे आपका,

श्री जॉन विटमैन
पीटी० ५५, ग्रोंटल्सवैज
कोपेनहेगन

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३२)की फोटो-नकलसे।

२५३. पत्र : अतुलप्रताप सिन्हाको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय सिन्हा,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। आपने उसमें प्रस्ताव किया है कि मेरे लन्दन आनेपर आप मुझे अपनी सेवाका लाभ देनेको तैयार हैं। अभी इस समय मुझे वहाँ आनेकी कोई सूरत नहीं दिखाई पड़ती; लेकिन यदि मैं आया तो आप मेरा पता चला ही लेंगे। पत्रमें आपने जिस घटनाका जिक्र किया है, खेद है वह मुझे याद नहीं पड़ती।

हृदयसे आपका,

श्री अतुलप्रताप सिन्हा
उपाध्यक्ष, इंडियन स्टूडेंट्स सेन्ट्रल एसोसिएशन
ब्रोमप्टन रोड, लन्दन साउथ वेस्ट-३

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३३)की फोटो-नकलसे।

२५४. पत्र : कार्ल जे० ब्रन्सकॉगको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके प्रश्नका उत्तर है·

विश्व-शान्तिके प्रसारका एक तरीका यह है कि भारतको सत्य और अहिंसाके बलपर स्वराज्य हासिल करनेमे सहायता दी जाये।

हृदयसे आपका,

कार्ल जे० ब्रन्सकॉग
लिल्ला नीग्यतॉ ४
स्टॉकहोम

अग्रेजी (एस० एन० १७१३४)की फोटो-नकलसे।

२५५. पत्र : जे० एन० साहनीको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय साहनी,

मैंने सुना कि आपने भेटका विवरण प्रकाशित कर दिया था। स्वीकार करना पडेगा कि उससे मुझे पीडा पहुँची। सच तो यह है कि आपको मालवीयजी या अनसूयाबहनसे न तो उनकी अनुमति लेनी चाहिए थी और न उसका उपयोग ही करना चाहिए था· इसलिए कि यह मामला ऐसा था जिसमें प्रकाशनके सम्बन्धमें निर्णय करनेका अधिकार मुझ अकेलेको ही था। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नही हुआ, लेकिन ये छोटी-मोटी भूले इतने सारे समाचारपत्र बार-बार करते रहते है कि सबको मिलाकर देखनेपर यह चूक बहुत भारी लगने लगती है और इससे कुरुचि झलकती है। घरेलू किस्मकी ऐसी बातचीत समाचारपत्रोमे छापनेकी चीज नही होती। विवरण प्रकाशित करनेसे इनकी अहमियत और इनका असर जाता रहता है। अनसूयाबहनने भी मुझे उसके बारेमें लिखा है। उनको हार्दिक क्लेश पहुँचा है और उनका कहना है कि उसमे कई भूले भी है। पर मै समझता हूँ कि भूल-सुधार छापनेसे भी अब कोई विशेष लाभ नही होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उसके बारेमे सब-कुछ बिलकुल भुला दिया जाये और आप अपनी ओरसे भूल-सुधार इसी

तरह कर सकते हैं कि आगेसे ऐसी गलती मेरे ही नहीं, किसीके भी बारेमें न दोहरायें। मैंने जो बात समझानेकी कोशिश की है, यदि आप उसे स्पष्टतः समझ गये हों तो मैं मानूंगा कि भूलका नतीजा अच्छा ही निकला।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एन० साहनी
हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३६)की माइक्रोफिल्मसे।

२५६. पत्र : ईश्वरदास नैयरको

स्थायी पता, साबरमती
२४ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। चूंकि मैं लगातार यात्राएँ कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे मिलनेके लिए मैं आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता। मेरे साथ आपके रह पानेका तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, आश्रममें आप कुछ दिन रहकर वहाँ अपना मार्ग निश्चित कर सकते हैं। यदि मेरा सुझाव आपको मंजूर हो तो आप वहाँ जानेसे पहले प्रबन्धकको लिखकर उनकी अनुमति प्राप्त कर लें।

हृदयसे आपका,

श्री ईश्वरदास नैयर
हाउस प्रोप्राइटर
पुराना बाजार
गुजरात[1]

अंग्रेजी (एस० एन० १७१३७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान)का एक कस्बा।

२५७. पत्र : शान्ता पटेलको

बारडोली
२५ मई, १९३१

चि० शान्ता,

तेरा पत्र मिला। तूने मुझे जो बताया है, मैंने भी वही बात समझी है। किन्तु अब भी मैं तुझे यही सलाह दूँगा कि तू लड़कियोंके साथ रहना सीख और उनके ही साथ खेलकर सन्तोष किया कर। प्रेमाबहन-जैसे लोगोंके साथ रहना सीख और उससे प्रमाण-पत्र प्राप्त कर। छोटी बहनोंकी सेवा कर, उन्हें सिखा-पढ़ा। पुष्पाकी खुराकका ध्यान रख। उसे भात थोड़ा ही खाना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४०६०)की फोटो-नकलसे।

२५८. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२५ मई, १९३१

चि० नारणदास,

आज सुबह बारडोली पहुँच गया। जाना तो बोरसद था, पर आ यहाँ गया। लेकिन दूसरोंका चाकर कर भी क्या सकता हूँ? साथमें भगवानजी का जो पत्र भेज रहा हूँ, शायद वह तुमने न पढा हो। हरियोमलकी शिकायत क्या है? हम चोरको तो नहीं पहचान सके न? गाँवोंमें गये ही नहीं, इसलिए पहचानते भी तो कैसे? जब चोरोंका उपद्रव होता है, तभी ग्राम-प्रवेशका अभाव खटकता है। लगता है, कुसुम आदिको पंजाबी वैद्यकी दवा माफिक नहीं आई।

रतिलालको थाना ले जानेके लिए राजकोट तार भेजा है। थोड़े दिन तो यहाँ रहूँगा ही।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

क्या वालजी अभी बम्बईमें ही है? और अस्पतालमें है?

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

२५९. पत्र : प्रबन्धक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

यात्रा और व्यस्तताओंके कारण मैं आपके ७ मईके पत्रका उत्तर और पहले नहीं दे पाया। आपने पत्रमें जो सुझाव रखे हैं, मुझे पसन्द आये। मैंने व्यक्तिगत तौरपर अभीतक अपने किसी भी प्रकाशनका कापीराइट कभी नहीं लिया। यह काम मैंने श्री एन्ड्रयूजकी मर्जी पर ही पूरी तरह छोड रखा था कि वे अपने तैयार किये संक्षिप्त संस्करणोंका जैसा चाहें करें। लेकिन यदि श्री एन्ड्रयूज या उनके प्रकाशकोंसे कोई अनुमति लेनेकी आवश्यकता हो तो कृपया आप उनसे ले लें। रायल्टीके बारेमें आपने जो लिखा मैंने देख लिया है। अपने पत्रमें उल्लिखित शर्तोंके अनुसार जब भी आप प्रस्तावित पुस्तक प्रकाशित करनेका निर्णय करें, मुझे आशा है आप उसकी पाण्डुलिपि मेरे पास आवश्यक पुनर्निरीक्षण और परीक्षणके लिए अवश्य भेजेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री आर० ई० हॉकिन्स
प्रबन्धक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
निकॉल रोड, बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० ५६८६)की फोटो-नकलसे।

२६०. पत्र : कावसजी जहाँगीरको[1]

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय श्री कावसजी,

और पहले उत्तर न भेज सकनेके लिए आप मुझे क्षमा करनेकी कृपा करेंगे। मैं नैनीतालसे कल ही बारडोली लौटा हूँ। मैं नैनीताल और शिमलामें वहींके कार्योंमें इतना व्यस्त रहा कि आपको या सरदार गरदाको उत्तर[2] लिखनेका समय निकाल ही नहीं पाया। सरदार गरदाको भेजे उत्तरकी एक प्रति मैं आपके पास भेज रहा

१. कावसजी जहाँगीरके पत्रके उत्तरमें। पत्रमें सरदार गरदा द्वारा की गई कुछ खास शिकायतोंका उल्लेख करते हुए गांधीजी से अनुरोध किया गया था: "परेशान करना तुरन्त बन्द करा दिया जाये।"

२. देखिए अगला शीर्षक।

हूँ, जो अपने-आपमें पूर्ण है, इसलिए उसके बारेमें कुछ कहनेकी जरूरत नही। अपने नाम उनके पत्रकी एक प्रति भी मै आपको भेज रहा हूँ। बहुत ही उदार दृष्टि अपनाई जाये तो भी कमसे-कम इतना तो कहना ही पडेगा कि उनके आरोप अस्पष्ट है और जनता वास्तवमे उनको भी स्वीकार करनेको तैयार नही है। लेकिन उनकी सबसे उचित शिकायत उन घटनाओको लेकर ही हो सकती थी, जो भूमि वापस करनेके उनके वचनके बाद हुई हो, अर्थात् वे सब रावबहादुर भीमभाईका पत्र मिलनेके बाद या २५ अप्रैलको हमारी पहली बातचीतके बाद की ही हो सकती थी। यदि आप २५ अप्रैलकी तिथिको सीमा माने तो आप देखेंगे कि उसके बादकी घटनाओके बारेमे सिर्फ एक ही पैरा लिखा गया है। उसमें कहा गया है "२८ अप्रैलको बाबलाकी जनताने फिर मेरे टापूसे काम करने आये मजदूरो और गाडीवानोको और इसी महीनेकी ३ तारीखको एक राजपूत परिवारने डराया-धमकाया। धमकियोमे यह भी धमकी दी गई कि उनके झोंपडोको उनमे रहनेवाले लोगोके साथ ही जला दिया जायेगा।"

मैंने बडी सतर्कतापूर्वक इन आरोपोकी जाँच कर ली है और मैंने सम्बन्धित लोगोके हलफिया बयान ले लिये है, जिनमे इनका प्रतिवाद किया गया है। लेकिन यदि आपको इस जाँच-पडतालसे सन्तोष न हो तो मै इसके लिए बिलकुल तैयार हूँ कि आप इन दो शिकायतोकी जाँच करनेके लिए अपनी ओरसे किसीको भी नामजद कर दे।

कहा जाता है कि भीकाभाईने अपना बँगला लेनेसे इनकार कर दिया है। पर मैंने सुना है कि उनका कहना है कि उन्होने ऐसी कोई बात नही कही। यदि बँगला न देनेकी बात कही भी हो, तो हम ऐसे मामलोमे कोई दखल कैसे दे सकते है?

आपके पत्रमे उल्लिखित एक अन्य शिकायतमें यह वाक्य पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ और दु.ख भी: "मै आपका ध्यान पारसियोको तग करनेवाली अन्य उन घटनाओकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो मुझे बतलाई गई है।" इससे तो लगता है कि आप यह मानकर चलते है कि सरदार गरदाको तो तग किया ही गया है और आपने अबतक बिलकुल ही अप्रमाणित दो घटनाओके आधारपर एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हुए यह आरोप लगा दिया है कि पारसियोके पूरे समाजको ही पारसी होनेके नाते तग किया जा रहा है। सच तो यह है कि पिछले बारह वर्षोमे राजनीतिक कार्यकी इतनी सरगर्मीके दौरान काग्रेस और पारसियोंके सम्बन्ध बहुत ही अच्छे रहे है। तब फिर पारसियोको तग करनेकी कोई बात उठती ही कहाँ है? और यदि यह सिद्ध भी किया जा सके तो क्या आपने जिसका उल्लेख किया है उस महिलाको[1] तग किये जानेकी घटनाका सरदार गरदाके इस वचनपर कोई प्रभाव पडना चाहिए कि वे उनके अपने कहे मुताबिक कौडीके मोल खरीदी उस भूमिको लौटा देगे? फिर भी मै आपको इस बातका पक्का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि काग्रेसका ऐसा कोई

१. श्रीमती कान्ट्रैक्टर, जिनकी थाना और घाटकोपरमें विदेशी और देसी शराबकी दो दुकानें चलती थी।

मंशा नहीं कि पारसियोंको तंग किया जाये। महिलाके मामलेमें तो उसकी जाँच करनेवाले श्री भरूचाका भी आरोप है। और यह देखते हुए कि दो प्रतिष्ठित पारसियों द्वारा परस्पर विरोधी आरोप लगाये गये हैं, मैं आपसे यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप ही किसी व्यक्तिको नामजद कर दें जो जाँच करके आपको निष्कर्ष बताये। इस सिलसिलेमें आपका पत्र आनेतक मैं महिलाके मामलेमें आगे कोई जाँच-पड़ताल नहीं करूँगा।

हृदयसे आपका,

संलग्न: २

सर कावसजी जहाँगीर
रेडीमनी मेन्शन
चर्चगेट स्ट्रीट
फोर्ट, बम्बई

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२६१. पत्र: फ्रॉमरोज बी० गरदाको[1]

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय सरदार गरदा,

मुझे दुःख है कि गुजरातमें मौजूद न रहने और अन्य व्यस्तताओंके कारण मैं आपके पत्रका उत्तर इससे पहले नहीं दे पाया। आप देखेंगे कि आपकी शिकायतोंमें दो के अतिरिक्त शेष सब उस समयके पहलेकी हैं जब आपने जमीनें उनके असली मालिकोंको लौटा देनेका निर्णय लिया था। २८ अप्रैल और इस महीनेकी ३ तारीखको हुई जिन दो घटनाओंका आपने उल्लेख किया है, उनके सम्बन्धमें मैंने आरोपोंकी जाँच कर ली है और लोगोंने उनसे एकदम इनकार कर दिया है। आपने २५ अप्रैलसे पहलेके कुछ अन्य मामलोंका भी जिक्र किया है, जो न्यायालयोंमें चल रहे हैं। उनके सिवा अन्य सभी मामलोंकी मैंने जाँच कर ली है। हालाँकि दोष लगाते हुए यह कहा गया है कि वे २५ अप्रैलसे पहलेके हैं; लेकिन सम्बन्धित लोगोंने दोष स्वीकार नहीं किया है। निश्चय ही आप बड़ौदा क्षेत्रमें स्थित अपनी भूमिके सिलसिलेमें अपने किसानों द्वारा की जानेवाली कार्रवाइयोंके लिए, कांग्रेसियोंको जिम्मेदार नहीं मानते। वहाँ आपके किसानोंके साथ कांग्रेसवालोंका बिलकुल भी कोई सम्बन्ध या व्यवहार नहीं है।

१. देखिए "तार: फ्रॉमरोज बी० गरदाको", ६-५-१९३१ भी।

सच तो यह है कि न्यायालयोंमें चल रहे मुकदमोंको समझौतेके बाद वापस लेनेका काम तो आपको ही करना था। इसलिए मुझे यह कहनेपर विवश होना पड़ता है कि अपने वचनसे फिर जानेका आपने बिलकुल भी कोई कारण नहीं बतलाया। जो भी हो, मेरा सुझाव है कि भूमि लौटानेका वचन दे चुकनेके बाद यदि आपको लगा था कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आपके लिए उचित यही था कि आप किसीकी मध्यस्थताका सहारा लेते या फिर ऐसा ही कोई दूसरा तरीका अपनाते, लेकिन पूरे सोच-विचारके बाद दिये गये अपने वचनसे आपको फिरना तो नहीं चाहिए था।

हृदयसे आपका,

सरदार फ्रॉमरोज गरदा
नवसारी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सख्या १६-सी, १९३१
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

२६२. पत्र : यू० गोपाल मेननको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय गोपाल मेनन,

आपका पत्र मिला। एम० पी० नारायण मेननके मामलेकी मुझे पूरी जानकारी है। किसी मिशनरी मित्रने मुझे लॉर्ड इर्विनके नाम एक पत्र उनतक पहुँचा देनेके विचारसे दिया था। मैंने खुशीसे वह पत्र लॉर्ड इर्विनको दे दिया था और उनसे नारायण मेननकी रिहाईके लिए कोशिश करनेको कहा था। उस मामलेके न्यायके सम्बन्धमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। दुर्भाग्यसे लॉर्ड इर्विनसे मेरी भेंट दिल्लीसे उनके प्रस्थानके दो दिन पहले ही हुई थी। इसलिए अधिक सम्भावना इसी बात की है कि वे शायद कुछ न कर पाये हों। अब तो यही है कि आप सर सी० पी० रामस्वामी अय्यरका द्वार ही बार-बार खटखटाते रहें, क्योंकि आपका ही कहना है कि उनको मामलेकी अच्छी जानकारी है।

मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी प्रस्तावित सत्याग्रहके बारेमें मैं दूसरे पक्षकी पूरी बात सुननेके बाद ही कोई निश्चित राय दे सकूंगा। आपने जो आपत्ति उठाई है वह विचारणीय अवश्य है। मुझे लगता है कि इससे अधिक कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

हृदयसे आपका,

श्री यू० गोपाल मेनन, बी० ए०, बी० एल०
कालीकट

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४३)की माइक्रोफिल्मसे।

२६३. पत्र : जुगलकिशोरको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय जुगलकिशोर,

आपका इसी महीनेकी १४ तारीखका पत्र मिला। बारडोलीसे लौटते समय मुझे लगभग पाँच घंटे मथुरामे रुकना पडा। तब मै आपके साथ आये उन मित्रसे मिला था। उनका नाम क्या है? परस्पर चर्चाके बाद वह और मै दोनो ही इस बातपर सहमत हो गये थे कि जबतक आप निकट ही किसी निश्चित तिथितक महाविद्यालयको आत्मनिर्भर बना देनेका एक कार्यक्रम तैयार न कर ले, तबतक मुझे आपकी अपीलपर सार्वजनिक तौरपर कोई ध्यान नही देना चाहिए। लेकिन मैंने उनको पहले की गई चर्चाकी शर्तोंके अनुसार न्यासियोंके नाम एक पत्र दे दिया था।

मथुरामें आपकी बड़ी याद आई।

आचार्य जुगलकिशोर
प्रेम महाविद्यालय
वृन्दावन

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४४)की माइक्रोफिल्मसे।

२६४. पत्र : मगन्ती बापी नीडूको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय नीडू,

तुम्हारा मर्मस्पर्शी पत्र मिला। इतना निराश होनेकी तो जरूरत नही। निराश और पस्त होनेकी तो कोई बात ही नही। मै समझता था कि तुम्हे अपने माता-पिता और बच्चेका भरण-पोषण करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए तुम्हारे साबरमती आश्रम जानेकी बात कही है। तुम्हे इन आश्रितोके लिए तीस रुपये प्रति माह दिये जायेंगे। आश्रममें रहने और खानेका तुम्हे कुछ भी नही देना पडेगा। आश्रमका रहन-सहन अपना लेनेपर तुम्हारी समस्या आसानीसे हल हो जायेगी, और सचमुच तुम्हारा आश्रममे रहना देश-सेवाका काम भी होगा, कारण सीधा है कि आश्रमका सारा काम राष्ट्रीय कार्य ही है। तुम्हे आश्रमके जीवनकी यदि बिलकुल जानकारी न हो

तो नारायण राजूसे पूछ सकते हो। मेरा ख्याल है, वह यहाँ शायद साल-भर रह चुका है। आन्ध्र देशके इतने सारे लोग अक्सर आश्रममें आकर रहते रहे हैं।

हृदयसे आपका,

श्री मगन्ती बापी नीडू,
एल्लौर (पश्चिमी गोदावरी जिला)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४५)की माइक्रोफिल्मसे।

२६५. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

चटगाँव जिलेके पेटियासे आया हुआ एक पत्र सलग्न है। मैंने लेखकको तार[1] देकर पूछा था कि क्या मैं उनका नाम दे सकता हूँ और क्या वे इन तथ्योंको प्रमाणित करनेको तैयार हैं। पता पूरा न होनेके कारण तार उनको मिल नहीं सका। मैंने उनको पत्र भी लिखा था,[2] पर अबतक उत्तर नहीं आया है। यदि पत्रमें उल्लिखित तथ्य सही हैं, तो मामला सचमुच गम्भीर है। लेकिन तुम जाँच करके आवश्यक कार्रवाई कर सकते हो। आशा है अहमदाबादमें तुम्हारा समय काफी अच्छा गुजरा होगा।

श्री सुभाषचन्द्र बोस
मारफत बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७१४६)की फोटो-नकलसे।

२६६. पत्र : एल० आर० गुरुस्वामी नायडूको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय गुरुस्वामी,

आपका पत्र मिला। आपने उसमें धरनेसे सम्बन्धित कठिनाइयोंका विवरण दिया है। आप जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, यदि उसका आपने सही-सही ब्योरा दिया है तो मुझे उसमें कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती और अधिकारियोंका कार्य समझौते की शर्तोंके विरुद्ध ही नहीं, बल्कि मेरी रायमें तो गैरकानूनी भी था। आगेकी प्रगति

१. देखिए "तार : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको", २१-५-१९३१।
२. देखिए "पत्र : मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको", २१-५-१९३१।

के बारेमें कृपया मुझे बराबर सूचित करते रहिए। मैं चाहता हूँ कि आप श्री राजगोपालाचारीसे भी सम्पर्क बनाये रहें। आपका पत्र मैंने उनके पास भेज दिया है।

हृदयसे आपका,

श्री एल० आर० गुरुस्वामी नायडू
अध्यक्ष, ताल्लुका काग्रेस कमेटी
कोइलपट्टि (मद्रास प्रेसीडेंसी)

अग्रेजी (एस० एन० १७१४७)की माइक्रोफिल्मसे।

२६७. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

कोइलपट्टि ताल्लुका काग्रेस कमेटीके एल० आर० गुरुस्वामी नायडूका पत्र भेज रहा हूँ। उनके नाम अपने पत्रकी[1] एक प्रति भी सलग्न कर रहा हूँ। यदि गुरुस्वामीके पत्रमे वर्णित तथ्य सही हो, तो आपको इस मामलेमें मुस्तैदीसे कार्रवाई करनी चाहिए।

आशा है ९ तारीखको बम्बईमें आपसे मुलाकात होगी।

श्रीयुत च० राजगोपालाचारी
गाधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (दक्षिण भारत)

अग्रेजी (एस० एन० १७१४८)की माइक्रोफिल्मसे।

२६८. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय शंकरलाल,

मसुलीपट्टममे भूमि और इमारत खरीदनेकी डॉ० पट्टाभि सीतारमैयाकी सलाहके बारेमे यदि खरीदकी कीमत पाँचसे छः हजार रुपयोके बीच तय हो जाये, तो मैं प्रस्तावसे सहमत हूँ।

श्रीयुत शंकरलाल बैंकर
मिर्जापुर, अहमदाबाद

अग्रेजी (एस० एन० १७१४९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२६९. पत्र : डॉ० मु० अ० अन्सारीको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय डॉ० अन्सारी,

आपका तार मिल गया। मैं तो सोचता था कि आप इस बातसे सहमत हैं कि यदि साम्प्रदायिक समस्या हल न हो पाये तो काग्रेसको गोलमेज परिषद्मे शामिल नही होना चाहिए। अब आप शास्त्री[1], एन्ड्रयूज और पोलक द्वारा रखे सुझावसे क्यो सहमत हो गये? पर आप इससे सहमत हो या न हो, आपको इस बातपर तो विचार करना ही होगा कि यदि मैं कोई हल निकले बिना ही वहाँ जाऊँगा तो मेरे अन्दर जितना चाहिए उतना आत्मविश्वास नही रहेगा। यदि मेरे अपने ही देशमें यहाँ परस्पर फूट रहेगी तो मैं क्या माँगे रख पाऊँगा और राष्ट्रीय माँगको बहुत दृढताके साथ कैसे पेश कर पाऊँगा? लेकिन तारका जो उत्तर मैंने दिया है उसमें यही कहा है कि यदि मुझे गोलमेज परिषद्के अतिरिक्त अन्य विषयोपर चर्चा करनेके लिए लन्दनमे आमन्त्रित किया गया तो मैं प्रसन्नताके साथ तो तभी जा सकूंगा, जब मुझे विश्वास हो जायेगा कि समझौतेपर ठीक-ठीक अमल हो रहा है।

क्या आपने मौलवी मुहम्मद याकूब द्वारा की गई घोषणा देख ली है? किसी भी भावी हलमें सिखोके शामिल होनेकी आवश्यकताके सम्बन्धमें दिये गये मेरे वक्तव्य के बारेमे समाचारपत्रोमे क्या आया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। क्या उससे बचनेकी कोई सूरत आपको दिखाई पडती है?

शिमला-वार्त्तामे अनेक विषयो पर बात ही नही हो पाई थी। मैं ९ जूनके इन्तजारमें हूँ। उस समय हम बातचीत फिर शुरू करनेकी स्थितिमें होगे।

डॉ० मु० अ० अन्सारी
१, दरियागंज
दिल्ली

अग्रेजी (एस० एन० १७१५०)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "तार: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २३-५-१९३१।

२७०. पत्र : अब्बास तैयबजीको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

आपका आह्लादपूर्ण पत्र मिला। मैं सरदारके आदेशपर कल ही बारडोली लौटा हूँ और उनके आदेशके मुताबिक कम-से-कम कुछ दिन यहीं रहूँगा। यदि अचानक कहीं औरसे बुलावा नहीं आ गया तो ३ या ४ जूनके आसपास भी मैं यहाँ या बोरसदमें रहूँगा। आप जानते ही हैं कि मेरा समय मेरे अपने हाथमें नहीं है। एक सरदार तो मौजूद है ही; फिर एक सरकार भी है—इन दोनोंकी सेवामें मेरी चैनसे गुजर रही है।

महाराजाके नाम अपने पत्रकी मुझे प्राप्ति-स्वीकृति तक प्राप्त नहीं हुई। क्या आपका ख्याल है कि मुझे उनको फिरसे लिखना चाहिए? यदि हाँ, तो कृपया उनका पता मुझे लिख दीजिए। आप दीवानसे स्वयं क्यों नहीं मिल लेते? पढ़कर खुशी हुई कि रेहाना मायेरान गई है। आराम लेनेसे उसे लाभ पहुँचना चाहिए।

श्रीयुत अब्बास तैयबजी
बड़ौदा शिविर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५१) की फोटो-नकलसे।

२७१. पत्र : मन्त्री, इंडियन एसोसिएशन, ईराकको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पिछली २८ अप्रैलका छपा हुआ पत्र मिला। पिछले पत्रोंकी मुझे कोई जानकारी नहीं। वे शायद मेरे जेल-प्रवासके दिनोंमें आये होंगे। मैं सभी तरह आपकी संस्थाकी सफलताकी कामना करता हूँ। क्या आप मुझे ईराकमें बसनेवाले भारतीयोंकी तादाद और उनके पेशेके बारेमें थोड़ी-बहुत जानकारी देंगे और क्या आप मुझे यह भी बतलायेंगे कि अरबों और आपके बीच पूर्णत. मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है या नहीं?

हृदयसे आपका,

मन्त्री
इंडियन एसोसिएशन, ईराक
पो० बा० संख्या ७१, रेजीडेंसी रोड
बगदाद

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५२)की माइक्रोफिल्मसे।

२७२. पत्र : हरदयाल नागको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय बाबू हरदयाल नाग,

आप काग्रेसके शायद सबसे पुराने सदस्य है, फिर भी आप मुझे जब-तब पत्र लिखकर अपना युवकोचित उत्साह प्रकट करते रहते हैं। आपका सबसे हालका पत्र मै प्रकाशित नही कर रहा हूँ। हम चाहे या न चाहे, साम्प्रदायिक समस्या तो सामने है ही। और यदि हम उसे हल नही कर पाये तो मै राष्ट्रीय माँगको उतनी दृढतासे पेश नही कर पाऊँगा जितनी दृढतासे उसे साम्प्रदायिक समस्या हल हो जानेके बाद पेश कर सकता हूँ। गोलमेज परिषद्मे काग्रेसके शामिल होनेके सिलसिलेमे क्या आप यह आधारभूत आपत्ति नही देख रहे है? यदि स्वराज्यका सविधान बनना है तो साम्प्रदायिक समस्याका हल निकालना ही पडेगा।

आशा है अब भी आपका तेज पहले जैसा ही बना हुआ है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत हरदयाल नाग
चाँदपुर (बगाल)

अग्रेजी (एस० एन० १७१५४)की फोटो-नकलसे।

२७३. पत्र : एल० जे० बर्गेसको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। हालाँकि तीसरी प्रस्थापनाको मुझे शायद कुछ भिन्न शब्दोमें रखना चाहिए, फिर भी मै तीनो प्रस्थापनाओंके सामान्य आशयका निस्सकोच अनुमोदन करता हूँ। मैने यह कभी नही कहा कि किसी भी जातिका धर्म अन्य किसी भी धर्मके जितना ही अच्छा है। मै आपको 'यग इडिया'के वे दो अक भेजनेकी कोशिश कर रहा हूँ जिनमे इस प्रश्नसे सम्बन्धित मेरे विचार

दिये गये हैं। मेरी तरफसे धार्मिक स्वतन्त्रतामें कानूनी हस्तक्षेप करनेकी कोई बात कभी उठी ही नहीं।

हृदयसे आपका,

एल० जे० वर्गेस महोदय
सॉल्ट हिल
दार्जिलिंग

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५५)की फोटो-नकलसे।

२७४. पत्र : रघुवीरसिंहको

स्थायी पता, साबरमती
२६ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपके पहले प्रश्नका उत्तर यह है कि यदि आपके मनमें उपाधियाँ (डिग्रियाँ) प्राप्त करने या कालेजोंके पाठ्यक्रमों द्वारा भौतिकीका ज्ञान हासिल करनेकी सचमुच उत्कट लालसा है, तो आप कालेजमें फिरसे दाखिला जरूर ले लें।

आपके अपने मित्रोंकी सहायताके बारेमें मेरा ख्याल है कि वे यदि भूखों मर रहे हों तो उनकी सहायता करनेका आपको अधिकार है ही, बल्कि वह तो आपका कर्त्तव्य है। लेकिन उनके उद्देश्योंको आगे बढ़ानेमें योग देनेका आपको अधिकार नहीं है। और उनके नाम तो पुलिसको किसी भी हालतमें नहीं बतलाये जा सकते।

हृदयसे आपका,

श्री रघुवीरसिंह
मारफत बंगाली सारेम
कलेक्टरका कार्यालय
मेरठ

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५६)की माइक्रोफिल्मसे।

या अनुशासनकी हम आशा नही कर सकते। इनको लानेके लिए ही मै इतना अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

सरदार सुरेन्द्रसिंह
लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१५८)की फोटो-नकलसे।

२७७. पत्र : मनमोहनदास पी० गांधीको

२६ मई, १९३१

भाई मनमोहनदास,

क्या करूँ? तुम्हारी पुस्तिका[1] उठाकर भी नही देख सका। एक तो यह मुसाफिरी और उसपर काम?

१. विदेशसे बारीक कामोके लिए कितनी कपास आती है?
२. क्या उसकी सचमुच जरूरत है?
३. क्या उससे देशी कपासको नुकसान होता है?
४. कपासकी फसलसे जमीनको फायदा होता है या नुकसान?
५. कपासके बदले क्या सचमुच अनाजकी फसल पैदा करना ज्यादा अच्छा है?
६. क्या उससे सचमुच जमीन ज्यादा अच्छी हो जाती है?

इनपर विचार करके जवाब देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १३)की फोटो-नकलसे।

१. परदेशी कापड़नी सामे हरीफाई केम करवी; अपनी अंग्रेजी पुस्तिकाका लेखक द्वारा गुजराती अनुवाद किया गया अंग्रेजी पुस्तिकाके सम्बन्धमे। देखिए खण्ड ४५, पृष्ठ २३६।

२७८. पत्र : प्रभावतीको

वारडोली
२६ मई, १९३१

चि० प्रभावती,

मैं तुझे नैनीतालसे पत्र नही लिख सका। तेरा पत्र तो मिल गया था। मैं कठिनाई समझता हूँ। ससुरजीकी क्या सेवा करती है? वे तुझे सेवामें लगाये रहे तो यह अच्छा ही रहे। तेरा मन उसमे लग जाये तो दौरे पडना बन्द हो जाये और शायद शरीर भी सुधर जाये। तुझे रुपये भेजनेके बारेमें तो मै लिखना भूल ही गया, यो नारणदासको मालूम तो है ही। क्या इससे कुछ परेशानी हुई? जितनेकी जरूरत हो, नारणदाससे मँगा लेना। अभी तो वारडोलीमें ही रहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४१३) की फोटो-नकलसे।

२७९. पत्र : वसुमती पण्डितको

वारडोली
२६ मई, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। वैद्यकी दवाका क्या असर हुआ है सो लिखना। कौन-सी दवा क्या दी जा रही है? मैत्रीका किस बातका इलाज हो रहा है? महावीर और मैत्रीसे लिखनेके लिए कहना। गगाबहन कब आयेगी? मुझे तो फिलहाल यही रहना पडेगा। रामदास और नीमू अलमोडा पहुँच गये है। रामभाऊ आश्रम आ गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२४)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५७० से भी।
सौजन्य: वसुमती पण्डित

२८०. पत्र : लक्ष्मीबहन खरेको

वारडोली
२६ मई, १९३१

चि० लक्ष्मीबहन,

रामभाऊ वहाँ पहुँच गया होगा। उसपर खीझकर या मार-पीटकर उससे काम न लेना। जैसा उसे ठीक लगे, वैसा करने देना। पढना अच्छा न लगे तो कुछ हाथ का काम करे। कोई उद्योग सीख ले। चाहे सगीतमे ही ध्यान लगाये। उसकी इच्छा जानकर जैसा वह करना चाहे, करने देना। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह उसकी देख-भाल कोई और नही कर सकता, न उसको कोई दूसरा सुधार ही सकता है। धीरजसे काम लेना। वह जो निश्चय करे, वह मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २७८)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: लक्ष्मीवहन खरे

२८१. पत्र : फीरोजाबहन तलयारखाँको

वारडोली
२६ मई, १९३१

प्रिय वहन,

मै कल ही यहाँ पहुँचा। तुम्हारा पत्र मिल गया है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाना। थोड़ा समय निकाल लूँगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

[पुनश्च:]

सूरतसे वारडोलीके लिए गाड़ी मिल सकती है।

श्रीमती फीरोजाबहन तलयारखाँ
कवालिया हिल
बम्बई

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७७४) से।

२८२. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको

वारडोली
२७ मई, १९३१

सर प्रभाशकर पट्टणी
भावनगर

तारके लिए आभारी। जव चाहे, वारडोली आ जायें।

गांधी

अग्रेजी (जी० एन० ५९१५)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३२३०से भी।
सौजन्य. महेश पट्टणी

२८३. पत्र : नारणदास गांधीको

वम्बई
मौनवार [२८ मई, १९३१ के पूर्व][1]

चि० नारणदास,

मौनवारको पत्र लिखूं तुम्हारी यह माँग याद है, इसीलिए यह लिख रहा हूँ। वैसे समय तो नही है।

सभी आश्रमवासियोसे कहना कि मैं लिखूं या न लिखूं उनके लिए दोनो वाते एक-सी होनी चाहिए। मैंने वहुत-कुछ कहा है, जो-कुछ हो सका है, वह किया है। उसमे से वे जो-कुछ अपना सकते हों अपना लें। हमारे पास तो वही 'अनासक्तियोग', 'भजनावलि' और 'रामायण' रूपी तीन ढाले हैं। उनका पारायण मेरे पत्रसे या सहवाससे भी ज्यादा शक्तिप्रद है। ऐसा मेरा विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि यही दूसरे सब लोग भी माने।

पजाबी वैद्यकी दवा यमुना और कुसुमको माफिक आये तो यह एक नई प्राप्ति मानी जायेगी। सचमुचमें ऐसा ही हो तो राधा और आनन्दीका भी उन्हींसे इलाज करवाये।

सन्तोक अव कैसी है?

स्वदेशी व्रतपर लिखनेके लिए अभीतक समय नही निकाल पाया।

वापूके आशीर्वाद

१. स्वदेशी-व्रत सम्वन्धी लेखके उल्लेखसे। उक्त लेख २८ मईको भेजा गया था। देखिए "पत्र: नारणदास गांधीको", २९-५-१९३१।

[पुनश्च :]

राजकोटमे रतिलालकी देख रेखके लिए किसी साथीकी माँग की गई है। तुम्हारी दृष्टिमें क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे वहाँ भेजा जा सके? उसे वेतन तो अच्छा देगे ही।

आज वोरसद जा रहा हूँ, इसलिए अव पत्र वही लिखना।

वापू

[गुजरातीसे]

वापुना पत्रो—: ९ श्री नारणदास गांधीने

२८४. संयुक्त प्रान्तके जमींदारोंसे

संयुक्त प्रान्तके किसानोके लिए मेरी विज्ञप्ति[1] आपने इस अकमें अन्यत्र होगी। मै जानता हूँ कि जहाँतक संयुक्त प्रान्तकी सरकार द्वारा दी गई रियायतका सम्वन्ध है मेरी विज्ञप्ति उससे कुछ आगे जाती है, और उस हदतक वह गवर्नर साहवको पूरी तरह पसन्द नही है। परन्तु उस विज्ञप्तिमें किसानोंको जो सलाह दी गई है, उसमें उनकी लगान अदा करनेकी शक्ति वतानेका प्रामाणिक प्रयत्न किया गया है। इसलिए मै आशा रखता हूँ कि उस की सूचनाके अनुसार यदि किसान लगान अदा करे, तो जमीदार और सरकार उसे लेकर किसानोको दायित्वसे पूरी तरह मुक्त कर देगे। परन्तु सयुक्त प्रान्तमें प्रचलित मालगुजारी-पद्धतिके अनुसार अधिकाश वोझ पहले जमीदारोपर पडेगा। मै यह आशा लगाये हूँ कि जो जमीदार किसानोकी शर्तें स्वीकार करेगे, उनके साथ सरकार उस हिसावसे रियायत करेगी।

जमीदारोको मै विश्वास दिला सकता हूँ कि मुझसे जितना हो सकता है, मैंने देहातकी स्थितिका अध्ययन करनेका प्रयत्न किया है। मुझे जो विश्वस्त आँकडे मिले हैं, उन्हे देखनेके वाद और अधिक अच्छी शर्तें रखना शक्य न था। नीचे भावो की दो तालिकाएँ देता हूँ :

सन् १८७३ के भावोको १०० मानकर (गेहूँ, चना, ज्वार, धान और वाजरा आदि) मुख्य अनाजोंके भावोंके साकेतिक आँकडे :

वर्ष	कीमत	वर्ष	कीमत
१८८०	११८	१९०६–१०	१९५
१८८१–८५	१००	१९११–१५	१९४
१८८६–९०	११९	१९१६–२०	२७२
१८९१–९५	१२८	१९२१–२५	२९४
१८९६–१९००	१६६	१९२६	३००
१९०१–०५	१३६	१९३१ (मई, संयुक्त प्रात)	१३२

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे", २३-५-१९३१।

तालिका–२

वर्ष	मनकी दर रुपयोमे	वर्ष	मनकी दर रुपयोमें
१८८०	१.५	१९०६–१०	३.५६
१८८१–८५	१.६८	१९११–१५	३.३१
१८८६–९०	२ ०८	१९१६–२०	४.६३
१८९१–९५	२.२२	१९२१–२५	४.७३
१८९६–१९००	२.७५	१९२६–२८	४ ९
१९०१–०५	२ ३४	१९३१ मई	२.३

इन आँकडोसे पता चलता है कि सन् १९१५से मुख्य वस्तुओके भाव ५० फीसदी घटे है। दाम १८८६के बराबर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दर आज जितनी कम है, उतनी कम होनेकी बात मौजूदा पीढीमे किसीको याद नही है। यदि उस समयके लगानका विचार करे, तो मेरी विज्ञप्तिके अनुसार किसानोंको रुपयेमे जो आठ आने या बारह आने देने है, वे उससे बहुत कमके देनदार निकलेंगे। यह तो सब कबूल करते है कि इधर कुछ वर्षोंसे किसानोकी हालत कभी अच्छी थी ही नही। वस्तुत. सयुक्त प्रान्तके पूर्वी विभागके तीन सौसे अधिक गाँवोमे की गई जाँचसे भी पता चलता है कि मौजूदा दरके अनुसार फसलके जो दाम खडे होते है, वे लगानकी रकमके बराबर भी नही हो पाते। इसमे से खेतीका खर्च नही घटाया गया है। मै मानता हूँ कि यह जाँच विशेषज्ञोने नही की थी। इसलिए उसमें वैज्ञानिक यथार्थताका अभाव है। परन्तु जैसी है, उसी रूपमे इतनी स्पष्ट तो अवश्य है कि वह हमे विचार करने पर बाध्य करे।

कहा जाता है कि मि० हूपरने जो किसी समयके सेटलमेंट अफसर थे, सयुक्त प्रान्तके किसानोकी जमीदार जो व्याख्या करते है, वह इस प्रकार दी है:

> किसान वह है, जो रोज एक जून खाकर जीनेको तैयार हो, जो जमीनका अधिकसे-अधिक लगान देनेके लिए या गँवारू भाषामें कहें तो, स्त्री-बच्चोंको बेचनेके लिए तैयार हो; जमींदार जो मनमाने कर आदि माँगें सो सब देनेको तैयार हो, जो जमींदारके लिए बेगार करने, उसके लिए अदालतमें गवाही देने और साधारणतया उससे जो-जो कहा जाये, वह सब काम करनेको हमेशा राजी हो।

यह वर्णन ऐसा नही है जिसपर कोई जमीदार गौरवका अनुभव कर सके। परन्तु मि० हूपरके कालके बाद जमीदारोके विचारोमे क्रान्ति हो गई है। उनमे से बहुतेरे अपने काश्तकारोके प्रति समभाव रखते है। वे उनके सुख-दु:खमे भाग लेनेका प्रयत्न करते है। परन्तु यह काम जिस गतिसे हो रहा है, उससे कही अधिक तेजीके साथ होनेकी जरूरत है। किसानोमे जो महान् जागृति हुई है, उसके साथ उनमें अपनी स्थितिके बारेमे असन्तोपका पैदा होना और उनका अपने हकोके बारेमें अधिक आग्रह करना अनिवार्य है।

मैं चाहता हूँ कि जमींदार काश्तकारोंकी स्थितिकी सत्यताको पहचानें और अपनी दृष्टिमें इतना परिवर्तन कर डालें। मौजूदा कठिनाई तो किसी-न-किसी तरह दूर हो जायेगी। लेकिन उसके दूर होते ही सो जाना गलत होगा।

जमींदार पहले ही से प्रबन्ध कर रखें तो अच्छी बात है। वे सिर्फ लगानकी वसूली करनेवाले ही न बने रहें। वे अपने काश्तकारोंके रक्षक और विश्वासपात्र मित्र बनें। वे अपने निजी खजानेपर अकुश रखें। वे विवाह वगैराके अवसरोंपर जबर्दस्ती भेंटके रूपमें, या एक किसानकी जमीन दूसरेके कब्जेमें जानेपर या लगान अदा न करनेके लिए किसानको बेदखल कर चुकनेके बाद उसे फिरसे जमीन लौटाते वक्त नजरानेके रूपमें, लगानके सिवा जो अनुचित कर वसूल करते हैं, वह वसूल करना छोड दें। वे किसानोंको लगान देनेकी अवधि ठहरा दें, उनकी भलाईके कामोंमें पूरी-पूरी दिलचस्पी लें, उनके बालकोंके लिए सुव्यवस्थित शालाएँ, बडी उम्रके स्त्री-पुरुषोंके लिए रात्रिशालाएँ, बीमारोंके लिए अस्पताल और दवाखाने स्थापित करें, गाँवोंकी सफाईका ख्याल रखें और अनेक रीतिसे उनमें ये भाव पैदा करें कि जमींदार उनके सच्चे मित्र हैं और अपनी विविध सेवाओंके बदलेमें निश्चत किया हुआ मेहनताना ही लेते हैं। थोडेमें, उन्हें अपने पदकी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए। उन्हें काग्रेसके लोगोंपर विश्वास रखना चाहिए। वे स्वय भी काग्रेसमें शामिल हों और समझ लें कि काग्रेस प्रजा और सरकारके बीचका एक पुल है। जिनके दिलमें सचमुच ही रैयतके हितका ध्यान है, वे सब काग्रेसकी सेवाका उपयोग कर सकते हैं। काग्रेसी अपनी तरफसे इतनी फिक्र रखें कि किसान जमींदारोंके साथ किये गये वादोंको धर्म-भावसे पूरा करें। मेरा यह आशय नहीं है कि वे कानून-सम्मत वादोंका ही पालन करें, बल्कि जो वादे उन्होंने उचित समझकर किये हों उन सबका पालन करें। वे उस सिद्धान्तको न मानें कि उनकी जमीन अकेले उन्हींकी है और जमींदारोंका उसमें कोई हक नहीं है। ख्याल यह होना चाहिए कि वे एक सयुक्त परिवारके सदस्य हैं, या उन्हें ऐसा होना चाहिए; और जमींदार उस परिवारका बुजुर्ग है, और उनके अधिकारोंका सरक्षण करता है। कानून कुछ भी कहे, जमींदारी जबतक सयुक्त परिवारकी स्थितिके निकट नहीं पहुँचेगी, उसको स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

राम और जनकका आदर्श मुझे पसन्द है। उनके पास प्रजाकी इच्छाके विरोधमें कोई सम्पत्ति न थी। वे स्वय और उनका सर्वस्व जनताका था। वे लोगोंमें उनके जीवनसे ऊपर नहीं, बल्कि उनसे मिलती-जुलती स्थितिमें रहते थे। परन्तु शायद कोई उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति न माने, तो महान खलीफा उमरका दृष्टान्त लीजिए। वे अपने प्रौढ बुद्धि-कौशल और आश्चर्यजनक उद्योगसे अर्जित विशाल साम्राज्यके बादशाह थे, फिर भी वे एक फकीर-जैसा जीवन बिताते थे, और अपनेको कभी चरणोंके सामने पडी हुई अनन्त समृद्धिका स्वामी नहीं मानते थे। लोगोंके धनको विलासमें उडा डालनेवाले अधिकारी उनके भयसे काँपते रहते थे।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८५. टिप्पणियाँ

महमूदाबादके महाराजा साहब

महमूदाबादके महाराजा साहबकी असामयिक मृत्यु[1] से एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीचसे उठ गया है, जिनकी सूझ-बूझकी राष्ट्रीय जीवनकी इस नाजुक घडीमें आवश्यकता थी। वे हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढानेके लिए सच्चे हृदयसे चिन्तित थे और राष्ट्रीय मामलोमें उनकी नेक सलाह हमेशा उपयोगी रहती थी। मैं महाराजा साहबके परिवारके प्रति सादर अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

विषैली पत्रकारिता

अखबारोंकी नफरत पैदा करनेवाली बातोंसे भरी हुई कुछ कतरनें मेरे सामने पडी है। इनमें साम्प्रदायिक उत्तेजना, सफेद झूठ और खून-खरावीके लिए उकसाने-वाली राजनीतिक हिंसाके लिए प्रेरित करनेवाली बाते है। नि.सन्देह, सरकारके लिए मुकदमे चलाना या दमनकारी अध्यादेश जारी करना बिलकुल आसान है। पर ये उपाय क्षणिक सफलताके सिवाय अपने लक्ष्यमें निष्फल ही रहते है, और ऐसे लेखकोका हृदय-परिवर्तन तो कतई नहीं करते, क्योकि जब उनसे अखबारोका प्रकट क्षेत्र छीन लिया जाता है तो वे बहुधा गुप्त प्रचार-कार्यका सहारा लेते है।

इसका वास्तविक इलाज तो वह स्वस्थ लोकमत है, जो विषैले समाचारपत्रोको प्रश्रय देनेसे इनकार करता है। हमारे यहाँ पत्रकार सघ है। वह एक ऐसा विभाग क्यो न खोले, जिसका काम विभिन्न समाचारपत्रोको देखना और आपत्तिजनक लेख मिलनेपर उन पत्रोके सम्पादकोका ध्यान उस ओर आकर्षित करना हो? दोषी समा-चारपत्रोंके साथ सम्पर्क स्थापित करना और जहाँ ऐसे सम्पर्कसे इच्छित सुधार न हो सके, वहाँ उन आपत्तिजनक लेखोकी प्रकट आलोचना करना ही इस विभागका काम होगा। समाचारपत्रोकी स्वतन्त्रता एक बहुमूल्य अधिकार है और कोई भी देश इस अधिकारको छोड़ नही सकता। परन्तु यदि इसकी रोकथामकी कोई सख्त कानूनी व्यवस्था न हो, केवल बहुत नरम किस्मकी ही कानूनी व्यवस्था हो, जैसा कि उचित भी है, तो भी मैंने जैसा सुझाया है, रोकथामकी एक आन्तरिक व्यवस्था करना असम्भव नही होना चाहिए और उसपर लोगोको नाराज भी नही होना चाहिए।

नौजवान भारत सभा

इस सभाके एक सदस्यने मथुरा जकशनपर मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी यह कहा है कि काग्रेसके किसी भी सदस्यको इस सभाका, या सभाके किसी भी सदस्यको काग्रेसका, सदस्य नहीं बनना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जहाँतक मुझे याद है, मैंने ऐसी राय कभी नही दी। उन्होंने तुरन्त ही प्लेटफार्मपर खड़े हुए

१. एक प्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता, जिनकी मृत्यु २३ मईको हुई थी।

नौजवानोको मेरे जवावका भावार्थ कह सुनाया, और कहा कि किसी काग्रेसी सदस्यने झूठमूठ ही इसे मेरी राय वताया है। यह वात झूठ है और अव हरएक काग्रेस-सदस्य सभामें शामिल होने और सभाका हरएक सदस्य काग्रेसमे शामिल होनेको स्वतन्त्र है। जिस रायका सम्वन्ध मेरे नामके साथ जोड़ा जाता था, वह मैंने जाहिर नही की थी, पर इसका अर्थ यह तो नही होता कि सभी काग्रेस-सदस्य सभामे शामिल होनेको स्वतन्त्र है, या उन्हें सभामें शामिल होना चाहिए। हरएक सभाके अपने नियम होते है। इसलिए यदि काग्रेस-सदस्य यह जाने विना किसी भी सभा या अन्य सस्थाके सदस्य वनते है कि उसकी सदस्यताके नियम क्या है, उसमे काम करनेवाले कौन है, और उसके कामके तरीके क्या है, तो मुझे इससे दु ख होगा। किसीको भी किसी सस्थामें जवर्दस्ती तो शामिल किया नही जा सकता। 'नौजवान भारत सभा' की उन्नति तभी होगी जव वह अपने खातेमें राष्ट्रकी रचनात्मक सेवाका हिसाव दिखा सकेगी, अन्यथा नही।

प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस-कमेटियाँ

नैनीतालमें मैंने संयुक्त प्रान्त और अन्य प्रान्तोमें वनी कुछ प्रतिद्वन्द्वी काग्रेस-कमेटियोकी वात सुनी थी। मैंने अनेक स्थानोपर चुनावोको लेकर चलनेवाले विवादो की वात भी सुनी थी। यह वुरा लक्षण है। इस प्रकारकी अस्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता जहाँजहाँ भी है, वहाँ कोई-न-कोई खरावी जरूर होगी। काग्रेस कमेटियोमे पदोके लिए छीना-झपटी होना भी एक वहुत ही अशोभनीय लक्षण है। काग्रेसके किसी भी पदका आधार तो सेवाको ही माना जाना चाहिए। और जहाँ सेवा ही मुख्य लक्षण हो, वहाँ कोई अस्वस्थ कही जा सकनेवाली प्रतिद्वन्द्विता हो ही नही सकती। कोई भी स्त्री या पुरुष पदोकी छीना-झपटीमें पडे विना वडी आसानीसे सेवा-कार्य कर सकता है। राष्ट्रके वुद्धिमान सेवक स्वय अनुभव करेगे कि इस प्रकारकी अस्वस्थ होड़में पड़नेकी अपेक्षा उससे अपनेको अलग रखना उनके लिए कही लाभप्रद रहेगा। और सेवाके लिए किसीको अलगसे कोई सगठन वनानेकी आवश्यकता नही होती। उदाहरणके लिए यदि मै अपने गाँव या इलाकेके वच्चोको पढाना या वहाँ सफाई करना चाहूँ, या अपने पडोसियोकी सेवा-शुश्रूषा या खादीका प्रचार या इसी प्रकारके कुछ ऐसे सेवा-कार्य करना चाहूँ जिनसे देशकी उन्नतिमें सहायता मिलती है और जिनमे मेरा सारा समय खप सकता है, तो इनके लिए मुझे कोई सगठन वनानेकी कोई जरूरत क्यो पड़ेगी?

कांग्रेस और साम्प्रदायिकता

एक सवाददाता पूछते है कि जो कांग्रेस-सदस्य प्रकट रूपसे साम्प्रदायिक सम्मेलनो और दूसरे साम्प्रदायिक प्रचार-कार्यमें भाग लेता है, क्या वह काग्रेस-सस्थाका पदाधिकारी वन सकता है?

मेरे खयालसे ऐसा कोई नियम नही है जिससे साम्प्रदायिकताके कारण किसी कांग्रेस-सदस्यका किसी पदके लिए चुनाव निषिद्ध ठहरता हो। परन्तु यदि काग्रेसको एक विशुद्ध राष्ट्रीय सस्था रहना है, सवके साथ न्याय करना है और अल्पसख्यकोकी

रक्षा करनी है तो काग्रेस उन लोगोको कभी न चुनेगी जिनके साम्प्रदायिक पूर्वग्रह या झुकाव काफी स्पष्ट दिखते है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८६. ईसाई मिशन

रेवरेड वी० डब्ल्यू० टुकरके पत्रके निम्नलिखित अश प्रकाशित करते हुए मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है:[1]

> शिक्षा, रोगोंका इलाज और इसी प्रकारके अन्य तरीकोंके जरिए लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करनेकी कोशिशोंके दौरान ईसाई मिशनरियोंकी गतिविधियों का आपने विरोध किया है। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ। जब शिक्षाका इस्तेमाल ऐसे प्रयोजनके लिए किया जाता है तो वह शिक्षा रह ही नहीं जाती; बल्कि वह शिक्षाके स्थानपर सरकार द्वारा जारी की गई वर्तमान प्रणालीको स्थायी बनानेकी एक कोशिश-भर बनकर रह जाती है, और उसे कोई भी ऐसा ईमानदार मिशनरी एक क्षणके लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिसे उसके अपने देशके शैक्षणिक प्रयोगोकी थोड़ी भी जानकारी हो और जिसकी बुनियादी दिलचस्पी शिक्षामें ही हो, धर्म-परिवर्तनमें नही। यह तो ठीक है कि रोगसे छुटकारा पानेका रोगियोंका अधिकार है, लेकिन साथ ही यह अनुमान करना भी शायद नितान्त अनुचित नही होगा कि मिशनरी चिकित्सकोंका अपने चिकित्सालयोंमें तुरन्त लाभ पहुँचानेवाली दवाओंपर विशेष जोर देने और रोगोंकी रोक-थाम करनेवाली दवाओं तथा स्वास्थ्य-शिक्षाकी उपेक्षा करनेके पीछे उनकी बुद्धिहीनता नहीं, बल्कि लोगोंको तुरन्त लाभ पहुँचाकर उनको अपने धर्ममें दीक्षित करनेका उत्साह ही रहा है। यदि जनताका कल्याण और उनके व्यक्तित्वका विकास ही जन-सेवाका एकमात्र उद्देश्य नहीं रहेगा तो सभी मानवीयतापूर्ण सेवा कार्योंपर इसका दुष्प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। और यदि व्यक्तियोंको किसी अन्य सामाजिक या धार्मिक समुदायमें शामिल करनेकी दृष्टिसे ही कोई सेवा-कार्य किया जायेगा, तो फिर जनसेवाके उद्देश्यका निर्वाह नहीं किया जा सकता।
>
> . . . इस युगमें यही भावना प्रधान है कि धर्म और ईश्वरके प्रति निष्ठा तुरन्त ही फलवती होनी चाहिए और उसके कारण व्यक्तिकी भौतिक समृद्धिमें तुरन्त वृद्धि होनी ही चाहिए। यह भावना सभी आध्यात्मिक धर्मोंका निषेध है, उनकी अस्वीकृति है। . . . सचमुच इस प्रकारकी भावनाने समूचे ईसाई सम्प्रदायके चरित्रमें विकृति पैदा कर दी है। . . . वैसे तो जीवनके

१. साधन-सूत्रसे प्राप्त पाठसे अंशत. उद्धृत।

किसी भी क्षेत्रमें इस सिद्धान्तको उचित नहीं ठहराया जा सकता कि शुद्ध लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए कैसे भी साधनों, अशुद्ध साधनों तकका प्रयोग उचित है, परन्तु धर्मके क्षेत्रमें जहाँ हृदयकी शुद्धिको ही सर्वोपरि रहना चाहिए, इस सिद्धान्तका कोई भी औचित्य नहीं।

. . . ईसा सामाजिक समताके उत्कट अभिलाषी थे; हिन्दू धर्मके सर्वोत्कृष्ट कालमें यह उसकी भी विशेषता रही है। स्वयं एक कट्टर यहूदी होते हुए भी, उनमें कभी साम्प्रदायिकता नहीं आई और उन्होंने ऐसी हरएक प्रवृत्ति का सख्त विरोध किया जो सार्वभौम भ्रातृत्वकी भावना पैदा होनेमें बाधक बनती थी। तत्कालीन राष्ट्रवादका विरोध उन्होंने इसी कारण ठीक उसी तरह किया था जैसा कि आप आज भारतमें पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ पैदा करनेवाले राष्ट्रवादका कर रहे हैं। मेरा अपना विश्वास है कि यदि आधुनिक ईसाई मिशनरी अपने ईश्वर और प्रभुके प्रति सच्चे रहना चाहते हैं तो उन्हें लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करनेकी सभी कोशिशें एकदम बन्द कर देनी चाहिए; क्योंकि ऐसा करके वे उन लोगोंको एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यवस्थासे अलग करते हैं और इस प्रकार उस सामाजिक व्यवस्थाके उत्थानके प्रति उन लोगोंमें दायित्वहीनताकी भावना पैदा करते हैं।

. . . इस सरकारने गैर-ब्रिटिश मिशनरियोंपर यह शर्त लगा दी है कि वे इस देशकी आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों-जैसे परम महत्त्वपूर्ण मामलों में बिलकुल तटस्थता बनाये रखें और इतना ही नहीं, सरकारने उनको एक प्रतिज्ञा करनेपर भी विवश किया है जिसका अर्थ सरकार यह लगाती है कि मिशनरी लोग सरकारको सक्रिय समर्थन देंगे। . . . मेरे अपने मामलेमें तो सरकारने मेरे राजनीतिक सभाओंमें दर्शककी हैसियतसे जानेमें भी आपत्ति की है, और सो भी तब जब वह बिलकुल स्पष्ट रूपसे मानती है कि मेरे ऊपर किसी भी नैतिक कलंकका कोई आरोप नहीं है। लेकिन मैंने सरकारको जो वचन दिया है, सरकार उसकी यही व्याख्या करती है कि मुझे यह अधिकार भी नहीं है। भारतके ईसाई मिशनरियों और संसारकी एक सबसे अधिक संगठित बुराई — साम्राज्यवाद — के बीच साठ-गाँठ हो जाने और मिशनरियोंके उसके हाथमें खेलनेका यह एक अत्यन्त ही स्पष्ट प्रमाण है।

इसीलिए मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि आपने स्पष्ट कर दिया है कि स्वराज्य सरकारके अन्तर्गत आप इस बुराईको बरकरार नहीं रखेंगे; और आप ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं करेंगे कि यदि मिशनरी लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करना नहीं छोड़ देंगे तो उनको अपने देश वापस लौटनेके लिए विवश किया जाये। कोई भी सरकार इस प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रताको सीमित करनेकी धृष्टता नहीं कर सकती। . . .

श्रेष्ठतर धर्म होनेके ईसाई धर्मके विशिष्ट दावेकी आपने जो आलोचना की है, उसके प्रति तो मुझे पूरी सहानुभूति है, पर आपके इस कथनसे निकलनेवाले निष्कर्षोंका तो मुझे विरोध करना ही पड़ेगा कि भारतके धर्म उसके लिए पर्याप्त हैं। . . .

इस पत्रमें मुझे अपनी ओरसे कुछ भी नहीं जोड़ना है। लेकिन मुझे अपने उस कथनपर आग्रह करते रहना पडेगा जिसपर रेवरेंड टुकरने आपत्ति की है: कथन यह है: "भारतके धर्म उसके लिए पर्याप्त हैं।" निश्चय ही इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि भारतको अपने धर्म बदलने या नये धर्म अपनानेकी कोई जरूरत ही नहीं। पर यह बात जिस लेखमें कही गई है, उसके सन्दर्भसे स्पष्ट हो जाता है कि उसका यह अर्थ बिलकुल ही नहीं होता कि विभिन्न धार्मिक मतोंके व्याख्याताओं को अन्य धर्मोंसे कुछ सीखना ही नहीं है। यदि विभिन्न धार्मिक मतोंके बीच सहानुभूतिपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो जाये और एक-दूसरेसे कुचक्रोंकी कोई आशंका न हो, तो प्रत्येक धर्म शेष अन्य धर्मोंसे बहुत-कुछ सीख सकता है। विरोध तो केवल इस बातका किया गया है कि लोगोंको अपने धर्ममें दीक्षित करना ही एक लक्ष्य हो और उसके लिए भी सदा उचित तथा शुद्ध साधन न अपनाये जायें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८७. पंचायतें

पचायत नाममें एक पुरानी सुगन्ध है; यह एक अच्छा शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है गाँववालों द्वारा चुने गये पाँच आदमियोंकी सभा। यह उस पद्धतिका सूचक है, जिसके द्वारा भारतके ग्रामीण प्रजातन्त्रोंका शासन चलता था। परन्तु अंग्रेज सरकारने अपनी अत्यन्त निर्दय लगान-वसूलकी पद्धतिसे इन पुराने प्रजातन्त्रोंको प्रायः नष्ट कर डाला, ये लगान-वसूलीके इस आघातको सह न सके। गाँवके बड़े-बूढ़ोंको दीवानी और फौजदारीके हक देकर काग्रेसवाले इस प्रथाको पुनः जीवन देनेका प्राथमिक प्रयत्न कर रहे हैं। १९२१में पहली बार ऐसा प्रयत्न किया गया था पर वह असफल रहा। अब फिरसे यह किया जा रहा है, परन्तु यदि यह किसी निश्चित पद्धतिके अनुसार उचित ढगसे नहीं किया गया — मैं शास्त्रीय पद्धतिकी बात नहीं कहता — तो यह फिर असफल हो जायेगा।

मुझसे नैनीतालमें कहा गया था कि संयुक्त प्रान्तके कुछ स्थानोंमें बलात्कार-जैसे फौजदारी मामलोंकी पेशी भी इन तथाकथित पचायतोंमें हुई। मैंने कुछ नासमझ या स्वार्थी पचायतोंके मनमाने फैसलोंके किस्से भी सुने हैं। ठेठ असमसे मेरे पास यह रिपोर्ट आई है:

निश्चित रूपसे पता चला है कि चापरमुखकी कांग्रेस कमेटीने वहाँ एक प्रकारकी द्वैध-शासन प्रणाली शुरू कर दी है, जिसके द्वारा दीवानी और

फौजदारी मामलोंका फैसला किया जाता है। चापरमुखके पड़ोसमें कुछ शाखा-कार्यालय भी हैं, जहाँ इसी प्रकारकी कार्रवाई होती है। चापरमुखके दफ्तरमें दीवानी और फौजदारी मामलोंके रजिस्टर भी रखे जाते हैं। कहा जाता है कि फौजदारी मामलोंमें जुर्माने किये जाते हैं और दीवानी मुकदमोंमें डिग्रियाँ जारी की जाती हैं, और कुछ मामलोंमें डिग्रीके अनुसार जायदाद जब्त की गई है, या जब्त करनेकी कोशिश हुई है।

अगर यह सच हो, तो यह बहुत बुरी बात है। ऐसी अनियमित पचायतें अपने ही असह्य बोझके नीचे दबकर चूर-चूर हो जायेंगी। इसलिए ग्राम्य कार्यकर्त्ताओंकी रहनुमाईके लिए नीचे कुछ नियम दिये देता हूँ:

१. प्रान्तीय काग्रेस कमेटीकी लिखित स्वीकृतिके बिना कोई भी पचायत कायम न की जाये;

२. पचायतका पहला चुनाव ढिंढोरा पीटकर सार्वजनिक सभाकी सूचना देकर उस सभामें किया जाना चाहिए;

३. तहसील कमेटी द्वारा उसकी सिफारिश की जानी चाहिए;

४. ऐसी पचायतको फौजदारीके हक नही होने चाहिए;

५. यदि दोनो फरीक पचायतके सामने अपनी शिकायतें पेश करे तो वे दीवानी मामलोका विचार कर सकती हैं;

६. पंचायतमे अपने मामलेका विचार करानेके लिए किसीपर दबाव न डाला जाये;

७ किसी पचायतको जुर्माना करनेका अधिकार नही होना चाहिए; नैतिक अधिकार, कठोर पक्षपातहीनता और दोनो पक्षोका स्वेच्छापूर्वक आज्ञा-पालन ही उसकी दीवानी डिग्रियोकी स्वीकृतिका आधार होना चाहिए,

८. फिलहाल सामाजिक या अन्य किसी तरहका बहिष्कार नही किया जाना चाहिए;

९. हरएक पचायतसे यह आशा रखी जायेगी कि

(क) वह गाँवके बालक-बालिकाओकी शिक्षाका प्रबन्ध करे;

(ख) सफाईकी व्यवस्था करे;

(ग) औषध आदिका इंतजाम करे;

(घ) गाँवके तालाब और कुओकी मरम्मत तथा सफाईका ख्याल रखे;

(ङ) तथाकथित अन्त्यजोंकी उन्नति और उनकी दैनिक आवश्यकताओंका ध्यान रखे;

१०. बिना किसी उचित कारणके जो पचायत चुनावके छ: महीनोंके अन्दर ९ वे नियममें उल्लिखित आवश्यकताओका प्रबन्ध करनेमें असफल रहे, या दूसरी तरह गाँववालोका विश्वास सम्पादन न कर सके, या ऐसे किसी कारणसे—जो प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके विचारमे पर्याप्त हो—स्वय निन्दित ठहरे, तो उसे तोडकर उसके स्थानमे नई पचायत चुनी जा सकती है।

आरम्भिक अवस्थाओमें आवश्यक है कि पचायतोको जुर्माना करने या सामाजिक बहिष्कार करनेका अधिकार न दिया जाये। गाँव सिद्धान्तहीन मनुष्योके हाथोमे पडकर सामाजिक बहिष्कार एक भयकर हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्मानेका नतीजा भी बुरा हो सकता है और वह उसके उद्देश्यको ही विफल बना सकता है। जो पचायत वास्तवमे लोकप्रिय है और नवें नियमके अनुसार रचनात्मक काम करके अपनी लोकप्रियताको बढाती है, अपनी नैतिक महत्ताके फलस्वरूप लोग उसके फैसलो और अधिकारोंका सम्मान आप ही करने लगेंगे। यह किसीको प्राप्य या किसीसे छीना जा सकनेवाला एक बडे-से-बड़ा अधिकार है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८८. नमक

शिमलासे नीचे लिखी अभिनन्दनीय विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है:

लॉर्ड इर्विन और श्री गांधीके बीच जबसे समझौता हुआ है, भारत सरकार समझौतेकी २० वीं धारापर अमल करनेके लिए भिन्न-भिन्न जिलोंकी व्यवस्था और नियमादिकी तफसील निश्चित करनेमें लगी हुई है। इस धाराका सम्बन्ध उन स्थानोके निवासियों द्वारा, उनके बिलकुल पासकी जगहोंमें, जहाँ नमक इकट्ठा किया या बनाया जा सकता है, वहाँ नमक बटोरने और बनानेसे है। ये तफसीलकी बातें अब प्रायः सब जगह तय हो चुकी हैं, और साधारणतया जिस प्रकार इस व्यवस्थापर अमल किया जाना चाहिए, वह नीचे दिया जाता है:

१. समझौतेकी २० वीं धारा गरीबोंके हितके लिए रखी गई है। नमकके क्षेत्रके आसपासके गाँववाले निजी खर्चके लिए और गाँवमें बेचनेके लिए भी नमक बटोर या बना सकते हैं।

इसमें निजी खर्चमें खादके लिए, मवेशीके लिए और मछलीको सड़नेसे बचानेके लिए खर्च होनेवाला नमक भी शामिल है।

२. नमक बटोरने या बनानेके लिए गाँववाले नमक-क्षेत्रमें गड्ढे खोद सकते हैं या घेरकर जमीन छेक सकते हैं।

३. गाँवके बाहर व्यापार नहीं किया जा सकता। बटोरा और बनाया हुआ नमक लोग खुद उठाकर ले जायेंगे, गाड़ी वगैरापर लादकर नहीं ले जा सकते।

४. जहाँ इस प्रकार नमक बनाया जायेगा, वहाँ सरकारी अफसर किसी तरहकी दस्तन्दाजी नहीं करेंगे, और वहाँसे सरकारी पहरा भी हटा लिया जायेगा।

५. जिस गाँवमें इस अधिकारका दुरुपयोग होगा वहाँ निवासियोंसे नमक बनानेका अधिकार छीन लिया जायेगा। यदि किसी गाँवके लोग जरूरतसे ज्यादा नमक इकट्ठा कर रखेंगे तो समझा जायेगा कि उस गाँवने अधिकारका दुरुपयोग किया है।

मैं आशा रखता हूँ कि कार्यकर्त्ता इन सूचनाओंको समझेंगे और सावधानीके साथ गाँववालोंको समझा देंगे, जिससे मर्यादाका कहीं उल्लंघन न होने पाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २८-५-१९३१

२८९. देश-सेविकाओंसे

२८ मई, १९३१

जब मैं बम्बईमें था तब देश-सेविकाओंसे मिलनेकी इच्छा थी। मैंने मिलनेका समय निकालनेका प्रयत्न किया परन्तु सब बहनोंसे नहीं मिल सका था। अन्तमें सब बहनोंने अपने हस्ताक्षरसे पत्र लिखकर सन्तोष मान लिया था। उनका आभार मानते हुए आजतक मैं उन्हें दो पंक्तियाँ भी न लिख सका। इसका एक कारण यह था कि सफरमें वक्त नहीं मिलता, परन्तु दूसरा और मुख्य कारण तो यह है कि मैं लिखते समय बराबर इसे भूलता ही गया। आशा है, बहनें मुझे माफ करेंगी। सेविकाओंके कामका कुछ-न-कुछ वर्णन तो अखबारोंमें छपा ही करता था, और जेलमें मुझे दो-तीन अखबार भी मिलते थे, जिससे मुझे उनके कामकी जानकारी हो सकती थी। बहनोंकी सतत सेवा और उनकी निडरता देखकर मेरा हृदय खुशीसे उछल पड़ता था। मुझे आशा है कि बहनें इसी हौसलेके साथ आगेका अधिक कठिन और रचनात्मक कार्य भी करेंगी और अपना तथा देशका गौरव बढ़ायेंगी। हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंने पिछले बारह महीनोंमें जो किया है, उससे दुनियाको आश्चर्य तो हुआ ही है; परन्तु इसीसे बहनोंके कार्यकी इतिश्री नहीं हो जाती। यह तो श्रीगणेश ही हुआ है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

२९०. पत्र : प्रभावतीको

२८ मई, १९३१

चि० प्रभा,

पत्र मिला। यदि विवाह जून मासके अन्ततक न हो सकता हो तो तुम वापस आजाओ, बादमें विवाहके समय एक सप्ताहके लिए वहाँ चली जाना। ठीक तो यही होगा। मेरी दृष्टिसे तो विवाहके लिए सारे दिन शुभ है। किन्तु यदि यह बात न मानी जा सके और माता-पिता खुशीसे आनेकी आज्ञा दे दें तो तू फौरन आ जाना। यदि उन्हे बुरा लगे तो जूनका पूरा महीना वही बिता दें। सीतावदियारा भी जाकर रह सकती है और कुटुम्बके प्रति कुछ ऋण अदा कर सकती है। यदि वहाँ रहना पड़ता है तो काकाजी,[1] बाबाजी तथा विनोबाको लिख देना और उनकी आज्ञा ले लेना। मै तो कह ही दूँगा। वहाँ रहनेके बारेमें पूरी स्थिति तो तुझे ही मालूम है इसलिए तुझे जैसा ठीक लगे वही करना।

जयप्रकाशको उसके दर्दके बारेमें कड़ाईसे लिखना। वहाँ रहे तो उससे मिलनेका अवसर निकालना।

थोडा बहुत अध्ययन भी करते रहना।

गगाबहनके लडकी हुई थी। एक दिन रहकर चल बसी।

अमतुस्सलाम दुखी रहती है। कह नही सकता कि तेरे वापस लौटनेतक रहेगी या चली जायेगी।

तूने पूनियाँ क्यो मँगाई है? यहाँसे भेज तो देंगे, किन्तु तुझे खुद पीज लेना चाहिए। तेरा हाथ दुखे तो दूसरोको सिखा देना चाहिए। क्या छपरामे भी कोई नही कातता? जो कातते है वे पीजते नही है? हम जहाँ भी जाये पूनियाँ वहीसे प्राप्त करनेका आग्रह रखना चाहिए।

तेरा वजन कैसा है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

२९ को निकलकर तीन जूनको वापस आऊँगा।

गुजराती *(जी० एन० ३४१२)की फोटो-नकलसे।

१. बापुना पत्रो–१०: श्री प्रभावती बहेनने के अनुसार जमनालाल बजाज।

२९१. पत्र : नारणदास गांधीको

वारडोली
२८ मई, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। हनुमानसिंहके सम्बन्धियोंको लिखना कि मुझे उसकी मृत्युसे दुख भी हुआ है और सुख भी। उसकी देह जीर्ण हो गई थी इसलिए उसका न रहना ही अच्छा हुआ। शरीरमें स्थित आत्मा तो अमर है ही। आपसी सम्बन्धके कारण दुख तो होता ही है, पर उसे दबा देना ही उचित है। इसलिए मुझे क्षणिक ही दुख हुआ। सम्बन्धियोंको भी ऐसा ही लगा। इसका हिन्दी अनुवाद भेज देना और साथमें गुजराती भी। जिसे साँपने डसा है यह शंकरराव कौन है? अब कैसा है? साँपने किस तरह काट लिया? नदीमें वह पाँवके नीचे आ गया था या उसने यों ही जान-बूझकर डस लिया।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

२९२. पत्र : वालजी गोविन्दजी देसाईको

वारडोली
२८ मई, १९३१

भाईश्री वालजी,

अस्पतालमें रहनेसे कुछ फायदा हुआ है या तबीयत जैसीकी तैसी ही बनी है। कब्ज मत रहने देना। इस पत्रके मिलते ही चले आओ तो कब्जके काटेको निकाल दूर करे।

तुम्हारे लेखके बारेमें भाई मोहनलालको लिखा है।

पहली प्रस्तावना तो नहीं मिली। यह दूसरी भेज रहा हूँ:

"ये ग्यारह मुद्दे इस तरह लिखे गये हैं कि सब उन्हें समझ सकें। उन्हें समझकर पाठक जितने मुद्दोंपर हो सकें, उतनोंपर अमल आज आजसे ही शुरू कर दें तो स्वराज्य कितना पास आ जायेगा?

मोहनदास गांधी"

यह प्रस्तावना भेज तो रहा हूँ पर मन कहता है कि अब तो ग्यारहके बजाय बीस मुद्दे हो गये माने जायेंगे न? इसलिए उनपर नही लिखोगे? किन्तु इसकी तो तुम्हे ही ज्यादा खबर है।

बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७४१४)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: वा० गो० देसाई

२९३. पत्र : जमनादास गांधीको

बारडोली
२८ मई, १९३१

चि० जमनादास,

तुम्हारा २२ तारीखका पत्र मिला है। उसके पहलेका लिखा हुआ तो अभी तक नही मिला। तुम डाक्टरको पत्र नही लिख सकते, यह बात समझमे नही आती। जो है उसे लिखनेमे संकोच क्यो। रतिलालको थाना ले जाते हुए लल्लूभाईको साथ ले जानेकी इच्छाके विषयमे मुझे कोई विचित्रता नही लगती। पासमें पैसा हो और फिर भी जरूरतके समय उसे खर्च न करे, ऐसा तो विरला ही मनुष्य होगा। इसके सिवा पैसा बचाया भी किसलिए जाता है? अन्नाके बारेमे मुझे तार तो मिला ही था। वह नही आ सकता, मैंने तो ऐसा लिख दिया था। किन्तु हो सकता है कि वह अपने मनसे आ गया हो।

वहाँका राज्यतन्त्र कैसा चल रहा है? शराबके बारेमे उस अर्जीका क्या हुआ?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

फिलहाल तो यहीपर हूँ।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२३)से।
सौजन्य: जमनादास गाधी

२९४. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

वारडोली,
२८ मई, १९३१

बारडोलीमें और उसके आसपास फिरसे हालात बिगड़नेके बारेमें बम्बईके एक पत्रमें प्रकाशित समाचारके सिलसिलेमें ली गई भेंटमें गांधीजी ने कहा :

जनतासे मेरा अनुरोध है कि वह सभी सनसनीखेज बयानोंपर अविश्वास ही करे और उनके कारण अशान्त न हो। मैंने तो यह पहली बार सुना है कि किसान लोग लगान अदा नहीं करना चाहते। मैं पक्की तौरपर जानता हूँ कि किसान सदा से सामर्थ्य-भर लगान अदा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं यह दिखानेके लिए शीघ्र ही एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी करनेकी सोच रहा हूँ कि दिल्ली-समझौतेकी एक-एक चीजको भी कार्यान्वित करनेके मामलेमें सरदार वल्लभभाई पटेल और अन्य असहयोगी कार्यकर्त्ता कितनी निष्ठा और लगनके साथ सक्रिय रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ३०-५-१९३१

२९५. पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

वारडोली
२९ मई, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

आपके कई पत्र आ चुके हैं। उनके लिए धन्यवाद। जैसे-जैसे समय मिलता जायेगा, मैं जल्द-से-जल्द उनके उत्तर निबटाता चलूंगा। लेकिन आपके सबसे बादके पत्र और उससे पहलेके एक पत्र अर्थात् इस महीनेकी २५ और २४ तारीखके पत्रों का उत्तर देनेमें तो मुझे कुछ अधिक समय लगेगा ही।

मेरी समझमें नहीं आता कि प्रभातफेरियोंपर किसीको क्या आपत्ति हो सकती है। यह ठीक है कि प्रभातफेरियोंकी शुरुआत असहयोग आन्दोलनके दौरान ही हुई थी लेकिन वे अपने आपमें तो सर्वथा निर्दोष हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि उनसे नागरिकोंकी कितनी शान्ति भंग होती है। मैंने अपनी हालकी यात्राओंके दौरान देखा है कि अन्य शहरोंमें भी उनका काफी प्रचलन है। हाँ, भड़कानेवाले गीतोंपर प्रतिबन्ध लगानेकी बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं यह समझानेमें सर्वथा असमर्थ रहा हूँ कि नागरिकोंको बड़े सुबह ही सृष्टाके प्रति उनके कर्त्तव्यकी याद दिलानेवाली इस निर्दोष और सुन्दर प्रथामें कोई हस्तक्षेप करना सरकारके लिए कैसे उचित होगा।

सेवादलके लोग जो अभ्यास किया करते है, वह भी कोई नई बात तो नही है। वर्षोसे वे ऐसा करते आ रहे है और कभी कोई हस्तक्षेप नही किया गया। यदि उसमें किसी खास चीजपर कोई आपत्ति हो, तो चाहूँगा कि उसे स्पष्ट किया जाये। और अधिक जानकारी मिले विना, मै आपके इस मतकी ताईद नही कर सकता कि ये शिविर समझौतेकी भावनाको पूरी तौरपर प्रदर्शित नही करते और वे सामान्य स्थिति तथा भावनाओको पुनः प्रतिष्ठित करनेमें कुछ विघ्न डालनेकी दृष्टिसे ही आयोजित किये जाते है।

और आपका शराबकी बिक्रीसे सम्बन्धित दूसरा पत्र देखकर तो मुझे आश्चर्य और दुःखका अनुभव हुआ।

शराबकी दूकानोपर धरना देना सरकार वैध मानती है। लेकिन यदि सरकार यह माननेके बाद भी उसे बन्द करानेके लिए तरह-तरहके तरीके, यहाँतक कि अवैध माने जानेवाले तरीके अपनाती रहे और साथमे यह भी दुहाई दे कि ऐसी कार्रवाई समझौतेको भग नही करती तो फिर मुझे कहना ही पडेगा कि सरकार चाहे जो क्यो करे उसे समझौता भग करनेवाली कार्रवाई माना ही नही जा सकता।

आपके पत्रसे मुझे [पहलीबार] पता चला है कि बिक्रीके लिए नियत समयके अलावा और बिक्रीके लिए निश्चित स्थानके अलावा भी शराबकी बिक्री करना सर्वथा वैध है। मै स्वीकार करता हूँ कि यह सचमुच एक ऐसी नई जानकारी है जिसके बारेमे मैने कल्पना भी नही की थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि क्लेकटरोके सामने ऐसे कोई भी वैधानिक प्रतिवन्ध या विनियम मौजूद नही है जिनके आधारपर वे निर्णय करे और जिनकी जानकारी जनताको देना उनके लिए जरूरी हो। सचमुच यदि शराब सम्बन्धी कानूनकी यही दशा है, या यो कहे कि क्लेक्टरोकी अपनी मर्जी को छोड़कर और कोई भी कानून शराबकी विक्रीपर लागू नही होता, तो फिर जनताको यह जानकारी जितनी जल्द करा दी जाये उतना ही अच्छा रहेगा। तब यह एक बड़ा गम्भीर मसला हो जायेगा और इसपर काग्रेस कार्यसमितिको विचार करना ही पडेगा।

महामहिम मुझे यह कहनेकी अनुमति दे कि स्पष्टत. उनको इस तथ्यकी जानकारी नही है कि इससे पहलेके जिला अधिकारी और पुलिस सुपरिंटेडेंटने अहमदावाद मे चलनेवाले धरनेको सर्वथा शान्तिपूर्ण और आपत्तिहीन मान लिया था। स्पष्ट ही महामहिमको इस तथ्यकी भी जानकारी नहीं है कि धरने तो असहयोग आन्दोलनकी शुरुआतसे कही पहले मजदूर-सघ द्वारा मजदूरोके हितमें शुरू किये गये थे। और पाश्चात्य देशोसे अहमदाबाद आनेवाले नवागन्तुकोने धरनेके तरीके की सराहना भी की थी।

महामहिम मुझे यह कहनेके लिए भी क्षमा करे कि आपके पत्रके अन्तिम अनुच्छेद के प्रारम्भिक वाक्योसे स्पष्ट है कि अहमदाबादमे चलनेवाले धरनोके तौर-तरीकोंके बारेमे आपकी अनभिज्ञता देखकर आश्चर्य होता है। मै इनके विषयमें यहाँ बतला दूं कि ऐसी निगरानी रखनेके लिए मजदूर-सघ और शराबी लोग भी धरना देनेवालोके

कृतज्ञ है, और इसका सारा खर्च मजदूर-संघने ही उठाया है। निश्चय ही महामहिमका यह कर्त्तव्य था कि एक प्रतिष्ठित संस्थाके कामके तरीकोंके बारेमें ऐसे अवांछनीय विचार प्रकट करनेसे पहले वे यह देख लेते कि उन्होंने जिन तथ्योंको आधार बनाया है वे अपने-आपमें पूरी तरह सही हैं या नहीं।

अन्तिम वाक्यमें यह मत प्रकट किया गया है कि इस प्रकारके धरने शान्तिपूर्ण हो ही नहीं सकते। इसे तो समझौता सम्पन्न करानेवाले लॉर्ड इर्विनपर एक छिपा हुआ कटाक्ष माना जा सकता है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि महामहिम कभी ऐसा कटाक्ष करनेकी बात सोचतक नहीं सकते।

अन्तमें, मैं अपना विनम्र मत फिर दोहराता हूँ कि यदि अहमदाबादमें शराबकी बिक्रीका मौजूदा तरीका जारी रहा तो वह समझौतेकी भावनाका उल्लंघन होगा, फिर उसमें शाब्दिक अर्थका उल्लंघन भले न हो।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल स० ४, १९३१, भाग २।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

२९६. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

२९ मई, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारे नडियाद पहुँचनेकी खबर छगनलालने दी है। यह भी मालूम हुआ कि तुम मुझे मिलना चाहती हो। जब चाहो आ जाओ। फिलहाल बोरसद नहीं जाना है। नवीन जहाँ भी हो, साथका पत्र उसे भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३११४)की फोटो-नकलसे।

२९७. पत्र : पद्माको

बारडोली
२९ मई, १९३१

चि० पद्मा,

पिताजीसे नैनीतालमे मुलाकात हुई थी। तू क्या उन्हे पत्र लिखती रहती है? अब तू कैसी है? मुझे सभी खबरे दे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६११९)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३४७१ से भी।
सौजन्य: प्रभुदास गाधी

२९८. पत्र : प्रभावतीको

बारडोली
२९ मई, १९३१

चि० प्रभावती,

मेरा पत्र तुम्हें मिल गया होगा। मुझे बीचमें पत्र लिखने लायक समय भी नही मिलता था। पैसेके बारेमें तो नारणदासको लिख ही दिया था। सात जूनतक तो मेरे बारडोलीमे ही होनेकी सम्भावना है। मुझे यही पत्र लिखना और पूरी खबर देना। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। खुराक वही है—दूध और फल।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो: श्री प्रभावतीबहनने

२९९. पत्र : नारणदास गांधीको

बारडोली
२९ मई, १९३१

चि० नारणदास,

कल 'नवजीवन'के लिए स्वदेशी-व्रतपर लेख[1] भेज दिया है। यही लेख व्रत-विचार अर्थात् 'मगल-प्रभात'के लिए है। साथमें डाहीबहन सोनाभाईके लिए पत्र है। वह उदवाड़ा बाजारके स्त्री स्वराज्य सघमें थी; किन्तु उसने वह स्थान छोड़

१. देखिए "स्वदेशी व्रत", ३१-५-१९३१।

देनेकी आज्ञा माँगी थी। इसलिए शायद अब वहाँ न हों—जहाँ भी हो वहीं यह पत्र भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

स्वामी रामदासके [सुवाच्य] लेखन सम्बन्धी दोहेका[1] अनुवाद मैंने जेलसे भेजा था। यदि मिल जाये तो वह मुझे भेज देना। डाहीबहनका पत्र नहीं भेज रहा हूँ। वह उदवाड़ामें ही है।

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

३००. पत्र : के० एफ० नरीमानको

स्थायी पता, साबरमती
३० मई, १९३१

प्रिय नरीमान,

सरदार गरदाके सबसे हालके पत्र और अपने उत्तरकी प्रतियाँ सलग्न कर रहा हूँ। यदि अब भी आपका खयाल हो कि वार्ताके जरिए कुछ किया जा सकता है, तो दूसरी बात है, नहीं तो आप कानूनी कार्रवाईके बारेमें अपने उसी सुझावपर अमल कीजिए जो आपने सरदार पटेलको अपने पत्रमें लिखा था। यदि कार्रवाईकी कोई जरूरत न समझें और आगे वार्ता भी न चलानी हो, तो हमें पूरे मामलेको अभी कुछ समयतक के लिए मनसे निकाल देना चाहिए।

हृदयसे आपका,

सलग्न: २

श्री के० एफ० नरीमान
मारफत बम्बई प्रान्तीय काग्रेस कमेटी
काग्रेस भवन, गिरगाँव बैकरोड
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७१६५)की फोटो-नकलसे।

१. दासबोध, १९।

३०१. पत्र : एफ० कोठावालाको

वारडोली
३० मई, १९३१

प्रिय श्री कोठावाला,

अब मैं वराडके पटेल जहाँगीरके विरुद्ध लगाये गये आरोपोके बारेमें एक टिप्पणी सलग्न कर रहा हूँ। यदि कोई निष्पक्ष खुली जाँच हुई तो न्यायाधिकरणके सामने सभी आरोपोंके समर्थनमें पूरा साक्ष्य प्रस्तुत किया जायेगा। जाँच पूरी तरह खुली हो, इसपर जनताको बिलकुल कोई आपत्ति नही है।

और मेरी सूचनाके अनुसार तो पटेल जहाँगीरके पास शराब वेचनेका लाइसेंस है। मेरी रायमे ऐसा लाइसेस रखते हुए वे पटेलके पदपर बने नही रह सकते। और चूँकि इनके विरुद्ध वडे गम्भीर आरोप लगाये है और चूँकि गाँववालोके साथ की जानेवाली उसकी ज्यादतियोकी शिकायतें अब भी आती रहती है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि या तो बहुत शीघ्र ही एक सार्वजनिक जाँच कराई जाये या फिर उन्हें जल्द ही पदसे हटा दिया जाये। यहाँ मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि उक्त कर्मचारीके अवाछनीय व्यवहारका यह प्रश्न एक विलकुल ही स्वतन्त्र प्रश्नके रूपमें उठाया गया है। अस्थायी नियुक्तियोके सामान्य प्रश्नपर इसका कोई असर नही पडता, अर्थात् इस सामान्य प्रश्नसे इसका कोई सम्बन्ध नही कि अस्थायी नियुक्तियाँ कितनी ही अवधिके लिए क्यो न की जायें, मेरी रायमें वे समझौतेके सन्दर्भमें भी अस्थायी ही मानी जायेगी, वे किसी भी तरह स्थायी नही मानी जा सकती; विशेष-कर जब यह स्पष्ट हो कि ये नियुक्तियाँ इतने वर्षोंतक के लिए या अगला आदेश निकलने तक के लिए ही की गई है।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

एफ० कोठावाला महोदय
कलेक्टर, सूरत जिला, वारडोली

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

३०२. पत्र : फ़ामरोज बी० गरदाको

वारडोली
३० मई, १९३१

प्रिय सरदार गरदा,

आपका पत्र मिला। आप अपनी शिकायतोंके बारेमें यदि मध्यस्थता करानेकी बात स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं, तो फिर मेरी समझमें नहीं आता कि आपको किस तरह सन्तुष्ट करूँ। फिर तो मामला वकीलोंको ही सौंप देना चाहिए और यदि वे राय दें कि आपकी बतलाई हुई एक निश्चित राशिके बदलेमें मूल जोतदारों को भूमि लौटा देनेका वचन देते हुए आपने जो पत्र लिखा था, उसके आधारपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तो न्यायालयकी शरण ही लेनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

सरदार फ़ामरोज गरदा
नवसारी

[अंग्रेजीसे]
अ० भा० कां० क० फाइल संख्या १६-सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३०३. पत्र : रतिलालको

वारडोली
३० मई, १९३१

भाई रतिलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। अपनी अड़चनोंको धीरजके साथ सुलझा लो। बुनकरोंके बारेमें नारणदाससे बात जरूर कर लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ७१६६)की फोटो-नकलसे।

३०४. पत्र : फूलचन्द कस्तूरचन्द शाहको

बारडोली
३० मई, १९३१

भाईश्री फूलचन्द,

ध्रोलके[1] मामलेके बारेमे मालूम हो गया है। जो मैं समझा हूँ, उसके अनुसार तो अब तुम्हे राष्ट्रीय झडेकी माँग भूल जानी चाहिए। दो-तीन लोग आकर मुझसे मिलना चाहे तो मिल जाओ। मुझे लगता है कि बहुत-से कामोमे उतावली हो जाती है। वहाँ तो तुम्हे अभी विदेशी वस्त्र-बहिष्कार कार्य और वह भी खादीकी मारफत करने तथा मद्य-निषेधके काममे ही जुटे रहना चाहिए। करने लायक समाज-सुधार भी कम नही है।

सोच-समझकर कदम उठाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९१९३)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० २८४४ से भी।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

३०५. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

३० मई, १९३१

चि० पण्डितजी,

तुम्हारा पत्र मिला।

जो आश्रमवासी बालक विद्यापीठमे गये है उनके बारेमे मैंने अपने विचार काकाको तो बता ही दिये है। सक्षेपमे वे इस प्रकार है. 'जिन विद्यार्थियोने सघर्षमे भाग लिया था, उन्हे आश्रम नही आना चाहिए', इस वृत्तिमे बहुत वजन नही है, तो भी मै आनेको विरोध करने लायक भी नही समझता। यदि ये लोग दूसरा काम न कर सके तो कहाँ जाये? सामान्य तौरपर तो विद्यापीठ ही यह दूसरी जगह है। किन्तु जब दूसरोने भी काम छोड-छोडकर भागना शुरू किया तो हम घबरा गये। और ऐसा भी हो सकता है कि आश्रम न जानेकी प्रतिज्ञाकी आड़में विद्यार्थियोने विद्यापीठ जानेकी अपनी इच्छा पूरी की हो। किन्तु प्रपात रोके नही रुकता। इसलिए जो हुआ, उसे होने दिया। इसके पीछे बहुत-सी बातें थी। इसमें

१. सौराष्ट्रका एक कस्बा।

कितने अंशतक मोह था और कितने अंशतक कर्त्तव्य, यह कहना मुश्किल है। अभी भी कुछ समझमें न आया हो तो लिखना। जिन-जिनके मनमें शका उठी हो, उन्हें यह पत्र पढा देना।

रामभाऊ कैसा चल रहा है, यह लिखते रहना।

चि० गजाननके बारेमें समझ गया हूँ। वह चाहे तो अपने चित्रकलाके शौकको पूरा करे। साथमें कताई आदि भी करता है, यह तो अच्छा ही है।

'मननविशी'[1]में सुधार आदि करनेकी जेलमें ही बहुत इच्छा थी। पर मनमें ही रह गई और मैं समयके पहले ही झझटोंमें फँस गया। अब तो जैसेका तैसा छाप दो। एक मनन जोड़ना है, वह तो तुम्हें भेज ही दिया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१५)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: लक्ष्मीबहन खरे

३०६. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

वारडोली
३० मई, १९३१

चि० गंगाबहन,

इतनी परेशानी क्यो? तुमपर ऐसा तो कुछ नही टूटा है। छोटी उम्रमें कोई न मरे, ऐसा कोई नियम थोड़े ही है। फिर तुम्हारे और मेरे कोई एक ही लडका नही, असख्य लड़के है। उनमे से कुछ चले जाते है और दूसरे पैदा होते है। उनके मरने-जीनेका हिसाब क्यो? जो पास है, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। इस तरह न कोई मरता है, न कोई जीता है।

मन्त्रीने प्रबन्ध कर ही लिया हो, तो हमारे विचार करनेकी जरूरत ही नही रहती।

तुम अनासक्ति सीखो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो: गं० स्व० गंगाबहनन तथा सी० डब्ल्यू० ८७७५ से भी।
सौजन्य: गगाबहन वैद्य

१. मननके बीस विषय।

३०७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

वारडोली
३० मई, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपका पत्र महादेवपर देखा। आपने पोलाकको विलकुल यथार्थ उत्तर दिया है। करीव ऐसा हि उत्तर[1] उन भाईओके तारका मैंने भेजा था। मुझे अब भी विश्वास है कि मेरा बिना हि० मु० प्रश्न हल होते जाना व्यर्थ है। हा, ऐसे प्रधान मडल इ०को मिलनेके लिये जाना दूसरी बात है।

सुवाषबावु फिर मिल गये बातें तो काफी हुई। लेकिन कुछ पता नही चलता क्या है। सेनगुप्ताका अखवारोमें खत कल पढा। देखें अब ९ तारीखको क्या होता है। सुवाषबावुको भी आनेका कहा है।

आपका,
मोहनदास

सी० डब्ल्यू० ७८८६ से।
सौजन्य : घनश्यामदास विड़ला

३०८. तार : विलियम शिररको[2]

[३० मई, १९३१को या इसके पश्चात्][3]

विलियम शिरर
सेसिल होटल
शिमला

आपका तार। सभी समाचार अनधिकृत, भ्रमपूर्ण अनुमान-भर। मेरी समझमें साम्प्रदायिक समस्या हल न होना गोलमेज परिषद्मे मेरे शामिल होनेके रास्तेमें रोड़ा। स्थिति नाजुक। फिर इर्विन-गाधी समझौतेने भी मेरा भारतसे तत्काल प्रस्थान कठिन वना दिया है। ये कठिनाइयाँ हैं, वैसे मेरी बडी इच्छा है कि गोलमेज परिषद्की वहसोमें पूरी तरह हाथ बटाऊँ और काँग्रेसकी माँग मनवानेका आग्रह करूँ। इसीलिए मैं कठिनाईका हल

१. देखिए "तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको", २३-५-१९३१।
२. शिकागो ट्रिब्यूनके संवाददाता।
३. विलियम शिररके तारसे जो ३० मईका है।

खोज रहा हूँ। परन्तु यदि यहाँ साम्प्रदायिक समस्या हल न हो पाये और समझौतेसे सम्बन्धित कठिनाई दूर हो जाये, यदि ग्रेट ब्रिटेनके जिम्मेदार राजनीतिज्ञों और जनताको काग्रेसका दृष्टिकोण समझानेके लिए मेरा लन्दन जाना आवश्यक हो जाये, तो मैं मित्रोको बतला चुका हूँ कि मैं लन्दन जानेके लिए तैयार रहूँगा। एक वाक्यमें कहूँ तो मैं कांग्रेसके मूलभूत दृष्टिकोणके अनुरूप बातके जरिए स्थायी शान्तिकी स्थापनाके लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ।

अग्रेजी (एस० एन० १७१६७)की फोटो-नकलसे।

३०९. स्वदेशी-व्रत

स्वदेशी-व्रत इस युगका महाव्रत है। जो वस्तु आत्माका धर्म है, परन्तु अज्ञान या किसी और कारणसे आत्माको जिसका भान नही रहा उसके पालनके लिए व्रत लेनेकी आवश्यकता होती है। जो स्वभावसे मासाहारी नही है, उसे मासाहार न करनेका व्रत लेनेकी जरूरत नही होती। मास उसके लिए प्रलोभन तो है ही नही, बल्कि मासको देखते ही उसे उलटी होने लगेगी। स्वदेशी आत्माका धर्म है, लेकिन उसे भुला दिया गया है, इसलिए उसका व्रत लेनेकी आवश्यकता है। आत्माके लिए तो स्वदेशीका अन्तिम अर्थ सब प्रकारके स्थूल सम्बन्धोसे आत्यन्तिक मुक्ति है। उसके लिए तो देह भी परदेशी है। क्योकि उसके लिए देह दूसरी आत्माओसे ऐक्य स्थापित करनेमें बाधक है, उसके मार्गमे विघ्नरूप है। जीवमात्रके साथ ऐक्य स्थापित करते हुए स्वदेशी-धर्मको जानने और उसका पालन करनेवाला देहका भी त्याग कर देता है।

यदि यह अर्थ सही हो, तो हम सहज ही यह समझ जायेंगे कि अपने आस-पास रहनेवालोकी सेवामें लीन हो जानेका नाम स्वदेशी धर्म है। इस प्रकारकी सेवा करते हुए यह आभास होना सम्भव है कि दूरवाले छूटे जा रहे हैं, या उन्हे हानि पहुँच रही है। परन्तु वह तो आभासमात्र होगा। स्वदेशीकी शुद्ध सेवा करनेसे परदेशी की भी शुद्ध सेवा होती ही है। 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।' इसके विपरीत दूरवालो की सेवा करनेका मोह करनेसे वह सधती भी नही और पड़ोसीकी सेवा भी नही हो पाती। यो 'दूहूँ दीनसे गये पाण्डे' वाली कहावत चरितार्थ होती है। मुझपर भरोसा रखनेवाले कुटुम्बीजन अथवा ग्रामवासियोको यदि मैं छोड़ दूँ, तो वे मुझपर जो भरोसा रखते हैं, वह नही रहता। दूरवालेकी सेवा करनेसे, जिसका धर्म उसकी सेवा करना है, वह अपने उस धर्मकी ओरसे उदासीन हो जाता है। हो सकता है कि वह दूरवालोको फुसलाकर इस प्रकार वहाँका वातावरण बिगाड दे और अपने वातावरणको गँदला करके तो वह चला ही था। इस तरह हर प्रकारसे उसने नुकसान ही किया।

ऐसे असख्य उदाहरणोकी कल्पना करके स्वदेशी-धर्मको सिद्ध किया जा सकता है। 'स्वधर्मे निधन श्रेय. परधर्मो भयावह:' इसीसे कहा गया है। इसका अवश्य यह अर्थ किया जा सकता है—"स्वदेशीका पालन करते मृत्यु मिले, तो भी अच्छा है, परदेशी [वस्तुका वरण] तो भयानक ही है।" स्वधर्म अर्थात् स्वदेशी।

सारी गडबड़ स्वदेशीको न समझनेसे ही होती है। कुटुम्बके प्रति मोह रख कर मै उसे खुश करनेकी कोशिश करूँ, उसके लिए चोरी करूँ, दूसरे षड्यन्त्र रचूँ तो वह स्वदेशी नही होगा। मुझे तो उसके प्रति अपने धर्मका पालन करना है। उस धर्मकी खोज करने और उसका पालन करते रहनेसे मुझे सर्वव्यापी धर्म मिल जाता है। स्वधर्मके पालनसे परधर्मी या परधर्मको हानि पहुँचती ही नही, पहुँचनी भी नही चाहिए। यदि पहुँचे तो जिस धर्मको स्वीकार किया है वह स्वधर्म नही, बल्कि स्वाभिमान है, और इस कारण त्याज्य है।

सम्भव है, स्वदेशीका पालन करते हुए कुटुम्बका बलिदान भी करना पडे। परन्तु यदि ऐसा करना पड़े, तो इससे भी कुटुम्बकी सेवा ही निष्पन्न होनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपना त्याग करके अपनी रक्षा कर सकते है, उसी प्रकार हो सकता है कि कुटुम्बका त्याग करके हम कुटुम्बकी रक्षा कर सकें। मेरे गाँवमें महामारी फैली है। इस रोगके चगुलमे फँसे हुए लोगोकी सेवामे मै अपनेको, अपनी पत्नी, पुत्रो और पुत्रियोको लगा दूँ और वे सब उस महामारीके शिकार होकर मौतके मुँहमे चले जाये तो मैने कुटुम्बका सहार नही किया, उसकी सेवा की है। स्वदेशीमे स्वार्थ नही होता और यदि होता ही है तो शुद्ध स्वार्थ होता ही है। शुद्ध स्वार्थ अर्थात् परमार्थ, शुद्ध स्वदेशी अर्थात् परमार्थकी पराकाष्ठा।

इस विचार-शृखलाके आधारपर मैंने खादीमे समाजके शुद्ध स्वदेशी-धर्मके दर्शन किये। वह कौन-सा स्वदेशी-धर्म हो सकता है जिसे सब समझ सकें, जिसके पालनकी इस युगमे, इस देशमे सबको बहुत आवश्यकता है? जिसके सहज पालनसे ही हिन्दुस्तान के करोडो लोगोकी रक्षा हो सकती है, वैसा स्वदेशी-धर्म क्या होगा? इसके उत्तरमें मुझे चरखा और खादी सूझे।

कोई यह न माने कि इस धर्मके पालनसे विदेशी मिलवालोका नुकसान होता है। चोरको चोरीका माल लौटाना पडे या उसे चोरी करनेसे रोका जाये तो इसमें उसका नुकसान नही, लाभ है। पडोसीके शराब पीना या अफीम खाना छोड देनेमें कलाल या अफीम-फरोशका नुकसान नही, लाभ है। जो अनुचित रीतिसे अर्थ साधते है, उनके उस अनर्थका नाश होनेसे उन्हे और जगत्को लाभ ही है।

परन्तु जो चरखेपर चाहे जैसा सूत कातकर और खादी पहन-पहन-कर यह मान बैठते है कि स्वदेशी-धर्मका पूर्ण पालन कर चुके, वे महामोहमे फँसे हुए है। खादी सामाजिक स्वदेशीकी पहली सीढी है। वह स्वदेशी-धर्मकी परिसीमा नही है। ऐसे खादीधारी देखनेमे आते है जो और तमाम विदेशी चीजें खरीदते रहते है। वे स्वदेशीका पालन नही करते। वे तो बहती गगामे हाथ धो रहे है। स्वदेशी-व्रतका पालन करनेवाला रोज अपने इर्द-गिर्द नजर डालेगा, और जहाँ-जहाँ पडोसीकी सेवा

की जा सकती हो, अर्थात् जहाँ उनके हाथका बना आवश्यक माल मिलता होगा वहाँ वह अन्य वस्तुओंको छोड़कर उसीको लेगा। फिर भले ही स्वदेशी चीज पहले-पहल महँगी और घटिया क्यों न हो। व्रतधारी उसे सुधारने या सुधरवानेका प्रयत्न करेगा। वह स्वदेशीकी खराबीसे घबराकर विदेशीका उपयोग नहीं करने लगेगा।

परन्तु स्वदेशी-धर्मको जाननेवाला अपने कुएँमें आप न डूब मरे। जो चीजें स्वदेशमें न बनती हों या बहुत कठिनाईसे ही बन सकती हों, उन्हें विदेशी वस्तुओंसे द्वेषके कारण यदि देशमें बनाने बैठ जायें तो वह स्वदेशी-धर्म नहीं है। स्वदेशी-धर्मका पालन करनेवाला विदेशी वस्तुओंसे कभी द्वेष करेगा ही नहीं। अर्थात् पूर्ण स्वदेशीमें किसीसे द्वेष नहीं होता। यह संकीर्ण धर्म नहीं है। यह तो प्रेम और अहिंसासे उत्पन्न एक सुन्दर धर्म है।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

३१०. स्वतन्त्रताकी मर्यादा

कुछ दिगम्बर जैन भाइयोंने सरदारसे यह सवाल पूछा था कि कराची कांग्रेसके मूलभूत अधिकारवाले प्रस्तावमें कहा गया है कि स्वराज्यमें धार्मिक स्वतन्त्रता होगी, तो फिर यदि दिगम्बर जैन साधु अपने धर्मानुकूल नग्नावस्थामें विचरण करते हैं तो आप उसपर आपत्ति क्यों करते हैं? सरदारने जवाब दिया कि धार्मिक स्वतन्त्रताका यह अर्थ तो कभी नहीं हो सकता कि उसके आचरणसे असंख्य लोग लज्जित हों, अथवा उनकी भावनाको चोट पहुँचे। साधु होकर भी यदि कोई नग्नावस्थामें विचरण करे तो मेरी रायमें लोगोंकी भावनाको आघात पहुँचे बिना न रहेगा।

मुझे लगता है कि सरदार और कोई जवाब दे ही नहीं सकते थे। मैं स्वयं यह मानता हूँ कि मनुष्य-मात्रकी आदर्श स्थिति दिगम्बरकी है। परन्तु आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष होता है, विकार-शून्य होता है। ऐसी निर्दोषताके बिना यदि कोई व्यक्ति नंगा घूमता है तो वह दोषी माना जायेगा।

दिगम्बर साधु, साधु होनेके कारण विकार-शून्य ही होते हैं, यह मान लेनेका कोई कारण नहीं। यदि वे निर्विकार हों, तो भी समाजकी मर्यादाकी रक्षा करना उनका धर्म है। सम्भवतः कुछ श्रावक दिगम्बर साधुकी स्थितिको समझते हों, परन्तु साधारण समाज यह नहीं समझता और उसे तो आघात ही पहुँचेगा। दिगम्बर साधु को शहरोंमें आनेकी कोई आवश्यकता नहीं। और यदि आवश्यकता हो तो कम-से-कम शहरकी मर्यादाकी उसे रक्षा करनी चाहिए। ऐसा न करके यदि वे नग्नावस्थामें शहरमें प्रवेश करनेका आग्रह करें अथवा श्रावक ऐसी जिद करें तो मेरी दृष्टिमें वह अधर्म होगा। स्वयं मुझे नग्नावस्था प्रिय है। यदि मैं निर्जन जंगलमें रहता होऊँ तो नग्नावस्थामें ही रहूँ, परन्तु इस विकारमय जगत्में नग्नावस्थाके-सामान्य-आचरण हो जानेकी सम्भावना कम है। नीति बनाये रखनेके लिए किसी भी महापुरुषके लिए

यह आवश्यक है कि वह अपने गुप्तागोको ढँके रहे। यह उसका धर्म है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और उसमे भी धर्म-स्वातन्त्र्यकी सदा अनेक मर्यादाएँ रही है और रहेंगी। धर्म अधिकारका भूखा नही है। धर्म सयमका, अकुशका भूखा है। धर्मको जाननेवाला और उसकी रक्षा करनेवाला यह विचार नही करता कि 'यह मेरा अधिकार है।' वह तो यह सोचता है कि 'यह मेरा कर्त्तव्य है।' और ऐसा सोचनेवालेका नग्न रहना कर्त्तव्य नही हो सकता। कर्त्तव्य अपरिग्रहका है। अपरिग्रह मानसिक धर्म है। मुझपर कोई बोझ लाद दे, तो वह परिग्रह नही होगा। परन्तु उस बोझका मै उपभोग करने लगूं तो वह अपरिग्रह होगा। जो साधु सामाजिक कर्त्तव्य पालनके लिए लगोटीका भार वहन करता है वह परिग्रही नही बल्कि सयमी है। जो 'साधु' सामाजिक लज्जाकी परवाह किये बिना नग्न विचरण करनेका आग्रह करता है, वह स्वेच्छाचारी है। इस जगह गीताका यह वचन भली प्रकार लागू होता है. "मुझे कर्म करनेकी बिलकुल जरूरत नही है, किन्तु लोकसग्रहके लिए, कर्म करना मेरा धर्म है। यदि मै ऐसा न करूँ, तो अव्यवस्थाका कर्त्ता बनूं और तीनो लोकोका नाश करूँ।"[1] साधु ऐसा काम कभी न करे जिससे प्रजाकी हानि हो, समाज भी उसे वैसा करनेके लिए कभी प्रोत्साहित न करे।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

३११. टिप्पणियाँ

विदेशी और स्वदेशीकी पहचान

इस सम्बन्धमे नीचे लिखा प्रश्न पूछा गया है·[2]

विदेशी और स्वदेशी कपड़ेके भेदको जान लेनेका कोई अचूक उपाय अभी तक नही मिला है। धरना देनेवालेको इस भेदकी अच्छी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जिस दुकानपर प्रमाण-पत्र न हो, उस दुकानसे कोई कपड़ा खरीदे ही नही। प्रमाण-पत्र दो प्रकारके होते है। खादीके लिए अखिल भारतीय चरखासघका और स्वीकृत देशी मिलके कपडेके लिए स्वदेशी-सभाका। मै नही जानता कि उक्त दूसरे प्रकारका प्रमाण-पत्र अभी जारी किया गया है या नही। परन्तु इससे भी आसान रास्ता सिर्फ खादीका है। जहाँ असत्य लगभग सर्व-व्यापक बन गया है, वहाँ लोगोकी खादी-भावना ही उपयोगी हो सकती है। खादीमें भी असत्य घुस गया है, अर्थात् उसमे भी लोगोको ठगा जाता है। फिर भी उसमें ठगीकी बहुत कम गुजाइश है। और घरका सूत कातनेवालेको तो कोई डर है ही नही।

१. भगवद्गीता, अध्याय ३, २२-२४।
२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

तो सवाल उठता है कि धरना देनेवाली सेविका क्या करे। यदि उसके मनमें खादीके प्रति मेरे समान श्रद्धा होगी तो वह धरनेको खादी-प्रचारका एक साधन मानकर ग्राहकोंको विदेशी कपड़ेकी दुकानसे हटाकर खादीकी तरफ ले आयेगी। यदि वे इस तरफ न आयें तो वह धीरज रखेगी और विश्वास रखेगी कि विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके लिए अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, और यदि हो भी तो वह बेकार है। यह भी याद रखना चाहिए कि विदेशी वस्त्रका बहिष्कार अपने-आपमें कोई स्वतन्त्र गुण नहीं है। यह खादी-प्रचारके लिए उपयोगी और आवश्यक है। यदि धरना देनेवाली सेविका इस तत्वको समझ लेगी, तो उसका न तो अपमान होगा, क्योंकि वह अपमान मानेगी नहीं, और न वह परेशान होगी। क्योंकि उसे तो किसी तरह दरिद्रनारायणके लिए खादीका प्रचार करना है। दूसरे प्रपंचमें भय है, अपमान है, दगा है और गरीबके लिए कुछ भी नहीं है।

खरीदारकी जिद

कपड़ा खरीदनेवाले कहते हैं: "हमें जरूरी खादी दिलाइए; हम दूसरा कपड़ा नहीं खरीदेंगे," हम उन्हें किस तरह सन्तुष्ट करें?

इस सवालका जवाब ऊपर आ गया है। यदि खरीदार हठ करे, तो हमें सोगुना हठ करना चाहिए। खरीदारके हठकी कोई बुनियाद नहीं, हमारे हठकी बुनियाद मजबूत है। उसकी मनपसन्द खादीका यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि पेरिसकी अतलस जैसी मुलायम खादी उसे उसी भावमें मिले। खादी पहननेवालेका निस्तार खुरदरी, मोटी-झोटी खादी पहननेमें ही है। यह याद रहे कि हम सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकते। हमारा काम सबको राजी करना नहीं है, सबका काम दरिद्रनारायणके अनुकूल होना यानी उन्हें सन्तुष्ट करना है। खादी ही दुनियाका विश्रामस्थल है। जो उसकी अवगणना करे, उसके प्रति भी हम सहिष्णु बनें।

ऐसी धरना देनेवाली कम हैं

'नवजीवन' में बताए अनुसार धरना देनेवाले बहुत कम मिलते हैं, तो क्या थोड़े-से लोगोंको लेकर ही धरना दिया जाये? दुकानें सौ हों और बहनें पाँच हों, किन्तु वे सब जगह घूम नहीं सकतीं, तो क्या जितनी दुकानोंपर हो सके, धरना दिया जाये? यदि हमेशा वे एक ही जगह खड़ी रहती हैं तो व्यापारी कहता है—'ग्राहक दूसरी दुकानपर जायेंगे। वहाँ भी धरना दीजिए। हमारी दुकानपर ही क्यों धरना दे रही हैं?' आज एक जगह और कल दूसरी जगह जानेपर लोग गैरहाजिरी ताड़ जाते हैं और व्यापारीके समझानेसे सेविकाओंकी अनुपस्थितिमें खरीदने जाते हैं। क्या ऐसी दशामें धरना जारी रखना उचित है? तादाद कम होनेसे जब धरनादेनेवाले दूसरी जगहसे लोगोंको विदेशी कपड़ा खरीदते देखते हैं तो उन्हें निराशा होती है। ऐसी दशामें दुकानोंपर धरना दिया जाय या मुहल्ले-मुहल्ले घूमकर लोगोंको समझाना उचित होगा?

धरना देनेवाली बहनें पाँच हों, और विदेशी वस्त्रकी दुकानें पाँच सौ हों तो वे पाँच बहनें पाँच ही दुकानोंपर रहें और चाहें तो एक ही दुकानपर। खादी-प्रचार धर्म है, युक्ति नहीं। इसलिए सेविका एक हो, तो भी उसका पालन करे, अनेक हों, तो भी। इसी तरह यदि एक दुकानदार भी पसीजे तो अच्छा है। यदि पाँचों दुकानदार विदेशी कपड़े बेचना छोड़ दें तो अपने कामको उतना आगे बढ़ा हुआ समझकर पाँचों बहनें धरनेका काम जारी रखें। उन्हें धरना देते देखकर अन्य बहनें आयेंगी। उनके धरनेका असर यदि एक व्यापारीपर पड़ेगा, तो हो सकता है कि दूसरोंपर भी पड़े। न पड़े, तो जिसपर असर हुआ है उस व्यापारीको पछतानेकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि विदेशी वस्त्रका व्यापार पाप हो, तो दूसरोंके वह पाप करते रहनेपर भी, जिसे ज्ञान हो गया है, वह तो उस पापको छोड़ ही देगा। बड़े काम सदा इसी प्रकार होते हैं। यदि मैं सबकी राह देखता बैठा रहूँ तो खादी-प्रचार होगा ही नहीं। जबर्दस्त काममें जबर्दस्त साहसकी आवश्यकता होती है।

साहससे कोलम्बसने नई दुनिया ढूंढी, परन्तु कोलम्बसका साहस उसके मनो-विनोदके लिए था। उसका उद्देश्य किसीकी सेवा करनेका नहीं था। नई दुनियाकी खोज करनेकी उसकी इच्छाकी तहमें वहाँकी धनराशि बटोरनेकी इच्छा थी। इसके लिए उसने समुद्र पार किया, तो हिन्दुस्तानके करोड़ों नंगोंको ढँकनेके लिए हमें कितना साहस दिखाना चाहिए? जिस सेविकामें कोलम्बसके समान विश्वास होगा, उसका-सा धीरज होगा, वह अकेली होनेपर भी अपना काम करती रहेगी। दिन-दिन उसमें नया बल आयेगा, नया विश्वास पैदा होगा और काम करनेकी नई युक्तियाँ सूझेंगी, अथवा 'काइंडली लाइट' (प्रेमकी ज्योति) उसे नये मार्ग दिखायेगी। तबतक वह गाये—'वन स्टेप एनफ फॉर मी' (एक कदम, बस एक कदम)

बेचारा पुरुष

समझौतेके दौरान हमें खादी, विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार और शराब-बन्दीका काम करना है। इनमें से अन्तिम दो कार्य बहनोंको सौंपे गये हैं। तो खादी-उत्पादनके सिवा पुरुषोंके लिए दूसरा और क्या काम है?

इस प्रश्नमें खादीके प्रति अश्रद्धा या कहिए कि खादीके महत्वके प्रति अज्ञान निहित है। खादी उत्पादनका काम मानो आसान और कुछ लोगोंका ही हो ऐसा सोचनेकी वजहसे यह सवाल उठा है। खादीका काम ऐसा महाशास्त्र है, जिसका पूरी तरह अभीतक मन्थन नहीं हुआ है। उसमें छोटे-बड़े जितने लोग भी जुट सकें उतने कम हैं। सात लाख गाँवोंमें पहुँचनेके लिए कितने पुरुष आवश्यक हैं। खादीका काम इतना विशाल है कि यदि एक लाख लोग रोजाना आठ घंटे दें तो भी कुछ काम बच रहेगा। इसी बारके अंकमें गुजरातमें खादी-उत्पादन और बिक्रीका संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इस ब्यौरेको देखकर ही सबको पता चलना चाहिए कि खादीके कामके लिए कितने पुरुषोंकी जरूरत है?

लेकिन मैं जानता हूँ कि इस प्रश्नकी तहमें दूसरा प्रश्न है। खादीका काम है तो अच्छा, पर जिस पुरुषको वह नीरस मालूम हो, वह क्या करे? ऐसे पुरुषको

गाँवोकी गन्दगी दूर करनी चाहिए। इसके लिए वह झाडू न झाडे, बल्कि झाडू लेकर रास्ते और पाखाने साफ करे, धूरे बन्द करे, लोगोमें शोचादिके नियमोका प्रचार करे। हालाँकि बहने धरना देगी, परन्तु उन्हें धरनेके काममें मददकी बहुत जरूरत होगी। पुरुष उनकी मदद करे। यदि सामर्थ्य हो तो पुरुष गाँवोमे पेडोके नीचे बैठकर बिना किताबके बच्चोकी शाला चलायें, प्रौढोके लिए रात्रिशाला शुरू करे। जिसे सेवा ही करनी है, उसके लिए क्षेत्र अनन्त है। और सब यह समझ ले कि जब फिर लडनेका मौका आयेगा, तब उस लडाईके लिए ऐसे ही कामोसे शक्ति उत्पन्न होगी।

दुनियाके हिंसक सिपाहियोने भी यही किया है और यही करते है। सिर्फ भाडेका सिपाही जब लडता नही, तब मुफ्तकी रोटी खाकर उसे बरबाद करता है, यानी मनमानी करके त्रास फैलाता है और पृथ्वीपर भाररूप रहता है। इतिहासमे हमने पढा है कि गैरीबाल्डी और उसके सिपाही, जब लडते न थे तब हल चलाते थे, बोअरोका पेशा हल चलानेका था, और जब लडनेका समय आया तब जनरल बोथासे लेकर गरीब बोअरोतक ने अपने हल एक ओर रख दिये और रणमे दुनियाको आश्चर्यमे डालनेवाली बहादुरी दिखाई—जो मैंने अपनी आँखो देखी। यदि हिंसक स्वयंसेवक इस प्रकारका रचनात्मक काम करके अपनी लडनेकी शक्तिको सचित कर सकते है, तो हिन्दुस्तानके इस युगके अहिंसक सिपाहीको रचनात्मक काम करनेमें परेशानी क्यो होती है, यह मै समझ नही पाता। सभी पाठक अच्छी तरह याद रखें कि पिछले साल जो उत्साह उमड़ पडा था, उसके पीछे भारी तपश्चर्या थी, महान रचनात्मक कार्य था।

दूधमें जहर मिले तो?

जिस दुकानमें विदेशी और स्वदेशी दोनों तरहका कपड़ा बिकता हो, उस दुकानसे बिलकुल कपड़ा न खरीदनेकी सलाह ग्राहकको दी जा सकती है क्या?

दूधमें जहरकी बूंद गिर जानेसे जैसे वह दूध त्याज्य हो जाता है, वैसे ही मेरे मतानुसार विदेशी कपडेकी दुकानपर स्वदेशी कपडा बिकता हो तो हम उस दुकान पर न जायें। कलालकी दुकानपर शुद्ध दूध ही पिया जाये, तो भी लोग जिस प्रकार दूध पीनेवालेको शराबी ही समझेंगे वही गति विदेशी कपडेकी दुकानपर स्वदेशी कपडा खरीदनेवालेकी होगी। स्वदेशी कपडेकी दुकाने क्या कम है? कम हो और हमारे पडौसमें न हो, तो जहाँ हो हमे वही जाना चाहिए। धरना देनेवालेके लिए तो यह सीधा-सा रास्ता है कि जहाँ विदेशी कपडा बिकता हो, उस दुकानपर जानेवाले आदमीको सावधान करे और वह लौट सके तो उसे वापस लौटाये। मुझसे हालमें यह प्रश्न भी पूछा गया है कि शराबवालेकी दुकानपर बहुतेरी स्वदेशी चीजे बिकती हो तो उन्हे खरीदने जाया जाये या नही। 'नही जा सकते' यह राय देते मुझे देर न लगी।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३१-५-१९३१

३१२. पत्र : अमतुस्सलामको

३१ मई, १९३१

प्रिय अमतुल,

अगर तेरी तबीयत अच्छी न रहती हो, तो तुझे सिर्फ दूध और फलपर रहना चाहिए। पैसेके बारेमें तेरी नाजुक भावनाको मैं समझ सकता हूँ। इस बारेमें नारणदासको लिख रहा हूँ। मुझे पत्र जरूर लिखती रहना और अपने दिलकी सारी बात कहना। मैं चाहता हूँ कि आश्रममें तेरा मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास हो।

बापू

अंग्रेजी (जी० एन० २३९)की फोटो-नकलसे।

३१३. पत्र : एम० रिबेलो ऐंड सन्सको

३१ मई, १९३१

महोदयगण,

इसी महीनेकी २२ तारीखका आपका पत्र[1] मिला। मेरे व्यक्तिचित्रों पर मेरा प्रतिलिप्याधिकार नहीं है; फिर भी आपने जो अनुमति माँगी है, उसे देनेमें मैं असमर्थ हूँ।

आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१२०)की माइक्रोफिल्मसे।

३१४. पत्र : ऐलन डब्ल्यू० सेलरको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मीराबाईने मुझे उनके नाम आया हुआ आपका पत्र दिखाया था। मुझे लगता है, आपके आश्रम आनेके मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। पासपोर्ट लेना जरूरी है और बहुत सम्भव है कि आपको कुछ शर्तोंपर ही पासपोर्ट दिया जाये। इसीलिए मेरी

१. एम० रिबेलो ऐंड सन्सने खपरेल बनानेकी अपनी कम्पनीके व्यापार-चिन्हके रूपमें गांधीजी के चित्रका उपयोग करनेकी अनुमति माँगी थी।

सलाह तो यही है कि मेरे साथ आकर बसनेके लिए भारत आनेका अपना विचार अभी तो कुछ समयतक स्थगित रखिए, किन्तु फिर भी वहाँ रहते हुए आश्रमके नियमोका पालन कीजिए और उन परिस्थितियोमें जितना बन सके अपना जीवन आश्रमवासियोके अनुरूप बनाइए। तब निश्चय ही किसी भी तरहके प्रतिबन्धोके बिना भारत आनेकी सम्भावनाके द्वार शायद आपके लिए खुल जायेंगे।

यदि आपको वहाँ 'यग इडिया' न मिल रहा हो, तो आप विश्वविद्यालयके कार्यालयमें जाकर पूरी फाइल देख सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री ऐलन डब्ल्यू० सेलर
शिकागो, इलिनॉय

अग्रेजी (एस० एन० १७१६८) की फोटो-नकलसे।

३१५. पत्र : किरणशंकर रायको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय किरण बाबू,

आपका पत्र मिला। सुभाष बाबूने बाकायदा शिकायत भेजी है, इसलिए कार्य-समिति अब पूरे मामलेपर गौर करेगी। आप भरोसा रखें कि उस जाँच-पडतालमे मैं पूरा-पूरा हाथ बँटाऊँगा और समितिको निष्कर्षोंपर पहुँचनेमें मदद दूंगा। शिशिर बाबूने मुझे अलगसे एक पत्र लिखा था। मैं उनको अब अलगसे उत्तर नही दे रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत किरणशकर राय,
४४, यूरोपियन एसाइलम लेन
कलकत्ता

अग्रेजी (एस० एन० १७१६९) की माइक्रोफिल्मसे।

३१६. पत्र : आनन्दकिशोर मेहताको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

इसी महीनेकी २७ तारीखका आपका पत्र मिला। आपने उसे याददिहानी कहा है। पर पिछला पत्र मिलनेकी मुझे कोई जानकारी नही। मुझे आपसे खेदके साथ कहना पड रहा है कि स्मारककी आपकी योजनाके साथ मुझे कोई सहानुभूति नही और उस समितिके साथ अपना नाम जोडनेके लिए तो मै बिलकुल ही तैयार नही हूँ। यदि समितिमे मेरी चले तो मै उसे भग करनेकी ही सलाह दूंगा।

हृदयसे आपका,

श्री आनन्दकिशोर मेहता
महामन्त्री
अखिल भारतीय भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव स्मारक समिति
अनारकली, लाहौर

अग्रेजी (एस० एन० १७१७०) की माइक्रोफिल्मसे।

३१७. पत्र : श्रीराम शर्माको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय महोदय,

आपका पत्र मिला। आपने यह नही लिखा कि काग्रेस कार्यकर्त्ताओको गिरफ्तार क्यो किया गया था। जो भी हो, समझौतेमें ऐसी कोई व्यवस्था नही जो सरकारको असल या मनगढन्त अपराधोके लिए मुकदमे चलानेसे रोक सके। यदि तथाकथित अपराध किया ही नही गया और गिरफ्तार कार्यकर्त्ता चाहे तो अपने वकील खडे करके मुकदमा लड सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री श्रीराम शर्मा
महामन्त्री
जिला काग्रेस कमेटी
रोहतक (पजाब)

अग्रेजी (एस० एन० १७१७१) की माइक्रोफिल्मसे।

३१८. पत्र : आर० एस० राजवाडेको

प्रकाशनके लिए नहीं

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मैंने शिमलामें आपकी रिहाईके बारेमें सुना था। अधिकारियोंको इसके लिए राजी करनेमें पहले तो सचमुच काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन वह सब करनेमें प्रसन्नताका अनुभव हुआ, क्योंकि आपका मामला मुझे बिलकुल स्पष्ट लग रहा था।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एस० राजवाडे
'कर्मयोगी' कार्यालय
५७४, साऊथ कसावा, शोलापुर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७२)की फोटो-नकलसे।

३१९. पत्र : कृष्णगोपाल दत्तको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

मैंने आपके तारका जवाब इसलिए नहीं दिया कि मुझे उसका जवाब सूझा ही नहीं। अब आपका पत्र मिलनेपर मैं आपके प्रश्नोंके उत्तर दे सकता हूँ।

१. चूंकि धरनेको बिलकुल शान्तिपूर्ण और जोर-जबर्दस्तीसे मुक्त रखना है, इसलिए वस्त्रोंके मौजूदा संग्रहको मोहरबन्द करनेका कोई सवाल नहीं उठता।

२. परन्तु यदि वस्त्र-विक्रेता आपके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करनेसे इन्कार करे, तो आप चाहे तो उसकी दुकानपर धरना दे सकते हैं, फिर चाहे उसकी दुकानमें स्वदेशी वस्त्र ही क्यों न हों।

३. जाहिर है कि प्रतिज्ञा भंग करनेवाले दुकानदारकी दुकानपर आप धरना देंगे ही, पर आप उसपर जुर्माना नहीं कर सकते।

हृदयसे आपका,

श्री कृष्णगोपाल दत्त
सिटी रोड, सियालकोट शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१७३)की माइक्रोफिल्मसे।

३२०. पत्र : वी० बी० हरोलीकरको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

ये रहे आपके प्रश्नोके उत्तर:

१. जी, हाँ, यदि माल प्रामाणिक उत्पादन-कर्त्ताओसे खरीदा गया हो। लेकिन हर हालतमे अच्छा यही रहेगा कि थोक खरीद अखिल भारतीय सस्था द्वारा ही की जाये।

२. सभी प्रकारकी खरीदके लिए मै अ० भा० च० स०का प्रमाणपत्र आवश्यक मानता हूँ।

३. खद्दरकी शर्त जबतक नियमावलिमे मौजूद है, तबतक सभी काग्रेस समितियो को सख्तीके साथ इसके पालनका आग्रह करना चाहिए।

४. चौथा प्रश्न कहाँतक सगत है, मै समझ नही पाया। इसलिए कि ऐसी कोई बाध्यता न होते हुए भी काग्रेस यदि चाहे तो विदेशी वस्त्रोकी दुकानोपर धरना दे सकती है, बशर्ते कि धरना अर्थात् पूर्णत. शान्तिपूर्ण और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दोनो ही प्रकारकी जोर-जबर्दस्तीसे सर्वथा मुक्त हो।

मेरा ख्याल है कि आपके सभी प्रश्नोके काफी स्पष्ट उत्तर मै दे सका हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री वी० वी० हरोलीकर
नगर काग्रेस कमेटी
२८, शुक्रवार पेठ
पूना

अग्रेजी (एस० एन० १७१७४)की माइक्रोफिल्मसे।

३२१. पत्र : चि० यु० चिन्तामणिको

स्थायी पता, सावरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय मित्र,

आप मुझसे बधाई पानेकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे; परन्तु मैं आपको बधाई नहीं दूंगा, फिर कारण केवल यही क्यों न हो कि मैं आपसे पहले जो कह चुका हूँ, बधाई देना उसको दोहराना-भर होगा। हाँ, आपका यह सोचना बिलकुल सही है कि मैं समाचारपत्र नहीं पढ़ता। स्थानीय समाचारपत्रोंको भी मैं चन्द मिनटोंतक ही देखता हूँ, वह भी मजबूरीसे! अंग्रेजी तो मानो मैं नियमपूर्वक छोड़ देता हूँ। इसलिए 'लीडर'की कतरन भेजकर आपने अच्छा ही किया। 'नवजीवन'में महादेव देसाई द्वारा लिखे एक निर्दोषसे अनुच्छेदको उसमें काफी तूल दे दिया गया है। मैं आपको अपनी ओरसे इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं गैर-संजीदगीसे कोई संघर्ष छेड़नेवाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि युद्धकी घोषणा करनेका लॉर्ड इर्विनके लिए क्या अर्थ होगा। इन वार्ताओंके दौरान हम दोनोंके सम्बन्ध कुछ ऐसे बन गये हैं कि यदि मैं देखूँ कि युद्धकी घोषणा करनेसे लॉर्ड इर्विनको मार्मिक दुःख पहुँचेगा तो यह विचार-मात्र मुझे वैसा कोई कदम उठानेसे पहले हजार बार सोच लेनेके लिए बाध्य कर देगा। पर मैं आपको आपसी तौरपर बतला दूं कि यदि मैं इतने गैर-संजीदा दिमागसे काम करनेवाला होता तो ऐसे अनेकानेक अवसर आये थे जब मैं प्रान्तीय अधिकारियोंके साथ अपनी वार्ता कभीकी तोड़ सकता था। मैंने सदा ही बड़े धैर्यसे काम लिया है, और अब भी ले रहा हूँ। खैर; मैं वाइसरायको पूरी स्थितिपर फिरसे विचार करनेका पर्याप्त समय दिये बिना और जनताके समक्ष पूरी चीज रखे बिना कोई भी कदम उठानेवाला नहीं हूँ। कहनेकी कोई जरूरत नहीं रह गई है कि मैं कार्य-समितिकी मंजूरी लिए बिना कुछ भी नहीं करूँगा।

संघर्ष या शान्तिसे सम्बन्धित आपकी आशंकाओंके बारेमें इतना कहना ही काफी होगा। लेकिन साम्प्रदायिक समस्या बिलकुल ही दूसरे तरहकी चीज है। लॉर्ड इर्विनको मैंने अपनी स्थिति अनेक बार स्पष्टतः समझा दी थी। उन्होंने मेरी स्थितिके प्रति बहुत काफी सहानुभूति प्रकट की थी। आप जानते ही हैं कि गोलमेज परिषद्ने अबतक जितने विषयोंकी चर्चा की है, कांग्रेसकी माँग उन सबसे कहीं ऊँचे स्तरकी है। यदि देशमें साम्प्रदायिक समझौता न हो पाया तो मैं अपने अन्दर कांग्रेसकी माँगपर आग्रह करने लायक आत्मविश्वास नहीं बटोर पाऊँगा। पर परिषद्में मेरे शामिल न होनेका अर्थ यह तो नहीं है कि संघर्ष छिड़ जायेगा। यदि साम्प्रदायिक समझौता करनेमें असफलता मिलती है तो उसके लिए ब्रिटिश सरकारको तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि साम्प्रदायिक समस्या वर्तमान शासन प्रणालीके

कारण ही पैदा हुई है। इस मामलेमें भी मैं अभी अपना रास्ता टटोल रहा हूँ और यदि मुझसे बन पड़ा तो मैं परिषद्‌में अवश्य भाग लूंगा। मैंने अबतक बिलकुल ही निश्चित कोई निर्णय नही किया है। यदि मुझे रास्ता सूझ पड़ा तो तनिक भी सकोच किये बिना लन्दन चला जाऊँगा। आपको जब भी लिखनेकी जरूरत महसूस हो, आप मुझे अवश्य ही लिखें।

हृदयसे आपका,

श्री चि० यु० चिन्तामणि
मारफत—'लीडर'
इलाहाबाद

अंग्रेजी (१७१७५) की फोटो-नकलसे।

३२२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३१ मई, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

बम्बई सरकार और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ सलग्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

संलग्न :

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६ बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

३२३. पत्र : वा० गो० देसाईको

वारडोली
३१ मई, १९३१

भाईश्री वालजी,

दूधीवहनको साथमे जरूर ले आना। अपने हिसाबसे तुम बुधवार अर्थात् ३ तारीखको पहुँचोगे। ७ तारीखको मुझे यहाँसे भागना है।

बापू

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६४१५) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य. वा० गो० देसाई

३२४. पत्र : दूधाभाईको

वारडोली
३१ मई, १९३१

भाई दूधाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। अन्त्यजेतर हिन्दूका अर्थ भगी नही, अन्त्यजेतरका अर्थ है ऐसा हिन्दू जो अन्त्यज नही है। गुजरातमे पला हुआ एक ब्राह्मण युवक मेरी नजरमें है। आश्रममें जात-पाँत नही ओर अन्त्यज जैसी चीज हिन्दू धर्ममे से निकाल देनी चाहिए। इस कारण मेरे मनमे यह विचार रहता है कि लक्ष्मीका विवाह अन्त्यजेतरसे करना ही ठीक होगा। लक्ष्मीको जल्दी नही है, यह तो बहुत अच्छी बात है। अमरेलीके पास घरके बारेमें तो मैंने लिखा ही है न?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इसी आशासे अमरेली गया था।

गुजराती (जी० एन० ३२४४) की फोटो-नकलसे।

३२५. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

वारडोली
३१ मई, १९३१

चि० रुक्मिणी,

तेरा पत्र मिला। तुझे किस तरह आश्वासन दूं। ससारमें सभी चीजे अपने मनकी नही मिलती। हमे ससारमे अलिप्त होकर रहना है। तू दूसरे प्रान्तमे गई, इसी कारण यह परेशानी हुई है, यह तो कभी न सोचना। तू धीरज रखेगी तो सभी कुछ ठीक हो जायेगा। तुझे कुछ दिनो मेरे पास रहनेकी जरूरत है। ऐसा अवसर देखूंगा। तू शान्त रहना। राधासे आठ तारीखको बम्बईमे मिलना है। उस समय फैसला कर सकेगे कि उसे कहाँ रहना है और क्या करना है। सन्तोकका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, यह जानकर एक चिन्ता दूर हुई।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ९०५८)की फोटो-नकलसे।

३२६. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

३१ मई, १९३१

चि० प्रेमा,

लक्ष्मी और पद्मा बीमार क्यो होती रहती है? ऐसा लगता है कि वे दवा वगैराके बारेमे लापरवाह रहती है। पद्माको बुखार बना रहा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा। उसकी देख-भालकी जिम्मेदारी किसपर रहती है? हर बच्चेको आश्रममे माँ-बापकी कमी नही अखरनी चाहिए। कृष्णकुमारीकी तबीयत कैसी है? औरोके बारेमे भी मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५५)की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ६७०३ से भी।
सौजन्य: प्रेमाबहन कटक

३२७. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

वारडोली
३१ मई, १९३१

भाई विट्ठलदास,

तुम्हे याद तो रोज ही करता हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्यका हाल भी पूछता रहता हूँ। तुम इस तरह बीमार कैसे पड गये? अब फौरन काममें लग जानेका आग्रह न करना और स्वास्थ्य सुधार लेना। देवलाली जैसी जगहमें जाकर रहना ठीक हो तो वहाँ रह आओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७७७)की फोटो-नकलसे।

३२८. पत्र : नारणदास गांधीको

वारडोली
३१ मई, १९३१

चि० नारणदास,

लक्ष्मी और पद्माका तो कोई योग्य इलाज तुरन्त करवाना चाहिए। डाक्टर कानूगा दोनोका अच्छी तरह निरीक्षण करें। उससे भी वे ठीक न हो तो सोचना पडेगा।

वैद्यकी दवासे वाको कोई विशेष लाभ हुआ नही दीखता? उसे तो पानी और सोडेसे फायदा हो रहा लगता हे। वा तो यह मानती है कि दवासे बलगम निकलना बन्द हो जाता है और वह छातीमे ही जमा रहता हे।

दोनो गगाबहने और वसुमती आजकल यहाँ आई हुई है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मैथ्यूको आना हो और वहाँसे निकल सकता हो तो आ जाये, ऐसा उसे कल लिखा है। अमतुलबहनको लिखा पत्र पढ लेना और उसे उसकी धन-सम्बन्धी स्थिति समझा देना।

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

३२९. तार : सुभाषचन्द्र बोसको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
१ जून, १९३१

ाषचन्द्र बोस
ंडवर्न पार्क
ंलकत्ता

ंरी सलाह कि लिए सेनगुप्तसे मिलो और यदि आपसी निबटारा नामुमकिन ा तो सभी मामले पच-फैसलेके लिए सौपनेका प्रस्ताव रखिए। मैं ावी आम सभाएँ या प्रचारकी राय नही देता। सेनगुप्तको पच-फैसलेपर राजी होनेके लिए तार भेज रहा हूँ।[1]

गाधी

अग्रेजी (एस० एन० १७१७८) की फोटो-नकलसे।

३३०. तार : जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
१ जून, १९३१

सेनगुप्त
एल्गिन रोड
कलकत्ता

अन्दरूनी मतभेद दूर होने चाहिए। पारस्परिक समझौता असम्भव हो तो कृपया मामले पच-फैसलेके लिए सौपनेपर राजी हो जाइए।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७१७६) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

३२९. तार : सुभाषचन्द्र बोसको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
१ जून, १९३१

सुभाषचन्द्र बोस
बुडबर्न पार्क
कलकत्ता

मेरी सलाह कि लिए सेनगुप्तसे मिलो और यदि आपसी निवटारा नामुमकिन हो तो सभी मामले पच-फैसलेके लिए सौपनेका प्रस्ताव रखिए। मै जवावी आम सभाएँ या प्रचारकी राय नही देता। सेनगुप्तको पच-फैसलेपर राजी होनेके लिए तार भेज रहा हूँ।[1]

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७१७८) की फोटो-नकलसे।

३३०. तार : जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
१ जून, १९३१

सेनगुप्त
एल्गिन रोड
कलकत्ता

अन्दरूनी मतभेद दूर होने चाहिए। पारस्परिक समझौता असम्भव हो तो कृपया मामले पच-फैसलेके लिए सौपनेपर राजी हो जाइए।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७१७६) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

३३१. तार : मुरारीलालको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
१ जून, १९३१

डॉ० मुरारीलाल
सिविल लाइन्स
कानपुर

आपका तार[1] मिला। बडा दु.ख हुआ पर यही सुझाव दे सकता हूँ कि दोनो पक्ष मामला पंच-फैसलेको सौप दे। पूरी चीज देखे बिना कोई दूसरी राय नही दे सकता।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८०)की फोटो-नकलसे।

३३२. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

१ जून, १९३१

सर चिमनलाल सीतलवाडने हालमें गोलमेज परिषद्के प्रति गांधीजी के रुखके बारेमें एक वक्तव्य दिया था। उसके सम्बन्धमें 'एसोसिएटेड प्रेस'के प्रतिनिधि द्वारा भेंट किये जानेपर गांधीजीने कहा :

सर चिमनलाल सीतलवाडने मेरे बारेमें जो भी कहा, उसके सम्बन्धमे मुझसे प्रश्न पूछकर आप मुझे सकोचमें डाल रहे है। उनकी उम्र और उनके बडप्पनके बलपर उनको पूरा अधिकार है कि वे अपर्याप्त जानकारीके आधारपर भी जैसे चाहे वक्तव्य दे सकते है। मेरे जैसे छोटे-मोटे व्यक्तियोकी आलोचना उन्हे नही छू सकती।

और हालाँकि इस नाजुक वातकि दौरान मै बहुत ज्यादा खुलासा करके तो कोई बात नही कह सकता, पर मोटे तौरपर इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैंने कम-से-कम अपनी जानकारीमे तो ऐसा कोई काम नही किया है जो समझौतेको खटाईमें डाल दे या उसके विरुद्ध पड़े।

१. तार इस प्रकार था : "गाधी सेवा समितिके साइनबोर्डको लेकर हिन्दु-मुस्लिम झगड़ा। इतने ऊँचे साइन बोर्डसे कोई बाधा न पहुनेपर भी मुसलमान उसके नीचेसे जुलूस [ताजिये] निकालनेको तैयार नहीं। . . . हिन्दू लोग कुछ घटोंके लिए भी उसे हटानेको राजी नहीं। . . . सारे शहरमें मातक . . .।"

इन परिस्थितियोमें हालाँकि मै गोलमेज परिषदमें शामिल होनेके लिए राजी हूँ और उत्सुक भी हूँ, लेकिन समझौतेको मै जितना समझ पाया हूँ, उसमें तो ऐसी कोई चीज मुझे नही दिखाई पड़ती जिसके कारण काग्रेसके लिए गोलमेज परिषद्में शामिल होना अनिवार्य ही हो जाता हो; इसलिए कि वह चर्चा शुद्ध रूपसे सिद्धान्तो की ही चर्चा है और उसके दौरान उपस्थिति अनुपस्थितिका कोई प्रश्न बिल्कुल उठा ही नही।

यह पूछे जानेपर कि क्या उनका रुख लगातार बदलता रहा है, महात्मा गांधीने कहा:

मुझे तो नही मालूम कि मैंने ऐसा कुछ किया है।

वे गोलमेज परिषद्में भाग लेंगे या नहीं — इस प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा:

यदि मै गोलमेज परिषद्मे शामिल हो सका, तो मै वहाँ एक दर्शक-मात्र बनकर नही रहूँगा, मै उसकी कार्रवाईमे पूरी तौरपर भाग लूंगा और अपने पूरे उत्साह तथा समूची शक्तिसे काग्रेसकी माँगें गोलमेज परिषद्के सामने पेश करूँगा।

यह पूछनेपर कि क्या बारडोलीमें कोई गतिरोध पैदा हो गया है, महात्मा गांधीने कहा:

मैंने श्री वल्लभभाई पटेलके साथ जाकर कलेक्टरसे मुलाकात की थी और वह काफी अच्छी रही। मुझे आशा है कि सब-कुछ सन्तोषप्रद ढगसे तय हो जायेगा।

एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या बारडोली या बोरसदमें सन्धिकी शर्तोंका कोई उल्लंघन हुआ था। इसके उत्तरमें उन्होंने कहा:

मै इस प्रश्नका उत्तर नही देना चाहूँगा क्योकि बारडोली और बोरसद दोनो ही से सम्बन्धित अनिर्णीत प्रश्नोको तय करनेके लिए वार्ता अब भी चल ही रही है।

[अग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-६-१९३१

३३३. तार: तमिलनाडु सम्मेलन, मदुराको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
२ जून, १९३१

तमिलनाडु सम्मेलन
मदुरा

सम्मेलनकी सफलताकी कामना। निस्सन्देह विदेशी वस्त्र बहिष्कारका दारोमदार धरनेकी अपेक्षा खद्दरपर अधिक।

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७१८२) की माइक्रोफिल्मसे।

३३४. तार : कोम्ब्राबेलको

कोम्ब्राबल
वाल्मट्टी
मगलौर

मेरी रायमें अनुमति नही दी जा सकती।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८३) की माइक्रोफिल्मसे।

३३५. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' प्रेसके बारेमे हुई हमारी बातचीत[1] आपको याद होगी। आपने शायद कानूनी सलाह[2] ली है? मै जितने भी लोगोसे राय ले पाया हूँ, वे यही कहते है कि इस धाराका अर्थ निश्चित रूपसे यही है कि उसी स्थानपर सुपुर्दगी दी जाये, जहाँसे सम्पत्ति हटाई गई थी। मै जानना चाहूँगा कि आपके वकील इस सम्बन्धमें क्या कहते है। इस बीच स्थिति यह है कि प्रबन्धकोके स्वामित्वमें उपयुक्त किस्मकी मशीनें और अन्य सामग्री होनेके बावजूद, 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'को अभी भी कठिनाई हो रही है।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६–बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. इस विषयमें गांधीजीके पहले पत्रके लिए देखिए "पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको", ७-५-१९३१।
२. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १४-६-१९३१।

३३६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय चार्ली,

आपके दो बहुमूल्य पत्र मिले। मैं समझ गया कि आप चाहते है, मैं जल्दी-से-जल्दी इग्लैंड पहुँच जाता — सम्भव हो, तो हवाई डाककी तरह। लेकिन मैं तो फुदक भी नही सकता। मुझे अबतक मार्ग नही सूझ रहा है। मेरी इच्छा तो वहाँ आनेकी है, पर अन्दरसे आवाज आती है — "नही," और बाहरी वातावरण अतरकी आवाजके मार्ग-दर्शनका ही समर्थन करता है। आप जानते ही हैं कि काग्रेसकी माँगो की भाषा कुछ अधिक स्पष्ट रूपमें दो टूक है। वह अन्यथा हो भी नही सकती थी। यदि हम अपने ही घरमे साम्प्रदायिक समस्या तकको हल न कर पाये, तो फिर मैं लन्दनमें आत्मविश्वासके साथ एक अविचलित स्वरमें अपनी बात नही कह सकूँगा। इसलिए मुझे नही लगता कि यदि साम्प्रदायिकताका निबटारा न हो पाया और सर्वसम्मतिसे कोई काम-चलाऊ समझौता न हो सका तो अपने अन्दर उतना आत्मविश्वास पैदा कर सकूँगा जितना कि काग्रेसका सन्देश देनेके लिए अपेक्षित है। यह रही गोलमेज परिषद्की बात। ब्रिटेनके मंत्रीगण यदि काग्रेसके दृष्टिकोणकी चर्चा करने और उसे समझनेके लिए वहाँ मेरी उपस्थिति आवश्यक समझेंगे तो मैं जरूरत पडनेपर आ सकता हूँ और वे चाहे तो उनमें थोडा प्रचार-कार्य भी कर सकता हूँ। लेकिन तब फि दिल्ली समझौता भी तो है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं देखूं कि कोई अकेला आदमी जितना प्रयत्न कर सकता है, वह मैं समझौता-भग न होने देनेके लिए अवश्य करूँ। बम्बई सरकारने मुझे युद्धकी घोषणा करनेका पर्याप्त कारण दे दिया है, लेकिन मैं धैर्यसे काम ले रहा हूँ, इतने धैर्यसे कि यदि आपको सारी बातें मालूम होती तो आपको मेरे धैर्यपर आश्चर्य ही होता। छोटी-छोटी बातोमे भी उनके अमलके समय ऐसा लगता है जैसे कोई मजबूत दाँत बाहर खीचा जा रहा हो। लेकिन मैं अपनी इन परेशानियोसे आपको परेशान नही करना चाहता। मैं उनको हँसते हुए झेल रहा हूँ और विरोधको खत्म करता जा रहा हूँ। ईश्वरकी कृपासे केन्द्रीय सरकारकी सहायता मुझे मिल रही है। मेरा विश्वास है कि श्री एमर्सन मुझे भली-भाँति समझते है और वे सब ठीक कर देगे। लेकिन प्रान्तीय सरकारे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर सकती है, जिनपर मेरा और उनका, किसीका भी बस न चले। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँतक काग्रेसकी बात है, काग्रेसी समझौतेको जिस निष्ठाके साथ कार्यान्वित कर रहे है उसको तो मुझे आशा नही थी। वैसे कभी-कभी धरनो आदिमें उत्साहका अतिरेक दिखाई पडता है, लेकिन उसे तुरन्त ही काबूमें ले लिया जाता है। जिनको भी जरूरत मालूम पडे उनको आप मेरी ओरसे आश्वस्त कर सकते है।

मैं परिषद्की बैठकोंमें शामिल होनेका इच्छुक हूँ और वार्ताके जरिये स्थायी शान्ति स्थापित करने तथा सवैधानिक समस्याओंके बारेमें सम्मानपूर्ण समझौता करनेके लिए भरसक प्रयत्न करूँगा। मुझे वास्तवमें रोकनेवाली चीज अगर कोई है तो बाह्य परिस्थिति ही है। लेकिन अब तो गोलमेज परिषद् और उसकी समितियोंकी बैठक स्थगित कर दी गई है और उसके स्थगनके कारणोंका मेरे इस संकोचसे कोई सरोकार नहीं। इसलिए यदि परिषद्के अतिरिक्त अन्य कारणोंसे मेरी उपस्थिति वहाँ अपेक्षित न हो गई हो, तो मेरे वहाँ आनेकी बातको लेकर जल्दबाजी करनेकी जरूरत नहीं रह गई है। आप जितना चाहते थे, मैंने आपको उतना बतला दिया है।

मैं फिलहाल बारडोलीमें सब ठीक-ठीक करनेमें लगा हुआ हूँ।

गुरुदेव शायद अस्वस्थ हैं।

सस्नेह,

मोहन

अंग्रेजी (एस० एन० ९६८) की फोटो-नकलसे।

३३७. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र मिला। सुभाष बाबू यहाँ आये थे। वे प्रत्यारोपोंकी एक लम्बी-चौडी फेहरिस्त साथ लाये थे। अब मैंने दोनोंको तार द्वारा कह दिया है कि यदि दोनों ही पारस्परिक सहमतिसे अपना मामला मध्यस्थको सौंप दें और यदि वे किन्हीं स्थानीय व्यक्तियोंको मध्यस्थ बना लें और उनके फैसलेको स्वीकार करके चलें तो यह अशोभनीय विवाद समाप्त हो सकता है। जो भी हो, मैं ९ तारीखको इसे निबटानेके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है, करूँगा।

'गीता' और 'आत्मकथा'के मामलेमें आपको सफलता मिल रही है। मुझे तो आशा नहीं थी कि आप इन पुस्तकोंकी कुछ भी बिक्री कर पायेंगे।

यह जानकर खुशी हुई कि आपका वजन कुछ बढ़ा है, लेकिन और काफी बढना चाहिए। मैं पूर्ण विश्वासके साथ कहता हूँ कि आपको अपने शरीरके लिए आवश्यक भोजन लेनेमें कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। मांस और मछलीका त्याग करना ही आपके लिए बहुत काफी है। आपको दूध और दही काफी मात्रामें लेना चाहिए और ऐसे ताजा फल भी जो आसानीसे मिल सकें। मैंने यही बात हेमप्रभा देवीको भी लिखी है। उनका निखिलके[1] दुःखमें अपने शरीरके लिए आवश्यक भोजन न लेना बहुत गलत है। मेरी यह धारणा दिन-दिन पुष्ट होती जा

१. सतीशचन्द्र दासगुप्तका पुत्र, जिसका स्वर्गवास १९२८ में हो गया था।

रही है कि इस प्रकारके आत्मत्यागमें कोई अच्छाई तो है ही नही, वल्कि यह अपनेआपमें प्राकृतिक नियमोका उल्लघन है। भोजनका त्याग तभी गुणकारी होता है जव वह स्वादके मामलेमे जिह्वाको नियन्त्रणमे रखने या किसी उपचारके लिए किया जाये।

आपने मुझे कतैयोंकी ओरसे १८२८में लिखे गये जिस पत्रका अनुवाद भेजा था, उसे मैंने 'यग इडिया'में प्रकाशित कर दिया था।[1] अव किशोरलाल मशरू-वालाने उसकी प्रामाणिकतापर सन्देह प्रकट किया है। उनका कहना है कि पत्रकी भाषा और उसमे रखे गये विचार भी बहुत आधुनिक मालूम पड़ते है। आपके पत्रको यदि मै ठीक-ठीक समझ पाया हूँ तो आपने उसमें उल्लेख किया था कि आपके पास उस समाचारपत्रकी प्रति मौजूद है जिसमें पत्र-प्रकाशित हुआ था।

सस्नेह,

वापू

श्रीयुत सतीशचन्द्र दासगुप्त
खादी प्रतिष्ठान
सोदपुर (कलकत्ता)

अंग्रेजी (जी० एन० ८०३४)की फोटो-नकलसे।

३३८. पत्र : ए० जी० बटको

२ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र[2] मिल गया। आप मेरे कथनके सत्यका साक्षात्कार प्रार्थना, आत्म-शुद्धि, चिन्तन, उपवास और श्रम-साध्य अध्ययनके वलपर कर सकते है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१६४)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "अठारह सो अट्ठाईसमें", २१-५-१९३१।

२. ए० जी० वट्टने २९-५-१९३१ को शिमलासे लिखे अपने पत्रमें "वीसवीं सदीकी एक सती", ३-५-१९३१ गाधीजी के एक लेखका उल्लेख करते हुए कहा था कि आत्माकी अमरताके पक्षमें कही गई वातपर विश्वास नहीं जमता।

३३९. पत्र : सर डब्ल्यू० जे० वेनलेसको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

पत्रके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरी जो सेवा की थी उसकी स्मृति तो मेरे दिमागमें बहुत ही स्पष्ट है,[1] लेकिन एक अरसा हुआ मैंने इस प्रकारकी सेवाका किसी भी प्रकारका कोई पारिश्रमिक देनेकी बात सोचना बन्द कर दिया है। और मैं तो स्वयं ऐसी सेवा करनेमें लगभग असमर्थ ही हो गया हूँ। इसलिए इधर वर्षोंतक मैंने लोगोंकी बस एक ही सेवा की है—उनको हार्दिक धन्यवाद देना; और मेरे जैसे निर्धन व्यक्तिके हृदयसे निकला धन्यवाद आशीर्वाद बन जाता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझपर अनेकानेक लोगोंने निजी तौरपर कृपाएँ की हैं। आप जरा सोचिए कि सार्वजनिक कार्योंके ही सिलसिलेमें अपने परिचित धनीमानी व्यक्तियोंसे अगर मैं अपने कृपालुओंके श्रमके लिए दान इत्यादि माँगना शुरू कर दूँ तो मेरी क्या स्थिति हो जायेगी और क्या स्थिति होगी उन समृद्ध व्यक्तियोंकी। इसलिए आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी मेरी असमर्थताके लिए आप मुझे क्षमाकर देनेकी कृपा करें।

हृदयसे आपका

डॉ० सर डब्ल्यू० जे. वेनलेस
१०१६, मेटीलिजा रोड
ग्लेन्डेल, कैलीफोर्निया (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८८)की फोटो-नकलसे।

१. सम्भवतः १९२७ की बीमारीमें प्रेपीने गांधीजी का इलाज किया था उससे संकेत है; देखिए खण्ड ३३, पृष्ठ २०९-१०।

३४०. पत्र : एन० जी० जोशीको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

निपानीके फौजदारी मुकदमेके तथ्योके विवरणका आपका पत्र मुझे मिल गया। जहाँ हिंसाका कोई भी आरोप है, वहाँ मामला प्रान्तीय सरकारपर निर्भर करेगा। मैं उसमे जो भी लिखा-पढी करूँगा, उसकी सफलताकी सम्भावना नही है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि बाकायदा मुकदमा लड़ा जाये।

हृदयसे आपका,

श्री एन० जी० जोशी
अध्यक्ष, जिला काग्रेस कमेटी
बेलगाँव

अंग्रेजी (एस० एन० १७१८९)की फोटो-नकलसे।

३४१. पत्र : सर कावसजी जहाँगीरको

स्थायी पता, साबरमती
२ जून, १९३१

प्रिय सर कावसजी,

मेरे पत्रकी[1] प्राप्ति-सूचना तुरन्त भेजने और सरदार गरदाके कब्जेमे मौजूद जमीनके सिलसिलेमे अब भी जारी आपके प्रयत्नोके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। मुझे लगता है कि सौदा पक्का करनेका वह पत्र लिखनेके बाद सम्पत्तिको हस्तान्तरित करना सरदार गरदाके लिए कानूनन अनिवार्य हो गया है। उनके पत्रके उत्तर मे मैंने इसी आशयका[2] पत्र उनको लिखा है। मै और आगे भी जाँच-पडताल करता रहा हूँ और मै आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उनके लगाये आरोपोमें कोई सार नही है। बल्कि उल्टे वे ही जनताको आतकित किये हुए है। उनकी जमीनसे आम तोडनेके अपराधमे बारह वर्षसे कम अवस्थाके लडके गिरफ्तार किये गये थे। आपके ताल्लुकेकी जानकारी नही है। आमके दरख्त सरकारी सरक्षणमें नही है और प्रदेश-भरमे शरारती लडके आमोके मौसममे खूब आम तोडते फिरते है और उनको कोई भी नही टोकता। मै ठीक नही कह सकता कि गिरफ्तार किये जानेवाले शरारती

१. देखिए "पत्र : कावसजी जहाँगीरको", २६-५-१९३१।
२. देखिए "पत्र : फ्रामरोज बी० गरदाको", २६-५-१९३१।

लड़कोने उनके आमोंपर ही हाथ साफ किया था या नही। मान लीजिए, किया भी हो, तो उनपर किसीका नियन्त्रण नही होगा। फिर भी वे इस प्रकारकी घटनाओं को लेकर अपना आरोप-पत्र तैयार कर देते है, हालाँकि तग किये जानेके उनके तथा-कथित आरोपसे इन घटनाओका कोई सम्बन्ध ही नही।

कुमारी वी० कान्ट्रैक्टरकी शिकायतके बारेमे मैं आपके पत्रकी राह देख रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री कावसजी जहाँगीर
टैम्पल हिल
महाबलेश्वर

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल संख्या १६–सी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३४२. पत्र: शारदाबहन चि० शाहको

२ जून, १९३१

चि० शारदा,

पत्र मिला। लगता है, इन दिनों तेरी तबीयत ठीक चल रही है। तुम सब भी मेरी ही तरह पत्र लिखनेमे सुस्त बन गई हो।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९०२)से।
सौजन्य: शारदाबहन जी० चोखावाला

३४३. पत्र: नानीबहन झवेरीको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० नानीबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम विद्यापीठमे रह गईं उसके लिए माफी माँगनेकी बिलकुल जरूरत नही। वहाँ रहना कोई गुनाह नही है। वहाँ सीखोगी ही इसलिए सन्तोषपूर्वक रहना, स्वास्थ्य सुधारना, मनका विकास करना। मुझे पत्र लिखती रहना। गगाबहनके भी वही आनेकी काफी सम्भावना है।

बापूके आशीर्वाद

गजराती (जी० एन० ३११५)की फोटो-नकलसे।

३४४. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम दोनोका स्टीमरसे लिखा पत्र मिल गया था। तुम लोगोंके पहुँचनेकी खबर भी मिल गई है। इस बार तुम्हारे नियमित रूपसे आनेवाले पत्रकी राह देखूंगा।

बा मेरे साथ बारडोलीमे है। शिमलामे भी साथमें ही थी। विलायतका अभी तो कोई पक्का कार्यक्रम नही बना। हिन्दू-मुस्लिम समस्याका कोई हल अभी ही दूर लगता है। बाकी ठीक है।

ज्यादा लिखनेका समय नही है।

सीता उर्फ तो भूल गया हूँ, अब तो फिर मोटी हो गई होगी। वहाँ बीमारी तो होनी ही नही चाहिए। इसी तरह सुशीला भी मोटी हो जाये तो कितना अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ४७८४)की फोटो-नकलसे।

३४५. पत्र : हरि-इच्छा देसाईको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० हरिइच्छा,

तुम्हारा पत्र बहुत दिनोके बाद मिला। आँखका इलाज जल्दी ही कर लेना चाहिए। उसका उपाय यह है: जितना सहन हो सके उतने गर्म पानीमे थोडा नमक डालकर रोज आँखे धोये। नमक बिलकुल साफ और थोड़ा-सा ही होना चाहिए। इससे आँखोपर छीटे भी दे। फायदा होना होगा तो एक ही दिनमें इसका असर समझमें आ जायेगा अर्थात् आँखका तेज बढा हुआ मालूम होगा। रातको सोते समय कपडा दूधमें भिगोकर आँखपर बाँधकर सो जाना। ९ तारीखको बम्बई जाना है। ११ को वापस आऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

बच्चोको जरूर लाना।

गुजराती (जी० एन० ७४६७) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ४९१३ से भी।
सौजन्य: हरि-इच्छा कामदार

३४६. पत्र : बबलभाई मेहताको

वारडोली
२ जून, १९३१

चि० बबलभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

१. विदेशियोंपर लागू कानूनके अनुसार हुक्म मिले तो उसे न माना जाये।

२. अपने निवास-स्थानपर भेज दिया जाये तो वहाँ बेजा बन्धन स्वीकार न किये जायें।

३. जेलमें समझौतेकी खबर मिले तो उसे कुछ महत्व न दिया जाये। जो लोग बाहर बैठे हैं वे जो-कुछ करना चाहें करें।

४. प्राप्त आदेशकी रसीद देनेमें कोई हर्ज नहीं है।

तुमने जेलमें नियमोंका पालन किया और बाहर भी कर रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

तुम्हें जो बातें लिख रहा हूँ इनमें स्थितिके अनुसार फेरफार तो हो ही सकता है। ये विचार मैंने लिखे हैं; तो भी जिस समय जैसा योग्य लगे वैसा ही करना।

बापू

गुजराती (एस० एन० ९४५३) की फोटो-नकलसे।

३४७. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

२ जून, १९३१

चि० पण्डितजी,

ठक्कर बापा लिखते हैं कि डाकोरमें जो भंगियोंका सम्मेलन हुआ था उसके लिए तुमको बुलाया था किन्तु तुम नहीं जा सके। क्या यह ठीक है?

रामभाऊ कैसा चल रहा है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१६) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

३४८. पत्र : रामभाऊ खरेको

२ जून, १९३१

चि० रामभाऊ,

तूने अलमोड़ासे तो बहुत ही कम पत्र लिखे थे। क्या वहाँ भी आलसी ही बना रहेगा? क्या अब आलस्य छोड़ नही देना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २८९) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

३४९. पत्र : नारणदास गांधीको

२ जून, १९३१

चि० नारणदास,

क्या आश्रमका कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी दृष्टिमें है जो भगी सेवा-कार्यके लिए आगे आये?

लालजी कैसा काम करता है? खर्चके अनुपातमे काम कर लेता है?

लाल बगलेमे कोई रह रहा है या वहाँ कोई सोता है? क्या गिरिराज बहक गया है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१से।

३५०. पत्र : छगनलाल जोशीको

२ जून, १९३१

चि० छगनलाल,

सुरेन्द्रके पत्रने तुम्हें उलझनमें डाल दिया लगता है। उसने कई बातोंकी खिचड़ी बना डाली है, इसीलिए तुम्हें उनका सार समझनेमें कठिनाई हुई है। सुरेन्द्र आश्रममें जाये, यह एक स्वतन्त्र विचार है और उसके ये कारण हैं।

१. मुझे कराड़ीमें उसकी खास आवश्यकता नहीं दिखाई दी।

२. विशेष प्रयत्न करके दूसरी जगह ढूंढे और वहाँ रहे, हम अपरिग्रही ऐसा नहीं कर सकते।

३. वर्तमान स्थितिमें ऐसे व्यक्ति आश्रम चले जायें तो इसमें तनिक भी बुराई नहीं है।

४. सरदारकी यह इच्छा जरूर है कि सुरेन्द्र या आश्रमके दूसरे सदस्य जो परिस्थितियोंके अनुसार अपनेको न ढाल सकें, आश्रममें ही चले जायें तो अच्छा है।

इस बातके साथ-साथ जिन दूसरी बातोंपर चर्चा हुई उनका सार यह है:

१. जो आश्रमवासी आश्रम-नियमोंका पालन करनेमें शिथिल हों और बाहर रहकर काम करना चाहिए, ऐसा बहाना बनाकर आश्रम न जायें, उन्हें आश्रममें वापस चले जाना चाहिए।

२. जिस आश्रमवासीकी बाहर आवश्यकता हो और जो नियमोंका पालन कर सकता हो उसका कर्त्तव्य है कि बाहर रहकर कार्यक्रममें योग दे।

३. एक गाँवमें एक ही कार्यकर्त्ता जाये, यह अधिक वाछनीय है।

४. हो सकता है कि एकसे ज्यादा कार्यकर्त्ता होनेसे काम कम पड़ जाये और फिर दो कार्यकर्त्ताओंके छोटे-से आपसी मतभेदके कारण भी लोगोंका विश्वास डिग जाये।

५. सम्भव है कि दरबारीने तीन-चार आश्रमवासी कार्यकर्त्ताओंको देखकर सोचा हो कि मेरा जो स्थान था, वह अब नहीं रहा और ऐसा सोचकर वह चला गया हो।

६. जहाँ अपनी सेवाकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध न हो वहाँसे भाग आये। मैंने क्या कहा है इसका दूसरों द्वारा किया गया वर्णन स्वीकार करनेसे पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – श्री छगनलाल जोशीने

३५१. पत्र : खुशालचन्द गांधीको

बारडोली
२ जून, १९३१

पूज्य भाईश्रीकी सेवामें,

नारणदासको लिखा आपका पोस्टकार्ड पढकर दुःख हुआ। आपने पत्र काँपते हाथोसे लिखा है। इससे कमजोरी जाहिर होती है। नारणदासके आनेसे थोड़ी शान्ति मिली होगी। देह रहे तो भी क्या, न रहे तो भी क्या, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। मुझे पत्र लिखवाइए।

आप दोनोको,

मोहनदासके दण्डवत्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२२०)से।
सौजन्य : नारणदास गाधी

३५२. पत्र : रसिक देसाईको

बारडोली
२ जून, १९३१

चि० रसिक,

पत्र मिला। फोडे तो खूनकी खराबीके कारण होते हैं। यह केवल फल और दूधका आहार लेनेसे ही दूर हो सकती है।

तू विद्यापीठ या कही और जाना चाहे तो ऐसा करनेकी योग्यता तो होनी ही चाहिए। जो अपना काम छोडकर विद्यापीठमें जाता है, वह जाने योग्य नही है। आश्रममे पूरी तरह पढना नही हो पाता, यदि कोई यह बहाना लेकर पढनेके लिए विद्यापीठमे जाये तो वह भी जाने योग्य व्यक्ति नही है। स्वराज्य सेवाकी खातिर जिसकी उपस्थिति विद्यापीठमे जरूरी है और जो इसके लिए वहाँ जाता है वही ऐसा करने योग्य है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

जयन्तसे कहना कि उसके पत्रमे जवाब देने लायक कुछ नही था, इसलिए नही लिखा।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ४३५०)से।
सौजन्य : रसिक देसाई

३५३. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको

वारडोली
२ जून, १९३१

चि० हेमप्रभा,

तुमारा खत मिला है। मेरा अगला खत मिला होगा।

पुत्रके या ऐसे प्रियजनके मृत्युके वाद खाना कम करना या छोडना अज्ञान हि मानो। उसमे कुछ भी पुण्य नहिं है। मरे हूए के पीछे सेवावृत्ति वढाना, सव आत्माका ऐक्य पहचानना, देहका मिथ्यात्व जानना धर्म है शुद्ध श्राद्ध है। खाना कम करना या कुछ वीज छोडना तो स्वादेंद्रि वश करनेके कारण या शारीरिक व्याधि दूर करनेके कारण हो। प्रियजनके मृत्युके साथ भोजन त्यागका कोई संवध नहिं है। इसलिये जागृत हो जाओ निखिलके[1] मृत्युका भूल जाओ और सेवाके कारण देहको सुधारनेकी चेष्टा करो। दूध दही और फल खानेकी आवश्यकता है। पैसेका कष्ट है तो लिखो।

वापूके आशीर्वाद

जी० एन० १६८७ की फोटो-नकलसे।

३५४. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

वन्दूकों-तमंचो आदि शस्त्रोंके प्रश्नके सम्बन्धमें अभी निर्णय करना है। मुझे मालूम नही कि आपने इस मामलेमें कानूनी सलाह ले ली है या नही। कानूनी सलाह कुछ भी हो, 'अवैध रूपमें रखना' शब्दोंके वारेमे अपना सुझाव रखते समय इस विषयमे जो वातचीत हुई थी वह मुझे वड़ी अच्छी तरह याद है। मूल प्रारूप को देखनेपर आपको शायद वह पूरी वातचीत याद आ जायेगी, क्योंकि उसमें वन्दूक-तमंचो आदिको शामिल नही किया गया था।

१. हेमप्रभा देवीके पुत्र निखिलका देहान्त जुलाई, १९२८ में हुआ था।

मैं मथुरा और लुधियानाकी घटनाओंकी आपको याद दिला दूं। इन दोनों मामलोंकी गहराईसे जाँच की जानी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल संख्या, १६–बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

३५५. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपको याद होगा कि हम लोगोंने स्कूल छोड देनेवाले विद्यार्थियोंके प्रश्नपर चर्चा की थी। हर तरफसे शिकायतोंका ताँता लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन विद्यार्थियोंको बिना किसी शर्तके स्कूलोंमें वापस ले लेना अत्यन्त ही आवश्यक है। दण्ड देनेके लिए उनको ही चुने जानेके विचार-मात्रसे दिल काँप उठता है।[1]

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल संख्या १६–बी, १९३१।
सौजन्य : गांधी स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. एमर्सनने २ जुलाईको उत्तर दिया था कि "विद्यार्थीको पूरी तौरपर एक व्यक्ति नहीं ही माना जा सकता। वह एक संगठित संस्थाका सदस्य होता है, और किसी व्यक्तिको लांछित करनेके उद्देश्यसे नहीं, बल्कि संस्थाके हितको देखते हुए बहुधा यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसी शर्तें लगाई जायें जिनसे अनुशासन स्थापित हो सके। ये विचार हैं जिनको प्रान्तीय सरकारें निस्सन्देह काफी महत्त्व देती हैं और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि समझौतेकी चर्चाके समय यह प्रश्न उठाया गया होता तो प्रान्तीय सरकारोंने भावी आचरणके लिए किसी भी तरहकी गारंटी लिये बिना विद्यार्थियोंको फिरसे दाखिला देनेकी बातपर डटकर आपत्ति की होती, भले ही पढ़ाई छोड़नेके कारण कुछ भी हों, विद्यार्थीने पढ़ाई छोड़ी हो या उसे शिक्षण संस्थासे निकाल दिया गया हो। इन परिस्थितियोंमें भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि प्रान्तीय सरकारोंको एक ऐसा काम करनेके लिए बाध्य किया जाये जो समझौतेकी हदसे बाहर पड़ता है।. . ."

३५६. पत्र : जी० वी० केतकरको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

हाँ, श्री राजवाडेके मामलेको लेकर मुझे काफी परेशानी और चिन्ता रही।

श्री राजाके[1] मामलेके पूरे कागजात मुझे अभी-अभी मिले हैं। मैं उनका अध्ययन कर रहा हूँ।

चिरनेरके मामलेमें अभी इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता।

देवने[2] हाल ही में मुझे पत्र लिखा था।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत जी० वी० केतकर
'केसरी' और 'मराठा' कार्यालय
५६८, नारायण पेठ
पूना शहर

अंग्रेजी (जी० एन० ७९६५)की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० ९८० से भी।
सौजन्य : जी० वी० केतकर

१. एच० डी० राजा।

२. शंकरराव देवने महाराष्ट्रमें कांग्रेस कमेटियोंके चुनावके बारेमें गांधीजी को लिखा था। गांधीजीके सचिवने पत्रके अन्तमें निम्नांकित पुनश्च जोड़ दिया था: "मुझे आशा है कि आप कोई काम-चलाऊ नुस्खा निकाल सकेंगे। शंकरराव देवको गांधीजीका उत्तर।"

३५७. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको[1]

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

तुम्हारा भेजा हुआ डॉ० टी० दासका पत्र मुझे मिल गया है। मैं नहीं समझता कि हम इस मामलेमें कुछ कर सकते हैं।

आशा है बम्बईमें ९ तारीखको तुमसे भेंट होगी।

बापू

श्री जे० सी० कुमारप्पा[2]
बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १००९४)की फोटो-नकलसे।

३५८. पत्र : एस० एन० बाटलीवालाको[3]

३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

पिछले महीनेकी २० तारीखके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा लेख आपको 'यंग इंडिया' में 'क्या बहिष्कार एक आर्थिक आवश्यकता है'[4] शीर्षकसे मिलेगा।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७१०६)की माइक्रोफिल्मसे।

१. जे० सी० कुमारप्पाके २७ मईके पत्र (एस० एन० १७१६२)के उत्तरमें।

२. साधन-सूत्रमें "एच० कुमारप्पा" लिखा है।

३. एस० एन० बाटलीवालाने दिनांक १९-५-१९३१ के टाइम्स ऑफ इंडियामें प्रकाशित भारतीय आर्थिक संकटसे सम्बन्धित अपने लेखकी एक प्रति संलग्न की थी, जिसमें बतलाया गया था कि विदेशी वस्त्रपर ३५ प्रतिशत आयात-कर लगाकर भारतीय जनताका रक्त किस प्रकार चूसा जा रहा है और नतीजतन आर्थिक मन्दीके कालमें विदेशी वस्त्रोंका भारी परिमाणमें आयात करनेसे किस तरह भारतीय रुईकी कीमत गिर गई है।

४. दिनांक ४-६-१९३१ के अंकमें "क्या वह आर्थिक आवश्यकता है", शीर्षकके अंतर्गत।

३५९. पत्र : विलियम हेडॉर्नको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। यदि लन्दन जानेमे सफल हुआ तो सचमुच मै विभिन्न स्थानोपर जाना भी पसन्द करूँगा। लेकिन ऐसा हो सकेगा या नही, मै नही जानता। फिर भी यदि यूरोपमे विभिन्न स्थानोपर मेरा जाना हो सका तो निश्चय ही आपका परिचय प्राप्त करके प्रसन्नता होगी।

हृदयसे आपका,

श्री विलियम हेडॉर्न
हैमबर्ग २४ (जर्मनी)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९२)की फोटो-नकलसे।

३६०. पत्र : चार्ल्स एस० फील्डको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

मै आपके पत्रकी कद्र करता हूँ और यदि अमेरिका जाता तो मैंने आपसे परिचय अवश्य प्राप्त करता। लेकिन आप समझ ही गये होंगे कि वह एक वेसिर-पैरकी अफवाह ही थी। और उसीने कुछ लोगोमे आशा और शायद कुछमे आशंका भी जगा दी थी कि मै शायद अमेरिकाकी यात्रा करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री चार्ल्स एस० फील्ड
डलास टैक्सास (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९३)की फोटो-नकलसे।

३६१. पत्र : दरभंगा महाराजको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

बोरसदसे पुनः प्रेषित आपके तारके लिए धन्यवाद। आपने जोतदारोंके जिस घोषणापत्रका उल्लेख किया है, वह मेरी नजरसे नहीं गुजरा। आप यदि उसे भेजनेकी कृपा करें तो देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

हृदयसे आपका,

दरभंगा महाराज

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९४)की फोटो-नकलसे।

३६२. पत्र : गर्ट्रूड एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय बहन,

आपका यह सोचना बिलकुल ठीक ही है कि यदि मुझे यरवदामें भी आपकी पुस्तक[1] पढ़ जाने लायक शान्त वातावरण नहीं मिल सका तो फिर उस शान्ति-कुटीरसे बाहर तो इसकी कोई सम्भावना ही नहीं है। जेलमें एक सहयोगी बन्दीने आपकी पुस्तक पढ़नेको ले ली थी और अपनी रिहाईके समय वे उसे साथ ही लिये चले गये। मेरे रिहा होनेपर उन्होंने पुस्तक तब लौटाई जब मैं अशेष कामोंमें जुटा हुआ था। रिहाईके बाद मुझे चैन ही नहीं मिली। मेरे शरीरकी रही-सही शक्ति हाथका काम ही ले लेता है।

आप जब भी आयें, आश्रममें आपका स्वागत होगा।

कुमारी गर्ट्रूड एमर्सन
मारफत 'एशिया'
४६८, फोर्थ एवेन्यु
न्यूयार्क (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९५)की फोटो-नकलसे।

१. तात्पर्य शायद १९३० में प्रकाशित वॉइसलैस इंडियासे है।

३६३. पत्र : कोंडा वैंकटप्पैयाको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय वैंकटप्पैया,

मुझे इस बातकी खुशी है कि आपने बापी नीडूके बारेमें मुझको पूरे विस्तारसे लिखा। मैंने उनको आश्रममें रखने और परिवारके उनके आश्रित सदस्योंके लिए तैंतीस रुपये प्रति मास देनेका प्रस्ताव रखा है।[1] उन्होंने इतनी ही रकम माँगी थी। परन्तु यदि आप उनको वहीं अपनी निगरानीमें रखकर कुछ करा सकें तो कृपया अवश्य करें। आपकी निगरानी उनको मंजूर भी होगी।

आपकी पत्नी कैसी है? आपकी बच्चीके बारेमें सुनकर बड़ा दुःख हुआ; उसे गर्मियोंमें हर बार पहाड़ोंपर तो जरूर जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री कोडा वैंकटप्पैया
गुन्टूर

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९६)की माइक्रोफिल्मसे।

३६४. पत्र : के० पंडार चेट्टीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके सन्दर्भमें। ऐसा नहीं लगता कि आपकी बन्दूकका लाइसेंस असहयोग के कारण जब्त किया गया है। असहयोग आन्दोलनसे असम्बद्ध मामलोंपर 'समझौता' लागू नहीं होता।

हृदयसे आपका,

श्री के० पडार चेट्टी
कार्डमम प्लान्टर
बोदिनायकनूर (दक्षिण भारत)

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९७)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र : मगन्ती बापी नीडूको", २८-५-१९३१।

३६५. पत्र : श्रीमती सी० ए० हाटेको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय बहन,

मेरे शरीरमे जो-कुछ भी शक्ति है, वह मेरे नियमित जीवन और यथाशक्ति सयम पालनके कारण ही है। यह बिलकुल सच है कि आपपास रहनेवाले मेरे मित्रो पर भी मेरे चित्तकी शान्तिका असर पडता है। यह एक ईर्ष्याकी वस्तु है। ऐसी मानसिक शान्ति, ईश्वर और उसकी कृपापर परम आस्था रखनेसे प्रति-फलित होती है। इस आस्थासे ही मुझे परिणाम या फलकी चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहकर अपना नियोजित कर्म विनम्रतापूर्वक करते रहनेकी सामर्थ्य मिलती है।

मेरा विश्वास है कि अपच एक ऐसी चीज है जिसपर हरएक आदमी काबू पा सकता है और उसे दूर कर सकता है। उचित भोजन विषयक सलाह दे सकनेके लिए आपने पत्रमे जितनी बाते लिखी है, उससे बहुत अधिक जानकारी आवश्यक होगी। मै जानना चाहूँगा कि जब आपको अपच हो जानेका अनुमान होता है तब आपको कैसा लगता है। क्या आपकी आँतें ठीक काम कर रही है? आप कितने अर्सेसे अपचसे पीडित है? इस समय आप भोजनमे क्या-क्या ले रही है, कितनी मात्रामे और कितनी बार? आप कौन-सा व्यायाम कर रही है? पूरे दिनकी चर्या क्या रहती है?

हृदयसे आपका,

श्रीमती सी० ए० हाटे
'इन्दु भवन'
३४३ ठाकुरद्वार, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७१९८)की फोटो-नकलसे।

३६६. पत्र : एस० स्वामिनाथन् चेट्टियारको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

गत २५ मईका आपका पत्र मिल गया।[1] यदि कोई अध्यक्ष काग्रेस-विधानके किसी नियमको माननेसे जान-बूझकर इन्कार करे तो निश्चय ही वहाँ मौजूद कोई भी सदस्य उसके निर्णयको चुनौती दे सकता है और अविश्वासका प्रस्ताव रख सकता है या सदस्योके लिए विहित अन्य उपायोका सहारा ले सकता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एस० स्वामिनाथन्
उत्तर पोत्तमरै
कुम्भकोणम्

अग्रेजी (एस० एन० १७२००)की फोटो-नकलसे।

३६७. पत्र : मन्त्री, भारतीय व्यापारी मण्डलको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय महोदय,

मुझे सर्वसम्मतिसे आपके मण्डल (चेम्बर)का अवैतनिक सदस्य चुन लिया गया है, पिछले महीनेकी १९ तारीखके आपके पत्रकी इस सूचनाके लिए धन्यवाद। इस प्रकार मुझे सम्मानित करनेके लिए कृपया मेरी ओरसे मण्डलको मेरा धन्यवाद पहुँचा दीजिए।

आपका विश्वस्त,

मन्त्री, भारतीय व्यापारी मण्डल
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७२०१)की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें कहा गया था कि कुम्भकोणम् ताल्लुका काग्रेस कमेटीके अध्यक्षने एक वकील सदस्यको समितिकी कार्रवाईमें भाग लेनेकी अनुमति दी थी; हालाँकि अन्य सदस्योंने आपत्ति भी उठाई थी कि वह सदस्य आदतन खद्दरधारी न होनेके कारण इसका अधिकारी नहीं था।

३६८. पत्र : अनन्त गोपाल शेवड़ेको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। यदि आपका दावा है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसका आदेश गैरकानूनी है, तो आपको न्यायालयकी शरण लेनी चाहिए। और जब उसके बारेमें कोई शका थी तो उस विषयमे गृहमन्त्रीको लिखकर और जनताके सामने पूरा मामला पेश करके आपने सर्वथा उचित तरीका ही अपनाया है।

हृदयसे आपका,

श्री अनन्त गोपाल शेवडे
प्रचार अधिकारी
प्रान्तीय राजनीतिक परिषद्
सागर (मध्य प्रान्त)

अग्रेजी (एस० एन० १७२०२)की माइक्रोफिल्मसे।

३६९. पत्र : सर डार्सी लिंडसेको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

गत ३० अप्रैलके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा ख्याल था कि किसीने भी इस प्रस्थापनाका गम्भीरतापूर्वक खण्डन नही किया कि देशकी प्रशासनिक व्यवस्थामे भारतीयोकी स्थिति महज क्लर्को-जैसी[1] है। मैं चाहता हूँ कि आप 'आई० सी० एस०' (भारतीय असैनिक सेवा) के भी कुछ भारतीय सदस्योकी मन.स्थितिसे परिचित हो लेते। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कह सकता हूँ कि उनमे भी एक बड़ी संख्या ऐसे अधिकारियोकी है जो अपनेको क्लर्कोसे अधिक कुछ महसूस नही करते, हाँ, आप उनको कुछ ऊँचे दर्जेके क्लर्क मान सकते हैं। लेकिन वह अनुच्छेद लिखते समय मेरे दिमागमें ऊँची-ऊँची तनख्वाहे फटकारनेवाले इन मुट्ठीभर भारतीयोकी नही, बल्कि वास्तविक क्लर्कोके विशाल समुदायकी बात ही थी।

१. देखिए खण्ड ४५, "राक्षस और बौना", २६-३-१९३१।

इन क्लर्कोकी योग्यता कितनी ही ऊँची क्यो न हो, वे क्लर्कोंके दर्जेसे ऊपर उठ ही नही सकते।

और जब मैंने कहा था कि भारतीयोका दर्जा अधिक-से-अधिक एक दलालका दर्जा है, तब अपनी समझमे मै शब्दशः सही बात कह रहा था। वैदेशिक व्यापारकी बडी-से-बडी कोई भी मद ले लीजिए। क्या भारतीय व्यापारी उसमें विदेशी मालिकोके दलाल-भर नही है? यदि वे अपने लिए पाँच रुपये कमाते है तो अपने विदेशी मालिकोको ९५ रुपयेकी कमाई कराते है। और जबतक व्यापारकी वर्तमान परिस्थितियाँ बनी रहेगी तबतक दूसरा कुछ हो भी नही सकता। यदि भारत मुख्यतः कच्चा माल निर्यात करने और तैयार वस्तुओका आयात करनेवाला देश बना रहेगा तो सम्भावना इसी बातकी है कि भारतीय व्यापारीका दर्जा दलालोका ही बना रहे, फिर चाहे वे इग्लैडके दलाल हो, या जापान, या अमेरिका या अन्य किसी देशके।

मै आपको कैसे सिद्ध करके दिखलाऊँ कि भारतीय चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, उसे रोज-रोज कैसे-कैसे अपमानोका सामना करना पडता है, और उसे किसी भी तरहकी सुविधा नही मिलती, जब कि उसके ब्रिटिश प्रतिद्वन्द्वीको हर सुविधा माँगते ही मिल जाती है। ब्रिटिश जहाजरानी कम्पनियोकी ही बात लीजिए, खान उद्योग हो, या बैंकिंग या अन्य कोई व्यवसाय, हर क्षेत्रमें यूरोपीयोको भारत-भरमें इतनी अधिक रियायते मिलती है कि उन्हे गिनाया ही नही जा सकता।

मैंने कहा है कि इग्लैडके व्यापारकी नीव भारतके व्यापारके नाशपर खडी है। पर यह तो मैंने इतिहासज्ञोके कथनको ही दोहराया है। मुझे जरा भी शिकायत न होती यदि यह परिस्थिति-मात्र उद्योगशीलता और जीवटका ही परिणाम होती। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जरा 'इडिया आफिस' के रिकार्डोमे देखे कि "ईस्ट इडिया कम्पनी" कैसे और किन तरीकोसे फैली तथा पनपी है। इस रिकार्डको सकलित करनेका श्रेय ब्रिटिश इतिहासकारोको ही दिया जाना चाहिए।

मैंने जहाँ दोनोको समान स्तरपर लानेकी प्रक्रियाकी बात लिखी है, वहाँ मेरे दिमागमे रूसके बोल्शेविक शासनकी मिसाल नही थी। मेरे लिए शायद यह स्वीकार करना शर्मकी बात है कि मुझे अबतक यही ठीक-ठीक मालूम नही कि बोल्शेविज्म है क्या। और इसका कारण यही है कि रूसी क्रान्तिकी आन्तरिक प्रक्रियाका अध्ययन करनेका मुझे समय मिल ही नही पाया। समान स्तरपर लानेकी प्रक्रियाका सीधा-सीधा अर्थ मेरे दिमागमे यही है कि मेरे ख्यालसे ब्रिटिश वाणिज्य पक्षपातपूर्ण विशेषाधिकारोकी जिस पद्धतिपर खडा किया गया है, वह खत्म कर दी जाय और वैसा करनेके लिए एक दोहरी प्रक्रिया आरम्भ करनी पडेगी। पक्षपात और विशेषाधिकार समाप्त किये जाये और नये भारतीय उद्योगोको राजकीय सहायता और सरक्षण दिया जाये।

मै जानता हूँ कि मै अपने तर्कोके बलपर ही आपका मत बदल देनेकी उम्मीद नही कर सकता। भारतमे मौजूद अग्रेजोसे मै इतना ही चाहता हूँ कि वे अपने-आपको एक औसत भारतीयकी आँखोसे देखें और स्वयसे सवाल करे कि

भारतके इतने विशाल समुदायकी उनके प्रति ऐसी भावनाएँ क्यो है। भारतीयोकी भावनाएँ क्या है, यह मै 'यग इडिया'के स्तम्भोमे बहुधा लिखता रहा हूँ। क्या यह हो सकता है कि कुछ ब्रिटिश अर्थशास्त्रियोने जो मत प्रकट किया है और अधिकाश भारतीय अर्थशास्त्रियो, इतिहासकारो और प्रशासकोने भी जो मत प्रकट किया है, वह एकदम असत्य हो? मैने जो कैफियत पेश की है, वह इन लोगो द्वारा जुटाये गये साक्ष्यपर ही आधारित है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उसका समर्थन करता है।

अन्तमे मै यही कहूँगा कि आपके विचारोसे मेरा कितना भी मतभेद क्यो न हो, पर मै आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती समझानेकी अपनी कोशिशमे जो लगन दिखाई है, मै उसकी बडी कद्र करता हूँ। और यदि आप अपनी कोशिश न छोडे तो मै यह कहनेकी धृष्टता कर सकता हूँ कि मै तब भी यदि अपना मत न बदल पाऊँ तो हो सकता है कि इस मैत्रीपूर्ण पत्र-व्यवहारकी प्रक्रियामे आपको ही विपक्षमे दिये गये तर्कोके सत्यकी प्रतीति हो जाये।

हृदयसे आपका,

सर डार्सी लिंडसे
स्पोर्ट्स क्लब
सेंट जेम्स स्क्वेअर
लन्दन, साउथ वेस्ट

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०३)की फोटो-नकलसे।

३७०. पत्र : विद्यानाथ सहायको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मुझे मिल गया।

मेरा निश्चित मत है कि हर कीमतपर सत्य भाषण करना प्रत्येक व्यक्तिका, और शिक्षाविदोका तो विशेष तौरपर परम कर्त्तव्य है।

कालेजोमे होनेवाली राजनीतिक बहसोमे निन्दाको कोई स्थान नही दिया जाना चाहिए।

भारतीय रजवाडोके मामलोको दिल्ली समझौतेमे शामिल करना मुमकिन नही था।

अपनी इच्छासे त्यागपत्र देनेवालो और बर्खास्त किये जानेवालोके बीचका अन्तर मै समझ सकता हूँ। बर्खास्तगी असहयोग आन्दोलनसे सर्वथा असम्बद्ध अन्य उचित आधारोपर भी तो हो सकती है।

यदि आपकी बात सच है तो मुझे इसपर आश्चर्य नहीं है कि आपने जो बातें गिनाई हैं, उनके आधारपर आपको कश्मीर सरकारकी सेवासे बर्खास्त करनेपर अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ भी अपने यहाँ क्यों नहीं रखतीं।

हृदयसे आपका,

श्री विद्यानाथ सहाय
एम्पायर हिन्दू होटल
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०४)की माइक्रोफिल्मसे।

३७१. पत्र: चार्ल्स एफ० वैलरको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

१७ अप्रैलके आपके स्नेहपूर्ण पत्रके लिए धन्यवाद। १९३३ तो बहुत दूरकी चीज है। मैं उस वर्षके लिए अभी अस्थायी तौरपर भी किसी प्रबन्धकी बात नहीं सोच सकता। यदि सब ठीक-ठीक चलता रहे, तो आपको १९३२के बीचमें कभी मुझे इस सम्बन्धमें लिखना पड़ेगा। तभी मैं आपको निश्चित उत्तर दे सकूंगा। आशा है, आप मेरी कठिनाईको समझेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री चार्ल्स एफ० वैलर
'शिकागोज फैलोशिप ऑफ फेथ्स'
शिकागो (अमेरिका)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०५)की फोटो-नकलसे।

३७२. पत्र : के० राय चेट्टीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके प्रश्नका उत्तर 'यंग इंडिया' में स्तम्भोमें देना बिलकुल गैर-जरूरी है। जवाब बिलकुल साफ है। काग्रेसका कोई भी सदस्य अफीमके ठेकेके लिए बोली नही बोल सकता।

हृदयसे आपका,

श्री के० राय चेट्टी
सीतानगरम्
बरास्ता कोव्वूर, पूर्वीय गोदावरी जिला

अग्रेजी (एस० एन० १७२०६)की माइक्रोफिल्मसे।

३७३. पत्र : सुभाषचन्द्र बोसको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

तुम्हारा पत्र मिला। मैं समझता हूँ कि उस साधुको परेशान करनेकी जरूरत नही है। उसे पागल कहा जाता है—यह जानकारी तो मुझे कुछ अच्छी ही लगी; क्योकि यह बात तो हम दोनोमे भाईचारा सूचित करती है। वह ऐसी चेतावनी न देता तो भी मैं यह तो जानता ही हूँ कि यूरोपकी यात्रा मेरे स्वास्थ्यको खतरेमे डाल सकती है। लेकिन इससे क्या होता है? यदि वहाँ जाकर कुछ सेवा करना मेरे भाग्यमे बदा है तो जैसे भी हो, स्वास्थ्य मेरा साथ जरूर देगा।

श्री सुभाषचन्द्र बोस
१ वुडबर्न पार्क
कलकत्ता

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०७)की फोटो-नकलसे।

३७४. पत्र : श्रीमती वी० बनर्जीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। मुझे लगता है कि आपको अनेक परीक्षाओंसे गुजरना पडा है। नौकरीके चुनावके सिलसिलेमें पता नही, मुझे आपका मार्ग-दर्शन करनेकी कोई आवश्यकता है भी या नही। आपके सामने अनेक मार्ग हैं। इसलिए आपको मेरी सही सलाह है कि काम चुननेमें आप अपनी रुचिको ही महत्व दीजिए। मै उस तरफ आनेपर आपसे जरूर मिलना चाहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीमती वी० बनर्जी
लेडी हैल्थ विजिटर
बेवी क्लिनिक कमेटी
राजशाही (बगाल)

अग्रेजी (एस० एन० १७२०८)की माइक्रोफिल्मसे।

३७५. पत्र : कृष्णदासको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय कृष्णदास,

२५ मईके पत्रमें तुम्हारी जमी हुई लिखावटसे पता चलता है कि तुमने बडी तेजीसे स्वास्थ्य-लाभ कर लिया है। आशा है कि उसके बादसे और भी काफी प्रगति कर ली होगी। शरीरमें पूरी तरह शक्ति आनेसे पहले और थकान महसूस किए बिना दूरतक घूमने-फिरने लायक होनेसे पहले तुमको बाहर आने-जानेकी कोशिश नही करनी चाहिए। जब स्वास्थ्य-लाभ कर ही रहे हो तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि पहले जितनी शक्ति हासिल करके ही नही, बल्कि शरीरकी बिलकुल काया-पलट करके दम लो। एकदम जर्जर कर देनेवाले ऐसे भयकर सकटको झेल लेनेके बाद तुम्हारे लिए यह बिलकुल सम्भव होना चाहिए।

सुभाष बाबू मथुरासे मेरे साथ ही यात्रा कर रहे थे। हम बडौदातक साथ-साथ रहे। गपशप खासी लम्बी चली। वे फिर बारडोली आये थे। मैंने उनको बगालके सभी विवाद स्थानीय रूपसे पच-फैसलेको सौपनेकी सलाह दी है।

मैं ९ तारीखको बम्बई जाकर १२ को यहाँ लौटूंगा।

श्री कृष्णदास
शक्ति आश्रम
पो० राजपुर (जिला देहरादून)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२०९)की माइक्रोफिल्मसे।

३७६. पत्र : मोहनलाल विद्यार्थीको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। हताश होनेका कोई कारण नही। हल्के-फुल्के व्यायामसे आरम्भ करे, फिर शरीरमे शक्ति बढ़नेके साथ ही साथ व्यायाम बढाते जाइए। रोज सुबह-शाम दोनो वक्त खुली हवामे घूमना उचित व्यायाम होगा। जितना पचा सके, दूध लीजिए और ताजे फल भी। फिलहाल दूसरा कोई आहार न ले। फिर रोज दोपहरको टबमे बैठकर कटि-स्नान कीजिए। यदि कोई तकलीफ महसूस न हो तो दस मिनटसे शुरु करके ३० मिनटतक जा सकते है। कटि-स्नानके बारेमे कोई भी जानकारी न हो, तो वह मेरी पुस्तक 'स्वास्थ्यकी कुजी'मे[1] मिल जायेगी।

हृदयसे आपका,

श्री मोहनलाल विद्यार्थी
कानपुर शहर

अंग्रेजी (एस० एन० १७२११)की फोटो-नकलसे।

३७७. पत्र : अनन्त च० पटनायकको

स्थायी पता, साबरमती
३ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके सम्मेलनमे मेरे शामिल होनेका प्रश्न नही उठता। लेकिन मैं उसकी सफलताकी पूरी कामना करते हुए प्रत्येक सदस्यका ध्यान उस महान दायित्वकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो अगले वर्षके काग्रेस अधिवेशनके सिलसिलेमे आपके कन्धोपर आ गया है। एक चीज है, जिसकी तैयारी आपको अभीसे करनी पडेगी। खादी किसी जादूगरके फलकी तरह तो पैदा नही की जाती। उसके लिए आपको अभीसे

१. देखिए खण्ड ११ और १२।

एक बहुत जोरदार कार्य चलानेकी तैयारी करनी पडेगी ताकि आप दिखा सकें कि काग्रेसके इस सर्वाधिक रचनात्मक कार्यके क्षेत्रमे उड़ीसा कितना-कुछ कर सकता है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत अनन्त च० पटनायक
कार्यकारी मन्त्री
पुरी जिला सम्मेलन, पुरी
पो० बालीपटना (ग्राम अथान्तर)

अग्रेजी (एस० एन० १७२१२)की माइक्रोफिल्मसे।

३७८. पत्र : महालक्ष्मी एम० ठक्करको

३ जून, १९३१

चि० महालक्ष्मी,

क्या मुझे पत्र न लिखनेकी प्रतिज्ञा की है? माधवजीको बच्चोके बारेमें थोडी चिन्ता रहती है, खासकर चन्द्रके बारेमे। चन्द्रको आश्रम भेजनेकी बात चल रही है। इस सम्बन्धमे अपने विचार लिखना। वहाँका दैनिक कार्यक्रम लिखना। यहाँ आकर मिल सको तो दोनो बहने आकर मिल जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६८१६)की फोटो-नकलसे।

३७९. पत्र : विट्ठलदास जेराजाणीको

बारडोली
३ जून, १९३१

भाई विट्ठलदास,

तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। अक्षर तो वैसे ही सधे हुए हैं। दोपहरको माथेपर मिट्टीकी पट्टी बाँधनेका प्रयोग करके देखो तो अच्छा। दिनमे खुली हवामे सोते हो न? क्या रातको कोठरीमे खूब हवा आती है? इस तरहकी बीमारीमे तीमारदारी ही सच्ची दवा है। काम शुरू करनेकी उतावली न करना। खादीको बेच डालनेका काम होता रहेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९७७६)की फोटो-नकलसे।

३८०. पत्र : नारणदास गांधीको

वारडोली
३ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम राजकोटसे लौट आये होगे। मैंने कल ही मुरब्बी खुशालभाईको पत्र[1] लिखा था। भगवानजी को भी पत्र लिखा है कि यदि उसे आश्रममे असत्य ही दिखाई देता है तो वह खुशीसे जा सकता है। सुरेन्द्र कराडी और उटडी होता हुआ वहाँ आयेगा। १५ तारीख तक रवाना हो जाये। आप्टे और सारजा पहुँच गये होगे।

दाँडी यात्राके समय तुम्हे अकलेश्वरसे रुपये ५४३-४-० भेजे गये थे, ऐसा अक्लेश्वरसे भाई छोटालाल गाधीने लिखा है। क्या यह रकम वहाँ है। यदि हो और खादीके-खातेमे जमा हो तो उन्हे वापस भेज देना। उन्हे लिख देना कि उसे खादीके काममे ही लगाना है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

व्रत-विचारके बारेमे काका साहबके साथ बात कर लेना। पर्याप्त प्रतियाँ पडी हो तो दूसरी आवृत्तिकी जरूरत नही है।

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

३८१. पत्र : किशनसिंह चावड़ाको

वारडोली
३ जून, १९३१

भाई किशनसिंह,

यदि आप अब आना चाहे तो रविवार तक किसी भी दिन आ सकते है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२९४)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र · खुशालचद गाधीको", २-६-१९३१।

३८२. पत्र : पदमलालको

३ जून, १९३१

भाई पदमलालजी,

आपका पत्र मिला है। देशी राज्योमे जो-कुछ भी कष्ट पडते है उसके लिए सत्याग्रह पर्यन्त जो-कुछ भी इलाज ले सकते है, वह इलाज लेनेका प्रजाको हक्क है। इसमे काग्रेसका नाम न लिया जाय। क्योकि काग्रेस सहाय नहि दे सकेगी। प्रजा अपनी शक्तिपर निर्भर रहे।

आपका,
मोहनदास गांधी

मध्यप्रदेश और गांधीजीमे प्रकाशित प्रतिकृतिसे।

३८३. वर्ण और जाति

एक विद्यार्थी अपना नाम और पता देकर लिखता है:[1]

यह कहना एकदम सच तो नही है कि हिन्दू-मुसलमान एक दूसरेका अपने त्यौहारोके अवसरपर मान-सम्मान नही करते। परन्तु यह अवश्य ही अभीष्ट है कि यह आदान-प्रदान बहुत अधिक अवसरोपर और अधिक व्यापक रूपमे हो।

जाति-पाँतिके बारेमे मै कई बार कह चुका हूँ कि आधुनिक अर्थमे मै जाति-पाँति नही मानता। वह विजातीय तत्व है और प्रगतिमे विघ्नरूप है। इस तरह मै मनुष्य-मनुष्यके बीचकी असमानताओको भी नही मानता। हम सब सम्पूर्णतया समान है। परन्तु समानता आत्माओकी है, शरीरोकी नही। इसलिए वह एक मानसिक अवस्था है। समानताका विचार करने और जोर देकर उसे प्रकट करनेकी आवश्यकता इसलिए पडती है, कि इस भौतिक जगतमे हम बडी-बडी असमानताएँ देखते है। इस बाह्य असमानताके आभासमें हमें समानता सिद्ध करनी है। कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमीकी अपेक्षा अपनेको उच्च माने, तो वह ईश्वर और मनुष्यके समक्ष पाप है। इस प्रकार जाति-पाँति जिस हदतक दर्जेके भेदकी सूचक है, बुरी चीज है।

परन्तु मै वर्ण-भेदको अवश्य ही मानता हूँ। वर्णकी रचना वश-परम्परागत धन्धोकी बुनियादपर है। मनुष्यके चार सर्वव्यापी धन्धो — ज्ञान देना, आर्तकी रक्षा करना, कृषि और वाणिज्य और शारीरिक श्रम द्वारा सेवाकी समुचित व्यवस्था करनेके लिए चार वर्णोका निर्माण हुआ है। ये धन्धे समस्त मानव जातिके लिए एक-से है। परन्तु हिन्दू

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

धर्मने इन्हे जीवन धर्मके रूपमे स्वीकार करके सामाजिक सम्बन्ध और आचार-व्यवहारके नियमके लिए इनका उपयोग किया है। गुरुत्वाकर्षणके अस्तित्वको हम जाने या न जाने, तो भी हम सबपर उसका असर होता है। लेकिन वैज्ञानिकोने, जो इस नियमको जानते है, उससे जगतके सामने आश्चर्यचकित करनेवाले फल प्रस्तुत किये है। इसी तरह हिन्दू धर्मने वर्ण-धर्मकी खोज और उसका प्रयोग करके जगतको चकित किया। फिर हिन्दू जडताके शिकार हो गये, और तब वर्णके दुरुपयोग के फलस्वरूप बेशुमार जातियाँ बन गईं, और रोटी-बेटी व्यवहारके अनावश्यक बन्धन पैदा हुए। वर्ण-धर्मका इन बन्धनोसे कोई सम्बन्ध नही है। जुदा-जुदा वर्णके लोग परस्पर रोटी-बेटीका व्यवहार रख सकते है। शील और आरोग्यके खातिर ये बन्धन आवश्यक हो सकते है। परन्तु जो ब्राह्मण शुद्र-कन्याको या शुद्र ब्राह्मण-कन्याको ब्याहता है, वह वर्ण-धर्मका लोभ नही करता।

अपने धर्मसे बाहर ब्याह करनेका सवाल जुदा है। इसमे जबतक स्त्री-पुरुषमें से हरएकको अपने-अपने धर्मका पालन करनेकी छूट होती है, तबतक नैतिक दृष्टिसे मै ऐसे विवाहमे कोई आपत्ति नही समझता। परन्तु मै नही मानता कि ऐसे विवाह-सम्बन्धोके फलस्वरूप शान्ति कायम होगी। शान्ति स्थापित होनेके बाद ऐसे सम्बन्ध अवश्य किये जा सकते है। जबतक हिन्दू-मुसलमानोके दिल फटे हुए है, तबतक हिन्दू-मुसलमान विवाह सम्बन्धोकी हिमायत करनेका फल मेरी दृष्टिमे सिवा परेशानीके और कुछ न होगा। अपवादरूप किसी परिस्थितिमे ऐसे सम्बन्ध सुखदायी साबित हो तो भी वे सम्बन्ध उन्हे सर्वव्यापक बनानेकी हिमायत करनेके कारण नही माने जा सकते। हिन्दू-मुसलमानोमे खान-पानका व्यवहार तो आज भी बडे पैमानेपर होता है। परन्तु इससे भी पारस्परिक शान्तिमे वृद्धि तो नही ही हुई। मेरा यह दृढ विश्वास है कि रोटी-बेटी व्यवहारका कौमी इत्तफाकसे कोई सम्बन्ध नही है। झगडेके कारण तो आर्थिक और राजनैतिक है, और उन्हीको दूर करना है। यूरोपमें रोटी-बेटी-व्यवहार है, फिर भी जिस तरह यूरोपवाले आपसमे कटे-मरे है, इतिहासमें वैसे तो हम हिन्दू-मुसलमान कभी नही लडे। हमारी अधिकाश जनता तो तटस्थ ही रही है।

अस्पृश्योका एक जुदा वर्ग है—और हिन्दू धर्मके सिरपर वह कलकका टीका है। जातियाँ विघ्नरूप है, पापरूप नही। अस्पृश्यता तो पाप है, और भयकर अपराध है, और यदि हिन्दू धर्मने इस अजगरका समय रहते नाश नही किया, तो यह हिन्दू धर्मको ही निगल जायेगा। 'अस्पृश्य' हिन्दू धर्मके बाहर कभी गिने ही नही जाने चाहिए। वे हिन्दू समाजके प्रतिष्ठित सदस्य माने जाने चाहिए और उनके पेशेके अनुसार वे जिस वर्णके योग्य हो, उन्हे उसी वर्णका माना जाना चाहिए।

वर्णकी मेरी व्याख्यानुसार तो आज हिन्दू धर्ममे वर्ण-धर्मका पालन होता ही नही। ब्राह्मण नामधारियोने विद्या पढाना छोड दिया है। वे दूसरे अनेक धन्धे करने लगे है। यही बात कमोबेश दूसरे वर्णोके लिए भी है। वस्तुत. तो विदेशियोंके जुएके नीचे होनेकी वजहसे हम सब गुलाम है, इस कारण शुद्रोसे भी हलके, पश्चिमके अस्पृश्य है।

इस पत्रके लेखक अन्नाहारी होनेकी वजहसे मासाहारी मुसलमानके साथ खानेके प्रश्नपर मनको समझानेमें कठिनाई अनुभव करते हैं। परन्तु वे यह बात याद रखें कि मांसाहार करनेवाले हिन्दू संख्यामें मुसलमानोंसे भी ज्यादा हैं। जबतक अन्नाहारी को स्वच्छतापूर्वक पकाया हुआ ऐसा भोजन परोसा जाये, जिसे खानेमें कोई बाधा न हो, तबतक किसी [मासाहारी] हिन्दू या अन्य मांसाहारी व्यक्तिके साथ बैठकर खाया जा सकता है। फल और दूध तो वे जहाँ जायेंगे, सदा मिल सकेंगे।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८४. टिप्पणियाँ

मुझे मेरे प्रशंसकोंसे बचाओ

सुदूर कन्याकुमारीमें एक भाई लिखते हैं:[1]

> . . . यहाँके रथयात्रा उत्सवमें प्रतिमाको रथमें रखकर नगरमें घुमाया जाता है। लोगोंका एक दल यह चाहता है कि प्रतिमाके साथ आपकी तसवीर भी रखी जाये और नगरमें घुमाई जाये। समझदार लोगोंका दूसरा एक दल कहता है कि आपको अपना ईश्वरकी तरह पूजा जाना पसन्द न होगा।

दूसरे एक भाईने मथुरासे एक भयानक चित्र मेरे पास भेजा है। उसमें यह दिखाया गया है कि मैं सहस्रमुखवाले शेषनागकी शैयापर लेटा हूँ, मेरे एक हाथमें असहयोग और दूसरेमें चर्खा है। मेरी पत्नी बेचारी मेरे पैर दबा रही है। कुछ दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोंको भी मेरी सेवामें उपस्थित दिखाया गया है। चित्रके दूसरे अंशोंका वर्णन करके मैं पाठकोंके दिलको चोट नहीं पहुँचा सकता। इतना कहना काफी होगा कि यह चित्र शेषशायी विष्णुसे सम्बन्धित कथाका उपहास है। जिस भाईने यह चित्र भेजा है, वह चाहते हैं कि मैं इस चित्रके प्रकाशकोंसे प्रार्थना करूँ कि वे इसे वापस ले लें। आगे चलकर वह यह भी ठीक ही कहते हैं कि कट्टर वैष्णव अपना रोष प्रकट रूपसे प्रकाशित भले ही न करें, तो भी इस चित्रसे उनकी भावना को चोट पहुँचे बिना नहीं रहेगी। इन दोनों पत्र-लेखकोंके भावोंका मैं सम्पूर्ण हृदयसे समर्थन करता हूँ। दोनों मामलोंमें उद्देश्य अच्छा हो सकता है। परन्तु यह अमर्यादित वीर-पूजा प्रायः अनुचित मूर्ति-पूजाका रूप धारण कर लेती है, और बिना किसी कारणके सनातनधर्मी लोगोंकी भावनाओं पर प्रहारकरनेवाली सिद्ध होती है। ऐसे अमर्यादित कामोंसे मेरे अन्धभक्तोंके उद्देश्यकी भी हानि होगी। यदि उन्हें मेरी भावनाओंका थोड़ा-सा भी लिहाज हो, तो रथयात्रामें मेरी तसवीर रखनेके इच्छुक व्यवस्थापक-गण और भावनाओंको ठेस पहुँचानेवाले उस चित्रके प्रकाशक अपनी कार्रवाईसे

१. यहाँ पत्रके कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

वाज आयें। देशभक्तिकी भावनाको प्रकट करने और वढानेके दूसरे अनेक स्वस्थ तरीके हो सकते हैं।

दक्षिण आफ्रिकासे लौटे हुए लोग

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी और स्वामी भवानीदयाल संन्यासीने देश लौटनेके लिए सरकारी सहायता सम्बन्धी योजनाके अधीन दक्षिण आफ्रिकासे भारत लौटे लोगो की स्थितिकी स्वतन्त्र जाँच करके उसकी एक बहुत ही युक्तियुक्त रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा पिछले महीनेकी १६ तारीखको स्वामीजी ने मुझे एक तार भेजा था, जिसमे मुझसे रिपोर्टपर राय प्रकट करनेको कहा गया था। तारमे समाचार यह था कि "हालत ही खराब है, बहुत लोग भूखो मर रहे हैं, स्त्रियोको तन ढँकनेको पूरा कपडा नही है, बालक भीख माँगते है।" उक्त रिपोर्ट और यह तार तभीसे मेरे पास पडे हैं। रिपोर्टकी चर्चा मै जल्दी नही कर सका, इसका मुझे खेद है। जिस तारसे मैंने उक्त उद्धरण दिया है, वह रिपोर्टका साराश है। हमारे यहाँ लोगोको अपने ही देशमे आकर परायोकी तरह रहना पडे, यह स्थिति हमारे और सरकार दोनोके लिए कलकरूप है। परन्तु सरकारकी अपेक्षा यह हमारे लिए अधिक बड़ा कलक है। दुनियाकी कोई भी सरकार ऐसे मामलोका पूरा-पूरा प्रबन्ध नही कर सकती। ऐसे मामलोमे सरकार लोगोके ऐच्छिक प्रयत्नमें एक हदतक मदद भर-कर सकती है। वस्तुत ऐसे लोगोके कल्याणमे सच्ची दिलचस्पी लेने और उनके लिए उचित काम तलाश करनेका काम कलकत्तेके धनाढ्य व्यापारियो और उन दूसरे लोगो का है, जो लोगोको मजदूरीपर रखते हैं।

परन्तु स्वदेश लौटे हुए इन लोगोकी यह दशा जिस कारणसे हुई है, उसकी तुलनामे इनकी आजकी हालत कोई चीज नही है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके स्वदेश लौटनेके सम्बन्धमे किसी प्रकारका इकरार होना ही नही चाहिए था, और यदि हुआ भी तो पहले उन्हे उचित काम दिलानेकी पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, और किसी भी हालतमे उस उपनिवेशमे जन्मे भारतीयोके, जिनमें से पूरे ३३ फीसदी कलकत्ता स्टेशनपर पडे है, स्वदेश लौटनेके लिए तो कभी सम्मति दी ही नही जानी चाहिए थी। पर साँपके निकल जानेपर लकीर पीटनेसे क्या लाभ? केपटाउनका करार फिरसे होते समय यदि गरीब भारतीय मजदूरोकी आवादीके हक अन्य भारतीय अधिवासियोको मिलनेवाली सदिग्ध छूटके वदलेमे वेच नही डाले जाये, तो इस रिपोर्टके लेखकोका परिश्रम निष्फल न होगा। भारतीय अधिवासियोने जो रुख अख्तियार किया है, उसपर आक्षेप नही किया जा सकता। उसका आधार तो उसके अपने गुण-दोष ही होने चाहिए। इसलिए अधिवासियोको स्वय किसी ऐसे करारमें शामिल होनेसे इनकार कर देना चाहिए, जिसकी वजहसे उनके वदनसीव भाइयोंके हक मारे जाते हो। जितने भारतीय आज वहाँ है, उनका समावेश और प्रवन्ध दक्षिण आफ्रिका आसानीसे कर सकता है।

गांधी आश्रम, मेरठ

यह आश्रम आचार्य कृपलानीकी कृति है। आश्रमकी ओरसे इसकी गतिविधियो का परिचय देनेवाली एक सुन्दर छोटी पुस्तिका प्रकाशित हुई है। १९२० मे जब बनारसमें इसके जीवनका श्रीगणेश हुआ था, यह एक छोटी-सी चीज थी। यह आज बढ़कर अनेक शाखाओवाली विशाल सस्था बन गई है, और इसका अपने प्रधान केन्द्र, मेरठमें निजका मकान भी हो गया है। अब यह एक धर्मार्थ सस्थाके रूपमे रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसका मुख्य काम खादीका उत्पादन और प्रसार है, पर जहाँ-जहाँ हो सकता है, यह नि शुल्क औषधालयो और रात्रि-पाठशालाओका संचालन भी करती है। १९२१ मे इस सस्थाने ४८) की खादी पैदा की थी, और ३,१००) की बेची थी। १९३० मे उत्पादन ४,२१,४९०) का था और बिक्री ५,३२,३६१) की। १९२१ मे इसकी ४५ इच अर्जवाली खादीका भाव १) गज था और १९३० में। –)॥ गज। इस सस्थामे खादीकी बुनाईतक के काम तो होते ही है, इसके अलावा धुलाई, इस्तरी करने और रँगाईके विभाग भी है। यह सस्था इन विभागोमे उम्मीदवारोको भर्ती करके उन्हें काम सिखाती है और मेरठकी गरीब स्त्रियोंको बुनाई, चादरोके किनारों पर कढाई वगैराका काम देकर उन्हे रोजी देती है। अब कौन कह सकता है कि खादीका भविष्य उज्ज्वल नही है, या वह देशके सबसे दरिद्र लोगोकी सहायक नही है?

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८५. क्या यह एक आर्थिक आवश्यकता है?

'टाइम्स ऑफ इंडिया' (२६-५-१९३१) में प्रकाशित एक लेखमे निम्नलिखित अश आया है:

> महात्मा गांधीने धरनोंके प्रयोजन और कार्य-विधिके सम्बन्धमें अपने सबसे हालके लेखमें[1] अपना यह विश्वास फिर दोहराया है कि विदेशी वस्त्रोंका आयात बन्द करना 'भारतके लिए एक आर्थिक आवश्यकता है।' वे शायद 'यंग इंडिया'के अगले अंकमें इस बातका खुलासा देंगे कि आर्थिक आवश्यकता का वे क्या अर्थ लगाते हैं। सूती वस्त्रोंकी जैसी स्थिति अब सामने आती जा रही है उसके सम्बन्धमें उठनेवाले इन कुछ प्रश्नोंके उत्तरोसे अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो सकती है।
>
> १. हाथ-कताई और हाथ-बुनाईकी विधियोंसे तैयार देशी वस्त्रोंके उत्पादनकी वृद्धिने १९३०–३१ के दौरान सूती वस्त्रोंके आयातमें हुई एक अरब गज वस्त्रकी कमीकी किस हदतक पूर्ति की है?

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-५-१९३१ का उपशीर्षक "धरने"।

२. मिलोंके उत्पादनकी वृद्धिने उसकी किस हदतक पूर्ति की है?

३. क्या बहिष्कारके लिए परिमाणकी एक कोई सीमा रखी गई है जिसके बाद उसे बन्द कर दिया जायेगा या बहिष्कार हर हालतमें जारी रहेगा, फिर हाथसे तैयार और मिलोंमें बने वस्त्र आयात होनेवाले वस्त्रोंका क्रमशः कितने ही परिमाणमें स्थान क्यों न ले लें?

४. यदि हाँ, तो बहिष्कार अन्य प्रान्तोंके सिवा बम्बई प्रान्तके अपने हितमें किस हदतक है?

यदि ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धारके सभी प्रयत्न निश्चित तौरपर असफल सिद्ध हो चुके है, जैसा कि लगता भी है, तो फिर महात्मा गांधी अपने इस परमप्रिय आन्दोलनकी असफलता स्वीकार करनेमें चाहे कितना भी संकोच क्यों न दिखायें, यह तो स्पष्ट है कि सार्वजनिक ईमानदारीके हितमें बहिष्कार आन्दोलनका नियन्त्रण औपचारिक रूपसे 'सूती वस्त्र मिल-मालिक संघों' के हाथों सौंप दिये जानेका उपयुक्त समय आ गया है, जिससे वे कांग्रेसके नियन्त्रणमें काम करनेवाले एजेन्टोंके बनावटी रूपको छोड़कर उसके वास्तविक कर्त्ताधर्त्ता होकर इसका संचालन करें।

इन विशेष प्रश्नोके उत्तर इस प्रकार है:

१ गजोके आँकड़ोके साथ तो इस प्रश्नका उत्तर दिया नही जा सकता। क्योकि सारीकी-सारी खादी बिक्री व खरीदके लिए तैयार नही की जाती। घरोमे खुद अपने इस्तेमालके लिए तैयार की जानेवाली खादीका उत्पादन ही दिन-दिन इतना अधिक फैलता-बढता जा रहा है कि उसका हिसाब रखना बेचारे 'अखिल भारतीय कताई संघ' के बसकी बात नही रह गई है।

२. देशी कपडा-मिले निस्सन्देह उस कमीको पूरा करनेमें काफी हाथ बँटा रही है।

३. वे कितना काम कर पायेगी, यह आगेकी प्रगतिपर निर्भर करेगा।

४. बम्बईका हित भारतका हित है। लेखकने शायद अहमदाबादको बम्बईमे शामिल मान लिया है; और स्पष्ट है कि भारत-भरमे बिखरी अन्य महत्वपूर्ण मिलोको तो उन्होने गिना ही नही है।

मैंने इन प्रश्न-विशेषके उत्तर अपनी या जनताकी सन्तुष्टिके विचारसे उतने नही, लेखककी ही सन्तुष्टिके लिए अधिक दिये है। लेखकका निश्चित मत है कि खादी-आन्दोलन असफल सिद्ध हो चुका है। जनताको मालूम होना चाहिए कि यदि मुझे विश्वास हो जाये कि खादी सचमुच असफल रही है तो मुझे विदेशी वस्त्रोके बहिष्कार मे फिर कोई दिलचस्पी नही रह जायेगी। पता नही लेखकने ऐसा निश्चित मत किस आधारपर बना लिया है। लेकिन खादीके उत्पादन और प्रचारका मुख्य प्रणेता होनेके नाते मै साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि असफल होना तो दूर, खादी धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित तौरपर भारत-भरमे प्रगति कर रही है। इसलिए मै

फिर यह दावा करता हूँ कि भारतकी जनताके लिए बहिष्कार एक आर्थिक आवश्यकता है। हो सकता है कि यह बात कुछ विचित्र लगे, पर है बिलकुल सही कि बहिष्कार मिलोंके लिए उसी अर्थमें और उतनी ही हदतक आर्थिक आवश्यकता नहीं है जितना कि वह खादीके लिए है। इसमें सन्देह नहीं कि बहिष्कारके कारण मिलोंको आशातीत लाभ हुआ है, परन्तु वे बहिष्कारके बिना भी अपना अस्तित्व बनाये रख सकती थीं, वे ऐसा पहले कर ही रही थीं। और फिर वे अज्ञान तथा अभावसे पीड़ित जनतापर अपनी मिलोंमें बना कपड़ा थोपकर करोड़ों भूखे-नंगे लोगोंके शोषण-में ब्रिटेन और जापानके साझीदार तो बन ही सकती हैं। इसके सिवा जनता फुर्सतके समयमें अपनी आवश्यकताके योग्य वस्त्र तैयार कर सकनेकी अपनी सामर्थ्यको भूलकर उनकी मिलोंके महीन सूती वस्त्र खरीदेगी तथा इस प्रकार अपना दोहरा नुकसान करेगी। इसलिए बहिष्कार-आन्दोलनका नियन्त्रण पूरी तौरपर मिलोंके हाथ नहीं सौंपा जा सकता; वे चाहें, तो भी नहीं। यदि वे नियन्त्रण अपने हाथमें ले भी लें, तो उनके हाथ असफलता ही लगेगी। इस तथ्यपर परदा नहीं डाला जा सकता कि मिलें तो अपने एजेन्टों और अपने हिस्सेदारोंके मुनाफेकी खातिर ही बहिष्कारमें खास दिल-चस्पी लेती हैं; जब कि कांग्रेस पूरी तौरपर आम जनताके सामान्य हितोंकी दृष्टिसे ही बहिष्कार आन्दोलनको चला रही है।

लेखक, और देखा जाये तो अन्य कई लोगोंको भी इस बातकी समझ नहीं है कि खादीका तरीका अर्थशास्त्रके क्षेत्रमें उसी तरह एक नया तरीका है जिस तरह कि अहिंसाका तरीका राजनीतिके क्षेत्रमें है। खादीका तरीका परम्परागत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तोंकी नजरमें उसी तरह अटपटा लग सकता है, जैसे कि अहिंसाके तरीकेने परम्परागत राजनीतिक तरीकोंके समर्थकोंको उलझनमें डाल रखा है। यह नया तरीका केवल कुछ सीमातक ही परम्परागत सांख्यकीय पद्धतिसे आँकड़ोंके आधारपर सिद्ध किया जा सकता है। बहिष्कार आन्दोलनकी अद्भुत सफलताका रहस्य खादीकी भावना में ही है। बहिष्कार कोई नई बात नहीं है। वह बंग-भंगके कालसे पहलेकी न हो, तो भी कम-से-कम उतनी पुरानी तो है ही। लेकिन उसकी सफलताकी आशा १९१९ में खादीके पुनरुद्धारके साथ ही जन्मी थी, और गत वर्ष खादी-भावनाके चरम उत्कर्षके कालमें ही आंशिक रूपमें यह आशा पूरी हुई थी। खादी-भावनाकी वास्तविक अभिव्यक्ति तो अभी सामने आनेको है। उसका सामने आना अनिवार्य है और लोग जितना सोचते हैं, उससे कहीं जल्दी वह सामने आयेगी। और जब वह वास्तवमें अभिव्यक्त हो पायेगी तब न तो धरनोंकी जरूरत बचेगी, न आँकड़ों द्वारा उससे होनेवाले लाभको सिद्ध करनेकी ही।

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लेखकने सुझाया है कि बहिष्कारका एकमात्र लक्ष्य जनताको हानि पहुँचाकर, मिलोंको लाभ पहुँचाना है। बहिष्कारके साथ यदि खादीकी बात जुड़ी हुई न होती तो लेखकके इस सुझावका कुछ आधार माना भी जा सकता था। लेखक और उनकी तरहके आलोचकोंको यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा नारा 'खादीके जरिए बहिष्कार' का है। भारतीय मिलोंका काम यही है कि वे

खादीके अनुपूरक बने। लेकिन यदि भारतीय मिले खादीका विरोध भी करें, तो भी बहिष्कार जारी ही रहेगा। एक समय था जब अनेक मिलोंने विरोध किया भी था। खादीके प्रति उनकी उदासीनता भी काफी स्पष्ट थी। हाँ, इतना श्रेय उनको दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वक्तकी माँगको कुछ हदतक समझ जरूर लिया है, और उन्होंने खादीके साथ समझौता कर लिया है, भले ही उनमें से अधिकाशने समझौतेको अधूरे मनसे ही निभाया है। कुछ तो खादीके पक्के समर्थक भी बन गये हैं और इसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो घाटा उठानेकी भी कोई परवाह नहीं करेंगे। इसलिए बहिष्कार-आन्दोलनमें भारतीय मिलोंकी भूमिका मुख्य नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे उनको लाभ होता है और होगा, कम-से-कम कुछ समयतक तो उनको अधिकाधिक लाभ होता चला जायेगा, लेकिन लाभकी वृद्धिकी दर खादीके प्रति उनकी ईमानदारीके अनुपातमें ही होगी।

लेखक और पाठकगण भी समझ लेंगे कि हालके कानूनमें मिलोंको सरक्षण देनेसे भारत अर्थात् भारतीय जनताको कुल मिलाकर निश्चित तौरपर लाभ क्यों होगा। मिलोंके बने कपड़ेके मूल्योंमें वृद्धि अवश्य ही होगी। मिलोंको मुनाफेके अनुचित लोभसे दूर रखनेके लिए कांग्रेसको अनवरत प्रचार करते रहना चाहिए और जनताको सिखाना चाहिए कि उनका आर्थिक कल्याण इसीमें है कि वे अपने घरोंमें ही हाथ-कताईके जरिए खादी तैयार करते चलें। एक बार जहाँ विदेशी वस्त्र रास्तेसे हटे कि देशी मिलें बड़ी तत्परतासे या तो अपने वस्त्रोंके मूल्य और उसके उत्पादनको खादीके अनुरूप बना लेंगी या फिर विदेशी मिलोंकी भाँति उनको भी बहिष्कारका खतरा उठाना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८६. गोलमेज परिषद् और कांग्रेस

यदि स्थायी शान्तिके लिए, जिसतक पहुँचना सब दलोंका समान ध्येय है, मौन धारण करनेकी आवश्यकता न होती, तो गोलमेज परिषद्में शामिल होनेके लिए लन्दन जानेके सम्बन्धमें बहुत पहले ही मैंने जनताको विश्वासपूर्वक अपने मनकी बातें बताई होतीं। अब मैं नीचे लिखा स्पष्टीकरण देनेकी परिस्थितिमें हूँ।

मैंने अपनी राय, जो नई नहीं है, कभी छिपानेका प्रयत्न नहीं किया है; बल्कि मैंने उसी समय, जब दिल्लीमें समझौतेकी बातचीत चल रही थी, अपनी यह राय जाहिर की थी कि यदि हम आपसमें कौमी सवालको निपटानेमें कामयाब न हुए तो परिषद्में भाग लेनेके लिए लन्दन जानेमें मुझे बहुत ज्यादा पसोपेश होगा। मैं अपनी रायको बदलनेका अभीतक कोई कारण नहीं देखता।

दिल्लीके समझौतेके मार्गमें नाजुक स्थितियोंका उत्पन्न होते रहना मेरे लन्दन जानेकी एक दूसरी बाधा है। समझौतेको भग होनेसे बचानेमें मैं अपनी जानतक की

बाजी लगा दूंगा। और, मैं तो अपने-आपको महत्व देता हुआ दिलमे यह मानता हूँ कि समझौता न टूटने देनेके लिए मेरी उपस्थिति यहाँ आवश्यक है।

तथापि हम यह आशा रख सकते है कि सितम्बरमें होनेवाली सभामें जानेके लिए हिन्दुस्तान छोडना जरूरी होनेकी घडीतक ये दोनो कठिनाइयाँ दूर हो चुकेगी।

मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि समझौता किया गया है, इसलिए मैं काग्रेस की प्रतिष्ठाके ख्यालसे लन्दन जाकर गोलमेज परिषद्मे श्री चर्चिल सहित ब्रिटिश राजनीतिज्ञोको काग्रेसकी बात बतानेके लिए उत्सुक हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री चर्चिल और उनके दलवाले यह अनुभव नही करते कि काग्रेस ब्रिटेनकी दुश्मन नही है। काग्रेस तो हिन्दुस्तानके लिए बडी चीज चाहती है, जिसे ब्रिटेनके लिए मुहैया करनेकी गरजसे, उसने और उसके पुरखाओने लड़ाइयोमे हाथ बँटाया है। इसलिए लन्दन ले जानेके लिए मेरी मनुहार करनेकी जरूरत नही है। मैंने मित्रोसे यह भी कहा है कि यदि कौमी झगडा नही सुलझा और उसकी वजहसे मैं गोलमेज परिषद्में भाग लेनेमें असमर्थ रहा तो भी यदि मुझे समझौतेके कामसे फुरसत मिल गई, तो जरूरत होनेपर जिम्मेदार राजनीतिज्ञोके सामने कांग्रेसकी स्थितिको रखनेके लिए मैं लन्दन जाऊँगा। मेरी यह उत्कट इच्छा है कि यदि सम्मानके साथ और राष्ट्रका दुबारा अवर्णनीय कष्टपूर्ण युद्धके लिए आह्वान किये बिना स्थायी समझौता हो सके तो वह किया जाये।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८७. प्रभात-फेरी

प्रभात-फेरियोंके आरम्भ होनेका समाचार मैंने यरवदा जेलम पढा था। मैंने सोचा था कि जिसे यह विचार सूझा है, वह धन्यवादका पात्र है। मैंने अनुभव किया कि प्रचारकी दृष्टिसे मूल्यवान होनेके सिवा वह आध्यात्मिक दृष्टिसे भी एक सुन्दर काम है। वह सोते हुए आदमीको कर्त्तव्यनिष्ठ बननेकी याद दिलाता है। प्रभात-फेरी उसे इस बातका स्मरण कराती है कि बिस्तर छोडकर उठने और उस समय उठते ही सबसे पहले परमात्माकी स्तुति करनेका समय हो गया है। मैंने पढ़ा था कि प्रभात-फेरियोमे भाग लेनेवाले लोग सामयिक सार्वजनिक घटनाओके गीतोके अतिरिक्त ईश्वर-स्तुतिका गीत भी गाते है, इसलिए उचित रीतिसे रहनुमाई की जाये, तो यह प्रथा सच्ची राजनैतिक शिक्षाका ही नही, बल्कि आत्मशुद्धिका भी जबर्दस्त साधन बन सकती है। पर मेरे सुननेमें यह भी आया है कि कभी-कभी दुर्भाव पैदा करनेवाले गीत भी गाये जाते है। यदि सचमुच ऐसा होता है तो मुझे दुख होगा। इन फेरियोके व्यवस्थापकोसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इस शान्तिके समयमे ही नही, लेकिन सदाके लिए गीतोके चुनावमे मर्यादाका ख्याल रखे, और ईश्वर-स्तुति, खादी, शराब-बन्दी, कौमी-एकता, अस्पृश्यता-निवारण और दूसरे समाज-सुधार-जैसे रचनात्मक कामो

सम्बन्धी गीत ही चुनें। फेरियोंमें भाग लेनेवाले लोगोंको भली-भाँति और एक सुरसे गानेकी तालीम दी जानी चाहिए और सारे हिन्दुस्तानमें इनके निकालनेका समय एक ही रखना चाहिए। मुझे याद है कि बम्बईमें प्रभात-फेरियाँ सदा वक्तकी ऐसी पाबन्दी नहीं करतीं, और इलाहाबादमें वे बम्बईसे भिन्न ही किसी समयमें निकलती हैं। यह प्रथा शुरू तो हो गई है, परन्तु अभी इसका रूप योजनाबद्ध नहीं है, इसके मूल प्रवर्तकगण अब इसकी कोई उचित योजना तैयार कर लें और जिन्हें किसी भी धर्म या दलके लोग गा सकें, ऐसे गीतोंका संग्रह प्रकाशित करें, तो अच्छा हो। यह संस्था दलबन्दीसे रहित राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। यदि किसी कारणसे दल-बन्दी होने लगे, और लोग चाहे जिस रीतिसे चाहे जब गीत गाते घूमने लगें, तो फेरियाँ प्रलाप बन जायेंगी और इस कारण वे लोगोंके काम-काजमें बाधक हो जायेंगी किन्तु प्रातःकालमें तो सुन्दर संगीत अवश्य पसन्द किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८८. एक खरी शंका (?)

गांधी-इर्विन समझौता अब काफी प्रसिद्धि पा चुका है। भारतके सभी कांग्रेसियोंने तो नहीं, पर कम-से-कम उनके बहुमतने तो लगभग मुक्तकण्ठसे उसकी शर्तोंकी सराहना की ही है। इस देश और यूरोपीय महाद्वीप दोनों ही के समाचारपत्रों और जनताने शान्ति-वार्ताओंकी सफलताको सच्चे हृदयसे सराहा है और उन्होंने एक स्वरसे यह मत व्यक्त किया है कि दोनों पक्षोंकी सदाशयता और आचरणकी शुद्धताने वार्ताओंकी सफलताको बहुत काफी महत्व प्रदान कर दिया है। इस सबके बावजूद ऐसे लोगोंका, विशेषकर नई पीढ़ीके युवकोंका, एक अल्पमत है, जो समझौतेकी शर्तोंके एकदम विरुद्ध है और बिलकुल खुले रूपमें उनका अनुमोदन करनेसे बिलकुल इनकार करता था, और अब भी करता है। और इस अल्पमतको एक-दोका नहीं, काफी बड़ी संख्याका समर्थन प्राप्त है। उनकी राय है और हमारे विचारसे उसका पर्याप्त औचित्य भी है कि भारतकी पूर्ण स्वतन्त्रताके तात्कालिक लक्ष्यकी घोषणाकी जो ध्वजा लाहौर कांग्रेसमें फहराई गई थी, उसे समझौतेकी शर्तोंने झुका दिया है और इस प्रकार कांग्रेस तथा उसके अनुयायियोंको पहलेसे कहीं कम कठिन और एक सर्वथा भिन्न कार्यक्रमसे प्रतिबद्ध कर दिया है।

कांग्रेसके एक अकेले प्रतिनिधिके रूपमें गांधीजी ने और ब्रिटिश सरकारके प्रवक्ताके रूपमें लॉर्ड इर्विनने जिस कर्त्तव्य-निष्ठा तथा सदाशयताके साथ शान्ति-वार्ताओंको इस सफलतातक पहुँचा दिया है, उसपर तो कोई एक क्षणके लिए

भी सन्देह नहीं करता। श्री सुभाषचन्द्र बोसके नेतृत्वमें वामपन्थियोंने लगभग तय कर लिया था कि वे कराची कांग्रेसमें दिल्ली समझौतेके अनुमोदनके प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वह विचार छोड़ दिया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार कांग्रेसको अत्यन्त गम्भीर फूटकी सम्भावनासे बचा लिया, वह भी एक ऐसे समयमें जब, आजकी भाँति ही, शत-प्रतिशत सर्वसम्मति और परस्पर सहयोग हमारे लिए एक मार्मिक महत्व रखता था। उन्होंने बड़ी ही अनिच्छापूर्वक क्यों न हो गांधीजी की इच्छाके सामने सिर झुकाकर उनको ब्रिटिश सरकारपर अपनी आस्थाको परखनेका एक और अवसर देना स्वीकार किया था।

आइए, हम जरा देखें कि समझौतेके बादसे उसकी शर्तोंका कहाँतक पालन किया गया है। सरकारने अपनी ओरसे इतना किया है कि सविनय अवज्ञाके अपराधी बन्दियोंको रिहा कर दिया है, विभिन्न अध्यादेश वापस ले लिये हैं और कांग्रेस संगठनको कानूनी करार दे दिया है। इधर कांग्रेसने सविनय अवज्ञा आन्दोलन, जोरदार धरने तथा ब्रिटिश मालका बहिष्कार इत्यादि बन्द कर दिया है और पुलिसकी ज्यादतियोंकी जाँच रद्द करनेकी बात भी मान ली है। इतना तो सभीके हितमें रहा। परन्तु हम यह नहीं समझ पाये कि सरकारने समझौतेकी शर्तोंके आधारभूत सिद्धान्तोंका सख्तीसे पालन किया है या नहीं। रोज ही हमें ऐसे अनेक समाचार सुनाई पड़ते हैं कि देशके विभिन्न भागोंमें बन्दियोंको रिहा नहीं किया गया है, राजनीतिक सभाओंपर दफा १४४ लगा दी गई है, राजनीतिक कारणोंसे लोगोंकी गिरफ्तारी हुई है और सजाएँ सुनाई गई हैं और अनेक प्रकारकी ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जो समझौतेका बिलकुल ही उल्लंघन करती हैं। दूसरी ओर हमसे कहा जाता है कि प्रान्तीय सरकारोंको शिकायत है कि जनता समझौतेकी शर्तोंका पूरी तरह पालन नहीं करती। दोनों पक्षों द्वारा लगाये जानेवाले इन आरोपोंका कितना-क्या औचित्य है, यह बतलाना हमारा काम नहीं।

इन सभी बातोंको देखते हुए हमारे मनमें यह बिलकुल सही शंका उत्पन्न होती है कि क्या समझौतेको मानकर लाहौरमें फहराई गई स्वाधीनताकी ध्वजाको इस प्रकार झुका देनेका पर्याप्त औचित्य गांधीजी के पास था। और यह शंका भी उठती है कि क्या गांधीजी को सचमुच ही पूरी तरह भरोसा हो गया था कि ब्रिटिश सरकारका वास्तविक हृदय-परिवर्तन हो गया है और इसलिए इस प्रकारके एक समझौतेमें कांग्रेसको बाँधना ठीक रहेगा। हमारी तीसरी बड़ी प्रामाणिक शंका यह है कि उनके नेतृत्वमें कांग्रेसके उसमें शामिल होनेपर भी क्या गांधीजी सचमुच यही समझते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वाधीनताके प्रश्नपर अगली गोलमेज परिषद्में गम्भीरतापूर्वक चर्चा करेगी।

चौथे, हमारे मनमें एक प्रामाणिक शंका यह भी है कि क्या गांधीजी को कभी एक क्षणके लिए भी ऐसा लगा था कि ब्रिटिश सरकार डेढ़ सौ वर्षोंतक एक ऐसे राष्ट्रको, जिसका लगातार शोषण करनेके बाद जो उसके निर्वाहका मुख्य स्रोत है, और जो एक ऐसा आधार है जिसपर उसके वैभवकी समूची इमारत खड़ी है, कांग्रेसके हाथोमें सौंपकर गद्दीसे बिलकुल ही हट जायेगी; और हमारे मनमें पाँचवीं शंका यह है कि क्या ब्रिटिश सरकार कभी "ब्रिटिश साम्राज्यीय मुकुटके सबसे जगमगाते रत्न"को ऐसे लोगोंके हाथ सौपनेको तैयार हो जायेगी जिनका फिर वह भविष्यमें कोई शोषण ही न कर पाये और क्या इस प्रकार वह अपने पतनका मार्ग स्वयं ही प्रशस्त करना ठीक समझेगी। और आखिरी शंकासे पहले हमारी एक और शंका यह है कि क्या गांधीजीको स्मरण था कि पिछले कालमें कैसे एकाधिक अवसरोंपर ब्रिटिश सरकारके प्रति उनका विश्वास झूठ सिद्ध हो चुका है और क्या उन्होंने कभी यह भी सोचा है कि तरुण भारत अब उनको फिर हमेशाकी ही तरह मेहनतकश जनतापर अपनी राजनीतिक जादूकी छड़ी नहीं फेरते रहने देगा।

अब हम अपनी अन्तिम शंका सामने रखते है; लेकिन उसकी अहमियत अन्य शंकाओसे किसी भी कदर कम नहीं है। वह शंका यह है कि क्या आगामी परिषद्में कांग्रेसके भाग लेनेसे सफलताकी कोई आशा दिखलाई पड़ती है। कौन कह सकता है कि लन्दनके लिए देशसे एक बार रवाना हो जानेपर गांधीजी और उनके साथ जानेवाले सहयोगियोंको वार्ता असफल हो जानेकी स्थितिमें अपने कार्य-क्षेत्रमें वापस लौटने भी दिया जायेगा या नहीं? या कौन गारंटी दे सकता है कि लन्दन-प्रवासके दौरान भारतीय शिष्ट-मण्डलका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार किया ही जायेगा?

हमारे मनमें पूरी ईमानदारीके साथ एक यह प्रश्न उठता है कि क्या अब यही सर्वथा उपयुक्त अवसर नहीं है कि हम सब अपने तात्कालिक और चिरन्तन एकमात्र लक्ष्यको प्राप्त करनेकी खातिर मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लें और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए रक्त-स्नान करनेमें भी संकोच न करें, जाहिर है कि हम यह सब अहिंसाके अपने सिद्धान्तका पालन करते हुए ही करेंगे।

उपर्युक्त लेख मेरे पास 'द यूथ ऑफ इडिया' की ओरसे भेजा गया है। इसके साथ बाकायदा हस्ताक्षर किया हुआ एक सह-पत्र भी सलग्न है। मैंने लेखके कुछ अनावश्यक अशोको निकाल दिया है और आरोपमे सारत: कोई परिवर्तन किये बिना प्रस्तुत अशोमें थोडा रद्दोवदल भी कर दिया है। उनके इस कथनमें सचाई है कि समझौता-भग करनेके बारेमे सम्बन्धित पक्षोमें आरोपण-प्रत्यारोपण हुआ है। परन्तु मै जनताको विश्वास दिलाता हूँ कि अब कठिनाइयाँ दूर की जा चुकी है। मै जानता

हूँ कि काग्रेसकी तरह केन्द्रीय सरकार भी समझौतेको कार्यान्वित करना चाहती है और जबतक यह स्थिति बनी रहेगी, समझौतेके ठप्प होनेका कोई खतरा नही। इस एक बडे ही नाजुक किस्मके यन्त्रको चलाने, उसका उपयोग करने और उसे चुस्त-दुरुस्त रखनेके इस दौरमे, मै इस सम्बन्धमे इससे अधिक कुछ नही कह सकता। जनताको मुझसे इससे ज्यादा कर पानेकी आशा भी नही होनी चाहिए।

जहाँतक समझौतेकी बात है, मुझे इसमे रचमात्र भी शका नही कि यदि काग्रेस यह समझौता न करती तो बड़ी गलती करती और श्री सुभाषचन्द्र बोस तथा उनके साथी युवकोने कराचीमे अपना विरोध वापस लेकर और समझौतेसे सम्बन्धित प्रस्ताव का समर्थन करके निश्चय ही देशभक्तिपूर्ण कार्य किया है। कराची काग्रेसने स्वाधीनताके ध्वजको झुकाया नही है। इस सम्बन्धमे काग्रेसका आदेश बहुत ही स्पष्ट है।

गोलमेज परिषद्मे काग्रेस अपनी माँगे मनवा सकेगी या नही, मै नही कह सकता। परन्तु मै इतना जानता हूँ कि अपनी माँगे ठुकराई जानेके भयसे परिषद्मे भाग लेनेसे कतराना काग्रेसके लिए गलत होगा। परिषद् भी एक साधन है जिसके जरिए हम अपनी राष्ट्रीय माँगकी नितान्त न्यायपूर्णता सिद्ध कर सकते है। काग्रेसको जब पूरी तरहसे इस बातकी छूट थी कि वह अपनी सम्पूर्ण माँग जैसी-की-तैसी पेश करके उसपर आग्रह कर सकती है; ऐसी हालतमे उसका परिषद्मे भाग लेनेसे इन्कार करना मूर्खतापूर्ण ही होता। गोलमेज परिषद्के सामने अपनी माँग पेश करनेका अवसर मिलनेपर यदि काग्रेस उसका लाभ उठानेसे इन्कार करती तो उससे साहसकी कमी ही टपकती।

इसलिए मै यदि यह देखूं कि मेरा लन्दन जाना सर्वथा निरापद है, तो परिषद्मे भाग लेनेके लिए वहाँ जानेमे कोई संकोच नही करूँगा। मेरी कठिनाई बुनियादी है और उसे सभी जानते है। यदि हम साम्प्रदायिक समस्याको हल करके खुद अपना ही घर व्यवस्थित न कर पाये तो काग्रेसकी माँग पेश करने लायक आत्मविश्वास मेरे अन्दर पैदा नही हो सकेगा। पर मै प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि हल निकले; मै हालातपर नजर जमाये हुए हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मार्ग सूझते ही, मै जहाँ-कही भी मेरी दरकार हो, जानेको बिलकुल तैयार रहूँगा। दूसरी एक कठिनाई है, जो इतनी गम्भीर तो नही, लेकिन फिर भी किसी भी कदर कम महत्वपूर्ण नही है। यदि समझौतेसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ गम्भीर प्रश्न खटाईमे पडे हो तो समझौतेमे काग्रेसकी ओरसे शामिल होनेवाले मुख्य प्रतिनिधिकी हैसियतसे लन्दनके लिए रवाना होना मुझे बड़ा ही अटपटा लगेगा। मैने लॉर्ड इर्विनको वचन दे दिया है कि मै समझौता ठप्प न होने देनेके लिए अपनी ओरसे कुछ भी उठा नही रखूंगा। मै पहले ही इस बातका सकेत दे चुका हूँ कि प्रान्तीय सरकारे मेरे मार्गमे-कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर रही है। परन्तु आशा है कि धैर्यसे काम लेनेसे सब कुछ ठीक हो जायेगा। जो भी हो, पूरी विनम्रताके साथ मेरा अपना विश्वास है कि सकटकी स्थिति उत्पन्न न होने देनेके लिए भारतमे मेरा रहना जरूरी है।

पत्र-लेखक या लेखकोकी अन्य शकाओके बारेमे मै अपनी वही बात दोहरा सकता हूँ जो मै अक्सर कहता रहा हूँ। अर्थात् जबतक कि मै भली-भाँति यह न

देख लूँ कि बातसे कोई भी लाभ होनेवाला नहीं है, मैं आशाका पल्ला नहीं छोड़ूंगा, चूंकि मानव-स्वभावकी सद्प्रवृत्तिपर मेरा विश्वास बना हुआ है, इसलिए मुझे पिछली निराशाओंके बावजूद भरोसा रखना चाहिए। मैं इसीको व्यावहारिक बुद्धिमत्ता मानता हूँ। सफलताके मेरे विश्वासका आधार हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यकी सहज या अन्तर्निहित न्यायपूर्णता और उसी हदतक उसके लिए अपनाये जानेवाले साधनोंकी औचित्यपूर्णता है। मैं नहीं मानता कि लन्दनमें कांग्रेसी शिष्ट-मण्डलको अपमान झेलना पड़ेगा। यदि वैसा हुआ भी तो उससे कांग्रेसकी प्रतिष्ठापर कोई आँच नहीं आयेगी। हानि तो अपमान करनेवालोंकी ही होगी। इसीलिए इन युवक पत्र-लेखकोंसे मेरा आग्रह है कि वे निराशाको मनमें जगह न दें और समझौतेको सफल बनानेके लिए अपनी पूरी शक्तिसे जुट जायें और राष्ट्रीय दृष्टिकोणकी पुष्टिकी खातिर रचनात्मक कार्यक्रम पर अमल करके कांग्रेसकी शक्ति बढ़ायें। क्योंकि यदि परिषद्में कांग्रेसका प्रतिनिधित्व होता है तो कांग्रेस जितनी शक्तिशाली होगी, परिषद्में हमें ठीक उसी अनुपातमें सफलता मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३८९. भारतमें मिशनरियोंके तौर-तरीके

गांधीजीने ईसाइयतके प्रचारके लिए अपनाये जानेवाले मौजूदा तौर-तरीकों और मिशनरियों द्वारा किये जानेवाले ईसाइयतकी श्रेष्ठताके दावोंके विरुद्ध मत व्यक्त करके मिशनरियोंको बहुत दुखी किया है। मिशनरियोंने श्री गांधीकी इस बातपर तीखे स्वरमें क्षोभ प्रकट किया है कि उनके काम करनेके तौर-तरीके संदिग्ध हैं। . . . १९११ के भारतीय जन-गणना प्रतिवेदनमें कहा गया था कि आदिम जातियोंके लोग "मिशनरियोंसे संकट कालमें सहायता और भू-स्वामियोंके अत्याचारोंसे संरक्षण पानेकी आशामें" ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं। . . . राजाराम मोहनरायने १८२१ में 'ब्रह्मैनिकल मैगजीन' में अनुरोध किया था कि "गालियों और अपमानके जरिये या सांसारिक सुखोंकी आशा बँधाकर" ईसाइयतकी श्रेष्ठताका प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। . . .

शिकागोकी 'सोसाइटी फॉर द एजूकेशन ऑफ द वीमैन ऑफ इंडिया' की मन्त्रिणी, श्रीमती चार्ल्स हॉवर्डने बम्बईके श्री वीरचन्द आर० गांधीके नाम अपने एक पत्रमें १८९६ में लिखा था:[1] "परन्तु मुझे अधिक चिन्ता निर्धन भारतकी है। जब ईसाइयत यहाँ असफल रही तो फिर उसे भारतपर क्यों थोपा जाये?"

१. यहाँ कुछ ही अंश दिये गये हैं।

यह सब एक अवकाशप्राप्त डिप्टी कलेक्टरकी कलमसे लिखा गया है। उल्लिखित साधन-सूत्रोंसे लिए गये इन उद्धरणोंको देखकर मिशनरियोंको क्रोधित होनेके बजाय अपना हृदय टटोलना चाहिए। मेरे पास इसी तरहके अनेक लेख मौजूद हैं, जिनमें से कुछ भारतीय ईसाइयोंके लिखे हुए भी हैं। उनको प्रकाशित न करनेके लिए उन पत्र-लेखकोंसे मैं क्षमा चाहता हूँ। इस बहसको और लम्बा नहीं खिंचने देना चाहिए। पत्र-लेखकोंने उत्साहमें आकर सतर्कता नहीं बरती और अपनी स्मृतिपर जरूरतसे कहीं अधिक भरोसा करके एक ऐसी बहस[1] खड़ी कर दी है जो मेरा बस चलता तो मैं शुरू ही न होने देता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-६-१९३१

३९०. तार : जेम्स मिल्सको

स्वराज्य आश्रम,
बारडोली
४ जून, १९३१

जेम्स मिल्स
सेसिल होटल
शिमला

आपका तार मिला। कृपया तार कर दें कि भारतको स्वाधीनताके अपने अहिंसापूर्ण प्रयत्नमें अमेरिका द्वारा दी जा सकनेवाली सभी प्रकारकी सहायताकी जरूरत है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१३) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "विदेशी मिशनरी", २३-४-१९३१ और "फिर विदेशी मिशनरियोंके बारेमें", ७-५-१९३१ भी।

३९१. तार : जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
४ जून, १९३१

सेनगुप्त
एल्गिन रोड
शिमला

तारके[1] लिए धन्यवाद। मेरी राय कि आप सभी मामले बिना शर्त पच-फैसलेके लिए सौंप दें। चुनावमें अनियमितता पाई जाये तो रद्द किये जा सकते हैं।

बापू गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१४)की फोटो-नकलसे।

१. तारमें कहा गया था: "...आपको भेजे सुभाषबाबूके तार और उसमें अपनाये रुखको देखते हुए मैं पंच-फैसलेके लिए सहमत हूँ। निवेदन है कि पंच-फैसला समझौतेके स्तरपर न उतरे, वह ब्योरेवार छानबीनके बाद सिद्धान्तके प्रश्नोंपर और तथ्योंपर दिया गया एक निर्णय हो। पंच या पंचगण सिद्धान्तके निम्नलिखित प्रश्नोंपर निर्णय देंगे ऐसी आशा है: क्या जिला कांग्रेस कमेटियोंको बिना किसी बाधाके बड़े पैमानेपर सदस्य बनानेकी सामर्थ्य प्रदान करनेकी दृष्टिसे पहलेकी तरह सदस्यताके फार्म छपवानेका अधिकार रहेगा; क्या जिला कांग्रेस कमेटियोंके अध्यक्ष पदेन चुनाव-अधिकारी नहीं होने चाहिए; और जब अध्यक्ष सुलभ न हों तब क्या बंगाल और सुरमा घाटीसे अ० भा० का० क० के लिए प्रतिनिधियोंके निर्वाचनपर निर्वाचन नियमावलीका नियम पाँचवाँ, आवश्यक परिवर्तनोंके साथ, लागू नहीं किया जाना चाहिए। क्या बंगाल प्रान्तीय का० क० की कार्यकारिणीकी सारी राशियोंके आय-व्ययका लेखा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए; क्या निगमके कर्मचारियों और ठेकेदारोंको बंगाल प्रान्तीय कां० क० या जिला कां० कमेटियोंकी कार्यकारिणी समितियोंके अधिकारी तथा सदस्य बननेकी अनुमति दी जानी चाहिए; क्या बंगाल प्रान्तीय का० क० के नियमों तथा उप-नियमोंमें से ऐसी व्यवस्थाएँ निकाल नहीं देनी चाहिए जो एक गुटकी सत्ता और बुराइयोंको स्थायित्व प्रदान कर सकती हों? पंचके यहाँ आनेपर उनके सामने तथ्योंसे सम्बन्धित मामलोंसे उठनेवाले प्रश्न पेश किये जायेंगे, जिनमें मनमाने या गलत तौरपर जिला का० कमेटियोंको सम्बद्ध या असम्बद्ध करनेका प्रश्न भी सम्मिलित है। सुभाषबाबू और मेरे बीच उपस्थित विवादको व्यक्तिगत मानना भ्रमपूर्ण होगा। झगड़ा तो सिद्धान्तोंको लेकर है। बंगाल कांग्रेसका बहुत बड़ा और दृढ़ बहुमत गुटकी सत्ता और बुराइयोंके विरुद्ध आवाज उठा चुका है। हमें शंका है कि सुभाषबाबू और उनकी पत्रिका द्वारा किये जानेवाले निरन्तर प्रचारके फलस्वरूप बंगालसे बाहर कुछ क्षेत्रोंमें यह मिथ्या धारणा पैदा हो गई है कि बंगाल कांग्रेस अब भी उनके और उनके गुटका समर्थन करती है।...इस प्रकार बत्तीस जिला समितियोंमें से बाईस मेरे साथ हैं। शेष दस समितियोंमें से भी किसीने मेरे दृष्टिकोणको नापसन्द नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कार्यसमिति जैसे ही बंगाल प्रान्तीय कां० क० के वर्तमान चुनावको रोकनेका

३९२. तार : वेंकटेश नारायण तिवारीको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
४ जून, १९३१

वेंकटेश नारायण तिवारी
कीटगज
इलाहाबाद

आपका तार मिला। स्पष्ट ही तिरेपनवी पंक्तिमें[1] भूल है। अगले अकमे 'भूल सुधार' दे रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१५)की माइक्रोफिल्मसे।

३९३. तार : मकबूल हुसैनको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
४ जून, १९३१

हकीम मकबूल हुसैन
मारफत कांग्रेस
कानपुर

आपका तार। मामला[2] पंच-फैसलेको सौंपिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२१६)की माइक्रोफिल्मसे।

आदेश देगी, हम तुरन्त चुनाव सम्बन्धी अपनी कार्रवाई बन्द कर देंगे। . . . आज बंगालके जीवनके सभी क्षेत्र और सभी सार्वजनिक संस्थाएँ कांग्रेससे प्रभावित हैं। कांग्रेसको इसीलिए हर कीमतपर शुद्ध और सन्देहोंसे ऊपर रखना जरूरी है। पंच-फैसलेको सौंपनेके प्रस्तावकी दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति और बंगाल प्रान्तीय कां० क० का निर्वाचन रोकनेकी सूचनाके साथ आपके पत्रका इन्तजार है।"

१. देखिए "एक भूल-सुधार", ११-६-१९३१।

२. अनुमानतः कानपुरमें हिन्दू-मुसलमान तनावका मामला। देखिए "तार : मुरारीलालको", १-६-१९३१।

३९४. पत्र : प्रेमाबहनको कटकको

वारडोली
४ जून, १९३१

चि० प्रेमा,

तेरा पत्र मिला। मैं भी सोमवारको रवाना होनेवाला हूँ। इसलिए मगलवारको ही हम दोनो बम्बई पहुँचेगे। लेकिन मै कुछ जल्दी पहुँचूंगा। मंगलवारको फुरसत हो, तब कुछ देरके लिए मिल जाना। उस समय बातचीत करनेका मौका मिला तो निश्चय कर दूंगा।

तेरा पत्र समाचारोसे खासा भरा हुआ पत्र था। गंगाबहनमें उमग और उत्साह तो बहुत है। तू उनके साथ खूब चर्चा करना और उन्हे मदद भी देना। उनका प्रेम अपार है और सेवाकी उत्कट इच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० १०२५६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ६७०४ से भी।
सौजन्य : प्रेमाबहन कटक

३९५. पत्र : वसुमती पण्डितको

४ जून, १९३१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने भाई नानालालका पत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया है। यदि इस कामके सिलसिलेमे तुम्हे वीसनगर रहना पडे तो उसके लिए मेरी हाँ नही है। यह काम अटपटा है। नानालाल मुझे मिलना चाहे तो बेशक मिल ले। इस मामलेमे मै कृष्णदासका विश्वास करूँगा। कुछ भी निर्णय करनेसे पहले दूधाभाई, मथुरादास और नारणदासकी राय जाननी चाहिए। आश्रमके बाहर कामकी कोई जगह पसन्द करनी हो, तो तुम्हे नडियाद या बोचासण पसन्द करना चाहिए। मेरा मन तो बोचासणकी तरफ झुकता है। वहाँका काम जमा हुआ है। किन्तु यदि नडियादकी उस शालाके लिए कुछ करना धर्म हो, तो फिर उसका पालन करना ही चाहिए। तुमने किसी भी तरहकी आशा बँधाई हो तो उसे पूरा करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० ९३२६) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ५७१ से भी।
सौजन्य वसुमती पण्डित

३९६. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

वारडोली
४ जून, १९३१

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे लिए तो आश्रम ही ठीक है। तुम लडकियोको नही छोड़ सकती। नई आना चाहे तो उन्हे भी ले लेना चाहिए। इसलिए तुम आश्रममें ही ठीक काम कर सकोगी।

वसुमती नडियादमे रहना चाहे, तो रहे।

सान्ताक्रूजकी खादी बहुत अच्छी है।

तुम्हे कब जाना है यह लिखना। मनमे जो विचार उठे, उन्हे लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो : गं० स्व० गंगाबहनने; तथा सी० डब्ल्यू० ८७७६ से भी।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

३९७. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

वारडोली
४ जून, १९३१

भाई मूलचदजी,

आपका पत्र मिला—

(१) गाँवकी सफाई करना राजधर्म है।

(२) राज न करे तो ग्रामवासी करे।

(३) म्युनिसीपालिटीका अर्थ ग्रामसेवक समाज। ऐसा समाज ग्रामवासी स्वयं बना सकते है।

(४) स्वयसेवक काम करे तो सफाई मुफ्त होने लगे।

(५) छोटे देहातमें दो चार परोपकारी नवजवान भी सफाईका काम कर सकते है।

मोहनदास

जी० एन० ७५८ की फोटो-नकलसे।

३९८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

बारडोली
४ जून, १९३१

भाई घनश्यादास,

यह नकल सर डारसी लिंडसेके खतकी है। उसका उत्तर आंकड़ोके साथ भेजो। मैंने तो भेजा है।[1] परतु उससे अधिक ज्ञानमय उत्तरकी आवश्यकता है।

बगालके झगड़ेके बारेमें तार मिला। मैंने सेनगुप्ता[2]को तार दिया है पंच कबूल करले बगैर शरत।

बापू

[पुनश्च:]

मैं ९–११ तक मुंबई हुंगा।

सी० डब्ल्यू० ७८८७से।

सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

३९९. तार : घनश्यामदास बिड़लाको

स्वराज्य आश्रम,
बारडोली
५ जून, १९३१

घनश्यामदास बिड़ला
मारफत 'लकी'
कलकत्ता

थोड़ी भी गुंजाइश हो तो बंगाल-विवाद स्थानीय पंच-फैसलेके जरिए तय करनेकी कोशिश कीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२२८)की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: सर डार्सी लिंडसेको", ३-६-१९३१।
२. देखिए "तार: जे० एम० सेनगुप्तको", १-६-१९३१।

४००. तार : अध्यक्ष, हिन्दी सम्मेलन, मदुराको

स्वराज्य आश्रम,
वारडोली
५ जून, १९३१

अध्यक्ष
हिन्दी सम्मेलन
मदुरा

आशा है आपके प्रयत्नोके फलस्वरूप अगले काग्रेस अधिवेशनमें सभी प्रतिनिधि हिन्दी बोलेगे समझेगे।[1]

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३२)की माइक्रोफिल्मसे।

४०१. तार : कृष्णदासको

स्वराज्य आश्रम
वारडोली
५ जून, १९३१

कृष्णदास
शक्ति आश्रम
राजपुर (देहरादून)

आपका तार। आपको यहाँ आने या चिन्तित होनेकी जरूरत नही। मामला तय करनेकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ।[2]

बापू

अंग्रेजी (एस० एन० १७२२९)की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह तार ७ जूनको सम्मेलनमें पढ़कर सुनाया गया था।
२. अनुमानतः बंगाल कांग्रेसमें चलनेवाला विवाद; देखिए "पत्र : कृष्णदासको", ३-६-१९३१।

४०२. तार : सदागोपाचारीको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
५ जून १९३१

सदागोपाचारी
अध्यक्ष जिला कांग्रेस
तिरुत्तनी

आपका तार। चक्रवर्ती राजगोपालाचारीसे मिलिए। विवरण भेजिए।

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३०) की माइक्रोफिल्मसे।

४०३. तार : फूलचन्द क० शाहको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
५ जून, १९३१

फूलचन्द शाह
राष्ट्रीय शाला
वढवाण नगर

आपका पत्र। आप रविवारको या बम्बईसे लौटने पर आ सकते हैं।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३१) की माइक्रोफिल्मसे।

४०४. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

शराबका घपला काफी परेशानी पैदा कर रहा है। कालीकटसे आये एक पत्रके निम्नलिखित अंशो[1]से आपको मालूम हो जायेगा कि काग्रेस-पक्षका कहना क्या है,

१. पत्रमें कहा गया था कि "...करनेके कारण दूकानोंपर शराब न बिक पानेसे उसे पुलिस और चुंगी अधिकारियोंकी मददसे...फेरीवालों या उनके दोस्तोंके घरोंपर भेज दिया जाता है, जहाँसे उसकी नियमित बिक्री चलती है।"

अहमदाबादके धरनेके बारेमें तथ्य आपको पहले ही भेज चुका हूँ। इस मामलेको अन्तिम रूपसे तय करनेमें अब और अधिक देर करना ठीक नही होगा।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६–बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

५ जून, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

आशा है कि लंकामें तुमने जो स्वास्थ्य-लाभ किया था, उसे दक्षिण भारतमें गँवा नही दिया है। यदि तुम चुस्त-दुरुस्त होओ और सफर नापसन्द न करो तो इतवारको दिन-भरके लिए बारडोली आ जाओ, जिससे हम मंगलवारको कार्रवाई शुरू करनेसे पहले शान्तिके साथ बातचीत कर सकें। आशा है कि विश्रामसे कमला और इन्दुको लाभ पहुँचा होगा।

तुम्हारा,
बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
मारफत—श्रीयुत जालभाई नौरोजी
नैपियन सी रोड
बम्बई

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू कागजात, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४०६. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय कुमारप्पा,

सह-पत्र देख लो और यदि तुम्हें सम्बन्धित साहित्य और अवकाश मिल जाये तो कृपया उसका अपना उत्तर भी मुझे भेज दो।

बापू

संलग्न : १

श्री जे० सी० कुमारप्पा
६५, एस्प्लेनेड रोड
बम्बई

अंग्रेजी (जी० एन० १००९५) की फोटो-नकलसे।

४०७. पत्र : पी० ए० वाडियाको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय प्रो० वाडिया,

मैं एक अंग्रेज मित्रके पत्रकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ। मैंने उनको उत्तर दे दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा उत्तर उतना वजन नहीं रखता जितना कि एक मँजे-मँजाये अर्थशास्त्रीके उत्तरका हो सकता है। इसलिए क्या आप तथ्यों और आँकड़ों सहित अपना सुविचारित उत्तर मुझे भेजनेकी कृपा करेंगे?

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

प्रो० पी० ए० वाडिया
विल्सन कालेज
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३३) की माइक्रोफिल्मसे।

४०८. पत्र : एम्मा हार्करको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार कैसे हटा सकता हूँ और फिर क्यो? बहिष्कारका अर्थ क्या है? वह तो समझाने और आग्रह करनेका एक साधन-भर है। लोग यदि विदेशी वस्त्र पहनना चाहे तो उनको रोकनेवाली चीज तो कोई है नही। पर यदि देशमें राष्ट्रीय सरकार होती तो निश्चय ही विदेशी वस्त्रोके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाता, जैसा कि ऐलिजाबेथके कालमें इग्लैंडमे किया गया था। यह सच है कि सक्रमणकालमे लकाशायरके मजदूर कष्टमें पड़ जायेंगे। लेकिन क्या यही सोचकर भारतके करोड़ों लोगोको भूखो मरना होगा? लंकाशायरने भारतके कुटीर उद्योगोका गला घोटकर एक अन्याय किया। अब यदि उस अन्यायका निराकरण करनेकी कोशिशमें भारत अपने कर्त्तव्यका निर्वाह करते हुए विदेशी वस्त्रोका उपयोग करना बन्द कर दे, तो लंकाशायरको चाहिए कि अपने लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक कोई उद्योग तलाश ले। हानि किसे हो रही है और अन्याय किसपर? मैं चाहता हूँ कि आप इस समस्याका विशद विवेचन करे; तब आप देखेंगी कि विदेशी वस्त्रोपर रोक लगाना भारतके गाँवोमे बसनेवाले करोड़ो लोगोंके जीवनके लिए अत्यावश्यक है।

स्पष्ट है कि आपने अमेरिकामे मद्य-निषेधकी समस्याका अध्ययन नही किया है। मैंने मद्य-निषेधके पक्ष और विपक्ष दोनोंके प्रतिपादकोसे बात की है। यह तो सच है कि अमेरिकामें मद्य-निषेधके कारण कई प्रकारके "फैशनेबल" अपराध होने लगे है, लेकिन यह भी तो सच है कि मद्य-निषेधने हजारो-लाखो अमेरिकी मजदूरो को बर्बादीसे बचा लिया है और वे अब इस लोभकारी आदतसे छुटकारा पाकर अधिक सयत परिवारोका पालन-पोषण कर रहे है। पर अमेरिकाकी तुलनामे, भारतमे परिस्थिति कही अच्छी है। अमेरिकामें शराब पीना 'फैशन' बन चुका था, फिर भी अमेरिकाके महान व्यक्तियोने उसके विरुद्ध आन्दोलन किया। मद्य-निषेधका संकल्प करके अमेरिकाने एक कितना महान कार्य किया है, इसका सही-सही अनुमान हम अभी नही लगा सकते। भारतमे शराबखोरी एक बुरी लत मानी जाती है और वह भी एक वर्ग-विशेषके लोगोमें ही पाई जाती है। इसलिए इस देशमें मद्य-निषेध पूर्णतः मंगलकारक ही होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीमती एम्मा हार्कर
६, वैलग्रेव टेरेस
कराची

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३५)की फोटो-नकलसे।

४०९. पत्र : माधवानरको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय माधवानर,

धरनेके बारेमें आपका पत्र मिला। अभी इस समय तो मैं आपको सबसे ठीक सलाह यही दे सकता हूँ कि आप श्री राजगोपालाचारीके साथ इस पूरे विषयपर चर्चा कर लें और उनकी सलाहसे ही काम करें। मेरा निश्चित मत है कि यदि धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश दिये जायें तो अभी कम-से-कम कुछ दिनतक तो आपको उनका पालन करना ही चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री माधवानर
मातृभूमि बिल्डिंग्स
कालीकट (मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३६)की माइक्रोफिल्मसे।

४१०. पत्र : डॉ० जोशुआ ओल्डफील्डको

स्थायी पता, साबरमती
५ जून, १९३१

प्रिय ओल्डफील्ड,

आपके पत्रसे पिछली मधुर स्मृतियाँ जाग गईं। इन गर्मियोंमें मैं इंग्लैंड नहीं जा रहा हूँ। कह नहीं सकता, सितम्बरमें मुझे जाना पड़ेगा या नहीं। यदि मैं गया और वहाँ बीमार पड़ गया तो शायद मुझे आपके अस्पतालमें शरण लेनी पड़े। कुछ भी हो आपका सौजन्य है कि आपने मुझे याद किया।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० जोशुआ ओल्डफील्ड
लेडी मार्गरेट अस्पताल
डोर्डिंगटन, कैंट (इंग्लैंड)

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ४५१७)की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : डॉ० जोसिया ओल्डफील्ड

४११. पत्र : प्रभावतीको

५ जून, १९३१

चि० प्रभावती,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। इतना बीमार होनेपर भी तुम्हे वहाँ रहना ही पड़ रहा है यह असह्य है। तुम्हे हिम्मत बाँधकर कोई उपाय ढूंढना चाहिए। मैंने तुम्हें लम्बा ब्यौरेवार पत्र लिखा है। वह मिला होगा। इसलिए इस पत्रमें ज्यादा नही लिखता। बम्बईमें ९ से ११ तारीखतक ही रहूँगा। वहाँ पता है: लैबर्नम रोड, बम्बई। सिर्फ तीन दिन ही रहना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४०१)की फोटो-नकलसे।

४१२. पत्र : लालजी परमारको

५ जून, १९३१

चि० लालजी,

क्या मामासाहब तुमसे नाराज हैं? उन्हें पत्र लिखते हो? क्या तुम अपनी सगाईकी कुछ तजवीज कर रहे हो? तुम्हें शादी करनेकी जल्दी है क्या? मनमें जो भी बात हो मुझे लिखना।

वहाँ खूब काम कर रहे होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३२९२)की फोटो-नकलसे।

४१३. पत्र : नाजुकलाल न० चौकसीको

५ जून, १९३१

चि० नाजुकलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मोतीका ऑपरेशन कराना ही हो तो जल्दी करा लो। पुस्तकालयमें जाकर ठीक ही किया है। वेतन कितना है?

चम्पारनके विषयका लेख देख लिया है। वह देशी तो मानी जायेगी। हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि जो इस प्रकारकी चीनी छोड़ना चाहता है, उसे चीनी बिलकुल ही छोड़ देनी पड़ेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (एस० एन० १२१४८) की फोटो-नकलसे।

४१४. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

५ जून, १९३१

चि० पण्डितजी,

भंगी सम्मेलनके बारेमें इतने लम्बे चौड़े स्पष्टीकरणकी जरूरत ही न थी। रामभाऊ अपने कार्यक्रमकी व्यवस्था करने दे तो कर देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० २१७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : लक्ष्मीबहन खरे

४१५. पत्र : नारणदास गांधीको

वारडोली
५ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम राजकोट हो आये, यह भी अच्छा ही हुआ।

बड़े-बूढोको लिखकर भी समझाते रहोगे तो शायद वे खादीके बारेमे तुम्हारी सलाह मान लेगे।

मुकुन्दरायका पत्र बहुत दिन पहले आया था; तुम्हे भेज रहा हूँ। इससे महालक्ष्मीके बारेमे ज्यादा अच्छी तरह समझोगे। मुझे नही मालूम था कि गौरीशकर उसका सम्बन्धी है। उसे लिया जा सके तो मुझे अच्छा लगेगा। छगनलाल भी उसके सम्बन्धियोमे से है।

वह दूसरी बहन भी जैसी तुम्हे लगी है, वैसी ही हो तो उसे आश्रममे लिया जा सकता है। उसके पतिसे परिचय करना चाहिए। इतना तीव्र वैराग्य था तो शादी क्यो की? आयु कितनी है? कितना पढी है? किस जातिकी है? पति, ससुर क्या करते है? पिता क्या करता है? सिद्धान्त रूपसे तो हमे ऐसी स्त्रियोको लेना चाहिए।

रतुभाई बम्बई आया होगा तो मिलेगा। लीलावतीके बारेमे डाक्टर असन्तुष्ट है, यह तो मै जब रगून गया था तभी समझ गया था। किन्तु रतुभाई बम्बईमे मिलेगा तब उससे बात करूँगा।

मदनमोहन जमनालालजीके पास रहे यह ठीक लगता है। हरिभाई यहाँ थे, उनसे भी बात हो गई है। मदनमोहन जमनालालजीके पास रहे तो उसे कुछ भेजनेकी जरूरत नही रहती।

यदि अमतुलबहन आश्रममे ही रहकर मरना भी चाहे तो हमे उसे रहने देना चाहिए। उसे बाहरसे पैसा भेजा जाये और वह चाहे तो उसे ले ले। यदि बाहरसे उसे पैसा न मिले, तो हमे उसका खर्च उठा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि वह शारीरिक श्रम कम करे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जायेगा। बाके नामसे जो हुडी आई थी, वह तुम्हे मिल गई होगी।

जो आश्रमवासी जिस जगह जाकर बसता है, उसका खर्च वहीसे निकलना चाहिए। किन्तु इसके सम्बन्धमे छगनलाल किसी व्यक्तिके लिए और कुछ करना चाहे तो वैसा ही कर लेना। मैने छगनलालको भी यही लिखा है।

द्वारकानाथके बारेमे मुझे हथियार रखनेका जो शक हुआ है, जबतक वह दूर नही हो जाता तबतक मैने उसे गुजरातसे बाहर रहनेकी सलाह दी है। वह कुछ दिनोमे चला जायेगा। उसके बिलका प्रश्न उठता है। छगनलालको द्वारकानाथ निर्दोष

लगता है। उसे लिखा है कि यदि उसकी राय बिल अदा कर देनेकी हो तो अदा कर दे। अब वह तुम्हे भी अदायगीके लिए लिखे तो अदा कर देना।

मै सोमवारको यहाँसे रवाना होऊँगा और ११ तारीखको बम्बईसे निकलकर १२ तारीखको बारडोली वापस पहुँच जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

४१६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

५ जून, १९३१

भाई घनश्यामदास,

इस खत पढीयो।[1] मेरा कुछ ख्याल रहा है कि मै इस बारेमे आपको लिख चुका हु। कैसे भी हो, यदि रघुमल ट्रस्टमे से इस सस्थाको मदद मिल सके तो देनेके लायक है ऐसा मैने माना है।

बगालके झगड़ेके बारेमे पचके मार्फत समझौता हो सके तो करवानेका तार आज दीया है। वरकिंग कमिटीके पास यह मामला नहिं आना चाहिये।

मै मुबईमे ९-११ तक हुगा।

मोहनदास

सी० डब्ल्यु० ७८८८से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

४१७. तार : जे० एम० सेनगुप्तको

स्वराज्य आश्रम
बारडोली
६ जून, १९३१

सेनगुप्त
एलगिन रोड
कलकत्ता

आपका तार। आपका त्यागपत्र देना या शामिल न होना दोनो बातें गलत होगी। मैने आपके आचरणका न अनुमोदन किया न विरोध,

१. पत्र पिछड़ी हुई जातियोंके कल्याण-संघ, दिल्लीके रामानन्द संन्यासीने लिखा था। इसमें रघुमल ट्रस्टकी बैठक १६ या १७ जूनको होनेकी सूचना थी।

सिर्फ इसीलिए कि मुझे तथ्योंकी जानकारी नही है। अब तक नही जानता कि पृथक चुनावोका अर्थ क्या है। धोखाधड़ी जहाँ भी साबित हो उसपर पर्दा नही डालना चाहता। यही सलाह थी कि कार्य-समितिको निर्णय देने पर बाध्य करनेके बजाय स्थानीय पंच ही सभी मसले तय कर दें और यह बंगालके नाम पर बट्टा न लगने देने और जल्द फैसला करनेकी खातिर ही। इसमें सरदार सहमत है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४३)की फोटो-नकलसे।

४१८. पत्र : आर० एम० मैक्सवैलको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय श्री मैक्सवेल,

आपके १३ मईके पत्र[1]की चर्चा एक बार फिर कर रहा हूँ। शिमलामें आपका पत्र मिलनेके लगभग साथ-साथ मुझे यह समाचार भी मिल गया था कि श्री राजवाड़े रिहा किये जा चुके हैं; हालाँकि उक्त पत्रसे ऐसी कोई आशा नही बँधती थी। श्री एमर्सनने मुझे यह समाचार तार द्वारा दिया था, जिसका मैंने बड़ा आभार माना था। अब श्री एच० डी० राजाके मामलेके कागजात भी मिल चुके हैं। उनमें मुझे हिंसाके लिए कोई उकसावा देनेकी बात तो दिखी नही। भाषणोका पाठ तो मेरे पास नही है; मुझे बतलाया गया है कि मुकदमेके रिकार्डमें भी भाषणोंका पाठ मौजूद नही है। फिर भी सरकारी गवाहोके बयानो और न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णयमे उन भाषणोके सर्वाधिक संगत अंशोंकी झाँकी मिल जाती है, जो अत्यन्त ही अशिष्ट और राजद्रोहपूर्ण अवश्य है, पर हिंसाको उकसानेके प्रयत्नकी तो कोई बू उनमें नही मिलती। इसके विपरीत न्यायाधीशने स्वयं ही अभियुक्त द्वारा किये जानेवाले अहिंसाके प्रचारका उल्लेख किया है, परन्तु उसे कोरी मुँहकी बात कहकर टाल दिया है। मेरी समझमे नही आया कि जब हिंसाके लिए उकसानेका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नही है और अहिंसाके लिए प्रत्यक्ष रूपसे किये गये आग्रहका प्रमाण मौजूद है, तब कैसे कोई न्यायाधीश अहिंसाके प्रचारको केवल एक ऊपरी बात करार दे सकता है। पर इस मामलेमे मैंने अपने ही अकेले मतको काफी नही मान लिया है। मैंने यह मामला अपने तीन वकील मित्रोके सामने भी रखा था। उनमे से एक मित्रने अपनी राय लिखित रूपमे देनेकी कृपा की है, उसकी प्रति मै संलग्न कर रहा हूँ। महामहिमसे मेरा अनुरोध है कि ऐसी परिस्थितियोंमे वे अपने निर्णयपर फिरसे विचार करे। मै

१. देखिए परिशिष्ट ९।

बतलाना चाहता हूँ कि समझौतेकी धारा १३के अनुसार तो सरकार इस बातके लिए बाध्य है कि वह असहयोग आन्दोलनके उन सभी बन्दियोको रिहा कर दे, जिनपर सिवा कानूनी हिंसाके और कोई हिंसा कार्य करनें या हिंसाके कामके लिए उत्तेजित करनेका अपराध सिद्ध न होता हो। मैं यह भी कहता हूँ कि जब साक्ष्यके आधारपर उत्तेजना फैलानेका कार्य स्पष्टतः सिद्ध नही होता, तब ऐसे किसी कार्यका अनुमान करनेका सरकारको अधिकार नही है।

और बारडोली ताल्लुकाके रतनजी दयारामका मामला भी है। मैंने अब इस मुकदमेका फैसला और उसके सबूत देख लिये हैं। समझौतेकी धारा १३मे हिंसाकी बात की गई है, वह हिंसा निश्चय ही उन्होने नही की है। और यह कहना भी सही नही है कि अभियुक्तने अपने बटाईदारकी फसल जलाई थी। अभियुक्तने अपनी ही फसलमें आग लगा दी थी और उस फसलमे वादी, देवलिया जागला साझीदार था। यदि वादीको कोई नुकसान पहुँचा था और यदि वह चाहता था तो अभियुक्तपर दीवानी अदालतमे दावा कर सकता था। ऐसा वह अब भी कर सकता है। लेकिन जब सबूतोंसे और खुद न्यायाधीशके फैसलेसे प्रकट है और सरकारने भी स्वीकार किया है कि फसलको बेचकर लगान वसूली करनेसे सरकारी अधिकारियोको रोकने के लिए ही उसने फसल जलाई थी, तब साझीदारको नुकसान पहुँचानेकी गरजसे फसल जलानेका कोई सवाल ही नही उठता। और सरकारने जो कार्रवाई की है उसमे भी एक अनियमितता है, जिसे मैं बतलाना चाहता हूँ। सरकारने फसलके जाने-माने साझीदार रतनजी दयारामको तो जेलमे रख छोड़ा है, पर उसके साथी अभियुक्त रणछोड़को रिहा कर दिया है, जिसका फसलमे कोई हिस्सा नही है। इसलिए मेरा यह कथन है कि समझौतेकी शर्तोके अनुसार रतनजी दयारामको भी उसी आधारपर रिहा कर दिया जाये जिसपर श्री एच० डी० राजाको रिहा किया गया है।

गत ३० मईके आपके दूसरे पत्रके सिलसिलेमें मैं यही कहूँगा कि महामहिम द्वारा अपनाये गये रुखसे मेरे मनको गहरी पीड़ा पहुँची है। प्रेस वापस करनेसे इन्कार करनेके लिए जो तर्क दिये गये है, वे मुझे बड़े ही विचित्र लगे है। यह तो वापस देनेकी बात है, वापस लेनेकी नही। धारा १६ के अनुसार वापस देनेकी जिम्मेदारी सरकारपर रखी गई है; जिसकी सम्पत्ति ली गई है उसपर यह जिम्मेदारी नही रखी गई है कि वह खुद जाकर उसे वापस ले। आपके पत्रके तीसरे अनुच्छेदमे पेश किये गये तर्क तो और भी पीड़ादायी है। अध्यादेशका जो अर्थ लगानेकी कोशिश की गई है, उसका तो मैंने कभी अनुमानतक नही किया था। आपकी व्याख्या पर तो मैं कोई आपत्ति नही कर सकता, फिर भी शान्ति स्थापनाके उद्देश्यको लेकर तैयार किये गये एक दस्तावेजकी व्याख्या इतनी क्षुब्ध करनेवाली की जाये, मैं इस बातपर आपत्ति अवश्य कर सकता हूँ। सरकार तो अपने अधिकारियो द्वारा मनमाने ढंगसे किये गये सम्पत्तिके विनाशको उचित ठहराना चाहती है। परन्तु मैंने कांग्रेसके एक प्रतिनिधिके रूपमे मेरे और सरकारके बीच पड़े विवादास्पद प्रश्नोके क्षेत्रको जहाँतक हो सके अधिक-से-अधिक सीमित करनेके लिए ही मोटरकारो और

बाइसिकिलोंके मालिकोंको सलाह दी है कि वे यदि चाहें तो उनको स्वयं हटा लें। पर जहाँतक प्रेसकी बात है, मुझे खेद है कि समझौतेकी शर्तोंके समुचित पालनपर मुझे आग्रह करना ही पड़ेगा। यदि सरकारको मेरे लगाये अर्थपर सचमुच कोई आपत्ति हो, तो मैं इस प्रश्नको बम्बई उच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश या किसी भी अन्य निष्पक्ष अधिकारीके सामने निर्णयके लिए पेश करनेको बिल्कुल तैयार हूँ।

हृदयसे आपका,

सलग्न: १

श्री आर० एम० मैक्सवेल
महामहिम गवर्नर, बम्बईके निजी सचिव
महाबलेश्वर

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या ४, १९३१, खण्ड १, पृष्ठ ७-९।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४१९. पत्र: दुनीचन्दको[1]

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय लाला दुनीचन्द,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। सभी मुकदमोंके बारेमें मैं आपकी रायका इन्तजार करूँगा।

मजिस्ट्रेटने सभा तितर-बितर क्यों कर दी थी? तितर-बितर करनेका प्रकट कारण क्या बतलाया गया था और उसके लिए कौन-सा तरीका अपनाया गया था?

सरकार जैसे ही लुधियाना काण्डके बारेमें अपनी राय प्रकाशित करे, आप मुझे तुरन्त लिख दीजिएगा।

हृदयसे आपका,

लाला दुनीचन्द
एडवोकेट
अम्बाला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६-बी, १९३१ खण्ड १, पृष्ठ ७९
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १९-५-१९३१।

४२०. पत्र : के० वी० वेलको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

गत ३० अप्रैलके आपके पत्रके लिए धन्यवाद। मेरा सन्देश इस प्रकार है:

जापानको भारतके अहिंसात्मक आन्दोलनका अध्ययन करना और उसकी सहायता करनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री के० वी० वेल
पो० बा० ९
अकासाका, टोकियो (जापान)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२३८)की फोटो-नकलसे।

४२१. पत्र : जुगलकिशोरको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय जुगलकिशोर,

आपका पत्र मिल गया। अच्छा यह रहा कि आचार्य कृपलानी इस समय बारडोलीमे है। मैंने उनसे मशविरा कर लिया है; यदि आप स्वय भी सुझावका अनुमोदन करे तो वे इसके लिए तैयार है कि मै प्रस्तावकी शर्तोंके अनुसार उनको नामजद कर दूं। उन्होने दूसरा नाम भी सुझाया है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। दूसरा नाम काशी विद्यापीठके आचार्य नरेन्द्रदेवका है। ये दोनो ही तपे-तपाये सैनिक है और इनको इन मामलोका यथेष्ट अनुभव है। इन दोनोके रहते, अब यह आवश्यक नही रह गया कि मै विशेषज्ञोके नामोंको भी तुरन्त ही पेश कर दूं।

प्रस्तावको सुपाठ्य बनानेकी दृष्टिसे मेरा सुझाव है कि उसमे निम्नलिखित परिवर्तन कर दिया जाये. "आत्मनिर्भरताके आधारपर" के स्थानपर "सस्थाको

आत्मनिर्भर बनानेके लिए" शब्द रख दिये जायें। और "संग्रह"के बाद "तथा वितरणके हेतु" शब्द जोड दिये जाये।

हृदयसे आपका,

आचार्य जुगलकिशोर
प्रेम महाविद्यालय
वृन्दावन

अग्रेजी (एस० एन० १७२३९)की फोटो-नकलसे।

४२२. पत्र : उर्मिला देवीको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय बहन,

आपका तार मिल गया था और अब पत्र भी। निश्चय ही बगालकी स्थिति अत्यन्त निन्दनीय है, पर मेरी समझमें नही आता कि यहाँसे क्या किया जा सकता है। मैंने सोचा था कि पच-फैसला ही तनाव दूर किये जा सकनेका एक उपाय है। इसके सिवा कार्य-समिति या स्वय मै भी और क्या कर सकते थे? सुभाष बाबू यहाँ आये थे और उन्होने श्री सेनगुप्तके विरुद्ध एक बडा लम्बा आरोप-पत्र सरदार वल्लभभाईको दे दिया था। वल्लभभाईने उसे इस आशासे फाइलमे सहेज लिया है कि वे दोनो पक्षोकी उपस्थितिमे उसकी जाँच-पडताल कर सकेंगे। क्या आप इस कठिनाईसे निकलनेका कोई दूसरा रास्ता सुझा सकती है?

श्रीमती उर्मिला देवी
४०/१ रूपचन्द मुखर्जी लेन
भवानीपुर, कलकत्ता

अग्रेजी (एस० एन० १७२४०)की फोटो-नकलसे।

४२३. पत्र : नीलकण्ठ दासको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय नीलकण्ठ बाबू,

आपका पत्र मिला। मै परिस्थिति वखूबी समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जिसका जिक्र किया है, ऐसे मामलोंमें अभी इस समय अधिक कुछ नही किया जा सकता। इतना ही कह सकता हूँ कि यदि इन उत्तेजनाओके बावजूद शान्तिपूर्ण ढगसे धरना जारी न रखा जा सकता हो, तो उसे कुछ समयके लिए स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन तब लोगोके पास घर-घर जाकर जोरदार प्रचार-कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए।

चौ० नीलकण्ठ दास
भुवनेश्वर

अग्रेजी (एस० एन० १७२४१) की माइक्रोफिल्मसे।

४२४. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

स्थायी पता, साबरमती
६ जून, १९३१

प्रिय सतीश बाबू,

आपका पत्र और 'अमृत बाजार पत्रिका' की कतरन मिली। यदि मामलेका निर्णय कार्य-समितिको ही करना है तो उसे इसके लिए काफी जटिल कार्यविधि अपनानी होगी। उसे टालना हो तो उसकी जगह पंच-फैसलेका सुझाव देनेके सिवा और क्या किया जा सकता है? सुभाष बाबू यहाँ आये थे और उन्होने सेनगुप्तके विरुद्ध शिकायतोकी एक लम्बी सूची सरदार वल्लभभाईको दी थी। वल्लभभाई उस सिलसिलेमे कुछ भी नही कर सकते थे; लेकिन उन्होने कह दिया था कि कार्य-समितिके सामने औपचारिक रूपसे मामला पेश होनेपर वे शिकायतोंके बारेमे कार्रवाई करेंगे। पर जव मेरे और उनके पास वगालसे आये तारोका ताँता बँध गया तो मैंने सुझाया कि मामला स्थानीय रूपसे पंच-फैसलेके लिए सौप दिया जाये। अब या तो ऐसा पच-फैसला कराया जाये या फिर कार्य-समितिमे औपचारिक रूपसे मामला पेश होनेपर वह कोई निर्णय दे—इसके अलावा क्या और कोई रास्ता है?

यदि आपका स्वास्थ्य काफी ठीक हो तो आप बम्बई आकर 'अखिल भारतीय चरखा संघ' की बैठकमे पूरी स्थितिपर स्वयं चर्चा कर लें। मै डॉ० रायको अहमदा-

बाद आनेकी सलाह नही दे सकता, विशेषकर जब कई मिलमालिक अहमदाबादमे नही है।

आप यदि १८२८के 'समाचार' की फाइल न देख पाये हो तो मै समझता हूँ, आपको देख ही लेनी चाहिए और बुनकरोके पत्रके[1] तथ्योकी सचाईकी जाँच स्वय ही कर लेनी चाहिए।

अग्रेजी (एस० एन० १७२४२) की फोटो-नकलसे।

४२५. पत्र : नानाभाई मशरूवालाको

वारडोली
६ जून, १९३१

भाई नानाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मै तो कैसे आ सकता हूँ? बा की हालत अब ऐसी नही कि वह घूम-फिर सके। उसके मुंहपर बीच-बीचमे सूजन आ जाती है। स्वामी और देवदासको जरूर भेजा जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६६८१) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ४३२६ से भी।
सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला

४२६. प्रति ग्राम एक स्वयंसेवक?

सात लाख गाँवोमे पहुँचनेके लिए कितने कार्यकर्त्ता आवश्यक है? यह प्रश्न विचारने योग्य है। ब्रिटिश सरकारका झडा हरएक गाँवमे फहर रहा है अर्थात् हरएक गाँव उसके सिक्केका उपयोग करता है और हरएक गाँव उस सिक्केके हिसाबसे लगान अदा करता है। परन्तु काग्रेस हरएक गाँवमे नही पहुँच पाई है। प्रत्येक गाँवमे काग्रेस का नाम भी नही पहुँचा है तो फिर उसके सन्देशके बारेमे तो कहना ही क्या? खादी द्वारा काग्रेस हरएक गाँवमे पहुँच सकती है, परन्तु खादीमे उतनी दिलचस्पी अभी हममे पैदा नही हुई है।

इस प्रकार यद्यपि हरएक गाँवमे सरकारकी दुहाई फिरती है तथापि पाठकोको यह जानकर आश्चर्य होगा कि न तो हर गाँवके पीछे एक पटेल है, न पटवारी और न सिपाही। सरकार जो कर सकी है सो इतना ही कि प्रत्येक पटवारी और

१. देखिए "१८२८ में", २१-५-१९३१; और "पत्र: सतीशचन्द्र दासगुप्तको" २-६-१९३१ भी।

पटेलके जिम्मे कुछ गाँव है। पटवारी कुछ पढा-लिखा होता है, उसे हिसाब-किताब रखना पडता है; इसलिए पटेलकी बनिस्बत एक पटवारीके जिम्मे अधिक गाँव होते है, प्रति पटेलके जिम्मे थोडे। पूछा जा सकता है, यदि सरकारके पास हरएक गाँवके पीछे पटवारी और पटेल नही है तो काग्रेसके पास इतने कार्यकर्ता कहाँसे हो सकते है। किन्तु मै यह जानता हूँ कि बात इससे उलटी होनी चाहिए। जो शक्ति सरकारके पास न हो, स्वभावत· वह काग्रेसके पास होनी चाहिए। परन्तु लज्जापूर्वक हमे यह स्वीकार करना पडता है कि हकीकत ऐसी नही है। सरकार इतना धन खर्च नही कर सकती कि वह हर गाँवमे एक पटवारी और पटेल रख सके, किन्तु काग्रेसको धनकी जरूरत नही। काग्रेसके नामसे ही स्वयसेवक मिल जाते है। परन्तु काग्रेसका नाम इतनी दूर नही पहुँचा कि प्रति गाँवमे स्वयसेवक हो जाता।

ऐसी दशामे यदि काग्रेस प्रत्येक गाँवमे एकसे ज्यादा सेवक रखती है तो यह उसकी फिजूलखर्ची होगी। हमे तो दस-दस मीलके घेरे बनाने चाहिए। जैसे-जैसे सुभीता होता जाये और स्वयसेवक बढते जाये, वैसे-वैसे घेरोमें भले वृद्धि हो, परन्तु फिलहाल तो स्वयसेवकको एक मध्यबिन्दुसे दस मीलतक पहुँचना चाहिए। अर्थात् उसके घेरेका व्यास बीस मील होगा। परन्तु स्वयसेवकको किसी दिन बीस मील नही चलना पडेगा। ऐसा कोई नियम न हो कि रात हमेशा केन्द्रीय गाँवमे ही बिताई जाये। दस मीलके घेरेमे वह चाहे जिस गाँवमे रातको रुक जाय, यही नही, बल्कि उसका यह कर्त्तव्य है कि वह बारी-बारीसे हर गाँवमे रात बिताये। इस प्रकार दस मील घेरेमे कम-से-कम दस गाँव तो होगे ही। इसलिए मेरे हिसाबसे हर दस गाँवोके लिए एक कार्यकर्त्ता रहे। इस तरह हर गाँवमे पहुँचनेके लिए हमें सत्तर हजार स्वयसेवको और स्वयसेविकाओकी जरूरत है। मैने स्वयंसेवक और स्वयसेविकाएँ कहा है। सच पूछा जाये तो स्वयसेविकाओकी अलग गिनती होनी चाहिए। आरम्भमे यदि स्वय-सेविकाएँ दो-दोकी जोडीमे रहे तो उनकी सख्या सत्तरं हजारसे अधिक होनी चाहिए, अथवा वे जितनी हो उस हिसाबसे उनकी अलग व्यवस्था हो जाये। इससे इतना तो स्पष्टतः सबकी समझमे आ गया होगा कि हरएक गाँवके पीछे एकसे अधिक सेवक रखना गुनाह ही होगा।

१. अब यह देखे कि एक स्वयसेवक क्या कर सकता है। वह स्वयसेवक आसानी से लडकोको इकट्ठा करके उन्हे तकली चलाना सिखाये, पीजना सिखाये, तकली बनाना सिखाये, और अक्षरज्ञान कराये। इसके लिए एक छोटी-सी योजना ही बनाई जा सकती है और पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

२ गाँवकी सफाईकी देखरेख करे और स्वय सफाई करे।

३. गाँवमे बीमारोको दवा दे।

४. गाँवमे फूट हो तो उसे दूर करे।

५. गाँवके अस्पृश्योके दु ख दूर करे और उनके लिए पानी वगैराका सुभीता न हो, तो उसकी व्यवस्था करे।

६ खादीके मामलेमे गाँवको स्वावलम्बी बनानेका प्रयत्न करे।

७. अपने हिस्सेमें जो गाँव आये हों उनकी मर्दुमशुमारी करे, ढोरोंकी गिनती करे, उन गाँवोंके गाय, भैंस, बैल, पाडे, पड़िया, बछडे-बछिया वगैराको अलग-अलग गिन ले। भैंस और गायके दूधका अनुपात निकाले। अन्त्यजोंकी गिनती करे। उनकी स्थितिका वर्णन लिखे। गाँवका क्षेत्रफल, उसकी फसल, लगान, उद्योग, कुओंकी सख्या, गाँव या खेतोमे फलदार पेड़ों और यदि बबूल वगैरा हो तो उनकी जानकारी हासिल करे और उसे नोट कर ले। हालाँकि मैंने इस चीजका उल्लेख अन्तमें किया है किन्तु स्वयसेवकको इस बारेमें पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस काममें बहुत समय नही लगता। परन्तु इतनी जानकारी इकट्ठी कर लेनेवाला स्वयसेवक अपने कामको आसान बना लेगा। ये सब तथ्य उसे एक छोटी-सी नोट-बुकमें दर्ज कर लेने चाहिए।

कोई यह न कहे कि एक ही व्यक्तिसे दस गाँवोमे यह सब काम नही हो सकता। पाठशालाका उदाहरण ले ले। जिस प्रकार चौबीस घंटोमें पाठशालाका वक्त कुछ ही घंटोका रहता है, उसी प्रकार वह सप्ताहमे कुछ ही दिन चले तो भी हर्ज नही। भले प्रति दस दिनमें एक गाँवकी पाठशाला एक ही दिन खुले। यह तो केवल बिलकुल अन्तिम छोरकी स्थिति हुई। नया स्वयंसेवक अपने आसपासके गाँवोकी जानकारी जल्दी ही हासिल कर लेगा और फिर हरएक गाँवसे स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएँ तैयार करेगा और उन्हे उनकी सामर्थ्यके अनुसार सेवाका काम सौंप देगा। और इस तरह स्वयं निरीक्षक स्वयसेवक बन जायेगा। जिस गाँवमे जिस दिन वह हाजिर नही होगा उस दिन उस गाँव के स्थानीय स्वयंसेवक वहाँका काम कर लेंगे।

ऐसे स्वयसेवकमें एक गुण तो होना ही चाहिए और वह गुण है पवित्रता। अगर उसकी ग्यारहों इन्द्रियाँ दूषित होगी तो वह निकम्मा है। ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, और एक मन। मन स्वच्छ हुआ तो दसो इन्द्रियाँ अपने-आप स्वच्छ रहेगी। मन दूषित है तो सब दूषित समझना चाहिए। हाथ, पैर, मुँह और दो गुह्येन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ हैं, स्पर्शकी त्वचा, रसकी जीभ, सुननेकी कान, सूँघनेकी नाक और देखनेकी आँख, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। जो स्वयसेवक इन इन्द्रियो पर अधिकार न रख सकता हो उसे नम्रतापूर्वक स्वयसेवक बननेसे इन्कार कर देना चाहिए। यदि वह स्वयंसेवक बन गया हो किन्तु बादमें उसे लगे कि वह सयमका पालन नही कर सकता है तो उसे नम्रतापूर्वक इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी तरह काम होता है और होगा।

कोई कहेगा कि यह कार्यक्रम तो सौ वर्षमे भी पूरा न होगा और हमें स्वराज्य तो आज ही लेना है। ऐसी शका निरर्थक है। स्वराज्यमें स्वयसेवकोकी बारिश नही होगी। जो आज स्वयसेवक होगे उन्हीमें से स्वराज्यका काम चलानेवाले मिलेगे। यह सच है कि मौजूदा शासन जब लोगोके हाथमे आयेगा तब उसका काम करनेवाले तो होगे ही। तिसपर भी यदि काग्रेसके पास मेरे बताये अनुसार स्वयसेवक नही होगे तो मिली हुई सत्ता हमारे हाथसे निकल जायेगी या उसे घुन लग जायेगा और देशमें

अराजकता फैल जायेगी। यह माननेका कोई कारण नहीं कि शासनके बदलते ही जो नौकर आज अवांछनीय हैं, वे पल-भरमें देवरूप बन ही जायेंगे। इसलिए जैसा हम आज बोयेंगे, वैसा काटेंगे। यदि आज शुद्ध वृत्तिवाले स्वयंसेवक मिल जायें तो मैंने जो कार्यक्रम बताया है, उसपर आजसे ही अमल होना शुरू हो जाये। काम करनेका तरीका यह नहीं कि पहले सत्तर हजार स्वयंसेवक तैयार हो जायें, दस मीलकी सरहदवाले घेरोंके नकशे बन जायें, फिर देखा जायेगा। इस तरह विचार करनेसे तो काम कभी होगा ही नहीं।

काम करनेका तरीका यह है कि गुजरात आज शुरू करे, पूरा गुजरात नहीं तो एक दो जिले, जिले नहीं तो ताल्लुके, नहीं तो छिटपुट स्वयंसेवक, जो गुजरातमें फैले हुए हैं, उपर्युक्त ढंगसे काम करना शुरू कर दें, और वैसा करते हुए जो काम अधिक या दोषपूर्ण लगे उसे त्याग दें, जो करने योग्य हो, वह करें। जहाँ एकसे अधिक स्वयंसेवक इकट्ठे हो जायें वे बँट जायें, बिखर जायें। यदि यह ठहरे कि अधिक स्वयंसेवक रहने ही चाहिए, तो उसके कारणकी जाँच कर ली जाये। मन या शरीरकी शिथिलताके कारण अपनेको अथवा जनताको धोखा न दें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-६-१९३१

४२७. टिप्पणियाँ

हिन्दूकी शर्म

२२ मई, १९३१को डाकोरमें भंगी भाइयोंकी सभा हुई थी, जिसका विवरण ठक्करबापाने भेजा है। उसका सारांश मैं नीचे देता हूँ:

> लगभग १५० गाँवोंके करीब १,५०० भंगी भाई इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बैठक और रातमें सोनेके लिए टाटका मण्डप बनाया था और उसीकी बिछायत की गई थी। दिनको वहाँ सभा होती और रातको सब वहीं सो रहते। किन्तु रसोईके लिए बरतन कौन दे? पानी कहाँसे लाया जाये? गोमतीके-तालाबका पानी इतना गंदला होता है कि म्युनिसिपैलिटीकी ओरसे जगह-जगह उसे न पीनेकी सूचनाके पटिये लगाये गये हैं। परन्तु भंगीभाई वह पानी पी सकते हैं! सम्मेलनमें ऐसा पानी कैसे पिया जाये? एक मुसलमान भाईको दया आई, उन्होंने अपने बरतन दिये, रसोईमें मददकी और पानी भी दिया।
>
> डाकोर-जैसे तीर्थ-स्थानमें किसी हिन्दूको दया न आई और न शर्म आई कि इतने मेहमानोंके डाकोर आनेपर पानी होते हुए भी उन्हें पानीकी तंगी रही, बरतन होनेपर भी बरतन न मिले, रसोईकी सुविधा होते हुए भी रसोईकी सांसत रही। डाकोरकी स्वयंसेविकाएँ रसोई बना सकती थीं, डाकोरके

महाजनोका धर्म इन भाई-वहनोको पानी देनेका था। वे इस धर्मको भूले रहे और उन्होने हिन्दू धर्मका तेज कम किया।

कोई कह सकता है, "परन्तु ऐसा तो सव जगह होता है, 'ढेढ-भगी'की परवाह कही कोई नही करता, डाकोरके हिन्दुओने इसी वार यह कोई विशेष आचरण थोडे ही किया? यही वात है। मेरे पुरखे पाप करते आये हैं, इसलिए मुझे पाप करनेका इजारा नही मिल जाता। जैसे-जैसे दिन वीतते जा रहे है, अन्त्यजोमें जागृति वढती जा रही है, और हिन्दू धर्मकी वुराई प्रकट होती जा रही है तथा अन्त्यजेतर हिन्दूको शर्म आने लगी है। विवरण तैयार करनेवाले हिन्दू हैं, विवरण भेजनेवाले हिन्दू हैं। काग्रेसने अधिकारोके सम्वन्धमे जो प्रस्ताव पास किया है, हम सवको उसपर अमल करना है। अतएव आजतक चाहे जो हुआ हो, परन्तु भविष्यमे स्वय हिन्दू ही ऐसे अपमानको न सहेगे जैसा कि डाकोरमे हुआ है। स्वराज्यमे अन्त्यज और अन्त्यजेतरका भेद नही रहेगा। इसलिए हम अव सजग हो जाये।

जरा विचारने योग्य

ठासरा तहसीलमे भरथरी नामक एक गाँव है। वहाँ धनजीभाई नामक एक अन्त्यजभाई अन्त्यजोमे सुधार कार्य करनेके लिए खूव परिश्रम कर रहे हैं। मेरे सामने जो रिपोर्ट मौजूद है, उससे ज्ञात होता है कि यह काम करते हुए उन्हे कष्ट सहने पडते है, पर वे उन्हे चुपचाप सहते है। उन भाईके सुधारोमे एक सुधार यह है: जो मुर्दार मास खाते हैं, उनसे मुर्दार मासका खाना छुडवाना और साथ ही मरे हुए ढोरोकी व्यवस्था करनेके धन्धेसे भी उन्हे मुक्त करना। मुर्दार मास छुडवाना तो अच्छा है ही, परन्तु मरे हुए ढोरोकी व्यवस्थाका काम छुडाना मुझे तो भयकर मालूम होता है। मै स्वय इस कामको पवित्र मानता हूँ, और आवश्यक तो यह है ही। यह धन्धा पवित्र है, क्योकि इससे रोगोका फैलना रुकता है। अगर मरे हुए ढोर यो ही जहाँ-तहाँ पड़े रहे तो उससे आवहवा खराव होगी, रोग फैलेगे और देशका धन नष्ट होगा। जिस प्रकार जीवित ढोर लोगोकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार मरकर भी वे सेवा करते हैं। चमडे, हड्डी, चर्वी और आँतोका हम काफी उपयोग करते है। और यदि हम जिन्दा ढोरका सदुपयोग करे और फिर मरे हुए ढोरके चमडे वगैराका शास्त्रीय ढगसे उपयोग करे तो ढोरकी कीमत इतनी वढ जाये कि उसको कत्ल करनेमें कोई लाभ न रहे।

इसलिए सुधारकोको तो मै यह सलाह दूंगा कि ढेढ-चमार भाइयोको उनके धन्धे को छोडनेकी सीख न दे, वल्कि उन्हे वह धन्धा भली-भाँति सिखा दे। इसके लिए तालीमकी आवश्यकता है। ढेढ-चमारका पेशा हमारे ही देशमे हलका माना जाता है। पश्चिममे तो इस धन्धेमे करोडपति लोग लगे होते है। वी० ए० पास करके अध्यापकी करनेकी अपेक्षा अगर नवयुवक चमारका धन्धा सीखें, मरे हुए ढोरोका चमडा किस तरह उतारा जाये, उसके और भागोका कैसे उपयोग किया जाये, वगैरा वाते सीखें तो जो करोडों रुपये आज इस धन्धेके ज्ञानके अभावमे परदेश चले जाते है,

वह रुक जायेगा और चमारका काम करनेवाले भाई अपने धन्धेको हलका नही समझेगे। अस्पृश्यताका निवारण चमारादिके धन्धेको छोडनेसे नही होगा, परन्तु जब हिन्दू जनता अपने पापको समझेगी और अन्त्यज भाई अपनेमें से उन बुराइयोंको दूर करेगे, जो उनमे घुस गई है, तभी अस्पृश्यताका निवारण होगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ७-६-१९३१

४२८. दरिद्रनारायणकी हुण्डी

रोग-शय्यापर पडे-पड़े भाई विट्ठलदास शिकायत करते हैं कि खादीका स्टाक बढता जा रहा है। गुजरातके कार्यकर्त्ता लिखते है कि गुजरातमें खादीका स्टाक इकट्ठा हो गया है, जिससे कताईका काम कम करना पडा है। खादीके बारेमें यह शिकायत हमारे लिए शर्मकी बात है। खादी एक ऐसी चीज है, जिसे पहननेवाला जानता है कि उससे बहुत ही गरीब बहनोंको मदद मिलती है। यदि यह साधारण-सी बात हमारे मनमे बैठ जाये तो खादीकी खपतमें कभी ही न हो। जिस प्रकार करेंसी नोटकी कीमत उसमे लिखे अकके अनुसार मिलती ही है, उसी प्रकार खादीका नियत मूल्य मिलना चाहिए। खादी दरिद्रनारायणकी हुण्डी है। इसे सकारनेवाले शहरके नागरिक होने चाहिए। और जबतक यह हुण्डी मिले तबतक किसीको दूसरी हुण्डी सब जगह छूनी भी नही चाहिए।

मेरा बस चले और लोग मदद करे तो खादीकी कीमत सब जगह एक ही हो। रुईकी दरमें भले घट-बढ हो, परन्तु यदि कत्तिनोको सम्बन्धित प्रान्तमे सब जगह एक ही दरसे मजदूरी मिले, जुलाहोके साथ भी यही हो और खादी सम्बन्धी हरएक क्रिया की दर सदा एक ही रहे तो खादीकी कीमत एक ही रखनेमें किसी प्रकारकी अड-चन नही होनी चाहिए। हममे इतनी सचाई, इतना सगठन, गरीबोके प्रति इतना प्रेम नही है, इसीसे खादीके भावोमे घट-बढ होती रहती है। ऐसा होते हुए भी जो लोग खादीमे थोडी भी लिलचस्पी रखते है, वे जानते है कि हर प्रान्तमे दस साल पहले खादीका जो भाव था, उसमें कमी ही हुई है। मै बता चुका हूँ[1] कि मेरठके आश्रममे, जहाँ बहुत खादी तैयार होती है, वहाँ जिस खादीकी दर पहले एक रुपया थी, वह आज छः आनेसे कम है। इसका यह मतलब नही कि कत्तिनोंको कम मिलता है। इसका मतलब इतना है कि खादी बनानेकी कलामे अधिक कुशलता आई है, कताईमे सुधार हुआ है, जिससे जुलाहेको सूत बुननेमें कम कठिनाई होती है, और इसीसे बुनाईकी दर कम हो सकी है, किन्तु इतनेपर भी जुलाहेकी आमदनी मे कमी नही हुई है। दरोमे कमीके शुभ परिणामका कारण यह है कि खादी-प्रचारका काम एक परोपकारी संस्थाकी मारफत होता है। इससे खादीकी किस्ममें उत्तरोत्तर सुधार

१. देखिए "टिप्पणियाँ", ४-६-१९३१ का उपशीर्षक "गांधी आश्रम मेरठ"।

हुआ है, और भाव उत्तरोत्तर कम हुए है। फिर भी अभी खादीकी किस्ममें सुधार करने और भाव घटानेकी काफी गुजाइश है। और जैसे-जैसे लोगोसे प्रोत्साहन मिलेगा, वैसे-वैसे किस्ममें सुधार होगा और दाम घटेंगे। जाहिर है कि ज्यो-ज्यो खादीकी खपत वढेगी त्यो-त्यो अधिक लोग और अधिक होशियार लोग उसमें दिलचस्पी लेगे, और इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि किस्में सुधरेंगी और दर घटेगी। दरिद्र-नारायणकी पेढ़ीके भागीदार कुछ खास लोग ही नही है, वल्कि उसके भागीदार तो तीस करोड़ लोग है। ऐसी खादीकी खपतमें कठिनाई क्यो हो? परन्तु यह सच होते हुए भी कठिनाई होती है, इसलिए यह प्रश्न पूछना निरर्थक है। उसकी खपतके मार्ग ढूंढ निकालनेमे ही वुद्धिमानी है। नीचे लिखे मार्ग आसानीसे सूझ सकते है:

१. खादीकी फेरी लगाना। फेरीके लिए सव जगहोंपर किसी नियत दिन वहनें निकले। इससे वहनोको रोज निकलना न पडेगा। कुछ निश्चित दिन कुछ घटोकी फेरी लगाना काफी होगा। पश्चिममे जिस प्रकार अस्पताल वगैराके लिए करोडपतियोकी स्त्रियाँ निकल पडती है, उसी प्रकार यहाँ भी वहनें निकल पड़ें।

२. खादीकी किस्म और मूल्य-सूचीवाली पत्रिकाएँ घर-घर वाँटी जायें।

३. गली-गलीमें भाषण दिये जाये।

मैंने तो ये मार्गदर्शक सूचनाएँ दी है। परन्तु जिसे खादीसे प्रेम है और जिसमें खोज करनेकी शक्ति है, वह खादीके स्टाकको खपानेके लिए अन्य अनेक मार्ग ढूंढ निकालेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ७-६-१९३१

४२९. नये नामकी जरूरत

एक अन्त्यजभाई लिखते हैं:[१]

जागृतिके इस युगमें ऐसी भावना स्वाभाविक है। मनुष्यको वह नाम अच्छा नही लगता जिसमे उसकी निन्दा निहित होती है, फिर उसकी उत्पत्ति निर्दोष ही क्यो न हो? एक समय था जव अन्त्यज नाममे किसी प्रकारकी निन्दा नही मानी जाती थी। ढेढ, भंगी नाम वुरे लगते थे। जहाँतक मेरा ख्याल है दलित नाम स्व० स्वामी श्रद्धानन्दजी का दिया हुआ है। पर अव यह नाम भी वुरा लगने लगा है। सच वात तो यह है कि जबतक समाजमें अस्पृश्यताका जहर मौजूद है, तवतक कैसा भी नाम क्यो न हो, कुछ समय वाद उसके वुरा लगनेकी सम्भावना है। इसलिए सही चीज तो जहरको निकाल फेंकना है। हिन्दू समाजको तो इस जहरको बिना

१. पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने 'अन्त्यज' आदि शब्दोंको अपमानजनक मानते हुए गाधीजीसे कोई नया शब्द गढ़नेकी प्रार्थना की थी। 'हरिजन' शब्दके चुनावके लिए देखिए खण्ड ४७, "टिप्पणियाँ" २-८-१९३१ का उप-शीर्षक 'हरिजन'।

किसी शर्तके निकाल फेकना है। पापका प्रायश्चित्त करनेमे शर्तकी जरूरत नही होती। इसके लिए अस्पृश्य भाई-बहनोकी मदद आवश्यक है। किन्तु अन्त्यजेतर हिन्दू समाजके चाहे जितना प्रयत्न करनेपर भी, उस समाजके पापके कारण अन्त्यज भाइयोमे जो बुराइयाँ जड जमा बैठी हैं वे तो विशेषकर उनके अपने प्रयत्नसे ही दूर होगी। इस प्रयत्नमे अन्त्यजेतर हिन्दूकी मददकी आवश्यकता रहेगी। वह मदद धीरे-धीरे मिल रही है, उसकी गति बढ़नी चाहिए। इस सबका विचार करते हुए भी अन्तिम प्रयास अन्त्यजोका होना चाहिए। इस प्रकार मूल वस्तुके सुधारकी आवश्यकता होते हुए भी यदि किसीको अन्त्यज अथवा दलित विशेषणकी अपेक्षा अधिक अच्छा विशेषण सूझे, तो वे मुझे लिखे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-६-१९३१

४३०. एक वहम

एक सस्कारी और अति पवित्र माताके पत्रका सारांश मै नीचे देता हूँ:

> मैंने अपने पुत्रकी मृत्युके बादसे दूध-घी छोड़ दिया है। दाल-भात, रोटी और मट्ठेसे काम चलाती हूँ। ससार फीका लगता है। पर कुछ-न-कुछ सेवा करके दिन बिता रही हूँ। रामायणादि पढ़ती हूँ। परन्तु मनके भीतर कही प्रिय पुत्रकी याद पीडा पहुँचाती रहती है।

इस माताका शरीर कमजोर तो था ही किन्तु अब और ज्यादा कमजोर हो गया है। कहा नही जा सकता कि उनका शरीर टिकेगा या नही। जिस प्रकार मैंने माताके पत्रका साराश ऊपर दिया है, उसी प्रकार मैंने उन्हे जो जवाब दिया है उसका साराश भी यहाँ दिये देता हूँ।[1]

पुत्र मरे या पति, उसका शोक मिथ्या है और अज्ञान है। इसे केवल ज्ञानकी बात समझकर कोई इसकी उपेक्षा न करे, बल्कि हृदयमे स्थान देकर इसपर अमल करे। जहाँ सबको मरना ही है, वहाँ आज या कलका काल-भेद मात्र रह जाता है। उसका शोक क्या करना। मरता तो सिर्फ शरीर है; उसका तो यह स्वभाव है, इसमे आश्चर्यकी कोई बात नही। यह निश्चय है कि उसमे रहनेवाला जीव कभी नही मरता, जीवका स्वभाव अमरता है। इतना निश्चयात्मक ज्ञान होते हुए भी शोक किसलिए?

परन्तु यदि शोक अवश्यम्भावी हो तो क्या उस शोकका निवारण उपवास या खुराककी कमीसे हो सकता है? उससे लाभ किसे होगा? मरनेवालेको? और फिर क्या मरनेवाली देहको या अमर आत्माको? खानेवाली देह तो राख हो चुकी है,

१. देखिए "पत्र: हेमप्रभा दासगुप्तको", २-६-१९३१।

या उसे कीड़े खा रहे हैं। आत्मा तो न खाती है, न पीती है, तो फिर माता या पत्नी खानेमें सकोच क्यो करे?

तात्पर्य यह कि सती स्त्री या माताके कम खानेसे मरनेवालेकी देह या आत्माका कोई सम्बन्ध नही है। देहमुक्त आत्माके कल्याणका इच्छुक, उसकी यादको कायम रखनेवाला व्यक्ति, उपवास करके अपनी इच्छा पूरी नही कर सकता, बल्कि उसके गुणोके अनुकरणसे दोनो बातें साध सकता है, उसके नामपर सोच-समझकर दान करके उसकी स्मृतिको कायम रखनेमें मदद कर सकता है।

तो क्या उपवास और खुराकके संयमका कोई स्थान ही नही है? इस दशामें तो निश्चय ही नही है। खुराकका सयम या उपवास एक मर्यादाके भीतर या तो आत्मशुद्धिके लिए किये जा सकते हैं या रोग-निवारणके लिए। रोगकी बात छोड़ देता हूँ। स्वादेन्द्रियका सयम आत्मशुद्धिके लिए है। यानी खुराकके सयम या उपवास की यह मर्यादा है। झूठ बोलनेका प्रायश्चित्त उपवास नही, उसका प्रायश्चित्त सच बोलनेका व्रत ही है, झूठ बोलनेके लिए जो प्रलोभन हमारे सामने हो, उनका त्याग है। परन्तु जीभ वशमें न रहती हो तो उसके लिए उपवास किया जाये, खुराकका सयम रखा जाये। जिसने सब प्रकारके स्वादको जीत लिया है, वह शरीरको टिकाये रखनेके लिए ही खाता है। उसकी खानेकी चीजें गिनी-गिनाई और नपी-तुली ही होगी। ऐसे स्त्री-पुरुष अन्न-फल औषधिके रूपमें ही ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग यदि और त्याग करे तो पाप करेंगे। क्योकि औषधके रूपमें खानेवाला यदि उतना भी न खाये तो शरीर क्षीण हो जाये; शरीर सेवाका साधन है। जो इस साधनको कमजोर बनाता है, वह चोरी करता है। ऐसे लोग करोड़ोमें विरले ही होते हैं। यह दृष्टान्त देनेका कारण अर्थ समझानेकी भर दृष्टिसे है।

हम प्राकृत देहधारी रोज स्वादकी दृष्टिसे खाते है। तब फिर हमें उपवास करने ही होगे, अन्न लेनेमें भी संयम करना जरूरी होगा। पर ये क्रियाएँ हम स्वादको मारनेके लिए करेंगे। मरनेवालेकी यादमें या किसी दूसरे बहाने ऐसा करनेमें आत्म-वचना है; यह पाप तक हो सकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-६-१९३१

४३१. एक पत्र

बारडोली
७ जून, १९३१

सरदार गरदाने मुझसे २५ अप्रैलको वारडोलीके स्वराज्य आश्रममे मुलाकात की थी। उनके साथ सर कावसजी जहाँगीर, श्री के० एफ० नरीमान, श्री वीमदलाल, रावबहादुर भीमभाई और एक अन्य पारसी मित्र थे। सर कावसजी जहाँगीर और अन्य मित्र उनको वारडोलीके किसानोकी उस जमीनके सिलसिलेमे लेकर आये थे, जिसे असहयोग आन्दोलनके दौरान जब्त कर लिया गया था और जिसे उन्होने खरीद लिया था। सरदार गरदाने शिकायत की कि जनताने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मैंने उनसे कहा कि वे जो भी शिकायत करेगे, मै उसकी पूरी-पूरी जाँच कराकर उनको सन्तुष्ट करूँगा। सभी मित्रोने उनसे अनुरोध किया कि वे उक्त जमीन लौटा दे। सरदार गरदा इस वातपर जमे रहे कि जमीनके लिए अदा किया गया मूल्य अर्थात् ४,५६९ रुपये ही नही बल्कि उस जमीनपर उन्होने जो अतिरिक्त राशि खर्च की अर्थात् ६,००० रुपये वह भी उन्हे मिलनी चाहिए। सर कावसजीने उनको आश्वस्त किया कि उन्हे वह राशि भी मिल जायेगी। इसपर उन्होने कहा कि मै जमीनकी खरीदकी कीमतके अलावा ६,००० रुपयेकी उक्त राशि लेकर शायद जमीन वापस करनेको तैयार हो जाऊँगा, पर उसके लिए मुझे अपने लोगोसे बात करनी पड़ेगी जिसमे दो दिन लगेगे और उसके बाद ही मै कोई अन्तिम उत्तर दे सकूंगा। सरदार गरदाने बातचीतके दौरान कहा कि मेरी खरीदी हुई उस जमीनका मूल्य ठीक चार लाख रुपयेके बराबर है और यदि अधिकारी जोर न देते तो मै उसे नही खरीदता। जाहिर है, यह बात उन्होने गोपनीय रखनेके लिए निजी तौरपर ही कही थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मै लोगोको बतला दूँ कि अधिक सम्भावना इसी बातकी है कि आप जमीन लौटानेको राजी हो जायेगे। उनका उत्तर था जरूर। दो दिन बाद रावबहादुर भीमभाईने सरदार वल्लभभाईके नाम अपने पत्रमे सूचित किया कि सरदार गरदाने उनके पास एक पुर्जा भेजा है कि उन्होने उक्त राशि लेकर जमीन वापस कर देनेका फैसला कर लिया है। सरदार गरदा द्वारा रावबहादुर भीमभाईको लिखे गये पत्रकी एक प्रति सलग्न है। पत्रको समाचारपत्रोमे भी प्रकाशित किया गया था और सम्बन्धित लोगोको समझौतेकी बात यथाविधि बतला दी गई थी। सात मईको सरदार गरदाका जो पत्र मेरे पास आया तथा मैंने उसका जो उत्तर भेज दिया उनकी प्रतियाँ सलग्न है। उसके बाद सरदार गरदाके साथ मेरा अबतक जो पत्र-व्यवहार हुआ है मै उसकी प्रतियाँ भी संलग्न कर रहा हूँ।

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या १६-सी, १९६१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

४३२. पत्र : के० बी० भद्रपुरको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय श्री भद्रपुर,

मैं यह पत्र रासगाँवके मौजूदा मुखियाके सिलसिलेमें लिख रहा हूँ। मैं उसे हटाने और उसके स्थानपर पहलेवाले मुखियाको नियुक्त करनेके प्रश्नको लेकर एकाधिक बार श्री पैरीसे चर्चा कर चुका हूँ और मुझे आशा थी कि अबतक कम-से-कम रासके मौजूदा मुखियाको हटा दिया गया होगा। अब इस मामलेपर फौरन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रासके गैर-धाराला निवासियोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डल मुझसे कल मिलने आया था और उन्होंने शिकायत की है कि वहाँ उनका जीना दूभर होता जा रहा है। पिछले पखवारेमें रासगाँवमें उनके कथनानुसार जो विनाश-लीला चलती रही है, उसका ब्यौरा मैं नत्थी कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी बतलाया है कि सम्पत्तिकी हानि करनेके साथ-साथ व्यक्तियोंको मारा-पीटा भी जाता है। कहनेका मशा यह नहीं कि यह सब हरकतें मुखियाने खुद की हैं, फिर भी उसने अगर शह नहीं दी तो इन चीजोंको जान-बूझकर अनदेखा जरूर किया है। और यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि संलग्न ज्ञापनमें शामिल किये बयानोंमें यदि कोई सचाई है तो फिर गैर-धाराला जातियोंके लोग वर्षा आरम्भ होनेपर अपने खेतोंमें खेती नहीं कर पायेंगे। यह सुझाव पहले भी दिया गया है कि मुखियापदके काम तीन भागोंमें बाँट दिये जाने चाहिए, और प्रत्येककी जिम्मेदारी अलग-अलग तीन व्यक्तियोंको सौंप देनी चाहिए। मैं कहनेकी जरूरत नहीं समझता कि इस तरह काम नहीं चलेगा। मौजूदा मुखिया यदि ठीक आदमी नहीं है तो फिर समझौतेकी शर्तों और आयुक्तकी स्वीकारोक्तिके अनुसार ऐसे व्यक्तिको मुखिया पदसे हटा दिया जाना चाहिए। और चूँकि रासका मौजूदा मुखिया चोरीके मामलेमें सजायाफ्ता आदमी है, इसलिए उसको तो निश्चय ही बहुत पहले हटा दिया जाना चाहिए था। मेरी इस माँगका मेरे उस कथनसे कोई सम्बन्ध नहीं है और न इसका उसपर कोई प्रभाव ही पड़ता है कि समझौतेके अर्थके अनुसार एक निश्चित अवधिके लिए होनेवाली मुखियोंकी नियुक्तियाँ स्थायी नहीं होती। इसलिए यदि आप मुझे यथाशीघ्र यह बतलानेकी कृपा करें कि सरकार इस मुखियाको हटाकर रास-निवासियोंके जान-मालकी हिफाजत करनेका कोई इरादा रखती है या नहीं, तो मैं आपका आभार मानूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री के० वी० भद्रपुर
खेड़ा जिला कलेक्टर, खेड़ा

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क०, फाइल संख्या १६–सी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४३३. पत्र : थॉमस बी० लीको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। ईसाई विज्ञान सम्बन्धी साहित्य तो मेरे पास पर्याप्त है ही। आप मेरे इस कथनका बुरा न माने कि न जाने क्यों, ईसाई धर्मका यह वैज्ञानिक सिद्धान्त मेरे मनमें कोई उत्साह पैदा नही करता। दक्षिण आफ्रिकामें इस ईसाई-पद्धतिके अनेक प्रतिपादकोसे मेरी भेंट हो चुकी है। उनकी बातचीत मुझे आश्वस्त नही कर सकी। और आप ऐसा क्यों कहते है कि अबतक विश्वकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज यही रही है कि वास्तवमें स्वय शरीरमें कोई प्राण या सवेदना नही है? सच तो यह है कि यह कथन अपने-आपमें तर्ककी कोई पूर्ण प्रतिज्ञा नही है। स्पष्ट है कि शरीरका अर्थ यहाँ प्राणहीन शरीर ही है। और यह तो औषध-विज्ञान भी सिखाता है कि प्राणहीन शरीरमें कोई सवेदना नही रहती; प्रत्येक हिन्दू बालक इसे बचपनसे ही जानता है। परन्तु मुझे बहसमें नही पड़ना है। मुझे लगा कि मुझे आपके विस्तृत पत्रका एक तर्क-सगत उत्तर दे देना ही चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री थॉमस बी० ली
स्टर्लिंग रेडियो कम्पनी
कन्सास नगर, मिसौरी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२४८) की फोटो-नकलसे।

४३४. पत्र : माधव रामकृष्ण जोशीको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। कोई भी ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति लोगोमें भेद नही करता। पत्नी, बहन, माता, भाई, अजनबी मित्र या शत्रु कोई भी क्यो न हो, वह बिलकुल निष्पक्ष रहकर सभी स्नेहके पात्र लोगोको स्नेह देता है, और सबके बाद अपने बारेमें सोचता है। वह अन्य सभीकी सेवा कर चुकनेके बाद अपनी चिन्ता करता है, और यह बात तभी सम्भव हो पाती है, जब हमारी ईश्वरपर आस्था हो और हमारी प्रार्थनाके उत्तरमे ईश्वर जो प्रकाश दिखाये, जो मार्ग सुझाये उसका अनुसरण किया जाये।

हृदयसे आपका,

श्री माधव रामकृष्ण जोशी
मारफत जिला काग्रेस कमेटी कार्यालय
आगरा रोड, धुलिया (पश्चिम खानदेश)

अग्रेजी (एस० एन० १७२४९) की फोटो-नकलसे।

४३५. पत्र : तप्पन नायरको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय तप्पन,

आपका पत्र मिला। आपको 'यंग इडिया' के स्तम्भोंको लगनके साथ पढते रहना चाहिए। इससे शायद आपको मदद मिले। आपके फौरी सवालके बारेमे तो मैं यही कहूँगा कि यदि यहाँ आपको ऐसा लगे कि आपके लिए कोई काम नही है तो आप आश्रम लौट सकते हैं। कई लोगोने यही किया है।

हृदयसे आपका,

श्री तप्पन नायर
काग्रेस शिविर
पालघट (मलाबार)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५०) की माइक्रोफिल्मसे।

४३६. पत्र : एच० वी० हॉडसनको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। यदि मैं लन्दन आया तो आशा है हमारी मुलाकात जरूर होगी, और यदि न आ सका तो मेरी इस बातपर विश्वास कीजिए कि उसका कारण मेरी अनिच्छा या मेरी प्रयत्नहीनता नही है; कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनपर मेरा बिलकुल भी बस नही चलता।

हृदयसे आपका,

श्री एच० वी० हॉडसन
१० वुडलेन
हाईगेट, लन्दन नार्थ ६

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५१)की फोटो-नकलसे।

४३७. पत्र : एम० आई० डेविडको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

आपके ९ मईके पत्रके लिए धन्यवाद। मैं आपके कार्य-कलापपर समाचारपत्रोके आधारपर नही, बल्कि आपके समाजकी भावनापर होनेवाली उसकी प्रतिक्रियाके आधार पर बडी ही बारीकीसे लगातार नजर रखे हूँ। भले ही साम्प्रदायिक समस्या हल करना समझौता-समितिके बूतेसे बाहरकी चीज हो, पर यदि वह शान्ति-स्थापनामे सहायक बन सके तो वह एक काफी बडा कदम होगा। आपके एक और कार्य-क्षेत्रके प्रति मेरे मनमे दिलचस्पी पैदा हो रही है। वह है मधुमक्खी पालना और मधु तैयार करना। मैं चाहूँगा कि मधुमक्खीपालन उद्योगका भारत-भरमें चलन हो जाये। प्रश्न यही रह जाता है कि क्या मधु-मक्खीपालन लाभदायक उद्योग बन सकता है। मैंने इस दिशामे कुछ प्रयोग भी किये थे, पर अबतक सफलता नही मिल पाई है। यदि आप ऐसे कुछ तरीके निकाल सके, जिनसे गरीब लोग भी इसे अपना सके तो सारी जनता आपका बड़ा आभार मानेगी।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४ क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५२)की फोटो-नकलसे।

४३८. पत्र : एस्थर मेननको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

एक लम्बे अर्सेसे, महीनोतक इन्तजार करानेके बाद आखिर तुमने पत्र लिख ही दिया। मेननको अबतक डिप्लोमा नही मिला। यह अफसोसकी बात है। एक मित्रने मुझे लिखा था कि इस असफलतासे तुम काफी निराश हो गई हो। मै तुमको जिस रूपमें जानता हूँ, उसे देखते हुए यह बात तुम्हें शोभा नही देती। तुम तो ईश्वर और उसके मगलकारी स्वरूपपर जीवन्त आस्था रखती हो, इसलिए तुमको बडी-से-बडी असफलता या विपत्तिसे भी विचलित नही होना चाहिए। हम नही जानते कि हर असफलता सचमुच ही दु खजनक है और न यही जानते है कि हर विपत्ति सचमुच ही कोई दण्ड है। क्या हम बहुधा यह नही देखते कि समृद्धि और सफलता लोगोके विनाशका कारण बन जाती है और असफलताएँ तथा विपत्तियाँ उनको शुद्ध तथा सयत बना देती है?

मै नही जानता कि मै लन्दन जाऊँगा या नही। यदि गया तो निस्सन्देह डेन्मार्क जाना भी पसन्द करूँगा और यदि डेन्मार्क गया तो तुमसे न मिलना कैसे पसन्द करूँगा। लेकिन एक इतनी दूरकी सम्भावनाके बारेमे अनुमान लगानेसे कोई लाभ नही।

मारिया जब-तब मुझे लिखती रहती है।

इतना लिखाते-लिखाते मुझे एक दूसरा पत्र भी मिल गया है जिसमें तुम्हारा अधिक आत्मीयतापूर्ण उल्लेख किया गया है। यह पत्र डॉ० हेनिंग डाल्सगार्डका है। उन्होने पत्रमें लिखा है कि तुम प्रसन्न हो, परन्तु उन्होने मुझसे पूछा है कि क्या मै मेननके लिए कुछ कर सकता हूँ। परन्तु कोई स्पष्ट बात सूझ नही रही है। क्या तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव है? यदि हो, तो मुझे लिखनेमें सकोच मत करना और यदि मै उस दिशामे कुछ करनेकी स्थितिमें हुआ तो तुम जानती ही हो कि मै अवश्य करूँगा।

श्रीमती एस्थर मेनन
एम०, क्वैस्ट हाउस
सैली ओक
नॉर्थ बरमिंघम (इग्लैंड)

अग्रेजी (एस० एन० १७२५४)की फोटो-नकलसे।

४३९. पत्र : डॉ० हेनिंग डाल्सगार्डको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

'इटरनेशनल पीपुल्स कालेज' की ओरसे भेजे गये औपचारिक पत्रकी पुश्तपर लिखी आपकी टिप्पणी मैंने बड़ी ही दिलचस्पीके साथ पढ़ी। प्रोफेसर मैग्निचेको लिखे मेरे उत्तरसे आपको मालूम हो जायेगा कि डेन्मार्क जानेकी बात तो दूर, अभी मेरा लन्दन जाना ही अनिश्चित है।

मैं चाहूँगा कि मेननके बारेमें आप अधिक स्पष्ट लिखें। लेकिन अब चूँकि आपने उनका उल्लेख किया ही है, इसलिए मैं उसकी जरूरतोंके बारेमें एस्थरसे पूछ रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० हेनिंग डाल्सगार्ड
प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
एल्सीनोर, डेनमार्क

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५३)की फोटो-नकलसे।

४४०. पत्र : रामसेवक शुक्लको

७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आप अपनी ईजाद[1]का पूरा ब्यौरा पूरी तरह समझाकर लिख दें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (एस० एन० १७२५५)की माइक्रोफिल्मसे।

१. एक नई तरहकी तकली।

४४१. पत्र : श्रीराम शर्माको

स्थायी पता, साबरमती
७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपने अपने पत्रमें जिन विषयोंकी चर्चा की है उनके बारेमें आपको असलमें प्रान्तीय काग्रेस कमेटीके पदाधिकारियोंके साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए जिससे कि एक-सी नीति अपनाई जा सके। 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें तो मैं आम सिद्धान्तोंकी ही चर्चा कर सकता हूँ और अन्यायके स्पष्ट मामलोंकी ओर सरकारका ध्यान दिला सकता हूँ। आप भी मानेंगे कि इससे आगे जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत् श्रीराम शर्मा
महामन्त्री, जिला काग्रेस कमेटी
रोहतक (पंजाब)

अग्रेजी (एस० एन० १७२५६) की माइक्रोफिल्मसे।

४४२. पत्र : अम्तुस्सलामको

८ जून, १९३१

प्रिय अमतुल,

अपनी गलत-सलत अग्रेजीसे परेशान होनेकी जरूरत नहीं। लेकिन हिन्दी लिखना तुझे जल्द ही सीख लेना चाहिए। तू अगर साफ लिखावटमें उर्दू लिखे तो मैं पढ सकता हूँ। तुझे थोडेमें बात कहनेकी खूबी पैदा करनी चाहिए।

सस्नेह,

बापू

अग्रेजी (जी० एन० २४०)की फोटो-नकलसे।

४४३. पत्र : पद्माको

८ जून, १९३१

चि० पद्मा,

तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है। यह तो बहुत ही बढ़िया खबर है। अब क्या संयुक्त प्रान्त जानेका इरादा छोड दिया है? खूब आराम करके अच्छी हो जाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६१२०) की फोटो-नकलसे तथा सी० डब्ल्यू० ३४७२ से भी।
सौजन्य: प्रभुदास गांधी

४४४. पत्र : शारदाबहन चि० शाहको

मौनवार, ८ जून, १९३१

चि० शारदा,

तेरे इस बारके अक्षर अच्छे कहे जा सकते है। अभी भी सुधारकी गुजाइश है। क्या लिखे, यह क्यो नही सूझता? क्या किया, क्या देखा, यह नही लिख सकती?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९०३) से।
सौजन्य: शारदाबहन जी० चोखावाला

४४५. पत्र : कान्ति पारेखको

मौनवार, ८ जून, १९३१

चि० कान्ति,

तुम्हारे पत्रका जवाब इस प्रकार है। प्रेमके दो अर्थ हैं—एक मोह और दूसरा अहिंसा। स्त्री-पुरुषके बीच प्रेम अधिकतर मोहका रूप ही धारण करता है। इसलिए वह त्याज्य है और वह सर्वव्यापी भी नही हो सकता। एक पुरुष अनेक स्त्रियोसे विवाह करे या एक स्त्री अनेक पुरुषोसे विवाह कर ले, तो ससार नष्ट हो जाये। अहिंसा रूपी प्रेम ही सर्वव्यापी होता है और उसे सीखनेके लिए स्त्री-पुरुषोको एक-दूसरेके प्रति मोहजनित प्रेम छोड़ ही देना चाहिए। संसार-चक्र इस मिश्रित प्रेमसे ही चलता है और चलता रहेगा। इसीलिए स्वार्थ और परमार्थ दोनो सग-संग चलते

है। मैंने शुद्धतम प्रेमके बारेमें लिखा है। आदर्श समझ ले तो उससे शुद्ध व्यवहार करना सीख सकते है। आदर्शको व्यवहारके अनुसार ढालने लगे तो दोनो सरल हो जाये। इसमे कुछ समझमें न आया हो, तो फिर पूछना। तुम्हारा पत्र इसके साथ है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ६२६९) की फोटो-नकलसे।

४४६. पत्र : नारणदास गांधीको

[वारडोली
८ जून, १९३१][1]

चि० नारणदास,

तुम्हारे तीन पत्र एक साथ मिले है। मै आज शामको बम्बईके लिए रवाना होऊँगा। आज पण्डित जवाहरलाल मिलने आये है। मेरे साथ ही वापस आयेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो है ही। देवदासने उनके बारेमें एक सुन्दर लेख 'यंग इडिया'[2]के लिए लिखा है। उसे पढना। लीलाघरका क्या हुआ? उसकी कुछ मदद की जा सके तो करे। विट्ठलको तो लिखूंगा ही।

फिलहाल तो भगवानजी का मामला ठिकाने लगा ही समझें। उसका मन असमजसमें नही है, बल्कि बहुत अस्थिर है। जिनसे बाहरका काम ठीक न होता हो, उन्हे आश्रममें वापस चला जाना चाहिए ऐसा मैंने छगनलालको लिखा जरूर है। सुरेन्द्रको जो पत्र लिखा है, उसके बारेमें वह तुम्हे समझायेगा। शायद तुम्हे उसकी नकल भी भेजे।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

मै ११ तारीख शामको बम्बईसे चलकर १२ तारीख शामको बोरसद पहुँचूंगा। इसलिए ११ की डाक सूरत भेजोगे, तो मुझे वहाँ मिल जायेगी।

चि० इन्दु वहाँ था फिर लौटकर आ रहा है। उसका ध्यान रखना। वह कान्ति पारेखका भाई है। वह स्वभावका स्नेही और खिलाड़ी भी है। सीधा है। उससे बराबर काम लेना। अध्ययन तो करता ही रहे।

बापू

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो : श्री नारणदास गांधीने

१. देवदास द्वारा अब्दुल गफ्फार खाँपर लिखे गये लेखके उल्लेखसे। गांधीजी ८ जूनको बारडोलीसे बम्बईको रवाना हो गये; देखिए अगला शीर्षक।

२. ११-६-१९३१ के अंकमें।

४४७. पत्र : नारणदास गांधीको

बम्बई जाते हुए
८ जून, १९३१

चि० नारणदास,

अकलेश्वरसे १–४–१९३०को भेजे गये रुपये ५४३–४–० खादी खातेमें डाल देना और खादी-कार्यके लिए अकलेश्वरके छोटुभाई गाधीको भेज देना। उनसे खर्चका हिसाब लिख भेजनेको कहना।

छोटुभाईका पता है: ताल्लुका समिति।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

४४८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

८ जून, १९३१

भाई घनश्यामदास,

आपका पत्र मिला। शूस्टर[1] पर खत भी मिला। उसे पढ लुगा। समय तो बारीक है हि और बारीक होता जायगा। यदि हम पारमार्थिक दृष्टिसे काम लेगे तो इसमे से भी परिणाम अच्छा आ सकता है।

सेनगुप्ताने पच बनानेकी बात मान ली है। अब इलेक्शन मोकुफ करनेकी बात छोड़ दी है। अब तो मै कल हि मुवई पहोच जाउगा उमेद है दोनो[2] आ जायगे।

बापू

सी० डब्ल्यू० ७८८९ से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिडला

१. सर जॉर्ज शूस्टर, जो उस सम वाइसरायकी परिषद्में राजस्व सदस्य थे।
२. जे० एम० सेनगुप्त और सुभाषचन्द्र बोस।

४४९. भाषण : बम्बईमें

१० जून, १९३१

आज सुबह प्रभातफेरियाँ फिर शुरू कर दी गईं। लगभग पचास कांग्रेस सदस्य आज सुबह साढ़े पाँच बजे चौपाटी मैदानमें एकत्र हुए और बम्बई कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष श्री के० एफ० नरीमानके नेतृत्वमें सबसे पहले गांधीजी के निवास मणिभवन उनका आशीर्वाद लेने गये।

गांधीजीने छज्जेपर खड़े होकर जुलूसमें शामिल लोगोंको सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि आपको अपनी प्रभातफेरी नित्य ही सूर्योदयसे पहले पूरी कर लेनी चाहिए और ईश-प्रार्थना तथा देशभक्तिके गिने-चुने भजन गाते चलना चाहिए। ऐसे आपत्तिजनक गीत नहीं गाने चाहिए जो कांग्रेसके आदर्शोंसे मेल न खाते हों।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १०-६-१९३१

४५०. टिप्पणियाँ

कांग्रेसका पदाधिकारी कौन हो सकता है?

सिन्धके एक भाई पूछते हैं:

१. क्या विदेशी सिगरेट और तम्बाकूका व्यापारी कांग्रेस-कमेटीका प्रधान बन सकता है?

२. क्या विदेशी कपड़ेके व्यापारी कांग्रेस कमेटीके उप-प्रधान और कोषाध्यक्ष बन सकते हैं?

३. क्या विदेशी कपड़ेके व्यापारियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला व्यक्ति कांग्रेस कमेटीका मन्त्री बन सकता है?

सवाल बड़े गलत ढगसे पूछे गये हैं। यदि पत्र-लेखकने पूछा होता कि अमुक आदमीको पदाधिकारी बनना चाहिए या नही, तो मै अपनी राय उसके गुण-दोषोका विचार करके दे सकता था। परन्तु जब वह पूछते हैं कि अमुक किस्मका आदमी पदाधिकारी बन सकता है या नही, तो वह काग्रेसके सविधानके लोकतन्त्रीय स्वरूपके विषयमे अपने अज्ञानका ही परिचय देते हैं। कोई शराबी या दुश्चरित्र व्यक्ति भी, यदि उसके मतदाता उसे चुने तो काग्रेस कमेटीका प्रधान या मन्त्री बन सकता है। परन्तु हम यह मान सकते हैं कि यदि मतदाता शराब न छूनेवाले और चरित्रवान होगे, तो वे शराबी या दुश्चरित्र व्यक्तिको नही चुनेगे। इसी प्रकार यदि उनमे स्वदेशी

के प्रति पूरी-पूरी श्रद्धा होगी, तो वे किसी ऐसे आदमीको नही चुनेंगे जो विदेशी कपडे या आजकल भारतमें भी बननेवाले विदेशी मालका व्यापार करता हो। जहाँतक राष्ट्रको हानि पहुँचानेवाली जैसे कि शराब और नशीली चीजो वगैराका सवाल है, काग्रेसवाले उनमे विदेशी और स्वदेशीका कोई भेद नही करेगे। हानिकर चीजे, स्वदेशी हो या विदेशी, त्याज्य ही समझी जानी चाहिए।

खादीके रूपमें मिलका मोटा कपड़ा

अनेक स्थानो, मद्रास, बगाल और बम्बई प्रान्तो व दूसरी जगहोसे शिकायते आ रही है कि मिलका मोटा कपडा खादी कहकर बेचा जा रहा है और यद्यपि काग्रेसके साथ करार हो जानेके बादसे मिल-मालिक थानोपर खादीके लेबल तो नही चिपकाते है पर उनकी मूल्य-सूचीमे और अन्यत्र मोटे कपडेको खादी कहा जाता है। अगर यह बात सच है तो यह स्पष्ट ही काग्रेसके साथ हुए करारका उल्लघन है। काग्रेसके आन्दोलनके कारण मिलोको जो लाभ हो रहा है, उन्हे उसपर सन्तोष करना चाहिए। लेकिन अगर वे लोभवश अवैध रूपसे, किसी भी ढगसे और किसी भी स्तरपर अपने मालके लिए 'खादी' नामका उपयोग करेगे, तो यह उस लालची आदमीकी नकल करने जैसा होगा जिसे मुफ्त नारियल पानेके लालचमें अपनी जानसे हाथ धोना पड़ा था।

स्वराज्य भवन अस्पताल

श्री मोहनलाल नेहरू लिखते है :[1]

दानकी इस राशिमे नैनीतालमें मिली राशि शामिल नही है, जो इस स्तम्भमें यथासमय प्रकाशित की जायेगी।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५१. मेरी श्रद्धा

एक बगाली भाईने, आवश्यकता पड़नेपर अपना नाम और पता भी छाप देनेकी स्वीकृतिके साथ, मुझे जो लम्बा पत्र लिखा है, वह सक्षेपमे मैं नीचे देता हूँ :

> भगतसिंह और उनके साथियोके बारेमे बहुत कुछ कहा गया है, फिर भी अभीतक मुझे यह समझनेमे कठिनाई हो रही है कि कराची काग्रेसका उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव पास करना किस हदतक बुद्धिमानीका काम था।
>
> भगतसिंह विषयक आपके वचनोका और उनकी स्तुति करनेवाले कराचीके प्रस्तावका दुरुपयोग करके यहाँ कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ अपना मतलब गाँठ लेने

१ पत्र यहाँ नही दिया जा रहा है। उसमें दानकर्त्ताओंकी सूची दी गई थी। दानकी अपीलके लिए देखिए "इलाहाबाद काग्रेस अस्पतालके लिए अपील", १४-५-१९३१।

और आपके प्रभावको नष्ट करनेके लिए जो तरह-तरहके विचित्र और छिपे प्रयत्न करते हैं, मुझे लगता है कि मैं उनका वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता।

१. वे आपपर आरोप लगाते हैं कि आपने प्रस्तावमें शब्दोंका प्रयोग बड़ी कृपणताके साथ किया है। वे लोग नौजवानोंके मनपर यह असर डालनेकी कोशिश करते हैं कि आपके दिलमें उन अभागे लोगोंके लिए सच्ची सहानुभूति बिल्कुल ही नहीं थी, और नौजवानोंके तीव्र आन्दोलनका सामना न कर सकनेके कारण लाचार होकर, और पण्डित जवाहरलालको खुश करनेके लिए ही आपने उस प्रस्तावका समर्थन किया और भगतसिंह तथा उनके साथियोंकी प्रशंसा की।

२. वे आपके प्रामाणिक और निष्कपट होनेपर शंका करते हैं। और आपके (तथा आपके कार्यके) कमतर बतानेके लिए बंगालमें छिपे तौरपर ऐसे विचार फैलानेकी कोशिश कर रहे हैं कि आपने कराचीमें भगतसिंह सम्बन्धी प्रस्तावपर तो सक्रिय सहानुभूति प्रकट की, परन्तु फरीदपुर परिषद्में गोपीनाथ साहा[1]की स्तुति करनेवाले प्रस्तावको पास करनेकी जिम्मेदारीके लिए स्वर्गीय देशबन्धुदासकी कड़ी आलोचना की थी, जब कि गोपीनाथ साहाको भी भगतसिंहकी तरह ही फाँसी दी गई थी। वे यहाँतक कहते हैं कि आप प्रान्तीय पक्षपातसे मुक्त नहीं हैं, वे लोग बंगालमें प्रान्तीय भावनाको उकसाकर आपके प्रभावको घटानेके हर अवसरका लाभ उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस कामके लिए भगतसिंह और उनके साथियोंकी जानें गईं, उसी कामके लिए इस साल बंगालमें बहुतसे बंगाली नौजवानोंने अपने प्राणोंकी बलि दी है। बंगालमें इस प्रकार जो लोग मरे हैं, उनमें विनय बोस और उसका साथी, चटगाँव-शस्त्रागारको लूटनेवाले लोग वे २१ लड़के जो जलालाबादकी पहाड़ियोंपर ब्रिटिश फौजके साथ लड़ते हुए वीरगतिको प्राप्त हुए, और जिनका पराक्रम आपकी कल्पनासे कहीं अधिक साहसपूर्ण एवं काव्यमय था—शामिल हैं। परन्तु कैसा आश्चर्य है कि इनमें आपको काव्य नहीं दिखाई दिया, आपके मुँहसे सहानुभूतिका एक शब्द भी न निकला। ऐसे छलपूर्ण ढँगसे उनकी प्रान्तीय भावनाको जगानेपर उनकी आपमें और आपकी अहिंसात्मक प्रणालीमें श्रद्धा शेष नहीं रहती।

भगतसिंह विषयक प्रस्ताव मैंने तैयार किया और पास करवाया, उसके औचित्यके बारेमें मैं अपनी शंका प्रकट कर चुका हूँ किन्तु यह इसलिए नहीं कि उक्त प्रस्ताव तात्विक दृष्टिसे ठीक नहीं था। बल्कि मैंने ऐसा उस गलतफहमीकी खातिर किया था जो उसकी वजहसे पैदा हुई है। परन्तु पाठकोंको यह जान लेना चाहिए कि उक्त प्रस्ताव पेश करनेके लिए मैं न तो नौजवानोंके भयसे प्रेरित हुआ था और न उसमें मेरा उद्देश्य पण्डित जवाहरलालको खुश करनेका ही था। नौजवानोंके आगे झुकने और पण्डित जवाहरलालको खुश करनेमें मुझे शर्म आती हो, सो बात भी नहीं है।

१. देखिए खण्ड ४२, पृष्ठ २३५-६।

नौजवानोके आगे झुकनेसे यदि देशकी भलाई होती हो, और सिद्धान्तकी हत्या न करनी पड़ती हो, और फिर भी मै उनके सामने न झुकूँ तो मै मूर्ख माना जाऊँ। और पण्डित जवाहरलालको प्रसन्न रखने और उनके उस असीम प्रेमको, जिसका पात्र होनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है, बनाये रखनेके लिए तो मै बहुत कुछ करनेके लिए तैयार हो जाऊँगा। परन्तु इस मामलेमें मुझे ऐसी किसी प्रेरणाकी आवश्यकता ही नही थी। भगतसिंह और उनके साथियोंकी फाँसीकी सजा घटानेके लिए आन्दोलनमें मैंने दिलचस्पी ली थी। उस काममे मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उस करुण कथाके सूत्रधारके जीवनका मुझे इसीलिए अध्ययन करना पडा। उनके भक्त-पितासे और दूसरे लोगोसे, जो भगतसिंहसे, उनके कृत्यके कारण नही, बल्कि उनकी सच्चरित्रता के कारण स्नेह रखते थे, मुझे परिचय प्राप्त करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार स्वाभाविक रूपसे मै उस प्रस्तावकी दिशामे बढता चला गया। मै इतना भावनाशून्य व्यक्ति नही हूँ कि जिन सयोगोमे सहानुभूतिकी जरूरत हो, उनमें भी मेरा हृदय न पसीजे।

अतएव अगर उक्त बंगाली युवकोमे से किसीके लिए दिलचस्पीके साथ काम करना मेरे लिए आवश्यक हो गया होता और अगर मेरी यह कल्पना होती कि मै उनके लिए अपनी शक्ति-भर कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने उतनी ही तत्परताके साथ उनके मामलेमे भी जान लड़ाई होती। मै मानता हूँ कि मुझमे प्रान्तीय पक्षपात रखनेकी शक्ति ही नही है। मुझे जितना पजाब प्रिय है उतना ही बगाल भी प्रिय है। और, बगालसे युवावस्थामे मुझे जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए तो मै उसका खासतौरपर ऋणी हूँ। यह सच है कि गोपीनाथ साहा विषयक प्रस्तावके बारेमें, किस वस्तुपर जोर दिया जाये, इस बातको लेकर देशबन्धुके और मेरे बीचमें मतभेद हो गया था।

मेरी समझमें तो गोपीनाथ साहा सम्बन्धी मेरा प्रस्ताव[1] कराचीवाले प्रस्तावसे तत्वतः भिन्न नही था। फिर भी पाठक यह जान ले कि हमारे दरम्यान चाहे जो मतभेद रहे हो, तो भी देशबन्धुके साथ मेरी मित्रता सदा कायम ही रही। वस्तुतः उनके स्वल्प जीवनके अन्तिम दिनोमे तो हम अपने आदर्शो और उनतक पहुँचनेके तरीकोके बारेमे एक-दूसरेके बहुत ही नजदीक पहुँच चुके थे।

इसलिए यह जानकर मुझे दु.ख होगा कि बगालमे मेरे विरुद्ध, थोडा-बहुत ही क्यों न हो, गुप्त प्रचार-कार्य होता है। बगालमे मेरे बहुतेरे कीमती साथी हैं। मै चाहता हूँ कि उनकी सख्या बढती रहे। बगालके नवयुवकोका सहयोग कितना बहुमूल्य है, मै इसे जानता हूँ। मुझे उनकी और जिस देशपर उन्हे इतनी अधिक भक्ति है,—यह दु.खकी बात है कि कभी-कभी यह भक्ति अन्धभक्ति होती है—उस देशकी खातिर उनके इस सहयोगकी जरूरत है। बिला वजह किसी प्रकारका पूर्वग्रह रखकर उन्हे एक सच्चे सेवककी सेवासे हाथ नही धो बैठना चाहिए। अगर देशके नौजवानोपर मेरा कुछ भी प्रभाव हो, तो उस कीमती पूँजीका उपयोग मै मातृभूमि

१. देखिए खण्ड २४, पृष्ठ २७२-७६।

की स्वतन्त्रताके लिए करना चाहता हूँ। अतः मुझे प्रसन्नता है कि पत्र-लेखकने मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनेका अवसर दिया। बंगालके या किसी भी प्रान्तके युवकों पर मेरा प्रभुत्व कायम रहे या न रहे, मुझे तो उच्च स्वरमें अपनी धार्मिक श्रद्धाका ऐलान करना ही होगा। भारतवर्षके भूखों मरनेवाले करोड़ोंकी मुक्ति सत्य और अहिंसा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५२. भूल सुधार

२८ मई, १९३१ के हिन्दी नवजीवनमें 'संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे' शीर्षक लेख[1] की एक भूलकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है, जो दुर्भाग्यसे उसमें रह गई है। उक्त लेखके पाँचवें अनुच्छेदकी ग्यारहवीं पंक्तिमें 'अठन्नी या चवन्नी' शब्द हैं। वहाँ 'चवन्नी' के स्थान पर 'बारह आना' होना चाहिए था। मुझे इस भूलके लिए खेद है, परन्तु मुझे आशा है कि इसके कारण किसीको भ्रम नहीं हुआ होगा। क्योंकि लेखकी पूर्वोक्त पंक्तियोंको देखते हुए ऐसे शककी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५३. अस्पृश्यताका विष

हिन्दू धर्मके सभी प्रेमियोंको नीचे लिखा पत्र पढ़कर हर्षके साथ-साथ दुःख भी अवश्य ही होगा।[2]

अपनी बहादुरी और दृढ़ताके लिए श्री सुबानागौंडर बहुत ही धन्यवादके पात्र हैं। मैं उन्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि वे अपने गाँवके अस्पृश्योंकी रक्षा करते हुए अपने सिर हर तरहकी जोखिम उठायें, और फिर भी गाँववालोंके लिए दिलमें थोड़ा भी वैरभाव न रखें। अन्तमें वे देखेंगे कि गाँववाले उन्हें सतानेसे बाज आ गये हैं। पहले तो लोग उनकी भलमनसाहतको कमजोरी मानेंगे, परन्तु बादमें वे उसकी तहमें छिपी हुई शक्तिके दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि वे उनके प्रति नम्र और क्षमाशील हैं, और फिर भी अस्पृश्योंकी रक्षा करनेमें पहाड़की तरह

१. देखिए "संयुक्त प्रान्तके किसानोंसे", २३-५-१९३१।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें अस्पृश्योंको अपने कुएँसे पानी भरने देनेके कारण जिला कोयम्बतूरमें कुगालुर निवासी एक कर्मठ कार्यकर्त्ता सुबानागौंडरको उनके गाँववाले कितना परेशान कर रहे थे, इसका वर्णन था।

अटल है, तो उन्हें फौरन ही अपनी भूल नजर आने लगेगी। जैसे-जैसे समय बीतेगा, गाँववालोके साथ लोगोकी हमदर्दी नही रहेगी। और श्री सुबानागौडरको जनताकी सक्रिय सहानुभूति और सहायता प्राप्त हो जायेगी। शर्त सिर्फ यही है कि उन्हे अपने सर्वस्वकी कुर्बानीके लिए तैयार हो जाना चाहिए: गाँववालोके पापपूर्ण बहिष्कार के कारण यदि मजदूर भडक ही जाये, तो उन्हे अपने खेत बिना जुते ही पड़े रहने देनेको तैयार रहना चाहिए। उनको साथ देनेवाले उनके चार मित्र है, इस समाचारसे मुझे कुछ आश्वासन मिलता है। परन्तु इन मित्रोको खो बैठनेपर भी उन्हे अपने सकल्पको पूरा करनेकी तत्परता रखनी चाहिए, क्योकि मेरा विश्वास है कि वे जो-कुछ खोयेगे, सो प्राप्त करनेके लिए ही। ईश्वर जिसे आशीर्वाद देना चाहता है, कभी-कभी उसकी पूरी-पूरी परीक्षा करता ही है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१.

४५४. इसका नाम है दरिद्रता

सिन्धके देश सेवा मण्डलने सिन्धके भीलोकी आर्थिक स्थितिके सम्बन्धमें एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की है। उसमे जयरामदास दौलतरामके दो लेख है, जो उन्होने सिन्धके थरपारकर जिलेमे रहनेवाले भीलोकी स्थितिकी खुद जाकर सावधानी के बाद लिखे है। यह अचल एक मरुभूमि है। श्री जयरामदास लिखते है।

> **रेगिस्तानमें खेती करना, कुदरतके विरुद्ध घनघोर लड़ाई ठानना है। . . . इस हिस्सेमें खेतीकी पैदावार फी एकड़ ५ रु० से ज्यादा नहीं होती। और यह भी नहीं कि हर साल किसान सब जमीन जोतता हो। . . . रेतीली जमीन, कम बारिश, टिड्डियोंका त्रास और अनाजके सस्ते भाव; इस हालतमें उनका खातेदारोंके लिए डूबनेसे बच सकना कठिन है। . . . मैंने सब प्रकारके भील देखे है, वे इनेगिने लोग जो फिलहाल कर्जदारीसे मुक्त है; वे लोग जो हमेशासे कर्जदार है और आधापेट खाकर जीते है, और वे लोग जिन्हें गरीबीसे ऊपर उठकर कभी अच्छे दिन देखनेकी आशा ही नहीं है। यहाँ कुछ गाँवोंके बारेमें थोड़ी निश्चित बातें[1] पाठकोके सामने रखना ही सबसे अच्छा है।**

इन लोगोको बरसोतक ऐसी जमीन जोतनेके लिए मिलनी चाहिए, जिसका लगान माफ हो। ऐसे लोगोके लिए ही मैंने मुफ्त नमककी माँग पेश की थी, और मै जानता हूँ कि हमारी बातचीतके अन्तमें नमक सम्बन्धी छूट देते हुए लॉर्ड इर्विनको आनन्द हुआ था। मै आशा रखता हूँ कि सारे देशके कार्यकर्त्ता आधेपेट जीनेवाले ग्रामवासियोतक मुक्त नमकका सन्देश पहुँचायेगे और ऐसे नमकके क्षेत्र खोज निकालेंगे,

१. यहाँ नहीं दी जा रही हैं।

जो सामुदायिक उत्पत्तिके लिए नही तो कमसे-कम गाँवकी जरूरतके लिए उपयोगी होगे। वे ये ही लोग है जिनके लिए चरखा आशा और सुखका सहारा है, ग्रामीण अर्थशास्त्र उद्योगप्रधान अर्थशास्त्रसे भिन्न है। मानवीय अर्थशास्त्र और केवल जड-प्रकृतिके शोषणका अर्थशास्त्र एक ही नही है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५५. असममें किसानोंकी परिस्थिति

असम एक भयंकर आर्थिक संकटकी चपेटमें आ गया है। उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, दारांग और नौगाँव, गोलपाड़ा और कामरूप सभी जगहोंसे इस अभावके फलस्वरूप रैयतपर टूटनेवाली मुसीबतों और दुःख-दर्दकी कहानियाँ सुननेको मिल रही है। हजारो लोग आम तौरपर मैमनसिंहसे आनेवाले लँगोटीके नामपर कुछ चिथड़े ही पहने हुए प्रवासियोके जत्थेके जत्थे . . . भीख माँगनेके लिए गोलपाड़ा और धुबरी नगरोंकी ओर भाग रहे है। . . .।

गोलपाड़ा और शिवसागरमें, नौगाँव और उत्तर लखीमपुरमें गत कुछ वर्षोंसे हर वर्ष बाढ़ोके कारण बार-बार फसले चौपट होती रही है। पिछली जुलाईमें भूकम्पकी एक और विपत्ति भी आई थी। . . .

इस आर्थिक मन्दीकी चपेटमें पड़कर अब हर जगहसे लगानकी माफीके लिए आवाजें उठने लगी है। . . .

लगता है कि सरकार अबतक अपने दिमागसे असहयोगके भूतको नहीं निकाल सकी है। . . . वह किसानोंकी लगान-अदायगीकी असमर्थताको उनकी अनिच्छा मान बैठी है और अब वह किस्त अदा करनेकी आखिरी तारीखतक तरह-तरहके अप्रत्यक्ष दबाव डालकर उस अनिच्छाको तोड़नेपर तुल गई है।

उपयुक्त प्रतिवेदन[1] असम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने भेजा है। यदि प्रतिवेदनमे स्थितिका बिलकुल ठीक-ठीक विवरण है, तो स्पष्ट ही लगानमाफीका पूरा-पूरा औचित्य है, और प्रतिवेदनमे कही गई बातोकी सत्यतापर सन्देह करनेका कोई कारण दिखाई नही पड़ता।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

१. अंशतः उद्धृत।

४५६. जब स्वराज्य होगा

मदुरासे एक ब्राह्मण सज्जन लिखते हैं :[1]

श्री सेनगुप्तने अपनी यात्राके दिनोंमें कहा था कि स्वराज्य सरकार ब्राह्मणोंको कुचल डालनेके कानून बनायेगी; उन्होंने कराची कांग्रेसके प्रस्तावोंका भी जिक्र किया था। इसकी वजहसे अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुत ज्यादा चिन्तित हो गये हैं, और सनातनी हिन्दुओंके मनमें भी भय पैदा हो गया है। इसलिए कृपाकर बताइयेगा कि आप और कांग्रेस

१. प्रस्तावमें अस्पृश्यताके विषयमें जो कुछ कहा गया है उसका क्या अर्थ करते हैं?

२. तथा प्रस्तावमें प्रयुक्त इन शब्दोंका कि स्वराज्यमें सरकार धार्मिक मामलोंमें निष्पक्ष रहेगी, का ठीक-ठीक क्या अर्थ करते हैं?

मैं नही मानता कि श्री सेनगुप्तने यह कहा होगा कि स्वराज्य सरकार ब्राह्मणोको कुचल डालेगी। कांग्रेसका प्रस्ताव बिलकुल स्पष्ट है। पत्र-लेखक सज्जन भविष्यकी आशंकासे नाहक घबरा उठे हैं। वह भविष्य जितना श्री सेनगुप्तके या मेरे हाथमे है, उतना ही उनके भी हाथमे है। यह भी याद रहे कि काग्रेसका प्रस्ताव अभी सविधानका अग नही बना है। जब बनेगा, तब मुझे या किसी औरको उसका अर्थ बतानेकी जरूरत न रहेगी। उसका अर्थ तो कानून द्वारा स्थापित अदालते विधिवत् करेगी।

परन्तु धार्मिक निष्पक्षता और अस्पृश्यता सम्बन्धी कांग्रेसके प्रस्तावका जो अर्थ हो सकता है, उसके बारेमे मैं अपनी राय खुशीसे देता हूँ। किसी भी भावी सविधानमे उक्त प्रस्तावको स्थान मिले बिना न रहेगा क्योकि उसके बारेमे किसी भी प्रकारका मतभेद नही है। सच पूछा जाये तो ऐसा मालूम होता है कि यह पत्रलेखक भी, काग्रेस जितना चाहती है, उतना देनेको तैयार है। धार्मिक निष्पक्षताका मतलब यह है कि सरकारका कोई भी राजधर्म नही होगा, न कोई विशेष पक्षपातका तरीका ही होगा। अस्पृश्यता मिट जायेगी। 'अस्पृश्यों'को किसी भी दूसरे मनुष्यके बराबर ही हक मिलेगे। परन्तु ब्राह्मणको इस बातके लिए मजबूर न किया जायेगा कि वह किसी दूसरेको छुए ही। उसे स्वय अस्पृश्य बनने, अपने कुएँ, अपने मन्दिर, अपनी शाला और दूसरी तमाम चीजे जो वह रख सकता हो, तबतक रखनेकी छूट होगी, जबतक वह उनका उपयोग पडोसियोके मार्गमे बाधा डाले बिना करेगा। परन्तु जैसा कि कुछ लोग आजकल करते हैं, अन्त्यजोको सार्वजनिक रास्तोपर चलनेकी, सार्वजनिक कुओंका उपयोग करनेकी हिम्मत करनेके लिए सजा नही दी जा सकेगी।

१. अंशतः उद्धृत।

सार्वजनिक मन्दिरोमे जानेकी छूट दूसरे सब हिन्दुओको हो, और अन्त्यजोंको न हो, ऐसे अत्याचार स्वराज्यमें नही टिक सकेगे। वेदो और दूसरे शास्त्रोकी प्रामाणिकता अस्वीकार नही की जायेगी, परन्तु जिस हदतक इन धर्म-ग्रन्थोका उपयोग जनताके आचार-विचारका नियमन करनेमे होगा, उस हदतक उनका अर्थ करनेका काम व्यक्तियोका नही, बल्कि अदालतोके जिम्मे रहेगा। धर्मबुद्धिके विधि-निषेधोकी कद्र की जायेगी, परन्तु इसके लिए सार्वजनिक सदाचार या दूसरेके अधिकारोको हानि पहुँचाकर नही। जो असाधारण विधि-निषेध अपनायेगे, उन्हे स्वय अडचन उठानी पडेगी और अपनी इस सुविधाका दाम चुकाना होगा। रूढि या धर्मके नामपर कोई भी व्यक्ति या वर्ग अपनेको उच्च मान ले, तो कानून उसे सहन नही करेगा। परन्तु यह सब तो मेरा स्वप्न है। मै कोई काग्रेस नही हूँ। जो काग्रेससे इसके विपरीत काम करवाना चाहते हो, वे जल्दीसे उसमे शामिल हो जायें और अपने-जैसे मत रखनेवाले दूसरोको भी उसमे शामिल होनेकी प्रेरणा दें। कांग्रेस लोकमतकी प्रतिनिधि है, या यो कहिए कि उसका सविधान लोकमतकी प्रतिनिधि बनने जितना विशाल है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-६-१९३१

४५७. भाषण : देशसेविका सभा, बम्बईमें

११ जून, १९३१

गांधीजीने आज सुबह-सुबह चन्द मिनटोके लिए देशसेविकाओके समक्ष भाषण करते हुए कहा कि वे शान्तिपूर्ण ढंगसे अपना धरना जारी रखें। धरना देनेका अधिकार केवल उनको ही मिलना चाहिए जो आदतन खादी पहनते हों। श्रोताओंमें से किसीके पास यदि विदेशी वस्त्र हों तो उनको होलीमें जलानेके लिए दे देना उचित है। यदि उनके पास मिलका कपड़ा हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसे गरीब और जरूरतमन्द लोगोमें बाँट दे। खद्दरका उद्देश्य भूखों मरते किसानो-मजदूरोंकी मदद करना है। यदि खादीको प्रोत्साहन दिया जाये तो किसान-मजदूरोंको अपनी मेहनतका पूरा-पूरा लाभ मिलने लगेगा, जब कि मिलके वस्त्रोसे उनको रुपयेमें एक आना ही मिल पायेगा। इस मानवीयतापूर्ण उद्देश्यको बल पहुँचानेके लिए आप लोगोंको खद्दर ही पहनना चाहिए।

[अग्रेजीसे]
हिन्दू, ११-६-१९३१

४५८. भाषण : बम्बईमें[1]

११ जून, १९३१

सबसे पहले तो मैं आपसे इस बातके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आप लोगोंको इतने सवेरे-सवेरे कष्ट दिया। 'हिन्दुस्तानी सेवा दल' का उद्देश्य देशकी सेवा करना है। अबतक तो मैं जब भी 'भारत सेवक' (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया) का नाम सुनता, तो मैं बड़ा भयभीत हो उठता था। क्योंकि भारतके शासक भी अपने-आपको भारत सेवक ही बतलाते हैं। ये तथाकथित भारत सेवक वास्तवमें कभी अपने नामके अनुरूप नहीं हो सकते। वे ब्रिटिश साम्राज्यके सेवक हैं और ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारतभूमि दोनों ही की सेवा एक-साथ करना असम्भव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इन तथाकथित 'भारत-सेवकों' के पद-चिन्होंपर चलनेकी कोशिश करें तो आप भारतकी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने अन्दर सच्ची सेवाकी लगन पैदा करनी पड़ेगी, जो उन लोगोंको छू तक नहीं गई है। यदि सत्ता ग्रहण करनेके बाद आप अपनी सत्ताको क्रूरतापूर्वक जनतापर थोपनेकी कोशिश करने लगेंगे तो फिर जनताकी सेवा किस प्रकार कर पायेंगे?

हमारे अन्दर सच्ची सेवाकी यह भावना नहीं है, इसीलिए हमारे बीच प्रतिस्पर्धा और असन्तोष काफी बड़े पैमानेपर घर कर चुके हैं। मुझे यह सुनकर बड़ी ठेस लगी कि लोगोंने विभिन्न काग्रेस संगठनोंमें ऊँचे पद प्राप्त करनेके लिए धनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और इस तरह एक अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिताका वातावरण पैदा कर दिया है। सच्चा कार्यकर्ता तो वही है जो सबसे पिछली कतारमें होनेपर भी अपना काम स्थिरमतिसे करता रहता है। सच्ची सेवाके खरेपनकी कसौटी केवल यह बात नहीं होती कि कितना अधिक कार्य सम्पन्न किया गया है, बल्कि एक बड़ी हदतक उसका दारोमदार इस बातपर रहता है कि वह कार्य विनम्रताकी भावनासे किया गया है या नहीं। मैंने अभी-अभी जिन गुमराह लोगोंका जिक्र किया था, लगता है वे बल-प्रयोगके जरिए अपने देशकी सेवा करना चाहते हैं। परन्तु इससे निश्चित ही यह प्रकट होता है कि उनकी मनःस्थिति सर्वथा अवाछनीय है। यदि कोई अपने भले उद्देश्यकी पूर्तिके लिए दूषित या आपत्तिजनक साधन अपना ले तो वह न तो कभी फल-फूल सकता है और न ही किसीकी कोई भलाई करनेमें समर्थ हो सकता है।

मेरे लिए यह सोचना निश्चय ही गलत होगा कि यदि मैं भारतका सम्राट बन जाऊँ तो भारतकी सेवा ज्यादा अच्छी तरह कर सकूँगा। किसी समय फ्रांसके राजनीतिक जीवनमें बिलकुल ऐसी ही स्थिति बन गई थी और लोग अपने

१. 'हिन्दुस्तानी सेवा-दल' द्वारा आयोजित प्रशिक्षण-शिविरमें शामिल हुए उन कार्यकर्ताओंके समक्ष, जिन्होंने गांधीजी से उनके बम्बई-निवास 'मणि भवन' में मुलाकात की थी।

विरोधियोंको राजनीतिक क्षेत्रसे हटानेके लिए क्रूरसे-क्रूर तरीके अपनाया करते थ। परन्तु 'हिन्दुस्तानी सेवा दल' के कार्यकर्त्ताओंको अपने कार्यकी बुनियाद शान्ति और सत्यपर रखनी चाहिए।

उनको अपने अन्दर अधिक-से-अधिक विनम्रताकी भावना भी पैदा करनी चाहिए; और यदि उनको लगे कि उनके कामको समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है तो भी उनको अपने प्रयत्नोमें न तो ढिलाई आने देनी चाहिए और न ही अपने कामका स्तर तनिक भी गिरने देना चाहिए। उनको अपने साथियोंके साथ पर्याप्त सहिष्णुताका व्यवहार करना चाहिए और अपनी माताओं तथा बहनोंको पूरा मान-सम्मान देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि विनम्रता, सत्य, प्रेम और शान्तिका कोई भी नितान्त निर्दोष संगम इस संसारमे अत्यन्त दुर्लभ है; फिर भी आप सबको उसे पानेका प्रयास अवश्य करना चाहिए। याद रखिए कि यदि सेनामें सभी लोग सेनापति बनकर आदेश देने लगे, तो युद्धके लिए सैनिक बचेंगे ही नहीं। मैं सच्चे हृदयसे आशा करता हूँ कि मैंने आज दिनके सबसे शुभ मुहूर्तमें आपके सामने जिस आदर्शकी बातकी है, आप इसके अनुरूप बननेकी कोशिश करेंगे और मैं पूरे विश्वासके साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सच्चे हृदयसे कोशिश करेंगे और आजकी इस प्रभात-वेलाको सदा अपनी स्मृतिमें सँजोये रहेंगे तो आप अपनी और अपनी मातृभूमि दोनों ही की उत्तम सेवा करेंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १२-६-१९३१

४५९. पत्र : जमनादास गांधीको

बोरसद
१२ जून, १९३१

चि० जमनादास,

तुम्हारा स्वभाव भी न्यारा है। इतने दिन मेरे पास रहकर जानेके बाद महत्वपूर्ण बातें वहाँसे लिख रहे हो। इससे कई सम्बन्धित प्रश्न उठ खड़े होते हैं। उन्हें डाकसे भेजूँ या तुम्हें वापस बुला लूँ? बम्बईतक आनेका विचार करनेका कारण क्या है, यह जाननेकी इच्छा करनेपर तुम कारण नहीं बता सके और एकदम भाग गये। अब वहाँसे पत्र लिखकर ५,००० रुपयोंकी माँग की है। मेरी तुम्हें अब यह सलाह है कि तुम काका साहबको पत्र लिखो और उनके पास अपनी माँगका औचित्य सिद्ध करो। ऐसा करो, तो मेरा मार्ग सरल हो जायेगा। क्या मनु और वेवी वहाँ आ गये हैं?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९३२४)से।
सौजन्य: जमनादास गांधी

४६०. भेंट : यूरोपीय शिष्टमण्डलको

१२ जून, १९३१

गांधीजी ने लगभग तीस तरुण यूरोपीयोके एक शिष्ट-मण्डलसे भेंट की, उनमें चार तरुणियाँ भी थीं। गांधीजी ने शिष्ट-मण्डलके अनुरोध कर भारतमें रहनेवाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपीयोंके प्रति कांग्रेसके रुखको स्पष्ट किया।

गांधीजी ने कहा कि कांग्रेसका रुख वैमनस्यतापूर्ण नहीं है, बल्कि निश्चित तौर पर सक्रिय मैत्रीका है। उन्होंने शिष्ट-मण्डलको याद दिलाया कि कांग्रेसकी तो स्थापना ही एक अंग्रेज श्री ह्यूमने की थी और पार्लियामेन्टके सदस्यतक उसकी अध्यक्षता करते रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप लोग कांग्रेसके उद्देश्यों और उसके इतिहासका अध्ययन करें और देखें कि कांग्रेसका मन्शा कभी किसी जाति या किन्हीं हितोंको नुकसान पहुँचाना नहीं रहा। यदि कांग्रेसके साथ आपकी सहानुभूति हो तो उसमें शामिल होना आपका कर्त्तव्य है। यह तो ठीक ही है कि भारतवासियोंको अपने देश भारतमें शासन चलानेका उसी तरह पूर्ण अधिकार होना चाहिए जिस प्रकार अंग्रेजोंको इंग्लैंडमें है। अंग्रेज; कुछ विशेष संरक्षणों और व्यापारिक अधिकारोके लिए आग्रह कर रहे हैं ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है। भारतपर अपने शासनके डेढ़ सौ वर्षोंके दौरान उन्होंने अपने जो विशेषाधिकार हथिया लिये हैं उनको स्थायी बनानेका मतलब होगा असमानताके आधारपर मैत्री कायम रखना। इतना ही नहीं कि कांग्रेस अंग्रेजोके प्रति वैमनस्य नहीं रखती, बल्कि वह तो उनके सहयोग, उनकी सहायता और उनके सम्पर्क तथा उनकी संगठन-क्षमताका स्वागत करती है। इस प्रकारके सहयोगका अर्थ असमानताके आधारपर सहयोग करना नहीं होता। शिष्ट-मण्डलसे गांधीजी की मुलाकात लगभग पन्द्रह मिनटोंतक चली।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-६-१९३१

४६१. भाषण : मरोलीमें[1]

१२ जून, १९३१

महात्मा गांधीने कुमारी मीठुबहन पेटिट द्वारा संचालित बुनाई-शालाके भवनका शिलान्यास किया। उन्होंने एक विशाल सभामें बोलते हुए कहा: यदि दस वर्ष पहले किसीने मुझे बताया होता कि बम्बईके एक बड़े ही प्रतिष्ठित परिवारकी कुमारी मीठुबहन पेटिट मोटा-झोटा खद्दर पहने, नंगे पाँवों, सर्दी-गर्मीकी चिन्ता किये बिना दिन-रात गाँव-गाँव घूमकर गरीबोंके बीच काम करेगी और उनके बच्चोंको कताई, बुनाई और अन्य धन्धे सिखायेंगी, तो मैंने उसपर विश्वास न किया होता। हालाँकि मैंने पारसियों द्वारा किये गये कामको, मद्य-निषेध आन्दोलन शुरू करनेके दिनोंमें भी सराहा था, लेकिन मैं समझता था कि खद्दरके प्रचारके बिना केवल मद्य-निषेध आन्दोलन सफल नहीं हो सकेगा। शराबकी दुकानें बन्द कराना ही सबसे मुख्य बात नहीं है। यदि शराबी लोग शराब पीनेकी आदत नहीं छोड़ेंगे तो वे अवैध रूपसे शराब तैयार करने लगेंगे और आजकी तरह उसका अवैध व्यापार भी खूब चलेगा। लत लग जानेवालोंको जबतक कोई धन्धा नहीं सिखाया जायेगा तबतक वे शराब नहीं छोड़ पायेंगे। बड़ी-बड़ी फैक्टरियोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको थकान दूर करनेके लिए कोई चीज चाहिए। स्वयं मैंने कभी शराब चखी भी नहीं है, लेकिन दक्षिण आफ्रिकामें थकानसे चूर मजदूरोंको मैंने अपने हाथों शराब दी। मेरे कुली सहयोगियोंने शराब माँगी और मैंने एक 'कैन्टीन'वालेसे लाकर उनको शराब दी। पशुओंकी तरह काममें जोते जानेवाले लोगोंको शराबकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन घरोंके शान्त वातावरणमें काम करनेवाले लोग आसानीसे शराब छोड़ सकते हैं।

यदि कताई, बुनाई, पशु-पालन, चर्म-कार्य, इत्यादि ग्रामीण धन्धोंका पुनरुद्धार किया जाये तो ग्रामीण क्षेत्र पहलेसे अधिक समृद्ध बन जायेंगे। वे बम्बईके सट्टा बाजारके करोड़पतियों जितने धनी नहीं बनना चाहते; वे तो केवल इतना चाहते हैं कि कर्जसे मुक्ति मिल जाये। उनकी गोलकमें चाँदीके कुछ सिक्के जमा हो जायेंगे। उनको साहूकारोंसे कर्ज लेनेके बदले, अपनी बचतके पैसे साहूकारोंके पास जमा करने चाहिए। तब उनके पास अपने खुदके मकान हो जायेंगे और उनके पशुओंकी संख्या बढ़ जायेगी। उस क्षेत्रमें ऐसी ही प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतके सात लाख गाँवोंमें भी यही होना चाहिए। यह स्वराज्यका ही काम है। पिछले वर्ष उन लोगोंने जमीन तैयार की थी और अब उनको उसमें बीज बोने हैं। यह रचनात्मक

१. सूरतसे लगभग १२ मीलकी दूरीपर स्थित।

काम है। बीज बोनेका काम ज्यादा अहमियत रखता है। यह काम हमें ज्यादा लम्बे समय तक करते रहना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १२-६-१९३१

४६२. तार : महेन्द्रप्रसादको

बोरसद
१३ जून, १९३१

महेन्द्रप्रसाद,[1]
छपरा

मेरे रवाना होने तक राजेन्द्रबाबू बहुत काफी चंगे हो गये थे।[2] चन्द ही दिनोमें वे मेरे पास आ जायेंगे। अच्छी-से-अच्छी परिचर्याका प्रबन्ध है। पूरी तरह चंगे होने और विश्राम कर लेनेके बाद ही कही जाने-आने दूँगा। इन दिनो यहाँका मौसम काफी अच्छा रहता है।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७१)की फोटो-नकलसे।

४६३. पत्र : दुनीचन्दको

१३ जून, १९३१

प्रिय लाला दुनीचन्द,

सूरजभानजी ने लिखा है कि उन्होने जो रुपये खर्च किये है आप उनकी भी अदायगी नही कर रहे हैं। आशा है कि यह शिकायत गलत होगी। मेरी समझमे खर्चकी सारी राशि चुकता कर दी जानी चाहिए। आगेके लिए यदि कोई सुझाव आपके मनमें हो तो कृपया मुझे लिखें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (जी० एन० ५५८१)की फोटो-नकलसे।

१. राजेन्द्र बाबूके बड़े भाई।

२. राजेन्द्रप्रसाद बीमारीके कारण बम्बईमें ९ और १० जूनको हुई कार्य-समितिकी बैठकमें भाग नहीं ले सके थे।

४६४. पत्र : एमेलिया मैक्वीनको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

प्रिय महोदया,

आपका पत्र मिल गया। धन्यवाद। आप मुझे जिस चीजका श्रेय दे रही हैं उसका मैं बिलकुल भी पात्र नहीं हूँ। आप मेरे नामसे एक दूसरे गांधीकी[1] बात कर रही हैं, लेकिन उससे मेरी कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, हम दोनों मित्र रहे हैं और कुछ दिनोंतक साथ-साथ भी रहे हैं। आपको जानकर दुःख होगा कि कई वर्ष पूर्व वे संसारसे उठ चुके हैं और अपने पीछे एकमात्र पुत्र छोड़ गये हैं। वे ही अमेरिका गये थे; और वहाँ अनेक लोग उनके मित्र बन गये थे। मुझे आपके महाद्वीपमें आनेका सौभाग्य नहीं मिला है।

हृदयसे आपका,

कु० एमेलिया मैक्वीन
सरदार श्रीमती मैक्वीन
प्रैरी एवेन्यू
शिकागो (अमेरिका)

अंग्रेजी (एम० एन० १७२७२) की फोटो-नकलसे।

४६५. पत्र : सुरेन्द्रसिंहको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

प्रिय सरदार सुरेन्द्रसिंह,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। प्रेमके सिद्धान्तका चारों ओर प्रचार करनेके लिए मैं शक्ति-भर अपने ही ढंगसे प्रयत्न तो कर रहा हूँ, लेकिन हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच दिन-दिन बढ़ती घृणा और अविश्वासके बीच उसकी प्रगति बड़ी मन्द है। साम्प्रदायिक समस्याके आपके सुझाये हलके बारेमें मुझे लगता है कि दोनों ही सम्बन्धित पक्ष चाहते हैं कि मनमौजा सभी प्रान्तोंमें हो या फिर बिलकुल ही न हो।

१. वीरचन्द गांधी।

मैं आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि यदि चन्द प्रान्त भी अपने यहाँ यह समस्या हल कर ले तो भी इस दिशामें काफी कुछ प्रगति हो जायेगी।

हृदयसे आपका,

सरदार सुरेन्द्रसिंह
कृषि-विभाग
पंजाब सरकार
शिमला पूर्व

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७३) की फोटो-नकलसे।

४६६. पत्र : मन्त्री, 'सेन्ट्रल सिख लीग' अमृतसरको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

मन्त्री
सेन्ट्रल सिख लीग
अमृतसर

प्रिय महोदय,

'यंग इंडिया' का सम्पादक होनेके नाते मेरे पास आपका पत्र भेज दिया गया है। ध्वजके बारेमें जो सुझाव आपने दिये है, उनको तो आप काग्रेस कार्य-समिति द्वारा नियुक्त ध्वज-समितिके मन्त्रीके पास भेज दे। यही ठीक रहेगा। ध्वज-समितिके संयोजक और मन्त्री है : डॉ० पट्टाभि सीतारमैया, मसूलीपट्टम, द० भारत।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी (१७२७४) की माइक्रोफिल्मसे।

४६७. पत्र : डॉ० मु० अ० अन्सारीको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय डॉ० अन्सारी,

दिल्ली शहरके आपसी झगड़ोंके बारेमें आपसे बात करना मैं भूल गया था, और उसका समय भी नही मिल पाया था। श्रीमती आसफ अलीके पत्रसे मुझे मालूम हुआ है कि झगडे निबटना तो दूर, अब महिलाएँ भी उनमें शामिल होने लगी हैं।[1] क्या आप इन झगड़ोको खत्म नही करा सकते?

उम्मीद है कि आपके पहुँचनेतक आपके भाईकी हालत बेहतर हो गई होगी। क्या डॉ० रहमान कुछ कर पाये?

डॉ० मु० अ० अन्सारी
१ दरियागंज, दिल्ली

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७५)की फोटो-नकलसे

४६८. पत्र : शामलालको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय लाला शामलाल,

आपका पत्र मिला।[2] आपने पत्र लिखा इसकी मुझे खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रोहतकके हालातके बारेमे सूचित करते रहे। पर इस अवस्थामे

१. श्रीमती आसफअलीने लिखा था: "कांग्रेसी 'दिल्ली महिला सेवा दल' की सदस्याओंके बारेमें गन्दा प्रचार कर रहे हैं। चूँकि वातावरण इतना गन्दा हो चुका है कि कोई भी आत्म-सम्मानी महिला इसमें काम करती नहीं रह सकती, इसलिए मैं त्यागपत्र देकर अलग हो रही हूँ।"

२. पत्रमें कहा गया था: ". . .प्रत्येक पुलिस थानेके क्षेत्रमें एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता है। हमने जिलेमें लगभग २,५०० सदस्य बनाये हैं और १२५ कांग्रेस कमेटियाँ स्थापित की हैं। इससे अधिकारी चिन्तित हो उठे हैं और जिलेमें दमन शुरू हो गया है। हमारे कोषाध्यक्षपर—जिनसे सरकारको कोई खतरा नहीं और जो असहयोग आन्दोलनके दिनों जेल तक गये थे—अब मुकदमा चलाया जा रहा है। . . . दो अन्य कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिए गये हैं। अधिकारी कांग्रेसके सामान्य कार्यको भी बन्द कर देना चाहते हैं। रोहतक जिलेमें कांग्रेस कार्यकर्त्ता इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं कि हिंसात्मक भाषण न दिये जायें, लेकिन चूँकि जिले-भरमें रोहतकमें ही कांग्रेसका काम संगठित रूपसे चल रहा है, इसलिए उ ही दमनका खास निशाना बनाया गया है।"

मैं आपकी कोई सहायता नही कर पाऊँगा। समझौतेकी शर्तोंके अन्तर्गत तो मैं दमनकी ओर सरकारका ध्यान तभी आकर्षित कर सकता हूँ जब वह बहुत ही प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, लेकिन रोहतककी तरह जहाँ वह अप्रत्यक्ष रूपसे और छिप-छिपे किया जा रहा हो, वहाँ तो आपको अपनी ही सूझबूझसे उसका मुकाबला करना पडेगा, और आपको इस योग्य होना चाहिए। हाँ, न्यायालयोमे प्रतिवादी-पक्ष पेश करके अपना बचाव करनेकी योग्यताका उपयोग करनेका आपको पूरा अधिकार है।

हृदयसे आपका,

लाला गामलाल
एडवोकेट
९ दयालसिंह बिल्डिंग्ज
अपर माल, लाहौर

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७६)की माइक्रोफिल्मसे।

४६९. पत्र : विधानचन्द्र रायको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय डॉ० विधान,

आपका पत्र मिल गया।[1] उसके लिए धन्यवाद। शिलॉगका कवित्वपूर्ण वृत्तान्त पढकर मुझे आपसे ईर्ष्या होती है।

बंगालके दुर्भाग्यपूर्ण विवादोंके बारेमे जो भी किया गया है वह सब आपने समाचारपत्रोमे देख ही लिया होगा। बंगालके वातावरणको विषसे मुक्त बनानेमे मैं मुझसे जो शक्य होगा सो सभी-कुछ कर दूँगा, आप इसका भरोसा रखे।

आपसे जब भी भेट हो आप वासन्तीदेवी, मोना, बेबी और सुजाताको मेरी ओरसे नमस्कार कहनेकी कृपा करे। उनसे कहियेगा कि मैं उनको पत्र तो नही लिखता, पर अक्सर उनकी याद अवश्य करता हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधानचन्द्र राय
शिलांग

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७७)की माइक्रोफिल्मसे।

१. पत्रमें बंगालके विवादको पंच-फैसलेको सौंपनेके गांधीजी के प्रस्तावकी ताईद की गई थी।

४७०. पत्र : डॉ० वा० शि० मुंजेको

स्थायी पता, साबरमती
१३ जून, १९३१

प्रिय डॉ० मुंजे,

अपने ६ जूनके पत्रके लिए मेरा धन्यवाद लीजिए। मैं यदि लन्दन जानेमें सफल भी हुआ तो अपने साथ विशेषज्ञोंको ले जानेका मेरा कोई इरादा नहीं है। वहाँ मेरा कार्य-क्षेत्र इतना सीमित-सा रहेगा कि विशेषज्ञोंसे परामर्श करनेकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी।

हृदयसे आपका,

डॉ० बालकृष्ण शिवराम मुंजे
फरग्रोव
शिमला

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७८)की फोटो-नकलसे।

४७१. पत्र : भूपेन्द्र नारायण सेनको

बोरसद
१३ जून १९३१

प्रिय भूपेन,

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। खुशी हुई कि तुमने मुझे निस्संकोच होकर इतनी स्पष्टताके साथ पत्र लिखा। तुम्हें जिस प्रकारकी सहायता दरकार है, उसे जुटाना मेरे लिए कठिन है। मेरा ख्याल था कि तुमने अभय आश्रमसे अपने-आपको सम्बद्ध कर लिया होगा। जो भी हो, मेरी सलाह है कि जमनालालजी जब वहाँ आयें, तब तुम उनसे मिल लो। उनको आशा है कि अगले महीने वहाँ पहुँचेंगे।

तीस पौंड वजन घटना तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत भूपेन्द्र नारायण सेन
पो० बारदौगोले
जिला हुगली (बंगाल)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२७९)की माइक्रोफिल्मसे।

४७२. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१३ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

आपने समाचारपत्रोंमें पढा होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ कुछ दिनोसे मेरे साथ रह रहे है। मै रोजाना जितना भी समय निकाल पाया, उसमे उनके साथ बातचीत करता रहता था, और मेरे मन पर उनकी यह छाप पडी है कि वे एक बहुत ही सच्चे हृदयके व्यक्ति है और अहिंसामें उनकी परम निष्ठा है। अमानुल्ला आन्दोलनके साथ उनका कोई सम्बन्ध नही है। उनका सारा कार्य 'खुदाई खिदमतगार' आन्दोलनतक ही केन्द्रित है। यह आन्दोलन सेवा-कार्यके लिए लोगोको भर्ती करता है। भर्ती किये जानेवाले व्यक्तियोसे यह प्रतिज्ञा कराई जाती है: "मै सत्यवादी और सच्चरित्र रहूँगा। मेरा आचरण अहिंसापूर्ण रहेगा और मै अपने पडोसियोसे नही लडूंगा। मै अपने पडोसीकी सम्पत्तिपर लोलुप दृष्टि नही डालूंगा। मै देशकी स्वतन्त्रता के लिए मृत्यु-पर्यन्त कष्ट-सहन करनेको तत्पर रहूँगा।" यह प्रतिज्ञा करके 'खुदाई खिदमतगारो' में भर्ती होनेवाले लोगोसे यह अपेक्षित है कि वे अपने-अपने गाँवोमे साप्ताहिक हाजिरी देगे। उन्होने बहुत ही स्पष्ट शब्दोमे घोषणा की है कि खुद उन्होने और उनके अनुयायियोने भी समझौतेको किसी भी तरह कही भी भग नही किया है और उनका कहना है कि उन्होने हर स्थानपर जनताको यही समझाया है कि समझौता जहाँतक जनतापर लागू होता है, वहाँतक उसकी सभी शर्तोको पूरा करना जनताके लिए अत्यावश्यक है। लेकिन उनका कहना है कि अधिकारियोने अनेक बार समझौता भग किया है और उसके ये उदाहरण दिये है:

(क) सीमाप्रान्त और एजेसीके कई इलाकोंमें अबतक अनेक सविनय अवज्ञा करनेवाले बन्दियोंको रिहा नही किया गया है।

(ख) उनका कहना है कि छोटी-छोटी बातोंको लेकर ही लोगोको तंग किया जा रहा है। गाँवोके घरोके पाससे गुजरते हुए सैनिक "इस्लाम मुर्दाबाद," "गाधी मुर्दाबाद" और "गफ्फार खाँ मुर्दाबाद" के नारे लगाते चलते है। उन्होने यह भी कहा है कि स्वय उन्होने अपने लोगोको आपत्तिजनक नारे लगानेसे मना कर दिया है।

खान साहब स्वीकार करते है कि वे आयुक्तसे मुलाकात करने नही गये। उनका कहना है कि वे इसलिए नही गये कि स्थानीय अधिकारियोंके रुखमें उनको कोई परिवर्तन नही दिखाई पडा और यदि वे मिलने चले जाते तो उनको आशंका थी कि उसका गलत अर्थ लगाया जाता। वे आपसे या महामहिम वाइसरायसे इस शर्त पर मिलनेको तैयार है कि मै साथ रहूँ। मै भी यह अच्छा समझता हूँ कि आप उनसे परिचय कर ले और यदि आप उपयोगी समझे तो उनको आपसे परिचित करानेके लिए ही मै खुशी-खुशी शिमला आ जाऊँगा। मै समझता हूँ कि समझौतेमें

यह अपेक्षा तो निहित ही है कि पारस्परिक विश्वास हो, और इसलिए सरकारकी बुद्धिमत्ता भी शायद इसी बातमे होगी कि वह पहले खान साहबसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर ले और तब उसके बाद उनके आश्वासनोको कसौटीपर कसकर देखे। मैंने इस अपने पत्रका उत्तर मिलने तकके लिए खान साहबको यही रोक लिया है। और चूंकि वे काफी अर्सेसे मेरे साथ हैं और मैं भी उनको उतनी ही देरतक रोकना चाहता हूँ, जितना कि बिलकुल ही जरूरी हो; इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसका उत्तर तार द्वारा देनेकी कृपा करे। साथ ही, मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि खान साहबका बडा आग्रह है कि मैं सीमाप्रान्त जाकर खुद वहाँकी परिस्थिति देख लूँ और 'खुदाई खिदमतगारो'के विशाल समुदायसे सम्पर्क स्थापित करके खान साहबके कार्योका अध्ययन करूँ। मैं महसूस करता हूँ कि अब तो मेरे सीमाप्रान्त जानेके बारेमें कोई आपत्ति नही होनी चाहिए।[1]

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल संख्या १६-बी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

४७३. पत्र : अमतुस्सलामको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय अमतुल,

तेरा खत मिला। अपनी कमजोरीपर या इस हकीकतपर कि तुझे आश्रमसे सेवा लेनी पड़ती है, सोचते नही रहना चाहिए। सभी जानते हैं कि तू सेवा करनेके लिए आतुर है। अगर तू धीरज रखेगी तो खुदा तुझे सेवा करनेकी जरूरी ताकत देगा। तुझे चिन्ता नही करनी चाहिए।

बापू

[पुनश्च:]

गगाबहनसे अपना इलाज करवाओ।

अंग्रेजी (जी० एन० २४१)की फोटो-नकलसे।

१. एमर्सनने ६ जुलाईको उत्तर दिया था कि गाधीजी के वहाँ जानेसे काफी उत्तेजना फैलने और स्थानीय प्रशासनकी कठिनाइयाँ बढ़ जानेकी सम्भावना है। देखिए "पत्र: एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १७-६-१९३१ की पादटिप्पणी भी।

४७४. पत्र : एम० आई० डेविडको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

अब मुझे एक सूत्र सूझ गया है। उसे यहाँ दे रहा हूँ:

उन भारतीयो और यूरोपीयोका, जो जल्दी ही एक ऐसी शासन प्रणालीको स्थापित करनेके पक्षमें हों, जो भारतको विश्वके स्वतन्त्र राष्ट्रोके बीच अपना उचित स्थान ग्रहण करनेमे समर्थ बना सके, एक मिला-जुला प्रचार-मंच बनाया जाये।

"विश्वके स्वतन्त्र राष्ट्रोके बीच"—ये शब्द मूलमें प्रयुक्त "स्वतन्त्र राष्ट्रोके ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलके एक सहयोगी सदस्यके रूपमे" शब्दोके स्थानपर रखे गये है। आप देखेंगे कि इस सूत्रमे स्वेच्छापूर्वक समान भागीदारकी हैसियतसे ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध रखनेकी गुजाइश रखी गई है; साथ ही उसे अनिवार्य भी नही बनाया गया है। अन्य दो सूत्रोके बारेमें मै अधिक कुछ नही कहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४, क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८०)की फोटो-नकलसे।

४७५. पत्र : हरेकृष्ण मेहताबको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मेहताब बाबू,

आपका पत्र[1] मिल गया। इसमे क्षमा-याचनाकी तो कोई बात ही नही थी। आपका कार्यक्रम कुछ अधिक विशद और व्यापक है। परन्तु मुझे कोई कारण नही दिखाई पडता कि आप आस्था और श्रमके बलपर उसे पूरा क्यो नही कर सकते।

जानकर प्रसन्नता हुई कि मतिदास और पुरबाई आपके पास है। स्वल्प साधनोको लेकर या निरी साधनहीनताकी स्थितिमे कोई संस्था शुरू करना बड़ी बात

१. हरेकृष्ण मेहताबने लिखा था कि बालासोरके गांधी कर्म मन्दिरके नियम कुछ ज्यादा सख्त है और इसीलिए उन्हें अधिक सरल रूपमें प्रस्तुत किया था।

है। आस्था ही सबसे बडी पूंजी है। आपके आय-व्ययमें सिर खपानेकी मुझे जरूरत नही, क्योकि जमनालालजी मेरे विचारोका बडा ठीक प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे मामलोमे उनकी सलाह बहुत सही और कारआमद होती है।

हृदयसे आपका,

श्री हरेकृष्ण मेहताब
गांधी कर्म मन्दिर
बालासोर (उडीसा)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८१)की माइक्रोफिल्मसे।

४७६. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय मैथ्यू,

इस बार फिर आप रह गये। कैसे? मुझे तो पूरी आशा थी कि आप बारडोलीमे जरूर आयेगे। आप मेरे साथ पूरे हफ्ते-भर रह सकते थे। यदि वहाँ अपना काम आपको बहुत ही पसन्द हो तो दूसरी बात है, फिर आपके न आनेकी मुझे कोई चिन्ता नही। आप अपने दिन-भरके कामकी एक झाँकी दीजिएगा।

श्री मैथ्यू
साबरमती आश्रम

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८२)की माइक्रोफिल्मसे।

४७७. पत्र : एम० आई० डेविडको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री डेविड,

कल रात ही मैंने एक पत्र बोलकर लिखाया था। महादेवने मुझे इसी महीनेकी ११ तारीखका आपका एक दूसरा पत्र भी थमा दिया। जिसमें आपने पूछा है कि क्या मैं बम्बईके मेयरके तत्वावधानमे गठित की जानेवाली प्रस्तावित गैर-सरकारी समझौता-समितिके बारेमें पत्रमे दिये गये आपके सुझावका अनुमोदन करता हूँ। मैं उसमें एक ही संशोधन करना चाहूँगा। ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि भारतीयो और यूरोपीयोकी सख्याके बीच अनुपात निश्चित करनेके लिए सख्तीसे किसी लीकको न

पंकेंडा जायें।[1] उसके लिए सहज तरीका अपनाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि समितिमें काम करनेके लिए आपको भारतीयोकी अपेक्षा अधिक कर्त्तव्य-निष्ठ यूरोपीय मिल जाये। मैं उस स्थितिमें यूरोपीयोको अधिक सख्यामे शामिल करनेमे या इसके विपरीत, दूसरी स्थितिमे भारतीयोको अधिक सख्यामें शामिल करनेमे सकोच नही करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री एम० आई० डेविड
४, क्वीन्स रोड
फोर्ट, बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७२८३)की फोटो-नकलसे।

४७८. पत्र: जॉन काइट कॉलैटको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

'चिल्ड्रन्स लीग' के कुछ कार्डों और पदकोके साथ आपका पत्र प्राप्त हुआ। 'साल्वेशन आर्मी' के साथ मेरा कोई सम्पर्क नही है और न मुझे बच्चोके बीच उस सस्थाके किये जानेवाले कार्योंके बारेमे कोई जानकारी ही है। फिर मेरा अपना काम तो एक बिलकुल ही दूसरी तरहका है। इसलिए अगर आपका खयाल हो कि मैं 'साल्वेशन आर्मी' के सम्बन्धमे ही काम कर रहा हूँ तो स्पष्ट है कि आपकी सूचना सही नही है। इसलिए मैं 'साल्वेशन आर्मी' से पूछ रहा हूँ कि क्या वे इन कार्डों और पदकोको मुझसे लेना पसन्द करेगे। यदि वे तैयार न हो तो कृपया लिखिए कि मैं पदकोका क्या करूँ।

हृदयसे आपका,

जॉन काइट कॉलैट महोदय
अध्यक्ष
'चिल्ड्रन्स लीग ऑफ पीस ऐंड गुडविल'
'सनराइज,' पैनार्थ

अग्रेजी (एस० एन० १७२८४)की फोटो-नकलसे।

१. एम० आई० डेविडका प्रस्ताव था कि मध्यस्थता समझौता-समितिमें "भारतीय और यूरोपीय सदस्योंकी संख्या समान रखी जाये।"

४७९. पत्र : 'साल्वेशन आर्मी', बम्बईको

वोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

मेरे पास श्री जॉन कॉलैटका एक पत्र आया है। मैं उसे सलग्न कर रहा हूँ। श्री कॉलैटके नाम अपने पत्रकी[1] एक प्रति भी मैं आपको भेज रहा हूँ। आप मुझे यह बतलानेकी कृपा करें कि क्या आप पत्रमे उल्लिखित प्रयोजनके लिए कार्डों और पदकोको लेना चाहेगे?

हृदयसे आपका,

सलग्न: २
ऑफिसर कमांडिंग
बम्बई शाखा, साल्वेशन आर्मी
बम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७२८५)की फोटो-नकलसे।

४८०. पत्र : सी० ए० हाटेको

स्थायी पता, साबरमती
१४ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं जब कभी बम्बई आऊँ, आप मुझसे मिलनेकी कोशिश कीजिए। आहारके बारेमे अभी इस समय आपको कोई सलाह देना कठिन है। इसके लिए आपसे मिलकर कुछ प्रश्न पूछना आवश्यक है। क्या आप बम्बईमें प्राकृतिक चिकित्साके किसी विशेषज्ञसे परामर्श नही करना चाहेगी? हार्नबी रोडके श्री खम्भाता एक चिकित्सकको जानते है और उनको उसकी चिकित्सासे लाभ भी हुआ है। उनका पूरा पता है. बहराम खम्भाता, २७५, हार्नबी रोड, फोर्ट, बम्बई।

यह कहना तो मुश्किल है कि हर व्यक्तिके लिए कितने घटोकी नीद जरूरी होती है, लेकिन मैं आपके बारेमे बडे मजेसे कह सकता हूँ कि आप आरामसे जितनी

१. देखिए पिछला शीर्षक।

देर सो सकती है, अवश्य सोयें। आपको सुबह शाम रोज टहलने भी जाना चाहिए। केवल एक बारका टहलना काफी नही होगा। यदि शक्ति हो, तो सचमुच आपको तीन-चार घटे टहलना चाहिए। आप चाहे तो इतने टहलनेको दो-तीन बारमें भी पूरा कर सकती है।

आपने पूछा है कि व्यक्तिको अपने जीवनका क्या आदर्श बनाना चाहिए। संसारके सभी मनीषियोने आत्मसाक्षात्कारको ही ऐसा आदर्श बतलाया है।

मेरा पैर जल जानेकी खबर गलत है। ज्यादा सही होता यदि कहा जाता कि मेरा पैर जलनेसे बाल-बाल बचा।

हृदयसे आपका,

श्रीमती सी० ए० हाटे
'इन्दु भवन'
३४३, ठाकुरद्वार
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२८६)की फोटो-नकलसे।

४८१. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

बोरसद
१४ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

समझौतेमे प्रयुक्त "लौटाना" शब्दके अर्थके बारेमे विधि विभागके[1] अहस्ताक्षरित मतके साथ आये आपके पत्रने तो मुझे एकदम झकझोरकर रख दिया। ऐसे मतकी मुझे कतई उम्मीद नही थी। मुझे तो अपने बारेमें यह खुशफहमी थी कि विधिका मेरा अपना ज्ञान कोई बहुत गया-गुजरा नही हो गया है। परन्तु विधिके अपने ज्ञानके बारेमें मेरे मनमे जो थोडा-बहुत आत्मविश्वास था, आपके विधि-विभागके मतने उसकी जड़े हिला दी है। मै इसीलिए इस मामलेके बारेमे बम्बईमें उस समय सुलभ बड़े-से-बडे वकीलोंकी राय लेने दौड़ा। उनकी रायकी एक प्रति[2] मै आपके पास भेज रहा हूँ। इनमेंसे पहले दो हस्ताक्षरकर्त्ता बम्बईके महाधिवक्ता रह चुके है, और वे दोनो तथा तीसरे हस्ताक्षरकर्त्ता भी आज बम्बईके बडे प्रतिष्ठित वकील है और वकालत कर रहे है। इसलिए फिलहाल मेरा आत्मविश्वास तो लौट आया है, पर यह आपके लिए तो बेमतलब ही है। बम्बईके वकील, वे कितने ही प्रतिष्ठित क्यों

१. मत यह था कि "लौटा दिया जायेगा" शब्दोंका अर्थ यह होगा कि "स्वामित्व बहाल कर दिया जायेगा" और गाधी इर्विन समझौतेमें वापस लौटानेके स्थानके बारेमें कुछ भी नहीं कहा गया था।
२. देखिए परिशिष्ट १०।

न हों, जो राय दे रहे हैं, उसे आप अपने विधि-विभागकी रायको देखते हुए स्वीकार न कर पाये, आपकी यह विवशता मैं भली-भाँति समझता हूँ, भले ही विधि-विभागकी राय समझदारीसे बिलकुल ही खाली लगती हो। इसलिए मैं आपके सामने भी वही सुझाव रख रहा हूँ जो मैंने बम्बई सरकारके सामने रखा है। चूँकि 'नवजीवन प्रेस' के प्रबन्धकोंके लिए यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है, इसलिए मैं बम्बई सरकारके समक्ष रखा अपना यह सुझाव फिर दोहराता हूँ कि पूरा मामला बम्बईके मुख्य न्यायाधिपति को पंच-फैसलेके लिए सौंप दिया जाये। स्वाभाविक ही है कि प्रबन्धक-मण्डल चाहता है कि इस बहसको जल्द-से-जल्द निबटा दिया जाये और प्रेससे वंचित किये जानेके कारण लगातार होनेवाली हानिसे भी अपनेको बचाया जाये। इसलिए आशा है कि इस मामलेमें अविलम्ब कोई-न-कोई फैसला करके इसे निबटा दिया जायेगा।

इस संकटपूर्ण स्थितिके सिलसिलेमें मुझे सामान्य महत्वके एक मामलेकी भी चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि समझौतेसे उत्पन्न होनेवाली समस्याओंके सम्बन्धमें बम्बई सरकार ज्यादा झंझटे पैदा कर रही है, मैंने आपसे जिनका जिक्र किया है उनसे कहीं ज्यादा। फिर मद्रास अहातेमें भी शराबके ठेकों पर धरना देनेके सिलसिलेमें झंझटें बढ़ती जा रही हैं। इसी मुद्देके बारेमें श्री राजगोपालाचारी द्वारा जारी की गई हिदायतोंका एक अंश मैं उद्धृत कर रहा हूँ। हिदायतें आप देख चुके हैं और उनकी आपने इतनी सराहना की थी कि आपने उनको बधाई देनेके लिए मुझसे कहा था। उद्धरण इस प्रकार है:

> मैं अबतक इसी कोशिशमें था कि आपकी परेशानी न बढ़ाऊँ। यहाँकी सरकार अब यह महसूस करने लगी है कि शान्तिपूर्ण धरना उतना हानि रहित नहीं जितना कि उसने उसे समझा था। उसे पता चला है कि वह शराब-बन्दीका सचमुच सबसे कारगर साधन है; और फलस्वरूप राजस्वको खतरा पैदा हो जाता है। वह शराबके ठेके लेनेवालोंको इस वर्ष तो कायम रख सकती है, लेकिन अगले वर्ष ठेकोंकी नीलामीके समय क्या होगा? उसने देख लिया है कि किसी भी जोर-जबरदस्ती या किसी भी प्रकारकी हाथापाईके बिना धरना देनेसे ही लोग शराबकी दूकानों पर जानेसे कतराने लगते हैं।
>
> ठेकेदारोंने भी सोचा था कि पुलिस पिछले वर्षकी भाँति इस वर्ष भी कांग्रेसकी कार्रवाइयोंमें हस्तक्षेप करेगी। इसीलिए उन्होंने शुरूमें स्वयंसेवकोंके काममें कोई बाधा नहीं डाली। लेकिन अब वे महसूस करने लगे हैं कि सन्धिने हालातकी सारी रंगत ही बदल दी है। इसलिए वे भय खाने लगे हैं। उन्होंने सरकारसे जोरदार अपीलें करनी शुरू कर दी हैं कि या तो पुलिस इस स्थितिमें हस्तक्षेप करे या फिर बकाया राशि बट्टेखातेमें डाल दी जाये। इस प्रकार अब सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों दोनों ही की आँखें खुल रही हैं और वे धरनोंकी नैतिक शक्ति तथा सन्धिके परिणामोंकी असलियत समझते जा रहे हैं। इसीलिए लगता है कि सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों दोनोंने ही नई

तरकीबें इस्तेमाल करनेका फैसला कर लिया है। अब लगभग एक-साथ ही हर जगह स्वयंसेवकोंको डरानेके लिए की जानेवाली गुंडागर्दीके अनेक समाचार आये हैं। गुंडागर्दी की तो उम्मीद की भी जा सकती थी, लेकिन उसके अलावा अब ठेकेदार लोग कार्यकर्त्ताओं और उनके हमदर्दोंपर जुर्माने कराने तथा सजाएँ दिलानेके लिए और कांग्रेस संगठनोंको परेशानीमें डालनेके लिए नागरिकोंसे शिकायतें करवाकर उनपर झूठे आरोप लगवा रहे हैं। इसमें उनको सरकारी अधिकारियोंकी शह मिली है या नहीं, मैं निश्चित तौरपर नहीं कह सकता। और न्यायाधीशोंका भी खयाल है कि उनको शराबके ठेकेदारोंका ही समर्थन करना चाहिए। इतना ही नहीं, न्यायाधीशोंको यदि किसी मामलेके बारेमें पता भी होता है कि वह सरासर झूठा है, तो भी वे अपने बारेमें ऐसा सन्देह पैदा नहीं होने देना चाहते कि वे कांग्रेसका पक्ष ले रहे हैं और सरकारके राजस्वकी परवाह नहीं करते।

स्थानीय पुलिस अधिकारियोंने धरने देनेवालोंको तंग करना और धरनोंमें बाधाएँ डालना शुरू कर दिया है। वे जानते हैं कि धरनोंमें किसीके साथ जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाती और उनसे शान्ति-भंग नहीं होती और वे धरनोंपर कोई कानूनी आपत्ति नहीं उठा सकते, इसलिए वे अब दूसरे हथकण्डे इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पुलिसकी शक्तिका प्रदर्शन करने लगे हैं। वे स्वयंसेवकोंको अलग-अलग पकड़कर दूकानोंसे और एक-दूसरेसे भी बहुत दूर-दूरके स्थानोंपर छोड़ आते हैं और स्वयंसेवकोंसे ऐसी-ऐसी शर्तोंका पालन करनेके लिए कहते हैं, जिनसे धरने एक बिलकुल ही बेअसर तमाशा बनकर रह जायें। स्थानीय पुलिस अधिकारियोंको छूट दे दी गई है कि वे शहरी और ग्रामीण जनताको आतंकित करें और खुलेआम कहें कि कांग्रेस स्वयंसेवकोंको सहायता या आश्रय देना अपराधियोंको प्रोत्साहन देना समझा जायेगा। सच तो यह है कि फिरसे १९३० का वातावरण बनानेकी कोशिश की जा रही है।

सरकारी अधिकारी जो भी कदम उठा रहे हैं, उसका मैंने पूरी ईमानदारीके साथ अच्छे-से-अच्छा अर्थ लगानेकी कोशिश की है। लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इसमें असफलता ही हाथ लगी है। यदि आपको समय मिल जाये तो कृपया संलग्न कागजात देख लीजिये।

हो सकता है कि आप प्रान्तीय सरकारों द्वारा समझौतेको कार्यान्वित करने या न करनेके मामलेमें कोई दखल न दे सकते हों, या हो सकता है कि आपका हस्तक्षेप उतना कारगर न हो सके जितना कि समझौतेको देखते हुए मेरे विचारसे होना चाहिए। इसलिए अब शायद समय आ गया है कि समझौतेकी व्याख्याके प्रश्नोंपर फैसला देने और दोनों पक्षों द्वारा समझौतेकी शर्तोंपर पूरा-पूरा अमल करानेके लिए

स्थायी मध्यस्थमण्डल नियुक्त कर दिया जाये। इसलिए मै चाहूँगा आप इस सुझाव-पर विचार करे।

हृदयसे आपका,

संलग्न : १

श्री एच० डब्ल्यु० एमर्सन
शिमला

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल सख्या, १६-बी, १९३१।
सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय

४८२. पत्र : प्रभावतीको

१४ जून, १९३१

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिल गया है। मै तेरी कठिनाइयाँ समझता हूँ। ईश्वर तेरी सहायता करेगा। तू निश्चिन्त होकर रहना। जब आ सके आ जाना। अभी तो बोरसद आना पडा है, किन्तु तू पत्र बारडोलीके पतेपर ही लिखना। क्योकि तेरा जवाब आनेतक तो शायद मै वहाँ पहुँच ही चुकूँगा।

विलायत जानेके बारेमे कुछ निश्चित नही। जाना भी हुआ तो १५ अगस्तसे पहले नही होगा।

इस वक्त तेरी खुराक क्या है?

पिताजी अब कैसे है?

राजेन्द्र बाबू बीमार थे। अब ठीक है। कुछ दिनोमे यहाँ आ जायेगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (जी० एन० ३४१४)की फोटो-नकलसे

४८३. भेंट : 'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिको

बोरसद
१४ जून, १९३१

महात्मा गांधीने 'एसोसिएटेड प्रेस' के एक प्रतिनिधिको भेंटके दौरान बताया कि बोरसद आनेका मेरा प्रयोजन मुख्यतः रासके उन लोगोंको सान्त्वना देना है, जो धारालाओं द्वारा किये जानेवाले छुट-पुट आक्रमणोंसे और बार-बार अपनी बाड़ें नष्ट हो जानेसे संत्रस्त हैं। मुझे सन्देह है कि एक सजा-याफ्ता धारालाको गाँवके मुखियाके पदपर लगातार बनाये रखनेसे धारालाओंको शह मिलती रही है। गांधीजी ने कहा कि मैं दिल्ली समझौतेकी शर्तोंके अनुसार दो आधारोंपर उसकी नियुक्ति रद्द करनेकी माँग कर चुका हूँ। एक आधार यह है कि वह व्यक्ति अवांछनीय है, दूसरा आधार यह कि दिल्ली समझौतेके अन्तर्गत उसकी नियुक्ति स्थायी रूपसे नहीं की गई है। उन्होंने रास गाँवकी गैर-धाराला जनताकी सुरक्षाकी व्यवस्था करनेकी भी माँग की है। खेड़ा जिलेके कलेक्टर महोदय इन दोनों बातोंपर विचार कर रहे हैं। कुछ और मसले भी हैं, जिनपर उनको व्यक्तिगत रूपसे ध्यान देनेकी जरूरत है। गांधीजी का विचार था कि इस अवसरपर उन अन्य मामलोंकी विस्तृत चर्चा करनेकी जरूरत नही है। यह पूछनेपर कि वे बोरसदमें कबतक रुकेंगे, गांधीजी ने कहा कि सरदार वल्लभभाईकी हिदायत है कि मैं अपना काम पूरा करते ही तुरन्त बारडोली चला जाऊँ; मैं ऐसा ही करूँगा।

गांधीजी से पूछा गया कि आपके पुत्र श्री देवदासने पिछली रातकी सार्वजनिक सभामें जो कहा था कि आप बहुत जल्द ही सीमा प्रान्त जानेकी सोच रहे हैं, उसमें कितनी सचाई है। गांधीजी ने बतलाया कि यह बात सोलहो आने सही है कि अब्दुल गफ्फार खाँ मुझे वहाँ बुलानेका आग्रह कर रहे हैं। मैं भी वहाँ जानेके लिए उतना ही उत्सुक हूँ क्योंकि मैं अपनी आँखोंसे देखना चाहता हूँ कि उस प्रान्तमें रहनेवाली आदिम जातियोंमें किस हदतक अहिंसाकी भावना घर कर पाई है; लेकिन मैं जहाँतक बन पड़े सन्धिकालके दौरान ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे सरकारके परेशानीमें पड़नेकी आशंका हो। इसीलिए मैं इस सम्बन्धमें सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। यह पूछनेपर कि अब्दुल गफ्फार खाँ आपके साथ कबतक ठहरेंगे, गांधीजी ने बताया कि मेरे और सरकारके बीच चलनेवाले पत्र-व्यवहारका कोई नतीजा निकलनेतक वे मेरे साथ रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-६-१९३१

४८४. तार : एच० एस० एल० पोलकको

बोरसद
१५ जून, १९३१

कलोफ
लन्दन

यदि मैं आया तो पहुँचते ही बडी खुशीसे लकाशायरके मित्रोंसे तुरन्त मुलाकात करूँगा। आमन्त्रित किये जानेपर माल्वींयजी आयेंगे।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७२९१)की फोटो-नकलसे।

४८५. तार : 'स्टेट्समैन,' दिल्लीको

बोरसद
१५ जून, १९३१

'स्टेट्समैन'
दिल्ली

आपका तार। भारतीय आहतसहायकदल झुटपुटा बढ जाने पर कौलैन्सोके उस युद्धके ठीक बाद पहुँचा था जिसमे लैफ्टिनेंट रावर्ट्स खेत रहे थे। तम्बू खडे करते-करते ही मुझे कर्नल गालवेका आदेश मिला कि मृत सैनिककी लाश हटाई जाय और मैंने उसके लिए सात व्यक्ति भेज दिये। आदेशके तुरन्त पालनके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद दिया गया था। हालाँकि दस्तेको हिदायत थी कि वह गोलीबारीके क्षेत्रके बाहर ही रहे, पर स्पिओनकोपकी पराजयके बाद जनरल बुलरको गोलीबारीके क्षेत्रमे भी हमारी सहायताकी जरूरत पड गई। हम मेजर बाप्टीके नेतृत्वमे खतरेके क्षेत्रसे साठ घायलोको स्ट्रेचरो पर बाहर ले आये। उनमे जनरल बुडगेट और मेजर स्काट मान्क्रीफ और अन्य अफसर भी थे। दूसरी बार बालक्रान्जमे हमने गोली-बारीके क्षेत्रमें काम किया था। इस और अन्य कामोके लिए जनरल

बुल्करके सैनिक पत्रमे मेरा उल्लेख किया गया था। स्पष्ट है कि कर्नल गालवेकी स्मरणशक्ति उनका साथ नही दे रही है।[1]

गांधी

अग्रेजी (एस० एन० १७२९२) की फोटो-नकलसे।

४८६. पत्र : मोहनलाल सक्सेनाको

बोरसद
१५ जून, १९३१

प्रिय मोहनलाल,

आपका पत्र आज ही मिल पाया। इसलिए मै उसके बारेमे जवाहरलालसे बात नही कर सका।

डिप्टी कमिश्नर जो भी कहे, मै यही मानता हूँ कि किसानोके नाम मेरा सन्देश[2] समझौतेका उल्लघन नही करता।

यह मन्शा तो कभी था ही नही कि हरएक किसानका पैसा अलग-अलग जमा कराया जाये। यदि ऐसी कोई बात थी भी तो मुझे इसकी बिलकुल याद नही है। उद्देश्य तो यह है कि लगान अदायगीके लिए बचा रखने लायक राशिको किसान और तरहसे इस्तेमाल न कर ले।

वालकृष्णका तार मिल गया था। आपने भूल-सुधार[3] देखी होगी। काफी मर्खतापूर्ण भूल थी।

अभी ऐन इस समय तो गुजरात छोड़ना मेरे लिए कठिन है। यहाँ कोई अच्छे आसार नजर नही आ रहे हैं। आपके क्षेत्रमें तो जबतक आप किसानोको नियन्त्रित रख सकते हैं, तबतक सब ठीक रहेगा। लेकिन अब जवाहरलालकी उपस्थितिसे स्थितिमे तनाव कुछ कम होगा। उसे किसानोको समझाना और उनको नियन्त्रित रखना खूब आता है।

१. देखिए "भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको", १५-६-१९३१, तथा खण्ड ३९, आत्मकथा, भाग ४, अध्याय ४० भी।

२. देखिए "सयुक्त प्रान्तके किसानोंसे" २३-५-१९३१।

३. देखिए "भूल-सुधार", ११-६-१९३१।

जैसी भी हालत हो, कृपया मुझे सूचित करना मत भूलिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री मोहनलाल सक्सेना
३४, अमीनुद्दौला पार्क
लखनऊ

अंग्रेजी (एम० एन० १७२८९) की फोटो-नकलसे।

४८७. पत्र : डब्ल्यू० ई० लुकासको

बोरसद
बरगस्ता आनन्द
१५ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं इस महीनेकी २४ तारीखको बड़ी खुशीसे आपसे भेंट करूँगा। हाँ, यदि शिमलासे बुलावा आ गया तो दूसरी बात है।[1] मैं अपने साथ सरदार वल्लभभाई पटेल और एक-दो अन्य मित्रोंको भी लाऊँगा। चूँकि मैं रातमें भोजन नहीं करता, इसलिए आपके रात्रि-भोजमें शामिल न होनेके लिए मुझे क्षमा करें; पर आप चाहें तो अन्य मित्र उसमें शामिल हो सकते हैं। आप जो भी समय बतलायेंगे, मैं आ जाऊँगा।

मुझे आपकी स्पष्टवादिता अच्छी लगी। जाहिर है कि मैं आपसे यह आशा बिलकुल नहीं करता कि आप अपनी स्वतन्त्रताका आग्रह छोड़ दें या मेरे ही विचारों को स्वीकार कर लें। एक-दूसरेको समझने और बीचकी भ्रान्तियोंको दूर करनेके लिए इस प्रकारका सम्पर्क बनाये रखना अच्छा और उपयोगी भी रहता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री डब्ल्यू० ई० लुकास
एजेंटका कार्यालय, बी० बी० ऐंड सी० आई० रेलवे कम्पनी
बम्बई

अंग्रेजी (एस० एन० १७२९०)की फोटो-नकलसे।

१. "डिनर क्लब" के सम्बन्धमें गांधीजीकी टिप्पणीके लिए देखिए खण्ड ४७, "यूरोपीय युवक", २-७-१९३१।

४८८. पत्र : नारणदास गांधीको

वोरसद
मौनवार, १५ जून, १९३१

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। शकरभाई वम्बई गया है। मैंने उसे कमलाको[1] मेरे पास ले आनेके लिए लिखा है।

जिस मकानमे मै रहता था उसका और वाकी कोठरी भी अगर अवतक इस्तेमाल न की जा रही हो, तो उसका इस्तेमाल अव कर लेना। लोगोकी सख्या कुछ वढी है, अभी और वढेगी। इस्तेमाल करनेसे सार-सँभाल होती रहेगी। वाके साथ वात कर ली है। वह सहमत है और उसे सुझाव पसन्द आया है। फिलहाल हमारे वहाँ आकर रहनेकी कोई वात ही नही है, तो फिर इतना वड़ा मकान खाली क्यो रखें?

वापूके आशीर्वाद

गुजराती एम० एम० यू०–१ से।

४८९. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

वोरसद
१५ जून, १९३१

वोअर युद्धमें उनकी सेवाओंको लेकर चलनेवाली बहसके सम्बन्धमें 'एसोसिएटेड प्रेस' के एक प्रतिनिधि द्वारा मुलाकात करनेपर महात्मा गांधीने कहा :

ग्यारह सौसे अधिक व्यक्तियोंका भारतीय आहतसहायक दल कॉलेन्जोके निकट शीवेली शिविरमे शामको अँधेरा वढ़ जानेपर उस युद्धके फौरन वाद पहुँचा था जिसमे लेफ्टिनेंट रॉवर्ट्स काम आये थे। मुझे कर्नल गालवेका आदेश मिला था कि लेफ्टिनेटका शव तुरन्त हटाया जाना है। तवतक हम खेमे गाडनेका काम भी पूरा नही कर पाये थे।

मैंने इसके लिए सात व्यक्ति, कुली नही, शिक्षित व्यक्तियोको भेजा था, जो काफी रात गये लौटे थे और कर्नल गालवेने मुझे तुरन्त कार्रवाई करनेके लिए विशेष रूपसे धन्यवाद दिया था और अगले दिन डॉ० वूथके जरिए मुझे अपने शिविरमें मिलनेके लिए आमन्त्रित किया था।

१. शंकरलालकी कन्या।

यह बात बिलकुल सही है कि उस अवसर पर गोलीबारीके क्षेत्रका कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि घायलोंको हटानेके लिए उस समय युद्ध रोक दिया गया था। यह बात भी सही है कि गोलीबारीके क्षेत्रमें कार्रवाई करनेकी हमारी इच्छाके बावजूद हमसे कह दिया था कि हमें ऐसा नहीं करने दिया जायेगा, परन्तु स्पिओन कोपकी पराजयके बाद स्थिति गम्भीर हो गई थी।

जनरल बुलर मेरे शिविरमें आये और उन्होंने कहा कि हम स्पिओन कोपकी तलहटीसे लगभग साठ जख्मियोंको वापस लानेके लिए गोलीबारीके क्षेत्रमें प्रवेश करेंगे। मेरे साथियों और मुझको यह सौभाग्य प्राप्त करके बड़ी खुशी हुई और हमने मेजर वाप्टीके नेतृत्वमें नावोंका पुल पार करके गोलीबारीके क्षेत्रमें प्रवेश किया और वहाँसे जख्मियोंको हटाया जिनमें जनरल बुडगेट, मेजर स्कॉट मॉनक्रीफ और अन्य अफसर भी थे। हम उनको स्ट्रेचरोंपर २५ मीलतक ले गये।

कोपके तुरन्त बाद ही हमने बाल-कान्जमें एक बार फिर गोलीबारीके क्षेत्रमें काम किया था। इस सेवा और अन्य सामान्य सेवाओंके लिए जनरल बुलरके सैनिक पत्रमें मेरा उल्लेख किया गया था और बीस अन्य नायकों (लीडर्स)के साथ युद्ध पदक (वार मेडिल) भी प्रदान किया गया था।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-६-१९३१

४९०. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

बोरसद

१६ जून, १९३१

आपका विस्तृत पत्र मिला। संलग्न प्रतिसे आपको पता चलेगा कि मैंने उसका क्या उपयोग किया है।[1]

मुझे लग रहा है कि सभी अनिर्णीत प्रश्न किसी मध्यस्थता मण्डलको ही सौंपने पड़ेंगे और यदि केन्द्रीय सरकार सचमुच उनको हल करनेके लिए तैयार हो और मैं समझता हूँ कि वह है तो वह ऐसा एक मण्डल नियुक्त करनेके मेरे प्रस्तावको स्वीकार कर लेगी। मण्डलके स्वरूपके बारेमें कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु मेरा ख्याल है कि सरकार सिद्धान्तको तो स्वीकार कर लेगी। क्या इस दिशामें कुछ और करनेका भी आपका कोई सुझाव है? अन्तिम रूपसे उत्तर मिलने तक आप कोई बड़ा साहसपूर्ण कदम न उठायें। पर मैं आपको इस बातसे सहमत हूँ कि यदि हमें बिलकुल ही कुछ नहीं मिलना, तो हमारी ओरसे अपनी इच्छानुसार वैसा कोई कदम उठाना सर्वथा उचित रहेगा, और अविवेकपूर्ण अधिकारियोंको गैर-

१. देखिए "पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको", १४-६-१९३१।

कानूनी हरकतोंका मुकाबला करनेके लिए जहाँ भी जरूरत पड़े, स्थानीय तौरपर और किसी खास मुद्देको लेकर सविनय अवज्ञा शुरू कर सकनेकी बात भी शामिल है।

मैं चाहता हूँ कि आप 'यंग इंडिया' के आगामी अंकमें कार्य-समितिके प्रस्तावके बारेमें लिखे गये मेरे लेख[1] को सावधानीसे पढ़ जायें। मुझे वह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया। साथ ही, कार्य-समितिके अपने दृष्टिकोणसे उसे उचित ठहराया जा सकता है। मैंने जो विकल्प सुझाया था, वह कहीं अच्छा था और मैं समझता हूँ कि बहुमत के साथ मतदान करनेवाले कुछ सदस्य मेरी बात समझ भी गये थे। पर आप मेरे लेखको आलोचककी दृष्टिसे देखिए और मुझे बतलाइए कि मेरे सुझावके बारेमें आपका क्या मत है। यह इसलिए कि यदि सम्मेलनमें हमारी माँग पूरी न हुई तो फिर उस विकल्पको ही लागू करना पड़ेगा।

आप स्वयं ही गवर्नरसे क्यों नहीं मिल लेते और शराबके ठेकोंपर धरनोंको लेकर स्वयं ही बात क्यों नहीं कर लेते?

श्री च० राजगोपालाचारी
गांधी आश्रम
तिरुचेन्गोडु (द० भारत)

अंग्रेजी (एस० एन० १७२९३)की फोटो-नकलसे।

४९१. तार : सीतलासहायको

बोरसद
१७ जून, १९३१

सीतलासहाय[2]
मारफत कांग्रेस
रायबरेली

आपका पत्र। बारडोलीसे आपको तार दिया।[3] जवाहरसे परामर्श कीजिए।

गांधी

अंग्रेजी (एस० एन० १७३०६)की माइक्रोफिल्मसे।

१. देखिए खण्ड ४७, "सार और छाया", १८-६-१९३१।
२. संयुक्त प्रान्तके एक खादी कार्यकर्ता।
३. उपलब्ध नहीं है। गांधीजीके निजी सचिवने इसी तारीखके पत्रमें लिखा था कि जहाँ किसान लोग तो हमारी शर्तें स्वीकार करने और लगान अदा करनेके लिए तैयार हैं, लेकिन जमींदार उसे स्वीकार करनेको तैयार नहीं, वहाँ हमें चाहिए कि हम रकम प्राप्त करके बैंकमें जमा करा दें।

४९२. पत्र : दुनीचन्दको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय लाला दुनीचन्द,

नूरजहानके बारेमें आपका पत्र अब मुझे मिल गया है। मुझे शिमलामें पता चला था कि नूरजहानने गाँवोंमें काम करनेके लिए खुद ही रुपया इकट्ठा किया था। लेकिन अगर उसका दिमाग ठीक नहीं है तो स्वाभाविक ही है कि आप उसे किसी तरहकी सहायता न दें। फिर भी मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि अबतक जितना भी खर्च हुआ हो उसकी अदायगी तो कर ही देनी चाहिए और फिर उससे साफ कह देना चाहिए कि आगे से उसे रुपये-पैसे नहीं दिये जायेंगे; क्योंकि वह उसकी मिल्कियत नहीं है। वह सारी राशि न तो उसने अकेले ही इकट्ठी की थी और न ही उस प्रयोजनके लिए वह इकट्ठी की गई थी जिसकी बात वह कहता है। सारा मामला क्षोभजनक है। लाला नूरजहान आपके भरोसेके आदमी हैं; इसीलिए उनके बारेमें आपको लिखते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है।

जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने उनकी पत्नीको जालन्धर भेज दिया है। आशा है वे वहाँ सुखपूर्वक रहेंगी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

लाला दुनीचन्द
एडवोकेट, अम्बाला

अंग्रेजी (जी० एन० ५५८९)की फोटो-नकलसे।

४९३. पत्र : आनन्द टी० हिंगोरानीको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय आनन्द,

मुझे मीराबाई नियमित रूपसे और जयरामदास जब-तब आपके बारेमें सब-कुछ बतलाते रहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरी परेशानी और न बढ़ानेके खयालसे ही मुझे पत्र लिखनेसे बचते रहते हैं।

पिताके पत्रको मैं निराशाजनक नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक रुख अपनाया था। परन्तु जयरामदासने बतलाया कि उन्होंने बादमें अपने विचारमें

थोडा संशोधन कर लिया था। मेरा ख्याल है कि अच्छे खाते-पीते घरोंके लोगोके लिए यह एक नियम बना लेना बहुत ही उचित रहेगा कि वे सार्वजनिक सस्थानोमे रहनेवाले अपने मित्रोके यहाँ ठहरनेके लिए तभी जायें जब वे उन सस्थानोमे अपने निवासके दौरान कम-से-कम अपने ऊपर खर्च होनेवाली राशिके बराबर राशि तो उनको दानके रूपमे देनेके लिए तैयार हो। यह दान शोभाके साथ इस प्रकार भी किया जा सकता है कि किसीको बुरा न लगे। यदि आपके पिताजी सहज रूपमे आते या आपकी माता या आपकी बहनको भेज देते और उनसे कह देते कि वे आपकी जेबमे सौ रुपयेका एक नोट चुपचाप डाल दे, तो और भी अच्छा रहता।

अपने शरीर या दिमागमें कमजोरीका अहसास करना ठीक नही है। ऐसा कुछ भी नही हुआ है जो ऐसी कमजोरी महसूस न करनेके आपके सकल्पको डिगा सके। पाँव जला ही नही था कि उसकी चिकित्साकी कोई जरूरत पडती। वह तो एक सवाददाताके अपने दिमागकी उपज ही थी।

विद्या[1]के लिए यही ठीक रहेगा कि वह दूध और फलोकी खुराक जारी रखे और यदि दूध माफिक न आये तो तबतक सिर्फ फलोपर रहे, जबतक उसे कसकर भूख न लगने लगे और अन्य आहारके लिए भी मन करने लगे। पर यदि वह किसी प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञकी देखरेखमे चिकित्साके लिए बम्बई जा सके तो और भी अच्छा रहेगा।

आपको अपनेको भाग्यका मारा नही समझना चाहिए। जरा उन करोड़ो लोगोकी बात तो सोचिये जो उन अवसरोसे भी वचित रहते है जो ईश्वरने आपके लिए जुटा दिये है। अपनेको भाग्यका मारा समझना ईश्वरके प्रति घोर कृतघ्नता है। आपको जब-तब घेरनेवाली इस निराशावादितासे आप अपनेको बिलकुल मुक्त कर लीजिए।

हृदयसे आपका,

श्री आनन्द टी० हिंगोरानी
मारफत 'हिन्दू'
हैदराबाद सिन्ध

अग्रेजी (एस० एन० १७३००)की फोटो-नकलसे।

१. आनन्द टी० हिंगोरानीकी पत्नी।

४९४. पत्र : ए० वाई० सी० वुल्फसेको

स्थायी पता, साबरमती
१७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मुझे मिल गया ।

मैं अगूठी साथ ही लौटा रहा हूँ।

आशा है, मानवताके लिए हितकारी एक कलाकृतिके सृजनकी आपकी इच्छा फलीभूत होगी।

यह भी आशा है कि आपने स्वास्थ्य-लाभ कर लिया है।

दो व्यक्ति-चित्र मिले थे। उनके लिए मेरा आभार ।

हृदयसे आपका,

श्री ए० वाई० सी० वुल्फसे
अमस्टरडम, हॉलैंड

अग्रेजी (एस० एन० १७३०१)की फोटो-नकलसे

४९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

सीतलासहायने मुझे रायबरेलीमे ताल्लुकेदारोके आशकित दमन-चक्रके बारेमें लिखा है।

विश्वविद्यालयकी इमारतके झंडेके बारेमे सलग्न सूचना तुमने देखी ही होगी। अन्य स्थानोसे भी शिकायते आ रही है। मै चाहता हूँ कि तुम समय मिलते ही इन सभी बातोकी छानबीन करके मुझे इनके बारेमे अपनी राय बतला दो। यदि सूरतमें कार्यसमितिकी बैठकके दौरान हमारी भेटतक रुकनेमें कोई हर्ज न हो तो हमे उस समय इसके बारेमें अवश्य बात कर लेनी चाहिए, या फिर उससे पहले हो तुम मुझे लिख देना।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
आनन्द भवन, इलाहाबाद

अग्रेजी (एस० एन० १७३०३)की फोटो-नकलसे।

४९६. पत्र : हरदेवी शर्माको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय मित्र,

इसी महीनेकी १५ तारीखका आपका पत्र मिला। आपके पहले प्रश्नके बारेमें मेरा ख्याल है कि अहिंसाका व्रत लेनेवालोके लिए जितने भी तरीके वैध तथा उचित हो सकते है उन सभी तरीकोसे किसानोकी मदद करनेके आप अधिकारी है, बल्कि यह आपका कर्तव्य है। वे तरीके कौन-से है — इसका फैसला तो समय समयपर परिस्थितियोको देखकर ही किया जा सकता है। 'नवजीवन' और 'यग इडिया' के पृष्ठोसे आपको आम हिदायते मिल सकती है। लेकिन मेरी राय है कि आप प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सदस्यो और पण्डित जवाहरलाल नेहरूके साथ इसके बारेमें सलाह-मशविरा जरूर कर लें। जवाहरलाल आजकल इलाहाबादमें ही हैं।

आपके दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यदि ठाकुर मलखानसिंहपर मुकदमा चलाया गया तो मुकदमा लड़ा जा सकता है और लड़ा भी जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री हरदेवी शर्मा
हाथरस (उ० प्र०)

अंग्रेजी (एस० एन० १७३०४)की माइक्रोफिल्मसे।

४९७. पत्र : के० एफ० नरीमानको

बोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय नरीमान,

पठान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके पुत्रके बारेमें आपके पत्र मुझे मिल गये। मै उनके सिलसिलेमे यथाशीघ्र काम आरम्भ कर दूँगा।

राष्ट्रीय ध्वज-चलचित्रके सिलसिलेमें मै चाहूँगा कि आप चलचित्रोके सेंसरसे सम्बन्धित विनियमोका अच्छी तरह अध्ययन कर ले और पहले तो 'बोर्ड ऑफ

सेंसर' के साथ लिखा-पढी करके उनकी दलीले जान ले। क्या आप नही मानते कि पहला कदम यही होना चाहिए?

हृदयसे आपका,

श्री के० एफ० नरीमान
काग्रेस भवन
वम्बई

अग्रेजी (एस० एन० १७३०५)की फोटो-नकलसे।

४९८. पत्र : एच० डब्ल्यू० एमर्सनको

वोरसद
१७ जून, १९३१

प्रिय श्री एमर्सन,

खान साहिव अब्दुल गफ्फार खाँके वारेमे तार[1] देनेके लिए धन्यवाद। मैंने तार उनको दिखा दिया है।

सीमा प्रान्त जानेकी मेरी इच्छाके वारेमें आशा है, आप मुझे यथासमय सूचित करेंगे।

हृदयसे आपका,

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
शिमला

[अग्रेजीसे]

अ० भा० का० क०, फाइल संख्या, १६–वी, १९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. एमर्सनका तार इस प्रकार था: "तेरह जूनका आपका तार। भारत-सरकार व्यक्तिगत सम्पर्कका महत्त्व स्वीकार करती है, लेकिन अब्दुल गफ्फार खाँके लिए वह ज्यादा अच्छा यही समझती है कि वे शिमला आनेके वजाय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्तके मुख्य-आयुक्तसे सम्पर्क स्थापित करें।"

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

जे० एच० गेरेटका पत्र[1]

अहमदाबाद
२१ अप्रैल, १९३१

खेड़ा जिलेके भू-राजस्व सम्बन्धी मामलोके सिलसिलेमें इसी महीनेकी २० तारीखका आपका पत्र मुझे मिल गया है।

२. मैं अपने १३ अप्रैल, १९३१ के पत्र द्वारा आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि हम लोगोंके बीच हुई चर्चामें उल्लिखित और उसी तारीखके आपके पत्र द्वारा मेरे पास भेजे गये मामलोकी मैं जाँच कर रहा हूँ।

३. मैं बोरसदके मामलतदार द्वारा जारी किये गये नोटिसके अनुवादपर गौर कर चुका हूँ और समझौतेकी शर्तोंके विरुद्ध पड़नेवाले उसके पहलुओंमें अनुकूल परिवर्तन करनेके लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये है।

चौकीदारोंके खर्चके बारेमें बकाया या चालू रकमकी वसूली पहले ही रद की जा चुकी है, हालाँकि यह समझौतेकी शर्तोंके अन्तर्गत नही आता।

आगे क्या कार्रवाई की जायेगी—इसके बारेमें आपको मालूम ही है कि सरकारने बिलकुल निश्चित तौरपर अपना यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह अदायगी न होनेके मामलोमे आवश्यकता पड़नेपर जोर-जबरदस्तीसे भी काम ले सकती है। जाहिर है कि इसमें नोटिस देनेकी फीस वसूल करना, एक-चौथाई राशि तकका जुर्माना करना और इसके अतिरिक्त चल सम्पत्तिकी कुर्की तथा बिक्री और अचल सम्पत्तिकी जब्ती और बिक्री करनेके ज्यादा कड़े कदम उठाना भी शामिल है।

४. आपने अपने पत्रके पहले अनुच्छेदमे काग्रेसका उल्लेख सरकार और जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमे किया है। जिन विषयोंपर दोनों पक्षोका समझौता हुआ है उनमे यह शामिल नही है और मैं इस सुझावको स्वीकार नही कर सकता। जनताको पूरी स्वतन्त्रता है और लोग जब भी चाहें, अपने मामलोके सिलसिलेमे सरकारी अधिकारियोंसे सीधे मिल सकते है।

५. आपके पत्रके अनुच्छेद २, ३ और ४ मे उल्लिखित मुद्दोके बारेमें मेरा उत्तर इस प्रकार है:

(१) रास तथा अन्य गाँवो द्वारा भू-राजस्वकी अदायगी।

१. यह "पत्र-व्यवहार" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए पृष्ठ २०।

मौजूदा स्थिति यह है कि चालू वर्षका भू-राजस्व और, ए० ओ० २९ के प्रवर्त्तनके कारण अनधिकृत हो जानेवाली वकाया राशियोको छोडकर शेष सभी वकाया राशियाँ उनको अदा करनी है। चौकीदारोके खर्चके लिए सभी जुर्माने, अर्थ-दण्ड और चालू वसूली माफ कर दिये गये है।

समझौतेकी शर्तोमें आगे अनुच्छेद १६ (ख) में वे शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं जिनके अन्तर्गत उन मामलोमे वकाया-वसूली स्थगित कर दी जायेगी, जिनमे अदायगी न कर सकनेवाले सचमुच अदायगीके इच्छुक है, पर उसके लिए कुछ और समय चाहते है। सभी अधिकारी इस धाराका सख्तीके साथ पालन करेगे।

(२) तकावी और पिछली अदायगीकी राशिका वकाया (भू-राजस्वकी अनधिकृत वकाया राशि)।

इन मामलोपर जिलाधीश गौर कर रहे है। इन सभी मामलोको लेकर आम किस्मका कोई आदेश जारी करना सम्भव नही है। सम्बन्धित व्यक्ति अपनी जिन भी कठिनाइयोकी ओर जिलाधीशका ध्यान आकर्षित करेगे उनपर वाकायदे विचार किया जायेगा।

(३) राखाओ (रखवालो)के खर्च और नोटिस देनेकी फीस वसूल न करनेके आदेश जारी कर ही दिये गये है।

चल-सम्पत्तिकी जब्तीके खर्चके मामले पर गौर किया जा रहा है।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया २०-८-१९३१

परिशिष्ट २

आर० एम० मैक्सवेलका पत्र[1]

बम्बई

२४ अप्रैल, १९३१

मुझे आपका २२ अप्रैलका पत्र प्राप्त हो चुका है। आपने उसके साथ दो पत्रो की प्रतियाँ सलग्न की थी—एक प्रति आपके नाम श्री गेरेटके २१ अप्रैलके पत्रकी थी और दूसरी उसी तारीखको उसके उत्तरमे भेजे गये स्वय आपके पत्रकी। चूंकि आपने २० तारीखके अपने उस पत्रकी प्रति सलग्न नही की जिसका श्री गेरेटने उत्तर दिया था, इसलिए वाइसराय महोदयको यह समझनेमे कठिनाई पड़ रही है कि गलतफहमी असलमे किस बातको लेकर पैदा हुई। वाइसराय महोदयका ख्याल है कि आपने ऐसा दावा तो कभी किया नही कि काग्रेसका रूप सरकार और जनताके बीच एक ऐसे मध्यस्थका है कि जिसके विना सरकार और जनता दोनो ही सीधे-सीधे परस्पर कोई व्यवहार नही रख सकते। और जबतक ऐसे किसी दावेपर आग्रह

१. यह "पत्र-व्यवहार" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए पृष्ठ २३-४, और ४३-५।

न किया जाये तबतक, वाइसराय महोदयके ख्यालसे, ऐसा कोई कारण हो ही नही सकता कि श्री गेरेटने उत्तरमे जो-कुछ कहा है उसपर कोई आपत्ति की जाये। लगता है कि आपने उनके नाम २१ तारीखके अपने पत्रमे स्वीकार किया है कि जनताके प्रतिनिधिकी आपकी हैसियतको सरकार किस सीमातक मान्यता देनेके लिए तैयार है इस बातकी आपको जानकारी है, और वाइसराय महोदयको आशा थी कि समझौते के पालनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओके बारेमें आपके साथ उन्होने विस्तारपूर्वक जो चर्चा की थी उससे आपने भली-भाँति महसूस कर लिया होगा कि सरकारका व्यवहार आपके और आप जिनका प्रतिनिधित्व करते है, उनके साथ कितना ईमानदाराना रहा है। और आप जानते ही है कि वाइसराय महोदय अपनी ओरसे पूरी तरह स्वीकार करते है कि समझौतेकी भावनाका निष्ठापूर्वक पालन करानेमें और जिनसे आप सहमत हुए है, समझौतेकी उन शर्तोको स्वीकार करनेके लिए जनताको प्रेरित करनेमें तथा अपने समर्थको पर अच्छा प्रभाव डालनेमे आप कितने अधिक समर्थ है; और वाइसराय महोदयको पूरा भरोसा है कि अपने भावी कार्यके लिए अत्यावश्यक शान्तिपूर्ण वातावरण बनानेके लिए आप उतने ही प्रयत्नशील बने रहेंगे जितने कि वाइसराय महोदय स्वय है।

इसके बावजूद यदि आप काग्रेसको एक ऐसा दर्जा दिलाना चाहते है जो कि काग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आपके साथ इस सरकार और भारत सरकार द्वारा किये गये अबतकके व्यवहारसे स्पष्ट नही हुआ है, तो वाइसराय महोदयकी रायमें वह एक ऐसा प्रश्न होगा जो आपके और भारत सरकारके बीच सीधे-सीधे सम्पन्न हुए समझौतेकी व्याख्यामें आधारभूत परिवर्तनकी अपेक्षा रखता है, इसलिए उनको खेद है कि वे इसके बारेमें कोई भी राय व्यक्त करनेमें असमर्थ है। वे इतना ही कह सकते है कि समझौतेकी किसी भी एकदम नई व्याख्याको स्वीकार करना न तो श्री गेरेट और न बम्बई सरकारके लिए ही उचित होगा। वाइसराय महोदय महसूस करते है कि आपके लिए उचित यही होगा कि इस विषयको लेकर यदि आपने अबतक न किया हो तो अब सीधे भारत सरकारसे ही बात चलायें।

आपने अपने पत्रमे व्यौरेसे सम्बन्धित कुछ बातोका भी उल्लेख किया है। उनके सम्बन्धमे मुझे यही कहना है कि इनमे से अनेक मुद्दोके बारेमें वाइसराय महोदय हाल ही में आपसे चर्चा कर चुके है और इनके बारेमे अधिक ब्यौरेवार ढंगसे बात करनेके लिए वे सहर्ष तैयार है। इस दौरान आपको इतना आश्वस्त करना ही पर्याप्त है कि बम्बई सरकार वह सारी कार्रवाई करनेके लिए बिलकुल तैयार है जिसे करना समझौतेकी शर्तोके अनुसार जरूरी साबित किया जा सके। और बम्बई सरकार उन सभी मामलोकी जाँच करानेको तैयार रहेगी जिनकी ओर आप विशेष तौरपर उसका ध्यान आकर्षित करेगे और जिनमें यह माननेका समुचित कारण मौजूद हो कि आगे कार्रवाई करना उचित है।

[अग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ३

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

शिमला
२ मई, १९३१

मैं यह पत्र आपके २२ अप्रैलके पत्र, उससे संलग्न सह-पत्रो और पत्रमें व्यक्त किये गये आपके इस विश्वासके लिए धन्यवाद देनेके लिए लिख रहा हूँ कि समझौता भग न होने देनेके लिए यथासम्भव पूरा-पूरा प्रयास किया जायेगा। मेरा ख्याल है कि कोई फौरी खतरा तो नही है, फिर भी गुजरातमे जो कठिनाइयाँ आई है— और जिनके बारेमें हम बम्बई सरकारसे परामर्श कर रहे है, उनके अलावा भी कई ऐसे मामले है जिनके बारेमें सरकार समझती है कि आपके साथ व्यक्तिगत तौरपर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। उदाहरणके लिए, सर्वसाधारण परिस्थितिके कई पहलू ऐसे है जिनमें सुधारकी आवश्यकता है। और फिर उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तका मामला भी है जिसके बारेमें आपने कल मुझे तार दिया था। मेरी जानकारीके मुताबिक तो आपका यह ख्याल गलत है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके खिलाफ जो प्रचार चल रहा है उसके पीछे किसीका हाथ है, क्योकि सरकारकी हमेशासे पूरी कोशिश रही है और अब भी है कि उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके मामलोंमें इतना उलझाव पैदा न हो पाये कि स्थिति संकटपूर्ण बन जाये; स्थितिको और अधिक बिगडी हुई बतलानेका तो उसका कोई मशा ही नही है। फिर भी कहना पडेगा कि वहाँ स्थिति सन्तोषप्रद तो कदापि नही है। आपने अपने तारमें पंजाबके गवर्नर महोदय के भाषणका भी उल्लेख किया है। उन्होने जिन घटनाओ और प्रवृत्तियोका हवाला देते हुए जो उदाहरण पेश किये थे, वे उनके प्रान्तके बारेमें ही नही, अन्य प्रान्तोंके बारेमें भी सही है। लेकिन मैं प्रसंगवश उन उदाहरणोंका विवरण प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हमारे पास बातचीतके लिए काफी मसाला है और हालाँकि इस मौसममें आपको शिमला बुलानेमे काफी संकोच हो रहा है फिर भी मुझे भरोसा है कि यदि हम दिल खोलकर बातें कर ले तो हमारी उलझने उतनी कठिन नही रह जायेगी जितनी वे दूरसे दिखाई देती है। सर मॉल्कम हेलीका उत्तर अभी मुझे नही मिला है, परन्तु मुझे पूरी आशा है कि मैं दोनो मुलाकातोंको सम्भव बना लूंगा। यदि यह क्रम ठीक चला, तो ११ मईके आसपास आपका यहाँ आना सुविधाजनक रहेगा। मैं और पहलेकी तिथि इसलिए नही सुझा रहा हूँ कि अगले कुछ दिनोका अपना कार्यक्रम शायद आप निश्चित कर चुके होंगे और फिर हमें कुछ सामग्री भी इकट्ठी करनी है। मुझे आशा है कि उस समयतक गोलमेज परिषद्से

१. यह "पत्र-व्यवहार" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए पृष्ठ २४।

सम्बन्धित कार्य-विधिका प्रश्न भी ऐसी स्थितिमें पहुँच चुका होगा कि उसपर उपयोगी ढंगसे चर्चा की जा सके।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २०-८-१९३१

परिशिष्ट ४

सुखदेवका पत्र[1]

परम कृपालु महात्माजी,

हालके समाचारोंसे पता चलता है कि अपनी शान्ति-वार्ताओंकी सफल परिसमाप्ति के बादसे आपने कई बार सार्वजनिक तौरपर क्रान्तिकारी कार्यकर्त्ताओंसे अपील की है कि वे अहिंसाके सिद्धान्तके परीक्षणका एक अन्तिम अवसर आपको देनेके लिए कम-से-कम अभी कुछ और समय तकके लिए अपना आन्दोलन बन्द कर दें। सच तो यह है कि किसी भी आन्दोलनको बन्द करनेका प्रश्न न सिद्धान्तसे ताल्लुक रखता है न भावुकतासे। आन्दोलनको बन्द करनेका फैसला तो समय-समयपर परिस्थितियोंकी आवश्यकता विशेषको ध्यानमें रखकर ही किया जाता है। परिस्थितियाँ नेताओंको अपनी कार्यनीतिमें परिवर्तन करनेपर विवश कर देती है।

आइए, हम यह मानकर चलें कि शान्ति वार्ताओंके दौरान आपने एक क्षणके लिए भी इस तथ्यको अनदेखा नहीं किया और न इसपर पर्दा ही डाला है कि यह कोई अन्तिम समझौता बनने नहीं जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सभी समझदार लोग बड़ी आसानीसे यह बात समझ सकते हैं कि जितने भी सुधार आप हासिल कर सके हैं उन सबको कार्यान्वित करानेके बाद भी कोई यह नहीं सोचेगा कि बस हमारी अन्तिम मंजिल आ गई। लाहौर कांग्रेसके प्रस्तावके कारण कांग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्तितक अविराम संघर्ष करते रहनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। इस प्रस्तावको देखते हुए, शान्ति और समझौता तो बीचकी केवल एक अस्थायी सन्धिके समान है, जिसका अर्थ यही होता है कि अगले संघर्षको और बड़े पैमानेपर अधिक सुसंगठित ढंगसे चलानेके लिए थोड़ा विश्राम कर लिया जाये। इन कुछ विचारोंको ध्यानमें रखकर ही हम समझौता और विराम-सन्धिकी सम्भावनाकी कोई कल्पना कर सकते हैं और उसका औचित्य ठहरा सकते हैं।

कोई भी विराम-सन्धि किन शर्तोंपर और किस उपयुक्त अवसरपर की जा सकती है इसका निर्णय तो आन्दोलनके नेता ही कर सकते हैं। लाहौर प्रस्तावके होते हुए भी, आपने अभी कुछ समय तकके लिए सक्रिय आन्दोलनको बन्द करना उपयोगी माना है, लेकिन फिर भी वह प्रस्ताव तो अपनी जगह बना हुआ है। 'हिन्दुस्तान

१. यह "एक खुला-पत्र" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए २९-३१।

सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी'—जैसा कि उसके नामसे ही स्पष्ट है—के सदस्य देशमे एक समाजवादी गणतन्त्रकी स्थापना करना चाहते है, और समाजवादी गणतन्त्र किसी प्रकारका समझौता या आधी-ऊधी चीज नही है। क्रान्तिकारी तो अपने लक्ष्यकी प्राप्तितक, अपने आदर्शकी चरम परिणतितक सघर्ष जारी रखनेके लिए कृत-संकल्प है। परन्तु वे बदलती हुई परिस्थितियो और वातावरणोके अनुसार अपनी कार्य-नीति परिवर्तित करनेमें बिलकुल सक्षम है। क्रान्तिकारी सघर्ष विभिन्न दौरोमें विभिन्न रूप धारण करता चलता है। कभी उसका रूप बिलकुल खुला, सार्वजनिक होता है, तो कभी वह छिपा हुआ, गुप्त रहता है, किसी दौरमे वह मात्र प्रचार-आन्दोलनोंतक सीमित रहता है तो किसी दौरमे जीवन और मृत्युके बीच एक भीषण सघर्षकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। क्रान्तिकारी अपने आन्दोलनको बन्द करनेके लिए तभी तैयार हो सकते है जब परिस्थितिमें कोई ऐसी विशेष बात पैदा हो जाये जिसके विचारसे आन्दोलनको बन्द करनेका औचित्य समझमें आ सके। परन्तु आपने ऐसा कोई निश्चित विचार सामने नही रखा है। मात्र भावुकताके आधारपर की गई अपीलोका क्रान्तिकारी सघर्षोमे कोई अधिक महत्व नही होता और न हो ही सकता है।

आपने अपने समझौतेके बाद अपना आन्दोलन वापस ले लिया है और उसके फलस्वरूप आपके सभी बन्दियोको रिहा कर दिया गया है। पर क्रान्तिकारी बन्दियो का क्या हुआ? १९१५ से जेलोमे बन्द गदर पार्टीके दर्जनो बन्दी अबतक वही सड़ रहे है, बावजूद इस बातके कि वे अपनी सजाएँ पूरी काट चुके है। मार्शल लॉके तहत बन्दी बनाये गये अनेक लोग अबतक जीवित दफनाये गये-से पडे है। बबर अकालियोका भी यही हाल है। देवगढ, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यन्त्र केसके बन्दी भी अन्य अनेक बन्दियोंके साथ जेलोमें बन्द है। लाहौर, दिल्ली, चटगाँव, बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानोपर षड्यन्त्रके दर्जनों मुकदमे चल रहे है। दर्जनों क्रान्तिकारी फरार है; उनमें अनेक महिलाएँ भी है। एक दर्जनसे अधिक बन्दी सच-मुच फाँसीके फन्दोके इन्तजारमें है। इन सबके बारेमे क्या हुआ? लाहौर षड्यन्त्र केसके सिलसिलेमे फाँसीकी सजा पाये जिन तीन बन्दियोको सौभाग्यसे काफी ख्याति मिल गई है और जिन्होंने जनताकी अपार सहानुभूति प्राप्त कर ली है, केवल वे ही तो 'क्रान्तिकारी दल' नही है। दलके सामने उनके भाग्यका प्रश्न ही तो एक-मात्र प्रश्न नही है। सच तो यह है कि उनकी सजाएँ माफ होनेके बजाय यदि उनको फाँसी लग जाये तो शायद देशका ज्यादा लाभ होगा।

लेकिन इस सबके बावजूद आप उनसे आन्दोलन बन्द करनेकी खुली अपील कर रहे है। वे उसे बन्द क्यों करे? आपने कोई निश्चित बात तो कही नही है। ऐसी परिस्थितियोमे आपकी अपीलोका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि उस आन्दोलनको कुचलनेके लिए आपने नौकरशाहीके साथ गठबन्धन कर लिया है और आपका इस तरह अपील करना क्रान्तिकारियोके बीच विश्वासघात, दलत्याग और गद्दारीका प्रचार करनेके बराबर है। यदि ऐसा न होता तो आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यह होती कि आप कुछ प्रमुख क्रान्तिकारियोसे सम्पर्क स्थापित करके उनसे इन सबकी

चर्चा कर लेते। आपको चाहिए था कि आप उनको आन्दोलन बन्द करनेकी बातपर पूर्णतः सहमत करनेकी कोशिश करते। मैं नहीं समझता कि आम दकियानूसी लोगोंकी तरह आपको भी यह विश्वास है कि क्रान्तिकारियोंमें तर्क-विवेकका नितान्त अभाव है और उनको विनाश तथा विध्वंसमें आनन्द आता है। हम आपको बतला दें कि वास्तवमें बात बिलकुल उल्टी है। क्रान्तिकारी लोग हर कदम उठानेसे पहले हमेशा उसके औचित्य तथा परिणामोंपर विचार कर लेते हैं और अपने हर कदमकी जिम्मेदारी वे पूरी तरह महसूस करते हैं और अन्य किसी भी पहलूकी अपेक्षा क्रान्तिकारी कार्यक्रमके रचनात्मक पहलूको सर्वाधिक महत्व देते हैं। हालाँकि वर्तमान परिस्थितियोंमें वे अपने कार्यक्रमके विध्वंसात्मक पक्षमें जुटे रहनेके अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते।

क्रान्तिकारियोंके प्रति सरकारकी वर्तमान नीति उनको जनताकी उस सहानुभूति और समर्थनसे वंचित करनेकी है जिन्हें उन्होंने अपने आन्दोलनके दौरान प्राप्त कर लिया था और इससे वंचित करके सरकार उनको कुचल देना चाहती है। जनतासे विलग करनेके बाद उनको आसानीसे शिकार बनाया जा सकता है। इस तथ्यको देखते हुए उनसे भावुकताके आधारपर ऐसी अपीलें करना जिनसे उनमें पस्तहिम्मती फैले नितान्त अविवेकपूर्ण और क्रान्ति-विरोधी काम है। यह तो उनको कुचलनेमें सरकारकी सीधी सहायता करना होगा।

इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप या तो कुछ क्रान्तिकारी नेताओंसे बात कर लें — जेलोंमें क्रान्तिकारी भरे पड़े हैं — और उनके साथ सुलह कर लें या फिर इस तरहकी अपीलें निकालना बन्द कर दें। भलाई इसीमें है कि आप इन दोनोंमें से कोई एक मार्ग अपना लें और उसपर पूरे हृदयसे अमल करना शुरू कर दें। आप यदि उनकी सहायता नहीं कर सकते तो उनपर रहम तो खा सकते हैं। उनको अपने हालपर छोड़ दीजिए। वे अपनी चिन्ता ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। वे जानते हैं कि भावी राजनीतिक संघर्षमें क्रान्तिकारी दलका अधिनायकत्व सुनिश्चित है। जनता उनके आह्वानपर खड़ी हो रही है और वह दिन दूर नहीं, जब वे जनताको अपने ध्वजके नीचे एकत्र कर उसे समाजवादी जनतन्त्रके अपने उच्च और महान आदर्शोंकी ओर ले जायेंगे।

और यदि आप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण समझनेके लिए उनके साथ बैठकर बात कीजिए और समस्याके बारेमें ब्यौरेवार चर्चा कर लीजिए।

आशा है कि आप उक्त अनुरोधपर विचार करने और अपना मत सार्वजनिक रूपसे व्यक्त करनेकी कृपा करेंगे।

आपका,
अनेकमें से एक

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, २३-४-१९३१

परिशिष्ट ५

एच० डब्ल्यू० एमर्सनका पत्र[1]

शिमला
३० अप्रैल, १९३१

प्रिय श्री गाधी,

आपको याद होगा कि बम्बईमें आपसे अपनी पिछली भेंटके दौरान मैंने वचन दिया था कि मै गवर्नर महोदय सर मॉल्कम हेलीके साथ आपकी भेंट निश्चित कराने के लिए उनको लिखूंगा। मैंने अगले दिन ही उनको लिख दिया था। उनका पत्र अभी-अभी आया है। वे इससे पहले उत्तर नही दे सके क्योकि राजस्व और लगानके लेखे-जोखेमें व्यस्त थे। वे महसूस करते है कि जबतक वे तथ्योकी पूरी-पूरी जानकारी हासिल करके अपने दिमागमें ठीक-ठीक यह न समझ ले कि क्या राहत देना जरूरी है, तबतक आपके साथ चर्चा करनेका कोई लाभ नही होगा। दूसरे शब्दोमें कहें तो वे बिलकुल ठीक-ठीक समझ लेना चाहते थे कि वे आपको क्या आश्वासन दें जिससे कि मामला पूरी तौरपर हल हो सके। इस समयतक सभी जिलोंसे विवरण प्राप्त नही हो सका है, लेकिन सर मॉल्कम हेलीको आशा है कि एक सप्ताहके अन्दर-अन्दर उनको स्थितिकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जायेगी और वे आपके साथ उसपर चर्चा कर सकेगे। उनका अगला पत्र आनेपर मै आपको सूचित कर दूंगा।

२. समाचारपत्रोमे यह देखकर मुझे बडा दु:ख हुआ कि आप कुछ अस्वस्थ रहे है; आशा है कि वे समाचार सही नही होगे या होगे भी तो अबतक आप पुन: स्वस्थ हो चुके होगे।

हृदयसे आपका,
एच० डब्ल्यू० एमर्सन

मो० क० गाधी
अहमदाबाद

गृह-मन्त्रालय, राजनीतिक फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य: भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. देखिए पृष्ठ ११६।

परिशिष्ट ६

गांधीजीके साथकी अपनी भेंटका एमर्सन द्वारा विवरण[1]

गोपनीय

मैंने समझौतेसे उत्पन्न होनेवाले प्रश्नो और प्रसंगवश आम महत्वके प्रश्नोंके भी बारेमे श्री गाधीके साथ १३, १४, १५ और १६ मईको विस्तारपूर्वक चर्चा की।

२. चर्चाका सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय था—गुजरातकी परिस्थिति। इन विशेष प्रश्नपर चर्चा हुई:

(क) श्री गाधीने कहा कि खेड़ा जिले और खासकर बोरसद ताल्लुकेमें स्वयं उनके और वहाँके जिलाधीश श्री पैरीके बीच एक तरहका सहयोग स्थापित हो जानेके कारण कुल मिलाकर सभी चीजें काफी सन्तोषप्रद ढंगसे चल रही है। उन्होंने कहा कि लोगोंसे जितनी जल्दी बन पडता है, लगानकी अदायगी करते जाते है और वे स्वयं भी अलग-अलग मामलोंकी जाँच करके अपनी तसल्ली करते रहते है कि लोग अपनी परिस्थितियोके अनुसार यथाशक्ति अदायगी कर रहे है या नही। वे लगानकी अनधिकृत बकाया राशिके[2] बारेमे चिन्तित थे। उन्होने कहा कि यह बात तो हम दोनों ही मानते है कि चालू लगान और बकाया लगानकी अदायगी जो भी कर सकते हैं उनको करनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी अनेक लोग है जो चालू वर्षका लगान तो अदा कर सकते है पर बकाया राशिकी अदायगी करनेमें असमर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि मै चाहता हूँ कि प्रान्तीय सरकार एक आम किस्मका ऐसा ऐलान कर दे कि ऐसे मामलोमें बकाया राशिकी अदायगी अपने आप मुल्तवी मान ली जायेगी। उनकी दलील थी कि जब सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें शामिल न होनेवाले लोगोंकी बकाया राशियाँ मुल्तवी की गई हैं और इस प्रकार वे राशियाँ अधिकृत बना दी गई है, तब फिर सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेवालोपर बकाया पड़ी राशियोंको मुल्तवी करनेका और भी अधिक औचित्य मौजूद है, क्योंकि वे आन्दोलनके दौरान पहले ही बहुत काफी कष्ट भोग चुके है और स्पष्ट है कि अदायगीकी दृष्टिसे उनकी स्थिति और भी बुरी है। मैंने कहा कि मै जहाँतक समझ पाया हूँ, सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग न लेनेवाले सभी लोगोकी बकाया राशियाँ मुल्तवी करनेका कोई आम आदेश तो नही निकाला गया; फिर भी लगान सम्बन्धी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाके अनुसार कुछ ऐसी बकाया राशियोंको जरूर मुल्तवी किया गया है जिनके बारेमें इसके यथेष्ट कारण मौजूद था। हम यह मानकर नही चल सकते कि

१. देखिए पृष्ठ १६१।

२. अर्थात् वे बकाया राशिया जिनको मुल्तवी नहीं किया गया है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग लेनेवाले लोग उसमें शामिल होनेके कारण ही अदायगीके मामलेमें उन लोगोंसे ज्यादा बुरी स्थितिमें हैं जिन्होंने आन्दोलनमें भाग नहीं लिया था। आन्दोलनमें भाग लेनेवालोंमें से अनेक ऐसे हैं जिनको कोई भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बहुत काफी लोग ऐसे हैं जिनको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, और फिर किसको कितना नुकसान उठाना पड़ा—यह तो कोई कसौटी नहीं हुई, कसौटी तो यह है कि अदायगीके मामलेमें उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। इसलिए मेरी समझमें नहीं आता कि आम किस्मका कोई आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। इसपर उन्होंने कहा कि लगान देनेवाले अनेक लोग चालू वर्षका लगान और कुछ लोग बकाया राशिका कुछ अंश भी यह सोचकर अदा कर रहे हैं कि इस समय वे इतनी ही अदायगी कर सकते हैं और इनके बाद बकाया राशिकी वसूली मुल्तवी कर दी जायेगी और सरकारी अधिकारी भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोग क्या समझकर अदायगी कर रहे हैं और यदि बादमें बकायाकी वसूलीके लिए कोई जोर-जबर्दस्ती की गई तो एक बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो जायेगी। मैंने कहा कि स्पष्ट ही सरकार यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती कि सरकारको अदा की जानेवाली बकाया राशिका कितना हिस्सा अदा किया जाये, इसका फैसला अदायगी करनेवालोंपर छोड़ दिया जाये। उन्होंने स्वीकार किया कि आम तौरपर तो यह बात ठीक है लेकिन खेड़ाकी तरह जहाँ वे स्वयं और कांग्रेसके अन्य कार्यकर्त्ता भी देख रहे हैं कि लोग समझौतेका पालन करते हुए अपनी शक्ति-भर अदायगी कर रहे हैं और काफी कुछ हदतक वे लोग भी जनतासे अदायगी कराने और उसको आश्वस्त करनेमें भागीदार बन चुके हैं, वहाँ बात कुछ दूसरी हो जाती है। इसपर मैंने उनको सुझाया कि गुजरातके सभी कांग्रेसी कार्यकर्त्ता उद्देश्यके प्रति उतने ही ईमानदार तो नहीं हैं जितने कि आप स्वयं हैं, और यही कारण है कि जिलाधीशको हर मामलेकी स्वयं छानबीन करके अपनी तसल्ली करनी पड़ती है कि वसूली मुल्तवी करनेका कोई औचित्य है या नहीं। मैंने उनको बताया कि मेरी जानकारीके अनुसार तो गुजरातके कुछ इलाकोंमें लगान अदा करनेवालोंको अनधिकृत बकाया राशिकी अदायगी न करनेके लिए उकसाया जा रहा है, हालाँकि उनमें से बहुत-से अदायगी करनेकी स्थितिमें हैं। मैं यह मानकर चलता हूँ कि आम तौरपर न तो प्रान्तीय सरकारें और न स्थानीय अधिकारी लोग ही चाहते हैं कि अदायगी न कर सकनेवाले लोगोंसे भी जबरन वसूली की जाये। इसलिए सारी समस्या वास्तवमें परस्पर विश्वासकी है। यदि कांग्रेस और जनता दोनों ही ईमानदारीसे सहयोग करें और यथाशक्ति अदायगी करें, तो मैं नहीं समझता कि जोर-जबर्दस्ती की कार्रवाई करनेकी बात किसीके दिमागमें भी आयेगी। लेकिन यदि वे अपना काम ईमानदारीसे पूरा नहीं करेंगे तो मेरी समझमें नहीं आता कि जोर-जबर्दस्तीके अलावा और क्या किया जा सकता है। जो भी हो, अभी इस समय इसके बारेमें कोई निर्णय करनेकी आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। जब कभी कोई कठिनाई सामने आयेगी तो उसपर उसी समय विचार कर लेना काफी होगा।

इस बातचीतके दौरान मुझे आमतौरपर कुछ ऐसा लगा कि श्री गाधी अनधिकृत बकाया राशिकी वसूलीके सिलसिलेमे कुछ कठिनाई पैदा होनेकी बातसे आशकित है और बोरसदमे तो वे सभी-कुछ ठीक-ठीक चला रहे है लेकिन अन्य स्थानोमे असमर्थताकी आड लेकर अनधिकृत बकाया राशियोकी अदायगी रोकनेकी कोशिशें चल रही है। भावी कठिनाईका स्वरूप क्या होगा, यह इस बातपर निर्भर करेगा कि इस आन्दोलनको कितनी सफलता मिलती है, पर यदि हमे परेशानीसे बचना है तो शायद जरूरी है कि स्थानीय अधिकारी उन लोगोसे अनधिकृत बकाया राशियोकी वसूली करनेका आग्रह न करे जो सचमुच अदायगी करनेमे कठिनाई महसूस करते हो।

(ख) ग्राम-अधिकारियोको बहाल करनेके बारेमे भी हमने काफी विस्तारसे बातचीत की। श्री गाधीने एक मुद्दा यह रखा कि इस अर्थमे तो किसी भी नये पटेलकी नियुक्ति स्थायी तौरपर नही की गई है कि वह उसके जीवनपर्यन्त चलेगी। नियुक्तियाँ तो ३, ५ या १० वर्षोंकी अवधिके लिए ही की गई है, और ऐसी नियुक्तियाँ भी अगला आदेश जारी होने तककी शर्तपर की गई है, अर्थात् उनको अगले आदेश द्वारा रद भी किया जा सकता है। उन्होने कहा कि ऐसी नियुक्तियाँ स्थायी नही मानी जा सकती और इसलिए वे ५ मार्चके समझौतेके १९वे परिच्छेदके अन्तर्गत सर्वथा सरक्षित नही मानी जा सकती। मैंने उनसे कहा कि मै समझता हूँ कि नियुक्तियोकी यह व्यवस्था कोई असाधारण नही है और गुजरातमें सामान्य परिस्थितिमें भी पटेलोकी नियुक्तियाँ उनके द्वारा उल्लिखित अर्थमे स्थायी तौरपर नही की जाती रही है। प्रान्तीय सरकारका दृष्टिकोण यह है कि "स्थायी तौरपर"का अर्थ "काफी हदतक स्थायी तौरपर", और मेरा ख्याल है कि यह व्याख्या कम-से-कम तर्कसगत तो है। मैंने इसपर अपनी ओरसे आग्रह नही किया, क्योकि मै जानता था कि नई दिल्लीमे जब इस धाराको लेकर चर्चा चल रही थी तब न तो लॉर्ड इर्विनको और न श्री गाधीको ही इस तथ्यकी जानकारी थी कि ये नियुक्तियाँ इस तरहकी है और आम ख्याल यही था कि ये नियुक्तियाँ या तो स्थायी है या फिर बिलकुल ही अस्थायी किस्मकी। फिर भी धाराकी अपनी शब्द-रचनाका उस सामान्य सिद्धान्त पर कोई प्रभाव नही पडता जो इस या इसी प्रकारकी अन्य व्यवस्थाओमें निहित था। सिद्धान्त यह था कि जब नयी नियुक्ति द्वारा एक अन्य या तीसरा पक्ष भी खडा कर दिया गया हो तो उस तीसरे पक्षके अधिकारोकी रक्षा करनेका दायित्व प्रान्तीय सरकारपर जा जाता है; और स्पष्ट है कि कुछ वर्षोंकी अवधिके लिए की गई नियुक्तियोपर भी यह सिद्धान्त लागू होता है। यह दलील दी जा सकती है कि इस प्रकार उत्पन्न तीसरे पक्षके अधिकारोको सन्तुष्ट कर देनेके पश्चात् तो समझौतेकी व्यवस्थाको अमलमे लाना चाहिए और स्थिति पूर्ववत् कर देनी चाहिए। उदाहरणके लिए तीन वर्षोंके लिए की गई नियुक्तिकी अवधि पूरी होनेपर पहले उस पदपर जो पदाधिकारी था उसे उसी जैसे अधिकार दे देने चाहिए, और यदि इस बीच उसने अपात्रताका कोई कारण न दिया हो तो उसे किसी अन्यपर वरीयता दी जानी चाहिए। लगता है कि प्रान्तीय सरकार शायद इस मामलेमें ऐसा ही रुख अपनानेके

लिए तैयार हो जाये, पर मैं किसी भी तरहका कोई निश्चित वचन नहीं दे सकता था। श्री गांधी इससे अधिक सन्तुष्ट नहीं दिखाई पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने महसूस कर लिया कि उनका तर्क एकदम अकाट्य नहीं था।

उन्होंने इसके बाद दूसरा रुख अपनाया और वह यह कि आमतौर पर लोग मानते हैं कि नये नियुक्त किये गये लोग काम नहीं सँभाल पा रहे हैं और उनमें से अनेक पुराने सजायाफ्ता और बदमाश लोग हैं; उन्होंने यह भी कहा कि वे वास्तवमें लगानकी वसूली नहीं कर पाते; जो काम पहले काम करनेवाला पटेल कर रहा था, और जिस गाँवमें नया पटेल नियुक्त किया गया है वहाँ तबतक शान्ति नहीं होगी जबतक कि उसे पदसे हटा नहीं दिया जाता। अच्छे प्रशासनके हितमें नये पटेलोंको या तो हर्जाना देकर या उनको कोई दूसरा काम देकर इस शिकायतको दूर किया जाये। मैंने कहा कि जहाँतक मैं जानता हूँ प्रान्तीय अधिकारी किसी भी पटेल विशेषके खिलाफ की गई सही किस्मकी शिकायतोंकी जाँच करनेके लिए तो बिलकुल तैयार हैं, लेकिन झूठमूठकी शिकायतोंमें तो उनको बचाना ही पड़ेगा, और यह कि ऐसे मामलोंमें नया नियुक्त किया गया पदाधिकारी नियुक्ति विशेषका पूरा अधिकारी है, और वे पटेल लोग खुद भी यह माननेको तैयार नहीं होंगे कि नियुक्ति के स्थानपर उन्हें हर्जाना दे देना काफी है। हाँ, अन्य स्थान रिक्त होनेपर त्यागपत्र दे चुकनेवाले पटेलोंको उनपर नियुक्त करके स्पष्ट ही इस जटिल समस्याको थोड़ा-बहुत सुलझाया जा सकता है; लेकिन मैं कह नहीं सकता कि यह उपाय व्यावहारिक होगा या नहीं। जाहिर है कि यह प्रश्न भी उनको काफी परेशान किये हुए है।

(ग) बिकी हुई जमीनोंकी फिरसे खरीद करनेकी बातसे वे काफी प्रसन्न दिखाई पड़ते थे। कौन-सी जमीन किस कीमतपर बेची गई थी — इसका ठीक-ठीक पता लगानेमें इतनी अधिक कठिनाइयाँ पड़ीं, इसकी उनको बड़ी शिकायत थी। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि जो व्यवस्था कर दी गई है वह हर प्रकारसे समुचित है और उससे सभी अपेक्षाएँ पूरी हो जायेंगी। मौजूदा व्यवस्था यह की गई है कि ऐसे सभी सौदे गाँवोंके खसरोंमें या तो दर्ज कर दिये गये हैं या जल्द ही दर्ज कर दिये जायेंगे और वे खसरे जनताके लिए सुलभ रहेंगे। उन्होंने बतलाया कि धारालो लोगोंसे जमीनें लौटानेमें उन्होंने जितनी समझी थी उससे कहीं ज्यादा कामयाबी उनको मिल रही है। और सच तो यह है कि दूसरे जिन लोगोंसे उनको आसानीसे निभने की उम्मीद थी, उनकी अपेक्षा धारालाओंसे उनकी कहीं अच्छी पटरी बैठ रही है। मैंने उनसे पूछा कि गरदा अपने सौदेसे क्यों मुकर गया है। वे यह माननेको तैयार नहीं थे कि गरदाको काग्रेससे ऐसी कोई शिकायत होनेका कोई कारण हो सकता है कि कांग्रेसने अपनी तरफसे सौदेकी शर्तें निभानेमें कोई चूक की है और उन्होंने बतलाया कि वे सर कावसजी जहाँगीरके साथ पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि खेडा जिलेमें कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें बकाया लगान न भर पानेपर उनकी जमीनें जब्त कर ली गई हैं और फिर उनको सरकारी सम्पत्ति घोषित करके बेच दिया गया है और उनकी बिक्रीसे हासिल रकम भी उस खातेदार

के खातेमे जमा नही की गई है, और यहाँतक कि जिस बकाया राशिके लिए जमीन जब्त की गई थी; वह राशि अब भी अदा करनेको कहा जा रहा है। मैंने कहा कि मुझे इसके बारेमें शक है, हालाँकि मुझे यह तो मालूम था कि जब्तशुदा जमीनोकी बिक्रीसे हासिल पूरी-की-पूरी रकमे सरकारी खातेमें जमा करा दी गई है, भले ही वे रकमें लगानकी वकाया राशिसे ज्यादा रही हो। मुझे पता चला कि खेडाके जिलाधीशने इस प्रश्नके बारेमें प्रान्तीय सरकारको लिखा था और वह इसपर विचार अवश्य करेगी और यदि श्री गाधीके बताये अनुसार ऐसे कुछ मामले सचमुच हुए है तो वह अवश्य देखेगी कि जमीने जब्त कर लेनेके बाद भी लगानकी वसूली एक बेमतलबकी ज्यादती तो नही है।

श्री गांधी कुल मिलाकर गुजरातकी स्थितिके बारेमे पिछली भेंटकी तुलनामे अब कही अधिक सन्तुष्ट थे, और निःसन्देह गुजरातकी स्थितिमे सुधार तो हुआ ही है। लगता है कि उन्होने खुद भी समस्याएँ सुलझानेके लिए काफी डटकर कोशिश की है, फिर भी लगता है कि आगे कई उलझावभरे मामले सामने आयेगे जिनको लेकर कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रोमें जहाँ श्री गाधीने स्वय प्रयत्न नही किये और जहाँ वल्लभभाईका प्रभाव हावी है।

मै यह भी कहूँ कि काग्रेसको सरकार और जनताके बीच एक मध्यस्थके रूपमें मान्यता दिलानेकी माँग रखनेकी बात श्री गाधीने कभी गम्भीरतापूर्वक सोची भले ही हो, कम-से-कम इस बार गुजरातके सम्बन्धमे चर्चा करते हुए और दो-एक अन्य अवसरोपर भी उन्होने ऐसा कोई आग्रह नही किया। हाँ, उन्होने यह आग्रह अवश्य किया, और वह बिलकुल अकारण ही नही कि खेडाकी भाँति अन्य क्षेत्रोंमें भी जहाँ-कही स्थानीय अधिकारी उनके साथ तथा अन्य कार्यकर्त्ताओके साथ सहयोग कर रहे है, वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नही की जानी चाहिए जो उनको तथा उनकी सहायता करनेवालोके लिए परेशानीकी स्थिति उत्पन्न कर दे। ऐसी कोई कार्रवाई तबतक नही की जानी चाहिए जबतक यह स्पष्ट न दिखने लगे कि वे सहयोगसे हाथ खीच रहे है। मैंने उनसे उन बयानोंके बारेमे बात की जिनके साथ उनका नाम समाचारपत्रोमे जोडा जा रहा था और जिनके अनुसार उन्होने करदाताओको सलाह दी थी कि वे ब्याजपर रुपये उधार लेकर लगानकी अदायगी न करे। मैंने उनको बतलाया कि सरकार तो इस सिद्धान्तको स्वीकार नही कर सकती और सर्वविदित है कि करदाताओंको करकी अदायगी करनेके लिए बहुधा रुपये उधार लेने पडते है और यदि किसी बैंकमे मेरा खाता खुला हो तो मेरे साहूकार केवल इस कारण तो अपने तकाजे बन्द नही कर देगे कि मेरे खातेमे नकद रुपये नही है। उन्होने स्वीकार किया कि साधारण परिस्थितियोमे उनकी सलाहका कोई औचित्य नही, लेकिन जिस परिस्थिति विशेषमे राय दी गई थी उसे देखते हुए सलाह उचित थी और उन्होंने इसपर आगे तर्क करनेकी गुजाइश यह कहकर खत्म कर दी कि जिस क्षेत्रके लोगोंको सलाह दी गई थी वहाँ अर्थात् खेडाके जिलाधीशने उसे एक काम-चलाऊ आधारके रूपमे स्वीकार कर लिया है।

(३) इसके बाद हमने नमकके बारेमें थोड़ी चर्चा की, जिसे बादमें केन्द्रीय राजस्व निकायके सिलसिलेमें फिर उठाया गया। चर्चाके दौरान मुख्य रूपसे ये मुद्दे पेश किये गये:

(क) श्री गांधी इस बातके लिए व्यग्र हैं कि सरकारको ५ मार्चके बयानके तत्सम्बन्धी अंशको विस्तारपूर्वक समझानेके लिए एक विज्ञप्ति जारी करना चाहिए जिससे कि रियायतके हकदार व्यक्तियोंको उसकी रूपरेखाकी और अधिक जानकारी हो सके। मैंने उनको केन्द्रीय राजस्व निकाय द्वारा विभिन्न क्षेत्रोंके लिए जारी की गई विस्तृत तथा ब्यौरेवार विज्ञप्तियां दिखाईं और स्पष्ट किया कि मेरी समझमें केन्द्रीय राजस्व निकायका दृष्टिकोण यह है कि विज्ञप्तियां सरकारी विभागके मार्ग-दर्शनके लिए तो आवश्यक हैं, पर उनमें इतनी पेचीदगियां हैं कि आम जनताको बात समझनेमें उनसे कोई वास्तविक सहायता नहीं मिल सकती, और वास्तवमें कई खास कठिनाइयां तो अब भी लगातार सामने आती जा रही हैं और एक उदार तथा व्यावहारिक दृष्टिसे उनका अस्थायी तौरपर समाधान भी किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न प्रश्नोंके बारेमें अबतक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है, इसलिए ब्यौरेवार विज्ञप्ति जारी करनेका उपयुक्त समय अभी नहीं आया है और फिर लम्बी-चौड़ी ब्यौरेवार विज्ञप्तिकी किस्मकी कोई भी चीज जारी करनेसे गायद अटकलबाजी के आधारपर कई प्रश्न उठाये जाने लगेंगे जिनको इस समय न उठाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री गांधी इस सबसे सहमत हुए और उन्होंने कहा कि मैं किसी लम्बी-चौड़ी विज्ञप्तिकी अपेक्षा नहीं रखता, पर यह अवश्य महसूस करता हूँ कि मुख्य-मुख्य सिद्धान्तोंको प्रकाशित कर देना पूरी तरह वांछनीय रहेगा। मैंने उनको सुझाया कि आप एक मसविदा तैयार कर लें और सरकार विचार करेगी कि वह कुछ आवश्यक परिवर्तनोंके साथ उसे स्वीकार कर सकती है या नहीं। उन्होंने ऐसा एक मसविदा तैयार करके मुझे देनेका वचन दिया।

(ख) इसके बाद उन्होंने मत्स्य-संरक्षण उद्योगका प्रश्न उठाया। मैंने उनको बतलाया कि मेरे ख्यालसे तो केन्द्रीय राजस्व निकाय इसपर विचार कर ही रहा है और इस सम्बन्धमें वह मद्रास सरकारसे पत्रव्यवहार कर रहा है। उन्होंने जो मुद्दे रखे उनका संक्षिप्त सार यह है:

(१) पूर्वी और पश्चिमी घाटके मछुओंको निःशुल्क नमक पानेकी रियायत पहलेसे मिली हुई है।

(२) पश्चिमी घाटमें मछली जमा करके रखनेका काम ठेकेदार लोग विशेष मत्स्य-क्षेत्रोंमें करते हैं, वहाँ उनको सरकारसे उन्हें टिकाये रखनेके लिए नमक खरीदना पड़ता है। श्री गांधी इस बापर सहमत हुए कि यह सर्वथा उचित है कि एक बड़े पैमानेपर इस तरह मत्स्य-संरक्षणका काम करनेवाले ठेकेदारोंको नमककी रियायत देनेकी जरूरत नहीं।

(३) पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी घाटमें भी कुछ मछुए हैं जो अपने-अपने घरोंमें मत्स्य-सुखानेका काम करते हैं और वह बड़े पैमानेके किसी उद्योगके रूपमें नहीं बल्कि घरेलू तौरपर होता है, इसलिए ऐसे लोगोंको रियायत देना उचित है।

तथ्योकी पूरी जानकारी न होनेके आधारपर मैंने कोई राय व्यक्त करनेसे इनकार कर दिया, लेकिन यह वचन दे दिया कि मै इस चर्चाका संक्षिप्त सार केन्द्रीय राजस्व बोर्डको जरूर बता दूंगा।

(ग) इसके बाद मैंने नमक राजस्वके बम्बई-स्थित जिलाधीश द्वारा भेजा हुआ एक मामला उनके सामने रखा, जिसमे कहा गया था कि शिरोडामे निजी भूमिपर स्थित कुछ कारखानोंमे काग्रेस-कार्यकर्त्ता नमक बना रहे है और उन्होंने काफी बड़ी संख्यामे मजदूर कामपर लगा रखे है और वे ५०० से ६०० मनतक नमक जमा कर लेते है। हम इस बातपर सहमत हुए थे कि नमक सम्बन्धी रियायतका यह मतलब नही लगाया जायेगा कि काग्रेस नमक बनानेवाली एक सस्थाके रूपमें सामने आये और उन्होने स्वीकार किया कि यदि स्थानीय कांग्रेस समितियाँ समझौतेमें शामिल किये गये प्रयोजनोंके लिए भी नमकका उत्पादन करना शुरू कर देंगी तो स्थिति बडी कठिन हो जायेगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि शिरोडामें मजूरी देकर मजदूरोसे नमक तैयार कराया जा रहा है, तो वह भी समझौतेके क्षेत्रमे नही आता, लेकिन उन्होने दावा किया कि यदि ऐसी रियायतके हकदार कुछ गाँववाले मिलकर खुद नमक तैयार कर रहे है, और मजूरी देकर मजदूरोसे यह काम न करा रहे हो, तो उनका काम समझौतेके क्षेत्रमे, उसके अनुरूप माना जायेगा, बशर्ते कि वे समझौतेकी तत्सम्बन्धी व्यवस्थाओका पालन कर रहे हों। उन्होने यह भी दावा किया कि ५००-६०० मनतक नमक बनाकर रख लेना समझौतेका उल्लंघन ही होगा, यह जरूरी नही, क्योकि स्वाभाविक बात है कि सम्बन्धित लोगोंको इतनी मात्रामें नमक तो बना ही लेना चाहिए कि वह उत्पादन बन्द रहनेके दिनोमें कम न पडे। उन्होने कहा कि शिरोडामे नमक-उत्पादनसे सम्बन्धित तथ्योकी जानकारी मुझे है, और शायद केन्द्रीय राजस्व निकायको भी अन्तिम रूपसे कोई निर्णय देनेसे पहले कुछ अधिक जानकारी हासिल कर लेनेकी आवश्यकता होगी। यदि तथ्योको देखकर निर्णय यह किया जाता है कि इस प्रकारका नमक-उत्पादन नियम-विरुद्ध नही है तो उसका एक व्यावहारिक हल यह हो सकता है कि स्थानीय आवश्यकताओका ठीक अनुमान लगाकर उत्पादन किये जानेवाले नमककी मात्राकी एक सीमा निश्चित कर दी जाये।

(घ) श्री गांधी इस बातपर सहमत हुए कि पैदल चलकर नमक लानेमें बहुत-से कुलियो द्वारा नमक उठवानेके कामको शामिल नही माना जाना चाहिए।

(४) श्री गाधीने इसके बाद बन्दियोकी रिहाईके मामलेका जिक्र किया। हमने इसके बारेमे आम और कुछ निष्फल-सी चर्चा की। लगता है कि अब भी उनका ख्याल है कि अभी कुछ ऐसे बन्दी है जिनको क्षमा-दानके निर्णयके अनुसार रिहा कर दिया जाना चाहिए था, पर किया नही गया है। उन्होने वचन दिया कि वे ऐसे बन्दियोंकी एक सूची बनाकर मुझे देगे। मैंने उनको बतलाया कि पहले दी गई सभी सूचियाँ हम प्रान्तीय सरकारोको भेज चुके है और उनके सम्बन्धमें प्राप्त उत्तरोसे यह स्पष्ट दिखाई पडता है कि प्रान्तीय सरकारोंने इस सम्बन्धमें बड़ी ईमानदारीसे

समझौतेका पालन किया है। मैंने पंजाबकी सूचीका उल्लेख किया जिसमें ठीक-ठीक जानकारी न होनेके कारण प्रान्तीय सरकार अनेक बन्दियोंकी ठीक गिनाल्त करके उनका पता नहीं चला सकी और जिन ७५ बन्दियोंका पता उसने चला लिया था उनमें से ४७ तो सूची भेजनेके पहले ही रिहा किये जा चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री गांधीको दी गई सूचना बिलकुल सही नहीं थी। मैंने उनको इस बातकी भी याद दिलाई कि प्रान्तीय सरकारोंने आमतौर पर प्राविधिक या औपचारिक हिंसाके मामलोंमें समझौतेकी व्याख्या काफी उदारतापूर्वक की है और हिंसा भड़कानेके जिन मामलोंमें ज्यादा सख्तीसे काम लेना पड़ा है उनके काफी उचित कारण मौजूद हैं। मैंने इस अवसरपर उनको यह भी स्मरण दिलाया कि अकेले पंजाबमें ही पिछले तीन सप्ताहोंमें आतंकवादी आन्दोलनसे सम्बद्ध तीन घटनाएँ हो चुकी हैं — शालीमार-काण्ड, सियालकोटकी घटना और जालंधर जिलेमें बिलकुल हालमें हुआ एक बम-विस्फोट। इस विस्फोटके बारेमें उनको जानकारी नहीं थी और उनको यह जानकर सदमा पहुँचा कि उससे सम्बन्धित दो व्यक्तियोंका कांग्रेससे सम्बन्ध है। वे इस बातसे सहमत थे कि हिंसा भड़कानेके बारेमें प्रान्तीय सरकारका सख्त बरतना बिलकुल उचित है और उन्होंने भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १२४-क और दण्ड प्रक्रिया संहिताके खण्ड १०८के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमोंके प्रश्नपर चर्चा करनेकी कोशिश नहीं की, जब कि पहले एक बार इसपर काफी विवाद खड़ा होनेकी नौबत आ गई थी। वे दो मामलोंको लेकर चिन्तित थे। एक तो उस सम्पादकका[1] था, जिसको शोलापुरमें सजा सुनाई गई थी। इसके बारेमें उनका आग्रह है कि उसमें न तो हिंसा हुई और न हिंसा भड़काई ही गई थी। दूसरा मामला सूरत जिलेका था, जिसमें एक युवकको आग लगानेके अपराधमें दण्डित किया गया था। उनकी फसल जब्त कर ली गई थी, जिसके बाद उसने फसलमें आग लगा दी थी। इसपर श्री गांधीने इस प्रकार तर्क करनेकी कोशिश की कि समझौतेमें हिंसा जिस अर्थमें शामिल की गई है, उसमें व्यक्तियोंके प्रति की गई हिंसाको ही हिंसा माना गया है और इसलिए उस परिभाषाके अनुसार इस घटना-विशेषमें कोई हिंसा नहीं की गई। जाहिर है कि यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता था। मुझे पता चला कि वे इन दोनों मामलोंके बारेमें प्रान्तीय सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

वे यह जानना चाहते थे कि यदि कांग्रेस और प्रान्तीय सरकारके बीच कुछ मामलोंको लेकर गतिरोधकी स्थिति पैदा हो जाये तो फिर क्या होगा। मैंने कहा कि मंशा यही है कि अन्तिम निर्णयका अधिकार प्रान्तीय सरकारको ही रहे, लेकिन अबतक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, इसलिए हम वैसी स्थिति पैदा होनेपर ही देख सकते हैं कि क्या होता है। भारत सरकारने अपने पास आये अनेक प्रार्थनापत्रोंके बारेमें प्रान्तीय सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उन मामलोंसे सम्बन्धित तथ्य सूचित करें, और चूंकि न तो भारत सरकार और न प्रान्तीय सरकारें ही समझौतेके दायित्वका पालन करनेसे कतराना चाहती हैं, इसलिए ऐसा

१. उनको अब रिहा किया है — एच० डब्ल्यू० एनर्सन।

मानने का कोई कारण नही दिखता कि यदि किसी मामले मे सचमुच कोई भूल हो गई हो तो उसका कोई हल निकल ही नही पायेगा। मैने उनको सूचित किया कि प्रान्तीय सरकारे समझौतेके इस पक्षको अत्यधिक महत्त्व देती आई हैं और कुछ प्रान्तोमें तो गवर्नरोने सभी सन्दिग्ध मामलोपर स्वय पुनर्विचार किया है। मुझे लगता है कि इस विषयको लेकर प्रान्तोके काग्रेसी श्री गाधीको काफी परेशान करते रहते है।

(५) इसके बाद साइकिलों और एक मोटर-कारको लेकर बडी विनोदपूर्ण चर्चा हुई जिससे 'यंग इंडिया' के प्रेसका सवाल उठ खडा हुआ।

समझौतेके खण्ड १६ के अन्तर्गत सरकार सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान जब्त की गई ऐसी सारी चल सम्पत्तिको लौटानेके लिए सहमत हो गई थी जिसका स्वामित्व अवैध नही था और जो समझौता होनेके समय भी सरकारके स्वामित्वमे थी। खेडा जिलेमे एक मोटर-कार जब्त की गई थी और उसे सरकारी कामके लिए प्रयुक्त किया गया था, जो सर्वथा उचित था। मुझे पता चला है कि अब वह कुछ टूटी-फूटी हालतमे अपने मालिकके घरसे कुछ दूरीपर बेकार पडी है। श्री गाधीका कहना है कि उसे वही लौटाया जाना चाहिए, जहाँ उसे जब्त किया गया था। स्थानीय अधिकारी इसे नही मानते और मुझे मालूम हुआ है कि वे इसे मान भी नही सकते क्योकि वे न तो उसे चालू हालतमे लाकर और न ही कबाडके रूपमें ढोकर उसे वहाँ लौटा सकते हैं। इस चर्चाके सिलसिलेमे हम मामलेके वास्तविक लक्ष्यपर पहुँचे अर्थात् 'यग इंडिया' प्रेसके प्रश्नपर। यह छापाखाना काफी कीमतका है और इसे प्रेस अध्यादेशके अन्तर्गत अहमदाबादमे जब्त किया गया था। उसका एक भाग अभी अहमदाबादमे ही है, पर एक हिस्सा बिक्रीके लिए बम्बई भेज दिया गया था। श्री गाधीका दावा है कि उनको अधिकार है कि वे उसे अहमदाबादमे ही वापस ले और उन्होने इस सिलसिलेमे हाल ही में बम्बई सरकारको लिखा भी है। उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि यदि समझौतेके अनुसार उनको अधिकार न हो तो वे नही चाहते कि सरकार छापेखानेका जो हिस्सा बम्बईमे है, उसे अहमदाबादमे उन्हे देकर उनपर कृपा करे। मैने वचन दिया है कि हम इस मामलेके वैधानिक पहलू पर विचार करेंगे और यदि आवश्यकता पडी तो प्रान्तीय सरकारको लिखेंगे।[1] उन्होने अपनी ओरसे वचन दिया कि यदि निर्णय उनके ही पक्षमे हुआ, तो वे उसका उपयोग सरकारको परेशानीमे डालनेके लिए नही करेगे, अर्थात् बेकार पडी मोटरकार लौटाने का आग्रह नही करेगे।

(६) उन्होंने समझौतेके इसी खण्डका हवाला देते हुए उन शस्त्रोको लौटानेका प्रश्न उठाया, जिनके लाइसेस सविनय अवज्ञा आन्दोलनके सिलसिलेमे रद कर दिये गये थे। पहले भी बातचीत के दौरान वे इसका उल्लेख कर चुके थे लेकिन मै तब यह नही समझा था कि वे इसी खण्डके आधारपर ऐसी माँग कर रहे है। मै तो यह समझा था कि वे रद किये हुए लाइसेसोको फिरसे मंजूरी देनेके बारेमे समझौतेकी भावनाके अनुरूप एक अधिक उदार नीति बरतनेका अनुरोध कर रहे है। मैने उनको

१. बादमें गांधीजी को एक पत्र द्वारा उनका दावा अस्वीकृत किये जानेकी सूचना दे दी गई थी।

बतला दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँतक इस खण्डकी बात है उसके अनुसार तो लाइसेंस रद होते ही वे सभी शस्त्र गैर-कानूनी मिल्कियत बन गये थे और उनको रखना गैर-कानूनी हो गया था और उनको जब्त करना उचित था। इसलिए इस आधार पर यह प्रश्न नही उठाया जा सकता। लेकिन यदि खण्ड औपचारिक रूपमें इसपर लागू होता तो भी प्रान्तीय सरकारे स्पष्ट ही उन शस्त्रोको लौटानेपर राजी नही होती जिनके बारेमे उनको शक होता कि वे आतकवादी कामोके लिए इस्तेमाल किये जा सकते है और पजाब तथा बगालपर तो यह बात खास तौरपर लागू होती है। श्री गाधीने इसे तर्क-सम्मत तथा उचित मान लिया, पर कहा कि कठिनाईसे निकलने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि सभी शस्त्रोको औपचारिक तौर पर लौटा दिया जाये और उनके नये लाइसेंस रद करके शस्त्र वापस ले लिये जाये। मैंने बतलाया कि इससे काफी झमेला खडा होनेकी आशका है। मैंने इसके कानूनी पहलूपर विचार करवानेका वचन दिया।

मैंने बताया कि यदि यह विषय समझौतेके क्षेत्रमे न माना गया, तो फिर लाइसेसोकी दुबारा मजूरी देनेके लिए प्रान्तीय सरकारोको लिखनेमे कई कठिनाइयाँ है, और शस्त्र सम्बन्धी कानूनमें जिलाधीशोको स्वय उनके विवेकके आधारपर लाइसेसोकी मजूरी देने और उनको रद करनेकी काफी व्यापक शक्तियाँ भी दी गई है और यह मुमकिन है कि यदि लाइसेंसधारी जिम्मेदार किस्मके व्यक्ति हो तो जिलाधीश लोग सविनय अवज्ञाके दौरान रद किये हुए लाइसेसोके मामलोमें बहुत ही उचित तथा समझदारीका रुख अख्तियार करे, हाँ, लेकिन जिन व्यक्तियोके बारेमें उनको पूरा भरोसा नही होगा, उनको लाइसेसकी मजूरी देनेमे उनका रवैया काफी कठोर तो होगा ही।

(७) इसके बाद उन्होने सविनय अवज्ञा आन्दोलनके दौरान बन्द की गई पेन्शनोको बहाल करनेका मामला उठाया। मैंने कहा कि समझौतेसे पहले इस विषयपर प्रान्तीय सरकारोके साथ चर्चा नही की गई थी और चूंकि प्रान्तीय सरकारे तथा सैनिक पेन्शनोके बारेमें सेना-विभाग भी सैनिको तथा पुलिसवालो की पेन्शने बहाल करने पर निश्चय ही काफी आपत्ति करेगे, इसलिए ऐसी स्थितिमे केवल असैनिक पेन्शनोके साथ कोई रियायत करना कठिन होगा। फिर भी प्रान्तीय सरकारे प्रार्थनापत्र मिलने पर सामान्य तौरपर विधिवत् विचार अवश्य करेगी, परन्तु मेरी समझमे नही आता कि भारत सरकार इस सम्बन्धमे आम किस्मका कोई सुझाव उनको कैसे दे सकती है। श्री गाधीने सैनिको और पुलिसके लोगोकी पेन्शने बहाल करनेके सिलसिलेमे हमारी कठिनाई मान ली और इस सम्बन्धमे अधिक आग्रह नही किया।

(८) श्री गांधीने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेके कारण शैक्षणिक सस्थाओ से निकाले गये लडको और छात्रोके मामलेका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनेक प्रान्तोमें उनको केवल इस शर्तपर दाखिला दिया जा रहा है कि वे राजनीतिमें भाग न लेनेका वादा करे। उनका ख्याल था कि यह अन्याय है। मैंने उनको समझाया कि पजाबमे (और शायद अन्य प्रान्तोमे भी) कुछ सरकारी सस्थाएँ पहली बार दाखिलेके समय ही छात्रोसे ऐसी लिखित प्रतिज्ञा करा लेती है, उन छात्रोकी

बात तो दूर जिनको एक बार निकालनेके बाद फिरसे दाखिला दिया जा रहा है। उनको अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उनको फिरसे दाखिला मिल तो रहा है, खास तौरपर यह जानते हुए कि प्रान्तीय सरकारें स्कूल-कालेजोंके अनुशासनको कितना अधिक महत्त्व देती हैं और यही उचित भी है। मैंने इस विषयपर प्रान्तीय सरकारोसे अधिक चर्चा करनेमे कोई सार नही समझा, फिर स्वय भारत-सरकार ही इसके बारेमें ढिलाई करनेको तैयार क्यों न हो; मै नही समझता कि वह भी ऐसा करेगी।

(९) चर्चाका अगला विषय था – उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तकी महत्त्वपूर्ण समस्या। मैं उनके साथ एक मामलेको लेकर प्रारम्भिक बातचीत कर चुका था और उनको सरकारी जानकारीके मुताबिक उसके प्रमुख तथ्य बतला चुका था। बादमें श्री हॉवैल भी चर्चामें शामिल हो गये और उन्होने सीमा-प्रान्तकी विशेष प्रकारकी कठिनाइयोंसे उनको अवगत करा दिया। प्रारम्भिक बातचीतमें मैंने इन मुद्दोंपर खास जोर दिया था :

(१) क्षमा-दानके बादकी अब्दुल गफ्फारकी गति-विधियाँ और उनके भाषण।

(२) समझौतेको एक युद्ध-विराम माननेका उनका बराबर आग्रह और इसलिए इसे आगेकी तैयारीका एक अवसर समझना।

(३) 'लाल कुर्ती' स्वयंसेवकोंकी लगातार भर्ती, उनका सगठन, कवायद, वगैरा।

(४) अब्दुल गफ्फार द्वारा सीमा-पार अपने प्रचारके विस्तारका प्रयत्न।

(५) मुख्य आयुक्त या स्थानीय अधिकारियोसे मिलनेसे जान-बूझकर उनका अशिष्टतापूर्वक इनकार करते जाना।

(६) उनके द्वारा लगान अदा न करनेका प्रोत्साहन दिया जाना और पेशावर जिलेके भू-राजस्व प्रशासनपर पड़ा इसका प्रभाव।

(७) वहाँ अपराधोंमें जो वृद्धि हुई है।

मैंने श्री गांधीको बतलाया कि अन्य प्रान्तोमें जहाँ सरकार कांग्रेस स्वयसेवकों की भर्ती सहन कर लेती है और सचमुच पहले सहन करती रही है, उन प्रान्तोमें भी एक सीमातक ही इसको सहन किया गया है, वहाँ भी सरकार स्वयसेवकोकी असीमित भर्ती या प्रशिक्षित स्वयंसेवकोकी सस्थाओकी स्थापनाको सहन नही करेगी। निर्णय इस आधारपर नही किया जा सकता कि उनकी तात्कालिक गति-विधियाँ अपेक्षाकृत हानिरहित हैं या नही। हमें यह भी देखना पडेगा कि उनका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है; और यदि किसी समय हम इस निष्कर्षपर पहुँचे कि वे आगे चलकर शान्तिके लिए भारी खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, तो हमें कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हम यह दलील नही मान सकते कि चूंकि किसी प्रान्त-विशेषमें हम आज कांग्रेस स्वयसेवकोके विरुद्ध कोई कदम उठाना जरूरी नही समझते इसलिए हम स्वयसेवकोके बारेमे आम तौरपर या जिन प्रान्तोंमें हम उनको खतरनाक समझें, उन प्रान्तोमे भी कोई कदम नही उठा सकते; और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तकी परिस्थिति विशेषको देखते हुए उस कबाइली क्षेत्रमें लाल कुर्ती आन्दोलनका गलत अर्थ लगाये जानेके स्पष्ट खतरेको और अफगानिस्तानमें उसके

सम्भावित परिणामोंको समझकर भी हम हाथपर-हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते। श्री गांधीने इन विशेष प्रकारकी कठिनाइयोंको समझ तो लिया पर वे समाचारपत्रोंमें कुछ दिन पहले प्रकाशित हुए अब्दुल गफ्फारके अपने विवरण और उनकी दलीलोंको ज्यादा ठीक मानते हैं। स्वाभाविक है कि इस विवरणमें अब्दुल गफ्फारने सारा दोष स्थानीय प्रशासनपर ही थोपनेका प्रयत्न किया।

इस विषयसे सम्बन्धित और आगेकी चर्चा श्री हॉवेलके इस विवरणमें दी गई है:

"मैं श्री एमर्सनसे तय करके कल दोपहर श्री गांधीसे भेंट करने गया। मेरे वहाँ पहुँचनेसे पहले ही श्री एमर्सन श्री गांधीको उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त जानेकी उनकी इच्छासे विरत कर चुके थे और उनसे वचन ले चुके थे कि वे व्यक्तिगत रूपमें या पत्र द्वारा अब्दुल गफ्फार खाँसे सम्पर्क स्थापित करके उनको इसके लिए तैयार कर लेंगे कि वे यदि अस्थायी तौरपर ही अपना आन्दोलन बन्द करने पर राजी न हों तो कमसे-कम अपने तरीकोंपर एक बार पुनर्विचार तो कर लें। इसलिए मुझे तो बस इतना ही करना रह गया था कि मैं सारी समस्यापर फिर चर्चा करूँ और यही मैंने किया। इसमें मेरा विशेष अभिप्राय यही रहा कि सीमा-प्रान्तमें मैं अब्दुल गफ्फार खाँके कार्यक्रमके खतरे श्री गांधीको जता दूं। भेंटके दौरान श्री एमर्सन और मैंने श्री गांधीसे जो भी कहा, उसका संक्षिप्त सार यह है:

अब्दुल गफ्फार खाँकी ईमानदारीपर अँगुली उठानेका हमारा कोई मंशा नहीं था, फिर भी हमारा यह ख्याल तो है कि उनकी कार्यविधि ठीक है या नहीं उसमें सन्देह है। उदाहरणके तौरपर यह कि वे मुख्य आयुक्तसे भेंट करनेसे एकदम इनकार क्यों करते आये हैं जबकि मुख्य आयुक्तने अनुकरणीय धैर्यका परिचय दिया और उनके साथ सम्पर्क स्थापित करनेका भरसक प्रयत्न किया है। यदि यह बिलकुल निश्चित है कि आगे चलकर किसी स्थितिमें उनकी पटरी नहीं बैठ सकेगी, तो क्या इसी कारण उनको जबतक पटरी बैठती है तबतक भी साथ-साथ चलनेसे इनकार करना चाहिए? और क्या सीमा प्रान्तके कबाइलियों-जैसे शीघ्र भड़क उठनेवाले उन श्रोताओंके सामने ऐसा उत्तेजनापूर्ण नाटक करना बुद्धिमत्तापूर्ण माना जायेगा जो सभी शस्त्रोंसे पूरी तरह लैस थे और जिनमें से अनेक तो ऐसे मौकेकी ताकमें ही बैठे थे कि बाक्स आफिस लूटनेका मौका मिले? यदि श्री गांधी इसको बुद्धिमानी मानते हों, तो इसके बारेमें हालमें लाहौरमें व्यक्त की गई भाई परमानन्द और सीमा-प्रान्तके अन्य हिन्दुओंकी राय पर तो उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट है कि वे लोग इस विषयकी ज्यादा जानकारी रखते हैं। परिस्थितिकी बुनियादी बात यह है, जैसा सीमा-प्रान्तके इन हिन्दुओंने महसूस किया है, कि सीमा-प्रान्तमें जान-मालकी और विशेषकर हिन्दुओंके जान-मालकी सुरक्षा और समाजके स्थायित्वका सारा दारोमदार मौजूदा सरकारके प्रति सम्मानकी भावना बनाये रखनेमें ही है। और यदि सीमा-प्रान्तके कबाइली लोग — जो अपने-आपको किसीसे कम नहीं मानते बल्कि खुले-आम अपने-आपको दूसरोंसे बेहतर बताते नहीं थकते, देखें कि एक स्थानपर अब्दुल गफ्फार खाँ या

दूसरे स्थानपर कोई दूसरा या तीसरे स्थानपर कोई तीसरा नेता कामयाबीके साथ सरकारकी अवहेलना करता है तो फिर उनको भी अवहेलना करनेके लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए लाल कुर्ती आन्दोलनको सीमा-प्रान्तसे बाहर न फैलने देना परम आवश्यक बन गया है।

उसे यदि एक बार जड़ें जमानेका मौका मिल गया तो वह निश्चय ही एक जुझारू रूप अख्तियार करनेसे नही चूकेगा, जैसा कि पिछली गर्मियोमें वजीरिस्तानमें हुआ था। यह सगठन अमीनुद्दौला-समर्थक आन्दोलनका रूप ग्रहण कर सकता है जो शाह नादिरको परेशानीमे डाल देगा।

पूरी बातचीतके दौरान जोर इस बातपर नही दिया गया कि कबाइली इलाका सविनय अवज्ञा आन्दोलनके क्षेत्रके बाहर है, क्योकि यह आन्दोलन बन्द हो चुका है या कमसे-कम निस्पन्द तो पडा है, या कि वह गांधी-इर्विन समझौतेके अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि इससे श्री गाधीको यह सकेत मिल जाता कि आगे सघर्ष बढनेपर कबाइली इलाकेमें भी अपनी गति-विधियाँ फैलाना उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उस इलाकेमें सरकारका पक्ष कमजोर है। बल्कि जोर इस बातपर दिया गया कि सीमा-प्रान्तमे सरकारका विरोध बढनेसे जनता और विशेषकर हिन्दुओके जान-मालको खतरा बढ़नेकी सम्भावना है। श्री गांधीसे पूछा गया कि क्या उनकी रायमें यह उचित है कि आज भारत-भरमें जैसा प्रयोग किया जा रहा है वैसा कठिन और अभूतपूर्व प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अपने काम की शुरूआत ही उस बाँध की तोड-फोडसे करे जो बाढ़के पानीको रोकता है? लगता था कि श्री गाधी इसका सार समझ गये।

हमने सर स्टुअर्ट पीयर्स द्वारा रखे गये बाकी मुद्दे श्री गाधीके सामने रखे और उनसे कहा कि वे इसपर विचार करे कि क्या १३,००० स्वयसेवकोकी लाल कुर्ती-जैसी एक संस्था खड़ी करनेका वास्तवमे कोई उपयोग है? सबसे हालकी हमारी सूचना यही है कि उसमे १३,००० स्वयसेवक है और यह संख्या भी स्पष्ट ही अनुमान पर आधारित है। अन्तमे, हमने वित्तीय स्थिति, विशेषकर पेशावर जिलेकी वित्तीय स्थितिके बारेमे कुछ विस्तारसे चर्चा की और श्री गाधीको सूचित किया कि वहाँ अपराधोमे इतनी वृद्धि हो गई है कि उसके आँकडे चौंका देते है। उन्होंने जानना चाहा कि पेशावरमे भूमि और जलपर लगनेवाले कर आसपासके पजाबी जिलोकी तुलनामे कितने ज्यादा या कम है; और लगता है कि उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पेशावर जिलेके सिंचाईवाले क्षेत्रकी कृषीय स्थिति उत्तर भारतके किसी भी क्षेत्रकी तुलनामें आमतौरपर काफी अच्छी होनेपर भी वहाँ भूमि और जलपर लगनेवाले करोकी दरे आसपासके पजाबी जिलोके मुकाबिले कही कम है। श्री गाधीके साथ वार्तामे भाग लेनेवाले लोगोने इसे पठानोकी दोनों हाथ लड्डू लेनेकी लगातार कोशिशका काफी अच्छा सबूत माना जिसमें पठान लोग सिद्धहस्त है और बहुधा सफल भी हो जाते है। श्री गाधीने इस बातको समझा और इस तथ्यको भी लगान इत्यादि मे उदारतापूर्वक माफियाँ दी जाती रही है, दी जा रही है और आवश्यकता पड़नेपर यथास्थिति दी जाती रहेगी। लगता था कि श्री गाधी इसपर सहमत हो गये

है कि भावी सरकारकी अपनी भू-राजस्व नीति जो भी बने, पर वर्तमान शासन-व्यवस्थामे लगानवसूलीके काममें अत्यधिक हस्तक्षेप करना शायद एक अच्छी कार्य-नीति नही होगी। श्री गांधीकी ओरसे यह वचन दिया गया कि वे यथाशीघ्र अब्दुल गफ्फारखाँको बुलायेंगे और उनके आनेसे पहले उनको तार भी भेजेंगे और पत्र भी लिखेंगे।"

(१०) हमने बहिष्कार और लंकाशायरके रुखके बारेमें भी थोडी बातचीत की। लंकाशायरके रुखको लेकर श्री गांधीके मनमें क्रोध इतना नही था जितना कि दुःख। उन्होंने दावा किया कि विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारसे सम्बन्धित स्थितिमें समझौतेने भारी परिवर्तन कर दिया है, घरनोंमें भी बहुत अधिक कमी हो गई है, ब्रिटिश वस्त्रोंके विरुद्ध भेदभाव बन्द कर दिया गया है और यदि अब भी कुछ शिकायतें सामने आयें तो उनपर कुल मिलाकर ही विचार करना चाहिए, उनको इस ढंगसे पेश नही करना चाहिए जैसे वे आम स्थितिकी द्योतक हों। उन्होंने दावा किया (और मेरा ख्याल है कि ठीक ही था) कि वे समझौतेका सख्तीसे पालन करानेके लिए अपनी ओरसे भरसक कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जहाँ भी उसका उल्लंघन हो उसकी सूचना उनको तुरन्त दी जानी चाहिए।

मैंने स्वीकार किया कि उनके कथनमें काफी सचाई है, पर मैंने उनको आम तौरपर चलनेवाली चीजोंके अनेक उदाहरण दिये और मैंने सामाजिक दबाव पडनेकी बात विशेष रूपसे उनके सामने रखी। मैंने बताया कि एक आम धारणा यह बन गई थी कि व्यक्तिके काम करनेकी स्वतन्त्रता हासिल नही की गई है और इसी धारणाके कारण लंकाशायरमें कुछ प्रतिक्रियाएँ हुई थी, जो इंग्लैंडके लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्त्व की हैं। मैंने जोर इस बातपर दिया कि ब्रिटिश समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित होनेवाले समझौतेके उल्लघनके हर समाचारसे कितनी बडी हानि होती है और मैंने एक उस मामलेपर काफी विस्तारसे बात की जिसकी जानकारी सरकारको मिली थी। संक्षेपमें मामला इस प्रकार है:

"अहमदाबादकी 'ब्रिटिश माल बहिष्कार-समिति'ने दिनांक ७ अप्रैल, १९३१ का एक पत्र 'कानपुर केमिकल वर्क्स', कानपुरको भेजा था, जिसमें विभिन्न प्रश्नोंके साथ ये प्रश्न भी पूछे गये थे:

(क) क्या आप निर्माणकी प्रक्रियामें कोई ब्रिटिश सामग्री भी प्रयुक्त करते हैं?

(ख) क्या आपकी संस्थामे किसी अंग्रेज या विदेशीका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है? यदि हाँ, तो कितना?

श्री गेविन जोन्सका इस व्यावसायिक संस्थासे काफी निकटका सम्बन्ध है और उन्होंने यह पत्र हमारे पास भेज दिया। हमने इसके बारेमे जाँच कराई और हमें सूचित किया गया कि समितिके सक्रिय कार्यकर्त्ता काग्रेसके सदस्य हैं। समझौतेके बाद समितिने अपना नाम बदल दिया था, लेकिन लगता है कि उन्होंने पहलेके छपे हुए, उसी सरनामेवाले कागजोंपर ये नोटिस भेज दिये और अपने प्रश्नोंमें ऐसे विषय भी शामिल कर लिये, जो सीधे-सीधे समझौतेके विरुद्ध पड़ते हैं।"

मैंने श्री गांधीको बतलाया कि इस मामलेमे एक ऐसे अंग्रेजकी व्यावसायिक सस्थापर आक्षेप किया गया है जो गोलमेज परिषदमें भाग लेनेके लिए भेजे जानेवाले शिष्ट-मण्डलके एक सदस्य है और जिन्होने इंग्लैडमें भारतीय पक्षकी जोरदार हिमायत की है। और किसीको आश्चर्य नही होना चाहिए यदि इस प्रकारकी कार्रवाइयोंके फलस्वरूप यूरोपीयोके दिमागमें अपने पहलेके रुखके बारेमें कुछ सन्देह पैदा हो जाये और इस मामलेको लेकर ब्रिटिश समाचारपत्रो या ब्रिटिश ससदमें चर्चा चल पड़े, तव निश्चय ही इसके परिणाम वडे दुर्भाग्यपूर्ण निकलेगे। श्री गाधीने यह सब स्वीकार किया और इस वातपर खेद प्रकट किया कि इस मामलेकी ओर उनका ध्यान एक वार भी आकर्षित नही किया गया। मैंने उनको बतलाया कि ऐसा तो हम तभी कर सकते थे जव हमें पता चल जाता कि इसका सम्बन्ध काग्रेसके लोगोसे भी है और यह सूचना हमे हालमें ही मिली है। मैंने उनको वचन दिया कि इससे सम्बन्धित पत्र-व्यवहारकी एक प्रति मैं उनको भेज दूंगा और उन्होने कहा कि वे तुरन्त ही सव ठीक करा देंगे और उसके परिणाम एक पत्रके जरिए मुझे बतला देंगे और यदि सरकार ठीक समझे तो उसकी एक प्रति श्री गेविन जोन्सको भी भेज सकती है।

मैं समझता हूँ कि श्री गांधी समझौतेकी बहिष्कार-सम्बन्धी व्यवस्थाओंपर पूरी तरह अमल करानेके लिए चिन्तित है और यह तो सही है कि वे विदेशी वस्त्रों के स्थानपर भारतीय वस्त्रोंको लानेके लिए आज भी उतने ही उत्सुक है जितने पहले थे और उनको पूर्ण विश्वास है कि यह आन्दोलन अब स्थायी रूपसे चलता रहेगा, पर उन्होंने यह भी भली-भाँति समझ लिया है कि जोर-जबरदस्ती और दबावके तरीके अन्तमे सफल नही हो सकेंगे और यह भी कि भारत और इग्लैडमें समझौतेके किसी भी दुरुपयोगके जो दुष्परिणाम होगे वे स्वय आन्दोलनको होनेवाले लाभोंसे कही अधिक होगे। फिर भी कुल मिलाकर उन्हे सभी काग्रेस-संगठनों और कार्यकर्त्ताओंको अपने सिद्धान्तोंका पाबन्द बनानेके लिए अव भी और बहुत कुछ करना बाकी है; हालाँकि वे इस दिशामे काफी कुछ कर चुके है। यदि इस सम्बन्धमें समझौतेके उल्लंघनोंके बारेमें प्रान्तीय सरकारे या तो स्वयं ही प्रान्तीय काग्रेस संगठनोसे सीधे बात कर ले या स्पष्ट उदाहरण तुरन्त ही गृह-विभागको बतला दें जो उनको श्री गांधीके पास भेज सकें तो यह काफी सुविधाजनक रहेगा।

(११) श्री गाधीसे बातचीतके दौरान प्रसगवश अनेक सामान्य प्रश्नोपर भी चर्चा हुई थी और एक बैठकमें तो हमने पूरे समय बड़ी-बड़ी समस्याओकी ही चर्चा की थी। उसके दौरान उठाये गये मुद्दोंका साराश नीचे देनेका प्रयास किया जा रहा है।

लगता है, फिलहाल श्री गांधीको शीघ्र ही कोई साम्प्रदायिक समझौता होनेकी कोई आशा नही दिखती और वे जानते है कि दोनोके मनमें कितनी कटुता है। और उन्होंने इस समस्याका कोई हल निकले बिना इग्लैड जानेमें सकोच इसलिए प्रकट किया है कि यदि भारतीय जनतामे अपने अन्दर ही फूट पड़ी हो तो उनका स्वराज्य के लिए आग्रह करना न तो शोभनीय होगा और न उसमें वह औचित्यका बल ही

पैदा हो सकेगा। और इस सम्बन्धमें जो कटाक्ष किये जा रहे हैं वे भी उनको काफी चुभ रहे हैं। मैंने उनके साथ बात करनेमें यह रुख अपनाया:

(क) यदि भारतमें साम्प्रदायिक समझौता न हो पाया तो श्री गांधीका अपना तर्क-सम्मत निष्कर्ष यही तो होगा कि जबतक समझौता नहीं हो जाता तबतक संवैधानिक क्षेत्रमें कोई प्रगति नहीं हो सकती। यदि श्री गांधीको ऐसा लगता भी हो तो सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सरकारपर बहुधा कूटनीतिपूर्ण चाल चलने का आरोप लगाया जाता है और यदि वह स्वयं श्री गांधी द्वारा अपनाये गये दृष्टि-कोणको ही अपना ले तो देश-भरमें एकाएक शोर मचने लगेगा और बड़ी तीव्रतासे एक राजनीतिक प्रचार-आन्दोलन खड़ा हो जायेगा। इसलिए इस दृष्टिकोणको तो बिलकुल अलग ही रखना चाहिए और सरकारको संवैधानिक प्रगतिकी ओर कदम बढ़ाना ही चाहिए, भले ही पूर्ण सहमतिसे कोई साम्प्रदायिक समझौता न हो पाये। सरकार जब इस मामलेमें इतना आगे बढ़नेको तैयार है तो फिर श्री गांधी ही क्यों उसके मुकाबले अधिक प्रतिगामी रुख अपना रहे हैं? और फिर यदि भारतमें कोई समझौता नहीं हो पाता, तो इसका अनिवार्य अर्थ यह तो नहीं होता कि इंग्लैंडमें भी कोई समझौता नहीं हो सकेगा। कुछ मायनोंमें तो भारतकी अपेक्षा इंग्लैंडमें परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं. विभिन्न हितोंके प्रतिनिधि वहाँ लगातार एक-दूसरे के सम्पर्कमें रहेंगे, वातावरण ज्यादा ठीक होगा, ब्रिटिश नेता यथासम्भव अधिक से-अधिक सहायता देनेको तैयार हैं और पिछली बार लन्दनमें एक समझौता लगभग हो ही चुका था। और फिर लॉर्ड इर्विन निश्चय ही सहायता करनेको तत्पर रहेंगे। (इस जगह श्री गांधीने सुझाव रखा कि लॉर्ड इर्विन एक मध्यस्थके रूपमें भी काम कर सकते हैं यह एक ऐसी स्वीकारोक्ति थी जो उनकी कुछ पूर्व-घोषणाओंके एकदम खिलाफ पड़ती थी जिनमें कहा गया था कि भारतीयोंको अपने मतभेद स्वयं ही दूर करने चाहिए।) यदि परिषद्में कांग्रेसका प्रतिनिधित्व हो और उसमें श्री गांधीसे भी काफी बड़े योगदानकी आशा की जा सके, तो लन्दनमें समझौता होनेकी सम्भावना और भी बढ़ जायेगी। जो भी हो, भारतमें ही बने रहकर तो वे किसी प्रकारमें सहायता नहीं कर सकेंगे और जहाँतक साम्प्रदायिक समस्याकी बात है, स्पष्ट ही इंग्लैंड जाना श्री गांधीका एक कर्त्तव्य है।

मैंने पूछा कि उनके मित्र इस मामलेके बारेमें क्या सोचते हैं। उनके कहनेसे पता चला कि दो-तीन कांग्रेसियोंको तो शंका है, लेकिन अधिकांशका यही विचार है कि उनको जाना चाहिए। श्री गांधीने स्पष्ट नहीं बताया कि उन्होंने अपने लिए जाने या न जानेका कोई स्पष्ट निर्णय कर लिया है, पर मैं निश्चित रूपसे यही समझता हूँ कि साम्प्रदायिक समझौता न होनेसे ही उनका परिषद्में शामिल होना रुक जाये, ऐसी बात नहीं।

(ख) मैंने उनसे पूछा कि वे परिषद्के लिए कांग्रेसके प्रतिनिधि भेजनेके बारेमें क्या करने जा रहे हैं और मैंने उनको सुझाया कि यदि वे कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियतसे जायें तो भी कुछ कांग्रेस-प्रतिनिधियोंको अपने साथ ले जाना सुविधा-

जनक रहेगा क्योकि महात्मा होनेपर भी वे एक साथ तीन स्थानोपर तो मौजूद नही रह सकेंगे। उन काग्रेस-प्रतिनिधियोको उप-समितियोमें नियुक्त किया जा सकता है। मामलेके इस पहलूके बारेमे वे स्पष्ट रूपसे कुछ भी नही कह पाये और उन्होंने स्वीकार किया कि गुजरातके स्थानीय मामलोमें अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण वे गोलमेज परिषद्के सिलसिलेमे किये जानेवाले प्रबन्धके बारेमे कुछ सोच ही नही पाये थे। उन्होने कुछ इस तरहकी बात कही कि काग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमे किसी अन्य व्यक्तिको शामिल करनेमें उनको बड़ा संकोच रहेगा और यह भी कहा कि उनके विचारसे वे अकेले ही प्रतिनिधित्व कर सकते है और अकेले अपने ही विचारोके सहारे वार्ताको अन्तिम चरण तक पहुँचा सकते है। स्पष्ट है कि उनको अनुमान नही है कि चर्चा कितनी ब्यौरेवार होगी और उसमें किस तरहकी, कितनी बडी-बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ सकती है। दूसरी ओर कुछ काग्रेसियोको व्यक्तिगत रूपसे गोलमेज परिषद्के लिए आमन्त्रित कर लिये जानेपर उनको कोई आपत्ति नही है। वाइसराय महोदयसे पिछली बार मेरी भेंट होनेपर उन्होने यह प्रश्न रखा था और इसीलिए मैंने श्री गांधीसे स्पष्टतया यही प्रश्न पूछा था। वे कहते है कि वास्तवमें लॉर्ड इर्विनने यह स्थिति स्वीकार भी कर ली थी इसीलिए उन्होने श्री मालवीयको आमन्त्रित किया था और श्रीमती नायडू तथा डॉ० अन्सारीको भी बुलानेका इरादा जाहिर किया था। इस तरह श्री गाधीके दृष्टिकोणसे काग्रेसको मुसलमानोंको, या सच तो यह है कि काग्रेसके प्रतिनिधिकी हैसियतके सिवाय किसी भी दूसरी हैसियतमे काग्रेसके किसी भी सदस्यको, आमन्त्रित करनेपर कोई आपत्ति नही होगी। ऐसा करनेसे उन कठिनाइयोंको हल करनेमें सहायता मिल सकती है जो एक तरहसे निश्चित ही है कि यदि श्री गाधीने काग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधि रहनेका आग्रह किया तो हमारे सामने आयेंगी।

(ग) काग्रेस एक दूसरा सवैधानिक प्रश्न यह उठा रही है कि क्या—
(अ) उनको गोलमेज परिषद्के पूर्व गठित की गई उप-समितिमें काम करना चाहिए, और
(आ) क्या उनको ऐसी समितिके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

मेरा ख्याल है कि इस प्रश्नके तूल पकड़नेका कारण उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तकी विषय-समितिसे अहमद शाहका त्यागपत्र देना है। श्री गाधीको उनके त्यागपत्र या नियुक्तिके बारेमे कोई जानकारी नही थी और मै समझता हूँ कि उन्होंने कांग्रेसके आदेशपर वह त्यागपत्र नही दिया था। त्यागपत्र शायद अब्दुल गफ्फारके आदेशपर दिया गया था और मुझे मालूम हुआ कि श्री गाधीका विचार था कि अहमद शाहको अपनी नियुक्तिकी स्वीकृति देने और त्यागपत्र देनेकी बात काग्रेसके सामने रखनी चाहिए थी। वे इस बातसे सहमत हुए कि सारे मामलेके बारेमें पहलेसे एक धारणा बनाकर काम किया गया था और इसे अपने त्यागपत्रका आधार बनाना अहमद शाहके लिए गलत था; लेकिन उनका ख्याल था कि अब उस गलतीको ठीक करनेके लिए कुछ नही किया जा सकता था हालाँकि मैंने उनसे यह भी कहा

था कि वे चाहे तो अपने उत्तराधिकारीके रूपमें किसीका नाम सुझा सकते हैं। वे इस बातसे सहमत हो गये कि ऐसी परिस्थितियोंमें सबसे अच्छा यही रहेगा कि स्थान भरा ही न जाये।

कार्य-समिति इस प्रश्नपर सामान्यतया चर्चा करनेके लिए शीघ्र ही एक बैठक करने जा रही है। मैंने बहुत दृढतापूर्वक उनसे आग्रह किया कि कार्य-समितिको सदस्यता ग्रहण करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने, दोनों ही मामलोंमें सहयोग करनेके पक्षमें अपना निर्णय करना चाहिए। और मैंने अपनी ओरसे यह भी कह दिया कि यदि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाये तो जहाँ सरकारने कांग्रेसको प्रतिनिधित्व देनेका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है वहाँ समितियोंमें सदस्योंकी नामजदगीके लिए कांग्रेसको कहनेमें मेरे विचारसे कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। लगता था कि इसमें श्री गांधीको यह शंका है कि उन्होंने अबतक तो गोलमेज परिषद्में भाग लेने या न लेनेके बारेमें ही कोई निश्चय नहीं किया है, फिर ऐसी परिस्थितिमें परिषद्की बैठक के पहले इन समितियोंमें शामिल होना ठीक रहेगा या नहीं। मैंने उनको बतलाया कि लन्दन जानेके बारेमें वे चाहे जो भी अन्तिम निर्णय करें, पर यदि कांग्रेस संवैधानिक मामलोंमें सहयोग नहीं करती तो समझौतेका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और प्रमुख उद्देश्य विफल हो जायेगा और यह भी कि बादमें किसी भी कारणसे यदि समझौता ठप्प भी हो जाये, तो इन समितियोंमें सहयोग करनेके कारण उनको प्रतिबद्ध नहीं माना जायेगा। पर मुझे कुछ डर है कि कार्य-समिति इस मामलेमें गलत ढंगका निर्णय ही करेगी।

(घ) गुजरात, संयुक्त प्रान्त और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त-जैसे अनेक प्रसंगों को लेकर लगानका प्रश्न भी सामने आया। श्री गांधी पहले तो इस पक्षमें थे कि सरकार और लगान भरनेवालोंके बीच कांग्रेसको आम तौरपर एक मध्यस्थकी तरह काम करने देना चाहिए लेकिन इस चर्चामें उन्होंने अपने उस विचारको मनवानेका आग्रह नहीं किया, पर लगता है कि अब भी उनका मत है कि कांग्रेस सरकारके साथ टक्कर लिये बिना या सरकारको किसी बड़ी परेशानीमें डाले बिना ही जमींदारों या किसानोंके एक मित्रकी हैसियतसे काम कर सकती है और लगान तथा लगान सम्बन्धी मामलोंमें उनको परामर्श दे सकती है। मैंने इस सिलसिलेमें जो रुख अपनाया, उससे वे प्रभावित हुए। मैंने उनसे कहा कि ससारकी कोई भी सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी कि अपने और कर-दाताओंके सम्बन्धोंमें किसी भी राजनीतिक संस्थाको हस्तक्षेप करनेकी अनुमति दे, फिर जब हस्तक्षेप इस रूपमें हो कि उनको इसके बारेमें परामर्श दिया जाये कि कौन-से कर अदा किये जायें और कौन-से नहीं। ऐसी कोशिश यदि अफगानिस्तानमें की जाये तो ऐसा प्रचार करनेवालेको तुरन्त ही दीवारके सामने खड़ा करके तोपसे उड़ा दिया जायेगा और यदि भारतीय रियासतोंमें की जाये तो उसे तुरन्त निष्कासित या बन्दी बना लिया जायेगा और सबसे अधिक उन्नत यूरोपीय देशोंमें भी एक शक्तिशाली राजनीतिक दल द्वारा किये जानेवाले इस प्रकारके एक संगठित आन्दोलनके विरुद्ध सरकारके सारे साधन प्रयुक्त

किये जायेंगे। भारतमे इसकी विशेष आवश्यकता है कि इस प्रकारके प्रचारसे बचा जाये, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियोको देखते हुए और लगान तथा भू-राजस्वके विरुद्ध चलाये गये आन्दोलनके तुरन्त बाद तो यह आवश्यकता और भी बढ गई है। मैंने बड़े ही स्पष्ट शब्दोमे जता दिया कि सयुक्त प्रान्तमें जो-कुछ किया गया है, उस तरहकी कार्रवाइयोको मै व्यक्तिगत तौरपर समझौतेकी समूची भावनाका गम्भीर उल्लघन मानता हूँ। मैंने समझाया कि प्रान्तीय सरकारे आर्थिक परिस्थितिकी गम्भीरता और भू-राजस्व सम्बन्धी नीतिमें ज्यादा सख्ती न करनेकी आवश्यकताके बारेमें पूर्णत. सतर्क है। तब भी उनके लिए यह निर्णय कर पाना बडा कठिन पड़ रहा है कि कौन लोग अदायगी कर सकते है और कौन नही, और यदि इस परिस्थितिमे काग्रेस हस्तक्षेप करेगी तो उनका काम और भी पेचीदा हो जायेगा क्योकि उस हस्तक्षेपका एक अनिवार्य परिणाम यह निकलेगा कि अधिकारी लोग शकाशील हो उठेगे कि लगान अदा करनेसे इनकार करनेवाला व्यक्ति सचमुच अपनी असमर्थताके कारण इनकार कर रहा है या काग्रेसकी सलाहने उसे अदायगीसे बच निकलनेकी प्रेरणा दी है। श्री गाधी इस विचारसे सहमत नही हो सके कि सकटकी स्थितिमें पड़े लोगोको देखकर भी काग्रेस अलग खड़ी रहे, उनकी सहायता न करे; पर मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेपसे होनेवाली कठिनाइयोको उन्होंने समझ लिया और जहाँतक उनकी अपनी बात है लगता है कि निष्क्रियताके कारण गाँवोकी जनतातक पहुँचनेके एक अच्छे अवसरसे वचित होनेके विचारसे वे इतने अधिक चिन्तित नही है जितने कि इस ख्यालसे कि वे दलित जनताके लिए कुछ भी नही कर पाये। इसको लेकर निश्चय ही झंझट खडी होनेकी बडी सम्भावना है। दूसरी ओर, उन्होने जमीदारोपर कोई भी दबाव डालने, अदायगी न करनेकी अपीले जारी करने और कांग्रेसके नामपर लगानमे पचास प्रतिशत कटौती करानेकी झूठी आशा दिलाने और व्यक्तिकी सामर्थ्यसे कमकी अदायगी करनेकी सभी कोशिशों की खुले मनसे भर्त्सना की। आशा है कि सर मॉलकम हैलीके साथ होनेवाली उनकी चर्चाके निष्कर्षोंसे इस मामलेमे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(ङ) मैंने श्री गाधीको विभिन्न प्रान्तोकी वर्तमान स्थितिसे अवगत करानेका प्रयत्न किया और इसमे भी खास तौर पर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तो, पजाब, सयुक्त-प्रान्त, बिहार, उड़ीसा और बगालकी स्थितिसे। मैंने इस तथ्यपर जोर दिया कि समझौतेके हाल ही बादके परिणामोसे सन्तुष्ट कुछ प्रान्तीय सरकारे अब काग्रेसकी कार्रवाइयोके कारण कुछ शकाशील होती जा रही है। मैंने उनको बतलाया कि हमारे सामने लगभग बिलकुल ही नई तरहकी कठिनाइयाँ है, सवैधानिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, वित्तीय, कृषीय और आतकवादी आन्दोलनसे सम्बन्धित काफी टेढी किस्मकी कठिनाइयाँ हमारे सामने है, लेकिन यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करे तो बहुत सम्भव है कि हम उनको हल कर लेगे, और सहयोग न करे तो फिर भविष्यके लिए कोई आशा नही दिखाई पडती। मैंने कहा कि भारत सरकारकी एक सर्वथा सुनिश्चित और स्पष्ट नीति यही है कि समझौतेपर अमल किया जाये

और उसे भंग न होने देनेके लिए सभी उचित प्रयत्न किये जायें। इस दिशामें कोई भी प्रतिगामी शक्तियां उसे पीछे ढकेलनेके लिए सक्रिय नही है। लेकिन साथ ही यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार लगातार सतर्कतासे काम लेती रहे और वह न तो आम तौरपर और न किसी एक क्षेत्रमें ही कोई खतरनाक स्थिति पैदा होने दे सकती है भले ही उसे रोकनेकी कार्रवाईका मतलब समझौतेका खात्मा ही हो। इस सिलसिलेमे सबसे बडा खतरा तो काग्रेसकी मनोवृत्ति और इस बातसे है कि काग्रेस एक विपरीत दिशामे लगातार ही यह प्रचार करती रहती है कि लोगोको भावी सघर्षके लिए तैयार रहना चाहिए। स्पष्ट ही इस मनोवृत्तिका प्रभाव अन्यत्र भी पड रहा हे। इंग्लैडमे होनेवाली प्रतिक्रियाका कारण भी आशिक रूपसे यह बात है और यदि हम उस प्रतिक्रियाको रोक नही पाये तो वहां वातावरण सर्वथा प्रतिकूल बन जायेगा। परिषद्मे उठनेवाली सवैधानिक चर्चाके बारेमे, मैंने उनसे कहा कि यदि लन्दनमे उनकी मौजूदगीके दौरान भारतकी अन्दरूनी परिस्थिति इग्लैडकी जनता को अरुचिकर लगी या इग्लैंडके लोकमतको उससे ठेस भी पहुँची तो वहाँ उनकी अपनी स्थिति बड़ी अटपटी हो जायेगी। विभिन्न प्रान्तोमे काग्रेसकी ओरसे की जानेवाली राजद्रोहात्मक कार्रवाइयोके अनेक उदाहरण मैंने उनके सामने रखे। मै तो समझता हूँ कि सामान्यतया इसका श्री गाधीके मनपर प्रभाव अवश्य पड़ा। इग्लैडमे होनेवाली प्रतिक्रियाका महत्त्व तो उन्होने महसूस कर ही लिया था और मै तो सोच रहा था कि वे उसके पीछे सक्रिय प्रतिगामी शक्तियोकी कुछ आलोचना तो करेगे ही, पर उन्होने कोई भी आलोचना नही की। और इसी तरह उन्होने पजाबके गवर्नर महोदयके हालके भाषणमे अख्तियार किये गये रुखपर भी बिलकुल कोई विरोध व्यक्त नही किया। लगता था कि वे मेरे इस मतसे सहमत हो गये है कि उनका भाषण उन कटु तथ्यों या घटनाओका स्वाभाविक परिणाम ही था जिसके लिए बहुत हदतक काग्रेस जिम्मेदार है। उनको एक यह शिकायत अवश्य थी कि मैंने काग्रेसके उद्देश्यो और कार्योपर एक व्यापक रूपसे सन्देह प्रकट किया, जब कि वास्तवमे काग्रेसके उद्देश्य और कार्य सदाशयतापूर्ण हैं और वह सचमुच शान्तिपूर्ण समाधान चाहती है। यह उन्होने स्वीकार किया कि कुछ खास कार्रवाइयाँ बुरी जरूर थी और उनका वे बिलकुल कोई अनुमोदन नही करते। उन्होने यह भी महसूस किया कि समूची स्थितिको एक अधिक शान्तिपूर्ण धरातलपर ले जानेकी जरूरत है और मुझे आशा है कि वे निश्चय ही इस दिशामे अपने प्रभावका सदुपयोग करेगे। मैंने उनको मद्रास प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया एक परिपत्र दिखाया, जिसकी एक प्रति इस विवरणसे भी सलग्न है। मैंने उनको कहा कि परिपत्रमे एक या दो चीजे ऐसी हो सकती है जिनको अधिक अच्छे शब्दोमे रखना सम्भव रहा हो तथापि यदि काग्रेस मोटे तौरपर उसमे कहे गये सिद्धान्तोके अनुसार अमल करती रहे तो सरकारको शिकायतके लिए कोई गुजाइश ही नही रह जायेगी। मैंने श्री गाधीको यह भी बतलाया कि उन्होने अपने शिमलावाले भाषणमे जो रुख अपनाया है उससे निश्चय ही काफी सहायता मिलेगी और मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे

उसी भावनासे काम करते रहे और अन्य नेताओको भी वैसा ही करनेके लिए प्रेरित करे। मुझे अपने पर पूरा यकीन है कि वे इसका भरसक प्रयत्न करेगे।

(१२) इस विवरणके अन्तमें मै अपनी कुछ निजी धारणाएँ भी बतला दूं। (वैसे ही यह विवरण बहुत काफी लम्बा हो गया है।)

मैं समझता हूँ कि श्री गांधी समझौतेका पूरा-पूरा पालन करानेके लिए पहलेसे अधिक चिन्तित है, सच्चे हृदयसे चिन्तित है, और वे अपनी पूरी शक्ति इसमे लगा देंगे। काग्रेसकी ओरसे समझौतेकी बात टूटनेकी सम्भावना बड़े-बडे प्रश्नोको लेकर तो कम ही जान पड़ती है। अधिक सम्भावना तो यही है कि काग्रेसकी ओरसे यदि बात टूटी तो वह अपेक्षाकृत कम महत्त्वके ब्यौरेसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ अरुचिकर प्रश्नोको लेकर ही टूट सकती है। और यदि काग्रेसकी कार्रवाइयोका रूप विशेषकर देहाती क्षेत्रोमे काफी कुछ सयत हो जाये, तो यह खतरा बहुत कम रह जायेगा, क्योकि तब यह सम्भव और वाँछनीय भी हो सकता है कि स्थानीय अधिकारी लोग कांग्रेसकी कार्रवाईको देखते हुए यहाँ-वहाँ जरूरतके मुताबिक कुछ बातोंमें थोड़ी ढिलाई कर सकें। यदि यह हो जाये तो उससे वातावरणमे सुधार होगा।

पिछले कुछ महीनोके दौरान श्री गाधीके अपने रुखमें निश्चय ही कुछ नरमी आई है। वे कुछ ठोस किस्मकी कठिनाइयोसे जूझते रहे है और उनको रचनात्मक कार्यके बारेमे सोचना पडा है। इस कारण उनकी पहलेसे बनी-बनाई कुछ धारणाओ परसे उनका विश्वास थोड़ा डिग गया है और वे समस्याके दूसरे पहलूको भी समझने के लिए अब पहलेसे ज्यादा तैयार है, हालाँकि मैंने इस मामलेमें उनका रुख सदा ही बहुत मुनासिब पाया है। विभिन्न सरकारी अधिकारियोके साथ उनका निजी सम्पर्क स्थापित होनेसे उनकी सहयोगकी इच्छाको बल मिला है। और यह तो मैं भली-भाँति समझता हूँ कि काग्रेसको जबतक सरकार और अन्य दलोका प्रभाव और उनकी साख घटाकर स्वय अपना प्रभाव और अपनी ही साख बढ़ानेकी ही पड़ी है, तबतक काग्रेसी नेताओके साथ अधिक निकटका सहयोग स्थापित करनेके मार्गमे बडी मुश्किले पड़ेगी और खतरे सामने आयेंगे; लेकिन मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रोमे भी इन मुश्किलों और खतरोसे बचकर चलना सम्भव है, वहाँ निजी सम्पर्क बनाये रखनेसे निश्चय ही स्थिति कुछ आसान बनाई जा सकती है। और जैसी कि मुझे आशा है, श्री गांधी सघर्षशीलताकी मनोवृत्तिमें नरमी लानेका प्रयास करेगे, और यदि वे इसमे सफल होते है तो निश्चय ही स्थिति आसान हो जायेगी। यदि सरकार उनके प्रयासको देखते हुए तब अपनी ओरसे कोई सहयोग नही करेगी, तो हम फिरसे पुराने चक्करमे पड़ जायेगे और स्थिति फिर बिगड़ने लगेगी।

इस समय तो श्री गाधी स्वय ही ब्यौरेसे सम्बन्धित छोटी-मोटी चीजोमें इतने उलझे हुए है कि बड़े-बड़े प्रश्नोकी ओर उनको जितना ध्यान देना चाहिए वे नही दे पा रहे है। सरकारकी ओरसे समझौतेपर अमल न किये जानेके सम्बन्धमें अनेक शिकायतें उनके पास आती रहती है और हालाँकि उनमे से अधिकाश झूठी होती है, फिर भी शकाओ और सन्देहोकी गुंजाइश तो हो ही जाती है। समझौतेसे उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोका समाधान जितने जल्द हो जाये उतना ही अच्छा रहेगा।

समझौता भग हो जानेके परिणामोके वारेमें श्री गाधीको कोई भ्रम नही है, वे उनको भली-भाँति समझते हैं। वे समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनको फिर शुरू कर देनेपर सरकार तुरन्त और पूरी सख्तीके साथ कार्रवाई करनेपर विवश हो जायेगी और मैंने अनेक अवसरोपर यह वात उनको वहुत ही स्पष्ट शब्दोमे जता दी है। वे इसे सर्वथा उचित मानते हैं और यदि आवश्यकता पडी तो वे इसके परिणाम भुगतनेके लिए तैयार रहेगे। लेकिन यदि ऐसी स्थितिसे वच सके तो वे दूसरा सघर्ष नही छेडना चाहेगे। यह तथ्य और लॉर्ड इर्विनको दिये गये अपने वचनोके प्रति उनकी अपनी दायित्व-भावना ये दो चीजें इस परिस्थितिके सन्दर्भमें अत्यधिक महत्व रखती हैं।

१८ मई, १९३१ एच० डब्ल्यू० एमर्सन

अग्रेजीकी फोटो-नकलमे: इडिया ऑफिस रेकर्ड्स

परिशिष्ट ७

गांधीजी के साथ हुई चर्चापर सरमाल्कम हेलीकी टिप्पणी[1]

२० मई, १९३१

आज श्री गाधीके साथ मेरी चर्चा मुख्यत. कृषीय परिस्थितिके वारेमें ही रही, पर कुछ अन्य सम्वन्धित विषयोपर भी वात हुई।

१. रिहाइयोके वारेमे उन्होने ज्यादा वात नही की। वे निश्चय ही मामलोकी कोई सूची अपने साथ लेकर नही आये थे जिनके वारेमें हमारी ओरसे समझौतेका पालन न होनेकी शिकायते आई हो। मैंने उनसे कह दिया कि यदि कुछ ऐसे मामले हों जिनको आप पेश करना चाहते हो तो मुझे उनके द्वारा उनका मुख्य सचिवके पास भेज दिया जाना उचित लगेगा। इसपर वे राजी हो गये।

२. उन्होने उन विद्यार्थियोके मामलोका उल्लेख किया जिनको सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेके अपराधमें शालाओंसे निकाल दिया गया था या और दण्ड दिये गये थे। मेरे पास पूरे तथ्य तो मौजूद नही हैं, पर प्रान्तके शिक्षा-निदेशकने मुझे सूचित किया है कि उनको दाखिला तभी दिया जा सकता है जव वे लिखित वचन दें कि वे अपनी-अपनी शिक्षा सस्थाओके अनुशासनात्मक नियमोका पालन करेगे। यह कोई वडा कष्टदायक दायित्व तो नही लगता। और काग्रेस अन्य कोई स्पष्ट शिकायत नही करती, तो मैं इस मामलेको यही तक रहने दूंगा। वात करते समय ऐसा नही लगा कि श्री गाधी इसे वहुत महत्त्वपूर्ण मानते हो।

१. देखिए पृष्ठ १९२।

३ उन्होने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लेनेके कारण कुछ लोगोंके शस्त्र रखनेके लाइसेस जब्त कर लिये जानेके प्रश्नको कुछ अधिक महत्त्व दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसे कुछ मामले हुए तो थे; हालाँकि मै नही जानता कि हमारे पास प्रधान कार्यालयमे उनके विषयमे कुछ जानकारी है या नही। उन्होने मुझे बतलाया कि गुजरातके कमिश्नरने स्वीकार कर लिया था कि यह विषय समझौतेकी शर्तोंके क्षेत्रमे शामिल है और श्री एमर्सनने कहा था कि उनका भी यही ख्याल था, पर वे प्रान्तीय सरकारोको कोई आदेश जारी करनेसे पहले कानूनी सलाह लेना चाहेगे। चाहे तो मुख्य सचिव इस विषयसे सम्बन्धित जिन तथ्योके बारेमे भी निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं और साथ ही अर्द्ध-सरकारी तौरपर श्री एमर्सनसे पूछ सकते हैं जहाँ उनको केवल इसी कारण जब्त किया गया था कि उनको रखनेवाले लोगोने सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे भाग लिया था, वहाँ शस्त्रोके लाइसेसोको बहाल करनेके बारेमे भारत सरकारकी क्या राय है।

४. मै पहलेही कह चुका हूँ कि चर्चाका मुख्य विषय कृषीय परिस्थिति था। इसपर हमने काफी विस्तारसे बात की और मै अपनी ओरसे किसी भी सिद्धान्तिक विषयपर चर्चा करनेसे बचा रहा, जैसे कि यह प्रश्न कि समझौतेके अन्तर्गत काग्रेसको जनताके प्रतिनिधिकी हैसियतसे मान्यता पानेका अधिकार है या नही, आदि। और मैने तुरन्त ही उन जिलोकी परिस्थितिसे सम्बन्धित तथ्योपर उनके साथ बात शुरू कर दी, जहाँ कांग्रेस सबसे अधिक सक्रिय रही थी। मैने उनको बतलाया कि जैसे भी हुआ हो पर अब परिस्थिति ऐसी बन गई है जिससे यह खतरा है कि शायद किसान लोग लगानकी अदायगी करनेसे बिलकुल ही इनकार कर दे और यदि जमीदार उनको विवश करे तो वे शायद हिंसापर उतारू हो जाये। स्वाभाविक ही था कि मैने चौरीचौराके उदाहरणकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होने तुरन्त प्रतिवाद किया और कहा कि लगानकी अदायगी न करनेके लिए आन्दोलन करनेका मेरा कोई इरादा नही है और जब मैने इटावा काग्रेस कमेटीके प्रस्तावकी एक प्रति उनके हाथमें दी तो उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ और उन्होने कहा कि मै फौरन इसकी जाँच करूँगा। उन्होने स्वीकार किया कि जिन स्थानोमे जमीदारोने काग्रेसके साथ समझौता कर लिया था उन स्थानोमे काग्रेस किसानोको अदायगी करने पर राजी नही कर पाई। उन्होने कहा कि तहसीलो और थानोमे कोई एक सगठन खड़ा करनेकी काग्रेसकी कतई कोई योजना नही है और वह तो वास्तवमे किसी तरहका एक समानान्तर शासन-तन्त्र खडा करनेके विचारका विरोध करती है। इतनी बात हो चुकनेके बाद, मैने इन जिलोमे उत्पन्न परिस्थितिके कारण सामने आई वास्तविक कठिनाईकी ओर उनका ध्यान फिर आकर्षित किया। उन्होने कहा कि उसका यही तो हल है कि किसानोको लगानकी अदायगीके लिए राजी करनेमें काग्रेसका कारगर सहयोग प्राप्त किया जाये। लेकिन वे इसका वचन नही दे सके और उन्होने कहा कि जबतक किसानोके सामने रखनेके लिए सरकार द्वारा दी गई छूटकी घोषणा-मात्रसे बेहतर कोई विकल्प काग्रेसके हाथ नही आ जाता तबतक मै किसानोको राजी

करनेके लिए व्यक्तिगत तौरपर भी कोई प्रयत्न नही कर सकता। मेरे कार्यकर्त्ताओने अनेक जिलोकी स्थितिका बारीकीसे अध्ययन कर लिया है और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वर्तमान परिस्थितियोमे किसान लोग लगानकी घटाई गई राशि भी अदा नही कर पायेगे। उन्होने तो यहांतक कहा कि इस जाँच-पडतालसे पता चला है कि लगानकी दर इतनी ऊँची है कि सामान्य स्थितिमें भी उतनी अदायगीकी सामर्थ्य किसानोमें नही है, हालाँकि उन्होने स्वीकार किया कि लगानकी ये दरे पुरानी है और बहुत दिनोसे चली आ रही है तथा इस तथ्यको देखते हुए इस निष्कर्षमें शायद कुछ परिवर्त्तन करनेकी जरूरत पड़ सकती है। उनका कहना था कि नीचे दिये गये तीन विकल्पोमें से कोई एक अपनाया जाना चाहिए:

पहला—उन्होने सुझाव दिया (हालाँकि उन्होने इसपर आग्रह नही किया) कि हम काग्रेस-कार्यकर्त्ताओ द्वारा इकट्ठे किये गये आँकडोको स्वीकार कर ले और उन्होने विश्वास दिलाया कि ये आँकडे मोटे तौरपर लगाये गये किसी अनुमानपर नही, बल्कि सचमुच जाँच-पड़ताल करके इकट्ठे किये गये है। मैंने उनको बतलाया कि यह मान लेना तो असम्भव है कि ये सामान्य आँकड़े किसानोंके सभी तबकों और प्रदेशोके सभी भागोके बारेमें सही हो सकते है।

दूसरा—उन्होने सुझाया कि हमारे अधिकारी और भी ठीक-ठीक आँकड़े प्राप्त करनेके उद्देश्यसे हर जिले या डिवीजनमे कुछ चुने हुए काग्रेसियोके साथ मिलकर सरसरी तौरपर एक जाँच कर डालें।

तीसरा—उन्होने कहा कि यदि सरकारको उक्त दोनों ही विकल्प स्वीकार्य न हो, तो सरकार खुद एक खुली जाँच बैठा दे जिसमें काग्रेसके लोग किसानोकी लगानकी अदायगीकी सामर्थ्यके बारेमे साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। मैंने उनको बतलाया कि इनमे से किसी भी विकल्पको अपनानेसे विलम्ब होगा और सम्भावना यह भी है कि लगान अदायगीके लिए धन मिल ही न पाये। यदि किसान इस फसलपर लगानकी बिलकुल अदायगी न करें तो यह निश्चित ही मानिए कि खरीफके लिए वे एक कौडी भी नही देगे। आप समझते है कि तीन-चार दिनोमें सरसरी जाँच की जा सकती है, परन्तु यह सर्वथा असम्भव है और आप जिस प्रकारकी सामान्य जाँचकी बात सोच रहे है—अर्थात् १९१६ में चम्पारनमें जैसा आयोग गठित किया गया था, वैसा कुछ करनेकी—उसमें तो कई महीने लग जायेंगे। हम इस समय जो भी करेगे उसका गम्भीर प्रभाव जमीदारोपर ही नही, आगामी अनेक वर्षों तक हमारी अपनी वित्तीय स्थितिपर भी पड़ सकता है। इसलिए इतना दूर-व्यापी प्रभाव डालनेवाली इस सरसरी जाँचकी प्रक्रिया अपनानेके लिए सरकारसे कहना उचित नही है। मैंने उनसे कहा कि मै आपके प्रस्तावोपर विचार करूँगा, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि वसूलीमे विलम्ब करनेका परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है कि उसे बरदाश्त करना कठिन होगा। मैंने यह भी बतलाया कि ऐसे अनेक जिले है जहाँ हमारे अधिकारी समझते है कि अब वसूलीका काम बिना किसी बड़ी कठिनाईके चल सकता है और मेरी रायमे तो जहाँ भी हो सके हमे इस आशासे वसूलियाँ

शुरू कर देनी चाहिए कि यदि उनमें कोई कठिनाई नही पड़ी तो आम किसानोंके रुखपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमने बातको यहीतक रहने दिया। हो सकता है कि यह कोई बड़ा ही सन्तोषजनक निष्कर्ष न हो, क्योंकि मैं उनसे सिवा इस बातके और कोई भी बात नही मनवा सका कि वे लगानकी अदायगी न करने-जैसे कांग्रेसके किसी भी आन्दोलनको चलाने या उस सम्बन्धमें पच सभाओको गठित करनेके हर प्रयत्नको निरुत्साहित ही करेगे। श्री एमर्सनने मुझे सावधान कर दिया था कि श्री गाधी बड़ी तीव्रतासे अनुभव करते है कि काग्रेस किसानो और छोटे जमीदारोंकी हिमायतकी अपनी नीतिसे बिलकुल ही विरत नही हो सकती।

५. अधिक विस्तारसे न सही, पर धरनोके प्रश्नपर भी हमने बात की। मैंने उनको आगाह किया कि धरना देनेवाले स्वयसेवक चूंकि मुसलमान दुकानदारोको पक्षमे करनेकी कोशिश नही करते है, इसलिए खतरा है कि इसका रूप कही साम्प्रदायिक न बन जाये, और मैंने उनको यह भी बतलाया कि शराबकी बोतले छीनना या जुर्माने करना समझौतेकी भावनाके बिलकुल प्रतिकूल है। वे इससे सहमत हो गये और उन्होने कहा कि मैं इसको निरुत्साहित करनेका भरसक प्रयत्न करूँगा और जुर्माने लेनेके विरुद्ध आदेश तो जारी कर ही चुका हूँ।

एम० हेली

[अग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य: भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट ७ अ

एमर्सनको सर माल्कम हेलीका पत्र[1]

सयुक्त प्रान्त
२१ मई, १९३१

प्रिय एमर्सन,

आपके १६ मईके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद। श्री गाधीके साथ मेरी चर्चामें सचमुच वह मेरे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। चर्चाके परिणामके बारेमें मैं एक विवरण आपको भेज रहा हूँ। मुझे लगता है कि परिणाम कोई बहुत उल्लेखनीय नही रहा। परन्तु सारी चर्चा बडे ही मैत्रीपूर्ण ढगसे चली और मै इस बातसे बडा प्रभावित हुआ कि वे रिहाइयोके बारेमे अपनाये गये हमारे तरीकेके खिलाफ शिकायतो का कोई पुलिन्दा लेकर पूरी तैयारीके साथ आये हो ऐसा नही लगता था। आप

१. देखिए पृष्ठ १९२।

स्वय देखेंगे कि कृषीय परिस्थितिसे सम्बन्धित समस्याके बारेमें उनका रुख आम तौर पर बहुत कुछ वही रहा जो उन्होंने आपके सामने रखा था।

हृदयसे आपका,
एम० हेली

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन
सचिव, भारत सरकारका गृह-विभाग

पुनश्च :

मैंने अपने विवरणकी एक प्रति वाइसरायको भेज दी है।

[अग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य : भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट ८

सर माल्कम हेलीका पत्र[1]

२३ मई, १९३१

प्रिय श्री गाधी,

आज ही की तारीखका आपका पत्र मुझे अभी-अभी मिला। चूंकि आपने बहुत शीघ्र उत्तर चाहा है, इसलिए मैंने उसपर तुरन्त ही लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है और मै इस विषयके बारेमे अपनी राय आपको तुरन्त लिख रहा हूँ।

आपके प्रस्तावित घोषणापत्रकी अनेक बातोका मै स्वागत करता हूँ जैसे कि किसानोको आपकी यह राय कि वे तुरन्त लगान अदा करना शुरू कर दे और किसानो द्वारा की गई हिंसाकी निन्दा और काफी जोरदार शब्दोमे व्यक्त की गई आपकी यह इच्छा कि उनको कोई अवाछित कार्रवाई करके अपने ही हितोको चोट नही पहुँचानी चाहिए। फिर भी मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि मै किसी भी रूपमें कुल मिलाकर इस घोषणापत्रको अपनी सहमति नही दे सकता। वह तो एक तरहसे निर्णय ही बन जाता है, यह निर्णय कि प्रान्तके अनेक जिलोमे फसली साल १३३८के दौरान लगानके मामलेमे कानूनी और गैर-मौरूसी भूमिधरोको रुपयेमे आठ आने और मौरूसी भूमिधरोको रुपयेमें चार आनेकी माफी देना जरूरी हो गया है। मै मानता हूँ कि घोषणापत्रमें हालाँकि कहा गया है कि कुछ लोग अधिक अदायगी करनेमे भी शायद समर्थ होगे, लेकिन आम तौरपर किसान इसका बस एक यही अर्थ लगायेगे कि इस तरह उनको हिदायत दी जा रही है कि वे कुल मिलाकर

१. देखिए पृष्ठ २११-१२।

अपनी अदायगी इस स्तरतक ही सीमित रखें। मैंने स्वयं जितना देखा-सुना है, उसके आधारपर मुझे तो विश्वास नही होता कि परिस्थितियोको देखते हुए इतनी ज्यादा छूट देनेकी कोई जरूरत है; और मेरी बिलकुल स्पष्ट राय है कि इस राशिके बारेमे छूट देने या अन्य किसी राशिमे कटौती करनेके सिलसिलेमें भी कोई ऐसा नियम नही बनाया जा सकता जो प्रान्तके विभिन्न इलाकोमें मौजूद बड़ी ही विभिन्न परिस्थितियोमे समान रूपसे प्रयोगमे लाया जा सके।

मुझे बतलाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित कटौतीके आधारपर हमारे अनेक जिलोमे इस वक्त लगानकी वसूलियोका काम शुरू हो गया है और हालाँकि इस समय यह तो नही कहा जा सकता कि ये वसूलियाँ सभी जगह पूरी-पूरी हो जायेंगी या नही, फिर भी मै समझता हूँ कि ठीक नीति यही होगी कि इस आधार पर वसूलियाँ होने दी जाये और सावधानीसे देखा जाये कि उसके क्या परिणाम निकलते है। मैंने अपनी बातचीतके दौरान आपको बतलाया था कि इस अवस्था पर किसानोको अदायगी रोकनेके लिए प्रोत्साहित करनेवाली किसी भी कार्रवाईसे क्या खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि यदि तुरन्त ही वसूली नही की जायेगी तो बादमे कोई भी अदायगी करानेकी गुजाइश बहुत कम रह जायेगी। और मैंने खास तौरपर इसी कारण प्रान्त-भरमे लगान वसूलियोंकी मौजूदा स्थितिके बारेमे आम किस्म-की जाँच करानेके सभी प्रस्तावोको निरुत्साहित किया है, क्योकि इस प्रकारकी किसी भी सरसरी जाँचके आधारपर इस अत्यन्त ही जटिल और गूढ प्रश्नका उचित समाधान नही निकाला जा सकता, एक ऐसा जटिल प्रश्न जिससे विभिन्न हित जुड़े हुए है और जिसके सम्बन्धमे किये जानेवाले हर निर्णयका प्रभाव सरकारके राजस्व-कोषपर ही नही, बल्कि किसानो और जमीदारोके परस्पर सम्बन्धोपर भी दीर्घकाल तक पड़ता रहेगा।

शुभ कामनाओ सहित,

हृदयसे आपका,
एम० हेली

श्री मो० क० गांधी
थाकुला, नैनीताल

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल सख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य : भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

परिशिष्ट ८अ

एच० डब्ल्यू० एमर्सनको सर माल्कम हेलीका पत्र[1]

संयुक्त प्रान्त,
२३ मई, १९३१

प्रियवर एमर्सन,

मेरा ख्याल है कि श्री गांधीके साथ हाल ही में हुआ, उसके साथ सलग्न मेरा पत्र-व्यवहार आप तुरन्त देख जाये। उत्तर देनेके लिए मुझे बहुत ही थोडा समय मिल पाया था, क्योकि मै कोई भी ऐसा काम नही करना चाहता था जिससे उनको आज दोपहर बाद ३ बजेतक हम लोगोंसे फारिग हो सकनेमें कोई अडचन पड़े। परन्तु स्पष्ट है कि किसी भी ऐसे प्रस्तावसे सहमत होना मेरे लिए असम्भव था जिसके फलस्वरूप लोगोंको यह लगे कि मेरी और उनकी ओरसे एक सयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया है, विशेषकर इसलिए कि अधिकाश जनता तो उनके मसविदेको एक इस निर्णयके रूपमें ही लेती कि हमने जो छूटे दी हैं वे बिलकुल ही गलत हैं और आवश्यकता कही अधिक व्यापक किस्मकी छूट देनेकी है। कह नही सकता कि वे इस सिलसिलेमें फिरसे तर्क करेगे या मुझसे फिर मिलना चाहेंगे या नही; परन्तु उनके मुख्य प्रतिनिधि गोविन्दवल्लभ पन्तको टेलीफोनपर जता दिया गया था कि मैंने जो रुख अपनाया है उसमे कोई फेर-बदल करनेके लिए मै शायद बिलकुल तैयार नही हूँ। मै बहुत सोच-विचारके बाद इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि मेरे लिए बस यही एक मार्ग रह गया था।

हृदयसे आपका,
एम० हेली

पुनश्च :

सर जार्ज लैम्बर्ट यदि अब भी शिमलामे हों, तो कृपया उनको यह दिखला लीजिये।

श्री एच० डब्ल्यू० एमर्सन

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाइल संख्या ३३/११ और के० डब्ल्यू० १९३१।
सौजन्य : भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार

१. देखिए पृष्ठ २११-१२।

परिशिष्ट ९

आर० एम० मैक्सवेलका पत्र[1]

गवर्नमेंट हाउस
महाबलेश्वर
१३ मई, १९३१

प्रिय श्री गांधी,

गवर्नर महोदय सर फ्रेडरिक साइक्ससे १७ अप्रैलको आपकी भेंटके दौरान गवर्नर महोदयने वचन दिया था कि आपके द्वारा उल्लिखित गृह-विभागके कुछ मामलोपर सरकार फिरसे विचार करेगी। अब मैं आपको उस पुनर्विचारके परिणामसे अवगत करा रहा हूँ।

२. मैं सबसे पहले कुछ बन्दियोकी रिहाईके बारेमें दिये गये आपके सुझावको ले रहा हूँ।

(१) आपने कहा था कि शोलापुर मार्शल लॉके जिन बन्दियोको अबतक रिहा नही किया गया है, उनको समझौतेके अनुसार रिहा कर दिया जाना चाहिए था। आपको उस समय सूचित कर दिया गया था कि ऐसे तीन बन्दी हैं।

श्री राजवाड़ेके बारेमें आपका यह अनुमान, जैसा आपने श्री कॉलिन्सके नाम पहली तारीखके अपने पत्रमें लिखा था, सही है कि 'कर्मयोगी' के उल्लिखित अंकमें छपे लेखके अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी लेख न्यायालयके सामने पेश नही किया गया था। उस लेखमे कही गई अनेक बाते या तो झूठ थी या इतनी बढा-चढ़ाकर पेश की गई थी (या कहें उन्हे बहुत मामूली मान लिया गया जैसा कि दंगेकी घटनाओंका उल्लेख करते समय) कि वे तथ्योको देखते हुए बिलकुल ही असत्य बन गईं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्त्व इस बातको दिया गया है कि उस समय शोलापुरमें मौजूद उन परिस्थितियोंमें उनका प्रकाशन जनतामें लाजिमी तौरपर अधिकारियोके विरुद्ध आक्रोश भड़का सकता था और स्पष्ट ही ऐसा करना जनताको वास्तवमें और अधिक हिंसाके लिए भड़काने जैसा था। उनका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि शान्तिकी पुनर्स्थापनाका काम और अधिक कठिन बन गया और इसमें शककी बिलकुल भी गुंजाइश नही कि श्री राजवाड़े भी लेख प्रकाशित करते समय पहले ही यह सब भली-भाँति समझते थे। इसलिए सरकार पुनर्विचारके बाद भी अपनी इस रायपर कायम है कि यह ऐसा मामला नही है जिसमें माफी देना उचित होगा।

अन्य दोनों व्यक्तियोको पुलिस-कर्मचारियोकी हत्यासे सम्बन्धित एक मुकदमेके दौरान गवाहोंको रिश्वत देकर न्यायके साथ धोखाधडी करनेके अपराधमें सजाएँ दी

१. देखिए पृष्ठ ३५२-५४।

गई थी और सरकार उनके मामलेपर पुनर्विचार करनेके बाद भी यह समझनेमें असमर्थ है कि इस प्रकारका मामला आखिर समझौतेके क्षेत्रमें कैसे शामिल किया जा सकता है या इस प्रकारके व्यक्तियोंको कोई क्षमा कैसे कर सकता है।

(२) सरकारने भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १२४-क के अधीन सजा पाये व्यक्तियों के मामलोंपर पुनर्विचार कर लिया है। आपने राय व्यक्त की कि जब यह निर्णय किया गया था कि हिंसा और हिंसाके लिए भड़कानेके मामलोंपर समझौता लागू नहीं किया जाना चाहिए, उस समय लेख लिखने और भाषण देनेकी बात उसमें शामिल करनेका कोई ख्याल नहीं था। सरकार इस दृष्टिकोणको स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे लेखों और भाषणोंसे हिंसाको उत्तेजना मिल सकती है और अक्सर मिली है और वह उत्तेजना वास्तविक होती है, मात्र शाब्दिक या औपचारिक नहीं और ऐसी उत्तेजना बहुधा हिंसा प्रेरित करनेके अन्य प्रकारोंसे कहीं अधिक खतरनाक और व्यापक होती है। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि जेलमें बन्दी व्यक्ति इस कसौटीपर पूरे उतरते हैं, और इसलिए सरकारके मनमें इस बारेमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि उनको माफी न देना सर्वथा उचित था। साथमें मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिताके खण्ड १२४-कके अधीन दण्डित कोई भी व्यक्ति यदि समुचित क्षमायाचना करे और फिरसे वैसा अपराध न करनेका लिखित वचन दे तो सरकार उसके मामलेमें कुछ रियायत करनेके लिए सदैव तत्पर है, जैसा कि पहले कई मामलोंमें वह कर भी चुकी है, लेकिन इस मुद्देका समझौतेसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि समझौतेमें सशर्त रिहाईकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(३) आपने बारडोली ताल्लुकेके रतनजी दयारामके मामलेका उल्लेख किया था। आपने कहा था कि उसे अपनी फसलमें आग लगानेके अपराधमें दण्डित किया गया था और इसलिए उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए था।

सरकारको इस मामलेकी छानबीन करनेपर मालूम हुआ कि उसे सजा इसलिए दी गई कि उसने अपने काश्तकारकी फसल जान-बूझकर जला दी थी ताकि उस जमीन का बकाया सरकारी लगान अदा न किया जाये। उसने अपने काश्तकारकी कोई क्षति-पूर्ति नहीं की, जो यदि की गई होती तो शायद सदयताके आधारपर उसके मामलेपर फिरसे विचार किया जा सकता था। और वह भी समझौतेकी शर्तोंसे बिल-कुल अलग एक बात होती, क्योंकि मैं बतला ही चुका हूँ कि समझौतेमें सशर्त रिहाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस बातके अलावा, सरकारका यह भी विचार है कि इस प्रकारकी हिंसापूर्ण शरारतके लिए माफीका कोई आधार नहीं है।

(४) गवर्नर महोदयका ख्याल है कि आपने कहा है कि नमक सत्याग्रहसे सम्बन्धित अपराधोंके लिए दण्डित कुछ ऐसे बन्दी हैं जिनको रिहा नहीं किया गया है। गृह-विभागको खोजबीनके बाद भी ऐसे किसी मामलेका पता नहीं चला।

(५) आपने कहा है कि सविनय अवज्ञाके दौरान किये गये कुछ अपराधोंके सिलसिलेमें अबतक कुछ मुकदमे चल रहे हैं ऐसा करना समझौतेकी शर्तोंके विरुद्ध

है और आपने इस सिलसिलेमें बेलगाँवके एक मुकदमेका उल्लेख विशेष तौरपर किया।

आपको उस समय बतला दिया गया था कि आपने जिस मामलेका विशेष उल्लेख किया है वह उस जिलेके निपानी गाँवका है। उस मामलेके तथ्य इस प्रकार हैं — १९३० के अप्रैल महीनेमे दो स्थानीय नेताओको सजाएँ सुनाई जानेके बाद हड़ताल करानेकी गरजसे एक भीड इकट्ठी हो गई और उसने सरकारी तथा कुछ निजी सम्पत्तिको हानि पहुँचाने तथा स्कूलमे लगे राज परिवारके चित्रोको नष्ट करनेके बाद पुलिससे टक्कर ली और उसपर पथराव किया जिसके फलस्वरूप तीन पुलिस कर्मचारी और कुछ ग्राम-सेवक जख्मी हो गये थे। इस प्रकार वहाँ सचमुच एक हिंसा-काण्ड हुआ था और सरकार समझती है कि मुकदमा चलानेके फैसलेमे कोई रद्दोबदल नही की जा सकती।

गवर्नर महोदयसे आपकी बातचीतके समय अन्य विचाराधीन मुकदमे इन लोगोके थे — (क) महादेव कुवेरजी और हीरा वल्लभ, (ख) विष्णु सालि, (ग) शिव मत्तुर। ये सभी लोग सूरत जिलेके थे, जिनपर क्रमश जब्तशुदा फसलोमे आग लगाने, एक पुलिस सिपाहीके साथ बुरी तरह मारपीट करने और एक प्रभारी ग्राम-सेवकको पीटनेके बाद एक जब्तशुदा फसलमे आग लगा देनेके आरोप हैं। यह स्पष्ट ही हिंसा है और ऐसे मामलो पर पुनर्विचार नही किया जा सकता।

(३) विदेशी व्यक्ति अधिनियमके अन्तर्गत जारी किये गये निष्कासनके आदेशोके सम्बन्धमे सरकारने पुनर्विचार करनेके बाद सभी मामलोमे आदेश वापस ले लिये है। ऐसे छः मामले थे और आदेशका पालन न करनेके अपराधमें बन्दी बनाये गये उन सभी व्यक्तियोको रिहा कर दिया गया है। आपने इस सिलसिलेमे कहा था कि कर्नाटकमे ऐसे ३० मामले है और आपको तब सूचित कर दिया गया था कि सरकारको उनकी कोई जानकारी नही। इसपर आपने गृह-विभागके सचिवको उनका विवरण भेजना स्वीकार किया था। चूँकि आपने विवरण नही दिया है, इसलिए गवर्नर महोदयने मान लिया है कि उनके बारेमे आपको गलत सूचना दी गई थी।

(४) आपने कहा था कि जब्त की गई कुछ चल और अचल सम्पत्ति भी लौटाई नही गई है। गवर्नर महोदयने पता कर लिया है कि अध्यादेश ११ के अन्तर्गत जब्त की गई सभी इमारते वापस कर दी गई हैं। कुछ मामलोमे विलम्बका कारण यह था कि कब्जा लेनेके वास्तविक अधिकारी व्यक्तियोका ठीक-ठीक पता लगाने और सम्पत्ति उन्हे लौटानेका प्रबन्ध करनेमे समय लगना तो जरूरी था।

चल सम्पत्ति लौटानेके बारेमे आजकी ही तारीखके मेरे एक दूसरे पत्रमे स्थिति बतलाई गई है। वह आपके ७ मईके पत्रके उत्तरमे लिखा गया है।

(५) और चिरनरवाले मुकदमेके बारेमे आपने कहा था कि उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। आपको उस समय सूचित कर दिया गया था कि सम्बन्धित व्यक्तियोपर दंगा करने, घातक हथियार रखने, डाकेजनी और डाकेजनीके लिए षड्यन्त्र करने और सरकारी कर्मचारियोको उनके कर्त्तव्य-पालनके दौरान गम्भीर

चोटें पहुँचानेके आरोप हैं और चूंकि उनमें से छः पर हत्याका सीधा, स्पष्ट आरोप है, इसलिए स्पष्ट है कि मुकदमेकी सामान्य प्रक्रियामें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,
आर० एम० मैक्सवेल

श्री मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० कां० क० फाइल सख्या ४/१९३१, भाग १।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

परिशिष्ट १०

राय: नवजीवन प्रेसके सवालपर[1]

१३ जून, १९३१

१. (१) सरकार और 'नवजीवन प्रेस' के बीच बहस इस सवालपर है:

"अहमदाबादमें नवजीवन प्रेसकी इमारतसे जब्त किये गये छापाखानेको लौटानेके सिलसिलेमें सरकारके क्या दायित्व हैं?" यह पूरा सवाल बुनियादी तौरपर कानून [प्रेस अध्यादेशमें] प्रयुक्त शब्दावलीपर निर्भर करता है, जिसमें कहा गया है: "चल सम्पत्ति . . . लौटा दी जायेगी।" वैब्स्टरके अंग्रेजी शब्द-कोषमें "लौटाना" शब्दका अर्थ दिया गया है—"लाना, ले जाना, रखना, या वापस भेजना, बहाल करना। मरेके 'ऑक्सफोर्ड शब्द-कोष' में "लौटाना" शब्दके अनेक अर्थोंमें एक यह अर्थ भी दिया गया है:

"किसी स्थान या व्यक्तिके पास लाना या ले जाना; फिर वापस भेजना; वापस देना या दिलवाना"। इससे स्पष्ट है कि किसी चीजपर काबिज कोई पक्ष (इस मामलेमें सरकार) यदि किसी चल सम्पत्तिको लौटानेके लिए राजी हो जाता है, तो उसका यह दायित्व तभी पूरा हुआ माना जा सकता है जब काबिज पक्ष उस चीजको उसी स्थानपर ले आये या वापस ले जाये जहाँ उसे कब्जेमें लिया गया था और वही उस व्यक्तिको सौंप दे जिससे उसे लिया गया था। इसलिए हमारी राय है कि समझौतेकी शर्तोंसे सौंपनेके स्थानके बारेमें कुछ स्पष्ट न होता हो ऐसी बात नहीं, बल्कि उसमें तो बिलकुल स्पष्ट बतलाया गया है कि सौंपनेका स्थान वही हो सकता है जहाँसे उसे लिया या कब्जेमें किया गया था।

२. एक भारतीय संविधिमें भी "लौटाना" शब्दको इस अर्थमें प्रयुक्त किया गया है कि चीजको उसी स्थानपर वापस ले जाया जाये, जहाँसे उसे लाया गया था। भारतीय वस्तु-विक्रय अधिनियमके खण्ड ४३में कहा गया है:

१. देखिए पृष्ठ ४०३-६।

"खरीदारके पास वस्तुएँ पहुँचनेपर यदि खरीदार, अपने अधिकारके मुताबिक उनको स्वीकार करनेसे इन्कार करता है और यदि अन्यथा कोई करार न हुआ हो, तो खरीदार उनको विक्रेताको लौटानेके लिए बाध्य नही है, उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह विक्रेताको सूचित कर दे कि वह उनको स्वीकार करनेसे इन्कार करता है"।

यह बिलकुल स्पष्ट है कि "लौटाना" शब्दका अर्थ यही होना चाहिए कि वस्तुओंको उसी स्थानपर वापस किया जाये, जहाँसे वे ली गई थी, और यह शब्द "वापस करनेका प्रस्ताव" या "जिससे वस्तुएँ ली गई थी उसको वापस करनेके लिए तैयार होना" के अर्थसे भिन्न अर्थमें, उसके विभेदको ध्यानमे रखते हुए प्रयुक्त किया गया है। इस मामलेमें सरकारने जो कार्रवाई की है वह "वापस करनेका प्रस्ताव" या "पहलेके मालिकको वापस करनेके लिए तैयार होना" ही कही जा सकती है, उसे लौटानेका दायित्व पूरा करना तो नही माना जा सकता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, वापस करनेके दायित्वकी अपेक्षा है कि वस्तु उसी स्थान पर उसी व्यक्तितक पहुँचाई जाये जहाँसे और जिससे उसे लिया गया था।

३. हमारी रायमे विक्रेता और खरीदारके बीच वस्तुओके सम्प्रदानके विषयसे सम्बन्धित खण्डका हमारे सामने पेश इस सवालसे कोई सरोकार नही, क्योकि इस मामलेमे लौटानेका कोई प्रश्न पैदा ही नही होता।

४. हम इस दृष्टिकोणसे तो बिलकुल भी सहमत नही कि उल्लिखित समझौतेमे "लौटाने"के स्थानके बारेमे कुछ भी नही कहा गया, साथ ही हमारी राय है कि इस दृष्टिकोणके अनुरूप भी इस प्रकारके समझौतेमें दायित्वके निर्वाहका स्थान वही हो सकता है, जहाँ वस्तुको लिया या कब्जेमें किया गया था। ऐसे मामलेमे समझौतेके उद्देश्यको दृष्टिगत रखकर ही स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा और इतना तो स्पष्ट है कि समझौतेका उद्देश्य पूर्ववत् स्थिति बहाल करना है।

५ हम माननेसे इन्कार करते है, पर यदि किसी तरह यह मान भी लिया जाये कि इस मामलेके सिलसिलेमे समझौतेमे "लौटाने"के स्थानके बारेमे कुछ नही कहा गया है तो भी भारतीय संविदा अधिनियमके खण्ड ४९की व्यवस्थाओके अनुसार प्रतिज्ञातीको अधिकार प्राप्त है कि दायित्व-निर्वाहका स्थान सुनिश्चित न होनेपर वह स्थान निर्धारित कर सकता है और प्रतिज्ञाता उस प्रतिज्ञा या उसी वचनका उसी स्थानपर निर्वाह करनेके लिए बाध्य होगा (इस मामलेमे प्रतिज्ञा छापाखाना लौटानेकी है), शर्त यह है कि स्थान उचित हो। इस मामलेमें, प्रतिज्ञातीको अधिकार है कि वह दायित्व-निर्वाहका कोई उचित स्थान निर्धारित कर दे और बिलकुल स्पष्ट दिखता है कि जहाँसे वस्तु ली या कब्जेमे की गई थी, वही स्थान उचित और सगत हो सकता है, क्योकि यह बात आसानीसे समझमें आ जाती है कि कब्जा करनेके बाद अनेक कारणोसे वस्तुको दूरके किसी स्थानपर हटा देना जरूरी हो सकता है और प्रतिज्ञातीके लिए सर्वथा उचित होगा कि वह उस वस्तुको उसी स्थानपर लौटानेकी माँग करे, जहाँ उसे कब्जेमे किया गया था।

६. इसलिए 'नवजीवन प्रेस' के मामलेमें सरकार द्वारा अपनाये गये रुखको किसी भी दृष्टिसे उचित सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसकी ओरसे समझौतेसे सम्बन्धित दायित्वका निर्वाह तभी पूरा हुआ माना जायेगा, जब वह छापाखाना अहमदाबाद (जहाँ उसे कब्जेमें लिया गया था) पहुँचा दे और उसी व्यक्तिको लौटानेके लिए प्रस्तुत हो, जिससे वह लिया गया था।

भूलाभाई देसाई
डी० एन० बहादुरजी
के० एम० मुन्शी

[अंग्रेजीसे]

अ० भा० का० क० फाइल सख्या २/१९३१।
सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय एव पुस्तकालय; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

'नवजीवन' : गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक। इसका हिन्दी संस्करण १९ अगस्त, १९२१ से प्रारम्भ हुआ था।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

'पाँचवें पुत्रको वापूके आशीर्वाद' : सम्पादक—काका कालेलकर, जमनालाल वजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

'वापुना पत्रो—७ : श्री छगनलाल जोशीने' (गुजराती) : सम्पादक—छगनलाल जोशी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद, १९६२।

'वापुना पत्रो—९ : श्री नारणदास गाधीने' (गुजराती) : सम्पादक—नारणदास गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद, १९६४।

'वापुना पत्रो—१० . श्री प्रभावतीवहेनने' (गुजराती) : सम्पादक—काकासाहेव कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदावाद, १९६६।

'बॉम्बे क्रॉनिकल' : वम्बईसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

भारतका राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्ज़ ऑफ इडिया), नई दिल्ली।

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके रिकार्ड।

'मध्यप्रदेश और गाधीजी' : मध्य प्रदेश सरकारका सूचना विभाग, १९६९।

'यग इडिया : गाधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदावादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री' (अंग्रेज़ी) : सम्पादक—टी० एन० जगदीशन्, एशिया पब्लिशिंग हाउस, वम्बई, १९६३।

सावरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख सग्रहालय : जिसमे गांधीजी के दक्षिण आफ्रिकी काल तथा सन् १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०।

'स्टेट्समैन', : कलकत्तासे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' : नई दिल्लीसे प्रकाशित अग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू' : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ अप्रैल, १९३१से १७ जून, १९३१ तक)

१६ अप्रैल: अहमदाबादसे बम्बई पहुँचे; लॉर्ड इर्विनको अलविदा; गुजरातमें जब्त-शुदा जमीनोकी वापसीके सम्बन्धमें कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओंके समक्ष भाषण दिया; और सर एन० वाडिया, एच० पी० मोदी तथा अम्बालाल साराभाई मिल-मालिकोंके साथ विदेशी वस्त्रोंके पुनर्निर्यातकी योजनापर चर्चा की।

१७ अप्रैल: लगानके और गुजरातके किसानोकी जब्त की गई सम्पत्तिको लौटानेके बारेमे बम्बईके गवर्नरसे मिले। भारतसे विदेशी वस्त्रोंके पुनर्निर्यातके सम्बन्ध में भारत सरकार (वाइसरायकी कार्यकारिणी परिषद्)के वाणिज्य सदस्य, सर ज्याँफ्री कॉर्बेससे बात की।

१८ अप्रैल: बम्बई निगम द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण दिया।
लॉर्ड विलिंगडनने भारतके वाइसराय पदकी शपथ ली।

१९ अप्रैल: अहमदाबाद पहुँचे।

२० अप्रैल: विद्यापीठमे; सत्याग्रह आश्रम गये।

२१ अप्रैल: अहमदाबादमें एक खादी-कार्यकर्त्ताकी सुपुत्री लक्ष्मीका विवाह स्वयं सम्पन्न कराया; बारडोलीके लिए प्रस्थान किया।

२२ अप्रैलसे २६ अप्रैल: बारडोली ताल्लुकेमें।

२३ अप्रैल: 'डेली हेरॉल्ड' को तार दिया कि धर्म-प्रचारकोंको धर्म-परिवर्तनके लिए अपनाये अपने वर्तमान तरीके त्याग देने चाहिए।

२४ अप्रैल: उन किसानोंके साथ चर्चा की जिनकी जब्त-शुदा जमीनें सरकारने अन्य व्यक्तियोको बेच दी थी।

२५ अप्रैल: बारडोली पहुँचे; जब्त की गई सम्पत्ति लौटानेके बारेमे सर कावसजी जहांगीर, नरीमान और सरदार गरदा गाधीजीसे मिले। बावला गाँव गये।

२६ अप्रैल: अकोटी गाँव गये।

२७ अप्रैल: बारडोलीमें; बोरसदके लिए रवाना हुए।

२८ अप्रैलसे १० मई: बोरसदमें।

२९ अप्रैल: खेड़ा जिलेके खातेदारोको सलाह दी कि यदि सत्याग्रह-आन्दोलनके कारण किसीने भारी नुकसान उठाया हो तो उसे कर्ज लेकर लगान-अदायगी करनेकी जरूरत नही।

३० अप्रैल: 'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' को भेंट दी।
बारडोलीके किसानोसे मिले।

१ मई: भूटानके महाराजाके भाई गाधीजी से मिले। एच० डब्ल्यू० एमर्सन, गृह-सचिव को तार दिया कि खान अब्दुल गफ्फार खाँको गिरफ्तार न किया जाये।

२ मई: समाचार पत्र-प्रतिनिधियोके साथ भेंटके दौरान कहा कि कांग्रेस-कार्यकर्त्ता गाधी-इर्विन समझौतेका सच्चे हृदयसे पालन कर रहे है।

६ मई: वोचासनमे वल्लभ विद्यालयकी नीव रखी; 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' को भेंट दी।

८ मई: काग्रेसी कार्यकर्त्ताओ द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रोकी दूकानोपर दिये जानेवाले धरनेके बारेमें समाचार-पत्रोको वक्तव्य दिया।

९ मई: खेड़ा जिलेके काग्रेसी कार्यकर्त्ताओसे मिले।

१० मई: खेड़ाके कलेक्टरसे मिले।

११ मई: खेड़ाके कलेक्टर गाधीजी से मिले; बोरसदसे शिमलाके लिए प्रस्थान।

१३ मईसे १७ मई: शिमलामें।

१३ मई: गाधी-इर्विन समझौतेसे उत्पन्न समस्याओंके बारेमे लॉर्ड विलिंग्डन और एच० डब्ल्यू० एमर्सनसे बातचीत की।

१४ मई: सार्वजनिक सभामे भाषण दिया और एच० डब्ल्यू० एमर्सनसे बातचीत की।

१५ से १६ मई: वाइसराय और गृह-सचिवके साथ बातचीत जारी रखी।

१६ मई: सर जी० शुस्टरसे मिले।

१७ मई: मालवीयजी और मुजेने गाधीजीसे बातचीत की; गांधीजी ने एच० डब्ल्यू० एमर्सनसे बात की; पत्रकारोके एक दलके साथ भेट की और नैनीतालके लिए प्रस्थान।

१८ मई: नैनीताल पहुँचे और कृषीय समस्याकी चर्चाके लिए सयुक्त प्रान्तके गवर्नर सर माल्कम हैलीसे मिले।

१९ मई: नैनीतालमे गवर्नरके साथ बात की और सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

२० मई: नैनीतालमे, गवर्नरसे मुलाकात की।

२१ मई: कुमाऊँमें, राजनीतिक पीड़ितोकी सभामे भाषण दिया।

२२ मई: नैनीतालमें; समाचारपत्र-प्रतिनिधियोसे एक भेंटके दौरान घोषणा की कि वे लन्दन जानेकी अपनी योजनाओके सम्बन्धमें कोई भी वक्तव्य देनेमे असमर्थ है।

२३ मई: एच० एस० एल० पोलक, श्रीनिवास शास्त्री और सी० एफ० एन्ड्रूजको तार दिये कि साम्प्रदायिक समस्याका हल न निकल पाने और कुछ प्रान्तीय सरकारो द्वारा अपनाये गये रुखके कारण उनका भारतसे वाहर जाना कठिन वन गया है, लगानकी माफीके वारेमे जमीदारोसे एक समझौता किया, नैनीतालसे वारडोलीके लिए ४ बजे शामको प्रस्थान किया।

२५ मई; स्वराज्य आश्रम, बारडोली पहुँचे।

२५ मईसे ८ जून: वारडोलीमे।

२७ मई: सुभाषचन्द्र बोसके साथ विस्तारसे विचार-विमर्श किया।

३० मई: कानपुरके साम्प्रदायिक दंगोमें पुलिस द्वारा गोलीवारी।

५ जून: सूरत गये।

६ जून: बारडोलीमे। अब्दुल गफ्फारखाँ गांधीजी से मिले।

८ जून. जवाहरलाल नेहरू गांधीजी से मिले। शामको जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फारखाँके साथ बम्बईके लिए प्रस्थान।

९ जून: काग्रेस कार्यकारिणी समितिकी बैठकमें शामिल होने बम्बई पहुँचे जिसमें प्रस्ताव पास किया गया कि गोलमेज परिषद्में गांधीजी अकेले काग्रेसका प्रतिनिधित्व करें।

१० जून. बम्बईमें अपने निवास 'मणि भुवन' तक प्रभातफेरीके लिए आये हुए दलके समक्ष भाषण दिया।

११ जून: बम्बईमें, 'देश-सेविकाओं' और 'हिन्दुस्तानी सेवा दल'के सदस्योंकी सभामें भाषण दिया।

१२ जून. बम्बईमें; यूरोपीयोंके एक शिष्टमण्डलके सामने अग्रेजोंके प्रति काग्रेसके रुखका स्पष्टीकरण किया, बोरसदके लिए प्रस्थान।

बोरसद जाते हुए, रास्तेमें मरोलीमें मीठूबहन पेटिट द्वारा चलाये जा रहे कस्तूरबा बुनाई स्कूलका निरीक्षण किया।

१३ जूनसे १७ जून: बोरसदमें।

शीर्षक-सांकेतिका

अपील, —इलाहाबाद कांग्रेस अस्पतालके लिए, १५१-५२

टिप्पणियाँ, ७-८, ७८-७९, १०७-९, १३६-३९, १४४-४६, १६५-६६, १९४-९८, २१७-१९, २५१-५३, २७५-७८, ३२४-२६, ३६१-६३, ३७८-७९

तार, —अध्यक्ष, हिन्दी सम्मेलन, मदुराको, ३४२; —'ईवनिंग स्टैंडर्ड'को, १६१; —एच० एस० एल० पोलकको, ४०८; —एच० डब्ल्यू० एमर्सनको, ६८; —कावसजी जहाँगीर (छोटे)को, १२३; —कृष्णदासको, ३४२; —कोम्राबेलको, २९२; —घनश्यामदास बिडलाको, ३४१; —चम्पाबहनको, २००; —जमनादास गांधीको, २०९; —जयरामदास दौलतरामको, १८०; —जे० एम० सेनगुप्तको, २८९, ३३७, ३५१-५२; —जेम्स मिल्सको, ३३६; —ठाकुरदास खुशालदासको, ५०; —डॉ० मेहताको, २०१; —डेली हेरॉल्डको, ३४-३५; —तमिलनाडु सम्मेलन, मदुराको, —२९१; —फूलचन्द के० शाहको, ३४३; —फामरोज़ बी० गरदाको, ८२, ९६; —मकबूल हुसैनको, ३३८; —मन्त्री, कांग्रेस कमेटी, चटगाँवको, २०१; —महेन्द्रप्रसादको, ३९१; —मुरारीलालको, २९०; —मोहनलाल सक्सेनाको, २१०; —रामभरोसेलालको, २०९; —लक्ष्मीदत्तको, २५; —वल्लभभाई पटेलको, १६२, १७६; —वाइसरायको, २०८; —विलियम शिररको, २७१-७२; —वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, २११; —वेंकटेश नारायण तिवारीको, ३३८; —शीतलासहायको ४१३; —सदागोपाचारीको, ३४३; —सर कावसजी जहाँगीरको, ९६, —सुभाषचन्द्र बोसको, २८९; —'स्टेट्समैन', दिल्लीको, ४०८-९, —हरिभाऊ उपाध्यायको, ७१

पत्र, —अतुलप्रताप सिन्हाको, २२८; —अनन्त गोपाल शेवडेको, ३१३; —अनन्त च० पटनायकको, ३१९-२०; —अप्टन क्लोजको, ७४, —अब्दुर्रजाक मलीहाबादीको, १२८; —अब्बास तैयबजीको, ९७, २४०; —अमतुस्सलामको, २७९, ३७४, ३९८, —ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बईके प्रबन्धकको, ७१-७२; —आनन्दकिशोर मेहताको, २८१; —आनन्द टी० हिंगोरानीको, ४१४-१५; —आर० एम० मैक्सवेलको, २३-२४; ४३-४५, ५०, ११६-१८, २६२-६४, ३५२-५४; —आर० एस० राजवाडेको, २८२; —आर० बी० ग्रेगको, ५४-५५; —ईश्वरदास नैयरको, २३०; —ई० स्टेनले जोन्सको, ४६; —उर्मिला देवीको, ३५६; —ए० जी० बटको, २९५; —ए० फेनर ब्रॉकवेको, १६३-६४, २०६; —ए० वाई० सी० वुल्फसेको, ४१६; —ए० सुब्बैयाको, १७०; —एच० डब्ल्यू० एमर्सनको, २४, ४९, ८७-८८, ११६, १९०, २२०, २२१, २२२, २८५, २९२, ३०४-५, ३०५, ३४३-४४, ३९७-९८, ४०३-६, ४१८; —एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोको, १२१; —एच० बी० हडसनको, ३७१; —एच० हरकोर्टको, ९८; —एन० जी० जोशीको,

२९७; –एफ० कोठावालाको, २६७; –एम० आई० डेविडको, १८५-८६, ३७१, ३९९, ४००-१; –एम० जी० दातारको, २४३; –एम० रिवेलो ऐंड सन्सको, २७९; –एमेलिया मैक्वीनको, ३९२; –एम्मा हार्करको, ३४६; –एल० आर० गुरुस्वामी नायडूको, २३७-३८; –एल० जे० वर्गेसको, २४१-४२, –एस० एन० वाटलीवालाको, ३०७; –एस० जी० वझेको, २०५; –एस० रगूरामको, १५७; –एस० स्वामिनाथन् चेट्टियारको, ३१२; –एस्थर मेननको, ३७२; –ऐलन डब्ल्यू० सेलरको, २७९-८०; –कमर अहमदको, १८२; –करमचन्दानीको, ७५; –कार्ल जे० ब्रन्सकॉगको, २२९ –कावसजी जहाँगीरको, २३२-३४; –किरणशकर रायको, २८०; –किर्वी पेजको, १८८, –किशनसिंह चावड़ाको, ८६, ३२१; –कुमुम देसाईको, १२८; –कृष्णगोपाल दत्तको, २८२; –कृष्णदासको, २०५, ३१८-१९; –के० एफ० नरीमानको, २६६, ४१७-१८; –के० एस० नागराजनको, १२१-२२; –के० केलप्पन नायरको, १०३; –के० टी० मैथ्यूको, १८९; –के० नटराजनको १६५; –के० पडार चेट्टीको, ३१०; –के० वी० भद्रपुरको, ३६८; –के० राय चेट्टीको, ३१७; –के० वी० वेलको, ३५५; –कैप्टन वार्न्सको, २२४-२५; –कोडा वेकटप्पैयाको, १०१, ३१०; –खानचन्द देवको, १००, १२०, १६२; –खुशालचन्द गाधीको, ३०३; –खेडा जिलेके कलेक्टरको, ७९; –गगावहन झवेरीको, २६४, –गगावहन वैद्यको, १२४, २७०, ३४०; –गगाशरणसिंहको, १४१; –गर्ट्रूड एमर्सनको ३०९; –गुलजारीलाल नन्दाको, १००-१; –गुलशन रायको, १८४; –गोकीवहनको, १७; –गोसीवहन कैप्टेनको, २२२; –घनश्यामदास विटलाको, ५६, २७१, ३४१, ३५१, ३७७; –च० राजगोपालाचारीको, ९९, १७०-७१, २२७, २३८, ४१२-१३; –चारुप्रभा देवीको, ५१-५२; –चार्ल्स एफ० वैलरको, ३१६; –चार्ल्स एस० फील्डको, ३०८; –चि० यु० चिन्तामणिको, २८४-८५; –चिमनलाल शाहको, १३४; –छगनलाल जोशीको, ३०२; –जमनादास गांधीको, ५५, ८६, १३१, १७७, २६१, ३८८; –जमनालाल वजाजको, १३१; –जयरामदास दौलतरामको, १२२, २०६, –जवाहरलाल नेहरूको, १२५-२६, ३४४, ४१६; –जॉन काइट कॉलिटको, ४०१; –जॉन विटमैनको, २२८; –जी० एन० कॉलिन्सको, ६९; –जी० रामचन्द्रन्को, १२०; –जी० वी० केतकरको, ११९, ३०६; –जुगलकिशोरको, २३६, ३५५-५६; –जे० एच० गेरेटको, १८, २०, ४३; –जे० एन० साहनीको, २२९-३०; –जे० सी० कुमारप्पाको, ७२, ३०७, ३४५; –जेम्स टी० रत्नमको, ८०; –डब्ल्यू० ई० लुकासको, ४१०; –डॉ० गोपीचन्द भार्गवको, १८४–८५, –डॉ० जोशुआ ओल्डफील्डको, ३४७; –डॉ० वा० शि० मुजेको, ३९६; –डॉ० मु० अ० अन्सारीको, २३९, ३९४; –डॉ० सैयद महमूदको, १६, ८२-८३, २०२, –डॉ० हेनिंग डॉल्सगार्डको, ३७३; –डेनिस सी० ड्रॉथको, १८२; –तप्पन नायरको, ३७०; –तान यूनशानको, ८३-८४; –तेजवहादुर सप्रूको, २५; –थॉमस वी० लीको, ३६९; –दरभंगा महाराजको, ३०९; –दलाई

लामाको, ८४; –दुनीचन्दको, ३५४, ३९१, ४१४; –दुर्गाप्रसन्न चटर्जीको, १८३, –दूधाभाईको, १७८, २८६; –धीरजलाल रतिलाल मेहताको, ३६; –नाजुकलाल न० चौकसीको, ३४९; –नानाभाई मशरूवालाको, ३५८; –नानीबहन झवेरीको, ९३, २९८; –नारणदास गांधीको, ३५, ८५, १३०, १४२, १४३, १९१, २३१, २४७-४८, २६०, २६५-६६, २८८, ३०१, ३२१, ३५०-५१, ३७६, ३७७, ४११; –नारायण मोरेश्वर खरेको, २६९-७०, ३००, ३४९; –नारायणदास रत्नमल मलकानीको, १८१; –निरंजन पटनायकको, १८९-९०, २२५; –नीलकण्ठ दासको, ३५७; –पदमलालको, ३२२; –पद्माको, ६४, २६५, ३७५; –पन्नालाल झवेरीको, १२९; –पर्सी लैसीको, २२५-२६; –पी० ए० वाडियाको, ३४५; –पी० जी० मैथ्यूको, ४००; –प्रबन्धक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई को, २३२; –प्रभावतीको, ८, २२, १२९-३०, २४५, २५९, २६५, ३४८, ४०६; –प्रभाशंकर पट्टणीको, १७५, २४७; –प्रेमनाथ वजाजको, २३६; –प्रेमाबहन कंटकको, १७९, २८७, ३३९; –फीरोजाबहन तलयारखाँको, २४६; –फूलचन्द कस्तूरचन्द शाहको, १८०, २६९; –फ्रामरोज वी० गरदाको, २३४-३५, २६८; –फ्लोरेस रोजनब्लाटको, ८८; –बबलभाई मेहताको, ३००; –बॉयड टुकरको, ९०-९१, १८८; –बालकृष्ण भावेको, २१; –बोधराजको, १८५; –ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ८१, –भूपेन्द्रनारायण सेनको, १६९, ३९६; –मगन्ती वापी नीडूको, १०२, २३६-३७; –मणिलाल और सुशीला गांधीको, १९, २९९; –मनमोहनदास पी० गांधीको, २४४; –मन्त्री, इडियन एसोसिएशन, ईराकको, २४०; –मन्त्री, काग्रेस कमेटी, चटगाँवको, २०४;–मन्त्री, भारतीय व्यापारी मण्डलको, ३१२; –मन्त्री, 'सेन्ट्रल सिख लीग' अमृतसरको, ३९३; –महाराजकुमार विजयनगरम्को, २०४; –महालक्ष्मी एम० ठक्करको, ३२०; –महावीर गिरिको, ९३, १७८; –माधव रामकृष्ण जोशीको, ३७०; –माधवजी वी० ठक्कर को, १९१-९२; –माधवानरको, ३४७; –मार्टिन सी० मिलरको, ७४; –मुहम्मद इस्माइल खाँको, २०३; –मूलचन्द अग्रवालको, ३४०;–मोहनलाल विद्यार्थीको, ३१९, –मोहनलाल सक्सेनाको, ४०९-१०; –यू० गोपाल मेननको, २३५; –यूसुफ हुसैनको, ९७-९८; –रघुवीरसिंहको, २४२; –रतिलालको, २६८; –रसिक देसाईको, ३०३; –राजेन्द्रप्रसादको, ९१, –रामभाऊ खरेको, ३४, ३०१; –रामलाल सिंहको, १६४; –रुक्मिणी वजाजको, २८७; –रुनहम ब्राउनको ९९; –रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको, १५; –लक्ष्मीनारायण गाडोदियाको, ७०, १४२; –लक्ष्मीबहन खरेको, २४६; –लालजी परमारको, ७५, ३४८; –'लिविंगस्टन ऐंड डौल'को, १२७; –वसुमती पण्डितको, ३५, १७९, २४५, ३३९; –वालजी गोविन्दजी देसाईको, २६०-६१, २८६; –वाल्टर वी० फॉलेको, २२७; –विट्ठलदास जेराजाणीको, २८८, ३२०; –विद्यानाथ सहायको, ३१५-१६; –विधानचन्द्र रायको, ३९५; –विलियम हेडॉर्नको, ३०८; –वी० ए० सुन्दरम्को, १७७; –वी० एस० श्री-

निवास शास्त्रीको, २१७; —वी० टी० कृष्णमाचारीको, ८९-९०; —वी० वी० हरोलीकरको, २८३; —शंकरलाल बैंकरको, २३८; —शान्ता पटेलको, १४०-४१, २३१; —शान्ति पारेखको, ३७५-७६; —शामलालको, ३९४-९५; —शारदाबहन चि० शाहको, ८७, १७६, २९८, ३७५; —शैलेन्द्रनाथ घोषको, ७३, १८३; —श्रीमती वी० बनर्जीको, ३१८; —श्रीमती मी० ए० हाटेको, ३११; —श्रीराम शर्माको, २८१, ३७४; —सतीशचन्द्र दासगुप्तको, ४५, १६३, २२३-२४, २९४-९५, ३५७-५८; —सर कावसजी जहाँगीरको, २९७-९८; —सर डब्ल्यू० जे० वेनलेसको २९६; —सर डार्सी लिंडसेको, १२६-२७, ३१३-१५; —सर मॉल्कम हैलीको, २११-१२, २१५-१६; —सरदार सुरेन्द्र-सिंहको, ४७-४८; —साल्वेशन आर्मी, बम्बईको, ४०२, —साहबजी महाराजको, १६; —सी० ए० हाटेको, ४०२-३; —सी० एफ० एन्ड्रयूजको, ५२-५३, ९२, २९३-९४; —सी० विजयराघवाचारियर-को, ५३-५४, १८७; —सुखेन्दुविकास चौधरीको, १८६; —सुभाषचन्द्र बोसको, २३७, ३१७; —सुरेन्द्रसिंहको, २४३-४४, ३९२-९३; —सुरेशचन्द्र बनर्जीको, १५८; —सैयद अजमतुल्लाको; १५६; —हरदयाल नागको, २४१; —हरदेवी शर्माको, ४१७; —हरि-इच्छा देसाईको, २९९; —हरिदास टी० मजूम-दारको, ८०-८१; —हरिभाऊ उपाध्याय को, ९४-९५; —हरेकृष्ण मेहतावको, ३९९-४०० —होरेस जी० एलेक्जैंडरको, २२३; —हेनरी नीलको, १५६; —हेम-प्रभा दासगुप्तको, ३०४

(एक) पत्र, ३६७

पत्रका अंश, —हरिगणेश फाटकको लिखे, १९-२०

भाषण, —अकोटीके ग्रामीणोंके बीच, ४८; —जमींदारोंकी सभा, नैनीतालमें, २१६-१७; —देशसेविका सभा, बम्बईमें, ३८६; —नैनीतालमें, १९२; —बम्बई नगर निगमके मानपत्रके उत्तरमें, ११-१२; —बम्बईमें, ३७८, ३८७-८८; —बोचासणमें, १०३-५; —मरोलीमें, ३९०-९१; —राजनीतिक पीड़ितोंके सम्मेलनमें, २०७-८; —साबरमती आश्रम, अहमदाबादमें, २१-२२; —सार्व-जनिक सभा, शिमलामें, १५९-६०

भेंट, —'एसोसिएटेड प्रेस' के प्रतिनिधिको, ४०७, ४११-१२; —पत्र-प्रतिनिधियोंको, ९-१०, १०६, १३२, १४३-४४, १६१, १७१-७३, २१०, २६२, २९०-९१; —'फॉक्स मूवीटोन न्यूज' के प्रतिनिधिको, ६४-६७; —यूरोपीय शिष्टमण्डलको, ३८९

वक्तव्य, —धरनेके बारेमें, १२२-२३; —समा-चारपत्रोंको, ७०-७१

श्रद्धांजलि, —के० टी० पॉलको, १६०

सन्देश, —कराचीके मजदूरोंको, १३३; —कर्नाटक प्रान्तीय काग्रेस सम्मेलनको, १७३-७५; —खादीका, ९४; —भूटान-वासियोंको, ९४; —हिन्दुस्तानी सेवा-दलको, १३३

विविध

अठारह सौ अट्ठाईसमें, १९८-९९; अनुयायियोंके लिए, ११३; अनेकोंमें से एक, २९-३१; असममें किसानोंकी परिस्थिति. ३८४; अस्पृश्यताका विष, ३८२-८३; अहिंसाकी शक्ति, १०९-१०; आंग्ल-भारतीय, १४९-५०; इसका नाम है दरिद्रता, ३८३-८४, ईसाई मिशन, २५३-५५; उनको

कैसी शिक्षा दी जाती है, १५३-५४; एक अंग्रेजकी परेशानी, ३-६; एक खरी शका, ३३१-३५; एक चतुराईसे भरी सलाह, ३३; एक नारीका त्याग, २००; एक वहम, ३६५-६६; काग्रेसका मतदाता, १९३-९४; क्या यह एक आर्थिक आवश्यकता है, ३२६-२९; खतरेके बादल, १४६-४७, खेडा जिलेके किसानोसे, ५१; खेडामें खादी, १३९-४०; गुजरातका किसान, ५९-६०; गोलमेज परिषद् और काग्रेस, ३२९-३०; ग्रामवासियोंके प्रति हमारा कर्त्तव्य, ६०-६२; चार लाख धारालाओका सवाल, १३४-३५; जब स्वराज्य होगा, ३८५-८६; जानने योग्य प्रश्नोत्तर, ४०-४२; दरिद्र-नारायणकी हुण्डी, ३६३-६४, दाडी-यात्रियो-के लिए, १५२; देश-सेविकाओसे, २५८; —धरनेके विरोधमे, ३१-३३; नमक, २५७-५८; नये नामकी जरूरत, ३६४-६५; पंचायतें, २५५-५७; प्रति ग्राम एक स्वयं-सेवक, ३५८-६१; प्रतिज्ञा-भंग, ३७-३८; प्रभात-फेरी, ३३०-३१; फिर भी वही राय, १६७; फिर विदेशी मिशनरियोंके बारेमें, ११४-१५; बीसवीं सदीकी सती, ७६-७८; भारतमें मिशनरियोके तौर-तरीके, ३३५-३६; भूल-सुधार, ३८२; मरकर अमर हुए, ५८; मेरी लाँगोटी, ५६-५८; मेरी श्रद्धा, ३७९-८२; लिंच-न्यायाधीशका निर्णय, १५५; लोकतन्त्रके खतरे, १११-१२; वडपल्ली गोलीकाण्ड, ३१; वर्ण और जाति, ३२२-२४; विदेशी कपडा और दूसरी विलायती चीजे, २६-२७; विदेशी मिशनरी, २७-२९; शारदा ऐक्ट, ३८, संयुक्त प्रान्तके किसानोसे, ३१३-१५; संयुक्त प्रान्तके जमीदारोसे, २४८-५०; सच क्या है, ६२-६४; सत्याग्रही किसानोंसे, १३-१४; सलाह बारडोलीके किसानोको, ३६; सार्वजनिक खर्च, १६८-६९; स्वतन्त्रताकी मर्यादा, २७४-७५; स्वदेशी-व्रत, २७२-७४; स्वयंसेविकाएँ और खादी, ३९-४०; हिंसावादिता, १-३; हृदय-परिवर्तन नही, १४८-४९

सांकेतिका

अ

अंग्रेज, –और काग्रेस, ३८९; –भारतमें, ३१३-१५

अखिल भारतीय चरखा सघ, ६१, ८९, १०८, १८१, २७५, ३२७, ३५७

अखिल भारतीय मुसलमान परिषद्, १४४ पा० टि०

अखिल भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान दल, १४४ पा० टि०

अग्रवाल, मूलचन्द, ३४०

अजारिया, बिशप, १६५

अजमतुल्ला, सैयद, १५६

अधिकार, –और धर्म, २७५

अनसूयावहन, २२९

अनासक्तियोग, १९, २४७

अनुशासन, –काग्रेसियोमें, १४६-४७

अन्तरात्मा, –की आवाज, ५५, २९३

अन्तर्जातीय-भोज, ३२३

अन्तर्जातीय-विवाह, ३२३-२४

अन्त्यज, ८५, २८६, ३०१, ३६०; –[जो] का नया नाम, ३६४-६५; –के साथ दुर्व्यवहार, ३६१-६३

अन्नपूर्णा, १०१, १०२, १३४

अन्ना, २६१

अन्सारी, डॉ० मु० अ०, ७, १२५, २३९, ३९४

अपरिग्रही, ३०२

अब्दुल गफ्फार खाँ, ६८, २२३, २९७, ३७६, ३९१, ३९७, ४०७, ४१८

अमतुस्सलाम, २५९, २७९, २८८, ३५०, ३७४, ३९८

अमानुल्ला, ३९७

अमृत बाजार पत्रिका, ३५७

अमेरिका, –की यात्रा, ५५, ७४, ९०, १४५, १८८, ३०८, ३९२; –की सहानुभूति स्वाधीनता-संघर्षके प्रति, ६५; –में भारतमें होनेवाली घटनाओंको गलत ढंगसे पेश किया जाना, १५४

अम्बालाल भाई, ३७

अय्यर, सर सी० पी० रामस्वामी, २३५

अर्जुन, २

अर्थ-व्यवस्था, –का स्वर्णिम नियम, १६८

अर्थशास्त्र, –खादीका, ३२७-२८; –मानवीय, ३८४, –स्वदेशीका, २७२-७४

अलीभाई, ५७

अल्पसख्यक –[कों], के अधिकार, स्वराज्यके अन्तर्गत, १५९-६०

असमानता –[ओं], को नाबूद करनेके लिए काग्रेस प्रतिज्ञाबद्ध, १५०

असहयोग आन्दोलन, २६२-६३, ३६७

अस्पृश्य, ११, ६६, १६६, २५६, ३२३, ३५९, ३८२, ३८५; –[यो] के लिए नये नामकी जरूरत, ३६४-६५

अस्पृश्यता, १५२, १६६, १७४, २०७, ३३०, ३६४, ३८२; –उन्मूलन, ३६२-६३; –स्वराज्यमें, ३८५–८६; –हिन्दू धर्मके लिए कलंक, ३२३

अहिंसा, ४, ३७, ५१, ६८, ९४, ११३, १३३, १७४, १९२, २१५, २२९, ३२८, ३३३, ३५२, ३८०, ३८२, ३९७, ४०७; –एक धर्म है, १७४; –और कच्चा रेशम, ४१-४२; –और राजनीतिक हत्याएँ, १, ३०, १२७; –और लाचारी, ९५; –का अर्थ, १११-१२; –का औचित्य, १०९-१०; –की सच्ची शक्ति, १०९-१०; –के

द्वारा चीनको मुक्ति, ८४; —जमीनके अधिकारमें, ९५; —पत्र-लेखनमें, ७८; —पर तिब्बतके लोग अमल करे, ८४; —बनाम हिंसा, १-३, ३०; —भारतके लिए उपयुक्त, २-३; —मे प्रगति, २२५; —रूपी शस्त्र, १०९-१०; —शुद्धतम प्रेम है, २७४, ३७५-७६

आ

आँख, —का इलाज, २९९
आंग्ल-भारतीय, —स्वराज्यमे १४९-५०
आइन्स्टीन, प्रो०, ९९
आत्मशुद्धि, ३६६
आत्मसयम, ७६-७७, ३११; —वैवाहिक जीवनमे, १६७
आत्महत्या, —विधवा द्वारा, ७६-७७, १६७
आत्मा, १६७, ३०४; —अमर है, ३६५-६६; —का गुण, ७६, १६७
आदि-द्रविड़, ९९
आनन्द स्वामी, ३५८
आनन्दी, ८७, १४१, २४७
आप्टे, ३२१
आयात, —विदेशी रुई, कच्चे रेशम और ऊनी 'टाप्स'का, ४०-१
आश्रम-भजनावलि, २४७
आश्रम-व्रत, —ब्रह्मचर्यका, २२; —स्वदेशीका, ३५ पा० टि०
आसफ अली, श्रीमती, ३९४

इ

इंग्लैंड, —का राजा, ६७
इमाम, सैयद हसन, १६
इर्विन, लॉर्ड, ५-६, १५ पा० टि०, २५, ४३, ४९, ६०, ६५, ६८, १०६, १५९, १८५, २३५, २५७, २६४, २८४, ३३१, ३३४, ३८३
इस्लाम, २८, ११४

ई

ईमानदारी, —और बड़े वेतन, ४७
ईवनिंग स्टैंडर्ड १६१
ईश्वर, ३२, ७६, १०५, १४१, १५८-५९, १६९, २०७, २५३, ३२२, ३२४, ३३०, ३७२, ३७८, ३८३, ३९८, ४०६, ४१५; —की तरह गाधीजी की पूजा, ३२४; —मे आस्था, ३११, ३७०
ईश्वरदास, १४६
ईसाई, १२, २७, २८, ६२, ११४, १५३, १५९, १७४, २५४
ईसाई धर्म, २८, ११५, १६०, २५४, ३३६; —बनाम भारतके दूसरे धर्म, ११४-१५
ईसाई-पद्धति, ३६९
ईसामसीह, ११५, १५३, २५४; —अवतारी पुरुष नही, ७४
ईस्ट इंडिया कम्पनी, ३१४

उ

उपवास, —और धरना, २१७; —की सीमाएँ, ३६६
उपाध्याय, हरिभाऊ, ७१, ९४
उमर, खलीफा, २५०
उर्मिलादेवी, ३५६

ऊ

ऊँच-नीच, —का भाव, १३५

ए

एकता, —भिन्नतामे, १२; —सभी जातियोंमें, १६०; —हृदयकी ७९, १०८
एडी, डॉ० शेरवुड, ९०, १४५
एन्ड्रयूज, सी० एफ०, ७१, ९१-९२, १५७ २११ पा० टि०, २३२, २३९, २९३
एम० रिबेलो ऐंड सन्स, २७९
एमर्सन, एच० डब्ल्यू०, २४, ४९, ५०, ६८, ८७, ११६, १२५, १४३, १६१,

१७०, १८४, १९०, २२०-२२, २८५, २९२, ३०४-५, ३४३, ३५२, ३९७, ४०३, ४१८
एमर्सन, गर्ट्रूड, ३०९
एलिजाबेथ, ३४६
एलेक्जैंडर, होरेस जी० २२३, २२४
एल्विन, फादर, –द्वारा कताई, १९७-९८
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, ६४
एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, १४३, १४५, २१०, २९०, ४११

ओ

ओल्डफील्ड, डॉ० जोशुआ, ३४७
औपनिवेशिक स्वराज्य, ५-६

क

कंटक, प्रेमावहन, १४१, १७९, २३१, २८७
कच्चामाल, –मँगानेमें कोई हानि नहीं, ४०
कताई, १२, ८९, ९४, ९७, १३३, १३८, १४८, १५२, १९७, २७३, ३२६, ३२९, ३६३, ३९०
कदम, डॉ०, २०९
कपास, –के आयातमें कोई हानि नहीं, ४०-४१, २४४
कमर अहमद, १८२
कमला, ४११
करमचन्दानी, ७५
कर्टिस, श्रीमती, १
कर्नाटक प्रान्तीय परिषद्, १३१ पा० टि०
क्लोज़, अप्टन, ७४
काग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
काग्रेस कमेटियो, –में प्रतिद्वन्द्विता, २५२
कांग्रेसी, ६०, १०६, १११-१२, १२६, १४६, १६४, १७४, २१४, २३४, २५०, २९३, ३३१, ३७९, ३९४ पा० टि०; –और उत्तेजनात्मक लेख और भाषण, १००; –और खादी, १४४, १४८, १९३-९४; –और नौजवान भारत सभा, २५१-५२; –और पचायतें, २५५-५७; –और साम्प्रदायिकता, २५१-५३
काकासाहब, देखिए कालेलकर, द० वा०
काकु, १२४
कानूगा, डॉ०, ८५
कान्ट्रैक्टर, कुमारी वी०, २३३, २९८
कामवासना, –और विवाह, ७६, १२१-२२, १६७
कारवेट, जाफरी, १०
कॉलिन्स, २४, ६९
कालेलकर, द० वा०, १३०, २६९, ३२१, ३८८
कॉलेट, जॉन काइट, ४०१
काशीवहन, १३६
किदवई, मुशीर हुसैन, ६२
किशोरलाल, १३०
किसन, १७९
किसान, –वनाम जमीदार, २४८-५०; संयुक्त प्रान्तके, –[नों]का स्पष्टीकरण, २१३-१५
कीकीवहन, १८१
कुटम्ब, –की सीमाएँ, १६७
कुमारप्पा, जे० सी०, ७२, ३४५
कुसुम, ३५, २३१, २४७
कृपलानी, जे० बी०, ३२६, ३५५
कृष्णकुमारी, २८७
कृष्णदास, २०५, ३१८, ३३९, ३४२
कृष्णमाचारी, वी० टी०, ८९
केतकर, जी० बी० ५८, ११९, ३०६
केप-करार, ३२५
केली, ८६
कैप्टेन, गोसीवहन, २२२
कोटक, १०८

कोठावाला, एफ०, २६७
कोम्ब्राबेल, २९२
कोलम्बस, २७७
क्रान्तिकारी, १२७; —[रियों]से अहिंसात्मक आन्दोलनको नुकसान, ३, ३०

ख

खम्भाता, बहराम, ४०२
खरे, नारायण मोरेश्वर, २६९, ३००, ३४९
खरे, रामभाऊ, ३४, ३०१, ३४९
खरे, लक्ष्मीबहन, २४६
खादी (खद्दर), १२, २६, ४२, ५७, ९४, ९७, १०४, १३१, १३८, १६०, १७२, १७४, १९२, २०७, २१८, २१९, २५२, २८३, २९१, ३१९, ३२०-३२१, ३२६-२७, ३३०, ३५०, ३५८-५९, ३७७, ३९०; —और कांग्रेस-की नीति, १३६-३७, १४४, —और कांग्रेसी, १४८; —कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं के लिए जरूरी, ३९-४०; —का उद्देश्य, ३८६; —का प्रचार, २७५-७८, ३६३-६४; —की कमी मिलका कपड़ा पूरी करेगा, ८; —की प्रगति, ३२७-२८; —की प्रवृत्ति, ६०-६१, १४८; —के द्वारा स्वदेशी, २७३; —के बारेमें सन्देश, ९४, —को प्राथमिकता देनेके लिए दलील, ६१; —खेडामें, १३९-४०; —गरीबोंकी हुडी, ३६३-६४; —द्वारा बहिष्कार, ३२८; —नकली, १०८, ३७९, —बनाम मिलका कपड़ा, ३९-४०, ४२, १४४, ३२८-२९; —स्वय कातनेसे, १४८
खुदाई खिदमतगार आन्दोलन, ३९७-९८
खुमानसिंह, ठाकुर, १०७
खुशालभाई, ३२१

ग

गंगाबहन, ९३, १२९, १३६, २४५, २५९, २८८, २९८, ३३९, ३९८
गंगाशरणसिंह, १४१
गजाधर, १३३
गजानन, २७०
गयाप्रसाद, २१६
गरदा, फ़ामरोज बी०, ८२, ९६, १०७-८, १२३, १३२, २३२-३४, २६६, २६८, २९७, ३६७
गरीबी, —का कारण शोषण, ४७
गरीबों, —की धनिक सहायता करें, १३४-३५
गाधी आश्रम, मेरठ, ३२६
गांधी, इन्दिरा, ३४४
गाधी-इर्विन समझौता, ४-६, १०, १३-१५, १८-२०, २३, २६, ३२, ४३, ४८, ५१, ६०, ६५, ६९, ७८, ८७, ९८, १००, १०४, १०६-८, ११२, ११८ पा० टि०, १३८, १४८, १५९, १७१-७२, १८४ पा० टि०, १९०, १९४, २०४, २०८, २११, २१७, २२१, २३७, २३९, २६२, २६४, २६७, २७१, २७७, २८१, २९०, २९३, ३०५, ३१०, ३१५, ३३०-३१, ३५३-५४, ३६८, ३९५, ३९७, ४०७, ४०९, —[ते]का पालन, २०, २३, २४, ४९, ५२, ५९-६०, ११७, १२३, १७१, ३३४, ४०३-५; —की स्वीकृति, ४-५, ४४-४५, ७०, १९५-९६, २६३-६४; —के अन्तर्गत नमक इकट्ठा करना, २५७; —के बारेमे सयुक्त प्रान्तके किसानोंको सलाह, २१३-१५; —के लिए स्थायी मध्यस्थ-मण्डलकी नियुक्ति, ४०५-६
गांधी, कस्तूरबा, २८८, २९९, ३५०, ३५८, ४११

गांधी, खुशालचन्द, ३०३
गांधी, छोटालाल, ३२१
गांधी, छोटूभाई, ३७७
गांधी, जमनादास, ५५, ८६, १३१, १७७, २०९, २६१, ३८८
गांधी, देवदास, ३५८, ३७६, ४०७
गांधी, नारणदास, ३५, ८५, १३०, १४२, १९१, २३१, २४५, २४७, २६०, २६५, २६८, २७९, २८८, ३०१, ३०३, ३२१, ३३९, ३५०, ३७६, ३७७, ४११
गांधी, प्रभुदास, १७७, १९१
गांधी, मणिलाल, १९, २९९
गांधी, मोहनदास पी०, २४४
गांधी, मनु, ८६
गांधी, राधा, देखिये चौधरी, राधाबहन
गांधी, रामदास, २४५
गांधी, रुखी, १३०
गांधी, लक्ष्मीदास, १७, २१
गांधी, वीरचन्द आर०, ३३५, ३९२
गांधी, सन्तोक, ३५, २४७, २८७
गांधी, सुशीला, १९, २९९
गांधी ट्रायमफेंट, ८० पा० टि०
गांधी द एपोस्टल, ८० पा० टि०
गांधी-नेहरू शर्तें, ४-७
गांधी वर्सेज द एम्पायर, ८० पा० टि०
गाँव, –[में] की पंचायतोंके लिए नियम, २५५-५७; –के लिए कांग्रेसके कार्यकर्त्ता, ३५८-६१; –में हिन्दुस्तान वसता है, ११
गाडोदिया, लक्ष्मीनारायण, ७०, १४२
गायकवाड महाराज, ९७
गायधनी, बापू, देखिए, पुरुषोत्तम
गालवे, कर्नल, ४०८, ४११
गिडनी, १००
गिडवानी, चोइथराम, १८१
गिडवानी, वतन जी०, १२२ पा० टि०
गिरि, महावीर, ९३, १७८, २४५
गिरि-प्रवचन, ७४, ११५
गिरिराज, ३०१
गुडाशाही, १११-१२
गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी कोष, १६८
गुरुदेव, देखिए ठाकुर, रवीन्द्रनाथ
गुलशन राय, १८४
गैरेट, जे० एच०, १८, २०, २३, ४३, ४४, ४९ पा० टि०
गैरीवाल्डी, २७८
गोकीवहन, १७
गोपालदास, दरबार साहब, १३५
गोर्की, २००
गोलमेज परिषद्, ५, ७, ९, २५, ६६, ६७, ८० पा० टि०, ९२, ९८, १२५, १५८-५९, १७२-७३, १८३ पा० टि०, १९२, २०८, २११, २१७, २३९, २४१, २७१, २८४, २९०, २९३-९४, ३३२, ४१३; –और कांग्रेस, ३२९, ३३४
गौरीशकर, ३५०
ग्यारह शर्तें [जनवरी, १९३०की], ४
ग्रामर ऑफ सोशिओलाजी: मेन इन सोसाइटी, ८० पा० टि०
ग्रे, १२२
ग्रेग, आर० वी०, ५४

घ

घोष, शैलेन्द्रनाथ, ७३, १८३

च

चटर्जी, दुर्गाप्रसन्न, १८३
चतुर्वेदी, बनारसीदास, ३२५
चन्द्र, ३२०
चन्द्रशंकर, १३०
चम्पा, ८५, १३१, १४२, १७७, २००

चरखा, ८, ३९, ६१, ६४, ८९, १३८-४०, १४६, १५८, १९७, १९८, २७३, ३२४, ३८४; –[खे]के द्वारा रोजगार, १४६-४७
चरित्र, –की पवित्रता कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओंके लिए जरूरी, ३६०
चर्चिल, विन्सटन, ५६, १८३ पा० टि०, ३३०
चाँदीवाला, ब्रजकृष्ण, ८१
चारुप्रभादेवी, ५१
चावड़ा, किशनसिंह, ८६, ३२१
चितालिया, करसनदास, १६६
चिन्तामणि, सी० वाई, २८४
चिन्नापावु, ९९
चुनाव, –के दौरान पाखण्ड, १३६, ३८७
चेट्टियार, एस० स्वामिनाथन्, ३१२
चेट्टी, के० पंडार, ३१०
चेट्टी, के० राय, ३१७
चोरी –का त्याग, १०५
चौकसी, नाजुकलाल न०, ३४९
चौकसी, मोतीबहन, ३४९
चौधरी, राधाबहन, ५५, २४७, २८७
चौधरी, सुखेन्दुविकास, १८६

छ

छगनलाल, २६४, ३५०, ३७६

ज

जगलुल पाशा, ६२-६३
जनक, –का सर्वस्व जनताका, २५०
जनसाधारण, –की जागृति, १४७; –की शिक्षा, ४७
जमना, ३५
जमनादास, ८५
जमीदार, –और कांग्रेस, २१६, २५०; –काश्तकारोके रक्षक और विश्वास-पात्र बने, २५०
जयन्त, ३०३
जयप्रकाश नारायण, १२९, २५९
जयरामदास दौलतराम, १२२, १८०, १८१, २०६, ३८३, ४१४
जहाँगीर, सर कावसजी, ९६, १०७, १२३, १३२, २३२, २६७, २९७, ३६७
जागला, देवलिया, ३५३
जाति-प्रथा, ६६
जापान, २०७
जिन्ना, मु० अ०, १५६ पा० टि०
जीवनदास, १७
जीवनलालभाई, ३६
जुगलकिशोर, २३६, ३५५
जेराजाणी, विट्ठलदास, २८८, ३२०
जैन, दिगम्बर, २७४
जैन, श्वावक, २७४
जोजेफ, जॉर्ज, २७
जोन्स, ई० स्टेनले, ४६
जोशी, एन० जी०, २९७
जोशी, छगनलाल, १५२, ३०२
जोशी, माधव रामकृष्ण, ३७०

झ

झवेरी, गंगावहन, २६४
झवेरी, नानीबहन, ९३, १२९, २९८
झवेरी, पन्नालाल, ९३, १२९

ट

टाइम्स ऑफ इंडिया, ३०७ पा० टि०, ३२६, ३२८
टुकर, बॉयड, ९०, १८८
टुकर, वी० डब्ल्यू०, २५३, २५५
ट्राँय, डेनिस सी०, १८२
ट्रिब्यून, १८४ पा० टि०
ट्रेंच, ९५

ठ

ठक्कर, अमृतलाल वी०, ३००, ३६१
ठक्कर, बापा, देखिए ठक्कर, अमृतलाल वी०

ठक्कर, महालक्ष्मी एम०, ३२०
ठक्कर, माधवजी वी०, १९१
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, २९४
ठाकुरदास, १२२ पा० टि०
ठाकुरदास खुशालदास, ५०

ड

डाल्सगार्ड, डॉ० हेनिंग, ३७२
डाह्रीबहन सोनाभाई, २६५
डू, एलेक्साडर, १४२
डेली हैरॉल्ड, ३४
डेविड, एम० आई०, १८५, ३७१, ३९९, ४००
डौल, १२७

त

तपश्चर्या, ३९
तलियारखाँ, फीरोजाबहन, २४६
तान, युन-शान ८३
तिलक विद्यालय, नागपुर, २४३
तिवारी, वेंकटेश नारायण, ३३८
तैयबजी, अब्बास, ९७, २४०
तैयबजी, रेहाना, २४०
त्यागभूमि ९५

द

दक्षिण आफ्रिका, –में भारतीय, ५३, १८६; –से भारतीयोंका स्वदेश लौटना, ३२५
दत्त, कृष्णगोपाल, २८२
दयालजी, गुलाबभाई, १३७-३९
दरबारी, ३०२
दरभंगाके महाराज, ३०९
दरिद्रनारायण, ११
दलाई लामा, ८४
दशानुशासन (टेन कमाडमेन्ट्स), ६७
दहेज, १३७-३९
दाँडी कूच, ३२१
दाँडी-यात्री, –का कर्त्तव्य, १५२
दातार, एम० जी०, २४३
दादूभाई, १३५
दास, चि० र०, ३८०-८१
दास, डॉ० टी० ३०७
दास, नीलकण्ठ, ३५७
दासगुप्त, सतीशचन्द्र, ४५, १६३, १९८, २२३, २९४, ३५७
दासगुप्त, हेमप्रभादेवी, १६३, २९४, ३०४
दुनीचन्द, लाला, २२१, ३५४, ३९१, ४१४
दूधाभाई, ८५ पा० टि०, १७८, २८६, ३३९
देव, खानचन्द, १००, १२०, १६२
देव, शंकरराव, ३०६
देशबन्धु दास, देखिए दास, चि० र०
देशसेविका संघ, १३६
देसाई, कुसुम, १२८
देसाई, गोपालदास पुरुषोत्तम, १३९
देसाई, महादेव, ५३, १०८, १७१, १७३ पा० टि०, २७१, २८४, ४००
देसाई, रसिक, ३०३
देसाई, वा० गो०, २३१, २६०, २८६
देसाई, हरिइच्छा, २९९
द्रोणाचार्य, १३७
द्वारकानाथ, १३०, ३५०

ध

धनजीभाई, ३६२
धनवानो; –द्वारा अपने धन व ज्ञानका दुरुपयोग, १३४-३५
धरना, ३१, ३९, ४५, १२८, १४२, १५२, १८०, २३७, २७८, २८३, २९१, २९३, ३४७, ३५७, ४०४; –बनाम प्रचार, १८१; –विदेशी वस्त्रोंकी दुकानों पर, १०६, १४८-४९, २७६, २८२-८३, ३२६, ३८६; –व्यापारियोंके मिथ्याचारके विरुद्ध, २१९, –शराबकी दुकानों पर, १०६, ३४३ पा० टि०, –सुधारकका हक, ३२; –[में]के

नियम, १९४-९५, —के बारेमें प्रश्न, २१७-१८
धर्म, १४, १०८, २१८, २५३, २७४-७५, २७७, ३०४; —और अधिकार, २७४-७५; —एक व्यक्तिगत मामला, २८; —का पालन, ३८; —की बराबरी, ३४, २५५; —की स्वतन्त्रता २७४-७५; —व्यक्ति की सदाचरण सम्बन्धी अपनी धारणाके क्षेत्रका विषय, ११४
धर्म-परिवर्तन, —और विदेशी धर्म-प्रचारक, २७-२९, ३४-३५, ११४-१५, २५३-५५, ३३५
धर्म-प्रचार, —और धर्म-परिवर्तन, २७-२९, ३४-३५ ११४-१५, २५३-५५, ३३५
धार्मिक निष्पक्षता, ३८५
धीरू, १७७, १९१

न

नग्नावस्था, —और सामाजिक मर्यादा, २७४-७५
नटराजन, के०, १६५
नन्दा, गुलजारीलाल, १००
नमक, —को इकट्ठा करनेकी समझौतेके अन्तर्गत व्यवस्था, २५७; —गाँवोके लिए, ३८३
नमक-कानून, ५०, १९६
नरहरिभाई, १०३
नरीमान, के० एफ०, ३१, १०७, २६६, ३६७, ३७८, ४१७
नरेन्द्रदेव, ३५५
नवजीवन, ५१, ७८, ८६, १७६, २६५, २८४, ३८२, ४१७
नवजीवन प्रेस, —की जब्ती, २९२; —से लाभ, ४०४
नवीन, २६४
नाग, हरदयाल, २४१
नागराजन, के० एस०, १२१
नाडकर्णी, एस० डी०, ६२
नानालाल, १३१, १७७, ३३९
नायडू, एल० आर० गुरुस्वामी, २३७-३८
नायडू, सरोजिनी, ८३, १२५
नायर, के० केलप्पन, १०३
नायर, तप्पन, ३७०
निखिल, २९४, ३०४
निन्दा, ११३
निपानी, २९७
निःशुल्क भोजनालय, —खतरनाक सस्था, १४७
नीग्रो, —की अमेरिकामें समस्या, १५५ पा० टि०
नीडू, मगन्ती बापी, १०२, २३६, ३१०
नीमू, २४५
नील, हेनरी, १५६
नेहरू, कमला, १५१, ३४४
नेहरू, जवाहरलाल, १२५, १६२, ३४४, ३७६, ३८०, ४०९, ४१६-४१७; —और मूलभूत अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव, २०७
नेहरू, मोतीलाल १५१
नेहरू, मोहनलाल, ३७९
नेहरू, श्रीमती मोतीलाल, ८३ पा० टि०
नैयर, ईश्वरदास, २३०
नैयर, प्यारेलाल, ५३
नौजवान भारत सभा, २५१-५२
न्यासिता, —जमीनकी, २४९-५०

प

पंच, ३१
पचायतो, —के लिए नियम, २५५-५७
पटनायक, अनन्त च०, ३१९
पटनायक, निरंजन, १८९, २२५
पटेल, वल्लभभाई, १४, १८, ५९, ७०, १०३-४, १०७, १३०, १३२, १६२, १७६, २४०, २६२, २६६, २७४, २९१, ३०२, ३५६-५७, ३६७, ४०७

पटेल, विट्ठलभाई, १३५, १६४
पटेल, शान्ता, १४०, २३१
पट्टणी, प्रभाशंकर, १७५, १७७, १८०, २४७
पट्टाभि, डॉ० सीतारमैया, २३८, ३९३
पण्डित, वसुमती, ३५, १७९, २४५, २८८, ३३९
पण्डित, विजयलक्ष्मी, ८३ पा० टि०
पण्ड्या, भगवानजी, २३१
पत्रकारिता, –विषैली, २५१
पद, –अधिक सेवाके लिए, ११३
पदमलाल, ३२२
पद्मा, ६४, २६५, २८७-८८, ३७५
पन्त, गोविन्दवल्लभ, २०९, २१६
परधर्म, २७३
परमार, लालजी, ७५, ३४८
पर्दा, ६७
पश्चिम, –और भारतीय सभ्यता, ५६-५८; –में भारतके बारेमें गलत धारणा, १५३-५४
पाखण्ड, –चुनावके दौरान, १३६
पाटीदारो, –के दोष, १३४-३५
पारनेरकर, १४३
पारसी, १२, १४, २७, १५९, २३३-३४
पारसी-धर्म, २८, ११४
पारेख, इन्दु, ३७६
पारेख, कान्ति, ३७५-७६
पॉल, के० टी०, १६०
पुनर्विवाह, –विधवाओंका, ६६
पुरवाई, ३९९
पुरुषोत्तम, ५५, ५८, १४३, १९१
पुष्पा, २३१
पूर्ण स्वतन्त्रता, ३ पा० टि०, ११, १३१, २१३, २१५; –का अर्थ, १०४-५
पृथक् निर्वाचक-मण्डल, ९
पेज, किर्बी, ९०, १४५, १८८
पेटिट, मीठूबहन, ३९०
पेडी, १
पेरी, ७९ पा० टि०, ३६८
पैगम्बर, देखिए मुहम्मद, पैगम्बर
पोलक, हेनरी, ९१, २११ पा० टि०, २३९, २७१, ४०८
पोशाक, –जनसाधारणकी, १३७
प्रतिज्ञा, –के एकसे अधिक अर्थ, ३७-३८
प्रभातफेरी, २६२, ३३०
प्रभावती, ८, २२, १२९, २४५, २५९, २६५, ३४८, ४०६
प्रागजी, १३०
प्राचीन कहानी, २२३ पा० टि०
प्रार्थना, –की क्षमता, २२३
प्रेम, ३८८; –अहिंसामें, २७४; –का अर्थ, ३७५
प्रेस, –की आजादीपर प्रतिबन्ध, २५१

फ

फजल हुसैन, सर, १६१
फॉक्स मूवीटोन न्यूज, ६४
फाटक, हरिगणेश, १९
फॉले, वाल्टर बी०, २२७
फील्ड, चार्ल्स एस०, ३०८
फूलचन्द, १७५
फैशन, –की चकाचौंध, २१८-१९
फ्रांस, –का राजनैतिक जीवन, ३८७-८८

ब

बंगाल, –से प्रेरणा, ३८१
बजाज, जमनालाल, ७, ७१, ९५, १३१, १४२, १५८, १७७, ३५०, ३९६, ४००
बजाज, प्रेमनाथ, २२६
बजाज, बनारसीलाल, १३०
बजाज, रुक्मिणी, २८७
बट, ए० जी०, २९५
बड़ौदाके महाराज, २४०

बनर्जी, श्रीमती बी०, ३१८
बनर्जी, सुरेशचन्द्र, १५८
बर्गेस, एल० जे०, २४१
बर्नम, –की प्रदर्शनी, ५५
बहिष्कार, १७२, २१८, ३२७, ३२८; –एक आर्थिक आवश्यकता, २१८-१९, –और लकाशायर, २६, ३४६; –खादी द्वारा, ८, १४४, ३२८; –मिस्रमे, १२८; –लोगोंकी आर्थिक आवश्यकता, १०६; –विदेशी वस्त्रका, ८, ३९-४१, ५२, ५६, ६०-६१, १२२ पा० टि०, १३१, १३६, १४१, १४४, २६९ –सामाजिक, २१७, २५७; देखिए, धरना भी
बाइबिल, १५३-५४
वाटलीवाला, एस० एन०, ३०७
बाप्टी, मेजर, ४०८, ४१२
बाबाजी, २५९
बॉम्बे क्रॉनिकल, ६४, १७२
बार्न्स, कैप्टेन, २२३-२४
बार्न्स, श्रीमती, २२४
वालकृष्ण, ४०९
बाल-विवाह, –की समाप्ति, ६६
बॉल्डविन, १८३ पा० टि०
बासन्तीदेवी, ३९५
बिटमैन, जॉन, १६५, २२८
बिड़ला, घनश्यामदास ५३, ५६, ३४१, ३५१, ३७७
बुद्ध, ८४
बूथ, डॉ०, ४११
बूलर, जनरल, ४०८, ४१२
बेन, १०, ५९
बेबी, ३८८, ३९५
बैकर, शकरलाल, २३८
बोअर, २७८
बोअर-युद्ध, –मे गाधीजी की सेवा, ४११
बोथा, जनरल, २७८
बोघराज, १८५
बोल्शेविज्म, ३१४
बोस, विनय, ३८०
बोस, सुभाषचन्द्र, १६३, २२४, २३७, २७१, २८०, २८९, २९४, ३१७-१८, ३३२, ३३४, ३३७ पा० टि०, ३५६-५७, ३७७ पा० टि०
बोस्टन ट्रान्सक्रिप्ट, १४५
ब्रजकिशोर, ९१
ब्रन्सकॉग, कार्ल जे०, २२९
ब्रह्मचर्य, –पालन, आश्रमकी शर्त, २२; –विवाहित जीवनमें, १६७
ब्रह्मोनिकल मैगजीन, ३३५
ब्राउन, एच० रुनहम, ९९
ब्रॉकवे, ए० फेनर, १६३, २०६
ब्राह्मण, ३२३, –स्वराज्यमें, ३८५-८६
ब्रिटिश प्रधान मन्त्री, देखिए मैकडानल्ड
ब्रिटिश मूवीटोन न्यूज, ६७
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल, ३९९
ब्रिटिश-शासन, ३८७

भ

भंगियो, –के प्रति दुर्व्यवहार, ३६१-६३
भगतसिंह, १, ५३ पा० टि०, ६८ पा० टि०; –की बहादुरी, १२६; –के बारेमें कांग्रेसका प्रस्ताव, ३७९-८२
भगवद्गीता, ४६, ६४, ९३, १३४, १७९, २७५
भगवानजी, १३०, ३२१, ३७६
भगिनी-सेवा-संघ, १६६
भद्रपुर, के० बी०, ३६८
भरूचा, २३४
भर्तृहरि, १३४
भारत, –अहिंसाके लिए उपयुक्त, २-३; –और लूट-खसोट, २७, –का प्रशासन, ३१३; –की नि.शस्त्र शक्ति बनाम ब्रिटिश सैनिक सत्ता, १०९-१०; –की सस्कृति, ५६-५८, –की सेवा, ३८७-

८८; —के गाँवोंमें जीवन, ११; —के प्रति धारणा, अमेरिका और इंग्लैंडमें, १५४; —में धर्म-परिवर्तनकी जरूरत नहीं, २८-२९
भारत सेवक, ३८७
भारतीय, —ट्रान्सवालमें, ५३; —बनाम अंग्रेज, ३१४-१५
भारतीय असैनिक सेवा, ३१३; —के भारतीय सदस्य, ३१३; —को प्रभावित करना सम्भव ४७
भारतीय आहत सहायक दल, ४११
भारतीय कार्यालय (इंडिया आफिस), ३१४
भारतीय पूंजीवाद, —और ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ५
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १, ४-६, २०, २३, ३३, ४०-४१, ४३-४४, ४७, ५० पा० टि०, ५४, ७०, ९१, १०६, १०८, १११, ११९, १२२ पा० टि०, १२७, १३०, १३१, १३३, १४४, १४६, १५९-६०, १७१, १७३, १८९, १९२-९३, १९५, २००, २०८, २११, २१३-१४, २३९, २४१, २७२, २८३, २८४, २९१, २९३, ३१२, ३१७, ३१९-२०, ३२२, ३२७-२८, ३३१-३२, ३३७ पा० टि०, ३५३, ३५८, ३६०, ३६२, ३७९, ३९४ पा० टि०, ४०४; —और आंग्ल भारतीय, १५०; —और खादी, ८; —और खादीकी शर्त, ३९-४०; —और गांधी-इर्विन समझौते पर प्रस्ताव, ३३४; —और गोलमेज परिषद्, ३२९, ३३४; —और जमीदार, २१६, २४९-५०; —और धार्मिक तटस्थता और अस्पृश्यता, ३८५-८६; —और पारसी, २३३; —और भगतसिंह पर प्रस्ताव, १, ३७९-८२; —और मूलभूत अधिकारों पर प्रस्ताव, १४९, १७३, २०७, २७४; —और लकाशायर, २२५; —और साम्प्रदायिकता, २५२-५३; —और स्वराज्य-संविधान, १४९-५०, १७३-७५, २४१; —का कराची अधिवेशन, ८, १५९; —का चुनाव, १९३-९४, ३८६; —का रुख, यूरोपीयोंके प्रति, ३८९; —का लाहौर अधिवेशन, ८० पा० टि०, ३३१, —की कार्य-समिति, ५, ८, ३०-३१, १२६, १४९, १८७, २०१, २६३, २८०, २८४, ३५१, ३५६-५७, ३९१ पा० टि०, ३९३, ४१३, ४१६; —की केवल राजनैतिक गतिविधि ही नहीं, ३८; —की खादी-नीति, १३६-३७, १४४; —के नाम पर पाखण्ड, १३६; —के लिए कोष, १६८
भारतीय व्यापारी मण्डल, —के गांधीजी अवैतनिक सदस्य, ३१२
भारतीय संवैधानिक सुधार, १८३ पा० टि०
भारतीय सभ्यता, —और पाश्चात्य प्रभाव, ५६-५८
भार्गव, डॉ० गोपीचन्द, १८४
भावे, बालकृष्ण, २१
भावे, विनोबा, १३०, २५९
भीकाभाई, २३३
भीमभाई, रावबहादुर, २३३, ३६७
भीष्म, १३७
भूटान, —को सन्देश, ९४
भोपालके नवाब, —५६, १४४ पा० टि०

म

मंगलप्रभात, २६५
मकबूल हुसैन, ३३८
मजूमदार, हरिदास टी०, ८०
मणि, १७
मणियार, अमृतलाल, ९३
मणिलाल, ९५
मतिदास, ३९९

मथुरादास, ३३९
मथुरादास, देवराम, १६७
मदनमोहन, ३५०
मद्रास कैथोलिक लीडर, ११४
मद्य-निषेध, ३९०, —स्वतन्त्र भारतमे, ६६
मननविशी, २७०
मनु, ३८८
मनुष्य, —की समानता, ३२२
मलकानी, ना० र०, १८१
मलखानसिंह, ठाकुर, ४१७
मलिक, १४३
मलीहावादी, अब्दुर्रजाक, १२८
मशरूवाला, किशोरलाल, २९५
मशरूवाला, नानाभाई, ३५८
महमूद, डा० सैयद, १६, १२५, २०२
महमूदाबादके महाराजा, २५१
महात्मा गांधी: ए प्रोफेटिक वॉयस, ८० पा० टि०
महात्मा गांधी: पीसफुल रिवोल्युशनरी ८० पा० टि०
महात्मा गांधी: हिज ओन स्टोरी, ७१ पा० टि०
महात्मा गांधीज आइडियाज ७१ पा० टि०
महालक्ष्मी, ३५०
महिलाओ, —की शिक्षा, १७९; —को पुरुषके समान अधिकार, १६७;
महिला स्वयसेविकाओ —का काम, २५८
महेन्द्रप्रसाद, ३९१
माधवजी, ३२०
माधवानर, ३४७
मान्क्रीफ, मेजर स्काट, ४०८, ४१२
मारिया, ३७२
मारुति, ८५
मालवीय, मदनमोहन, ७१, ९५, २२८, ४०८; —और काग्रेस, ७-८
मिलका कपड़ा, १७२; —और खादी, ३९-४०; —खादीका पूरक, ८; —बनाम खादी, ४२, १४४, ३२८-२९; —बनाम विदेशी कपडा, २६
मिल-मालिक-सघ, ९
मिलर, मार्टिन सी०, ७४
मिल्स, जेम्स, ३३६
मिस्र, —मे अल्पसख्यकोंकी समस्या, ६२-६३
मिस्र निवासी, —को स्वतन्त्रता, १२८
मीरा, ७६
मीराबहन, ८, ५४, ८४ पा० टि०, ९१, १९७, २७९, ४१४
मुजे, डॉ० बा० शि०, ३९६
मुकुन्दराय, ३५०
मुख्य कार्यालय, —स्वराज्य सरकारका, १६१
मुजीबुर्रहमान, ४५
मुरारीलाल, २९०
मुर्दार मास, —खानेकी आदत छुडाना, ३६२
मुल्ला, ८३
मुसलमान, ९, १२, १४, १६, २७, ३३, ५६, ६२, ८२, १०४, १५६ पा० टि०, १५९, १६३, १७२-७४, १८४, २०३, २९०, ३१४, ३२२-२३
मुहम्मद (पैगम्बर), २२३
मुहम्मद अली, ५७
मुहम्मद अली, बेगम, ५७
मुहम्मद, इस्माइल खाँ, २०३
मूर्तिपूजा, ३२४
मूलभूत अधिकारो, —पर काग्रेसका प्रस्ताव, १४९, १७३, २०७, २७४
मृत्यु, —का दु.ख, ३०४, ३६५-६६
मेनन, [डा०] ई० के०, २२८, ३७२-७३
मेनन, एम० पी० नारायण, २३५
मेनन, ऐस्थर, २२८, ३७२
मेनन, यू० गोपाल, २३५
मेहता, आनन्दकिशोर, २८१
मेहता, जमशेद, १४६
मेहता, डॉ० प्राणजीवनदास, १७, २१,

८५ पा० टि०, १३१, १७७, २०१, ३५०
मेहता, धीरजलाल रतिलाल, ३६
मेहता, बबलभाई, ३००
मेहता, सर फीरोजशाह, १२
मेहताब, हरेकृष्ण, ३९९
मैकडॉनल्ड, ६५, १९६
मैक्वीन, एमेलिया, ३९२
मैक्सवेल, आर० एम०, २३, ४३, ५०, ११६, ११८ पा० टि०, २६२, ३५२
मैत्री, २४५
मैथ्यू, २८८
मैथ्यू, के० टी०, १८९
मैथ्यू, पी० जी०, ४००
मैन्चेस्टर गार्जियन, २२५-२६
मैन्चेस्टर रायल एक्सचेंज, १०६
मैत्रिचे, ३७३
मोदी, १०७
मोरेनो, डा० एच० डब्ल्यू० बी०, १२१, १४९
मोहनलाल, २६०

य

यंग इंडिया, १५, ३१, ३४, ४६, ५३, ७८, ८०, ८६, ९२, ११४, १२१, १८५, २०४, २०७, २१७, २४१, २८०, २९५, ३०७, ३१५, ३२६, ३७०, ३७४, ३७६, ३९२, ४१३, ४१७; –के छापेखानेकी जब्ती, ११७, २९२
यमुना, २४७
यरवदा जेल, १५ पा० टि०
यहूदी, २७, २५४
यहूदी धर्म, २८
याकूब, मौलवी मुहम्मद, २३९
युद्ध प्रतिरोधी, ९९
युद्ध-सेवा, –[ओ] से इनकार करना, ९९
युधिष्ठिर, १-२
यूरोपीय, –भारतमें, १८६; –[यों]को जीवनदृष्टिको नया रूप देना पड़ेगा, ५८
यूसुफ हुसैन, ९७

र

रंग-भेद — सयुक्त राष्ट्र अमेरिकामें, १५५
रगूराम, एस०, १५७
रघुवीरसिंह, २४२
रघुमल ट्रस्ट, ३५१
रणछोड़भाई, ३५, ३५३
रतिलाल, २३१, २४८, २६१, २६८
रतुभाई, ३५०
रत्नम्, जेम्स टी०, ८०
रविशंकर, १३५
रहमतुल्ला, सर इब्राहीम, ६३
रहमान, डा०, ३९४
राजगुरु, ५३ पा० टि०
राजगोपालाचारी, च०, ९९, १७०, २२७, २३८, ३४३, ३४७, ४०४, ४१२
राजनैतिक हत्या, –[एँ] भारतीय परम्पराके विरुद्ध, १-३, २९-३१; –[ओं] की निन्दा, १२६
राजवाडे, आर० एस०, ६९, १९५, २८२, ३०६, ३५२
राजा, एच० डी०, ३०६, ३५२
राजू, नारायण, २३७
राजेन्द्रप्रसाद, ८७, ९१, १४१, ३९१, ४०६
रावर्ट्स, लैफ्टिनेंट, ४०८, ४११
राविन्सन, ३५
राम [भगवान], १७३; –जनताके, २५०
रामचन्द्रन्, जी०, १२०
रामदास, स्वामी, १७६, २६६
रामनाम, –बीमारीकी सर्वोत्तम औषधि, २१
रामनारायण, ९५
रामभरोसेलाल, २०९
रामभाऊ, २४६, २७०, ३००
रामराज्य, –गरीबोका स्वराज्य, १७३

रामलालसिंह, १६४
रामानन्द, ७०
रामानन्द, संन्यासी, ३५१ पा० टि०
रामायण, २४७, ३६५
राय, किरणशंकर, २८०
राय, डा० विधानचन्द्र, ४५, ३९५
राय, राजा राममोहन, ३३५
राष्ट्रवाणी, ४५, १६३, १९८
राष्ट्रीय ध्वज, –पर चलचित्र, ४१७
रूस, –का बोल्शेविक शासन, ३१४
रूसी-क्रान्ति, ३१४
रेनाल्डस, रेजिनाल्ड, ३-४, १५, ९२, १५४
रोजनब्लाट, फ्लोरेस, ८८

ल

लंकाशायर, –और कांग्रेस, २२५; –और बहिष्कार, २६, ३४६
लँगोटी, ६७; –का अर्थ, ५६-५७
लक्ष्मी (गांधीजीकी दत्तक पुत्री), १७, २१, ८५, १३०, १७८-७९, २८६, २८८
लक्ष्मीदत्त, २५
लक्ष्मीदास, ८५, १३८
लन्दन, –की यात्रा, २०८, २१०, ३३०
ललिता, १७०
लल्लूभाई, २६१
लालजी, ३०१
लिंगायत, १३१
लिंडसे, डार्सी, १२६, ३१३, ३४१
लिटरेरी डाइजेस्ट, १५५
लिविंगस्टन ऐंड डौल, १२७
ली, थामस वी०, ३६९
लीडर, २८४
लीलाधर, ३७६
लीलावहन, ३५
लीलावती, ३५०
लुकास, डब्ल्यू० ई०, ४१०
लूट-खसोट, २७
लेस्टर, म्यूरियल, ५२, ९१, १५७
लैसी, पर्सी, २२५
लोकतन्त्र, ५; –के खतरे, १११
लोकनाथ, १८५
लोकमत, –का प्रभाव, १०७; –विषैले समाचारपत्रोंके विरुद्ध, २५१

व

वझे, एस० जी०, २०५
वयस्क मताधिकार, ४७
वर्ण, –और जाति, ३२३-२४; –में विश्वास नहीं, ३२२
वर्ण-व्यवस्था, ३२२-२४
वाइसराय, देखिए विलिंग्डन, लार्ड
वाडिया, प्रोफेसर पी० ए०, ७२, ३४५
वानरसेना, १६६
वॉइसलैस इंडिया ३०९
वार्ड, डा० हेरी, ९०, १४५, १९६
विजयनगरम्, –के महाराजकुमार, २०४
विजयराघवाचारियर, सी०, ५३, ५६, १८७
विट्ठलदास, १४०, ३६३, ३७६
विदेशी धर्मप्रचारक, देखिए धर्मप्रचारक
विदेशी वस्त्र, २० पा० टि०, ७०, १५२, १८० पा० टि०, २०७, २१७, २७७-७८, २८३, ३७८; –और विदेशी कपासका आयात, ४०-२, –का उन्माद, २१९; –का बहिष्कार, ८, ३९, ४०, ४२, ५६, ६०-१, १२२ पा० टि०, १३१, १३६, १४१, १४४, १७२, १९५, २६९, २७७, २७९, २९१, ३०७, ३२७, ३४६, ३८६; –के आयातको बन्द करना एक आर्थिक आवश्यकता, २६, १०६, ३२८; –के खिलाफ धरना, ३३, १४८-४९; –के पुनः निर्यातकी योजना, १०; –बनाम ब्रिटिश

कपड़ा, १९, २६-२७; —बनाम भारतीय मिलका कपडा, ३२७-२८; —स्वराज्यके अन्तर्गत, १७४
विदेशी वस्तुओका वहिष्कार, २१८
विद्या, ४१५
विद्यार्थी, मोहनलाल, ३१९
विधवाओं, —का पुनर्विवाह, २२६; —द्वारा आत्महत्या, ७६-७७, १६७
विलास-वस्तुएँ, —गरीबीमें, २१६
विलायती चीजें, २६-२७
विलिंग्डन, लार्ड, ३, ९, ५३, १६१, १७१, २०८, २८४, ३९७
विवाह, —अन्तर्जातीय, ३१३; —का आदर्श, १३७-३९; —का उद्देश्य, ७६-७८; —भोगकी इच्छासे, ७७, १२१-२२; —में ब्रह्मचर्य, १६७; —सयमके ख्याल से, ७७, १६७
विश्व-शान्ति, २२९
विष्णु, ३२४
वीमदलाल, १०७, ३६७
वीरचन्द, सेठ, १०७
वीरता, १
वीर-पूजा, ३२४
वुडगेट, जनरल, ४०८, ४१२
वुल्फसे, ए० वाई० सी०, ४१६
वेदो, —की प्रामाणिकता, ३८६
वेनलस, सर डब्ल्यू० जे०, २९६
वेल, के० वी०, ३५५
वैकटप्पैया, कोडा, १०१, ३१०
वैद्य, गगावहन, १२४, २७०, ३४०
वैलर, चार्ल्स एफ०, ३१६
वैष्णव, ३२४
व्यापार-मण्डल, —की सभा, ५६
व्रत-विचार, ३२१

श

शंकरभाई, १३०, ४११
शंकरराव, ११९, २६०
शंकरलाल, १८१
शकरीवहन, १३४
शराब और मादक पदार्थ, १५२, १७४, २६१, २६९, ३९०; —शान्त वातावरणमे काम करनेवालोके लिए जरूरी नही, ३९०; — [ ]का निषेध, अमेरिकामें, ३४६; —का निषेध भारतके लिए मगलकारक होगा, ३४६; —के वहिष्कारके लिए धरना, ३१-३२, १४१, १६०, १९५, २६३, ३४३ पा० टि०, ४०४, ४१३; —को छोड़नेके लिए दलील, १०५
शर्मा, श्रीराम, २८१, ३७४
शर्मा, हरदेवी, ४१७
शान्तावहन, १३८
शान्ति, ३८८; —ईश्वरमे आस्थासे, ३११; —सत्य और अहिंसासे, २२९
शामदास, १८५ पा० टि०
शामल, कवि, १३७
शामलभाई, १०४
शामलाल, ३९४
शारदा, १३४
शारदा ऐक्ट, ३८
शारीरिक सुखो, —की अविरत शोध, ५८
शास्त्री, वी० एम० श्रीनिवास, २११, २१७, २३९
शास्त्रो, —की प्रामाणिकता, ३८६
शाह, गोपीनाथ, ३८०-८१
शाह, चिमनलाल, १३४
शाह, फूलचन्द के०, १८०, २६९, ३४३
शाह, शारदा चि०, ८७, १७६, २९८, ३७५
शिक्षा, —का उद्देश्य, १०५, —जनताके लिए, ४७
शिरर, विलियम, २७१
शिवभाई, १७८

शिशिर, २८०
शीतलासहाय, ४१३, ४१६
शुक्ल, रामसेवक, ३७३
शेवडे, अनन्त गोपाल, ३१३
शेषन्, १७०
शेषनाग, ३२४
शौकत अली, ९, ८३ पा० टि०, १२५
श्रद्धानन्द, स्वामी, ३६४
श्राद्ध, ३०४

स

संन्यासी, स्वामी भवानीदयाल, ३२५
संविधान, —स्वराज्यमें, १४९, १७४-७५, २६६
सस्कृत, १७९
संस्कृति, —इस्लामी, ५७; —का रक्षण करे, ५७; —भारतीय बनाम यूरोपीय, ५६-५८; देखिए सभ्यता भी
सक्सेना, मोहनलाल, २१०, ४०९
सज्जनसिंह, १
सती, —का आदर्श, ७६-७८, १६७
सत्ता, —सेवाके लिए, ११३
सत्य, ३९, ११३, १३३, २१५, २२९, ३८२, ३८८
सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा, १६५
सत्य, —धर्मके रूपमें, १७३-७४
सत्याग्रह, ३, ५१, ६६, २२६, —का सिद्धान्त, १६९; —देशी राज्योमें, ३२२; —मन्दिर-प्रवेशके लिए, २३५
सत्याग्रही, ६, १३, ३०, ६३, १११-१२, १५८-१५९, १६९; —का धर्म, १०८; —का हथियार, ६०; —समझौते या लडाईके लिए हमेशा तैयार, ५-६; —[हियो] के लिए आचरण-सहिता, ६३
सदागोपाचारी, ३४३
सप्तपदी, ७६
सप्रू, सर तेजबहादुर, २५, ५३
सभ्यता, —भारतीय और पश्चिमी, ५६-५८
समर्पण, —और पशुबल, ६३
समाचार, ३५८
समाचार दर्पण, १९८
समानता, —मनुष्यकी, ३२२, ३७०
सरकारी अधिकारियों, —का अधिकतम वेतन, २०८
सर्वेन्ट ऑफ इंडिया, ६२
सविनय अवज्ञा, ५, २३-२४, ६६; ११७ पा० टि०, १५८, २१३
सहाय, विद्यानाथ, ३१५
साधन, —और साध्य, ३८७
साधु, —और समाज, २७४-७५
साध्य, —और साधन, ३८७
साबरमती आश्रम, —प्रेरणा-भूमि, ३७-८
सामाजिक बहिष्कार, २१८, २५७
साम्प्रदायिक एकता, १२; देखिए हिन्दू-मुस्लिम एकता भी
साम्प्रदायिक समझौता, १४४
साम्प्रदायिक समस्या, १८४ पा० टि०, २४१; —और जात-पाँत, ३२३-२४; —और पृथक् निर्वाचन, ९
साम्प्रदायिकता, —और कांग्रेस, २५२-५३
सारजा, ३२१
सार्वजनिक खर्च, —में कटौती, १६८
साल्वेशन आर्मी, ४०२
साहनी, जे० एन०, २२९
साहस, —मरनेका, ७७
साहू, गजाधर, १४६-४७
साहू, नरसिंह, २२५
सिख, १२, २७, ३३, १५९, १७२, १७३, २०३, २३९
सिख लीग, १२, ४७
सिधवा, १४६
सिन्हा, अतुलप्रताप, २२८
सिविल सर्विस, ४७
सीतलवाड, सर चिमनलाल, २९०

सीता, २९९
सुखदेव, २९, ५३ पा० टि०
सुजाता, ३९५
सुधार, —और राष्ट्रहित, ३८; —बलिदानका ही परिणाम, १६५
सुन्दरम्, वी० ए०, १७७
सुवानागौडर, के० के०, ३८२
सुब्बैया, ए०, १७०
सूरजवहन मणिलाल, १६६
सूरजभानजी, ३९१
सुरेन्द्र, १९१, ३०२, ३२१, ३७६
सुरेन्द्रसिंह, ४७, २४३, ३९२
सेन, भूपेन्द्रनारायण, १६९, ३९६
सेन, भोलानाथ, २२३
सेनगुप्त, जे० एम०, १६३ पा० टि०, २७१, २८९, ३३७, ३४१, ३५१, ३५६-५७, ३७७, ३८५
सेना-सम्बन्धी व्यय, २०७
सेलर, ऐलन डब्ल्यू०, २७९
सेवा, ४, —अपनी, ३७०; —और स्वदेशी, २७२-७४; —करके सन्तोष करना, ३५; —के लिए कोई संगठन बनानेकी जरूरत नहीं, २५२; —जन्मभूमिकी, ३८७-८८; —पड़ोसीकी, २७२
सैन्ट्रल सिख लीग, ३९३
स्त्री, —पतिकी सहचारिणी, ७७, १६७
स्त्री स्वराज्य सघ, २६५
स्लोकॉम्ब, ४-५
स्वतन्त्रता, १५३, ३३२; —की सीमाएँ, २७४-७५; —धार्मिक, स्वराज्यमें, ३८५-८६; —पूर्ण ६; —प्रेसकी, २५१; देखिए स्वराज्य भी
स्वदेशी, १०९, १४९, २७४, ३७८; —का नियम, २७२-७४
स्वदेशी प्रचारक मण्डल, २५
स्वदेशी-व्रत, ३५ पा० टि०, २४७, २६५
स्वदेशी सभा, १९ पा० टि०, २७५
स्वधर्म, २७३
स्वयसेवकों, —का कर्त्तव्य, १६६; —का कर्त्तव्य और गुण्डापन, १११-१२; —का काम गांवोंमें, २४३, ३५८-६१; —के शिविरोंका आयोजन, १३३
स्वयसेविकाएँ, —और वरना, २७६-७८
स्वराज्य, ६, १३-१४, ३७ पा० टि०, १०८, १४६, १५०, १५९, १६६, १७३, १९२, २५४, २६०, ३०३, ३६०, ३८५; —और रामराज्य, १७३-७५; —का अर्थ, ११, १०४, २०७; —का काम, ३९०; —की बाधा, १३५; —के अन्तर्गत विदेशी धर्म-प्रचारक, ११५; —पूर्ण, १५९, —प्राप्तिमें हिंसासे बाधा, १; —मे अल्पसख्यक, १४९-५०; —में चुनाव, १३६; —में अस्पृश्यता-उन्मूलन, ३८५-८६; —में धार्मिक स्वतन्त्रता, ३५, २७४, —मे समानता, ३६२; —सत्य और अहिंसासे ही, ३८२
स्वराज्य भवन, —में अस्पताल, १५१-५२
स्वराज्य-सविधान, १४९, १७४-७५, २४१
स्वादेन्द्रिय, —और आत्मशुद्धि, ३६६
स्वाधीनता, ३६६
स्वास्थ्यकी कुंजी, ३१९

ह

हनुमानसिंह, १४२, २६०
हरकोर्ट, एच०, ९८
हरसूबाबू, ९
हरिभाई, डा०, ८५
हरिभाऊ, ३५०
हरियोमल, २३१
हरोलीकर, वी० वी०, २८३
हसन, इमाम, ८२
हाटे, श्रीमती सी० ए०, ३११, ४०२
हॉडसन, एच० वी०, ३७१

हाथ-कताई, देखिए कताई
हाबू, —की माँ, १६९, २००
हार्कर, एम्मा, ३४६
हॉकिन्स, आर० ई०, २३२
हावर्ड, श्रीमती चार्ल्स, ३३५
हिंगोरानी, आनन्द टी०, ४१४
हिंसा, —क्रान्तिकारियो द्वारा, २९-३१, १२७; —बनाम अहिंसा, १-३, ३०-३१
हिंसावादिता, १-३
हिजरत, १६९
हिन्द स्वराज्य, १६५
हिन्दी, ५२
हिन्दुस्तानी सेवादल, १३३, ३८७-८८
हिन्दू, १२, २७, ३१, ५१ पा० टि०, ६२, ६४ पा० टि०, १५९, १७४, १८४ पा० टि०, २०३, २५४, २८६, २९० पा० टि०, ३२२-२४, ३६१-६२, ३६५, ३६९, ३८५; —[दुओ] का अल्पसख्यकों-के प्रति कर्त्तव्य, ६३; —मे गुडागर्दी, ५६
हिन्दू-धर्म, ११, २८, ५६, ११४, ३८२; —और अस्पृश्यता, ३२३, ३६१-६२; —और जाति-प्रथा, ३२३-२४
हिन्दू-मुस्लिम एकता, ७९ पा० टि०, १२५, १४४, १५२, १५६, २५१; —स्वतन्त्र भारतमें, ६७; देखिए साम्प्रदायिक समझौता भी
हिन्दू-मुस्लिम समस्या, ५२, ५६, ६५, ९०, ९२, १७३, २७१, २९० पा० टि०, २९९, ३२३, ३३८ पा० टि०, ३९२
हिन्दू समाज, —और विवाह, ७७
हूपर, २४९
हेली, सर मॉल्कम, ११६, १७१, २०२, २०८, २११, २१३, २१५, २४८
हेडॉर्न, विलियम, ३०८
होम्स, रेवरेड, ९०, १४५
ह्यूम, ३८९